राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 6] बारहवीं विधान सभा के छठे सत्र का तीसरा दिवस [संख्या : 23

गुरूवार

5 अक्टूबर, 2006

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: श्री बाबूलाल नागर।

दूदू के विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पद

19. श्री बाबूलाल नागर (दूदू): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सर्व शिक्षा अभियान में भारत सरकार द्वारा तृतीय श्रेणी अध्यापकों के पदों की भर्ती हेतु वर्ष 2004-05, 2005-06 व 2006-07 में कुल कितने पद स्वीकृत किये गये तथा राज्य सरकार द्वारा वर्षवार सर्व शिक्षा अभियान में कितने पदों की भर्ती की गयी?

(2) वर्तमान में कुल कितने पद रिक्त हैं, इनमें से रोस्टर के अनुसार अनुसूचित जाति, जनजाति वर्गों के बैक लाग रहित कुल कितने पद रिक्त हैं? रिक्त पदों को सरकार कब तक भरने का विचार रखती है?

(3) विधान सभा क्षेत्र दूदू में तृतीय श्रेणी अध्यापकों के कुल कितने पद स्वीकृत हैं तथा इनमें से वर्तमान में कितने पद रिक्त हैं, रिक्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा?

(4) पंचायत समिति दूदू में कितने ऐसे विद्यालय हैं जहां एक ही अध्यापक कार्य कर रहा है? एकल अध्यापक वाले विद्यालयों में क्या सरकार प्राथमिकता से रिक्त अध्यापकों के पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री) (श्री घनश्याम तिवाड़ी, शिक्षा मंत्री के स्थान पर): अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से, (1) सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा तृतीय श्रेणी अध्यापकों की भर्ती हेतु

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

कोई पद स्वीकृत नहीं किये गये हैं, बल्कि सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा तृतीय श्रेणी अध्यापकों के वर्ष 2004-05, 2005-06 एवं 2006-07 में स्वीकृत पदों की संख्या क्रमश: 15138, 7200 एवं 25303 हैं, जबकि वर्षवार क्रमश: 4554, 10990 एवं 821 तृतीय श्रेणी अध्यापकों की भर्ती की गई है। शेष पदों की भर्ती प्रक्रियाधीन है।

(2) वर्तमान में तृतीय श्रेणी अध्यापकों के 26741 पद रिक्त हैं, इनमें रोस्टर के अनुसार सिर्फ टी.एस.पी. क्षेत्र के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्गों के बैक लाग के 890 पद सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त नवीन सत्र 2006-07 हेतु राज्य सरकार द्वारा तृतीय श्रेणी अध्यापकों के 25303 पद स्वीकृत किये गये हैं, जिनके जिलावार आबंटन का कार्य भी चालू है। तृतीय श्रेणी अध्यापकों की भर्ती राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(3) विधान सभा क्षेत्र दूदू में तृतीय श्रेणी अध्यापकों के कुल 1055 स्वीकृत पदों में से 262 पद रिक्त हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित आशार्थी उपलब्ध होने पर रिक्त पद भरे जा सकेंगे।

(4) पंचायत समिति दूदू में 58 प्राथमिक विद्यालय ऐसे हैं जहां प्रत्येक विद्यालय में एक ही अध्यापक कार्यरत है। राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित आशार्थी उपलब्ध होने पर रिक्त पदों को भरा जा सकेगा।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाह रहा हूं, इन 3 वर्षों में स्वीकृत पद 47641 आपने बताये हैं और भर्ती किये आपने 16365 तो 3 वर्षों में स्वीकृत होने के बावजूद भी सरकार ने अभी तक 16365 पदों की भर्ती की है, क्या कारण रहे? दूसरा मैं यह निवेदन करना चाह रहा हूं, यह जो आपने भर्ती किये हैं 16365, इसमें भारत सरकार के बजट से तो इसमें कितनी राशि खर्च की है और राजस्थान सरकार के बजट से आपने कितनी राशि खर्च की है?

दूसरा, अध्यक्ष महोदय, मैंने रोस्टर के सम्बन्ध में निवेदन किया है, 05.07.1985 तक वेकेंसी आधारित अनुसूचित जाति, जनजाति के रोस्टर का माडल बना हुआ था, 20.11.1997 को जब प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब पद आधारित रोस्टर माडल का कार्मिक विभाग से एक परिपत्र जारी हुआ। अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति के लिए संविधान प्रदत्त व्यवस्था

(श्री बाबूलाल नागर)

है 16 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति का 12 प्रतिशत है। अब 20.11.1997 को आपका रोस्टर माडल जारी हुआ है, उसमें 100 में 16 और 25 पर 4 पद... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप सारी इंफार्मेशंस तो दे रहे हैं उन्हें। उनसे क्या इंफार्मेशन लेंगे। (व्यवधान) प्रश्नकाल सूचना लेने के लिये होता है।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): अध्यक्ष महोदय, मैं सटीक प्रश्न पूछ रहा हूं। 20.11.1997 को जो परिपत्र जारी हुआ है, रोस्टर के सम्बन्ध में, उस परिपत्र में आपने निर्धारित किया है, उसमें 25 पर हिसाब से 4 पद होने चाहिए लेकिन इसमें 3 पद आते हैं। इसी तरह एस.टी. में 50 पर 6 आने चाहिए। (व्यवधान) प्रश्न पूछ रहा हूं मैं।

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न पूछिये। (व्यवधान) नो, भाषण अलाऊ नहीं है। भाषण अलाऊ नहीं है। प्रश्न के फोरम में पूछिये।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): इसमें 50 पर 5 आते हैं। (व्यवधान) 20.11.1997 को जो आपने जारी किया इसको वापस ठीक करने का मन रखते हैं क्या? क्योंकि जो 16% और 12% का आपने दिया है, वह 16 प्रतिशत की पूर्ति नहीं हो रही है और 12 प्रतिशत की पूर्ति नहीं हो रही है। अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में 58 विद्यालय ऐसे हैं, जहां एक-एक अध्यापक काम कर रहा है।

श्री अध्यक्ष: आप उन्हें इन्फार्मेशन दे रहे हैं, यह प्रश्नकाल इन्फार्मेशन लेने के लिये होता है। आपके पास जो जानकारी नहीं है, वह जानकारी प्राप्त करें। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): अध्यक्ष महोदय, मैं इतना सा निवेदन करना चाह रहा हूं कि इन 58 विद्यालयों में एक-एक अध्यापक हैं, अभी टूर्नामेंट हुए, सब के सब विद्यालय बंद हो गये। यह 58 विद्यालय, एक-एक अध्यापक पूरे राजस्थान में जहां भी हैं, यह कब तक भर दिये जाएंगे? यह मेरा निवेदन है। एक अन्तिम...। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, एक अन्तिम, जो आपने नये विद्यालय खोले हैं, इनमें राजस्थान में कुल कितने पद सृजित किये? अभी मई से सेवानिवृत्त हुए हैं, उनमें कुल कितने सेवानिवृत्त हो गये और एक दिसम्बर, 2003 से पूरे राजस्थान में कितने अध्यापक के पद रिक्त थे, यह बता दें। इतना सा निवेदन करना चाह रहा हूं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आपने कहा

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

कि कुल 56777 पद रिक्त हैं। मैंने स्वयं ने भी इसको स्वीकार किया है और उसमें से 33 हजार...।

श्री अध्यक्ष: 56 हजार नहीं, 26 हजार हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): नहीं, सब मिलाकर अब तक, जो वेकेंसीज बनती हैं, वह 56777 बनती हैं। इसमें से 35 हजार की भर्ती पहले कर चुके हैं और बाकी 25303 की भर्ती अभी प्रोसेस में चल रही है, आर.पी.एस.सी. को अभ्यर्थना गयी हुई है। वहां से उसकी पूर्ति होने के बाद इन पदों की भर्ती होगी। जहां तक आपका सवाल है कि सरकार द्वारा सर्व शिक्षा अभियान के पैसे से ही अध्यापक लगाये जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। गैर योजना मद में भी 2004-05 में 7933, 05-06 में 8427 लगाये हैं और 06-07 में 267, इस तरह से 16627 पद नान प्लान में लगाये हैं। प्लान में लगाये हैं 2004-05 में 905, 05-06 में 1899 और 06-07 में 100। इस तरह से प्लान में 2904 लगाये हैं। केवल यह कि सर्व शिक्षा अभियान के पैसे में से, जो हमने 35 हजार की भर्ती की है, उसमें 16365 लगाये हैं। तो नान प्लान में भी लगाये हैं, प्लान में भी लगाये हैं और सर्व शिक्षा अभियान में भी लगाये हैं। यह पिछले साल की जो भर्ती हुई, जिसमें 3 हजार विडो का था और बाकी आर.पी.एस.सी. से था, वह जो 35 हजार के लिये था और इस साल हमने 25303 पदों की स्वीकृति के लिये आर.पी.एस.सी. को भेजा हुआ है, वह आर.पी.एस.सी. में प्रोसेस में है। वह अपना काम पूरा करके जब भर्ती करके हमको देंगे तो यह जो 56777 वेकेंसी है, इसको पूरा करेंगे। एक आपने जो दिया कि रोस्टर के पद हैं, शिक्षा विभाग में, मैं समझता हूं शायद पहला विभाग होगा, जिसमें आज की तारीख में कोई बैकलाग नहीं है किसी भी प्रकार का। केवल एक बैकलाग है वह एस.सी., एस.टी., जो हमारा शिड्यूल्ड एरिया है, उसके आठ सौ कुछ पद हैं, जिन पदों पर चयनित व्यक्ति वहां उपलब्ध नहीं होने के कारण से वह पद रिक्त हो गये। उनको हमने इस वेकेंसी में इस बार फाइनेंस से स्वीकृति लेकर आर.पी.एस.सी. को भेज रहे हैं ताकि उनकी भर्ती पूरी हो जाए। शिक्षा विभाग में 100 प्रतिशत, जितना भी बैकलाग है, वह सारा का सारा पूरा हो गया और यह बचा हुआ आठ सौ कुछ हैं, यह भी पूरा हो जायेगा। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया कि 20.11.1997 को आपने रोस्टर का माडल दिया है, यह कार्मिक

(श्री बाबूलाल नागर)

विभाग ने जारी किया है। उसके तहत संविधान प्रदत्त 16 प्रतिशत और 12 प्रतिशत की, न तो सीधी भर्ती में, न पदोन्नति में पूर्ति हो रही है। 25 पर उस रोस्टर के बिंदु के अनुसार 3 आदमी आते हैं जबकि 16 प्रतिशत पर 4 आदमी आते हैं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछें, भाषण नहीं।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): और इसी तरह एस.टी. में 50 में से 6 आदमी आने चाहिए, एस.टी. में 50 में से 5 आदमी आ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: आप भाषण क्यों देना चाहते हैं? प्रश्न पूछिये। वह कह रहे हैं कर दिया पूरा, बैकलाग है ही नहीं।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): मैंने यह निवेदन किया ...(व्यवधान) नहीं, कहां कर दिया। जब आपका यह परिपत्र है, रोस्टर का माडल है, गलत है, जब 16-12 का है, आप उल्लंघन कर रहे हैं, जब 16 और 12 की पूर्ति ही नहीं कर रहे हैं।

जब आपकी वरीयता सूची ही गलत है, वरीयता सूची ही ठीक नहीं है तो फिर आपकी रोस्टर की पूर्ति कैसे होगी? मेरा निवेदन यह है कि आपका यह 20.11.97 का कार्मिक विभाग ने रोस्टर का माडल जारी किया है उसको दुरुस्त करने का मन रखते हैं ? और जो 16, 12 के अनुसार संविधान प्रदत्त व्यवस्था है उसकी सरकार पूर्ति करना चाहती है? नहीं करना चाहती है तो आटोमैटिक ही रोस्टर का मामला खतम हो गया, जब हमारा 16 का नहीं बनता और न 12 का बनता। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सोचता हूं कि शिक्षा विभाग में भर्ती कोई 25 पर, 8 पर नहीं है जिसके कारण से 16 परसेंट को डिवाइड करने में कोई परेशानी नहीं है। वहां हजारों पदों के ऊपर भर्ती हो रही है और इसके कारण से 16, 12 का जो उनका हिस्सा बनता है वह सेंट-परसेंट इसकी पालना की और यहां तक कि इस भर्ती में जो पुराना बैकलाग था उसको भी पहले पूरा करते हुए आज की तारीख में शिक्षा विभाग यह कहने की स्थिति में है कि उसका किसी भी प्रकार का बैकलाग बाकी नहीं है। केवल टी.एस.पी. एरिया का, क्योंकि हमारे पास अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं थे तो वह पोस्ट हमारी जरूर खाली गयी है, उनको फिर हमने इस साल मिलाकर फाइनेंस से स्वीकृति के लिए भेजा है। वह मिलने के बाद आर.पी.एस.सी. को

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

जाकर यह पद भी, अगर वहां टी.एस.पी. एरिये में ट्राइब के लोग हमें मिल जाएंगे तो उनको लेने के बाद हम यह कह सकेंगे कि हण्ड्रेड परसेंट कोई बैकलाग और किसी भी प्रकार का 12, 16 परसेंट का जो हिस्सा है, उसमें कोई कमी नहीं रहेगी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: डाक्टर चन्द्रशेखर बैद।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): माननीय अध्यक्ष महोदय, कई ऐसे पद हैं जो संख्या में कम स्वीकृत हैं। जो 100 से कम संख्या में स्वीकृत हैं। व्याख्याताओं के और सब्जैक्ट विषय के, विषयवाइज जो संख्या में कम है। मेरा प्रश्न इतना सा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप भाषण देते हैं। प्रश्न तो पूछ नहीं रहे हैं। आप प्रश्न तो पूछ नहीं रहे हैं और भाषण देने लग जाते हैं। 11 मिनट हो गये। प्रश्न पूछते नहीं हैं। केवल यह दिखा रहे हो आप तो। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूरे अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों के साथ जब आपकी पिछली सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो पहले सरकार आयी थी, यह काला परिपत्र आपने जारी कर दिया और आरक्षण को इस परिपत्र के माध्यम से आपने 16, 12 को ही खतम कर दिया। मेरी मूल मंशा है कि इस परिपत्र को आप दुरुस्त करने का मन रखते हैं क्या? मेरा प्रश्न है कि इसको दुरुस्त करने का मन रखते हैं तो बता दें। 16, 12 की ही पूर्ति नहीं हो रही है माननीय अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: डाक्टर चन्द्रशेखर बैद। विराजिये, विराजिये।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): आपके रोस्टर की परम्परा ही गलत बनेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो आपके हुक्म की पालना कर दूंगा लेकिन यह कोई साधारण बात नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज तक 16, 12 जो संविधान प्रदत्त व्यवस्था है, उसको भी इस सरकार ने जब यह पिछली बार सरकार में थे और इसने काला परिपत्र निकाल दिया और 16, 12 खतम कर दिया। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): तो फिर आप बीच में पांच साल आप पधारे थे न, शिक्षा मंत्रीजी को कहते, क्यों नहीं आपने विदड्रा किया उसको? पांच साल आप सरकार में रहे, अब कह रहे हो।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): इसको ठीक करो। अब मैं जो सरकार है उसको कह रहा हूं। जिस सरकार ने गलती की है इसको ठीक करो आप। आपने 16, 12 की व्यवस्था ही खतम कर दी।

श्री अध्यक्ष: आपको भी मौका था।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सी.पी. जोशी का किया हुआ काम हम ठीक नहीं करेंगे। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): नहीं-नहीं, वह आपकी गलती है। आपको ही ठीक करना पड़ेगा। आपकी गलती को आप स्वयं ठीक कर करो इसलिए नहीं किया। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आप विधायकों को धमका रहे हैं और उनको रोब दिखाते हैं। यह बात नहीं चलेगी। आपका यह दायित्व नहीं है। आपका दायित्व यह है कि आप हमें भी को-आपरेट करें। आपका दायित्व यह है कि पूरा उत्तर दिलवायें। आज सबसे बड़ी समस्या अध्यापकों की कमी की स्कूलों में चल रही है और उसमें यह इम्पोर्टेण्ट क्वेश्चन है और जो सर्कुलर सरकार का विरोधाभासी है उस पर स्पष्टीकरण माननीय अध्यक्ष महोदय, दिलवाइये। अब आपकी खुद की ... (व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): जारी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने 1997 में किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। (व्यवधान)

श्री रमेश खींची (कठूमर): आप इसको ऐसे ले रहे हैं, एस.सी., एस.टी. के मसले को ले जाते हो, आप जवाब दे दें कि यह जो रोस्टर बना है गलत, उसको आप ठीक करेंगे या नहीं करेंगे? बात इसकी है। (व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): आप सही करवा दो इसको। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वाभाविक है, सदन के सब लोगों को इस बारे में स्वाभाविक पीड़ा है कि जितने अध्यापकों की आवश्यकता है उतनी पूर्ति नहीं हो पायी, उसके कारण से आपका प्रश्न पूछना स्वाभाविक है लेकिन आपको यह भी विचार करना चाहिए कि पिछले पांच साल में आपने केवल 443 अध्यापकों की भर्ती की। एक मिनट सुन लीजिए। (व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): यह तो केन्द्र सरकार से पैसे आ गये इसलिए आपने किया है, आपने अपने ... (व्यवधान)

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): माननीय अध्यक्ष महोदय, सवाल भर्ती का नहीं है। आपने खुद ने कहा है ... (व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): यह जो कुछ भी किया है यह सर्व शिक्षा अभियान का पैसा आया है इसलिए किया है। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): हम किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं। यह संविधान में व्यवस्था है 16, 12 की। (व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): यह शिक्षा का पैसा केन्द्र सरकार से मिला इसलिए आपने यह किया। यह आपका काम नहीं है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक यह माननीय गृह मंत्रीजी ने जो ... (व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): यह आपका काम नहीं है।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): इनका ध्यान नहीं रखा गया है। मंत्रीजी इनका ध्यान रखकर दुबारा से रोस्टर को वर्क-आउट करवाएंगे क्या? इतना-सा सवाल है। आपने जितनी भर्ती की शिक्षा विभाग में, इसमें 16 परसेंट और 12 परसेंट लेना था एस.सी. और एस.टी. का, यदि रोस्टर के आधार पर पूरे कर्मचारी अगर नहीं आये, अध्यापक नहीं आये तो क्या दुबारा से आप उस परिपत्र को दिखवाएंगे क्या ताकि उसके आधार पर पुन: भर्ती की जाए? क्या उसको पूरा करेंगे, इतना सा मेरा सवाल है। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत आदर करता हूं गृह मंत्रीजी का, जो शिक्षा मंत्रीजी के बिहाफ पर जवाब दे रहे हैं। मुझे इस बात का सख्त एतराज है कि आप गलत बयानी कर रहे हैं, नम्बर-1 पिछली सरकार के आते ही पहले वर्ष भी पांच हजार अध्यापक लगाये गये थे, काइंडली करेक्ट द रिकार्ड, आप पता लगाइये। अब आपसे मैं दूसरी बात कहता हूं। 2001-2002, 2002-2003 में ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न के रूप में पूछिये। आप यूं पूछिये कि क्या पांच हजार नहीं लगाये गये थे? आप प्रश्न के रूप में पूछिये। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): मैं बता रहा हूं आपको। पिछले तीन सालों के कार्यकाल के अन्दर आप फाइल देख लीजिए। कितने सैंक्शन पद थे। पी.एस.सी. को लिखा गया लेकिन स्टे आर्डर आ गया और यहां शिक्षा मंत्रीजी ने स्वयं स्वीकार किया है कि स्टे के कारण वह भर्ती नहीं हो सकी। फिर उसके बाद 35 हजार पैराटीचर्स लगाये थे। आप यह कहते हैं कि आपने, जब अपनी वाहवाही लेते हैं तो जितने आपने लगाये हैं, मानदेय के ऊपर लगाये हैं, उन सबको तो आप गिनाते हैं कि हमने इतने लोगों को नौकरी दे दी, एक

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

लाख लोगों को नौकरी देने की बात थी और जब यहां पर यह बात आती है तो आप कहते हैं कि 427 लगाये हैं। यह बहुत ही अनुचित उत्तर है इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं। इस उत्तर का यहां बैठकर, यह राजनीतिक से प्रेरित होकर उत्त्तर दिया जा रहा है। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको विरोध का मौका ही नहीं दूंगा कि आप विरोध कर सकें। मैं मौका ही नहीं दूंगा आपको। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल में विरोध करते हैं क्या? क्वेश्चन आवर में कोई विरोध करते हैं क्या? जो कुछ भी पूछते हैं उसके बाद उत्तर आ जाता है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): मैं जो कुछ भी कह रहा हूं वह प्राथमिक शिक्षा के बारे में कह रहा हूं और प्राथमिक शिक्षा की भर्ती में मैं आपको एक-एक साल की सुनाने को तैयार हूं। आकड़ों के सहित सुनाने को तैयार हूं। 1998-99 में 2689 हुआ, यह हमारा कार्यकाल था और लास्ट में तीन-चार महीने आपके बचे थे। मार्च, अप्रैल ... (व्यवधान) एक मिनट विषय को सुन लो। उसके बाद 1999-2000 में ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): नहीं, आप 20.11.97 को जो रोस्टर का माडल जारी किया है, कार्मिक विभाग ने उसके बारे में जानना चाह रहे हैं आपसे...(व्यवधान)

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): वह भर्ती आपने की है उसमें 12 और 16 परसेंट का वायलेट किया है। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): 16, 12 की जो संविधान प्रदत्त व्यवस्था है इसको आप दुरुस्त करना चाहते हैं क्या? जो आपकी सरकार ने गलती की है। (व्यवधान)

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): 16 परसेंट और 12 परसेंट का वायलेट किया है उसकी बात है। जो 16, 12 परसेंट में वायलेट किया है उसको पूरा करिये आप। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों के साथ कुठाराघात किया है, यह अन्याय किया है आपकी पूर्ववर्ती सरकार ने,

(श्री बाबूलाल नागर)

आप इसको ठीक करना चाहते हैं क्या? इतना-सा निवेदन है कि 16 और 12 परसेंट जो संविधान प्रदत्त व्यवस्था है, आप इसको ठीक करना चाहते हैं क्या? यह बात तो छोड़ दीजिए आप, कितने पद आपने भर्ती किये या नहीं करें, यह कौन पूछना चाह रहा है आपसे। (व्यवधान)

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): आपको बहुत-बहुत बधाई कि आपने तृतीय श्रेणी अध्यापकों की भर्ती बहुत की है। पिछली सरकारों ने बिलकुल नहीं की, लेकिन 12 परसेंट और 16 परसेंट का जो नियम वायलेट हुआ है आरक्षण का, रोस्टर के आधार पर भर्ती नहीं हुई है, उनको आप कब पूरा करेंगे? आप उस परिपत्र को दुबारा दिखवाइये। यह हमारा निवेदन है आपसे। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): आपने जो बात पूछी कि रोस्टर के आधार पर कोई खाली है, एकदम मेरे पास इसकी परफेक्ट सूचना नहीं है, मैं आपको अधूरी सूचना देना उचित नहीं समझता। मैं कोई पक्ष और विपक्ष में भी नहीं हूं। पांच हजार अध्यापकों की भर्ती हुई होगी, सैकण्डरी, हायर सैकण्डरी में भी हुई है। बाकी हुई है जो मेरे पास अभी है, वह एलिमेण्टरी एजुकेशन में जो भर्ती हुई है उसकी मैं बात कर रहा हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: पूछा भी एलिमेण्टरी का ही है । (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): अध्यक्ष महोदय, रोस्टर की बात मैंने पूछी है और मेरा निवेदन है खाली 20.11.1997 का जो परिपत्र निकाला है कार्मिक विभाग ने, इसमें संविधान प्रदत्त व्यवस्था को ही आपकी पूर्ववर्ती सरकार, जब आपकी सरकार थी, उसने खतम कर दिया है। 16, 12 का ही हमारा अधिकार ही खतम कर दिया है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): दूदू से आने वाले माननीय सदस्य ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सरकार तो आपकी भी आ गयी थी। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): आपका रोस्टर ही सही नहीं बन सकता तो आप रोस्टर को लागू क्या करेंगे? आपकी वरीयता ही सही नहीं बन सकती। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): दूदू से आने वाले माननीय सदस्य, आपकी पीड़ा मुझे समझ में आती है क्योंकि पांच साल आपका ध्यान गया ही नहीं उस ओर और अब आपका आठ साल के बाद गया है तो हम जरूर विचार करेंगे इस पर। क्या इसमें कमी है? पर मैं यह ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जब वे मंत्री बनने के चक्कर में थे।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा ध्यान नहीं गया। मंत्री महोदय, अब आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं। आप इस 20.11.1997 के परिपत्र को दुरुस्त करने का मन रखते हैं क्या? संविधान प्रदत्त व्यवस्था 16, 12 की है। इसकी आप पूर्ति करना चाहते हैं क्या?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): मैं आपके इस पत्र को ठीक प्रकार से देखने के बाद, क्या इसमें कमी है, क्या इस कमी को दुरुस्त करने की, किस तरह से कोई रास्ता है, उसके बाद ही कोई जवाब दे सकूंगा। एकदम एट-रेण्डम मैं आपको कोई आश्वासन दे दूं वह ठीक नहीं रहेगा। आपकी समस्या हमारी सब की समस्या है, मैं सोचता हूं कि इस बात की पूरी हमने कोशिश की है और आपको यह सुनकर भी प्रसन्नता होगी कि इस बार सर्व शिक्षा अभियान में जो खर्चा हुआ, राजस्थान हिन्दुस्तान में नम्बर एक पर रहा है, उसको इस बात का प्राइस मिला है। आपको प्रसन्नता होगी, यह ठीक है कि हमारी गति और तेज बढ़े, जिसके कारण से जो अध्यापकों की आवश्यकता महसूस हो रही है, उसकी पूर्ति हो, निश्चित रूप से आपकी है और इसीलिए यह 25 हजार पद जो हमने और लिये हैं, उसके बाद विधवाओं को भी देकर जो हमने अभी आपको कहा था, टोटल संख्या 56-57 हजार जो पोस्ट है, उसको भरने की कोशिश में है।

मैं सोचता हूं कि प्राथमिक शिक्षा की दृष्टि से हमारे पास बजट भी उपलब्ध है। हमारे पास सब प्रकार की तैयारी है और आने वाले कुछ समय में आर.पी.एस.सी. से सलेक्शन के बाद अध्यापक मिलेंगे। जहां तक आपके दूदू का सवाल है, दूदू में आपके प्राथमिक विद्यालय 200 हैं और उच्च प्राथमिक विद्यालय 106 हैं। इनमें सैकिण्ड ग्रेड की स्वीकृत पोस्ट 106 हैं उसमें से 60 पोस्ट खाली हैं । 106 स्वीकृत में से सैकिण्ड ग्रेड की 60 पोस्टें खाली हैं और 1055 थर्ड ग्रेड की पोस्टें हैं उसके अंगेस्ट में 262 पद रिक्त हैं जो लगभग रिक्त 25 प्रतिशत के आस-पास जाती है, बहुत अधिक रिक्त है। इसमें कोई दो राय नहीं है और मैंने स्वयं ने स्वीकार किया है कि आपके 58 प्राथमिक विद्यालय ऐसे हैं जहां केवल सिंगल टीचर लगा हुआ है। यह सच है, इसको स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे नोर्म्स हैं कम से कम प्राथमिक विद्यालय में दो अध्यापक हों। पहली बार यूपीएस बनने पर एक हैड मास्टर देते हैं, उसके साथ दो अध्यापक देते हैं, फिर दूसरे साल दो अध्यापक देते हैं, उसकी पूर्ति जितनी अभी होनी चाहिये

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

वह नहीं हुई है। इस सबके मिलने के बाद हम इस स्थिति में होंगे कि 80 प्रतिशत हम इस पूर्ति को कर पायेंगे।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन, श्री खुशबीर सिंह जोजावर।

डा. सी. पी. जोशी : यह पैसा राजस्थान सरकार ने लिया है यह 16 हजार अध्यापकों की सेलेरी में पैसा दिया है। आप यह बताइये कि भारत सरकार से आपको कितने पैसे मिले? (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार को 40 हजार पदों का पैसा सर्वशिक्षा अभियान से मिला है। यह केवल फाइनेंस की व्यवस्था कर रहे हैं। (व्यवधान) यह पैसा केवल सर्वशिक्षा अभियान का जो आपने चार्ज किया, वह अमाउंट है और आपको पैसा मिला 40 हजार का, उस फीगर को बताइये आप मंत्रीजी। डोंट कंफ्यूज इट। आपको 40 हजार पदों का पैसा मिला है। नोन प्लान का ट्रांसफर करके 16 हजार पदों का पैसा बता रहे हैं, जो 40 हजार पदों का पैसा वसूल किया भारत सरकार से, उसको बताइये आप।

श्री गुलाब चन्द कटारिया: अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो प्रश्न पूछा, उसका भी मैं आपको जवाब दूंगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, मैंने नैक्स्ट प्रश्न पुकार लिया। 22 मिनट हो गये हैं। मैं एक प्रश्न को पूरा समय नहीं दे सकती।

डा. सी. पी. जोशी: माननीय अध्यक्ष महोदय, 16 हजार पदों का पैसा नहीं मिला है। भारत सरकार से 40 हजार पदों का पैसा मिला है, यह केवल बजट की व्यवस्था करके बता रहे हैं। इस सदन को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। (व्यवधान) भारत सरकार से 40 हजार पदों का पैसा मिला है। 25 प्रतिशत पैसा जो राजस्थान सरकार को मिलाना है उस पैसा का एडजस्टमेंट करके यह फीगर बता रहे हैं। आप यह बताइये कि क्या भारत सरकार से 40 हजार पदों का पैसा मिला है कि नहीं मिला? यह बताइये आप। केवल फाइनेंस की बात बता रहे हैं आप।

श्री अध्यक्ष: मैंने नैक्स्ट क्वेश्चन पुकार लिया, अब यह कुछ नहीं बतायेंगे।

डा. सी. पी. जोशी: माननीय मंत्रीजी, आप गंभीरता से बताइये कि भारत सरकार से राजस्थान सरकार को 40 हजार पदों का सर्वशिक्षा अभियान का पैसा मिला कि नहीं मिला ? उसके अंगेस्ट में 25 प्रतिशत पैसा आपको

(डा. सी. पी. जोशी)

मिलाना था, आपने केवल मात्र 16 हजार पद जो बजट के एडजस्टमेंट है, उस फीगर को बता रहे हैं आप। कह रहा हूं बताइये आप। (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः मैंने नैक्स्ट क्वेश्चन पुकार लिया। (व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण) : उसके बावजूद हमारा क्वेश्चन नहीं आया। आपने कल भी क्वेश्चन पुकारा था, लेकिन हमारे क्वेश्चन का जवाब नहीं आया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः जो प्रश्न माननीय सदस्य ने पूछा था उसका जवाब मंत्रीजी ने दे दिया। दे दिया उसका जवाब । (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): जवाब इन्होंने पूरा नहीं दिया, आपने बीच में कट कर दिया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः मैंने नैक्स्ट क्वेश्चन पुकार लिया। उन्होंने जवाब दे दिया। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरीः नहीं दिया पूरा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः मैंने पूरा प्रश्न पढ़ा है, आप कृपया प्रश्न पढ़ें। (व्यवधान) मैंने नैक्स्ट क्वेश्चन पुकार लिया। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागरः सारा पैसा भारत सरकार दे रही है, स्कूलों की संख्या भारत सरकार दे रही है, अध्यापकों की सेलेरी भारत सरकार दे रही है, यह केवल खाली डींग हांकते हैं। (व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः आपने जो प्रश्न पूछा था उसका माननीय मंत्रीजी ने जवाब दे दिया। अब जो सी.पी. जोशी साहब ने प्रश्न उठाया है वह प्रश्न में कहीं था ही नहीं। नई बात उठाई है, भाषण देने लगे। प्रश्नकाल में इस तरीके से नहीं चलेगा। मैंने नैक्स्ट क्वेश्चन पुकार लिया माननीय मंत्रीजी। (व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्माः माननीय अध्यक्ष महोदय, कल भी आपने क्वश्चन पुकार लिया था और उसके बावजूद मंत्रीजी ने जवाब नहीं दिया। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष) : अध्यापकों की व्यवस्था का मुद्दा है और उसके अंदर शिक्षा मंत्रीजी ने अधूरा जवाब दिया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः पूरा जवाब दिया है उन्होंने। आपको मालूम ही नहीं है। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागरः अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार के पैसे का दुरूपयोग कर रहे हैं। राजस्थान के अंदर भारत सरकार का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। खाली डींग हांक रही है यह सरकार। कुछ नहीं करती है यह। (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवलः यह अनुसूचित जाति-जनजाति के लोग ... (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागरः यह रोस्टर की बात करते हैं, रोस्टर को तो आपने खतम कर दिया। संविधान का उल्लंघन कर दिया है। संविधान को मानने को तैयार नहीं हो आप।

श्री अध्यक्षः अंकित नहीं हो।

श्री सी. डी. देवल : × × ×

श्री बृजकिशोर शर्माः × × ×

श्रीमती लक्ष्मी बारूपालः × × ×

श्री संयम लोढ़ा : × × ×

श्री बाबूलाल नागर : × × ×

श्री रमेश खींचीः × × ×

श्री अशोक बैरवाः × × ×

श्री सी. डी. देवलः × × ×

श्री राजेन्द्र राठौड़ : × × ×

डा. सी.पी. जोशीः × × ×

श्री बंशीलाल खटीकः × × ×

श्री जयराम जाटव : × × ×

श्री प्रद्युम्न सिंह : × × ×

डा. सी.पी. जोशीः × × ×

श्री मदन दिलावर : × × ×

श्री राजेन्द्र राठौड़ : × × ×

श्री बाबूलाल नागर : × × ×

श्री बंशीलाल खटीक : × × ×

श्री बद्रीलाल जाट : × × ×

श्री मदन राठौड़ : ××× (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यगण, प्रश्न पूछते हैं माननीय सदस्य, उनका जवाब देते हैं मंत्रीजी। राजसमन्द से आने वाले माननीय सदस्य, आप क्यों खड़े हो जाते हैं खामाख्वाह? मैं माननीय सदस्यों से एक निवेदन करना चाहूंगी कि प्रश्नकाल में सभी प्रश्नों का महत्व है और सारे ही विधायक महत्वपूर्ण हैं। एक प्रश्न के ऊपर आखिर कितना समय दिया जाये? 28 मिनट हो गये एक प्रश्न में। जवाब पूरा है, जो कुछ पूछा है। यदि आपने इस प्रश्न को पढ़ा है तो माननीय मंत्रीजी ने उसका पूरा जवाब दिया है। गलत बात है और आपने प्रश्न पढ़ा भी है। प्रश्न जो पढ़ेगा, उसका पूरा जवाब दिया है। अब आप बात करने लगे जाते हो ... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी: ×××

श्री प्रद्युम्न सिंह : ×××

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष) : आप पूछ लो इनको। राजेन्द्र सिंहजी ने एक प्रश्न खड़ा किया था उसके ऊपर मुझे जवाब देने में 57 मिनट लगे थे। अध्यक्ष महोदय ने मुझे अनुमति दी थी पूरा पढ़ने के लिये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप तो धीमी गति के समाचार हो। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : इन्होंने त्राहिमाम् कर लिया कि मैं मेरे सवाल को वापस लेता हूं, मैं संतुष्ट हूं। ऐसा इन्होंने कहा था, पूछ लीजिये। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है प्राथमिक शिक्षा का।

श्री अध्यक्ष: सब प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह: आप मेरा निवेदन सुन लें। स्कूल खाली पड़े हैं, भारत सरकार पैसा दे रही है सर्वशिक्षा अभियान के तहत और उसके बाद में यहां गलतबयानी हो रही है। 40 हजार अध्यापकों का पैसा मिला है, कमरों के निर्माण का पैसा मिला है, हण्डरेड पर्सेन्ट पैसा इनको मिला है। इनके पास 25 प्रतिशत पैसा भी नहीं हुआ है । इन्होंने नोन प्लान ...(व्यवधान) सदन को गुमराह कर रही है यह सरकार।

श्री अध्यक्ष: भाषण नहीं, यह प्रश्नकाल है। भाषण देने का समय नहीं है। प्रश्नकाल है यह।

डा. सी. पी. जोशी: अध्यक्ष महोदय, 800 करोड़ रुपये भारत सरकार से मिले हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री खुशबीर सिंह जोजावर, नैक्स्ट क्वेश्चन।

डा. सी. पी. जोशी: 800 करोड़ रुपया मिला है सर्वशिक्षा अभियान के तहत। 40 हजार पोस्टों का पैसा लिया है इन्होंने, गलत सूचना दे रही हैं। आपने कमरे बनाये, उसका पैसा मिला है।

40 हजार पद का पैसा मिला है आपको, 25 परसेंट पैसा आपको मिलाना था, उस पैसे को एडजेस्ट कर के बता रहे हैं आप।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): तो क्या भारत सरकार इसलिए बनी हुई है कि राजस्थान को पैसा नहीं देगी? (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, शिक्षा मंत्रीजी, घनश्यामजी तिवाड़ी खुद शर्मसार हैं, वो इसका उत्तर दे नहीं सकते और गृह मंत्रीजी पूरा जवाब नहीं दे रहे। अध्यक्ष महोदय, आप हमारे को प्रोटेक्शन नहीं करके सरकार का बचाव ज्यादा कर रहे हैं।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): अध्यक्ष महोदय, 27 हजार करोड़ में से तो एक रुपया नहीं दिलाया, सर्वशिक्षा अभियान में अगर पैसा दे दिया तो कोई अहसान कर दिया क्या भारत सरकार ने? (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): सारा राजस्थान सुन रहा है आपको, आपका इलाका भी सुन रहा है कि स्कूलों के अन्दर क्या हालत हो रही है और आप इनका प्रोटेक्शन कर रही हैं। आप इनका जवाब क्यों नहीं दिलवातीं?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): आपने तो अपने कार्यकाल में पांच साल में एक भी अध्यापक नहीं लगाया। वो तो अच्छा काम हुआ और हमने 35 हजार ...(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): यह असत्य है।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): एक पैसा नहीं दिया भारत सरकार ने, एक फूटी कौड़ी नहीं दी भारत सरकार ने। (व्यवधान) भारत सरकार ने एक पैसा नहीं दिया, किस मुंह से बोल रहे हो? (व्यवधान) एक पैसा नहीं दिया भारत सरकार ने। एक फूटी कौड़ी, एक पैसा नहीं दिया। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): 35 हजार पैराटीचर्स लगाये (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): 35 हजार पैराटीचर्स लगाये थे, यह असत्य आंकड़े हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): आप चाहें तो दिनभर की बहस रख सकते हैं। (व्यवधान) आप जो सर्व शिक्षा का कह रहे हो न, आपकी सारी की सारी जन्मपत्री मैंने ले रखी है। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आपकी यह जन्मपत्री फर्जी जन्मपत्री है।

श्री अमराराम (धोद): मंत्री महोदय, क्या जन्मपत्री यह ही रखोगे क्या? (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): असली जन्मपत्री घनश्यामजी तिवाड़ी के पास है, आपके पास फर्जी जन्मपत्री है। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): आपने सर्व शिक्षा में क्या किया? 40 हजार सैंक्शन कर रहे हैं, उसमें क्या बात है, सारा चार्ट है, आप चाहो जहां ले लें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आर्डर, आर्डर।

श्री अमराराम (धोद): स्कूल खुलें तीन महीने से ज्यादा हो गये।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रतिपक्ष के नेता महोदय खड़े हैं।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, आपकी उम्र, आपकी उम्र कटारियाजी की उम्र पांच साल में तीन साल बीत गयी है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, माननीय सदस्य, प्रतिपक्ष के नेता खड़े हैं।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आपकी उम्र स्टिक है और कटारियाजी की उम्र तीन साल बीत गयी है, दो साल बाकी और हैं, अब रोना रो रहे हैं पांच साल पहले का, यह कोई बात हुई क्या? आज आपको तीन साल हो रहे हैं राज करते हुए, आपने क्या किया था, क्या किया था क्या नहीं किया, कोई बात नहीं ...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, सत्य बहुत कड़वा होता है। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): यह भारत सरकार के पैसे थे, गुलछर्रे उड़ा रहे हो भारत सरकार के पैसे पर, उसको भी स्वीकार करना नहीं चाहते हो। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: प्रतिपक्ष के नेता खड़े हैं और आप बोल रहे हैं, प्रद्युम्न सिंहजी।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यह हिन्दुस्तान की सरकार है, पाकिस्तान की सरकार है क्या? हिन्दुस्तान की सरकार है। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): उस पर भी काम नहीं करना चाहते हैं और उस फंड का दुरुपयोग करके नोन प्लान के अन्दर बता रहे हैं उसको।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): मंत्री महोदय, आप शिक्षा विभाग के बारे में पूरी जानकारी नहीं दे रहे हैं, हम आपके जवाब से संतुष्ट नहीं हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): इसका अलग वो है, राजस्थान का हिस्सा है। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय ... (व्यवधान) आप जवाब इनसे दिलवाना नहीं चाहती हैं, मंत्री महोदय, ऐसी स्थिति में हम आज की इस कार्यवाही का इस पांइट के ऊपर हम बहिर्गमन कर रहे हैं और विरोध प्रदर्शन करवा रहे हैं कि आप मनमानी कार्यवाही करें, स्कूल खाली पड़े हैं। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत अफसोस है कि प्रतिपक्ष के नेता इतनी बार चुन कर आये हैं और उसके बाद प्रश्न का है, यहां भाषण देने के लिए नहीं है, यहां केवल प्रश्न पूछने के लिए है और अपनी असफलता की बात करते हैं। दर्द शुरू हो जाता है। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): हां, सब स्कूल खाली पड़े हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): दर्द तो आपका शुरू हो रहा है। भारत सरकार के पैसे का उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: भारत सरकार का पैसा है, कोई दान में नहीं दिया। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): उस पैसे का भी उपयोग नहीं कर पा रहे हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): भारत सरकार के पैसे किसी के हैं क्या? (व्यवधान) यह राजस्थान का हिस्सा है, कोई मेहरबानी नहीं है किसी की, राजस्थान की जनता का पैसा है, उसका शेयर है वह, किसी की मेहरबानी नहीं है और आपने क्यों नहीं किया? आप अयोग्य थे? पैसा उस समय भी था लेकिन वो भारत सरकार का पैसा काम में नहीं लिया। दिमाग नहीं था आप में। दिमाग नहीं था, दिमाग। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): हमने आपका उत्तर सुन लिया, आपका उत्तर संतोषजनक नहीं है, निहायत असंतोषजनक है, हम इसका विरोध करते हैं, पूरा जवाब दिलाया जाए अन्यथा हम बहिर्गमन करते हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): खजाना खाली है, दिवालियाओं, खजाना खाली है, रोने के अलावा कुछ किया, सिवाय रोने के? ...(व्यवधान) कह दो तमा ते खाओ, तमा ते। (व्यवधान) यह कहा होगा तमा ते खाओ।

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): भारत सरकार के पैसे की पुरसगारी भी सही नहीं की, आपने भारत सरकार के भोजन को बिगाड़ दिया। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): यह पैसा भारत सरकार का है, यह पैसा सोनिया गांधीजी का है, सोनिया गांधीजी का भेजा हुआ पैसा है, आपका इसमें कुछ नहीं है। (व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं तो प्रतिपक्ष के नेता से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आपका अंगूठा...(व्यवधान) वो टेक करके पैसे ला रहे हो। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): भर पेट कर खाते हो और बाहर चिल्लाते हो ...(व्यवधान) 16 हजार बता रहे हो।

एक माननीय सदस्य: थोड़ी देर में वाक आउट कर जायेंगे, इनको बहाना चाहिए रैली में जाने के लिए। (व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं तो आपके माध्यम से प्रतिपक्ष के नेता महोदय को कहना चाहता हूं कि राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने तो कभी ...(व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस की रैली है और यह अभी बहाना बना कर वाक आउट करके रैली में चले जायेंगे ...(व्यवधान) यह अभी बहाना बनायेंगे, वाक आउट करके रैली में चले जायेंगे। (व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री): बजट में पैसा नहीं दिया। जाओ, जाओ।

श्री अध्यक्षः पधारो, पधारो, आपकी रैली है। रैली है, पधारो।

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): +++ जाओ। (व्यवधान) जो पैसा काम में नहीं ले सके वो कांग्रेस निकम्मी है, जो पैसा काम में नहीं ले सके वो सरकार को दिवालिया बताते हैं वो खुद दिवालिया हैं।

श्री अध्यक्षः जाओ, जाने दो।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत अफसोस है कि प्रश्नकाल ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्षः बैठो, बैठो। माननीय मंत्रीजी, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

सिंचाई मंत्रीजी, जवाब दीजिए।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): अध्यक्ष महोदय, नये सिरे से चालू करूं वापस?

श्री अध्यक्षः सुना नहीं हमने तो। आप बीच में नहीं बोलें। बारां से आने वाले माननीय सदस्य, आप बैठे-बैठे बीच में नहीं बोलें। थोड़ी बहुत देर तो रहे होते बाहर।

ढारिया बांध (पाली) के निर्माण में व्याप्त अनियमितताओं की जांच

20. श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची) एवं **श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल** (देसूरी) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा पाली जिले में देसूरी पंचायत समिति के धारिया बांध का निर्माण कार्य कब स्वीकृत किया गया? इसके निर्माण में कितना समय लगा एवं यह कब बनकर तैयार हुआ? बांध बनने के पश्चात् कितनी बार इस पर पानी की चादर चली? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) बांध का निर्माण कार्य सरकार द्वारा करवाया गया अथवा ठेकेदार द्वारा करवाया गया? निर्माण कार्य के लिये क्या-क्या शर्तें तय हुईं ? शर्तों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि निर्माण कार्य चालू करने से पूर्व बांध की मिट्टी का परीक्षण करवाया गया था? यदि हां, तो किस एजेन्सी द्वारा तथा जांच रिपोर्ट क्या रही? प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री खुशवीर सिंह जोजावर)

(4) क्या यह सही है कि मानसून से पूर्व बांधों के रख-रखाव दुरूस्ती के लिये जांच रिपोर्ट मंगवाकर कार्यवाही की जाती है? यदि हां, तो उक्त बांध की जांच कब की गयी तथा क्या कमियां पाई गईं? इसे दुरूस्त करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(5) क्या यह सही है कि बांध वर्ष 2006 में टूट गया? यदि हां, तो कितनी जगह से व टूटने के क्या कारण रहे? इसके लिये ठेकेदार के साथ साथ विभाग के कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं? इनके विरूद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(6) बांध के टूट जाने से किस-किस गांव में कितना-कितना नुकसान हुआ? पीड़ितों को सरकार द्वारा क्या सहायता उपलब्ध करवाई गई या करवाने जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सिंचाई मंत्री (श्री सांवर लाल) : (1) पाली जिले के देसूरी विधान सभा क्षेत्र में स्थित धारिया बांध के निर्माण की स्वीकृति दिनांक 11.9.1996 को राज्य सरकार द्वारा जारी की गई। बांध के निर्माण कार्य में पांच वर्ष का समय लगा। बांध वर्ष 2002 में बनकर तैयार हुआ। बांध बनने के बाद पहली बार 19 अगस्त, 2006 को बांध पूर्ण भराव क्षमता तक भरा तथा अधिक पानी आने के कारण चादर चली (ओवर फ्लो हुआ) तथा उसी दिन शाम को 6.30 बजे टूट गया।

(2) बांध का निर्माण विभाग द्वारा विधिवत् रूप से निविदाएं आमंत्रित कर ठेकेदारों के माध्यम से करवाया गया। जिन शर्तों पर कार्य कराया गया उसकी एक प्रति परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(3) जी हां। बांध निर्माण से पूर्व मिट्टी का परीक्षण गुण नियन्त्रण इकाई पाली एवं जोधपुर तथा सिविल अभियांत्रिकी संकाय जेएनवी यूनिवर्सिटी जोधपुर से करवाया गया था । जांच में मिट्टी को बांध निर्माण के लिये उपयुक्त पाया गया। जांच रिपोर्ट की प्रतियां परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(4) यह सही है कि बांधों की वर्षा पूर्व रख-रखाव दुरूस्ती के लिये संबंधित अधिकारियों द्वारा प्रतिवर्ष निरीक्षण किया जाता है और निरीक्षण के दौरान अगर कोई कमी पायी जाती है तो इसका निराकरण किया जाता है। उक्त बांध का निरीक्षण सहायक अभियन्ता जल संसाधन उपखण्ड पाली द्वारा संबंधित कनिष्ठ अभियन्ता के साथ दिनांक 4.6.2006 को मानसून पूर्व रख-

(श्री सांवर लाल)

रखाव व दुरूस्ती हेतु किया गया, जिसमें कोई कमी नहीं पायी गयी। इसके बाद अधिशासी अभियन्ता जन संसाधन खण्ड पाली द्वारा भी बांध स्थल का निरीक्षण 14.6.2006 को किया गया, जिसमें बांध की स्थिति संतोषजनक पाई गई।

(5) जी हां। बांध 38 स्थानों पर क्षतिग्रस्त हुआ । बांध के क्षतिग्रस्त होने के कारणों की जांच हेतु मुख्य अभियन्ता जल संसाधन के आदेश क्रमांक 1775 दिनांक 24.8.2006 द्वारा श्री जयपाल सिंह मुख्य अभियन्ता की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया जा चुका है। जांच रिपोर्ट 31.10.2006 तक प्राप्त होना अपेक्षित है। जांच रिपोर्ट में दोषी पाये जाने वालों के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

(6) बांध के टूट जाने से देसूरी तहसील के ग्राम डूठारिया, ईटन्तरा मेडतियान, ओडवाडिया एवं पाली तहसील के सेदरिया, हिरणखुरी, पादरली तुर्कान आदि ग्रामों में क्षति हुई। देसूरी तहसील में 367 मकान क्षतिग्रस्त हुए। इसी प्रकार पाली तहसील के 6 मकान क्षतिग्रस्त हुए। क्षतिग्रस्त मकानों के धारकों को 10,57,200 रुपये सहायता राशि का वितरण किया जा चुका है।

(जांच रिपोर्ट विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): अध्यक्ष महोदय, अब तो इस सरकार की नाकों में चने चबा देंगे, आप देखना आज आगे। यह सरकार जिस तरह से चल रही है, जिस तरह से अन्याय कर रही है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: और अपोजिशन भी जिस तरह से व्यवहार कर रहा है... (व्यवधान)

श्री हीरालाल (निवाई): पांच मिनट तो बाहर रहो। क्या कर लोगे, बड़ी धमकियां देते हो।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, आप कृपा रखें बाकी सब ठीक है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): अध्यक्ष महोदय, सरकार ने 600 तो उर्दू अध्यापक ही लगाये थे, 400 थर्ड ग्रेड के, 200 सैकण्ड ग्रेड के इसलिए गृह मंत्रीजी ने जो जवाब दिया कि केवल इतने अध्यापक लगाये थे, बिलकुल गलत जवाब दिया है।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): अध्यक्ष महोदय, 25 हजार राजीव गांधी पाठशाला के टीचर ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): पिछली सरकार ने तो 600 तो उर्दू अध्यापक ही लगाये थे। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, 25 हजार राजीव गांधी पाठशाला के टीचर, जिसका आप पक्ष ले रहे थे, वो सड़क पर घूम रहे हैं आज। (व्यवधान) 25 हजार टीचर सड़क पर घूम रहे हैं, आपके कारण घूम रहे हैं सड़क के ऊपर। आश्वासन दिया था उनको। वोट लेने के लिए घुमाया था उनको। 25 हजार सड़क पर घूम रहे हैं। 25 हजार राजीव गांधी पाठशाला अध्यापकों को सड़क पर घुमा रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, पूर्व शिक्षा मंत्रीजी, पूर्व मुख्य मंत्रीजी इतने अयोग्य और नालायक थे कि जिसके कारण भर्ती नहीं हो सकी, पैसों का उपयोग नहीं हो सका। यह पूर्व शिक्षा मंत्री इतने अयोग्य थे।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): यह शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब आपको उखाड़ कर फैंक देगी। इसी का राज कर रहे हो, आप जो राज कर रहे हो शिड्यूल्ड कास्ट, ट्राइब के कारण कर रहे हो। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): चीफ व्हिप है, उससे अयोग्य कम नहीं हैं। मेरा कोई काम्पिटिशन नहीं है, आपका जितना अयोग्य, जितने अयोग्य आप हैं उतना अयोग्य मैं भी हूं। जितना चीफ व्हिप अयोग्य है उतना आज से मैं भी अयोग्य हूं। यह मानने को तैयार हूं। इस सरकार का चीफ व्हिप जितना अयोग्य है उतना अयोग्य मैं भी हूं, मैं मानने के लिए तैयार हूं।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): केवल कम्प्यूटर खरीदने में इन्ट्रेस्ट लिया, इसमें कैसे गड़बड़ हो सकती है इसमें इन्ट्रेस्ट लिया। (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): खुद तो सदन में आ गये और घनश्यामजी का सब्टिट्यूट बैठा दिया। कम से कम थोड़ी-बहुत तो आप शर्म करते, उनको भी साथ लाते। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने 40 हजार शिक्षकों के पद का वेतन दिया है।

श्री अध्यक्ष: क्या बोल रहे हो आप बीच में? नो, नहीं, माननीय सदस्य।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): और इसके बावजूद सिरोही जिले के 113 स्कूलों में टीचर नहीं है, आज एक भी टीचर नहीं है 113 प्राइमरी स्कूल में।

श्री अध्यक्ष: नो, नो, आप स्थान ग्रहण कर लें, मैंने दूसरा प्रश्न पुकार लिया।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): यह हालात राजस्थान के बना रखे हैं।

श्री अध्यक्ष: मैंने दूसरा प्रश्न पुकार लिया है। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अध्यक्ष महोदय, 113 प्राइमरी स्कूल में एक भी टीचर नहीं है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, बीमारी दूसरी है, पंडाल खाली है इनका, यहां आज प्रदर्शन करने के लिए बुलाया था वो तो आये ही नहीं। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, प्रश्न को स्थगित करा दीजिए ...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की जनता नहीं आ रही है, पंडाल खाली है इसलिए यहां पर ...(व्यवधान)

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी): बांध का निर्माण करवाने का विचार रखते हैं?

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): अध्यक्ष महोदय, तीन वर्ष पूर्व आप पैराटीचर्स के बारे में वकालत करते थे, अब क्या होगा? पैराटीचर तो आज भी भूखे मर रहे हैं।

श्री अमराराम (धोद): यह सचेतक महोदय बहिष्कार करके जा रहे हैं क्या?

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जिस विषय के ऊपर सदन का बायकाट करते हैं उस पर वापस आकर बोलने का अधिकार नहीं है आपको।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): पंडाल खाली हैं, हम क्या करें? प्रतिपक्ष के नेता महोदय, आपके पंडाल खाली हैं वहां, वहां लोग आये नहीं, अध्यक्ष महोदय ...(व्यवधान) वहां लोग आये नहीं, अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 2008 तक बोलने का अधिकार है, 2008 तक।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): नियमों का पालन कर रहे हैं। (व्यवधान) आपके यह मुख्य सचेतक हर बार खड़े हो जाते हैं उसके बाद क्या सुनना है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): बिलकुल खाली पड़ा है वहां कोई 300-400 आदमी हैं, क्या मुंह लेकर जाएं ये वहां। 300-400 आदमी आये हैं, संकट यह है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): लाखों लोग आये हैं, लाखों लोग, राजेन्द्रजी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): प्रदर्शन करने वाले लोग आये नहीं इसलिए वहां जाएं कैसे अब। (व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रतिपक्ष के नेता का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि कम से कम न्याय की बात तो करो। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आप तो यहां पर बैठे हो ...(व्यवधान) सबसे ज्यादा चूरू से आये हैं। (व्यवधान)

श्री भवानी सिंह राजावत (संसदीय सचिव): यह सराहना कर रहे हैं और आप आलोचना कर रहे हो। (व्यवधान) राजस्थान के शिक्षा जगत में जो क्रांतिकारी सूत्रपात हुआ है इसकी सराहना कीजिए।

श्री अध्यक्ष: आपने अपना प्रोटेस्ट दर्ज करा दिया अब नैक्स्ट क्वश्चन चलने दीजिए ...(व्यवधान) जवाब आने दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है ।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): आप जब यहां बैठते थे यह कहते थे ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अब आपका क्या हो गया ?

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): पैराटीचर की वकालत करते थे अब क्या हो गया? पैराटीचर के साथ अन्याय हो रहा है अब क्या हो गया पैराटीचर का? अब भी पच्चीस हजार पैराटीचर बाहर बैठे हैं और आप यहां बैठकर कहते थे पैराटीचर के साथ अन्याय हो रहा है। आप भूल गये उन बातों को ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: अध्यक्ष महोदय, पच्चीस हजार पैराटीचर के साथ भारी अन्याय कर रही है सरकार।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): सबसे ज्यादा हाउस के रिकार्ड में पैरा टीचर पर आप बोलते थे। रिकार्ड निकाल कर देख लो ...(व्यवधान) आज आपका मन कैसे बदल गया? आप हाउस के अन्दर सबसे ज्यादा पैराटीचर्स के लिए आप बोलते थे, अब क्या हो गया आपको...(व्यवधान) याद नहीं है क्या आपको? आपकी सबसे ज्यादा सहानुभूति पैराटीचर्स के प्रति है...(व्यवधान) और आज एक शब्द भी नहीं बोल रहे आप...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): आज वो ही अन्याय हो रहा है पैराटीचर्स के साथ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित तो हो नहीं रहा क्यों खड़े हो आप?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल केवल प्रश्न पूछने के लिए होता है, भाषण देने के लिए नहीं होता। एक बार जब प्रतिपक्ष वाक आउट कर जाता है...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): ×××

श्री अध्यक्ष: बात खतम हो जाती है और आगे नैक्स्ट कार्यवाही आ जाती है, नैक्स्ट बिजनैस आ जाता है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री अध्यक्ष: अब आप स्थान ग्रहण करें।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): ×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री अध्यक्ष: आप मुझे मजबूर नहीं करें।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): ×××

श्री अध्यक्ष: सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, मैं आपका नाम लूंगी। अब यदि आप नहीं बैठेंगे तो मैं आपको नाम से पुकारूंगी ।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): ×××

श्री अध्यक्ष: आपको भी नाम से पुकार सकती हूं। यदि आप नहीं बैठेंगे तो आई विल काल योअर नेम ...(व्यवधान) नहीं, अब आप कुछ नहीं। नैक्स्ट क्वश्चन।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): मेरा मूल प्रश्न है । मैं पुछूंगा पहले, मूल प्रश्नकर्ता हूं मैं । हम बाहर नहीं गए थे ...(व्यवधान) हम यहीं बैठे थे आपकी नजरें बाहर गई थीं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, उनकी तरफ हाथ नहीं करें आप। आप इधर संबोधन करें और मंत्रीजी से जो पूछना है वह पूछें।

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी): धारिया बांध मेरी कांस्टीट्यूएंसी का है मुझे पूछने दें पहले।

श्री अध्यक्ष: आप तो बहिर्गमन कर गये। बहिर्गमन करने के बाद दुबारा चांस थोड़े ही मिलता है।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): नहीं, बहिर्गमन नहीं किया, मैं यहीं बैठा था।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): इस सवाल पर थोड़े ही गये थे।

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी): मेरी विधान सभा का बांध टूटा है, मैं सरकार से कुछ निवेदन करना चाहती हूं। मुझे पूछने दें पहले ।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष: पहले लक्ष्मी बारूपाल के प्रश्न का जवाब देंगे उसके बाद आपका जवाब देंगे क्योंकि वह पहले खड़ी हो गई थीं आप बाद में हुए।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): अध्यक्ष महोदय, मैं कभी से खड़ा हूं।

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं, आप स्थान ग्रहण करें।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): मैं तो आधे घंटे से खड़ा हूं यहां पर। मैं तो बैठा ही नहीं आया तब से ।

श्री अध्यक्ष: आसन ग्रहण करें। वह भी प्रश्नकर्ता हैं।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): क्यों नहीं देंगे ? यह क्या हो गया यह बिल्कुल गलत है। हमेशा आपने यह व्यवस्था दी है कि मूल प्रश्नकर्ता पहले बोलेगा तो पहले मूल प्रश्नकर्ता को बुलाया जाए उसके बाद देने दीजिए आप जवाब।

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी): मेरे विधान सभा क्षेत्र का है।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): आपके विधान सभा क्षेत्र का तो सत्यानाश हो गया।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): यह विधान सभा क्षेत्र का मामला नहीं है। यह पूरे प्रदेश का मामला है । पूरे राजस्थान प्रदेश से संबंधित है विधान सभा क्षेत्र से संबंधित नहीं है...(व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): ढाई साल बाद आपका क्या होना है यह तो सोचो।

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी): मैं हूं मूल प्रश्नकर्ता।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): आपकी पंचायत समिति चली गई ...(व्यवधान) आपको सड़क पर लाकर छोड़ दिया ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: रायपुर से आने वाले माननीय सदस्य, आप बिराजें।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): ढ़ाई साल बाद यह बांध आपको ले डूबेगा यह ध्यान रखना।

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी): आप इतना उग्र मत बोलिए ।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): आप जो कल बोल रही थीं धक्का देकर, ...(व्यवधान) राजस्थान में अभी धक्का देने वाला सी. डी. देवल को कोई पैदा ही नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष: कृपया स्थान ग्रहण कर लें। कृपया स्थान ग्रहण करें रायपुर से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): धक्के तो आपको पब्लिक ने दिए हैं जो आपकी देसूरी पंचायत समिति चली गई, तीस साल तक आपकी रानी पंचायत समिति थी ...(व्यवधान)

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी): आप अपने गिरेबान में झांक कर देखिए, आप कहां बैठते थे, आज इस विधान सभा में किसकी वजह से आए हैं यह आप सोचिए ...(व्यवधान) पैरों में बैठते थे आप ।

श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर): माननीय सदस्य ऐसी बातें करते हैं आप पुराने सदस्य कहलाते हैं और हमारी महिला को बोलने नहीं देते। अध्यक्ष जी, आप इनको बाहर निकलवाइये। (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मैं आपको नाम से पुकारूंगी ...(व्यवधान)

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी): आप मेरे चाचा के पैरों में बैठते थे आज विधान सभा में उन्हीं के कारण से हैं मुझे बता रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष: मैं आपको फिर कह रही हूं आई काल यू नेम, मैं आपको नाम से पुकारूंगी।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): इन्होंने कहा, आप इनको तो नहीं कह रहीं। इन्होंने कहा धक्के दे दिये।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कर लें।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): इनकी हैसियत है धक्के देने की? इनको धक्के तो मैंने पंचायत समिति, म्युनिसिपैलिटी सब में दिला दिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया स्थान ग्रहण कर लें। नेता प्रतिपक्ष, क्या आपके माननीय सदस्य आपका बिलकुल भी कहना नहीं मानते ?

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी): इनको वहां पर घुसने नहीं दिया इसलिए ये सारा गुस्सा मेरे ऊपर निकाल रहे हैं ।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): आपकी कहां हैसियत है धक्के देने की? (व्यवधान) आप पैदा ही नहीं हुई जब मैं धक्के दे रहा था ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप अपने माननीय सदस्यों को ...(व्यवधान) नहीं करवाते, हठधर्मिता पर उतर जाते हैं आप ...(व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): निकाल दिया, इस बार विधान सभा से निकाल दूंगा ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): कोई जरूरी बात है।

श्री अध्यक्ष: क्या जरूरी बात है?

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): वापस विधान सभा में आ जाए तो मेरा नाम सी. डी. देवल नहीं ...(व्यवधान)

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी): आप भी नहीं आओगे, आप किसके बल पर आए हो ...(व्यवधान) मेरे चाचा के चरणों में बैठते थे आप। (व्यवधान) उनके जूते साफ करते थे आप। मैं तो जीतूंगी डंके की चोट पर, जनता जिताएगी मेरे को, आप तो अपना ध्यान रखो...(व्यवधान)

श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर): आपको जन्म देने वाली औरत ही है, आप किसके बलबूते पर आए हो?

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): ...(व्यवधान) आपके पिता मेरे चरणों में बैठते थे।

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी): यह क्या जानें औरत का सम्मान करना।

श्री अध्यक्ष: आप कुश्ती वहां लड़ना ना इलाके में, यहां क्या कुश्ती लड़ रहे हो? (व्यवधान)

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी): मेरे को लगता है यह मेरे सामने खड़े होंगे ...(व्यवधान) शिड्यूल्ड कास्ट होना पड़ेगा ...(व्यवधान) तब किसी के गोद आना पड़ेगा ...(व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री): महिलाओं से कुश्ती हम नहीं लड़ने देंगे।

श्री अध्यक्ष: भूतपूर्व आई. ए. एस. आफीसर हो आप ...(व्यवधान)

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहती हूं, मैं सरकार के जवाब से पूर्णतया संतुष्ट हूं और भविष्य में क्या यह बांध पुनर्निर्माण की इच्छा रखते हैं और पुनर्निर्माण पक्का करवाने की इच्छा रखते हैं? इतना बड़ा बांध जब था तो वहां पर एक चौकीदार की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। मेरे प्रश्न पूछने का कारण यही था और मुझे उत्तर से संतुष्टि है। उन्होंने जांच आयोग बैठा दिया है उसका रिजल्ट आएगा, मुझे संतुष्टि रहेगी। सिर्फ मैं यही चाहती हूं कि भविष्य में जब यह बांध पुनर्निर्माण हो तो पक्का पुनर्निर्माण हो। सरकार से मैं इसका जवाब चाहती हूं। इतना बड़ा बांध है तो इसके ऊपर एक चौकीदार होना चाहिए, यह मैं चाहती हूं। धन्यवाद।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, सरकार के जवाब से संतुष्ट हो जाते हैं उसके बाद कोई सप्लीमैंट्री नहीं पूछते हैं। जब सरकार के जवाब से सदस्य संतुष्ट हो जाता है कोई सदस्य उसके बाद सप्लीमैंट्री नहीं पूछता है ...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): धारिया बांध बनने से कितने किसानों की भूमि सिंचित होती है? (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): इनको गाइड करो ।

एक माननीय सदस्य: आपसे तो आपके सदस्य संतुष्ट नहीं हैं ।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): दवाब में आकर के तो संतुष्ट हैं बोल देते हैं और अन्दर ही अन्दर ...(व्यवधान) यह कैसे संतुष्ट हैं?

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): कितने किसानों के कुए रीचार्ज होकर के कितने क्षेत्रफल में सिंचाई हो सकती है, कृपया यह बतायेंगे?

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): इनके डर से कह देते हैं हम संतुष्ट हैं और फिर सप्लीमैंट्री क्वश्चन ठोके जा रही हैं। कोई बात होती है क्या, दुनिया के इतिहास में जहां भी पार्लियामैंट चलती है, सदन चलता है... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बजाए इधर शिक्षा देने के उधर शिक्षा दो ।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): इनको समझाओ आप।

श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर): आप अपने लोगों को समझाओ।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): मैंने पूछा अध्यक्ष महोदय, कि बाँध बनने से लाभ है कि नहीं बनने से लाभ है? (व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से प्रश्न का जवाब चाहता हूं जो मंत्रीजी ने लिखित में हमें दिया है और एक इतनी बड़ी पुस्तिका भी दी, उसके लिए तो धन्यवाद है।

श्री अध्यक्ष: अब आपने भी धन्यवाद दे दिया। आपके नेता प्रतिपक्ष ने कह दिया कि धन्यवाद के बाद तो आवश्यकता नहीं है ...(व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): अध्यक्ष महोदय, यह जो पुस्तिका दी है मैं इसके लिए धन्यवाद दे रहा हूं लेकिन मात्र किताब देने से जवाब नहीं आ सकता है ।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आप नये सदस्यों को व्यवस्थाएं देकर समझा दीजिए कि ऐसा हो जाने के बाद सप्लीमैंट्री नहीं होती। एक उदाहरण हो जाएगा।

श्री अध्यक्ष: आप कुछ अपनी पार्टी वालों को, प्रतिपक्ष को भी तो समझाओ कि हर बात पर खड़े होकर शोर नहीं मचाते हैं। उनको समझाओ आप।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष का तो काम है आपको असिस्ट करने का। हम आपको मदद करते हैं आपकी रौनक बढ़ाते हैं, आप हमें कहते हैं कि इन्हें समझाओ। अगर हम आपकी रौनक नहीं बढ़ायेंगे, आपको कोई नहीं पूछेगा। आपको कभी घास नहीं डालेंगे। यह तो हमारी कृपा मानो आप आपके ऊपर कि हम आपकी रौनक बढ़ा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: और किसी से तो इस सदन की रौनक बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है लेकिन नेता प्रतिपक्ष से रौनक बढ़ जाती है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आसन पर कृपा की बात की इन्होंने। अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात पर ऐतराज है प्रतिपक्ष के नेता ने कहा कि आप पर इनकी कृपा है। यह स्पष्ट करें कि आप पर इनकी कृपा है कि इन पर आपकी कृपा है। पता तो चले राजस्थान की जनता को।

श्री अध्यक्ष: ऐसा है आप कृपा की बात छोड़िये।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आप कहां आ गये दोनों के बीच में?

श्री अध्यक्ष: लेकिन यह अभी भी रौनक बढ़ाते हैं। इस सदन के अन्दर और कोई रौनक बढ़ाता हो चाहे नहीं बढ़ाता हो माननीय नेता प्रतिपक्ष अवश्य रौनक बढ़ाते हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): लेकिन आज तो सदन की रौनक भवानी सिंह राजावत बढ़ा रहे हैं देखो कैसा कुर्ता पहनकर आये हैं सर्कस जैसा। आज की रौनक तो भवानी सिंह राजावत बढ़ा रहे हैं।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): इनको जलन क्यों हो रही है ? मैं आपका भी प्रशंसक हूं। मैं आपकी भी कई मामलों में प्रशंसा करता हूं। हमारे बुजुर्गों ने यह कहा था कि तलवार का घाव यदि बैरी का है तो भी उसकी सराहना की जानी चाहिये। कभी-कभी अच्छी बात कह देते हैं हम आपकी सराहना कर देते हैं। जब रात-दिन आप उलटा करते हो उसकी हम सराहना कैसे करें? अध्यक्ष महोदय की हर बात की हम सराहना करते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): नहीं-नहीं, मैंने तो पूछा कृपा किसकी किस पर है यह पता लग जाए थोड़ा सा। आपकी इन पर है कि इनकी आप पर है, इतनी सी बात थी बाकी तो...

श्री अध्यक्ष: इनकी मुझ पर है। इनकी मुझ पर है।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): इसमें आपको क्या ऐतराज है? इसकी बराबरी, क्या जलन है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): फिर भी आप पर है।

श्री अध्यक्ष: नहीं, इनकी मुझ पर है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): और जैसी इनकी है वैसी आपकी है कि नहीं?

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, इसको स्पष्ट करने के लिये, आप किसी भी चीज को आप अध्यक्ष महोदय को कह

(श्री रामनारायण चौधरी)

ही नहीं सकते। आपको कोई अधिकार नहीं है कि अध्यक्ष महोदय से क्लेरीफिकेशन मांगे।

श्री अमराराम (धोद): आप दोनों के बीच में कहां आ गये ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): मैं बीच में हूं।

श्री अध्यक्ष: यह अधिकार केवल नेता प्रतिपक्ष का है।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय, आपसे यह जानना चाहता हूं कि जिस स्थान पर उक्त धारिया बाँध का जो ओवरफ्लो बनाया गया, क्या एस्टीमेट में वह ओवरफ्लो उस पहाड़ी के पास था या नदी की मुख्य धारा पर था? अगर वह पहाड़ी के पास नहीं था और मुख्य धारा पर था तो गलत स्थान पर क्यों बनाया गया? और अगर एस्टीमेट में वह स्थान लिया गया तो क्या वह स्थान उपयुक्त था?

मंत्री महोदय, दूसरा मेरा प्रश्न है कि आपने तकनीकी रिपोर्ट का जो इसमें हवाला दिया है कि मिट्टी की जांच करवायी गयी, मैं मानता हूं कि मिट्टी की जांच हुई होगी लेकिन उस मिट्टी की जांच में यह लिखा कि उपयुक्त पाया गया। मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि एक बांध राजस्थान के इतिहास में आज दिन तक जितने भी बांध टूटे हैं, उनमें से अतिवृष्टि से कोई भी बांध मेरे ख्याल से 38 स्थानों से नहीं टूटा होगा और उसका एक मात्र कारण यह था कि वह मिट्टी उपयुक्त नहीं थी। वह रिपोर्ट गलत प्रस्तुत की गयी। जो भी टैस्ट रिपोर्ट आयी लेबोरेटरी से, वह गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी।

तीसरा मेरा प्रश्न आपसे है बांध के रख-रखाव के लिये मैंने पूछा कि क्या मानसून से पूर्व उनकी जांच करवायी जाती है? वहां आपका एक अधीक्षण अभियन्ता बैठा है और मैं आपसे यह जानना चाहूंगा मंत्री महोदय कि आपने इसमें लिखा है कि हां, उसकी जांच करवायी गयी। उसका निरीक्षण करवाया हमने मानसून से पूर्व। तो उस निरीक्षण की जो प्रति है कि किस दिन आदेश हुए और जो निरीक्षण किया उसकी रिपोर्ट क्या प्रस्तुत की गयी वह, आप सदन के पटल पर प्रस्तुत करें।

मैं आपसे यह जानना चाहूंगा जो इसमें 38 स्थान बताये गये हैं कि 38 स्थानों से बांध टूटा है तो क्या इसको खण्डों में बांटा गया है। ब्लाक एक, ब्लाक दो ऐसे करके आपने खण्डों में बांटा है इसको। इसकी यह रिपोर्ट आयी

(श्री खुशवीर सिंह जोजावर)

है और इसमें आप यह बतायेंगे क्ले कितना प्रतिशत होना चाहिये जो उस बाँध के बनाने के लिये उपयुक्त रहे ? यहां अलग-अलग प्रतिशत अलग-अलग खण्ड में दिये गये हैं। जो बांध यहां जिन स्थानों से टूटा है वह पूरी जगह से उसमें क्ले की मात्रा अधिक थी, ग्रेवल की मात्रा अधिक थी इसलिये वह बांध टूटा है तो इसकी आप दुबारा जांच करवाने का विचार रखते हैं? उस जांच में और इस मिट्टी की जांच में अगर अंतर आता है तो आप उन दोषी अधिकारियों के विरुद्ध जिन्होंने उस वक्त यह जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं? साथ ही इसका आप कब तक पुनर्निर्माण करेंगे? इससे पूर्व आप यह भी विचार रखते हैं कि बांध का केचमेंट एरिया जो भी है, पिछले 12 वर्षों का जो वर्षा का रिकार्ड है उसको भी आप ध्यान में रखते हुए उक्त बाँध को बनायेंगे या यूं ही बना देंगे?

श्री अध्यक्षः बस अब पूछ लिया..(व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सब बता दिया ना।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): शासन चाहे कांग्रेस का हो चाहे बी.जे.पी. का हो बांध टूटने से मतलब है। आपके शासन में भी टूटे होंगे और हमारे शासन में भी टूटे होंगे। कांग्रेस या बी.जे.पी. वहां जाकर बांध नहीं बनाती है।

श्री अध्यक्षः अब आप स्थान ग्रहण कर लें।

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): आपके शासन में बना था.. (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): आपके राज में बना था तब ही तो भ्रष्टाचार हुआ है। कांग्रेस के राज में बनता तो भ्रष्टाचार ही नहीं होता ... (व्यवधान) बनाने वाले जो थे ठेकेदार आपके लोग थे।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ठेकेदार के भाई हो आप..(व्यवधान)

श्री अध्यक्षः मंत्रीजी जवाब देंगे। आप क्यों बोल रहे हैं बीच में?

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों की चिन्ता बिलकुल स्वाभाविक है। कोई भी अगर वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनता है और वह अगर पहली बार भरने पर टूट जाता है तो निश्चित रूप से हम सब के लिये चिन्ता का विषय है। मैं अभी यह कह सकता हूं कि जहां

(श्री सांवर लाल)

पर भी हैवी रेनफाल और बाढ़ की स्थिति थी, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि दो साल, ढाई साल में जो भी स्ट्रक्चर सबने निर्माण किये हैं चाहे हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर हो चाहे डेम हो, कोई भी फुली डेमेज नहीं हुआ है। साइड में से कहीं-कहीं पानी निकल गया, बाकी सब में पानी भरा हुआ है और 85 प्रतिशत के लगभग इर्रिगेशन तक की क्षमता का पानी आज की तारीख में मौजूद है। दो डूंगरपुर में टूटे हैं और एक पाली जिले का धारिया बाँध टूटा है। बदकिस्मती यह है कि यह बांध तो पहली बार बनने के बाद उसी दिन भरा और शाम को टूट गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): कब बना यह?

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): यह बना 2002 में और उसके बाद में लगातार..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप शांत रहें ना। शांत रहिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आपका यह कहना कि इस बरसात में आज के समय के निर्माण का एक भी बांध नहीं टूटा, शत-प्रतिशत असत्य है। आपके टाइम के निर्माण के अनेक बांध टूटे हैं।

श्री अध्यक्ष: हरिमोहन शर्मा। हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य, यह कोई तरीका नहीं है आपका कि, आप बीच में खड़े होकर और मंत्रीजी को डिस्टर्ब करते हैं। पूरा जवाब आने दीजिये उनका। यह कौनसा तरीका है?

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): अगर आपके पास कोई सूचना हो, ऐसी कोई सूचना हो कि इस ढाई साल में बना और जिस तरीके से धारिया टूटा वैसे कहीं पानी निकल आया हो तो मुझे देना, आपको मैं बता रहा हूं कि तत्काल ससपेंड करूंगा संबंधित अधिकारियों को।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): बता दो आप, अमरारामजी टूटा है।

श्री अमराराम (धोद): मेरे यहां टूटा है। इस साल बनाया था और इसी साल टूट गया पूरा। आप ससपेंड करा दो।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): आपके यहां तो बरसात ही नहीं हुई, वैसे ही टूट गया है।

श्री अमराराम (धोद): आखिरी में इतनी बरसात हुई और उसी से टूट गया। इसी साल बना था। बता दो आप।

श्री अध्यक्ष: वह दूसरा प्रश्न है।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): यह वाटर हार्वेस्टिंग का जो काम है ना, आपका वाटर हार्वेस्टिंग का अनेक टूट रहे हैं, हर जगह पर टूट रहे हैं।

श्री अध्यक्षः अनेक का जवाब नहीं देंगे यह। यह इसी का जवाब देंगे। आपके जवाब के लिये दूसरा प्रश्न कीजिये।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): केवल इर्रिगेशन से संबंधित जो कंस्ट्रक्शन है अभी उन्हीं की बात कर रहा हूं। बाकी स्ट्रक्चर्स कई एजेंसीज के द्वारा बनते हैं। माननीय सदस्य की चिन्ता है, मेरे पास जो जानकारी आयी है मिट्टी के टैस्ट की, उसके सम्बन्ध में जानकारी दी है। अब क्योंकि आजकल आप सब भी जानते हैं जैसे-जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है आदमी की बॉडी का टैस्ट आज से दस साल पहले कम होते थे आज हर चीज का टैस्ट होता है। आज बाँध के तो बड़े-बड़े स्ट्रक्चर्स बनते हैं..(व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): नहीं, मंत्री महोदय क्ले का टैस्ट नहीं हुआ। गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी।

श्री अध्यक्षः फिर यह क्या हो गया है? यह कौनसा तरीका है?

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): मैं बता रहा हूं ना आप क्यों खड़े हो रहे हो। आपकी चिन्ता है, मैं आपसे ज्यादा चिंतित हूं। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कहना चाह रहा हूं कि जब यह बांध बनना शुरू हुआ था उस समय भी एक टैस्ट जो होना चाहिये था, कर सकते थे, हमारे यहां पर फैसेलिटी थी आई.डी.आर. में जो नहीं किया गया जिसको अंग्रेजी में कहते डिसपर्सिव सॉयल टैस्ट। अब अंग्रेजी में मैंने कोशिश की कि क्या होता है ? घुलनशील तत्व, घुलनशीलता की जांच। अब यह बांध जिस तरीके से टूटा है...

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): मुख्य बात यही है।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): 38 जगह से यह अंदर से ब्रिक्स हुआ और एक जगह से मेन पॉल टूटी है। अगर यह टैस्ट हो जाता तो मैं आपकी बात से बिलकुल सहमत हूं कि जिस तरीके से बाँध भरने के बाद कुछ ही घण्टों में मिट्टी घुल-घुल करके वह एक तरह से छेद जिसको हम मारवाड़ी भाषा में गुल्ला कहते हैं। जगह-जगह बाँध से गुल्ले लग गये और इस वजह से वह पूरा का पूरा पानी उसका निकल गया। यह हमारे लिये चिन्ता की बात है। मैंने जांच के लिये चीफ इंजीनियर (नर्बदा), श्री जयपाल सिंह की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर दी है और एक महीने में हमने रिपोर्ट मांगी है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो भी इस बांध के निर्माण में अधिकारी लगे

(श्री सांवर लाल)

हुए थे, सब की जानकारी मैंने कर ली है और आज की तारीख में लगभग यह सब सेवा में हैं और इनके खिलाफ एक्शन होगा अगर यह दोषी पाये जायेंगे तो। निश्चित रूप से मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं राज्य का पैसा लगता है किसानों के लिये लगता है, किसान आशा करता है कि बरसात हो जाए पानी आ जाए।

श्री अध्यक्ष: बस ठीक है, हो गया।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): दो साल, चार साल, दस साल में तो कभी तो फायदा मिला। आज जवाई बांध बारह साल बाद में भरा। आज धारिया में किस्मत है हमारी कि मारवाड़ में बाढ़ आ रही है और पहली बार बरसात हुई है...

श्री अध्यक्ष: सबको संतुष्ट कर दिया आपने अपने जवाब से। नैक्सट क्वेश्चन।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): तो यह मैं जांच करा कर उनके खिलाफ कार्यवाही करूंगा।

दूसरी बात यह आयी कि इसका री-कंस्ट्रक्शन, तो मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि वापस कैसे पानी रुके, इस बार बरसात हुई भगवान करे फिर अगली बार बरसात करे तो मानसून का पानी रोकने तक की स्थिति तो कर देंगे। उसमें सारे टैस्ट कराकर इस प्रकार से कंस्ट्रक्शन करायेंगे कि इससे फिर डेमेजेज नहीं हो। यह व्यवस्था हम करेंगे।

श्री अध्यक्ष : पूर्णरूपेण संतुष्ट हो गये। नैक्सट क्वेश्चन। श्री एमादुद्दीन।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): बाकी एक ओवरफ्लो वाली जो आपने...(व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): आप निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

श्री अध्यक्ष: हम सब संतुष्ट हो गये, आसन भी संतुष्ट है, यह भी संतुष्ट हैं।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): और इंस्पेक्शन रिपोर्ट तो जैसे कोई भी अधिकारी ए ईएन, जे ईन, एक्स ईएन है, यह उनकी प्रोपर्टी है। आज आप आपके घर में जाते हो तो सब एक-एक को टोटल रिपोर्ट थोड़ी बनाते हो वैसे ही इर्रिगेशन के डिपार्टमैंट वाले...(व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): यह घर नहीं सरकार है मंत्री महोदय ...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): अब आप सुनें तो सही, सरकार कोई हर बार जा-जाकर कोई लाग-बुक थोड़े ही भरेगी ...(व्यवधान) कि इस बांध में यह हो गया ...(व्यवधान) अगर कोई ब्रीचेज वगैरह होती तो निश्चित रूप से इस पर कार्यवाही होती।

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (नदबई): अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी को यह सुझाव देना चाहती हूं कि जितने भी बांध अभी पंचायत समिति में गये हैं।

श्री अध्यक्ष: वह अलग से प्रश्न है, आई एम सॉरी, अलग से प्रश्न है, इनसे आप वैसे ही बात कर लीजिये वह वैसे ही कर देंगे।

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (नदबई): इन्होंने तो पंचायत समिति में ले लिया ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: इससे थोड़े ही संबंधित है ...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): अध्यक्ष महोदय, कैबीनेट की सब कमेटी बनी हुई है, मुख्य मंत्रीजी ने इस संबंध में कैबीनेट की सब कमेटी बनायी है। उसकी रिकमंडेशन के बाद मंत्रिमंडल विचार करेगा।

श्री अध्यक्ष: श्री एमादुद्दीन अहमद खान।

साबी नदी (अलवर) पर पुल निर्माण

21. श्री एमादुद्दीन अहमद खान (तिजारा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि अलवर जिले की तहसील तिजारा व उपखण्ड कोटकासिम मुख्यालय पर रेवाड़ी से किशनगढ़बास, तिजारा वाया कोटकासिम व रेवाड़ी से भिवाड़ी वाया कोटकासिम रोड पर कोटकासिम कस्बे पर साबी नदी पर पुलिया न होने से भिवाड़ी, खुशकेड़ा, चौपानकी औद्योगिक क्षेत्र को नेशनल हाइवे नं. 8 (जयपुर-दिल्ली) से वैकल्पिक मार्ग नहीं मिल पा रहा है?

(2) क्या सरकार उक्त पुलिया का निर्माण कर राज्य के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र को जयपुर-दिल्ली नेशनल हाइवे से वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों?

श्री अध्यक्ष: आप जवाब दीजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): (1) जी हां। अलवर जिले की तहसील तिजारा व उपखण्ड कोटकासिम मुख्यालय पर रेवाड़ी से किशनगढ़वास तिजारा वाया कोटकासिम रोड पर कोटकासिम कस्बे में साबी

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

नदी पर पुलिया नहीं होने से इस मार्ग में नदी का हिस्सा कच्चा होने के कारण वर्षा ऋतु में यातायात में बाधा आती है। लेकिन भिवाड़ी, खुशकेड़ा, चौपानकी औद्योगिक क्षेत्र को नेशनल हाइवे नंबर-8 से जोड़ने के लिए टपूकड़ा, बूढ़ी बावल, नन्दरामपुरवास, धारूहेड़ा वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है।

(2) जी हां। किशनगढ़बास कोटकासिम बोलनी रेवाड़ी रोड पर कोटकासिम कस्बे के साबी नदी पर पुलिया (रपट) का कार्य राज्य सड़क निधि में विचाराधीन है।

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (तिजारा): अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने पार्ट एक में जो बताया है कि नेशनल हाइवे से जोड़ने के लिए टपूकड़ा, बूढ़ी बावल और जो रोड आपने बताया है यह रूट दिल्ली से होता है, जयपुर कैपिटल है और अगर जयपुर से जाना होता है तो यहां से बोलनी को पार करके बाद में कोटकासिम का है, बोलनी के साथ उसके बजाय धारूहेड़ा फिर भिवाड़ी, फिर टपूकड़ा और फिर पुष्करणा आना पड़ता है।

श्री अध्यक्ष: आप सीधा सा प्रश्न पूछें कि साबी नदी पर पुल बनाने का आपका इरादा है क्या? यही पूछ लीजिये ना। बात हो गयी खत्म।

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (तिजारा): मैं यही पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: यही पूछ लीजिये आप।

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (तिजारा): यह जो रूट है, यह दिल्ली वाले के बजाय जयपुर से ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: इसलिए कह रही हूं कि यह पूछ लीजिये ताकि जवाब दे देंगे वह।

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (तिजारा): इसको जोड़ने के लिए रूट बनाने का आपका कब तक प्लान है?

श्री अध्यक्ष: वही तो मैं कह रही हूं कि आप सीधा पूछ लीजिये।

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (तिजारा): पार्ट दो में जो आपने पुलिया का बताया है तो 2005 में जब आप नवम्बर, 2005 को जोडिया पधारे थे कोटकासिम तहसील में, तब आपने एक उदघाटन किया था, वहां पर आपने दो एलान किये थे, एक तो आपने दो किलोमीटर सी.सी. रोड साबी नदी का पुल बनाने का एलान किया था।

श्री अध्यक्षः इन्होंने एलान कुछ भी किया हो, आपको जो बात पूछनी है वह पूछ लीजिये।

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (तिजारा): दूसरा आपने कोटकासिम से किशनगढ़बास के हाईवे का आपने किया था।

श्री अध्यक्षः समय हो गया है, इसलिए पूछ लीजिये आप।

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (तिजारा): उन बातों पर एक साल होने को आया है और अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है तो मेरा आपसे निवेदन यह है कि इस पर आप कब काम शुरू करेंगे और यह जो साबी नदी के पुलिया का मामला है या तो इसमें एस.आर.पी. से करवायें नहीं तो फिर एनएचएआई से अगर इसमें कोई स्कीम हो तो इसमें आप करवायें।

श्री अध्यक्षः बनाने का इरादा हो तो बता दीजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, साबी नदी पर निश्चित रूप से काज-वे के निर्माण के लिए पूर्व में घोषणा की गयी थी। 144 लाख रूपया इसमें खर्च होगा और इसी वित्तीय वर्ष में जो पूर्व की घोषणा है, इसी वित्तीय वर्ष में इसकी स्वीकृति जारी करें और जो हमारी एस.आर.टी., राजस्थान सड़क निधि है इसके अंतर्गत स्वीकृति जारी करेंगे और इसको बनायेंगे, इसकी आवश्यकता है।

श्री अध्यक्षः बहुत अच्छा है धन्यवाद। प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आसन पैरों पर है और अधिकारी जा रहे हैं।

श्री अध्यक्षः आसन पैरों पर होता है तो सदन की जिम्मेदारी है, सदन के माननीय सदस्यों की जिम्मेदारी होती है। लेकिन परंपराओं में यह भी है कि ऑफिसर्स गैलेरी में भी वह स्थान नहीं छोड़ें। मैं समझती हूं कि वह भविष्य में ध्यान रखेंगे।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, आपको धमकाते हुए माननीय चीफ व्हिप इधर से निकल गये थे, आपने इसको नोट किया है, सबने नोट किया था। क्या कहा, उसको आपने पसंद कर लिया होगा लेकिन इस तरह से यह जो बिहेवियर है यह संसदीय परंपराओं के सौ प्रतिशत खिलाफ है। कोई चीफ व्हिप आज तक के इतिहास में इस विधान सभा में मैंने नहीं देखा।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): क्या?

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): कहीं दुनिया में नहीं देखा जो गवर्नमेंट चीफ व्हिप अध्यक्ष को धमकाता हुआ बाहर जा रहा है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): मैंने अध्यक्ष महोदय को धमकाया है, मेरे में हिम्मत कहां है।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): यह आपके लिए शर्म की बात है, यह तो सत्ता पक्ष के लिए शर्म की बात है ...(व्यवधान) और हम लज्जित हैं कि हमारा गवर्नमैंट चीफ व्हिप ऐसा है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): मैं तो अध्यक्षजी के हाथ जोड़कर रहता हूं।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं, अध्यक्षजी के हाथ जोड़ने से काम नहीं चलेगा। आपको अपने व्यवहार में इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। आप कहिये कि आइंदा नहीं करेंगे। आप कहिये कि आइंदा नहीं करेंगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): प्रतिपक्ष के नेता मैं तो आपके प्रति भी समर्पित हूं।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं, मेरे साथ नहीं, इधर कहें कि आइंदा नहीं करूंगा ...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आसन को तो मैं सिर पर ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): कह दीजिये कि भूल हो गयी है, आइंदा नहीं करूंगा ...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): वहां डंडा लगाने की सिफारिश करता हूं और अध्यक्ष महोदय, मैंने आसन का नहीं, मैंने यह कहा कि अपनी एक परंपरा है कि जब एक मुद्दे पर वाक आउट हो जाये तो उस मुद्दे पर पुन: चर्चा नहीं करते हैं। मैंने कहा कि मैंने कभी ऐसा विपक्ष ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आप सीट से बोलते ...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): मैंने कभी भी विपक्ष ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): अध्यक्ष महोदय, मुख्य सचेतकजी अपनी सीट से बात कहते ...(व्यवधान) हम गैलेरी में यह बात कहते हुए... (व्यवधान) अध्यक्ष जी हमें कहते हैं कि अपनी सीट पर जायें...(व्यवधान) और आपने अपनी सीट से यह बात नहीं कही...(व्यवधान) मुख्य सचेतक बने हुए हैं आप ...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): विधान सभा सदस्य, जो कई बार चुनकर आये हैं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सात बार, सात बार आये हैं प्रतिपक्ष के नेता ...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): और जो इस सीट पर भी बैठे हैं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: और एक निर्वाचन क्षेत्र से ...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): वह नियमों के विपरीत करें, इसलिए मैंने यह कहा कि मैं यह देख नहीं सकता हूं इसलिए जा रहा हूं।

श्री अमराराम (धोद): आपने वाक आउट किया था?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): वाक आउट नहीं किया था ...(व्यवधान) मैं यह अपनी आंखों से देख नहीं सकता इसलिए जा रहा हूं ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आप अपनी सीट से बोलते यह बात ...(व्यवधान) आप रास्ते में बोलते हुए गये हो ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): हम कभी अध्यक्षजी को कहते हुए बाहर नहीं निकले। अपनी जिंदगी में नहीं निकले और फिर नहीं निकलेंगे। लेकिन आपका जो व्यवहार था ...(व्यवधान) एज चीफ व्हिप आपत्तिजनक था ...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यदि एक शब्द भी अध्यक्षजी के सम्मान के विरूद्व मैंने कहा हो ...(व्यवधान) प्रोसीडिंग में आप दिखा दें तो मैं आपसे आजीवन क्षमा चाहता हूं और आजीवन इस सदन में पैर नहीं रखूंगा, इस सदन में पैर ही नहीं रखूंगा।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): यह आपकी कांस्टि्टवेंसी की चौपाल नहीं है, यह राजस्थान विधान सभा है जिसके आप गवर्नमेंट चीफ व्हिप हैं। आपके व्यवहार को हम देखते हैं और आपको हम फॉलो करते हैं और आप ऐसा करते हो। ऐसा नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यदि अध्यक्ष महोदय के खिलाफ ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आपका हर एक्शन लोग देखते हैं, नोट करते हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यदि आसन के प्रति मैंने कहा, ऐसा कुछ कहा ...(व्यवधान) तो मैं क्षमा प्रार्थी तो हूं ही ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय मुख्य सचेतकजी कहते हुए गये थे, उनको अपने स्थान से बोलना चाहिए था ...(व्यवधान) आप हमको कहते हैं...(व्यवधान) अपने स्थान से बोलो...(व्यवधान) लेकिन यह आपको कहते हुए गये। हमने अपनी आंखों से देखा। अगर गलत हो तो आप देख लेते, आप अपनी सीट से बोल सकते थे ...(व्यवधान) माननीय मुख्य सचेतकजी, आप कहते हुए गये, आपको जो भी बात कहनी थी अपनी सीट से कहें ...(व्यवधान) आप हमको रोज ही यह निर्देश देते हो कि अपने स्थान से बोलें, आपने जो कुछ भी कहा आप भी अपनी सीट से कहते, आप कहते हुए गये जो आपके आचरण और सदन की परंपराओं के खिलाफ काम आपने किया है।

श्री महादेव सिंह (खण्डेला): नियमों के खिलाफ है ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आपको अध्यक्षजी प्रताड़ना दें या नहीं दें लेकिन आपको स्वयं ही अपने आचरण पर खेद व्यक्त करना चाहिए।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आपका ही प्रताड़ना मान लेता हूं मैं तो ...(व्यवधान)

श्री महादेव सिंह (खण्डेला): आप बोलते ही नहीं गये, आप हाथ का इशारा करते हुए भी गये थे। यह सबसे बड़ी बात है जबकि यह हमारे मुख्य सचेतक हैं, बोले ही नहीं थे, आपको बोलना तो चाहिए था सीट से, लेकिन सीट छोड़कर बोल रहे थे और आप इशारा और कर रहे थे आसन की तरफ।

(शेष तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर तथा अतारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया आगे देखें)

शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजलि

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर हाल ही में दिवंगत हुए इस विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री उम्मेद सिंह एवं श्री अजीत सिंह के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए यह शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करती हूं।

उम्मेद सिंह श्री, पूर्व विधायक

पूर्व विधायक श्री उम्मेद सिंह का जन्म 5 अक्टूबर, 1936 को बाड़मेर में हुआ। आपने महाराज कुमार कालेज, जोधपुर से बी.ए. की उपाधि प्राप्त की। श्री उम्मेद सिंह तीसरी तथा आठवीं राजस्थान विधान सभा में विधायक

(श्री अध्यक्ष)

रहे। आप तीसरी विधान सभा के लिए बाड़मेर निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय सदस्य के रूप में तथा आठवीं विधान सभा के लिए शिव निर्वाचन क्षेत्र से जनता पार्टी के विधायक निर्वाचित हुए। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप प्राक्कलन समिति, याचिका समिति, अधीनस्थ विधान संबंधी समिति तथा गृह समिति के सदस्य रहे। विधान सभा में आप अपने क्षेत्र के विकास के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहे।

श्री उम्मेद सिंह का दिनांक 29 सितम्बर, 2006 को निधन हो गया।

अजीत सिंह श्री, पूर्व विधायक

पूर्व विधायक श्री अजीत सिंह का जन्म 28 अगस्त, 1930 को सवाई माधोपुर जिले के सूरोठ ग्राम में हुआ। आपने इंटरमीडिएट तक की शिक्षा प्राप्त की। श्री अजीत सिंह पांचवीं तथा आठवीं राजस्थान विधान सभा में टौंक निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए।

आपने पांचवीं विधान सभा में जनसंघ तथा छठी विधान सभा में जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व किया। समाज सेवा में विशेष रुचि रखने वाले श्री अजीत सिंह अपने सार्वजनिक जीवन में टोडारायसिंह तहसील की बाबाड़ पंचायत एवं न्याय पंचायत के सदस्य रहे। आप वर्ष 1962 से 1972 तक टोंक जिला जनसंघ के अध्यक्ष तथा वर्ष 1969 में राजस्थान प्रदेश जनसंघ के उपाध्यक्ष रहे। श्री अजीत सिंह राजपूत सभा, टौंक के मंत्री भी रहे। श्री अजीत सिंह का दिनांक 28 सितम्बर, 2006 को निधन हो गया।

मैं अपनी ओर से तथा इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से दिवंगत व्यक्तियों को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं। (व्यवधान) और ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि दिवंगत व्यक्तियों की आत्मा को शांति प्रदान करे तथा उनके शोक संतप्त परिजनों को उनका बिछोह सहन करने की शक्ति दे।

माननीय सदस्य कृपया दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत व्यक्तियों की आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करें। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): उनको सम्मिलित नहीं किया गया अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बाद में कह सकते हैं यह बात, प्लीज। जब मैंने कह दिया कि दो मिनट खड़े हों तो खड़े रहें, उसके बाद आपको जो कुछ कहना है कहिएगा।

(तदनन्तर सदन ने दो मिनट मौन रहकर दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, तीन तारीख को जब शोकाभिव्यक्ति हुई थी तब आपने कहा था कि कामां को, बाद में दो और माननीय सदस्यों की सूचना प्राप्त हुई है उनके साथ जोड़ लिया जाएगा, लेकिन आज जब आपने इन दो लोगों की शोकाभिव्यक्ति की। ...(व्यवधान)

श्री अमराराम चौधरी (राज्य मंत्री, गृह): ...(व्यवधान) और चार महीने से अभी तक आपके पास कोई सूचना नहीं है।

श्री अध्यक्ष: एक समय में केवल एक ही बोले, जब वह बोल रहे हैं गृह राज्य मंत्रीजी तो आप कृपया बैठ जाएं उनके बाद आप अपनी बात कह दीजिएगा।

श्री अमराराम चौधरी (राज्य मंत्री, गृह): माननीय अध्यक्ष महोदय, हुकमारामजी मेघवाल, सिवाना के एम.एल.ए. थे, उनका देहान्त हुए करीब चार महीने से ज्यादा समय हो गया है। इसकी खबर आपके यहां आनी चाहिए लेकिन अभी तक नहीं आई है।

श्री अध्यक्ष: अभी तक सूचना हमारे पास नहीं आई है। विधान सभा सचिवालय में सूचना नहीं आई है।

श्री अमराराम चौधरी (राज्य मंत्री, गृह): उम्मेद सिंहजी का स्वर्गवास हुए अभी सात दिन हुए हैं या आठ दिन हुए हैं, वह न्यूज तो आपके पास आई, वह तो अच्छा हुआ।

श्री अध्यक्ष: जब तक विधान सभा के कार्यालय में सूचना नहीं आएगी तब तक उनको श्रद्धांजलि अर्पित नहीं की जा सकती। (व्यवधान)

श्री अमराराम चौधरी (राज्य मंत्री, गृह): नहीं, नहीं, यह आ गई है और उनका नाम नहीं आया। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): साल भर तक नहीं आए तो कलक्टर की जिम्मेदारी होनी चाहिए।

श्री अमराराम (धोद): बाड़मेर कलक्टर क्या कर रहा है? प्रशासन क्या कर रहा है, चार महीने तक सूचना नहीं भेजी।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक व्यवस्था चाहता हूं कि किसी भी विधायक की डेथ की सूचना तुरन्त देने का अधिकार कलक्टर को है इसमें कोई लैप्स होता है तो कलक्टर।

श्री अध्यक्ष: अधिकार नहीं कर्तव्य है, सूचना देने का उसका कर्तव्य है।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): भूतपूर्व विधायक के देहान्त की सूचना देने का कर्तव्य, ड्यूटी कलक्टर की है, चार महीने हो गए कलक्टर की सूचना क्यों नहीं आई। आपके दफ्तर में आ गई तब तो ठीक है।

श्री अध्यक्ष: हमारे कार्यालय में नहीं आई अभी तक।

श्री अमराराम (धोद): आपके मंत्री तो सूचना दे रहे हैं, या तो सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, वह दे रहे हैं कि जिन्दा है नहीं, कलक्टर ने सूचना नहीं भेजी, उस कलक्टर के खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही कर रही है वह तो बताओ। जब मंत्री सूचना दे रहा है, चार महीने पहले खतम हो गए, पूर्व विधायक थे, सरकार के स्टेट होम मिनिस्टर सूचना दे रहे हैं और आपका कलेक्टर सूचना नहीं दे, उसके खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे वह बताओ आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्व में सभी जिला कलक्टरों को ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बात तो सुनने दें, बैठे-बैठे बोलते हैं, मुझे सुनने तो दें कि वह क्या कह रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्व में सभी जिला कलक्टरों को निर्देश दिए जा चुके हैं कि अगर कोई माननीय सदस्य, पूर्व सदस्य या इस तरह की कोई डिग्नीटरी का देहान्त हो तो सूचना हमें भी दे, सरकार के पास भी आए और विधान सभा सचिवालय के पास भी आए। मैं स्वयं इसको दिखवा लूंगा कि वह सूचना सदन में क्यों नहीं आई। अध्यक्ष महोदय, इस बारे में दुबारा निर्देश जारी करेंगे कि समय पर सूचना विधान सभा सचिवालय के पास पहुंच जाए, इस बारे में सख्त निर्देश जारी करेंगे।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप दुबारा निर्देश की बात मत करो। आप पहले निर्देश जारी कर चुके हैं, आपने पहले निर्देश दे रखे हैं उन निर्देशों के अनुसार, आपकी कोई मानता ही नहीं तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की, आपको उनके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): इनके निर्देशों को कोई मानता ही नहीं है। इनके निर्देशों की कोई परवाह ही नहीं करता, उसका क्या करेंगे, उसका पता नहीं है।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आपने निर्देश जारी कर रखे हैं और कलक्टर को सूचना देनी चाहिए, उसने सूचना नहीं दी तो कलक्टर के खिलाफ क्यों नहीं कार्यवाही आप करते हो, आप यह कहो कि निर्देश जारी करेंगे, कलक्टर की गलती है उसके खिलाफ कार्यवाही करो। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): यह कह रहे हैं कि निर्देश दे रखे हैं तो उनकी पालना नहीं की तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की फिर?

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, तीन तारीख को जब आपने शोकाभिव्यक्ति कर दी पूर्व विधान सभा अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की, उस वक्त भी यह मामला उठा था कि कामां में 27 अगस्त को एक बड़ा हादसा हुआ और उसमें 46 लोगों की मृत्यु हुई थी उनको भी सदन के तरफ से शोकाभिव्यक्ति होनी चाहिए। आपने कहा था कि दो और माननीय सदस्यों की सूचना देर से प्राप्त हुई है उनकी भी शोकाभिव्यक्ति करेंगे। उस वक्त इस मामले को देख लिया जाएगा लेकिन आज दो माननीय सदस्यों की शोकाभिव्यक्ति कर दी। उसके बाद भी कामां हादसे के अन्दर भोजन थाली कुश्ती दंगल में जिन 46 लोगों की मृत्यु हुई, एक ही दिन में एक ही स्थान पर जिनमें चार उत्तर प्रदेश के थे, एक हरियाणा का था उसमें मेरे खुद के विधान सभा क्षेत्र के चार लोग थे, 46 लोगों की मृत्यु हुई है। पहले भी एक तीर्थ यात्रा पर जाने वाली बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी उसमें सवार 20 लोगों को सदन में श्रद्धांजलि दी गई थी, शोक व्यक्त किया गया था। मैं पुनः आपसे अनुरोध करता हूं कि इस कामां हादसे में एक ही स्थान पर इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई है उनको भी सदन की तरफ से शोकाभिव्यक्ति दी जानी चाहिए।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, सचमुच में इस तरह के हादसों में जिन लोगों की जानें चली जाती हैं, सबकी उनके प्रति संवेदना है लेकिन आज दिन तक इस सदन की यह परम्परा रही है कि नैचुरल कैलेमिटी में जिन लोगों की जान जाती है उनके प्रति हम यहां शोक संवेदना प्रकट करते रहे हैं लेकिन इस तरह से तो रोज दुर्घटनाएं होती हैं, मैंने पूरे दो दिन इसी बात पर पूरा रिकार्ड खंगाला है कि आज दिन तक क्या कोई शोकाभिव्यक्ति इस प्रकार से दी गई है लेकिन नैचुरल कैलेमिटी के अलावा मुझे कोई एक इन्स्टांस ऐसा नहीं मिला वरना देने में कोई आपत्ति नहीं है। यहां बड़ा अफसोस है कि इस तरीके से इतने लोगों की एक साथ जानें चली गई लेकिन यह एक नई परम्परा होगी। (व्यवधान) सुनिए प्लीज, देखिए मैं आपसे कई बार कह चुकी

हूं कि आसन जब पांवों पर हो और आसन जब कुछ बोल रहा हो तो, कुछ कह रहा हो तो आपको बीच में खड़े नहीं होना चाहिए। कई बार आपसे निवेदन किया है, कृपया ध्यान रखें इस बात का भविष्य में। मैं यह निवेदन कर रही थी कि चूंकि मुझे एक भी ऐसा इन्स्टांस नहीं मिला, मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन यह नई परम्परा प्रारम्भ हो जाएगी इसलिए मैंने उनको नहीं किया फिर भी मैं आपसे कहती हूं कि इस तरह से जो हादसा हुआ, दुर्भाग्यपूर्ण है, शोक संतप्त परिवारों के प्रति पूरी हमारी संवेदना है, हम उनकी पूरी वेदना में लिप्त हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): ठीक है, बस आपने कह दिया।

श्री अध्यक्ष: आप क्या करते हैं मिस्टर बैरवा? आप ध्यान नहीं रखते, आप दुबारा जीतकर आए हैं।

अनुपस्थित-अनुमति

वन्दना मीणा, श्रीमती, सदस्य को 4.10.2006 से सत्रांत तक अनुपस्थित रहने की अनुमति

मुझे सदन को सूचित करना है कि श्रीमती वन्दना मीणा, सदस्य विधान सभा ने अस्वस्थता के कारण दिनांक 4 अक्टूबर, 2006 से सत्रांत तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है। क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

घनश्याम तिवाड़ी, श्री, शिक्षा मंत्री को 3.10.2006 से सत्रांत तक अनुपस्थित रहने की अनुमति

मुझे सदन को सूचित करना है कि श्री घनश्याम तिवाड़ी, शिक्षा मंत्री ने शारीरिक अस्वस्थता के कारण दिनांक 3 अक्टूबर, 2006 से सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है। क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाए? (व्यवधान) तो क्या इस अनुमति का फैसला सदन के बहुमत से करें?

(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): एक मेडिकल बोर्ड बैठा लिया जाए वह कोई बीमार नहीं हैं, वह राजनीतिक रूप से बीमार हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यह बहुत शर्म की बात है, कल को आपके साथ भी ऐसा हो, हम यह नहीं चाहते।

श्री अध्यक्ष: वह किसी भी रूप से बीमार हो, कोई भी व्यक्ति किसी भी रूप से बीमार हो लेकिन जब उन्होंने छुट्टी चाही है तो सदन की शालीनता है कि सदन उनको अनुमति प्रदान करे, सर्वसम्मति से प्रदान करे, ऐसा मेरा निवेदन आपसे है।

श्री अमराराम (धोद): यह तो बताओ कि कब तक है?

श्री अध्यक्ष: क्या अनुमति है?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई। ...(व्यवधान) मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है। (व्यवधान) अपन इस सदन को थोड़ी गम्भीरता से चलाएं तो मैं समझती हूं कि यह अधिक उपयुक्त होगा। छोटे बच्चे भी कई बार कार्यवाही देखने आते हैं, कल मेरे विधान सभा क्षेत्र के बच्चे भी यहां कार्यवाही देखने आए थे।

और वे जब मुझसे मिले तो उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त की कि हमें तो मालूम ही नहीं था कि हमारे विधायक ऐसा करते हैं। मैं समझती हूं आखिर हम सब लोग जिम्मेदार हैं, जन-प्रतिनिधि हैं, जनता के हित के लिए अपन यहां पर आये हैं, जनहित के मुद्दों पर सार्थक चर्चा हो, यह आपका और हम सबका कर्तव्य है। इसका थोड़ा ध्यान रखें।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आज हमारी रैली है।

श्री अध्यक्ष: आज आपकी रैली है इसलिए सब याद कर रहे हैं आपको। अब आप पधारो तो ठीक रहेगा। लोग याद कर रहे हैं आपको। (व्यवधान) बैठे-बैठे नहीं। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): क्षमा चाहता हूं। क्षमा, क्षमा।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आप खड़ी हैं, ये खड़े हो गये। क्या तरीका है यह?

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): आप प्रताड़ित करो उनको।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्षः मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई हैः- ..(व्यवधान) आज आपके नेता प्रतिपक्ष भी बड़े जोली मूड में हैं, इसलिए ठीक बात है। (व्यवधान)

1. श्री रिछपाल सिंह मिर्धा एवं चार अन्य सदस्यों की ओर से जिला नागौर में वर्षा की अत्यधिक कमी के कारण अकाल की स्थिति पैदा होने के संबंध में।
2. श्री बृजकिशोर शर्मा एवं 10 अन्य सदस्यों की ओर से जयपुर शहर में व्याप्त गंदगी व सीवरेज लाइनों के चौक होने से फैली बीमारी के संबंध में।
3. श्री वीरेन्द्र बेनीवाल एवं तीन अन्य सदस्यों की ओर से बीपीएल चयनितों की सूची में अधिकांश पात्र व्यक्तियों के वंचित रह जाने के संबंध में।
4. श्री हेमाराम चौधरी, सदस्य की ओर से ग्राम पंचायत बायतू भीमजी में बीपीएल परिवारों के चयन में दिशा-निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन होने के संबंध में।

दिनांक 9 अक्टूबर, 2006 को अकाल की स्थिति एवं मौसमी बीमारियों से उत्पन्न स्थिति पर सदन में चर्चा होगी तथा आज बीपीएल परिवारों के चयन के संबंध में मंत्री महोदय का वक्तव्य होगा। माननीय सदस्यों को चर्चा में भाग लेने का पूरा अवसर उपलब्ध होगा, अतः पृथक से इन प्रस्तावों पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

5. श्री अशोक बैरवा एवं 13 अन्य सदस्यों की ओर से जिला सवाई माधोपुर के पुलिस थाना मानटाउन में दिनांक 30 सितम्बर, 2006 को चोरी के आरोप में गिरफ्तार किये गये युवक की मौत होने के संबंध में।
6. श्री संयम लोढ़ा, सदस्य की ओर से जिला सिरोही की कानून एवं व्यवस्था की स्थिति के संबंध में।
7. श्री जुबेर खान एवं 6 अन्य सदस्यों की ओर से कामां कस्बे में कुश्ती दंगल के दौरान हुए हादसे के मृतक आश्रितों को पर्याप्त आर्थिक एवं अन्य सहायता उपलब्ध नहीं करवाये जाने के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाय अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी मैं चाहूंगी कि आप तीनों व्यक्ति, आपने जिस संबंध में यह दिया है वे गृह मंत्रीजी से मिलें और गृह मंत्रीजी कृपया उनकी बात सुनकर उनके बारे में जो कुछ कार्यवाही अब तक हुई है और जो आप करने जा रहे हैं वह बता दीजिएगा।

8. श्री हरिमोहन शर्मा एवं 15 अन्य सदस्यों की ओर से कार्यशाला योजनान्तर्गत निर्मित की गई अनुसूचित जाति के लिए कार्यशालाओं की अनुदान राशि का आबंटन नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।
9. श्री भरत सिंह एवं 4 अन्य सदस्यों की ओर से प्रदेश में सरसों के समर्थन मूल्य में 115 रुपयों की प्रस्तावित कटौती एवं किसानों को सहकारी बैंकों से कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाने के संबंध में।
10. डा. चन्द्रशेखर बैद एवं 8 अन्य सदस्यों की ओर से ग्रामोत्थान हेतु आरंभ की गई जलग्रहण योजना में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में।
11. श्री अमराराम, सदस्य की ओर से इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण के किसानों की अजमेर समझौता, 2004 को लागू नहीं करने से किसानों में व्याप्त असंतोष के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाय, अतः स्थगन प्रस्ताव के रूप में तो अनुमति देने में असमर्थ हूं, फिर भी माननीय सदस्य श्री हरिमोहन शर्मा, श्री भरत सिंह, डा. चन्द्रशेखर बैद एवं श्री अमराराम को अपने-अपने प्रस्तावों पर सिर्फ दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत प्राप्त सूचनाएं

1. श्री रामनारायण मीणा, सदस्य की ओर से तहसील केशोरायपाटन के ग्राम कोडिजा की खसरा संख्या 274 की 600 वर्गफीट भूमि पर बने मकान को ध्वस्त कर भूमि विद्यालय भवन को आबंटित करने के संबंध में।
2. श्री जोगाराम पटेल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र लूणी के

(श्री अध्यक्ष)

क्रमोन्नत विद्यालयों में स्टाफ की कमी को दूर करने एवं भवन निर्माण हेतु बजट आबंटित करने के संबंध में।

3. डा. श्रीगोपाल बाहेती, सदस्य की ओर से जवाहरलाल नेहरू अरबन रिन्यूअल मिशन के तहत चयनित अजमेर-पुष्कर के प्रस्तावों को अंतिम रूप नहीं देने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

4. श्री मोहन मेघवाल, सदस्य की ओर से जोधपुर शहर के महात्मा गांधी चिकित्सालय में मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए एक मेडिसन यूनिट और खोलने के संबंध में।

5. श्री हीरालाल (निवाई), सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र निवाई का तुरन्त सर्वे करवाकर अकाल राहत कार्य प्रारंभ करने के संबंध में।

6. श्री बृजकिशोर शर्मा, सदस्य की ओर से जयपुर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र स्थित कारकस प्लांट व बूचड़खाने को अविलम्ब बंद करने के संबंध में।

7. श्री रामचन्द्र जारोड़ा, सदस्य की ओर से जिला नागौर में नये कृषि विद्युत कनेक्शन जारी करने के संबंध में।

8. श्री भरत सिंह, सदस्य की ओर से कोटा संभाग में वन क्षेत्र की लघु सिंचाई परियोजनाओं की वन भूमि का नेट प्रजेन्ट वेल्यू का भुगतान सरकार द्वारा करने के संबंध में।

9. श्री रामलाल शर्मा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र चौमूं में बाईपास बनाने के संबंध में।

10. श्री नन्दलाल पूनिया, सदस्य की ओर से जिला चूरू की राजगढ़ तहसील के काश्तकारों की फसल बीमा का भुगतान करने के संबंध में।

11. श्री सुभाष चन्द्र शर्मा, सदस्य की ओर से कोटपूतली को जिला बनाने के संबंध में।

12. श्री राकेश मेघवाल, सदस्य की ओर से रानाबाई धाम ग्राम हरनांवा पट्टी से त्रिमूर्ति धाम ग्राम बड्डू तक डामर की पेवर सड़क बनाने के संबंध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

(श्री अध्यक्ष)

मैं विधान सभा कार्यालय से यह कहना चाहूंगी कि जिस व्यक्ति का स्थगन प्रस्ताव भी आया है उसका 295 आ जाए, एक व्यक्ति को दोनों ही वक्त बोलने का मौका मिले इस बात का भविष्य में ध्यान रखें। श्री हरिमोहन शर्मा।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं हरिमोहनजी को रोकना नहीं चाहता, कामां के मामले में मैं और कुछ हमारे अन्य साथी विधायक ..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अपनी बात ही तो कहेंगे, रोकने का मतलब यहां एक घंटे भाषण देंगे वो? जो उनकी कार्यशाला है उनके अनुदान राशि का जो आबंटन है वह नहीं हुआ है, यह मंत्रीजी का ध्यान लाएंगे और मंत्रीजी बता देंगे, उसमें क्या बात हुई?

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): मैं दूसरी बात निवेदन कर रहा हूं, आपने मेरी बात सुनी ही नहीं।

श्री अध्यक्ष: फिर क्या मतलब हुआ?

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): मैंने दूसरी बात कही है, आप विराजें तो मैं कहूं। मैंने निवेदन किया था, हमने आपसे निवेदन किया था आपके चैम्बर में जाकर कि कामां के मामले में आपने अनुमति प्रदान कर दी, शायद आपके ध्यान में यह बात नहीं रही, पूर्व में यह व्यवस्था टाइप हो गई होगी, इसलिए आपके ध्यान से उतर गया होगा। आपने आश्वस्त किया था कि श्री जुबेर खां को भी आप दो मिनट बोलने का मौका देंगी।

श्री अध्यक्ष: 50-50 हजार रुपये दे दिये उन्हें। जांच चल रही है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): मेरा निवेदन सुन लें। आपने यह बात वहां भी कही थी उसके उपरान्त हमने अनुरोध किया था, आपने कृपापूर्वक उस अनुरोध को स्वीकार किया था।

श्री अध्यक्ष: आप ऐसा करें शुरू होने दें उसके बाद में जब यह हो जाए उसके बाद ले लेंगे।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): ठीक है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय ..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अब बीच में कुछ नहीं। नो। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): नो-नो से काम नहीं चलेगा। अध्यक्ष महोदय, हमने स्थगन प्रस्ताव दिया है, हम नियमों से आये हैं। हम नियमों के आधार पर नहीं कहेंगे क्या?

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): मतलब क्या हुआ सदन में आने का?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): गृह मंत्रीजी से मिलने के लिए हमें विधान सभा के स्थगन प्रस्ताव की जरूरत नहीं है, वह तो हम भी मिल सकते हैं। हम अपनी बात कहना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): स्थगन प्रस्ताव लेकर गृह मंत्रीजी ..(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): बच्चे गायब हो रहे हैं और आप हमें मामला उठाने नहीं देना चाहतीं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: डराकर, धमकाकर ..(व्यवधान) क्या मतलब है आपका?

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): फिर भी गृह मंत्रीजी से आखिर हम मिले ..(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): स्थगन प्रस्ताव दिया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपका मकसद क्या है?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): हमारा मकसद है राजस्थान की चौपट हुई कानून-व्यवस्था पर चर्चा करना और राजस्थान के गृह मंत्री का ध्यान आकृष्ट करना, यह हमारा मकसद है। (व्यवधान)

मानटाउन पुलिस थाने में युवक की मौत

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): पुलिस हिरासत में मौत हुई है और पुलिस वालों का पूरा हाथ है। उसको मार-पीटकर अधमरा कर दिया और पुलिस ने उसको भर्ती कराकर तुरत-फुरत दफना दिया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: हरिमोहन शर्मा, मैं मजबूर हूं। आपकी पार्टी के लोग आपको नहीं बोलने देते, मेरे पास कोई इलाज नहीं है।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): मैं तो तैयार हूं। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): कानून-व्यवस्था पर ..(व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): वह छात्र था पढ़ने वाला। (व्यवधान) उसको गिरफ्तार कर लिया। (व्यवधान) उसको पुलिस ने ज्यादती करके बंद कर दिया। वो नामजद मुलजिम नहीं था, एक बच्चा था, छात्र था पढ़ने वाला उसको पुलिस ने ज्यादती करके बंद कर दिया।

श्री अध्यक्ष: कानून व्यवस्था इस स्थगन प्रस्ताव के .....(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मेरे जिले के सैकड़ों लोग बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस की रैली में प्रदर्शन कर रहे हैं। इस चौपट हुई कानून व्यवस्था के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): हालत इतनी खराब हो चुकी है अध्यक्ष महोदय, वहां पर मारपीट करके उस लाश को दफना दिया गया और पूरे परिजन को प्रताड़ित किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, एक आदिवासी छात्र जो 11वीं कक्षा में पढ़ता हो उसको संदेह में पकड़ के लाये और रात में बेरहमी से मारा और पूरा थाना जो वहां पर मौजूद था। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मेरी अनुमति के बिना जो बोले उनको अंकित मत करियेगा।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार):×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री अध्यक्ष: आप क्यों खड़े हो बीच में, मैंने कह दिया अलग से मिलिएगा।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): ×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): ×××

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ×××

श्री अध्यक्ष: आपको समस्या के समाधान से तो मतलब है नहीं, आपको मतलब यहां बोलने से है जब मैंने कह दिया कि गृह मंत्रीजी से आप मिलिए और गृह मंत्रीजी आपकी समस्या का समाधान करेंगे।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): ×××

श्री अध्यक्ष: प्रतिपक्ष के नेता आप अपने माननीय सदस्यों को थोड़ा कंट्रोल करें। प्रतिपक्ष के नेता मैं आसन पर खड़ी हूं आप अपने माननीय सदस्यों को थोड़ा कंट्रोल करें।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): ये सब माननीय सदस्य बोलने की कोशिश कर रहे हैं। यह बात सही है कि जो भी आता है विधान सभा में, अपनी बात कहने का उसको अधिक से अधिक मौका मिले, उसमें उसको खुशी भी मिलती है और पब्लिसिटी भी मिलती है, अख़बार में नाम आता है, इलाके में उसको मदद मिलती है तो अब माननीय सदस्य जो बोले उनको एक-एक मिनट बोलने दो उसके बाद में क्या ये टाइम तो ऐसे ही पूरा हो जाएगा और बढ़वा दीजिएगा टाइम आप पाँच बजे बाद और बढ़वा दो, हम आपत्तिजनक कोई बात नहीं उठाएंगे।

श्री अध्यक्ष: आपसे अपेक्षा तो मैं कुछ और करती हूं और बात कर रहे हैं उसकी..

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): ×××

श्री देवीशंकर भूतड़ा (ब्यावर): ×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): ×××

श्री अध्यक्ष: सी.पी. जोशी कैसे खड़े हैं जरा देखिए। (व्यवधान) प्रतिपक्ष के नेता।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, इस बात को तो आप भी अनुभव करती हैं, इलाके में जाती हैं, देखती हैं, राजस्थान में चारों तरफ सबसे अधिक घूमने वाली, अवसर जो आपको मिलता है, लोग-बाग़ सब आते हैं यह तो आप मानेंगी। आप अभिव्यक्ति नहीं करें मेरी बात को क्योंकि अभिव्यक्ति होगी तो वह सरकार के खिलाफ जाती है। माननीय गृह मंत्रीजी के कार्यकाल में त्राहिमाम-त्राहिमाम पूरे राजस्थान के अन्दर सब जगह हो रहा है। सब जगह, सब जगह त्राहिमाम-त्राहिमाम हो रहे हैं। आप एक सात्विक व्यक्ति हैं और भगवान महावीर के आप उपासक हैं लेकिन जो हालत इन दिनों में त्राहिमाम हो रही है यह एक इश्यू है। आज तो माननीय सदस्य जो उठा रहे हैं उनको आप एक-एक मिनट बोलने की इजाजत दे दो, दो दिन की बात है फिर हम अपने-अपने घर चले जाएंगे। ये तो पक्षी हैं उड के आये हैं, चले जाएंगे, वापिस उड़ जाएंगे।

श्री अध्यक्ष: नेता प्रतिपक्ष आप सात बार इस विधान सभा की शोभा बढ़ा चुके हैं और (व्यवधान) बीच में नहीं बोले आप, और आप जानते हैं कि स्थगन प्रस्ताव अब इस तरीके से आने लगे। कभी इससे पहले स्थगन प्रस्ताव

(श्री अध्यक्ष)

इतनी तादाद में आते थे क्या और इस तरह की जनरल बातों पर। कानून व्यवस्था की बिगड़ी हुई स्थिति क्या यह कोई स्थगन प्रस्ताव का विषय है? मुझे आप बताइए जरा कि किस बात को मैं स्वीकार करूं और किस बात के लिए अवसर दूं? इसीलिए फिर भी मैंने संवेदनशील होते हुए कहा कि यदि आप चाहे तो मेरे कमरे में मैं गृह मंत्रीजी को बुलाऊं, आपको भी बुलाऊं आपकी अलग-अलग बात कराऊं जैसा कि कल मूसाखेड़ा के मामले में हुई थी और वो संतुष्ट हो गये जुबेर खां जी उसी तरीके से आप कहें तो मेरे चैम्बर में बुलाऊं, चाय भी पिलाऊंगी आपको साथ में और या फिर आप उनसे वैसे मिल लें वो तो वैसे भी जैसा कि उनको दे दिया ही आपके प्रतिपक्ष के नेता ने कि बहुत सात्विक पुरूष हैं वो, इसलिए कोई सात्विक आदमी गलत काम तो करता नहीं है, इसलिए मैं आपसे कह रही हूं कि आप इस बारे में पुनः विचार करें माननीय नेता प्रतिपक्ष, कि स्थगन प्रस्ताव के जरिए किन बातों पर, हमको किन विषयों पर यहां पर सदस्यों को अनुमति देनी चाहिए अपनी बात कहने की। अगर आप मेरी बात से सहमत नहीं हो (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): ×××

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): सहमत हूं। लेकिन यह मौका सब माननीय सदस्यों को और मुझे भी यह मौका मिला है आपके सदारत में पहली बार मिला है, पहले मैं रहा हूं लेकिन यह मौका, जो आपका व्यापक सम्पर्क है राजस्थान में उसके आधार पर हर आदमी, हर माननीय सदस्य आशा करता है (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय मेरी बात को.....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: देखिए जो इम्पोंटेन्ट बात थी परसों की बात थी उस पर मैंने समय दिया। ये कार्यशाला की बात है इस पर मैंने समय दिया, जल ग्रहण योजना की बात है उस पर मैंने समय दिया और अमरारामजी को किसानों की समझौते की बात थी उस पर मैंने समय दिया। जो इम्पोंटेन्ट इश्यूज है, जनहित के इश्यूज है उनके ऊपर मैंने बोलने का मौका दिया है।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): यह बात सही है कि आपका उदार मन है लेकिन....(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): ×××

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): ×××

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): ×××

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): ×××

श्री अध्यक्ष: आप बताइए मामला अण्डर इन्वेस्टिगेशन है। बीच में नहीं बोलिए।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): ×××

श्री अध्यक्ष: कब का मामला है ये?

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): ×××

श्री अध्यक्ष: वन एट ए टाइम।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): ×××

श्री अध्यक्ष: मुकदमा दर्ज करा लीजिए।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): ×××

श्री अध्यक्ष: गृह मंत्रीजी, यदि मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है तो मुकदमा दर्ज करा लीजिए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, ये जिस मॉडल टान सवाई माधोपुर के थाने के बारे में विषय आपने उठाया है।

अब्दुल कलाम ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई, उसके कुछ सामान की चोरी हो गई और वह 141/6 मुकदमा 12 बजकर 20 मिनट पर दर्ज हुआ, कुछ समय बाद ही उसने वापस ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कौन सी तारीख को ?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): बता रहा हूं। 1.10.2006 को 12 बजकर 20 मिनट पर मुकदमा दर्ज हुआ। थोड़ी देर बाद उसने फिर थाने पर टेलीफोन किया कि फलां आदमी मेरे इस माल को लेकर जा रहा है। पुलिस ने उस आदमी को माल सहित पकड़ कर थाने पर ले आए। लगभग यह एक बजे की घटना थी और 1.20 पर उसके उल्टी हुई उसके कारण से उसको हास्पिटल भर्ती कराया, वहां पर शाम को ही मजिस्ट्रेट को बुला लिया, सात बजे उसके बयान लेने के लिए, मजिस्ट्रेट के सामने उसके बयान नहीं हो सके और उसकी कुछ ही देर बाद मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में ही उसकी डैथ हो गई, मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में ही उसका पोस्टमार्टम कराया, बोर्ड से कराया।

श्री अध्यक्ष: बयान नहीं दे पाया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): बयान नहीं दे पाया और उसका मुकदमा दर्ज हो गया। मुकदमा दर्ज हो गया ...(व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): ×××

श्री अध्यक्ष: आप टोकिए मत।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): ×××

श्री सुरेश मीणा (करौली): ×××

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): ऐसा है कि आपके कहने से कुछ नहीं हो सकता, आप चिल्ला करके अगर आप चाहो...(व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): आपको सारे तथ्य बता रहा हूं।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): हल्ला करके आप इस तरह से बात करते हैं?

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): उसकी मृत्यु हुई है, मेडिकल बोर्ड ने अपनी कोई रिपोर्ट में कुछ नहीं कहा, एफएसएल की रिपोर्ट के आधार पर ही निर्णय करेगा। यह उसने अपनी फाइंडिंग पैंडिंग रखी, मुकदमा दर्ज हुआ और हमने सोचा कि उस थाने के लोग कहीं इस मुकदमे में दखलअंदाजी नहीं करें, चार लोगों को तुरन्त वहां से हटाया, डीवाई.एस.पी. को इसकी जांच दी है, जो इसकी जांच कर रहा है, एक तारीख की घटना है और आज 5 तारीख है।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): ×××

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): ऐसे तो कोई इलाज नहीं है।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): ×××

श्री सुरेश मीणा (करौली): ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): ××× उसकी एफआईआर दर्ज है और उसको माल सहित थाने पर ले आए जो उसने माल चोरी किया।

श्री सुरेश मीणा (करौली): ×××

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): आप क्या चाहते हो ? कार्यवाही चाहते हो न? आप क्या चाहते हो यह बता दो न । (व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): वहां से चार लोगों को हटा दिया, जो जांच कर रहा है उसको हटा दिया, तीन कांस्टेबल वहां से हटा दिये, जांच डीवाई.एस.पी. को दे दी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः खण्डार से आने वाले माननीय सदस्य और सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, नियमों का पालन करें, इस प्रकार से खड़े नहीं रहें।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): ×××

श्री अध्यक्षः या तो स्थान ग्रहण करें या बाहर चले जाएं, मैं इस सदन को नियमों से चलाऊंगी, नो नो। आपकी हठधर्मिता नहीं चल सकती।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री अध्यक्षः आप भी जाओ उस प्रदर्शन में।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री अध्यक्षः आप जाओ।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री अध्यक्षः अंकित नहीं हो।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): ×××

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): ×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): ×××

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): ×××

श्री अध्यक्षः आप कौन से नियम में खड़े हैं, कौन से नियमों में बोल रहे हैं।

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): ×××

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): ×××

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): ×××

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): ×××

श्री सुरेश मीणा (करौली): ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): आपने मेरी बात सुनी नहीं।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): ×××

श्री अध्यक्ष: गृह मंत्रीजी, न तो वह बैठेंगे और न ही वे सुनेंगे। (व्यवधान) आप काहे के लिए कह रहे हैं? मैंने हरिमोहनजी का नाम पुकार लिया, सुनने को तैयार नहीं हैं। क्या फायदा ? (व्यवधान) वे एक मठ की तरह खड़े ही रहते हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): आपने उसके पहले ही हल्ला कर दिया।

श्री अध्यक्ष: उन्होंने फैसला ही कर लिया कि मुझे खड़े ही रहना है।

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): ×××

श्री अमराराम (धोद): ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): शायद आपने मेरी बात सुनी नहीं इस आवाज में।

श्री अध्यक्ष: चार तो बदल दिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): अब आपने विषय उठाया उसके पहले ही, यह एक तारीख की घटना है, आज अपन पांच तारीख में हैं, मैं यह सब कार्यवाही कर चुका हूं। मैंने वहां के थाने के इंचार्ज से लेकर तीन सिपाही, चारों को उससे पहले ही कि इसमें जांच में कहीं दखलअंदाजी न हो, उनको वहां से हटा दिया गया और एक एस.डी.एम. को जांच अधिकारी बनाकर के लगा दिया।

श्री अध्यक्ष: और क्या चाहते हो, फालतू में टाइम बरबाद कर रहे हो।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): और उसके बाद जब इसकी रिपोर्ट आएगी और सी.ओ. को उसकी जांच दी है, जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पत चलेगा और जो मेडिकल बोर्ड बना, उसमें उन्होंने अपनी कोई राय जाहिर नहीं की। बाहरी चोट कोई नहीं थी। (व्यवधान) एक सैकण्ड सुन लो, जल्दी क्या है? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: क्या कर रहे हो? बीच-बीच में खड़े होते हो, सुनते नहीं हो बात।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): मेडिकल बोर्ड का जो निर्णय है, वो उन्होंने अभी कैप्ट-इन-अबेयेंस रखा है और उन्होंने यह कहा कि एफ. एस. एल. की जांच के बाद ही वह मेडिकल बोर्ड अपनी राय इसमें देगा कि क्या है। यह उन्होंने अभी नहीं दी है। यह सारी कार्यवाही मैंने कर ली है और आपको यकीन दिला रहा हूं कि किसी भी अपराधी को चाहे वो पुलिस का हो, चाहे कोई भी हो, अगर उसकी पिटाई के कारण से या कोई आंतरिक चोट के कारण से उसकी डैथ हुई है तो निश्चित रूप से मुकदमा दर्ज कर लिया है उनके खिलाफ, उनके खिलाफ मुकदमा नम्बर 17/06 अलग से दर्ज कर लिया है। जो भी कार्यवाही मुझे करनी है वह मैने की है, अब आप बोलना चाहें तो मैं आपको रोक नहीं सकता। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): ×××

श्री अध्यक्ष: अब क्या बताऊं, क्या नहीं बताऊं, सारी बात तो बता दी। (व्यवधान)

श्री मुरारी लाल मीणा (बांदीकुई): ×××

श्री सुरेश मीणा (करौली): ×××

श्री अध्यक्ष: वह तो बता दिया। (व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): ×××

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): ×××

श्री अध्यक्ष: इसमें कोई इनका एक्शन ऐसा हो कि..... (व्यवधान) अब आप माननीय नेता, प्रतिपक्ष बात को कहां ले जा रहे हो। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): मैं तो आपके....(व्यवधान) आप फरमा दीजिये।

श्री अध्यक्ष: मेरे हो तो क्या हुआ? (व्यवधान) आप बात को कहां लेकर के जा रहे हैं। गलत बात है, मुद्दे पर आने दीजिये। उन्होंने जवाब दे दिया। इस मुद्दे से सम्बन्धित कोई बात हो तो आप कह दीजिये। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आपके निर्वाचन क्षेत्र में, हमारे अध्यक्ष महोदय के निर्वाचन क्षेत्र में ऐसा है तो गृह मंत्रीजी... (व्यवधान) आपसे झुन्झुनूं के पत्रकारों का डेलीगेशन मिला और उन्होंने शिकायत की। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैं मेरी पैरवी करने में सक्षम हूं, आपको मेरी पैरवी करने की आवश्यकता नहीं है। मैं सक्षम हूं। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आपके खुद के घर में जो ज्यादती हो रही है, मैं एज ए सिटीजन, एज ए एम.एल.ए., एज ए लीडर प्रतिपक्ष, आपकी अनुमति से पाइंट आउट कर रहा हूं कि इन्होंने क्या किया। इनसे डेपुटेशन मिला है। इतनी बेरहमी से किया, आप एक्शन तो करते नहीं हो इसलिए जो अराजकता का माहौल पुलिस के खिलाफ, आपके और आपकी सरकार के खिलाफ फैल रहा है, वह आपके एक्शन के अन्दर जो निष्क्रियता है उससे हो रहा है सारा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: वहां आप जाकर के भाषण तो दो। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

श्री अमराराम (धोद): ×××

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ×××

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं चालू करूं?

श्री अमराराम (धोद): ×××

श्री अध्यक्ष: श्री हरिमोहन शर्मा, प्रारम्भ करें।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): ×××

श्री अमराराम (धोद): ×××

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): ×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके निर्देशों के अनुसार प्रक्रिया के अन्तर्गत स्थगन प्रस्ताव पर जो आपने मुझे दो मिनट का समय दिया उस पर अपनी बात आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): ×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

अनुसूचित जाति की कार्यशालाओं के लिए अनुदान राशि का आबंटन करने संबंधी

श्री अध्यक्ष: मैं किसी वेग विषय के ऊपर स्थगन प्रस्ताव को मंजूर करने में नियमानुसार मजबूर हूं। आपका विषय है कि सिरोही में व्यवस्था बहुत खराब हो गई। (व्यवधान) अब आप स्थान ग्रहण करें। स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जो बात सामके और सदन के सामने ला रहा हूं वह इतनी महत्वपूर्ण बात है कि उसको सुनकर सदन के रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि....

श्री अध्यक्ष: रोंगटे खड़े हो जाएंगे?

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): वर्तमान सरकार जो अनुसूचित जाति की पक्षधर बनती है, जो अनुसूचित जाति के मंत्री हैं उनके कार्यकलापों के हिसाब से, सरकार के काम करने के तरीके से किस प्रकार से अनुसूचित जाति के लोग किस प्रकार से पूरे राजस्थान में परेशान हैं...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मुद्दे पर आओ, भूमिका में रह जाओगे। मुद्दे पर आ जाओ आप, मुद्दे पर आओ।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): मुद्दे पर ही तो आ रहा हूं। बिना भूमिका के मुद्दे में जोश नहीं आता है।

श्री अध्यक्ष: मुद्दे पर आओ।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में बहुत समय पहले से एक कार्यशाला योजना चल रही है। उस कार्यशाला योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को उनका कर्म करने के लिए, उनका व्यवसाय करने के लिए कार्यशाला के नाम से एक स्थान पर उनको निर्माण करने की इजाजत दी जाती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले उस पर 6 हजार रुपया अनुदान दिया जाता था और कुछ वर्षों से उस पर अनुदान 10 हजार रुपया दिया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने यह पढ़कर के सुनाना चाहता हूं कि राजस्थान में इस समय गत चार वर्षों के आस-पास से यह वर्तमान सरकार, वर्तमान समाज कल्याण विभाग और वर्तमान समाज कल्याण मंत्री, जो अनुसूचित जाति के हैं, ये या तो सेज के मामले में विवाद पैदा करते हैं या ये हज हाउस में विवाद पैदा करते हैं या इमानुअल में विवाद पैदा करते हैं या अपना सारा समय आर्थिक दृष्टिकोण से सम्पन्न होने की ओर लगा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: आप मुद्दे पर आओ।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): मेरा आपसे निवेदन है कि पूरे राजस्थान में मैं जिलेवाइज आपको पढ़कर के सुनाना चाहता हूं कि पूरे जिलों में गत चार वर्षों से अजमेर में 8 लाख 10 हजार, जिन लोगों ने अपना निर्माण काम पूरा कर लिया, जो वहां पर बैठे हुए हैं उनको अनुदान की राशि

(श्री हरिमोहन शर्मा)

गत चार साल और तीन साल से, यह पूरी की पूरी राशि आज तक नहीं दे पा रहे हैं। वो पंचायत समिति का चक्कर काट रहे हैं, वो जिला कलक्टर के चक्कर काट रहे हैं, वो समाज कल्याण विभाग का चक्कर काट रहे हैं और बार-बार परेशान होकर के इतने चक्कर काटने पर भी उनको कोई राशि नहीं मिली।

श्री अध्यक्ष: बारां से आने वाले माननीय सदस्य, बैठकर बात करें।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अजमेर में इस समय 8 लाख 10 हजार की राशि बकाया है, अलवर में 4 लाख की राशि बकाया है, भीलवाड़ा में 9 लाख की राशि बकाया है, भरतपुर में 10 लाख की राशि बकाया है, बीकानेर में 4 लाख की राशि बकाया है, बाड़मेर में 46 लाख 49 हजार की राशि बकाया है, बूंदी में 9 लाख की राशि बकाया है, बांसवाड़ा में 8 लाख 59 हजार की राशि बकाया है, बारां में माननीय मंत्री जी के घर में 3 लाख रुपये की राशि बकाया है, चित्तौड़गढ़ में 12 लाख 74 हजार की राशि बकाया है, चूरू में 19 लाख 22 हजार की राशि बकाया है, धौलपुर में 6 लाख 87 हजार की राशि बकाया है, डूंगरपुर में 10 लाख 8 हजार की राशि बकाया है, दौसा में 3 लाख 22 हजार की राशि बकाया है और जयपुर में 79 लाख 63 हजार की राशि बकाया है, जोधपुर में 1 करोड़ 16 लाख 5 हजार की राशि बकाया है, जालोर में 19 लाख की राशि बकाया है, जैसलमेर में 6.23 लाख की राशि बकाया है, झालावाड़ में जहां माननीय मुख्य मंत्रीजी निवास करती हैं वहां 23.60 लाख की राशि बकाया है, कोटा में 47 लाख की राशि बकाया है, नागौर में 54 लाख 90 हजार की राशि बकाया है, पाली में 32 लाख की राशि बकाया है, राजसमन्द में 10 लाख की राशि बकाया है, सवाईमाधोपुर में 30 लाख की राशि बकाया है, गंगानगर में 38 लाख की राशि बकाया है, सिरोही में 8 लाख की राशि बकाया है, टोंक में 39 लाख की राशि बकाया है, उदयपुर में 28 लाख की राशि बकाया है, हनुमानगढ़ में 8 लाख की राशि बकाया है, करौली में 22 लाख की राशि बकाया है और इस प्रकार राजस्थान में अनुसूचित जाति के लोगों का जिन्होंने अपनी कार्यशाला का निर्माण कर दिया, पूरे राजस्थान में 7 करोड़ 19 लाख रुपया बकाया है। उन लोगों का क्या होगा? दूसरी ओर माननीय अध्यक्ष महोदय, खाली राशि ही बकाया नहीं है....

श्री अध्यक्षः यह योजना कब प्रारम्भ हुई? आप यह मेरा जवाब तो दें।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): लगातार यह अनुसूचित जाति की हमदर्दी करने वाली सरकार, कार्यशाला के जो भी टार्गेट हैं गत सरकार के मुकाबले में ये कार्यशाला के टार्गेट हर वर्ष कम करते जा रहे हैं।

श्री अध्यक्षः यह कार्यशाला की योजना कब प्रारम्भ हुई, यह तो बताओ।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): गरीबों का उत्थान करने के नाम पर अनुसूचित जाति पर जो अत्याचार हो रहा है, यह कांग्रेस की रैली इन प्रतिरोधों के खिलाफ है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः बस हो गया। अब जवाब दे रहे हैं मंत्रीजी। हो गया।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): यह कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की आवाज है। पूरे राजस्थान की रैली इस बात के लिए है कि वर्तमान मंत्री, न तो इनका कर्म की ओर ध्यान है, पूरे राजस्थान में इनको पूरे बजट का एक प्रतिशत हिस्सा मिलता है....

श्री अध्यक्षः कृपया समाप्त करें। श्री भरत सिंह। कृपया समाप्त करें।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): उस एक प्रतिशत हिस्से को खर्च करने की चिंता नहीं है। इनका अगर कोई ध्यान है तो साम्प्रदायिक उन्माद पैदा करने की तरफ ध्यान है। इनका कोई ध्यान है तो ईसाई संस्थाओं को बंद करने की तरफ ध्यान है।

श्री अध्यक्षः कृपया समाप्त करें।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): इनका अगर ध्यान है तो साम्प्रदायिक तनाव पैदा करने की ओर ध्यान है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः अंकित नहीं हो। अब अंकित नहीं हो रहा है। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ×××

श्री अध्यक्षः अंकित नहीं हो रहा है। अब अंकित नहीं होगा।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ×××

श्री अध्यक्षः आप अपनी ऊर्जा यूं ही खतम कर रहे हैं। वह अंकित नहीं हो रहा है। अपनी ऊर्जा यूं ही खतम कर रहे हो इसलिए स्थान ग्रहण कर लें। आप अपनी ऊर्जा को यूं खत्म मत करो।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ××× (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी, इस बारे में कुछ कहना है तो आप यह भी बताइयेगा कि यह योजना कब प्रारम्भ हुई और यह पैसा कितने दिनों का बकाया है, इतना बता दीजिये कि कब तक हो जायेंगे, ताकि शांत ये हो जायें।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ×××

श्री अध्यक्ष: आपकी बात सुन ली। अब अंकित नहीं हो रहा है। अब अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं हो रहा है।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ×××

श्री अध्यक्ष: हां, आप बोलिये। अब आप सुनिये मिस्टर हरिमोहनजी, सुनिये अब आप। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ×××

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कर लें, स्थान ग्रहण करें।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ×××

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, कार्यशाला के बारे में माननीय सदस्य ने तथाकथित रूप से चिंता जाहिर की है...(व्यवधान) हां, यह वास्तविक नहीं है, यह चिंता वास्तविक नहीं है इसलिए तथाकथित कहा है, यह तथाकथित है।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ×××

श्री अध्यक्ष: आपको बार-बार उठने की अनुमति नहीं है। आप शब्द नहीं डाल सकते इनके मुंह में। आपको बार-बार उठने की अनुमति नहीं है। नो, अंकित नहीं हो, नो।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ×××

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, कार्यशाला का पैसा लगभग चार साल पहले से बकाया बता रहे हैं, उसके कारण हैं। कारण यह है कि...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यह योजना कब से प्रारम्भ्‍ा हुई थी?

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): प्रारम्भ तो लगभग 15 साल पहले यह योजना हो गई थी। यह जो कार्यशाला के बारे में कह रहे हैं, इन्होंने सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए प्रारम्भ की थी...(व्यवधान) तो अच्छी लोकप्रियता के लिए...

श्री अध्यक्ष: देखो, यह राजनैतिक भाषा नहीं बोलें। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): × × ×

श्री अध्यक्ष: Mister Hari Mohan, I call your name. मैं आपको नाम से पुकारूंगी। यह क्या तरीका है? जब मैंने कह दिया कि राजनैतिक भाषा का प्रयोग नहीं करें आप और बात का सीधे-सीधे जवाब दे दें तो आप बीच में खड़े हो गये, फिर उत्तेजित हो जाते हो। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): काफी लोकप्रियता हासिल करने के लिए और इन्होंने किया क्या कि वहां अपने स्तर पर लोगों से कह दिया कि आप कार्यशाला बनाइये। कार्यशाला की स्वीकृति जारी हुई नहीं और कार्यशाला निर्माण मौखिक रूप से कहने पर लोगों ने कर ली। स्वीकृतियां निकली नहीं और अब लोग हमारे पास आते हैं कि हमने कार्यशाला निर्माण कर ली है, हमको भुगतान कीजिये। बिना स्वीकृति के कार्यशालाओं का भुगतान नहीं होता है, नम्बर एक। नम्बर दो यह है कि कार्यशाला निर्माण करने के लिए हम दो किश्तों में पैसा उपलब्ध करवाते हैं। पहली किश्त देते हैं, पहली किश्त का उपयोग करने के बाद हम दूसरी किश्त उपलब्ध करवाते हैं। पहली किश्त तो ले लेते हैं, उसका उपयोग नहीं करते हैं, उपयोगिता प्रमाण-पत्र नहीं देते हैं और दूसरी किश्त की डिमांड करने के लिए आ जाते हैं तो यह इस प्रकार की राशि है जिसने जहां पर कार्यशाला का निर्माण नहीं हो जाता और उसका उपयोगिता प्रमाण-पत्र हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर के कार्यालय में या बी.डी.ओ. के कार्यालय में नहीं आ जाता, तब तक दूसरी किश्त जारी नहीं की जा सकती है और इसलिए माननीय विधायक महोदय इस प्रकार की चिंता कर रहे हैं। इनको कानून एवं नियमों की जानकारी नहीं है। मैं चाहता हूं कि माननीय विधायक महोदय पूरा अध्ययन करके आयें और फिर यहां सदन में इस प्रकार की चर्चा करें। मैं आश्वस्त कर रहा हूं इस सदन को, कि जिन्होंने नियमानुसार कार्यशाला बनाई है, जिनको स्वीकृति जारी हुई है, उनका किसी का भी एक भी पैसा नहीं रोकूंगा...

(13.05 बजे)

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

एक महीने के अन्दर-अन्दर सबको भुगतान हो जायेगा लेकिन जो सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए झूठे आश्वासन देकर इनसे बनवा लिये हैं, उन्हें भुगतान नहीं होगा, किसी कीमत पर नहीं होगा। ये लोगों को भड़काते हैं, अन्याय करते हैं और...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ×××

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): मुझे यह जानकारी मिली है कि माननीय सदस्य कुछ लोगों से यह वादा करके आये हैं, उन्हें कहा है कि पांच प्रतिशत राशि मुझे दे देंगे तो मैं वहां से स्वीकृतियां निकलवा दूंगा। मुझे जानकारी मिली है कि पांच प्रतिशत में सौदा करके आये हैं माननीय सदस्य कि पांच प्रतिशत राशि इनको दे दी जाये तो ये यहां दबाव बनवाकर स्वीकृति करवा देंगे। लेकिन यह सदन और मैं इनके दबाव में आने वाला नहीं हूं। नियमानुसार कार्यवाही करेंगे। इनकी कमीशन खाने की आदत रही है और लगातार कमीशन खाने की आदत रही है इनकी और यहां दबाव में कमीशन खाकर कार्यवाही कराना चाहते हैं। यह किसी कीमत पर नहीं होने देंगे हरिमोहन जी...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ×××

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): ऐसा है, मैं गरीब बाप का बेटा हूं। मैं कपड़े बेचता था, मैं सब्जी बेचता था, मैं मजदूरी करता था। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री अर्जुन सिंह (दानपुर): ×××

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): धन्य हैं मेरे मां-बाप, जिन्होंने सारी विषम परिस्थितियों में भी मुझे पढ़ा-लिखाकर यहां खड़ा किया है। (व्यवधान) आपको कमीशन नहीं खाने दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। श्री भरत सिंह।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ×××

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। आप स्थान ग्रहण कीजिये। श्री भरत सिंह।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ×××

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ×××

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ×××

श्री अर्जुन सिंह (दानपुर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। श्री भरत सिंह।

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): वह सब कर देंगे। एक माह के अन्दर इनका भुगतान कर देंगे।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री भरत सिंह। मैं आपको परमिशन नहीं दूंगा माननीय सदस्य।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): ×××

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप दूसरे तरीके से आइये।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): ×××

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): एक माह में कर देंगे। एक माह के अन्दर सारा भुगतान कर देंगे।

श्री अर्जुन लाल मीणा: ×××

श्री बृजकिशोर शर्मा : ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप अपना स्थान ग्रहण करें, आपका अंकित नहीं होगा।

श्री अर्जुन लाल मीणा: ×××

श्री बंशीलाल खटीक: ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, श्री भरत सिंह। माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा: ×××

श्री बंशीलाल खटीक: ×××

श्री हरिमोहन शर्मा: ×××

श्री अर्जुन लाल मीणा: ×××

श्री बंशीलाल खटीक: ×××

श्री हरिमोहन शर्मा: ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। अंकित नहीं हो रहा है। (व्यवधान) माननीय सदस्य। श्री भरत सिंह। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री बंशीलाल खटीक: ×××

श्री हरिमोहन शर्मा: ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री बंशीलाल खटीक: ×××

श्री उपाध्यक्ष: श्री भरत सिंह। माननीय सदस्य, आप विराजें। आप क्यों समय खराब कर रहे हैं अपना। श्री भरत सिंह। माननीय सदस्य। (व्यवधान) नहीं।

श्री श्रवण कुमार: ×××

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, मैंने सदस्य का नाम पुकार लिया, बीच में मैं आपको अलाउ नहीं करूंगा, नहीं, माननीय सदस्य।

श्री श्रवण कुमार: ×××

श्री बंशीलाल खटीक: ××× (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: हरिमोहनजी को समय दिया था...(व्यवधान) आपको अलाऊ नहीं करूंगा मैं।

श्री बृजकिशोर शर्मा : ×××

श्री श्रवण कुमार: ×××

श्री उपाध्यक्ष: आपको समय दिया था दो मिनट का, मंत्री का जवाब आ गया, दूसरा तरीका अपनाइये। माननीय श्री भरत सिंह। इस पर बहस नहीं होगी लम्बी-चौड़ी।

श्री श्रवण कुमार: ×××

डा. चन्द्रशेखर बैद: ×××

श्री बृजकिशोर शर्मा : ×××

श्री श्रवण कुमार: ×××

श्री उपाध्यक्ष: आपका कोई अंकित नहीं हो रहा है।

श्री श्रवण कुमार: ×××

श्री उपाध्यक्ष: अब माननीय सदस्य का मैंने नाम पुकार लिया, आप उनको बोलने दीजिये। माननीय सदस्य, आप बैठ जाइये, बीच में नहीं आप। माननीय सदस्य।

श्री बद्रीलाल जाट: ×××

श्री बंशीलाल खटीक: ×××

श्री श्रवण कुमार: ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये, माननीय सदस्य। (व्यवधान) माननीय सदस्य।

श्री बंशीलाल खटीक: ×××

श्री उपाध्यक्ष: कोई अंकित नहीं होगा। (व्यवधान) माननीय सदस्य।

श्री नन्दलाल पूनिया: ×××

श्री उपाध्यक्ष: अपने सदस्य को बोलने के लिए आप बीच में व्यवधान नहीं डालें। (व्यवधान) आप पहले सदस्य को बोलने दीजिये, आप स्थान ग्रहण कीजिये। कोई अंकित नहीं हो रहा है।

श्री नन्दलाल पूनिया: ×××

श्री अर्जुन लाल मीणा: ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। यह विषय अब समाप्त हो चुका है।

श्री अर्जुन लाल मीणा: ×××

श्री उपाध्यक्ष: हो गया।

श्री अर्जुन लाल मीणा: ×××

श्री उपाध्यक्ष: यह अभी तय नहीं होने वाला है, माननीय सदस्य।

श्री अर्जुन लाल मीणा: ×××

श्री नन्दलाल पूनिया: ×××

श्री मांगीलाल गरासिया: ×××

डा. चन्द्रशेखर बैद: ×××

श्री अर्जुन लाल मीणा: ×××

श्री बंशीलाल खटीक: ×××

श्री उपाध्यक्ष: राजसमंद से आने वाले माननीय सदस्य, विराजें। माननीय सदस्य।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल: ×××

श्री जोगेश्वर गर्ग: ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। (व्यवधान) कुछ भी अंकित नहीं हो रहा। माननीय सदस्य। श्री भरत सिंह।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल: ×××

श्री बृजकिशोर शर्मा: ×××

श्री बंशीलाल खटीक: ×××

श्री हरिमोहन शर्मा: ×××

श्री बद्रीलाल जाट: ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री अर्जुन लाल मीणा: ×××

श्री हरिमोहन शर्मा : ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, दूसरे सदस्य भी...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : ×××

श्री बंशीलाल खटीक: ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये। श्री भरत सिंह। माननीय सदस्य।

सरसों के समर्थन मूल्य में प्रस्तावित कटौती

श्री भरत सिंह (दीगोद): माननीय उपाध्यक्षजी, मैं इस सदन का ध्यान कृषि से संबंधित जो समस्याएं हैं प्रदेश के किसानों के सामने, उसकी ओर दिलवाना चाहूंगा। रबी की प्रमुख फसल राजस्थान की सरसों की फसल है और कृषि में जहां लागत बढ़ रही है उसके अनुरूप आमद नहीं बढ़ रही, मगर पिछले कुछ दिनों में समाचार प्रकाशित हुए कि जो सरसों का समर्थन मूल्य है उसमें 115 रुपये क्विंटल की कमी की जायेगी। जब हमारी लागत बढ़ रही है और कोई भी समर्थन मूल्य इस प्रकार कम कर देना, इस राजस्थान के किसानों के लिए सबसे चिंताजनक बात है। (व्यवधान) आप सुनिये मेरी बात, उलझाइये मत बातों को। कृषि स्टेट सब्जेक्ट है और प्राइसेस सेंट्रल गवर्नमेंट से जो है उसकी प्राइसेस का नियंत्रण वहां से होता है मगर कृषि है स्टेट सब्जेक्ट। अब इसके अंदर पक्ष और विपक्ष चूंकि मामला राजस्थान के किसानों से संबंधित है और राजस्थान की प्रमुख फसल रबी की प्रमुख फसल सरसों हैं और राजस्थान के किसानों की यह मजबूरी भी है कि हमारे पास पर्याप्त पानी नहीं है और प्रदेश में पर्याप्त बिजली भी नहीं है इसलिए कम पानी और कम

(श्री भरत सिंह)

बिजली से जो एक सिंचाई से हम फसल पैदा कर सकते हैं उसको इस प्रदेश के किसानों ने उस फसल को अपनाया है। यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि यह घोषणा आने के बाद भी राजस्थान सरकार की तरफ से किसी ने कोई एक बयान नहीं दर्ज किया कि यह समर्थन मूल्य क्यों कम किया जा रहा है, इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों को मिलकर यह संकल्प पारित करना चाहिए कि इस प्रकार से समर्थन मूल्य कम नहीं किया जाय।

दूसरी चीज, जो हमारा सहकारी ऋण है, जो हम ब्याज देते हैं, सहकारी पर जो ऋण देते हैं, 2200 करोड़ रुपये का सरकारी हमारा कृषि का जो लोन है वह साढ़े ग्यारह प्रतिशत ब्याज दर से किसानों से ब्याज वसूल किया जाता है। सहकारी का पूरा ऋण स्टेट सब्जेक्ट है और स्टेट गवर्नमेंट को यह अधिकार है कि उस ऋण की मात्रा को कम किया जाय। मैं इस सदन के माध्यम से कहूंगा कि सहकारी मंत्री यहां विराजमान हैं, यह जो सहकारी का ऋण है, किसानों से सात प्रतिशत की दर पर ब्याज वसूल किया जाय, न कि साढ़े ग्यारह प्रतिशत की दर से जो किया जा रहा है और यह सेंट्रल केबिनेट का डिसीजन भी इसके ऊपर हुआ है, गवर्नमेंट ने डिसीजन भी लिया है कि हम एग्रीकल्चर के प्राइसेस कम करने के लिए, लोगों को राहत के लिए हम जो ऋण की रेट्स हैं उसको कम करेंगे, क्योंकि अधिकांश ऋण सहकारी विभाग के माध्यम से दिया जाता है और सहकारी विभाग टोटली स्टेट सब्जेक्ट है इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई लेना-देना नहीं है, इसलिए सहकारी मंत्रीजी इस बात का सदन को विश्वास दिलायें कि हम सहकारी ऋण सात प्रतिशत पर किसानों को उपलब्ध करायेंगे।

तीसरी चीज, बुवाई का समय है और खाद की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, खाद की कालाबाजारी चल रही है। इसकी भी व्यवस्था जो संबंधित विभाग है, वह इसके बारे में व्यवस्था करे ताकि किसानों को खाद मिले। यह तीनों चीजें प्रदेश के किसानों से जुड़ी है और इसमें मैं चाहूंगा कि पक्ष और विपक्ष जो समर्थन मूल्य है उसमें कटौती न करने की बजाय बढ़ोत्तरी की जाय क्योंकि लागत बढ़ी है, खर्चा बढ़ा है इसलिए उसको बढ़ाने के लिए किसानों को उसके अंदर बढ़ोत्तरी की जाय और जो सहकारी ऋण है उसमें कटौती की जाय और अगर सहकारी मंत्री समझें तो इसके बारे में अपना वक्तव्य दें और आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का, अध्यक्षजी ने समय दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (संसदीय कार्य मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, यह सही है जो माननीय सदस्य ने चिंता व्यक्त की है, सरसों के समर्थन मूल्य के घटने की और यह भी इन्होंने सही-सही कहा है कि यह पूरा काम नेशनल एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन, भारत सरकार करता है। जिसके चेयरमैन मिस्टर हक हैं मैं समझता हूं कि जिस तरह से इन्होंने चिन्ता व्यक्त की है आपका भी प्रभाव है आप प्रतिपक्ष के नेता को भी कहें ये भी केन्द्रीय सरकार से बात करें और किसानों का समर्थन मूल्य जो कम करने की साजिश रची जा रही है उपाध्यक्ष महोदय, कहां 1715 रुपये था समर्थन मूल्य उसको घटाकर 1600 रुपये किया जा रहा है।

श्री अमराराम (धोद): मंत्रीजी, संकल्प पास कराओ, संकल्प लेकर आइये हम तो कह रहे हैं इधर से।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ठीक है।

श्री अमराराम (धोद): संकल्प विधान सभा पास करके भेजे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ठीक है हम संकल्प लेकर आ रहे हैं।

श्री अमराराम (धोद): संकल्प करो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सर्वसम्मत ला रहे हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यह अभी मैं समझता हूं कि...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आप सबकी मंशा है ...

एक माननीय सदस्य : मंत्रीजी, कल ही ले आइये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अगर आपकी मंशा है तो सरकार संकल्प लाने के लिए तैयार है ।

एक माननीय सदस्य: मंत्रीजी, संकल्प कल ही लाइये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अगर प्रतिपक्ष के नेता इसमें हां करें ...(व्यवधान) संकल्प ले आते हैं उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से संकल्प ले आएंगे।

एक माननीय सदस्य: हां, हां करिये प्रतिपक्ष के नेता महोदय संकल्प ले आते हैं।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): संकल्प जुबानी कैसे लाएंगे लिखकर ढंग से लेकर आइये और अभी थोड़े...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है।

श्री जोगेश्वर गर्ग: हां-हां, आप हां तो बोलें, हां बोलें आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आप हां करें, हम संकल्प लेकर आते हैं विधिवत नियमों से, उपाध्यक्ष महोदय, आपको मालूम है कि संकल्प अगर हम लाएंगे तो आपकी अनुमति लेनी पड़ेगी आसन को हमें लिखित में देना पड़ेगा संकल्प सर्वसम्मत हो इसलिए हमारा प्रस्ताव है कि प्रतिपक्ष के नेता इसको स्वीकार करते हैं तो हम आज ही संकल्प लेकर आने को तैयार हैं। प्रतिपक्ष के नेता स्वीकार करें इसको।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सारी बात यहां नहीं होती है यह अध्यक्षजी के चैम्बर में सारी पार्टियों के ...(व्यवधान)

श्री जोगेश्वर गर्ग: यहां क्यों नहीं हो सकती? यहां भी हो सकती है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): ...(व्यवधान) चैम्बर के अन्दर आपका संकल्प लाना है तो क्या लाना है ...(व्यवधान)

श्री जोगेश्वर गर्ग: यहां भी हो सकता है यहां नहीं कर रहे हो तो आपके मन में खोट है। यहां नहीं कर रहे हो मतलब आपकी नीयत में खोट है। यहां नहीं कर सकते मतलब आपकी नीयत में खोट है। आप किसानों के हित में निर्णय करना नहीं चाहते ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि भरतसिंहजी ने जो प्रस्ताव रखा है सरकार उसका समर्थन कर रही है। आप विरोध कर रहे हैं। आप विरोध कर रहे हैं। ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): ...(व्यवधान) अध्यक्षजी के चैम्बर में नेता प्रतिपक्ष, सदन की नेता ...(व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आपसे यह अपेक्षा नहीं थी कि आप किसानों के मामले में ...(व्यवधान) रोड़ा अड़ाएंगे, किसानों के हित के मामले में ...(व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल: ...(व्यवधान) किसानों के विरोधी बोलने लग गये। ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): उपाध्यक्ष महोदय, सदन की नेता कहां हैं यहां पर? सदन की नेता और प्रतिपक्ष के नेता अध्यक्षजी के चैम्बर में ...(व्यवधान)

श्री जोगेश्वर गर्ग: अपने नेता को तो बोलने दो इतनी तो शर्म करो ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप सहमत हैं तो यह बात तय हो जाएगी।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आप अपनी मर्जी से चलते हो।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): उपाध्यक्ष महोदय, जो भरतसिंहजी ने बात उठायी है उसका मंत्री महोदय से उत्तर दिलवाइये गवर्नमेंट की तरफ से।

श्री जोगेश्वर गर्ग: उत्तर भारत सरकार को देना है समर्थन मूल्य उन्होंने कम किया है ...(व्यवधान) उत्तर उनको देना है हमको तो निवेदन करना है आप उसमें शामिल हैं कि नहीं बोलिये।

श्री जोगाराम पटेल: भारत सरकार कम क्यों कर रही है?

श्री उपाध्यक्ष: पैसा भी समय पर मिलना चाहिए बहुत देरी से मिलता है।

श्री जोगाराम पटेल: वो भारत सरकार नहीं दे रही है...(व्यवधान) माननीय प्रतिपक्ष के नेता किसानों का ध्यान करो ...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो खानपुर से आने वाले माननीय भरतसिंहजी ने कहा है उसको हम स्वीकार करते हैं और यदि प्रतिपक्ष के नेता इस पर सहमति दें तो बैठकर...(व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल: ...(व्यवधान) हम आपकी किसान विरोधी नीति को बर्दाश्त नहीं करेंगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आज ही हम सर्वसम्मत प्रस्ताव लाने के लिए तैयार हैं यदि प्रतिपक्ष के नेता महोदय स्वीकार करें।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): सदन की नेता कहां हैं?

श्री भरत सिंह: हां, आप लाइये। आप लाइये।

श्री जोगाराम पटेल: आपके प्रतिपक्ष के नेता से कहलाओ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): हम सब तैयार हैं ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): सदन की नेता कहां हैं?...(व्यवधान) सदन की नेता कहां हैं ...(व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल: ...(व्यवधान) किसान विरोधी नीति है।

श्री भरत सिंह: आप लाइये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): हम जिम्मेदारी से कह रहे हैं।

श्री जोगाराम पटेल: प्रतिपक्ष के नेता से हां कराओ।

एक माननीय सदस्य: सहकारिता का सात प्रतिशत का क्या हुआ?

श्री सांगसिंह भाटी: समर्थन मूल्य कम न करने के बारे में आप बोलिये, आप क्या चाहते हैं?

एक माननीय सदस्य: चर्चा कराओ, क्यों कम किया सरसों का समर्थन मूल्य केन्द्र सरकार ने।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह भरतसिंहजी ने जो बात उठायी है सरसों की और उसके अन्दर जो निहित प्रश्न है किसानों की जो बात है उसका सरकार जवाब दे कि वो क्या कर रही है, क्या करना चाहती है?

श्री उपाध्यक्ष: ये तो सहमत हैं आप बतायें ...(व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, समर्थन मूल्य कम किया...(व्यवधान) और अब कोई जवाब नहीं मिल रहा है इसलिए बोल रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ...(व्यवधान) समर्थन मूल्य कम किया जा रहा है उसका प्रस्ताव लाना चाहिए हम इसको स्वीकार करते हैं यदि प्रतिपक्ष के नेता इस पर सहमति देने के लिए तैयार हैं ।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): सदन की नेता कहां हैं?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): हम सदन की नेता की ओर से बोल रहे हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): सदन की नेता कहां हैं ...(व्यवधान) सदन की नेता हैं यहां पर ...(व्यवधान) आप कौन होते हैं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सदन की नेता आ जाएंगी ...(व्यवधान)

श्री महीपाल यादव: वो तो एरोप्लेन खरीदने गयी हैं।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): संसदीय कार्य मंत्री महोदय, आपको मालूम है कि संकल्प कैसे आता है, इस तरह से आता है क्या संकल्प?

श्री महीपाल यादव: वो तो हवाई जहाज खरीदने में लग रही हैं।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): संकल्प की अपनी प्रक्रिया है, अपने नियम हैं, अपना कानून हैं आप ऐसे ही खड़े होकर संकल्प ले आएंगे ...(व्यवधान) नियमों को पढ़ें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सहमत होने पर संकल्प लाने को तैयार हैं ...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह टीटी: आपके मन में अगर मन साफ है तो... (व्यवधान)

श्री जोगेश्वर गर्ग: ...(व्यवधान) कांगेस किसान विरोधी है... (व्यवधान) किसान विरोधी है।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह टीटी: आपको खुले रूप से कहना चाहिए... (व्यवधान) अगर आप बात को घुमा रहे हैं तो आप किसान विरोधी हैं ।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आप तो उत्तर दिलवाइये। माननीय सदस्य भरत सिंहजी का उत्तर दिलवाइये, संकल्प तो आता रहेगा।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह टीटी: अब आपको पता लग रहा है...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): Where is the Leader of the House? सदन की नेता कहां हैं? उनको बुलाएं पहले।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आ जाएंगी।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): सदन की नेता अपनी बात कहें उसके बाद अध्यक्ष के चैम्बर में बात होगी ...(व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल: राजस्थान की जनता आपको देख रही है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर):...(व्यवधान) सहकारिता मंत्री जवाब दें।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता प्रतिपक्ष): There is no agenda in the House and then he has no right. मंत्रीजी से जवाब दिलवाइये।

एक माननीय सदस्य: कृपया सहकारिता मंत्री जवाब दें किसानों को सहकारिता क्षेत्र में सात प्रतिशत ब्याज में दिया जाएगा ...(व्यवधान) किसानों से सात प्रतिशत ब्याज लिया जाएगा, कृपया सहकारिता मंत्री जवाब दें।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): संकल्प की क्या प्रक्रिया है वो आप देख लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष: बात सुनिये, आप माननीय नेता प्रतिपक्ष।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यदि प्रतिपक्ष के नेता महोदय ...(व्यवधान)

श्री सांवरलाल : संकल्प की प्रक्रिया अपना ली जाएगी प्रक्रिया करके करेंगे संकल्प।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यदि प्रतिपक्ष के नेता महोदय अपनी सहमति देते हैं तो सदन की नेता महोदय यहां आकर वो संकल्प ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): विपक्ष के नेता जो कहेंगे वो सारी बात मानेंगे क्या आप? यह क्या तरीका है आपका? ...(व्यवधान) ये विपक्ष के नेता ने जो बात कही ...(व्यवधान) मानी थी क्या आपने?

श्री जोगेश्वर गर्ग: इनकी सारी बात मानेंगे।

श्री जोगाराम पटेल: आपको क्या पता है, किसानों की पीड़ा क्या होती है।

एक माननीय सदस्य: आप तो जवाब दिलवाइये किसानों के ठेकेदारों ...(व्यवधान)

श्री जोगेश्वर गर्ग: समर्थन मूल्य कम करते हो और फिर किसानों की पैरवी करते हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सदन की नेता आ गयीं अब करिये बात। ...(व्यवधान)

श्री जोगेश्वर गर्ग: किसानों के ठेकेदारों समर्थन मूल्य कम करते हो और फिर किसानों की पैरवी करते हो कांग्रेस किसान विरोधी है भारत सरकार किसान विरोधी है ...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): लो अब सदन की नेता आ गयीं, अब आप सहमति दे दो। हम संकल्प लाते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय सदस्य ने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सदन की नेता कुछ कह रही हैं साहब।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य ने किसानों के प्रति...

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आप आसन से क्या कमेंट्री कर रहे हो उपाध्यक्ष महोदय?

श्री उपाध्यक्ष: मैं कमेंट्री नहीं कर रहा हूं।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आप पढ़े-लिखे हो, कानून को जानते हैं। जो बात भरतसिंहजी ने कही उसका तो जवाब नहीं दिलवाते कह दिया बड़ा महत्वपूर्ण है कौन सा महत्वपूर्ण है कहां है एजेंडे पर?

श्री उपाध्यक्ष: महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण नहीं है क्या ?

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): There is no agenda like this. एजेंडा यह है।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): संकल्प लाने का तरीका होता है.... (व्यवधान)

ऐसे नहीं आते हैं खड़े होकर संकल्प ले आएंगे। ...(व्यवधान) आपको कानून प्रक्रिया पता है ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): ...(व्यवधान) आज का जो प्रश्न है हमारे भरतसिंहजी ने ...

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्यमंत्री): इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं समझती हूं कि प्रतिपक्ष के नेता और यहां सब बैठे हुए माननीय सदस्यों की भी चिन्ता इस बात के ऊपर है और हम लोगों की भी है और इसलिए मैं तो समझती हूं कि अगर प्रतिपक्ष के नेता मान जाते हैं तो इम्पोर्टेंट सब्जैक्ट के ऊपर अपन तुरन्त ही संकल्प ले लें।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, ओन ए पाइंट आफ आर्डर। मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि सरकारी मुख्य सचेतक और संसदीय कार्य मंत्री सदन की नेता महोदया को यह भी नहीं बताते कि संकल्प इस तरह आता है क्या खड़े होकर। संकल्प की अपनी प्रक्रिया है। आप नियम और कानून के ऊपर इस सदन को नहीं चला सकते। सदन की नेता महोदया, संकल्प लाने की एक प्रक्रिया होती है। माननीय मुख्य मंत्रीजी सदन में संकल्प लाने की प्रक्रिया है। (व्यवधान) संकल्प नहीं आ सकता।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): नियम और प्रक्रिया हमें मालूम है । (व्यवधान)

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): माननीय सदस्य इतनी इम्पोर्टेंट चीज पर, माननीय सदस्य ...

श्री महीपाल यादव (बानसूर): उपाध्यक्ष महोदय, आप संकल्प की बात कर रहे हैं ..

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपको किसने परमिशन दी है। सदन की नेता बोल रही हैं, आप स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य, सदन की नेता खड़ी हैं, आप स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री महीपाल यादव (बानसूर): उपाध्यक्ष महोदय, आप संकल्प की बात कर रहे हैं इस समय बिजाई का समय है एक बैग डीएपी की तो आप व्यवस्था कर नहीं सकते, काहे का संकल्प ला रहे हो।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य आप स्थान ग्रहण कीजिए । अंकित नहीं हो।

(अध्यक्षपीठ ने संकेत द्वारा अंकित नहीं करने का आदेश दिया)

श्री महीपाल यादव (बानसूर): ×××

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक):... (व्यवधान) कांग्रेस की रैली में मालूम पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी सरसों का समर्थन मूल्य बढ़ाने के हक में नहीं है। ...(व्यवधान) आप यही संकल्प लेकर जाना चाहते हो कि सरसों का समर्थन मूल्य बढ़ना नहीं चाहिये । (व्यवधान)

श्री महीपाल यादव (बानसूर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: बानसूर से आने वाले माननीय सदस्य, आपकी कोई बात अंकित नहीं होगी। आप स्थान ग्रहण कीजिए ।

श्री महीपाल यादव (बानसूर): ×××

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, यह मैं इसलिए कह रही हूं आपने पाइंट आफ आर्डर उठाया है अभी और मैं आपको इतना ही याद दिलाना चाहूंगी यह तो चेयर की पावर में है अगर वह इसको रिलेक्स करना चाहे तो वह करवा सकते हैं और जब पानी के ऊपर, इतने इम्पोर्टेंट इश्यू के ऊपर किया है और क्योंकि आप भी इतने एक्सरसाइज्ड हो और हम लोग भी इतने एक्सरसाइज्ड हैं, हम कुछ प्रक्रियाओं को वेव करते हुए किसानों को मुसीबत में राहत देने की सोचते हुए इसको तुरन्त ही निकाल सकते हैं।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): मुख्य मंत्री महोदया, आप जो बात कह रही हैं हमको इससे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन आज तक कभी ऐसा हुआ है क्या कि इस सदन के इतिहास में सुओमोटो खड़े होकर कभी संकल्प आया हो ।

(श्री जुबेर खान)

संकल्प को लिस्ट में लाना पड़ता है, आपको कार्य सूची में डालना पड़ेगा, आपको दो दिन का समय देना पड़ेगा। आप बताइए संकल्प कैसे आयेगा? आप नियम 106 पढ़िये, उपाध्यक्ष महोदय, इसकी आपने प्रक्रिया और नियम बना रखे हैं कि संकल्प किस तरह से आयेगा। ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बिना सहमति से बोल रहे हैं । (व्यवधान) अंकित नहीं हो ।

डा. सी.पी.जोशी (नाथद्वारा) : ×××

श्री महीपाल यादव (बानसूर): ×××

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): ×××

श्री महीपाल यादव (बानसूर): ×××

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): ×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

(सदन में सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, विपक्ष के नेता खड़े हैं।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): यह सरकार किसान विरोधी है इसका प्रदर्शन...(व्यवधान)

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): ×××

(13.36 बजे)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आप किताब लेकर किस पर बोल रहे हैं?

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ××××*

श्री अध्यक्ष: प्रतिपक्ष के नेता यदि कोई बीच में औचित्य का प्रश्न उठा रहे हैं तो आप कृपया थोड़ा विराज लें ।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, अभी जीरो ओवर चल रहा है ।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): ××××*

श्री अध्यक्ष: आप इस सदन को नियमों से चलने ही कहां दे रहे हैं । माननीय सदस्य आप इस सदन को नियमों से चलने ही कब दे रहे हैं ।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): ×××

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने स्थगन प्रस्ताव की जो व्यवस्था दी, माननीय भरत सिंहजी ने अपने स्थगन प्रस्ताव के ज़रिये सरकार से यह मांग की कि सरसों का समर्थन मूल्य बढ़ाया जा रहा है उसके बारे में सरकार को संकल्प लाना चाहिये कि किसानों को राहत देने के लिये ... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): ×××

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: आप सदन को नियमों से चलने कब दे रहे हैं?

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): ×××

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि अगर सैद्धान्तिक रूप से सब एग्रीड हैं तो औपचारिकता पूरी करें। इतनी इम्पोर्टेंट चीज है 115 रुपये का डिफरेंस है और मैं समझती हूं इसके ऊपर हम सब सैद्धांतिक रूप से तय कर लेते हैं तो इसको अपन औपचारिकता पूर्वक कर सकते हैं ।

श्री महीपाल यादव (बानसूर): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सदन की नेता ने जो प्रस्ताव रखा है वह आपको मंजूर है क्या? प्रतिपक्ष के नेता, सदन की नेता ने जो प्रस्ताव रखा है वह आपको मंजूर है क्या? आप किसान के लिये घड़ियाली आंसू बहाते हो । किसान का मामला है। 115 कम आ रहा है... (व्यवधान) कीजिए सहमति ।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): ×××

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): ×××

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह टीटी (राज्य मंत्री, कृषि): ×××

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): ×××

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ×××

श्री भवानी सिंह राजावत (संसदीय सचिव): ×××

श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी): ×××

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय): ×××

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): ×××

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि नियम 306 के अन्तर्गत, जिसमें आपको किसी नियम को निलम्बित करने का अधिकार है, उसके तहत यदि कोई नियम में कठिनाई है तो उसको निलम्बित करके और किसान के हित में जब किसान मर रहा है, उसकी कीमतें... (व्यवधान) लागत बढ़ रही हैं तो उसके लिये संकल्प पारित करने के लिये यदि कोई नियमों में और कहीं निलम्बन करना पड़े तो उसकी अनुमति दे दें। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ×××

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): ×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी): ×××

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: आसन पांवों पर है, आसन पांवों पर है। आसन पांवों पर है। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

श्री अध्यक्ष: आपको अधिकार है, आसन को रोकने का?

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं, मैं आसन से रिक्वेस्ट कर रहा हूं। आसन से किसी भी टाइम पर रिक्वेस्ट की जा सकती है। आसन से किसी भी स्थिति में रिक्वेस्ट की जा सकती है। आप बेहोश भी हो जाएं, तब भी हम आपके कान में कह सकते हैं। आपके कान में कह सकते हैं क्योंकि इस कुर्सी पर आप मालिक हो। मैं यह निवेदन करना चाह रहा था। ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, कितने शुभचिंतक हैं आपके। अध्यक्ष महोदय, आपके कितने शुभचिंतक हैं। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): सरदारजी, आपके बस की बात नहीं है, बैठो। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आप सहमत हो कि नहीं हो, यह बताओ आप तो। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): विवाद का, बोन आफ कण्टेंट, सुनो, भाई सुनो, आपने कह दी बात। और आप तोप उठा लाये। हमें पता था कि तोप यहां है और आप ले आएंगे। मुझे पता था कि जिस तोप को आप ला रहे हो, वह यहीं है और मैंने जिक्र किया था, इसलिये आप ले आये। हां तो ठीक है।

श्री अध्यक्ष: वे लीडर आफ द हाउस हैं। प्रतिपक्ष के नेता महोदय, वे तोप नहीं, वे लीडर आफ द हाउस हैं।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): लेकिन हमारी बात तो सुनें। (व्यवधान) इस समय इस विधान सभा में वे सत्ता पक्ष की हैं, सदन की नेता हैं और सदन का नेता सर्वोपरि होता है।

श्री अध्यक्ष: सत्ता पक्ष की नहीं, वे आपकी भी नेता हैं। वे आपकी भी नेता हैं, सदन की नेता हैं।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं, नहीं, मेरी भी नेता हैं, सदन की नेता हैं, मेरी भी नेता हैं। मैं जब कहता हूं, मैं सदन में हूं, आप सबके अध्यक्ष हैं, ये सब की नेता हैं। मैं प्रतिपक्ष में हूं तो तमाम हमारे प्रतिपक्ष वालों का, सबका नेता हूं, मैं इन्कार नहीं कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: जो आपका कहना नहीं मानते, ये आपका कहना नहीं मानते हैं।

एक माननीय सदस्य: नहीं, नहीं, मानते हैं, सब मानते हैं।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): मैं इधर बैठने वालों का, सबका नेतृत्व कर रहा हूं और सत्ता पक्ष का नेतृत्व सदन का नेता कर रहा है। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): हम प्रतिपक्ष में हैं, इसलिये हमारे नेता हैं। प्रतिपक्ष के नेता, हमारे नेता हैं। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): अब आप सुनिये, मान्यवर।

श्री अध्यक्ष: सुनिये, सुनिये, शांतिपूर्वक सुनिये अब।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): यह स्थिति इसलिये पैदा हुई, अध्यक्ष महोदया, आपने जो व्यवस्था दी, उसमें 2 मिनट के लिये माननीय श्री भरतसिंहजी को सरसों की स्थिति के ऊपर आपने स्थगन प्रस्ताव तो स्वीकार नहीं किया, लेकिन 2 मिनट में, संक्षेप में अपनी बात कहने का मौका आपने उनको दिया। और वह सारा मामला सहकारिता मंत्रीजी पर आता

है। सहकारिता मंत्रीजी जवाब देने के लिये खड़े हो रहे थे। इतने में ही पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने हस्तक्षेप किया और उनको जवाब नहीं देने दिया। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): मैंने इनकी अनुमति से जवाब दिया। मैंने इनकी अनुमति से जवाब दिया।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): यह मुझे मालूम है। मंत्री हैं, केबिनेट मिनिस्टर हैं, लेकिन वीकर सैक्शन के हैं, दलित हैं, डिप्रेस्ड हैं। ये राठौड़ों से, सिसोदियाओं से और सिंधियाओं से सर्वथा भयभीत हैं। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): मैं किसी वर्ग का नहीं हूं, मैं राजस्थान सरकार का मंत्री हूं।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): सिंधियाओं ने इनको मिनिस्टर बना रखा है।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर): आप 'राठौड़ों', 'राठौड़ों' शब्द को मत यूज किया करें। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आप विराजो, आप विराजो, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर): नहीं, बैठो नहीं। (व्यवधान) नहीं, पहले आप बात करो, अकेले राठौड़ कह बात करो। 'राठौड़ों' का कैसे नाम लेते हैं।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आप राठौड़ नहीं हैं, आप राठौड़ नहीं हैं। इस भ्रम में मत रहना।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर): क्यों नहीं हैं राठौड़?

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं, नकली हैं आप। असली राठौड़ ये हैं, बैठो आप।

श्री अध्यक्ष: आप नकली हो, आप नकली हो।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): असली राठौड़ ये बैठे हैं।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर): मैं इसका दादा हूं।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं, आप जमीन काश्त करने वाले जाट हो।

श्री अध्यक्ष: राठौड़ लिख रखा है, लेकिन नकली हैं।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): हल चलाने वाले जाट हो, मैं हूं और वह सरदारजी बैठे हैं, वह जाट हैं। आप और हम जमीन को सींचते हैं।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर): मैं तो खेती में पूछ लूंगा आपको कि फलां बीज बीघे में कितना पड़ता है, आप बता नहीं सकेंगे।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): लेकिन असली राठौड़ ये हैं। और सिंधिया वंश से जन्मी मुख्य मंत्रीजी हैं।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर): आप किसानों के नेता हो ना।

श्री अध्यक्ष: जब प्रतिपक्ष के नेता बोलते हों तो खड़े नहीं होना चाहिए। इनको बोलने दीजिये।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर): तो राठौड़ों, राठौड़ों को, अध्यक्ष महोदय, बार-बार, हमेशा ये लफड़ा लेकर खड़े हो जाते हैं। (व्यवधान) अच्छा, आप एक बात बता दो, किसानों के नेता हैं आप, चुकन्दर का बीज एक बीघा में कितना पड़ता है। मान गये हम आपको, दो जवाब।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): चुकन्दर की खेती गंगानगर में होती है, झुन्झुनूं में नहीं होती है। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): सवाल बहुत सीधा-सीधा है, प्रतिपक्ष के नेता महोदय, जो आपने फरमाया कि स्थगन प्रस्ताव की अनुमति आपने दी और यह यहां पर परम्परा है कि स्थगन प्रस्ताव पर सरकार उसका जवाब दे सकती है, यदि देना चाहे तो दे देती है। अब इन्होंने प्रस्ताव किया कि 115 रुपये जो सरसों का मूल्य गिराया जा रहा है वह किसानों के ऊपर भयंकर अत्याचार है। उसकी लागत बढ़ रही है और सरसों की कीमत कम हो रही है। हमारी मजबूरी यह है कि हमारे पास पानी कम है। इसलिये हम सरसों के अलावा कोई दूसरी फसल बो नहीं सकते हैं। इसलिये हमको एक संकल्प लेना चाहिए, इसको जब हमने मान लिया और सर्वसम्मति से उनका प्रस्ताव मान लिया, अब यह समझ में नहीं आता है कि हमने पानी के मामले में एक होकर, और कोई व्यवस्थाओं के सवाल उठाये जा रहे हैं, कोई कांस्टीट्यूशन के सवाल उठाये जा रहे हैं। यह सर्वोच्च सदन है, इसमें सब प्रकार के नियमों को बनाने की छूट देने की शक्ति प्राप्त है। हम पानी के मामले में कौन से राज्यपाल महोदय को पूछने गये थे। गये थे क्या? पानी के मामले में इसी सदन में एक संकल्प पारित किया। उसी प्रकार यदि कहीं नियमों में व्यवधान

है तो आपको अधिकार है, 306 के अन्तर्गत, आप नियमों में रिलेक्स कर सकते हैं। जब सब की मंशा एक है, किसानों को राहत मिलनी चाहिए। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): और जब घड़साना, सूरतगढ़ में पानी मांगा, तब गोली आपने चलाई। जब सोहेला में पानी मांगा तो गोली भी आपने चलाई। किसान विरोधी काम तो आप करेंगे।

श्री अध्यक्ष: आप बीच में नहीं बोलें। आप बीच में क्यों बोलते हैं। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): जब किसान का सवाल आता है, तब आप विरोध करते हैं, उन पर गोली चला देते हो। यहां आज किसानों की बात कर रहे हो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): ×××

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): न इनको किसानों से मतलब है, न इनको... (व्यवधान) ये तो अव्यवस्था कायम कर रहे हैं यहां पर। उन्माद पैदा करना हो तो माहिर आजाद को ले आओ, यदि किसान की बात करनी हो तो माहिर आजाद को ले आओ, यदि कोई नियमों की बात करनी हो तो माहिर आजाद को लाओ, कोई गड़बड़ की बात करनी हो तो माहिर... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): ×××

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): तो कांग्रेस का प्रस्ताव है। कांग्रेस के प्रस्ताव पर हम संकल्प ला रहे हैं। अब मेरी समझ में नहीं आता कि यह कोई मतलब नहीं। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): ×××

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): रैली में चले मत जाना, लोग मारेंगे। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ×××

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): ×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): ×××

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): ×××

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ×××

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़):×××

श्री महीपाल यादव (बानसूर): ×××

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): ×××

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): ×××

श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर): ×××

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): ×××

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): ×××

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): ×××

(सदन में भारी शोर-गुल व नारेबाजी)

श्री अध्यक्ष: सदन की कार्यवाही आधे घंटे के लिए अर्थात् 2 बजकर 25 मिनट तक के लिए स्थगित की जाती है, नहीं, 2.30 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। 2 बजकर 30 मिनट तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 13.54 बजे, 14.30 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

(14.30 बजे)

(पुन: समवेत होने पर)

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष: सदन की बैठक आधे घण्टे के लिये और स्थगित की जाती है। अब 3.00 बजे मिलेंगे।

(तदनन्तर सदन की बैठक 14.30 बजे, 15.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

(15.00 बजे)

(पुन: समवेत होने पर)

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष: सदन की बैठक आधे घण्टे के लिये और स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 15.00 बजे, 15.30 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

(15.30 बजे)

(पुनः समवेत होने पर)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

अनुरोध एवं मांग

मुख्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले संकल्प को पहले विपक्ष को दिखाकर सहमति ली जानी चाहिए

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहूंगा हमें ज्ञात हुआ है कि सदन की नेता महोदय एक संकल्प यहां प्रस्तुत करने जा रही हैं। हमारे प्रतिपक्ष के नेता महोदय, हमारे वरिष्ठ सदस्य सी. पी. जोशी गये थे और लोग भी थे तो वहां किन्हीं मुद्दों पर सहमति बनी थी कि संकल्प के विषय में आपने तीन दफा हाउस को एडजार्न किया है। अगर आप मुनासिब समझें तो एक दफा संकल्प हम देख तो लें। एबरप्टली यहां संकल्प आ जाएगा। हमारी बड़ी अजीब स्थिति बन जाएगी। कुछ चीजें तय हुई थीं उनकी भाषा एक मिनट देख लें। आधा घंटे में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है ।

श्री अध्यक्ष: लीडर आफ दी हाउस यदि किसी तरह का संकल्प लाती हैं, कोई प्रस्ताव लाती हैं तो मैं समझती हूं कि वह राज्य हित में भी होगा, सदन के हित में भी होगा फिर भी यदि आपको कोई आब्जक्शनेबल बात लगे तो, you have the right to oppose that. इसमें क्या बात है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): यह अपोजिशन का सवाल नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आज दिन तक इस प्रकार की समस्याओं के बारे में जो संकल्प आए हैं, जल के बारे में आए हैं उसके ऊपर भी आम सहमति बनी थी और आप एक नई परम्परा डाल रहे हैं संकल्प के ऊपर। सदन के अन्दर आज हम उसका विरोध करें और उसमें अमेंडमैंट लाएं, यह एक उचित परम्परा नहीं होगी। मैं इसको मुनासिब नहीं समझता। मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है और सदन के नेता महोदय से भी मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप यहां विराजमान हैं । बेहतर यह होगा कि अगर आप हमारे नेता महोदय के संग, एक दो अन्य सदस्यों के साथ इस पर थोड़ी देर आधे घंटे के लिए हाउस एडजोर्न कर दें, तीन दफा हो चुका, आधा घंटे के अन्दर कोई दिक्कत नहीं आ रही है । कृपया चर्चा कर लें तो एक एम्ब्रेसिंग पोजिशन से हम लोग बच जायेंगे।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): कोई एम्ब्रेसिंग नहीं है ।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): देख लें, कहां दिक्कत आ रही है ।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): माननीय अध्यक्ष महोदय, we were there. सी. एम. साहब खुद वहां से उठकर गये उसके बाद हमसे कम्युनिकेट नहीं हुआ है। फर्स्ट हाफ एन आवर में we don't want to know what happened in the Chair. आपके चैम्बर में नहीं कहना चाहते हैं लेकिन यह डिमांड करती है कर्टसी कि आपने हमको बुलाया आपके चैम्बर में, मुख्य मंत्रीजी वहां से उठकर गये उसके बाद हमसे कोई कम्युनिकेशन ही नहीं है। यह तो एक नई परम्परा प्रारम्भ कर रहे हैं संकल्प पर। संकल्प पहली बार नहीं आया है। राजस्थान की विधान सभा के इतिहास में पहली बार संकल्प नहीं आया है, संकल्प पहले भी आए हैं। आप विरोध में थे तब भी आया है, आप सत्ता में थे तब भी आया है। मैं समझता हूं कि पार्लियामैंट्री अफेयर्स मिनिस्टर को माननीय मुख्य मंत्रीजी को यह अवगत कराना चाहिए था, तीन बार आपने हाउस एडजार्न किया है। आप हमको बुलाकर कहते कि आपने जो बात कही उसके बाद ये बातें हुई हैं और आपके चैम्बर में जब बात हुई थी तो यह इम्प्रेशन लेकर गये कि मुख्य मंत्रीजी असेसमैंट कराकर वापस आएंगी और बताएंगी। मैं समझता हूं हमारी वह स्पिरिट आपके सामने अभी भी है और हम माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि आप सदन को एडजार्न करके आपके चैम्बर में विपक्ष को बुलाकर यदि कोई बात करने की परम्परा तोड़कर आप संकल्प लाना चाहते हैं तो फिर एक नई परम्परा आप प्रारम्भ करेंगे।

सदन परम्पराओं से चलता रहा है। यह परम्परा कभी नहीं रही है कि संकल्प लाने के पहले जिस तरह की भूमिका बने, बैठकर वन साइडेड चर्चा करके हम संकल्प लाएं तो मैं समझता हूं अध्यक्ष महोदय, फिर हमें पाइंट आफ आर्डर उठाने दिया जाए कि यह संकल्प लाने के लिए जो नियम और कानून में व्यवस्था है उसका उल्लंघन करके कोई संकल्प लाए तो फिर हम वह बात करेंगे अपने पाइंट आफ आर्डर से। मैं समझता हूं हमारी जो स्पिरिट है उसको समझने की आवश्यकता है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): अध्यक्ष महोदय, पहले पंजाब के जल पर या और किसी भी मामले पर जब सर्वानुमति बनी थी और जो ड्राफ्ट बनता था प्रस्ताव का, संकल्प का, वह सबको दिखाकर के बनता था। नेता प्रतिपक्ष को दिखाया नहीं गया, हमको पता नहीं क्या संकल्प आ रहा है और

(मोहम्मद माहिर आजाद)

आप एट रेंडम हाउस के अन्दर संकल्प रखकर के हमसे कह दें, हम सर्व सम्मति से उसको पास कर दें तो ऐसा तो नहीं होगा। इसलिए हमारा तो निवेदन यही है कि जो राजाखेड़ा से आने वाले और नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है, आप अपने चैम्बर में उसका जो ड्राफ्ट प्रपोजल बनाया है, वह मंगा लें। आप पार्लियामैंट्री अफेयर्स मिनिस्टर को बुला लें। हमारे भी चार-पाँच मैम्बर हों, आप भी उसको देख लें। मैं समझता हूं आपने भी उसको नहीं देखा होगा, उसको देख लें उसके बाद उस पर सर्वानुमति बनें तब उसको हाउस में लाएं तब तो उसका कोई औचित्य रहेगा। अगर ऐसे ही एक तरफा लाकर पास करायेंगे तो नई परम्परा हो जाएगी।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, मैं सप्लीमैंट्री करना चाहता हूं आपके ज्ञान के लिए। जो संकल्प का कंटेन्ट था उसमें क्या बिंदु थे, बिन्दु यह थे कि भारत सरकार से जो सरसों की प्राइस है उसको बढ़ाने के लिए रिक्वेस्ट की जाए और राजस्थान सरकार का जो कोआपरेटिव का लोन है वह ग्यारह प्रतिशत से सात प्रतिशत किया जाए। तीसरा था फर्टीलाइजर को अवेलेबल किया जाए। आज जो संकल्प का पार्ट है इसमें कोआपरेटिव में ग्यारह प्रतिशत से सात प्रतिशत स्टेट गवर्नमैंट लाएगी, यह फाइनैंस का बिल नहीं है, क्या आप अलाऊ करेंगे संकल्प में बिना गवर्नर की परमिशन लिए हुए यह जो इम्पलीकेशन पार्ट है, इसका मालूम नहीं है हमें।

माननीय पार्लियामैंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, मैं समझता हूं कि आप बहुत ही गलत परम्पराओं का निर्वहन कर रहे हैं। जिस संकल्प पर फाइनेंशियल इम्पलीकेशन इन्वाल्व है उसमें गवर्नर का पार्ट होना जरूरी है और आपने भी हमें यह इम्प्रेशन दिया है कि हम इसको इन्क्लूड कर रहे हैं तब तो यह बात करें और हमसे बात नहीं करके आपको लाना है तो फिर पाइंट आफ आर्डर जिसको करना है...(व्यवधान) बात खतम की जाए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैं पहले कह दूं फिर आप कहना, फिर कह देना। मैं इनसे कहना चाहती हूं स्थगन प्रस्ताव के जरिये इस मुद्दे को उठाया गया। स्थगन प्रस्ताव को एक महत्वपूर्ण विषय जानते हुए मैंने दो मिनट बोलने का समय दिया। उन्होंने अपनी बात कही और उसके ऊपर सरकार ने अपनी जिम्मेदारी समझकर, कर्तव्य समझते हुए कि इस बारे में हमें कुछ करना चाहिए, इसलिए तो संकल्प ला रहे हैं । आज दिन तक कभी स्थगन प्रस्ताव के जरिए...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): हम माफी चाहते हैं अध्यक्ष महोदय, don't side track it. आपने हाउस एडजार्न किया है, हमको बुलाया है अध्यक्ष महोदय ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, सरकार को अधिकार है, बहुमत है, सरकार का राज है जो चाहे जो व्यवस्था करे, कोई तकलीफ नहीं है लेकिन जो परम्परा थी आपके चैम्बर में हाउस एडजार्न होने के बाद आपने बुलाया है इससे कोई रेलेवेंसी नहीं है। इसलिए आप मेहरबानी करके सदन में यह परम्परा नहीं डालें। आप सीनियर पार्लियामेंटेरियन रहे हुए हैं। आपको मालूम है कि संकल्प सरकार का बहुमत है सरकार चाहेगी जो निर्णय करेगी, सरकार चाहेगी जो बिल लाएगी....

श्री अध्यक्षः आज दिन तक आया ही नहीं...

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): लेकिन कम से कम आप इन परम्पराओं का निर्वहन नहीं करें। आप कष्ट करके यदि आपने चैम्बर में जिस स्पिरिट से हमको बुलाया है उसी भावना के अनुरूप हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि आपके चैम्बर में माननीय मुख्य मंत्रीजी दुबारा हमारे साथ तो मिली नहीं, आपके सामने उठकर गईं उसके बाद तो आईं नहीं। मैं समझता हूं यह अध्यक्ष महोदय, आप करेंगे तो हमें यह लेटीट्यूड दीजिए कि भविष्य में आपके चैम्बर में आकर प्रतिपक्ष को बात करने की आवश्यकता ही नहीं है, यह परम्परा डाल दीजिए आप, बात खतम हुई। आपका बहुमत है आप मन में आए जो फैसला करिये ना, फिर कहां तकलीफ आती है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): सी. पी. साहब, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने सदन में यह कहा था कि इस विषय के ऊपर ...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप बोल चुके, आपकी सारी शंका, आपको बोलने की जरुरत ही नहीं पड़ेगी।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): महावीरजी, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह कहा था कि यह मुद्दा बड़ा इम्पोर्टेंट मुद्दा है, किसानों के हित का सवाल है और हम एक संकल्प लेकर आ रहे हैं, यह बात हुई थी ।

श्री अध्यक्षः हां।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): एक मिनट मेरी तो सुनें।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): संकल्प लेकर आते हैं, संकल्प था सरसों की खरीद के ऊपर भारत सरकार से यह मेरा मंतव्य जो मैं समझा था उसके बाद दो मुद्दे आपने और हमारे नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके चैम्बर में बात हुई थी।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): किसानों के कोआपरेटिव के ऋण हैं जो कि भरत सिंहजी ने मांग की थी, देखिए आप इस तरह से करेंगे। भरत सिंह जी की एक मांग थी कि किसानों के जो ऋण हैं कोआपरेटिव बैंक के भारत सरकार के अनुरूप जो भारत सरकार ने सात प्रतिशत कर दिया है तीन लाख तक के ऋण का उनकी भी ...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यह सरकार के ध्यान में है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): एडजार्नमैंट मोशन के अन्दर उसको भी आपने माना, डी.ए.पी. की बात आई तो इन तीनों बातों को संग लेकर अगर आप हमें ड्राफ्ट दिखा देंगे तो ड्राफ्ट दिखाकर के जो सदन में पढ़ा जा सकता है तो ड्राफ्ट दिखाने के अन्दर कहीं कोई कठिनाई तो नहीं आनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आपने कृपापूर्वक तीन दफा सदन को डेढ़ घंटे के लिए स्थगित किया है तो आधे घंटे या बीस मिनट के लिए आप पुन: स्थगित कर दें, एक दफा बैठकर बात हो जाए। आपके चैम्बर में या मुख्य मंत्रीजी के चैम्बर में बैठकर बात हो जाए कहीं दिक्कत तो नहीं है । एक नई परम्परा होगी।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): संकल्प का मतलब है (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): संकल्प जो आया है सदन के अन्दर संकल्प हमेशा प्रतिपक्ष को संग लेकर आया है। मेरा लम्बा पार्लियामैंट्री कैरियर है। मैंने बहुत जमाना देखा है। हमेशा संकल्प दोनों पक्षों द्वारा लाया गया है। जब आम सहमति बनी है तब संकल्प आया है। इसके ऊपर बहस भी नहीं होती है। सब तरफ से समर्थन मिलता है ।

मेरा आपसे पुनः निवेदन है कि उस परम्परा को कृपया न तोड़ा जाए। संकल्प को हमें दिखा लें और निश्चित रूप से जनहित का संकल्प है, पारित करेंगे, सर्वसम्मति से पारित करेंगे इस सदन के अन्दर । मैं मुख्य मंत्रीजी से पुनः अनुरोध करूंगा कि डेमोक्रेसी के हित के अन्दर सदन की परम्पराओं के हित में कृपा करके आप यह स्वीकार करें और अध्यक्ष महोदय से आप कहें कि आधे घण्टे के लिये सदन को स्थगित करके पुनः आपसे बात कर लें, आपके चैम्बर में बैठकर संकल्प देख लें। कहां दिक्कत आ रही है इसके अन्दर ? आपने ही सुझाव दिया था ..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यह आपकी डिमाण्ड पर ही तो संकल्प आया है। डिमाण्ड पर आया है संकल्प...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): संकल्प वाली तो मंशा ही नहीं थी ...(व्यवधान)

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों की चिन्ता है। मैं बार-बार सही कह रही हूं हम सबको चिन्ता है और जो इश्यू उठाया गया था, जो हम सबको अखरी थी उस समय भी, कि सरसों की खरीद के अन्दर पैसों की कमी हो रही है उसको बढ़ाने की, उसकी वृद्धि करने की जो बात हो रही थी उसके ऊपर हम लोगों ने यह तय किया था और हमने भी यह कहा था कि अगर आप लोग यह समझते हो कि इनप्रिंसीपल यह जो चीज होनी चाहिये तो हम लोगों को मिलकर उसमें संकल्प लाने में कोई प्राब्लम होनी नहीं चाहिये। अब आपने उसके अन्दर फिर कहा कि एक, दो इश्यूज और हैं जिसके बारे में भरतसिंहजी ने बात उठायी थी और नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा क्योंकि फाइनेंस वाली बात है इसीलिये अपने को यहां बिना बातचीत किये हुए लाना नहीं चाहिये। मेरा तो सिर्फ इतना कहना है आप लोगों को कि किसानों की समस्याओं से सरकार पूरी तरह से सजग है। हम लोगों को उनके लिये चिन्ता लगी रहती है और हमने यह भी तय कर लिया है कि जो उद्योगपति हैं और शहर के जो निवासी हैं उनके लिये सस्ता कर्जा मिले और गांव वालों को सस्ता कर्जा नहीं मिले, यह न्यायोचित नहीं है और इसीलिये कर्जे की दर की बात जो यहां उठायी गयी थी उससे तो कई दिन पहले हम लोगों ने यह निर्णय भी कर लिया था और किसानों को क्रॉप लोन का जो 75 परसेंट की दर से जो मिल रहा है, यह आदेश हम लोगों ने कर भी दिये हैं। मुझे बड़ी खुशी है आपको बताते हुए तो हमारी तरफ से तो कोई कमी नहीं है। तो 11 परसेंट और 7 परसेंट की जो बात है, वह हम लोगों ने तय भी कर लिया है और वह मामला हमने पास कर लिया है...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अभी एक घण्टे पहले मंत्री को पता नहीं है। एक घण्टे पहले बतायी है ना यह बात। सरकार को जानकारी नहीं है। एक घण्टे बाद मालूम पड़ा आपको और ताली बजा रहे हैं।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): माननीय सदस्य, यह हम बताना चाहेंगे आपको कि वह चिन्ता हम लोगों को भी है ...(व्यवधान) आप सुन लें। जिस चीज के बारे में...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आपकी एक मिनट में मान लेते हैं। अध्यक्ष महोदय के चैम्बर में आपको जानकारी ही नहीं थी। आप एक मिनट में कह दो, मान लेते हैं हम। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आपने सुनी नहीं।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): जिस चीज के बारे में आप चिन्ता कर रहे थे..(व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): सदन की नेता खड़ी हैं पहले सुनो। प्रतिपक्ष के नेता का ध्यान रखते हो आप ?

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): मुझे खुशी से आपको यह बताना है कि वह आलरेडी पास हो चुका है और हम लोगों ने इस बात का निर्णय भी ले लिया है। अब शार्टेज आफ डी.ए.पी. की बात है। डी.ए.पी. के ऊपर शार्टेज की बात चल रही है उसके ऊपर तो मैं यहां यह कहना चाहूंगी क्योंकि इम्पोर्ट हुआ है व्हीट का, इसकी वजह से आपके रेटस डाइवर्ट हो रहे हैं और हमने तो चिट्ठी भी लिखी है केन्द्र सरकार को। हमने यह कहा भी है टेलीफोन के ऊपर कि हम उनको कहें कि यह रेलवे के रेट्स वापस हम लोगों के डाइवर्ट कर दें ताकि हमारा जो खाद मिलना चाहिये वह सही समय पर हमारे किसानों को मिले ताकि उनकी स्थिति कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसी न बने। इसीलिये सही टाइम के ऊपर हम लोगों को यह सब मिल जाए। साथ में जो लास्ट मामला है वह मामला आपका सरसों के समर्थन मूल्य का है। बस वही बचा है अगर उसके ऊपर बैठकर कोई वर्डिंग के अन्दर कहीं कोई चेंजेज करने की जरूरत है तो मैं अध्यक्ष महोदय, समझती हूं कि उसको करने में कोई अपने को दिक्कत नहीं है। कर सकते हैं। कोई बात नहीं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, सदन की नेता ने बड़ी साफगोई से सारी बात रख दी। तीन-तीन इश्यूज थे। को-ऑपरेटिव लोन के बारे में फैसला सरकार पहले ही कर चुकी है। यह मांग आज प्रतिपक्ष कर रहा है, आज जागा है प्रतिपक्ष। उसकी मांग की पूर्ति मुख्य मंत्रीजी ने चिन्ता व्यक्त करते हुए पहले से ही कर दी और अब यह समर्थन.. (व्यवधान) मैं समझता हूं इनको सबको मेज थपथपाकर यह ऐतिहासिक निर्णय हुआ है राजस्थान के इतिहास में...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): दो घण्टे तक मालूम ही नहीं था आपको। काहे को हाउस एडजोर्न कराया आपने? आज सरकार ऐसी अनभिज्ञ

(डा. सी. पी. जोशी)

सरकार नहीं है कि दो घण्टे तक मालूम ही नहीं है और भाषण देने खड़े हो गये आप...(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): कहीं नहीं है यह खबर।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): दो घण्टे पहले की भी आपको जानकारी ही नहीं है और आप मंत्री बने हुए हैं...(व्यवधान) बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर को दो घण्टे पहले तक मालूम ही नहीं है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। सरकार को दो घण्टे पहले मालूम ही नहीं था कि हमने आर्डर निकाल दिया है। दो घण्टे बाद मालूम पड़ा है सरकार को, इससे बड़ी और क्या स्थिति बनेगी...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): हमें जानकारी थी। परन्तु आपकी बात पर रखकर नहीं किया है। यह आपकी बात पर नहीं किया...(व्यवधान) यह जो मुख्य मंत्रीजी ने फैसला लिया है, यह राजस्थान के किसानों की हालत पर लिया है, कोई इनकी बात पर नहीं लिया। इन्होंने तो बड़े-बड़े ...(व्यवधान) खड़ी कर दी...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): इससे ज्यादा सरकार की अकर्मण्यता नहीं हो सकती कि सरकार को दो घण्टे बाद मालूम पड़ा। ब्यूरोक्रेसी सूचना दे रही है आपको। काहे की पालिटिकल गवर्नमेंट चला रखी है आपने...(व्यवधान)

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी): पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर साहब, आप तरफदारी कर रहे हैं इतना कर दिया। क्या कर दिया ? कहीं अख़बार में नहीं आया।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आप बोलने दो...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): क्या बोलने दो। पोलिटिकल गवर्नमेंट है कि ब्यूरोक्रेटिक गवर्नमेंट है। पोलिटिकल है जिसको मालूम नहीं है कि दो घण्टे पहले तक आर्डर निकाल चुके हैं हम। दो घण्टे बाद मालूम पडा आपको। यह पोलिटिकल गवर्नमेंट नहीं है, यह ब्यूरोक्रेटिक गवर्नमेंट है, दो घण्टे बाद तो पता हुआ। आपको दो घण्टे पहले बताना चाहिये था कि हम घोषणा कर चुके हैं, इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति इस राजस्थान की नहीं हो सकती कि मंत्री इतना नकारा हो। उनको मालूम ही नहीं है...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आपको यह ही पता नहीं है...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मुझे टोकना नहीं चाहिये परन्तु किसान के पक्ष में इतना ऐतिहासिक फैसला हुआ है वह भी इनको नागवार गुजरा। वह भी अच्छा नहीं लग रहा। राजस्थान का किसान...(व्यवधान)

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि बहुत सारे डिसीजंस डेली सरकार राजस्थान के लोगों के हित के लिये करती है। हर चीज का डिसीजन यहां आकर किसी को खोलने की जरूरत नहीं है। वह डिसीजन हो गया है, कुछ दिन पहले ही हो गया है। मैं आपको अवगत करा रही हूं।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): जब आपकी सरकार के केबिनेट मंत्री को मालूम ही नहीं है। आपके सहकारिता मंत्रीजी को मालूम ही नहीं है। खड़े होकर नहीं बोल सका, आप क्या बातें कर रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण नहीं हो सकता। हाउस चल रहा था, आपके मंत्री को मालूम नहीं इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): मैं जानकारी देने जा रहा था। मुझे जानकारी थी। (व्यवधान)

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): केवल हाउस को आप चलने नहीं दे रहे थे, हल्ला कर रहे थे, किसी की बात सुन नहीं रहे हो। आप किसी की बात सुनते ही नहीं हो, केवल अपनी बात कह रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इनको +++ है। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, नाथद्वारा से आने वाले सदस्य को +++ है। न तो यह किसी की बात सुनने देते हैं, न खुद सुनते हैं, केवल आप ही थोड़े ही हैं इस हाउस के अन्दर...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): हम तो चैम्बर में जाकर मिले थे, हल्ला नहीं कर रहे थे। हम मुख्य मंत्रीजी के साथ चैम्बर में मिले थे, वहां भी नहीं बताया हमको। वहां भी नहीं कहा आपने। मुख्य मंत्रीजी से अध्यक्षजी के चैम्बर में मिले हैं वहां भी मुख्य मंत्रीजी ने नहीं बताया।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आज समस्या यह है...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह दो घण्टे तक तो निर्णय ही नहीं कर पाये कि हम इस प्रस्ताव का समर्थन करें। दो घण्टे तक तो यह निर्णय ही नहीं कर पाये और इसके बाद यह कंडीशन लाये हैं...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय संसदीय कार्य मंत्रीजी जब आपने यह फैसला ले लिया...(व्यवधान) आप गुमराह कर रहे हो हाउस को...(व्यवधान) घटाकर इतना परसेंट कर दिया। अगर केबिनेट में फैसला ले लिया तो कागज पर जारी करते...(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आज जो सारा मामला उठा है...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर): जोशीजी, ऐसा है कि यदि खुद अकेली मुख्य मंत्रीजी ने फैसला ले लिया तो आपको क्या तकलीफ हो रही है?

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): तकलीफ यह है कि वह निर्णय दो घण्टे पहले बता देते तो हम धन्यवाद दे देते। हमें वह तकलीफ नहीं है। हम तो धन्यवाद देते ना इस पर।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर): तो वह धन्यवाद अब दे दें।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): हमें तकलीफ यही है सरकार पोपाबाई की सरकार नहीं है, कानून की सरकार है। कानून की सरकार कानून से चलती है।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ (राज्य मंत्री, सिंचाई): आप उधर बात मत कीजिये। हमारे बहादुर मंत्रीजी बैठे हैं। उनकी तरफ इंगित मत करो।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर): जोशीजी, आप किसके साथ टक्कर ले रहे हो? (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, इनको यह भी पता नहीं है कि सरकार का प्रोसीजर क्या है...(व्यवधान) और इस सदन में कोई गलतफहमी कर सकता है क्या? (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): सहकारिता मंत्री को मालूम नहीं है, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता कुछ भी...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): दो घण्टे तक तो यह निर्णय नहीं कर सके कि उनको इसका समर्थन करना है...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर): अब धन्यवाद दे दो आप तो..(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आपने बहुत कह दिया...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अब तो प्रतिपक्ष के नेता यह बता दो सहकारी बैंकों के ऋण की दरों में जो कमी है, सहकारी बैंक के ऋण के ब्याज की दरों में कमी की है, उसके लिये आप धन्यवाद दे रहो हो कि नहीं?

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): काहे का धन्यवाद?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उसके लिये नहीं दे रहे हो?

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): यह सरकार सिर्फ ब्यूरोक्रेसी के सहारे चल रही है। राजनेताओं को यह मालूम नहीं है, मंत्री को मालूम नहीं है वह। काहे हम धन्यवाद देते। यह सरकार राजनैतिक सरकार नहीं है। यह सरकार ब्यूरोक्रेसी की सरकार है...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आप अलग तरह का बोल रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर): जोशीजी, इनको नहीं मालूम है लेकिन यह आपके सामने तो जाहिर नहीं कर रहे। आपके सामने तो जाहिर नहीं होने दे रहे हैं कि इनको नहीं मालूम तो फिर आपको तकलीफ क्या है? धन्यवाद दो आप।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): अध्यक्ष महोदय, वर्डिंग्स का सवाल है, आप देख लें मुझे कोई एतराज नहीं है। अभी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह बात यहां सदन के अन्दर कही कि वर्डिंग्स के बारे में आप देख लें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरा बीच का आपको सुझाव है अभी जीरो आवर खतम नहीं हुआ है, आप जीरो आवर को कंटीन्यू करा दें, तब तक हम जाकर बैठकर के इस वर्डिंग्स को देख लें।

श्री अध्यक्ष: श्रीमान, अभी तो उन्होंने केवल अपना डिसीजन बताया है। संकल्प जब आयेगा तो 306 की छूट देनी पड़ेगी और छूट देने के बाद आयेगा। आप क्या कर रहे हो?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): फैसला करना था वह तो हो गया। आप कहो केन्द्र सरकार का पार्ट है उस पर जो अपने को प्रस्ताव लेना है वह प्रस्ताव लेकर आये हैं अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें तो विरोध की बात नहीं है। अब आपके प्रस्ताव पर जब हम इस बात पर स्वीकार कर रहे हैं..

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): बात को बढ़ा रहे हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): हमने पहले ही कर दिया है और जो राजस्थान सरकार को करना था वह कर दिया। जो केन्द्र सरकार को करना है उसका प्रस्ताव देखना चाहो देख लो। मैं दिखवाता हूं आपको।

श्री अध्यक्ष: आप इनके बाद बोलो ताकि आवाज को मैं सुन लूं। वह जब चुप रहें तो बोलो आप।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आपकी अनुमति से मैं यह बात कहना चाहता हूं..

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मेरा अनुरोध है कि प्रतिपक्ष की मंशा के अनुसार पहले से फैसला जो हो गया उसके बारे में मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा कर दी, नया फैसला नहीं है ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आप सुनें तो सही मंशा क्या है ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अब आप आज्ञा प्रदान करें, यह सरसों के समर्थन मूल्यों के बारे में राजस्थान का किसान चिंतित है, 115 रुपये भारत सरकार कम कर रही है। उसके लिये संकल्प लाये हैं और आप नियमों में शिथिलता देते हुए मुख्य मंत्रीजी का नाम पुकारें। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): संकल्प की जरूरत नहीं है, आपका बहुमत है जो चाहे जो करें ...(व्यवधान) बहुमत तो मल्टीलेटरल होगा. It cannot be unilateral. आपके जो मन में आये ...(व्यवधान) जो आर्डर निकाला संकल्प मल्टीलेटरल होगा यूनिलेटरल नहीं होगा ...(व्यवधान)

श्री गुरजंट सिंह बराड़ (संगरिया): अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है ...(व्यवधान) पहली दफा भरतजी ने सोचा है, हम उनको धन्यवाद देते हैं ...(व्यवधान) हम बैठे हैं, हम किसान के लिए बोलेंगे और बोलने के लिए ही यहां आये हैं ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आपकी क्या बस की बात है ...(व्यवधान) बारह बज रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री गुरजंट सिंह बराड़ (संगरिया): आप यह बतायें कि किसान ने ... (व्यवधान) सात प्रतिशत या आज से तीन महीने पहले सी.एम. साहब ने उसका फैसला ले लिया।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): बारह बज गये बारह ...(व्यवधान)

श्री गुरजंट सिंह बराड़ (संगरिया): आज अगर सरसों का मूल्य घटाने का उन्होंने रख दिया, मैं तो उनका धन्यवाद देता हूं कि आप सारे लोग उनका समर्थन करें ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): चार बज रहे हैं सरदारजी, चार ...(व्यवधान)

श्री गुरजंट सिंह बराड़ (संगरिया): नीति बना रखी है जहां भी जायें किसानों की...(व्यवधान) महावीरजी, एक मिनट, मेरी एक मिनट सुन लें आप।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): रखी है तो बता दें ...(व्यवधान)

श्री गुरजंट सिंह बराड़ (संगरिया): आप किसान का साथ नहीं देते हैं। अध्यक्ष महोदय, यह जहां भी जाते हैं चाहे वह कामरेड के साथ जाकर, कभी घड़साने में जाकर के झंडा खड़ा कर दिया, कभी हनुमानगढ़ में झंडा खड़ा कर दिया, कामरेड के साथ किसानों की मुखालफत करते हैं। लोगों को गलत गुमराह करते हैं। (व्यवधान) और मैं कहूंगा कि सदन को आज बहुमत से यह प्रस्ताव पास करना चाहिए कि हम किसान को जाकर के कह सकते हैं कि सारा सदन एक मत का है...(व्यवधान) आज यह संकोच कर रहे हैं किसान से, मैं आदरणीय विपक्ष के नेता को विनती करूंगा कि आप बहुत बड़े किसान हैं, इसमें इनको पहल करनी चाहिए और यह विरोध कर रहे हैं। इस बात को यह सोचेंगे, चैम्बर में जायेंगे, किस बात के लिए चैम्बर में जायेंगे आप ...(व्यवधान) फैसला करो सदन में आज, मेरी आपसे यही विनती है ...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): बोलने तो दीजिये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, कोई विषय ही नहीं बचा है। अब सिर्फ इतना-सा है कि समर्थन मूल्य ...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): यह इतनी गर्मायी मत करिये, इस हाउस को चल जाने दीजिये और यह तय करिये कि आप बड़े हैं कि सदन की नेता बड़ी हैं ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आप गरिमामय पद पर ...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): जब सदन की नेता महोदय ने कोई बात कह दी, आपको बीच में आग लगाने की ...(व्यवधान) यह क्या बात हुई?

श्री अध्यक्ष: प्रतिपक्ष के नेता खड़े हैं आप क्या बोल रहे हैं? (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): बात तो सुनने दें... (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): सदन की नेता महोदय ने कुछ कह दिया तो वह बीच में आग लगा रहे हैं ...(व्यवधान) कल भी आग लगायी है एक घंटे के लिए, आज भी इन्होंने आग लगायी है एक घंटे के लिए ...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, यह माइक नहीं टूटे, इसका इंतजाम करें ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, यह सारी एक्सरसाइज आपने ही करवायी है ...(व्यवधान) आपने कृपा करके भरत सिंह जी का प्रश्न स्वीकार कर लिया ...(व्यवधान)

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): आज मूड में हैं।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आपने सुनकर के व्यवस्था दे दी कि दो मिनट वह बोल सकते हैं ...(व्यवधान) वह दो मिनट बोले, अच्छा बोले। सब बातें किसानों के हक में कहीं, उसका उत्तर इनको देना था, इनको उत्तर नहीं देने दिया पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने।

श्री अध्यक्ष: जोइंट रेस्पोंसिबिलिटी है। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): सुनें मेरी बात ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: क्या कह रहे हैं आप? (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): पहले सुनें मेरी बात ...(व्यवधान) मैं देख रहा था सामने, सब मेरी आंखों के सामने हो रहा है ...(व्यवधान) यह गये वहां, उनको जाकर के क्या कहा, मुझे नहीं पता, चीफ मिनिस्टर के पास भेज दिया। वह वापिस आ गये, उनको उत्तर नहीं देने दिया। मैंने कहा कि इनसे उत्तर दिलायें, यह उत्तर देना नहीं चाहते थे बिना इनसे राय लिये।

श्री अध्यक्ष: यह पढ़ लो आप पहले।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): हां, सुनो आप। यह पढ़ाकर के वह यही तो करना चाहते हैं कि जो कुछ कर रहे हैं वह हम कर रहे हैं।

(श्री रामनारायण चौधरी)

हम कहते हैं कि जो कुछ करवा रहे हैं वह हम करवा रहे हैं ...(व्यवधान) झगड़ा इस बात का है कि जो कुछ आप कर रहे हैं वह हमारे दबाव की वजह से कर रहे हैं, क्योंकि भरत सिंहजी अगर वह प्रश्न नहीं उठाते ...(व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): जब प्रतिपक्ष के नेता महोदय बोल रहे हैं ...(व्यवधान) प्रतिपक्ष के नेता महोदय बोल रहे हैं ...(व्यवधान) नेता महोदय खड़ी होंगी तो हम भी खड़े हो जायेंगे ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): सुन तो लें ...(व्यवधान) यह जो संकल्प लाये हैं, इस संकल्प में यह दिखाना चाहते हैं कि यह सब हम ...(व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): आप बोलेंगे तो हमको भी खड़ा होना पड़ेगा ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): अब यह कह रहे हैं कि हमने कर दिया, क्या कर दिया, खाक कर दिया ...(व्यवधान) टट्टी कर दी आपने। क्या कर दिया ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अब कहते हो आप विरोध करते हो, खड़े होकर के कह दें कि किसान का समर्थन मूल्य जो सरकार घटा रही है, विरोध करो ना ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): क्या घटा रही है, आपको पता ही नहीं है ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): करो ना विरोध ...(व्यवधान) करो ना विरोध ...(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आग लगाते हो बैठे-बैठे ...(व्यवधान) आप तो अपनी राजनीतिक गोटियां सेकते हो वहां बैठे-बैठे ...(व्यवधान) आपकी नेता, मुख्य मंत्रीजी ने यहां कह दिया है ...(व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): सोयी हुई सरकार को कांग्रेस ने जगाया है ...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ब्याज की दर को कम किया ...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर): अध्यक्ष महोदय, मैं इस मामले में भरत सिंह दीगोद को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने इस मामले

को यहां उठाया और अब चारों तरफ से बहस हो चुकी है और उसके लिए मेरे ख्याल से विपक्ष भी तैयार है और पक्ष भी, अब फालतू में यहां राजनीति हो रही है ...(व्यवधान) मेरे ख्याल से तो अब ...(व्यवधान) वह भी तैयार हैं और यह भी तैयार हैं तो ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): हां, राजनीति हो रही है, अभी राजनीति हो रही है ...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर): धन्यवाद भरत सिंहजी को दे रहे हैं हम तो।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): राजनीति भी हो रही है ...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर): उन्होंने शुरूआत की है ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): राजनीति से ही देश चल रहा है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप जनहित के मुद्दे की बात करने आये हो, राजनीति करने नहीं आये हो इस विधान सभा में, राजनीति करो तो बाहर करो...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यह छक्का है, रामनारायण जी यह छक्का है आपके ऊपर ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय मुख्य मंत्रीजी, यह जो घोषणा करने वाली हैं इस संबंध में हमारे प्रतिनिधि हमारी पार्टी की तरफ से हमने नोमिनेट कर दिये थे आपके पास भेजे थे।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): मान लो ना।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): बात तो सुनें आप ...(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): उनको रोकिये ...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): मुख्य मंत्रीजी, सबसे ज्यादा व्यवधान महावीरजी और राजेन्द्रजी इस सदन में करते हैं। यह चलने ही नहीं देना चाहते हैं इसको ...(व्यवधान) आप लोगों को बात संभालनी चाहिए उलटे आप आग लगाते हो ...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): मैं अकेला ही काफी हूं आप सबके लिए ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बीच में नहीं बोलें माननीय सरकारी मुख्य सचेतक ...(व्यवधान) चूंकि प्रतिपक्ष के नेता, आप चैम्बर में नहीं आये थे तो मैंने सोचा कि आप बात को टालना चाहते हो औरों के जरिये, इसलिए फिर बात करने की आवश्यकता नहीं समझी ...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): अध्यक्ष महोदय, यह कह रहे थे नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य कि नेता महोदय ने हमको आथोराइज्ड करके भेजा है।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): वह मैंने आपको कनवे किया था।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): यह कनवे किया था आपको हमने ...(व्यवधान) यह कनवे किया था आपको हमने कि उन्होंने अधिकृत करके भेजा है।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आपके सेक्रेटरी पारीकजी को इत्तला करवायी थी कि हमारे चार प्रतिनिधि आ रहे हैं, अध्यक्षजी को इत्तला करवा दें। उनके चैम्बर में मीटिंग होगी और उनकी अध्यक्षता में हो रही है, हम चार प्रतिनिधि भेज रहे हैं क्योंकि हमारी उधर रैली भी हो रही है।

श्री अध्यक्ष: आप क्यों नहीं पधारे? (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): रैली में यह गये नहीं ...(व्यवधान) आप गये नहीं वहां ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): उसमें आपको क्या दिक्कत है ...(व्यवधान) वह मेरी पार्टी की रैली थी। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आप वहां गये नहीं, आप इस डर से रैली में गये नहीं ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): मेरी पार्टी है ...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): मूल्य पर विरोध किया है ...(व्यवधान) इसलिए उस डर से आप गये नहीं वहां ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): तो आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): डर के कारण नहीं गये। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): वहां डर के कारण नहीं गये आप ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आपके दर्द क्यों फैला? (व्यवधान) आपके पेट में क्यों दर्द उठ रहा है? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: यह सबके लिए बराबर है। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आपके पेट में क्यों दर्द उठ रहा है कि मैं नहीं गया? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: पहले रूल्स को रिलेक्स करूंगी आप ऐसे कैसे पढ़ेंगी... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): हां, 306 के तहत... (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): जीरो ऑवर में, अध्यक्ष महोदय, इतना बड़ा फैसला है, आज तक जीरो ऑवर में कोई संकल्प आया है क्या? (व्यवधान) जीरो ऑवर चल रहा है। उनका भाषण खतम नहीं हुआ ...(व्यवधान) आप बीच में नया ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, ऐसे मत करिये ...(व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अगर संकल्प पारित होगा तो बहुत अच्छा मैसेज जायेगा राजस्थान की जनता में मैसेज जायेगा कि सभी मिलकर के राजस्थान के हितों को चाहते हैं। इसमें प्रतिपक्ष के नेता को क्या एतराज हो सकता है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): मेरा आपसे निवेदन है कि अभी मुख्य मंत्रीजी ने यहां कहा कि आप इस बात को देख लें ...(व्यवधान) मुझे शब्दों के बारे में कहीं दिक्कत नहीं है ...(व्यवधान) मेरा आपसे निवेदन है कि आप जीरो ऑवर चलने दें और हम भी तब तक देख लेते हैं। सदन भी स्थगित नहीं करना पड़ेगा। इसको देख लेते हैं उसके बाद संकल्प आ जायेगा, कहां दिक्कत है? संकल्प के लिए मना नहीं कर रहे हैं। संकल्प आप लाये, आपका स्वागत है। संकल्प के विरोध में हम कहीं नहीं हैं. Let it be very clear. We are for sankalp. हम संकल्प चाहते हैं, संकल्प आये लेकिन अगर आप पुरानी

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

परंपराओं का निर्वहन करें कृपया ...(व्यवधान) दवे साहब, प्लीज, नो कमेंट्री, आपने पानी के मामले में अपने चैम्बर में बुलाकर के स्वयं ने मीटिंग ली थी। आपने हमसे यह भी कहा था कि आप पंजाब चलने के लिए तैयार रहेंगे, आपमें से कुछ लोगों को लेकर के मैं पंजाब जाऊंगी ...(व्यवधान) आप निवेदन सुन लें, हम लोग तैयार थे कि आप जब कहेंगी हम चले चलेंगे। अभी मुख्य मंत्रीजी ने स्वयं कहा, मुझे शब्दों के बारे में नही, बैठकर के देख लेते हैं, अगर आप अनुमति दें तो देख लेंगे। वैसे भी जीरो ऑवर चल रहा है। जीरो ऑवर आप चलने दें। बैठकर के इसको देख लेते हैं, कहां दिक्कत आ रही है इसके अंदर, अब जिद का सवाल है तो आसन को तो जिद पर नहीं आना चाहिए। (व्यवधान)

महावीरजी, मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप सबसे ज्यादा डिस ऑर्डर पैदा करते हैं इस सदन के अंदर। जब माननीय मुख्य मंत्रीजी खड़ी होती हैं तो रेयरली ही हमारी तरफ से कोई खड़ा होता है। हमारे नेता खड़े होते हैं, आप बीच में बहुत डिस्टर्ब करते हैं। यह परम्परा मत डालिए, यह अनुशासनहीनता होगी, अगर यह शुरू हो गया तो देखिए मुख्य मंत्रीजी की, सदन की नेता की एक गरिमा है।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर): प्रद्युम्नसिंहजी, आपके नेता भी कुछ ऐसी भाषा बोल जाते हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): अब आपसे निवेदन है कि आप विराजें। आपने कल तो क्या भाषण दिया था और आज आप अपनी सफाई दे रहे हैं यहां पर, विराजो आप।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर): नहीं, मैं हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करता हूं कि आपके नेता भी तो अभी गुरूजंट सिंहजी बोले तब कह दिया कि 12 बजे हुए हैं, कभी किसी की जाति पर कमेण्ट कर देते हैं, कभी कुछ कह जाते हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): ...(व्यवधान) इसको देख लेते हैं, इसमें कहां दिक्कत आ रही है। आप व्यवस्था दें कृपया, आप व्यवस्था दे दीजिए इसके ऊपर। ...(व्यवधान) ।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर): आप अपने नेताजी को भी समझा कर रखा करो।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आप मुख्य मंत्रीजी के खिलाफ बोले थे उससे तो हमारे नेता ठीक ही बोलते हैं।

श्री भरत सिंह (दीगोद): माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: अब क्या रह गया? आपने अपनी बात तो कह दी। (व्यवधान) ऐसा है, आपने अपनी बात कह दी।

श्री भरत सिंह (दीगोद): मेरी बात पर ही तो पूरी बात चली है।

श्री अध्यक्ष: किसानों की बात समझते हुए, किसानों का नुकसान समझते हुए मैंने आपको इस बात की आज्ञा दी वरना स्थगन प्रस्ताव के जरिए मैं ना भी कर सकती थी। (व्यवधान) अब आप क्या कहना चाहते हैं? सुनिए। संकल्प जीरो ऑवर के बाद आएगा, जीरो ऑवर खतम हो जाएगा, उसके बाद संकल्प आएगा। अब आप विराज जाएं। (व्यवधान) वह कैसे बोलेंगे? यह क्या तरीका है? यह बोल चुके हैं, जो बात आनी थी वह कह दी उन्होंने। श्री चन्द्रशेखर बैद।

स्थ्ागन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

ग्रामोत्थान हेतु प्रारम्भ की गयी जलग्रहण योजना में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): माननीय अध्यक्षजी, राजस्थान में चल रही जल ग्रहण योजनाओं के बारे जो भ्रष्टाचार व्याप्त है उसके बारे में मैं कुछ चीजें उजागर करना चाहता हूं। कल हमारे इस पावन सदन में बाढ़ के बारे में चर्चा हुई। यह चर्चा हुई कि बारह जिलों में भयंकर बाढ़ से कितने जान और माल की हानि हुई। इसी प्रकार राजस्थान के जो मरुस्थलीय जिले हैं जहां निरन्तर अकाल पड़ता है वहां केन्द्र सरकार ने 1993 में जल ग्रहण परियोजनाओं की शुरूआत की और इन जल ग्रहण परियोजनाओं के तहत विभिन्न तरह की योजनाएं, जिनमें ग्रामोत्थान योजनाएं हैं, जल संरक्षण योजनाएं हैं और जल संरक्षण से जुड़ी हुई विभिन्न एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज हैं उसके अंदर पानी को कैसे रोका जाए, होर्टिकल्चर को कैसे डवलप किया जाए, छोटी-छोटी लघु सिंचाई योजनाएं कैसे बनाई जाएं, इसका आरम्भ किया गया है और अभी 2003 के अंदर मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि तीन योजनाएं डीडीपी, डीपीएपी (ड्राट प्रोन एरिया प्रोग्राम) और इण्टिग्रेटेड वेस्ट लैण्ड डवलपमेण्ट प्रोग्राम, इन तीनों को मिलाकर हरियाली के नाम से नई योजना का प्रारम्भ किया गया है। इस योजना के अंतर्गत मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि 1990 से लेकर 2006 तक राज्य

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

में 24.75 लाख हैक्टेयर भूमि को इसमें लाभांवित किया जा चुका है और इसके अंतर्गत 10296 करोड़ रुपए केन्द्र सरकार की सहायता से खर्च किए जा चुके हैं। अब इसमें यह देखा जाए कि अपने राजस्थान राज्य में कितनी पंचायतें हैं और कितने जिले इससे लाभांवित हो रहे हैं। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि पूरे राज्य के अन्दर 208 पंचायतें इससे लाभांवित हो रही हैं और 4652 जल ग्रहण परियोजनाएं अभी क्रियान्वित की जा रही हैं। 7 दिसम्बर, 2004 को माननीय मुख्य मंत्रीजी ने स्वयं ने एक इसी तरह की योजना का सीकर में उद्घाटन किया था, जिसकी लागत 2450 लाख रुपए थी। अब इस योजना के अंतर्गत जितनी भी योजनाएं पंचायतों को आबंटित की गई हैं, उन योजनाओं में तकरीबन 30 लाख रुपए व्यय किए जा चुके हैं। इन 30 लाख रुपए में एक पंचायत में कई गांव शामिल करके लोगों को लाभांवित किया जाता है।

श्री अध्यक्ष: यह 30 लाख पांच साल के लिए होते हैं।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): पांच साल के लिए होते हैं तथा इसकी अलग-अलग राशि एक-एक साल के अंदर आबंटित की जाती है। मेरा आपसे निवेदन है कि इन 30 लाख रुपए से गांव के लोग लाभांवित होते हैं, वह लाभांवित होने की जगह चूंकि इन योजनाओं में व्यय की जाने वाली राशि पर कोई अंकुश नहीं रह पाता इसलिए मेरा निवेदन है कि सरकार इस पर गम्भीरता से विचार करे और कोई ऐसा रास्ता निकाले जिससे कि इस पर खर्च की जाने वाली राशि पर अंकुश लगाया जा सके और वास्तव में राजस्थान की 4 करोड़ 22 लाख जनता जो गांवों में रहती है इससे लाभांवित किया जा सके। इसी बाबत कल मेरी माननीय मंत्रीजी से भी चर्चा हुई थी उन्होंने भी यह फरमाया कि इसके जो कानून-कायदे हैं वह केन्द्र सरकार निर्धारित करती है हम इसके अंदर कुछ नहीं कर सकते। इसी बाबत केन्द्र सरकार के जो नियम हैं, वह मैं आपको चार लाइनें पढ़कर सुनाना चाहता हूं जिससे यह क्लीयर हो जाएगा कि केन्द्र सरकार के कहने के बावजूद भी राज्य सरकार को सम्पूर्ण अधिकार है कि इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी में किस तरह से चेंज कर सकते हैं, "The Zila Parishads or the DRDAs shall normally be the authority competent to decide on the suitability, or otherwise, of the project implementing agency (PIA) for taking up the projects under the watershed development programme. However, the State Government may consider ….." The State Government may consider. " …. changing the programme implementing agency in any of the projects."

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

तो राज्य सरकार को सम्पूर्ण अधिकार दे रखे हैं कि इसमें व्यय की जाने वाली राशि में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने के लिए प्रोग्राम इम्पिमेण्टिंग एजेन्सी को वह चेंज कर सकती है और प्रोग्राम इम्पिमेण्टिंग एजेन्सी के अन्दर जो-जो चैक पॉइण्ट लगाए हैं उन चैक पाइण्ट्स पर ऐसे कुछ अंकुश लगा सकती है जिससे कि इस योजना का सम्पूर्ण लाभ गांवों की जनता को मिल सके।

माननीय अध्यक्षजी, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि यह भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है, इसका एक छोटा-सा प्रमाण मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं। 1993 से लेकर 2003 तक केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को उत्कृष्ट जल ग्रहण योजनाएं बनाने के लिए बारह बार पुरस्कार दिया और पिछले तीन सालों में व्याप्त भ्रष्टाचार को देखते हुए एक भी पुरस्कार नहीं मिला। यह इस बात का प्रमाण है कि इन योजनाओं में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना निहायत ही आवश्यक है।

श्री अध्यक्षः ठीक है। माननीय मंत्रीजी कुछ बोलना चाहें तो बोल दें। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): यह बहुत इम्पोर्टेण्ट मामला है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): मेम, इस पर मेरे दस्तखत हैं।

श्री अध्यक्षः वाटर शेड पर आपका नाम तो है नहीं, सी.एस. बैद और आठ अन्य।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): इस पर दस्तखत हैं मेरे।

श्री अध्यक्षः देखें तो वैसे एक को ही बोलने की इजाजत देते हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): यह इतना महत्वपूर्ण मामला है।

श्री अध्यक्षः दो मिनट में आपकी बात आ जाए।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): हां। इसमें बारह करोड़ रुपए आ चुके हैं 1993 से लेकर आज दिन तक। यहां के अधिकांश एम. एल. एज. के यहां ये जल ग्रहण परियोजनाएं चल रही हैं, लेकिन किसी की कोई दखलंदाजी नहीं है, न ही उनको जानकारी है। हम यहां बात कर रहे हैं इफेक्टिव कण्ट्रोल की। किसी न किसी रूप में आप इसमें विधायकों को शरीक कर देते हैं, भगवान जाने कौन-कौनसी कमेटियां बनी हुई हैं, आपस में बैठकर वहां चुनाव कर लेते हैं।

श्री अध्यक्ष: केवल घर वाले ही कर लेते हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): हां, आप स्वयं भुक्तभोगी हैं, आप हमारी व्यथा को स्वयं कह रही हैं। घर-घर के लोग बैठकर चुनाव कर लेते हैं वहां बन्दरबांट हो जाती है, किसी को पता नहीं है। It is a den of corruption. मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया आप सरकार को निर्देश दें और सरकार के मंत्रीजी से मेरा निवेदन है कि आप जिला परिषद के ऊपर इसको अकेले नहीं छोड़ें। जिला परिषद के मैम्बर्स को भी वह गांठते नहीं हैं, चुनाव कराकर वह स्वायत्त शासी संस्था बन जाती है अपने आप में, एक तरह के एन. जी. ओ. बन गए, कई एन. जी. ओ. अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कई एन. जी. ओ. इतना घोटाला कर रहे हैं सारे देश के अन्दर की, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मेरा आपसे निवेदन है कि आप हमारी पीड़ा को स्वयं आप अपने जिले में देख रही हैं, बारह हजार करोड़ रुपए, यह जनता का पैसा है। From 1993 to till date, the State Government has got Rs. 12,000 crores. ...(व्यवधान) मैं गलत हो सकता हूं, सही कर दीजिए, लेकिन हजारों करोड़ रुपए आए हैं। आप इसके ऊपर देखें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, आप इसके ऊपर थोड़ा प्रकाश फरमा दें। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने जल ग्रहण योजनाओं के बारे में यहां मामला उठाया और यह कहा कि इसके ऊपर इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ऐसी हो जिसका अंकुश हो, इनका सुझाव अच्छा है, मैं इनको धन्यवाद देता हूं। अध्यक्ष महोदय, इसमें मैं इतना कह सकता हूं कि पहले यह जल ग्रहण योजनाएं जब संचालित होती थी तो केवल मात्र वहां यूजर्स कमेटी बनाकर उनके माध्यम से काम होता था बाकी जिला परिषद् की किसी भी प्रकार की एजेंसी का इन पर कोई अंकुश नहीं था लेकिन अभी 2003-04 के अन्दर भारत सरकार ने जब हरियाली गाइड लाईंस दे दी और सब को 'हरियाली योजना' के अन्तर्गत ले लिया, इन योजनाओं को, उसके बाद भारत सरकार ने यह कहा कि यह इन सब की इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी चेंज करके अब पंचायतें कर दीं। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अब इसमें जो कमेटी बनेगी उसमें सरपंच और सरपंच के साथ-साथ तीन विशेषज्ञ, एक कृषि विशेषज्ञ, एक पशुपालन विशेषज्ञ, एक इंजीनियरिंग का विशेषज्ञ और एक सामाजिक कार्यकर्ता, इस तरह चार आदमी इस कमेटी के

मैम्बर होंगे और ये कमेटी भी अब पंचायत नहीं बनाएगी। इस कमेटी का अनुमोदन पंचायत समिति करेगी, यह हमने निर्देश देकर काम शुरू करवा दिया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां पहले कोई चैक तो था ही नहीं, उस जगह जिला परिषद्, पंचायत समिति का भी चैक है और जिला परिषद् के अन्दर हमने जल ग्रहण कमेटी भी बना रखी है, वह कमेटी भी इसके ऊपर चैक और बैलेंस करती है और इसके अलावा और फिर सरपंच हो या पंचायत तो कुल-मिलाकर मेरा निवेदन यह है कि जो कुछ हमने अभी जो ये इनकी चेकिंग का जो सिस्टम बना रखा है, वह ठीक है और फिर भी उसमें कोई सुधार की कोई ...

श्री अध्यक्षः आप तो यह बता रहे हैं कि विधायक को यदि आप इसमें सम्मिलित कर लें तो आपको क्या ऐतराज है ?

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): मैं पूरा कर दूं।

श्री अध्यक्षः हां। तो क्या ऐतराज है ?

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कल मुझे यह कहा था कि जल ग्रहण की जो कमेटी जिला परिषद् की है उसमें विधायकों को भी मैम्बर बनाया जा सकता है। मैंने कहा कि उसमें मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आएगी, अगर आएगी तो हम भारत सरकार से परमिशन लेकर बना सकते हैं।

श्री अध्यक्षः तो फिर आपने सुना क्या, उन्होंने जो आर्डर पढ़कर बताया?

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): नहीं, उसमें यह नहीं है कि कम से कम मैम्बर बनाएं, जल ग्रहण समिति के मैम्बर उन्होंने गाइड लाइन भी तय कर रखी हैं, पर उसके बावजूद भी अगर इन्होंने इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के बारे में कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, इस पर हमको सुविधा दी है तो उसका पूरा उपयोग करेंगे। मैं पूरे सदन को आश्वस्त करता हूं कि विधायकों को भी उसमें मैम्बर बनाने के लिए हम इसको ले लेंगे और निश्चित रूप से बनाएंगे।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): विचार करोगे तो सारा मामला हवा में उड़ जाएगा। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, एक आपने यह कहा कि 1993 से लेकर 2003 तक तो बहुत अच्छी संचालित हुई और ईनाम भी मिला, पारितोषिक भी मिले और बाद में नहीं मिला। यह आपका कथन बिलकुल असत्य है। इस साल भी भारत सरकार ने राजस्थान को प्रथम, अजमेर के अन्दर एक वाटरशेड, उसको प्रथम पुरस्कार दिया है, इसके अलावा गत वर्ष भी दिया है। आप चाहोगे तो वह पुरस्कार कहां दिये हैं, क्या-क्या उसमें दिया है, यह सारा मैं माननीय सदस्य को दे दूंगा। यह कहना गलत है कि 2003 के बाद में इसमें कोई काम नहीं किया, भ्रष्टाचार ज्यादा है, ऐसी बात नहीं है, अध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार तो इसके पहले ज्यादा था, 2003 से पहले क्योंकि इस पर कोई चैक नहीं था। यहां इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो थी, वह यह मानते थे कि जैसे कोई हमारे ऊपर राजस्थान सरकार का नियंत्रण ही नहीं है, हम तो भारत सरकार से ही कार्य करवाने वाले हैं। इस तरह से मांग करके काम करवाने वाले थे। अब तो पंचायत के वार्ड पंच से लेकर जिला प्रमुख तक का भी चैक है और माननीय सदस्यों को मैं फिर आश्वस्त करता हूं कि हम इसमें आपको मैम्बर बनाएंगे और निश्चित रूप से आपका भी उसमें सहयोग रहे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय प्रद्युम्न सिंहजी ने कहा कि घर-घर में बैठ कर इस तरह की कमेटी बना लेते हैं। ये कमेटियां पहले यूजर्स कमेटी बनायी जाती थी उसमें गांव में जो बनाने वाले थे, वह एक घर से भी हो सकते थे पर अब तो उसमें स्पेसिफाई कर दिया कि एक सरपंच के अलावा और कोई वहां लोकल आदमी होता ही नहीं, यह एक्सपर्टाइज उसी का रहेगा, वह कमेटी भी पंचायत समिति बनाएगी, न कि पंचायत बनाएगी इसलिए जो एक परिवार के लोगों को बनाने की जो...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: क्या फर्क पड़ता है पंचायत कराएगी या पंचायत समिति कराएगी। (व्यवधान)

श्री जितेन्द्र सिंह (अलवर): एक ही बात है, सरपंच बनाए या पंचायत समिति बनाए। ये सारी बातें किताबों में अच्छी लगती हैं। अध्यक्ष महोदय, प्रेक्टिकल नहीं हो सकता यह।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): कोई न कोई तो बनाएगा। (व्यवधान)

श्री जितेन्द्र सिंह (अलवर): यह कोई प्रेक्टिकल बात नहीं है।

(श्री जितेन्द्र सिंह)

(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, यह प्रेक्टिकल में अच्छा नहीं लगता, यह पढ़ पढ़ कर बनाते हैं, यह अच्छा नहीं लगता है। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): अध्यक्ष महोदय, यह सही नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री अमराराम । कह दिया न, कह तो दिया कि एमएलएज को बना देंगे।

श्री जितेन्द्र सिंह (अलवर): 5 परसेंट आप खाना और जितनों को जोड़ोगे तो सब खाते रहेंगे परसेंटेज और इसके द्वारा भ्रष्टाचार बढ़ता जाएगा।

श्री अध्यक्ष: तो एमएलए को नहीं जोड़ें ? आपका मतलब यही है क्या कि एमएलए को नहीं जोड़ें, वह भी खाएगा। (व्यवधान) कह तो दिया, आपने सुना नहीं ? कह दिया कि एमएलए को जोड़ेंगे उसमें।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आपका कोई कंट्रीब्यूशन रहेगा क्या ? कहीं कलम आपकी चलेगी क्या? (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): मेरा यही कंट्रीब्यूशन रहेगा कि आप लोगों को मैम्बर बनवाऊंगा। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय ने मुझे निर्देशित किया है और मैं बनाऊंगा। यह काम मैं करूंगा। यह मेरा कंट्रीब्यूशन होगा। आप इसमें और क्या कंट्रीब्यूशन चाहते हो और बता दीजिए।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आप इसके अलावा और कुछ जोड़ दोगे क्या, यह बताओ।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): भ्रष्टाचार को रोकने का प्रयास मैं करूंगा जितना मेरे से हो सकता है।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आप अगर जोड़ोगे तो हमें डर लगता है।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): प्रतिपक्ष के नेता महोदय, आपको मेरे से क्यों डर लग रहा है? मैं प्रतिपक्ष का नेता तो बनने से रहा, मेरे से क्यों डर रहे हो, पता नहीं। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर): जैसे प्रभुलालजी सैनी ने बनाया था कृषि उपज मंडी में हमको मैम्बर वैसे ही तो नहीं बना दोगे?

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण के किसानों में अजमेर समझौता, 2004 लागू नहीं करने से असन्तोष

श्री अमराराम (धोद): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान की इंदिरा कैनाल के प्रथम चरण के किसानों को जो उनके हिस्से का पानी मिलने की जो समस्या है इसके बारे में आपके माध्यम से सदन का और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि 2004 में राजस्थान की इंदिरा कैनाल का प्रथम चरण के किसानों का संघर्ष हुआ और 11 दिसम्बर, 2004 को सरकार के साथ एक लिखित समझौता हुआ कि इसके अनुसार जो 14100 क्यूसेक्स की जो नहर है, प्रथम चरण का 8200 क्यूसेक्स और सैकण्ड फेज का 5900 क्यूसेक्स लगातार पानी मिलता रहेगा और इसके आगे के लिए एक स्थाई समिति बनाई जाएगी और जब तक यह लागू रहेगा तब तक समिति का नहीं आएगा लेकिन अध्यक्ष महोदय, जो 22 लाख परिवारों से संबंध, जो प्रथम चरण का है, उस लिखित समझौते के बाद, जिस समझौते के पहले सरकार की ओर से वहां के 6 किसान इस पानी की मांग के लिए सरकार की गोलियों के शिकार हुए, हजारों किसानों ने लाठियां खाईं और उसके बाद 11 दिसम्बर, 2004 को अजमेर जेल में राजस्थान की सरकार, एस.एन. थानवी जो सिंचाई सचिव हैं, उनका लिखित में यह समझौता है लेकिन इसके एक साल बाद फिर वहां के किसानों को आन्दोलन करना पड़ा क्योंकि सरकार ने 5.23 के हिसाब से 8200 क्यूसेक्स प्रथम चरण का पानी अलग करने का और अलग रेगुलेशन करने का जो लिखित समझौता किया था, उसको राजस्थान की सरकार ने लागू नहीं किया और फिर वहां के किसानों को आन्दोलन करना पड़ा और वह आन्दोलन ही नहीं, इस पोंग डेम की फुल कैपेसिटी होने के बाद भी सरकार की अराजकता के कारण पानी का समान वितरण नहीं करने के कारण पिछली बार रबी की फसल में पुराने डेम की क्षमता के बाद भी रबी की फसल की आखिरी पिलाई के लिए हमारी राजस्थान की सरकार को केन्द्र सरकार और पंजाब की सरकार को निवेदन करना पड़ा और फसल की पकाई के लिए आखिरी पानी लेना पड़ा और उससे पकाई। उसके बाद खरीफ की फसल की बुवाई 10 प्रतिशत भी नहीं हुई और इस साल तो फिर करीब-करीब कैपेसिटी फुल होने के बाद सरकार ने अभी रेगुलेशन जारी किया कि 13 अक्टूबर से रेगुलेशन चालू होगा और 31 मार्च के बाद

(श्री अमराराम)

केवल पीने का पानी मिलेगा, डेम फुल होने के बाद केवल एक फसल होगी। दूसरी जो खरीफ की फसल है उसमें कोई बुवाई नहीं होगी, केवल पीने का पानी मिलेगा। इसका मूल मकसद यह है कि जो प्रथम चरण के किसान 30 साल से पानी ले रहे थे, उसको पूरा लेने की और जिस संघर्ष के कारण सरकार की जिस तरह दमनकारी नीति से सरकार को झुकना पड़ा।

उससे प्रथम फेज के किसानों से दुश्मनी निकालने का काम सरकार कर रही है क्योंकि जितना सिंचाई का पानी प्रथम फेज को मिलना चाहिए, जितना सैकण्ड फेज का है, प्रथम फेज का किसान कोई यह मांग नहीं करता कि सैकण्ड फेज का जितना पानी है वह प्रथम फेज को दे दिया जाए। उनका इतना ही समझौता था कि प्रथम फेज के रेजुलेशन को अलग कर दीजिए और मैं समझता हूं यह रेजुलेशन किया जाए तो एक नहीं दोनों फैसले हो सकते हैं। ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी साफ लिखा हुआ है कि प्रथम चरण में जो योजनाएं हैं वह प्रथम चरण भोगेगा, सैकण्ड चरण में है वह सैकण्ड चरण भोगेगा और जो लोसेज होंगे वह भी दोनों चरणों के लोग भोगेंगे, लेकिन सरकार की मैं समझता हूं उस प्रथम चरण के किसानों की इस दमनकारी नीति से उसके बदले की भावना से वहां के किसानों को आज भी पिछले दो महीने से लगातार खाजूवाला, लूणकरणसर, घड़साना, रावला के किसान इस बात के लिए पंचायतें करके सभा की और आखिर में 30 सितम्बर को घड़साना में हजारों किसानों ने पूरे प्रथम चरण के रावला, घड़साना से लेकर रावतसर के किसानों ने एकजुट होकर यह पानी होते हुए भी हमारी फसल नहीं हो रही है इसके लिए मजबूर होकर सरकार द्वारा सुनवाई नहीं करने के कारण हमें मजबूर होकर उस घड़साना में उसी पानी के लिए छह किसानों ने अपने प्राण दिये थे। उन्हें फिर पड़ाव करना पड़ेगा, 10 अक्टूबर को पूरा रास्ता जाम करना पड़ेगा, इसलिए आज भी सरकार से आपके माध्यम से मेरा निवेदन है कि जो समझौता दिसम्बर, 2004 में किया हुआ है, आज दो साल हो गये उसको सही रूप से आज तक नहीं लागू किया गया और आज भी अगर पानी होते हुए किसान को नहीं मिलेगा, फिर किसान को आंदोलन में सड़कों पर आना पड़ेगा, मैं समझता हूं यह न राजस्थान की सरकार के हित में है और न किसान के हित में है क्योंकि राजस्थान की सबसे बड़ी परियोजना है, 1970-71 से लेकर आज तक सिंचाई होती आ रही है और इसी असफलता के कारण चार साल तक वे

(श्री अमराराम)

किसान तबाह हुए हैं। इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से एक ही निवेदन है कि सरकार ने न केवल 11 दिसम्बर, 2004 को बल्कि 8 सितम्बर, 2005 को अखिल भारतीय किसान सभा के सामने पूरे मंत्रिमण्डल और मुख्यमंत्री की मौजूदगी में यह कहा था कि जो दिसम्बर, 2004 में समझौता हुआ उसको पूर्ण रूप से लागू करेंगे और उसे लागू करने में कोई कठिनाई आएगी तो किसान, मजदूर, व्यापार संघर्ष समिति के नेताओं के साथ सरकार वार्ता करेगी और सरकार की निष्क्रियता यह है कि एक साल से ज्यादा समय बीतने के बाद भी इसको लागू करने में सरकार जो कुछ कठिनाई महसूस करती है तो उस संघर्ष समिति के नेताओं के साथ सरकार ने जो वार्ता करने का वादा किया था 8 सितम्बर, 2005 को, आज अक्टूबर, 2006 में, 5 अक्टूबर है, लेकिन आज तक उनके साथ कोई चर्चा नहीं की गई है इसलिए आपके माध्यम से मेरा सरकार से एक ही निवेदन है कि राजस्थान की सरकार ने जो समझौता किया था, उसको पूर्ण रूप से लागू करे और वहां के किसानों का जो असंतोष है, उसको दूर करने का काम करे और राजस्थान के विकास के लिए उस असंतोष को दूर करके उनको पूरा उनके हक का पानी दिया जाएगा तभी वह असंतोष मिट पाएगा। यह किसान के हित में भी होगा और सरकार के हित में भी होगा। अगर सरकार नहीं करेगी तो किसान अपने खेत को तबाह होते हुए नहीं देख सकता, इसके लिए सड़कों पर आएगा, संघर्ष होगा, वह अनहोनी घटना दुबारा न हो मैं इस बात के लिए आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): अध्यक्ष महोदय, इसमें मैं एक बात मेरी भी निवेदन करना चाहता हूं ..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्रथम चरण के किसानों की पैरवी करने वाले तो बहुत हैं आपको तो उनकी पैरवी करनी चाहिए जहां पानी नहीं है, वहां पानी पहुंचना चाहिए।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): अध्यक्ष महोदय, मैं इसी में एक बात निवेदन करना चाहूंगा ..(व्यवधान) माननीय मंत्री महोदय, अभी जो रेजुलेशन तय किया गया 27 तारीख को जो मीटिंग हुई थी इसमें तय किया गया कि दो ग्रुप बनाये जाएंगे, लेकिन आज मौके पर वहां तीन ग्रुप बनाये गये हैं। इससे काश्तकार को 21 दिन के बाद में पानी मिलेगा।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर): अध्यक्ष महोदय, मैं इस संबंध में निवेदन करना चाहता हूं, अमरारामजी की ईमानदारी पर कोई संदेह नहीं है, लेकिन इनकी पार्टी वहां पर जो कर रही है और चाहे सरकार की मंशा है, दोनों की एक जैसी ही है।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): मंत्री महोदय, अभी जो रेजुलेशन तय किया गया है वह उससे अलग पेश किया गया है।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर): सरकार भी नहीं चेत रही और आपकी पार्टी के जो वहां के नेता हैं, वे भी इसी स्तर के हैं।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी कुछ बोलने जा रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर): आपने तो उल्टा उनको छुड़वा लिया यहां, नहीं तो पड़े सड़ते जेल में वे।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी बोल रहे हैं।

श्री अमराराम (धोद): यह सरकार का लिखा हुआ है, मेरा लिखा हुआ नहीं है।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर): यही टीटी साहब चुनाव से पहले ..(व्यवधान) ये आते-जाते थक गये थे और अब इनको कोई याद नहीं आ रहा। जब दुबारा मरेंगे या कुछ होगा फिर दूसरे मंत्री यहां से भागेंगे और वे सर्किट हाउस के सारे कमोड भर देंगे। इनको लेना, न कुछ देना।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, धोद से आने वाले माननीय सदस्य ने 11 दिसम्बर, 2004 को केन्द्रीय कारागृह, अजमेर में जो समझौता श्री हेतराम बेनीवाल, वल्लभ कोचर, साहिबराम पूनिया के साथ राजस्थान के शासन सचिव श्री एस.एन. थानवी के साथ हुआ उसका जिक्र किया। पहले तो माननीय सदस्य को और सदन को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो भी यह समझौता है, अक्षरशः इसका पालन कर दिया गया है। इसका एक-एक कंटेंट मैं सुना दूं, इसमें बहस क्या कर रहे हो? आप कहीं भी ले जाओ कोर्ट कचहरी में अगर पालना नहीं की तो। मेरा निवेदन यह है कि न तो इसको पढ़ते, न लिखते केवल जनता को वहां भ्रमित करने की कोशिश करते हैं। इसको मैं पढ़कर सुनाता हूं। ''पौंग डेम से इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र के प्रतिवर्ष मिलने वाले कुल पानी 14100 क्यूसेक की क्षमता वाली नहरों हेतु पानी का वितरण यथा प्रथम चरण की 8200 क्यूसेक तथा द्वितीय चरण की 5900 क्यूसेक की क्षमता वाली नहरों के माध्यम से प्रथम

(श्री सांवर लाल)

चरण में 5.23 क्यूसेक प्रति हजार एकड़ तथा द्वितीय चरण में 3.00 क्यूसेक प्रति हजार एकड़ के हिसाब से पानी दिया जाता रहेगा। इसी अनुपात से पानी आवश्यकतानुसार घटता-बढ़ता रहेगा। पीने का पानी आवश्यकतानुसार बता रहा हूं, जारी रहेगा। अब इसका मतलब अगर आपको मैं एक-एक समझाऊं कि यह नहरों की क्षमता वाटर अलाउंस 5.23 क्यूसेक प्रति हजार एकड़ और 3 क्यूसेक प्रति हजार एकड़ के अनुसार पानी मिलना चाहिए, वह मिल रहा है।

दूसरा, यह है कि यह तो हमने इसको जारी रखा नहीं तो आज जो प्रतिपक्ष में बैठे हैं, पहले सरकार में थे, उन्होंने उस समय मंत्रिमण्डल से फैसला कर दिया था कि प्रथम चरण का वाटर अलाउंस 5.23 क्यूसेक के स्थान पर प्रति हजार एकड़ के स्थान पर 3.5 एकड़ प्रति हजार रहेगा। इसको हमने कम नहीं किया और हमारा समझौता भी यही है इसलिए यह अक्षरशः बार-बार प्रचारित करना मैं उचित नहीं मानता हूं और एक नागरिक की हैसियत से जो हमारी जिम्मेदारी बनती है और एक विधायक की हैसियत से जिम्मेदारी बनती है, जनता में कम से कम सही बात जानी चाहिए।

नम्बर दो, राज्य सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि सिंचाई हेतु उपलब्ध पानी सभी काश्तकारों को विशेष रूप से अंतिम छोर के काश्तकारों को समान रूप से निरन्तर मिलता रहे, इसके लिए भी हमने बराबर प्रयास किया है और मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं टेल एंड के काश्तकार हैं इन दो सालों में पानी मिला है, उससे पहले पानी नहीं मिला उससे ज्यादा पानी मिला है। इसी का नतीजा है कि आज उस क्षेत्र के अंदर मस्टर्ड की बम्पर क्रोप हुई है और वसुंधराजी जैसी मुख्य मंत्री हैं जिन्होंने हिम्मत करके ढाई-ढाई हजार करोड़ की सपोर्टिंग प्राइस पर खरीदी है। आज तक देश आजाद होने के बाद कोई भी रिकार्ड बता दें हमें, कि इतनी कीमत की फसलें कभी भी इस राजस्थान में खरीदी गई हों। जब हम प्रतिपक्ष में थे राजस्थान में बाई दीवे मानसून ठीक हो गया, बाजरा पैदा हो गया उसको भी सरकार नहीं खरीद सकी थी। इसलिए दूसरे नम्बर की भी हमने पालना की है।

तीसरा है, इस वर्ष डेम में जल की अत्यधिक कमी को देखते हुए राज्य सरकार विशेष प्रयास कर 12.12.04 के बाद तीन सप्तरोजा बारी उपलब्ध कराएगी। यह हमने करा दिया, उस समय की बात है। दोनों चरणों का वितरण जन-प्रतिनिधियों की अलग-अलग कमेटी तय करेगी जिसकी अध्यक्षता प्रथम चरण के लिए मुख्य अभियन्ता (उत्तर) हनुमानगढ़ तथा

(श्री सांवर लाल)

द्वितीय चरण के लिए मुख्य अभियन्ता, इंदिरा गांधी नहर, जैसलमेर करेंगे। इनकी मीटिंग करा दी गई है, यह काम बदस्तूर जारी है। राज्य सरकार उपायुक्त की एक समिति का गठन करेगी जिसमें सिंचाई, कृषि विशेषज्ञ तथा अन्य के साथ किसान संघर्ष समिति के चार प्रतिनिधि शामिल होंगे। यह कमेटी भी गठित कर दी गई है। इसमें श्री हेतराम बेनीवाल, श्री वल्लभ कोचर, श्री साहिबराम पूनिया, श्री लेखासिंह को सदस्य बनाया गया। समिति की बैठकें हुई और उसमें इन्होंने जान-बूझकर भाग नहीं लिया, मैं यही कहूंगा। अभी जो पानी की स्थिति है, माननीय सदस्य बिजली में ज्यादा एक्सपर्ट हैं, पानी के मामले में आपका इतना ज्यादा तजुर्बा नहीं है इसलिए पोंग डैम के लेवल से आप जैसी बातें करके गुमराह करें, तो यह भी उचित नहीं है।

एक पोंग डैम भरने से काश्तकारों को पर्याप्त पानी नहीं मिलेगा। इनके जो इन-फ्लोज होते हैं, साल भर पानी आता रहता है बर्फ पिघलती रहती है उनसे उनको जोड़ने के बाद में यह सारा कैल्कुलेशन हमने 20 मई आयेगी तब तक हमारा डिप्लीशन पीरियड उसके हिसाब से कैल्कुलेट किया। अगर कभी बैटर इन-फ्लोज हुए तो रेगुलेशन में प्रावधान रख दिया है कि नवम्बर के आखिरी सप्ताह में वापस री-असेस करके अगर पानी सरप्लस होगा तो और किसानों को दिया जाएगा।

इसके अलावा गत साल की बात का भी जिक्र किया है। अध्यक्ष महोदय, गत साल इसीलिए आई थी कि हमने जो इन-फ्लोज कैल्कुलेट किये थे उसके हिसाब से इनफ्लो नहीं होने की वजह से आखिर में पानी का संकट आया। तब हमारे सभी माननीय सदस्यों ने चाहे पक्ष या प्रतिपक्ष किसी भी पार्टी के हों, हमने भी यह रिक्वैस्ट की कि राजस्थान की उन नहरी क्षेत्रों की समस्या के समाधान का सवाल है, हम सबने मिलकर माननीय मुख्य मंत्रीजी के नेतृत्व में एक संकल्प पास किया है, वहाँ पर बातचीत की और उस हिसाब से और पानी लेकर के हमने हमारे किसानों की व्यवस्था की। इसके लिए मुख्य मंत्रीजी का और मैं आप सब का भी बहुत-बहुत आभारी हूं।

अभी माननीय सदस्यों ने कहा कि रेगुलेशन आपने तीन में से एक किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात जरूरी है, रेगुलेशन हमारा तीन ग्रुप में से एक ग्रुप का 11 तारीख को खतम होगा और 11 तारीख के बाद 12 तारीख से हमने चार में से दो ग्रुप चला दिये। अभी टेम्परेचर भी बहुत हाई है। अध्यक्ष महोदय, 40 डिग्री के लगभग टेम्परेचर है। मैं आपको आश्वस्त कराता

(श्री सांवर लाल)

हूं कि किसानों की बिजाई भी होगी और फसल पकाने के लिए पानी की व्यवस्था भी सरकार अपने प्रयास से करेगी। मैं तो आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि हमने जो समझौता किया है राजस्थान की सरकार ने केन्द्रीय कारागार, अजमेर में उसकी अक्षरशः पालना की गई है। एक-एक माननीय सदस्य को शंका है तो मैं और बता सकता हूं। मैं तो आप सबसे यही अनुरोध करना चाहता हूं कि जो गलतफहमियां उस क्षेत्र में फैलाई जा रही हैं, किसानों को जिस नाम से गुमराह किया जा रहा है, उसका आपको सही प्रचार करना चाहिए। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): ..... पूरा डैम है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: विस्तार से मंत्रीजी ने जवाब दे दिया है अब उसके बारे में कोई और प्रश्न पूछने की मैं अनुमति नहीं दूंगी। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर): अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने जवाब सही नहीं दिया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सही नहीं दिया?

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर): नहीं।

श्री अध्यक्ष: अब जैसा दिया वैसा दिया। (व्यवधान) धोद से आने वाले माननीय सदस्य, आपके सब प्रश्नों का जवाब दे दिया। (व्यवधान) अब और कोई शंका है तो आप और नियमों में आइये। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): ... लोगों को गुमराह करने से काम नहीं चलेगा। (व्यवधान) मैंने हमेशा कहा है कि कोई भी शंका समाधान हो, संघर्ष समिति बात करना चाहती है तो सरकार के दरवाजे खुले हुए हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आसन पांव पर है।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर): मंत्रीजी, आप क्यों चिल्लाये जा रहे हो? (व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): गंगानगर के दौरे पर भी हमने कहा और आज भी आपको आश्वस्त करता हूं कि अगर किसी प्रकार की शंका है... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आसन पैरों पर है। आप विराज जाएं। (व्यवधान) मंत्री जी, आपने पूरा जवाब उनको दे दिया है। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर): ....न तो उनको पानी दिलवाना है। (व्यवधान) जब आपके भी समझ में नहीं आ रहा है तो क्यों..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): अध्यक्ष महोदय, अगर आपकी इजाजत हो तो एक निवेदन कर दूं।

श्री अध्यक्ष: नो-नो। जब मैं खड़ी हूं...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आप यह कह दीजिये कि इजाजत नहीं दूंगी तो बैठ जाऊंगा।

श्री अध्यक्ष: हां, नहीं दूंगी।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आपने यह कहा था कामां के बारे में कि आप बाद में कह देना। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: पहले मुझे आप प्रक्रिया के नियम करने दीजिये उसके बाद आप जो कुछ कहना हो वो कहियेगा।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, मैं पढ़कर सुना देती हूं लेकिन आज इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाएगा। पढ़ दिया, मान लिया जाएगा। अब सवाल आता है पर्ची का। पर्ची हमेशा दी जाती है किसी रीसेंट आकरेंस पर कि कोई बहुत अविलम्ब घटना हो, बहुत तुरंत की घटना हो, उस पर दी जाती है। माननीय सदस्यों ने अपनी ही सुविधाओं के बारे में पर्चियां दी हैं। चारों पर्चियां एक ही हैं। मैं चाहूंगी मुख्य मंत्रीजी से कि मुख्य मंत्री जी इस सम्बन्ध में, जो 4-5 सदस्यों ने दिया है, आप कमेटी बना लें, मुख्य मंत्रीजी से मिल लें, मुख्य मंत्रीजी से इस बारे में बात कर लें।

(नियम 295 के प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर): अध्यक्ष महोदय, इस मामले में सभी विधायकों की पीड़ा एक ही है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बीच में नहीं। बैठिये तो सही अब आप। आसन पैरों पर है और आप खड़े हो जाते हैं।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर): नहीं, मेरी पर्ची नहीं है वैसे तो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आसन पांव पर है न।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर): मैं बैठ गया।

श्री अध्यक्ष: तो इस सम्बन्ध में मुख्य मंत्रीजी से मिल लें, उनसे मेरी बात हो गई है। वो जितना आपको सुनकर जो कुछ सुविधाओं के बारे में कर सकेंगी, वह उन्हें सौंप दिया है।

अब मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 306 के अन्तर्गत उस नियम को निलम्बित करते हुए मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगी कि वो अपना संकल्प प्रस्तुत करें।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): माननीय नेता महोदया, क्षमा चाहूंगा एक मिनट के लिए। एक मिनट के लिए प्लीज। अध्यक्ष महोदय, हम अपनी बात ही मुख्य मंत्रीजी को नहीं कहेंगे तो मुख्य मंत्रीजी विचार कैसे करेंगे? (व्यवधान) हम बतायेंगे कैसे मुख्य मंत्रीजी को? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: काहे पर बोलना चाहते हैं आप? क्या मंशा है आपकी? (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): हमारी तकलीफ है। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): जो हमारी पर्चियां हैं उन पर बात ही नहीं कहेंगे तो मुख्य मंत्रीजी को कैसे पता चलेगा। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): अध्यक्ष महोदय, जो तकलीफ है, वो ही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): हमारी पर्ची निकली है।

श्री अध्यक्ष: जन प्रतिनिधियों की प्रोटोकाल एवं अन्य सुविधाओं के बारे में मैंने कह दिया है मुख्य मंत्रीजी को कि कमेटी बना दीजिये वो कमेटी मिल लेगी मुख्य मंत्रीजी से और मुख्य मंत्रीजी इस सम्बन्ध में कुछ करके आपको बता देंगे।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): अध्यक्ष महोदय, थोड़ा दो मिनट का समय तो दे दें।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): हम अपनी बात ही नहीं कहेंगे तो मुख्य मंत्रीजी क्या कहेंगी? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप सुविधाएं मांग रहे हो। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर): अध्यक्ष महोदय, यदि आपकी सुविधाएं आज छीन ली जाएं तो जरूर आप परमिशन देंगी। (व्यवधान)

(श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर)

अध्यक्ष महोदय, आपकी सुविधाएं भी छिन जाएं तो आज ही आप परमिशन दे देंगी। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): विधायकों के लिए नहीं है। मेरी पर्ची जन प्रतिनिधियों के लिए है एम. एल. ए. के लिए नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : लीडर ऑफ द हाउस खड़ी हैं। (व्यवधान)

शासकीय संकल्प

भारत सरकार द्वारा सरसों की खरीद का समर्थन मूल्य बढ़ाने विषयक

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा का यह सदन संकल्प करता है कि राजस्थान के किसानों के व्यापक हित को देखते हुए और राजस्थान की जलवायु, भौगोलिक स्थिति और जल संसाधनों को मद्देनजर रखते हुए अधिकांश क्षेत्र में वह जिंस बोये जाते हैं जिनमें कम से कम पानी की आवश्यकता है। इन्हीं कारणों से राजस्थान में करीब 27 से 30 लाख हैक्टेयर में सरसों की बुवाई होती है। देश में तिलहनों की कमी को दूर करने के लिए भारत सरकार द्वारा भी तिलहनों की खेती के लिए अनेक कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं एवं उचित समर्थन मूल्य निर्धारण किया गया है ताकि कृषक को उसकी लागत के प्रतिफल में उचित मूल्य प्राप्त हो सके। भारत सरकार की पहल को आगे बढ़ाते हुए राज्य सरकार ने रबी 2005-06 में सरसों की उत्पादकता बढ़ाने हेतु टार्गेट 20+ का कार्यक्रम चलाया जिसमें बहुत अच्छी सफलता प्राप्त की है। वर्षा की कमी और जल संसाधनों की कमी को देखते हुए सरसों के लिए इस वर्ष 27 लाख हैक्टेयर का लक्ष्य रखा गया है। भारतवर्ष की कुल सरसों के उत्पादन का 45 प्रतिशत उत्पादन राजस्थान में हो रहा है। इस प्रकार सरसों के उत्पादन में राजस्थान अग्रणी राज्य है। वर्ष 2006 में सरसों का समर्थन मूल्य 1715 रुपये प्रति क्विंटल था। कृषि लागत मूल्य आयोग ने अब 2007 के लिए इसको घटाकर 1600 रुपये प्रति क्विंटल करने का सुझाव दिया है। किसानों की बढ़ती लागत यानी बीज, पानी, खाद को देखते हुए मूल्य घटाना राजस्थान के कृषकों के हित में नहीं है। राजस्थान में किसानों को रेलवे रैक्स के अभाव में आवश्यकतानुसार डी ए पी और यूरिया उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इस वर्ष गत वर्ष के मुकाबले दो लाख मैट्रिक टन उर्वरक की अधिक आवश्यकता होगी।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

अभी राजस्थान में फसल बुवाई का कार्य तेजी से चल रहा है और इसमें लगभग साढ़े तीन लाख मीट्रिक टन डी ए पी की तत्काल सम्पूर्ण प्रदेश में भिजवाये जाने की आवश्यकता है। अतः राजस्थान विधान सभा का यह सदन भारत सरकार से अनुरोध करता है कि भारत सरकार द्वारा सरसों की खरीद का समर्थन मूल्य यथावत ही नहीं, अपितु बढ़ाकर 1800 रुपये प्रति क्विंटल करने की आवश्यकता है। साथ ही राजस्थान में रबी 2006-07 के लिए किसानों को उर्वरक समय पर उपलब्ध कराने के लिए रेलवे रैक्स की व्यवस्था भी सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता है। यह सब पूरे सदन की ओर से हम लोगों ने संकल्प पारित किया है। मैं सब माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहती हूं और मैं विश्वास करती हूं...

श्री अध्यक्ष: नहीं, पारित नहीं हुआ, आपने प्रस्तुत किया है। मुझे बोलने दें।

प्रश्न यह है कि सरसों, खाद एवं उसके मूल्य के सम्बन्ध में जो संकल्प मुख्य मंत्रीजी ने प्रस्तुत किया है उसे सर्वसम्मति से पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।

अनुरोध एवं मांग

विधायकों को प्रोटोकोल के अनुसार प्राप्त दर्जे के अनुसार महत्व दिया जाना

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): अध्यक्ष महोदय, आपने कह दिया कि अपनी सुविधाओं के लिए पर्ची दी है। हम कोई बजट नहीं मांग रहे हैं, कोई पैसा नहीं मांग रहे हैं। प्रोटोकोल से सम्बन्धित काफी बातें हैं जो कि अध्यक्ष महोदय, आप अगर इजाजत दें तो मैं निवेदन करना चाहूंगा। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, प्रोटोकोल के मामले में राजस्थान विधान सभा के सदस्य को चीफ सैक्रेटरी से ऊपर का दर्जा दिया गया है पर अध्यक्ष महोदय, हालत यह है कि....

श्री अध्यक्ष: सुनिये, इस प्रोटोकोल के बारे में, सुविधाओं के बारे में जैसा कि मैंने कहा, आप 5-7 अपने माननीय सदस्यों की एक समिति बना दें, वह समिति मुख्य मंत्रीजी से मिलेगी और मुख्य मंत्रीजी से मिलकर.... (व्यवधान) समय समाप्त होने के बाद, जीरो आवर समाप्त हो गया।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): अध्यक्ष महोदय, जो बात है, वह बात तो सुनो।

श्री अध्यक्ष: यह कहकर आप क्या चाहते हो?

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): मैं कोई सरकार के खजाने पर वज़न नहीं बढ़ाऊंगा।

श्री अध्यक्ष: वह सुन ही नहीं रही हैं, मैं किसे सुनाऊं? वह सुनें तब न।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): इनके कान बहुत हैं। सब तरफ से इनको सूचना मिलती है चाहे कुछ भी बोलो। पत्ता भी हिलता है तो मुख्य मंत्रीजी को पता लग जाता है, इतना तो मैं पढ़ा-लिखा जरूर हूं। अध्यक्ष महोदय, प्रोटोकोल में चीफ सैक्रेटरी से ऊपर दर्जा दिया है और हालत यह है कि जब सचिवालय के अन्दर जाते हैं तो पर्ची देनी पड़ती है। यह कहां का न्याय है, क्या प्रोटोकोल है?

श्री अध्यक्ष: आप अपना परिचय-पत्र दिखाया करें, तब आपको मिल जायेंगे।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): अध्यक्ष महोदय, यह सदन है, यह इस बात का साक्षी है। वह नहीं बोल रहे हैं तो मेरे बस.......

श्री अध्यक्ष: विधान सभा सदस्य का कार्ड आप दिखा दें।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): अध्यक्ष महोदय, दूसरा मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज कोई रिटायर्ड अधिकारी हो, कोई आई.ए.एस. हो, कोई आर.ए.एस. हो, उसको दिल्ली के अन्दर रूकने की सुविधा है और कोई एक्स-विधायक हो तो उसको एक घंटे की भी छूट नहीं है। यह क्या प्रोटोकोल है? एक्स-विधायक दुबारा विधायक बन सकता है, मंत्री भी बन सकता है, पर अधिकारी रिटायर्ड होने के बाद में अध्यक्ष महोदय, दुबारा अधिकारी नहीं बन सकता है। यह पीड़ा है।

इसके अलावा मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, लाल बत्ती के बारे में चर्चा चल रही थी, हम कोई लाल बत्ती के भूखे नहीं है। अध्यक्ष महोदय, यह हमारे मान-सम्मान का सवाल है। एक रोड पर चलती हुई ये कारें आई.ए.एस. अधिकारी की पहचान है और एम.पी.-एम.एल.ए. की कोई पहचान नहीं है। ट्रक वाले, बस वाले दूर से ही कहते हैं कि यह गाड़ी आ रही है, यह सरकारी अधिकारी की है, उसको साइड देंगे और एम.एल.ए.-एम.पी. उस रोड से गुजर रहा है तो उसको टायर के नीचे दे देंगे, क्योंकि उसकी कोई पहचान नहीं है।

(श्री रामप्रताप कासनिया)

अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, आज प्रजेंट एम.एल.ए. की जो हालत है, हमने कोई सुविधाओं की मांग नहीं की पर कम से कम सर्किट हाउस में विधायकों को रूकने की सुविधा होनी चाहिए और 19.07.2006 को एक आदेश निकला है। आप ताज्जुब करेंगे, उसमें लिखा है कि एक माननीय सदस्य को जिला मुख्यालय पर सर्किट हाउस में कमरा तभी मिलेगा, उसका वहां स्थाई निवास नहीं होना चाहिए, उसको कोई दूसरा सरकारी बंगला आवंटित नहीं होना चाहिए। सरकारी बंगले वाली बात तो समझ में आती है अध्यक्ष महोदय। कइयों के दो-दो रूम हैं, पब्लिक ज्यादा आती है, कोई विधायक सर्किट हाउस में रूकना चाहे और उसके जिला मुख्यालय पर दो कमरे हैं, अगर वह सर्किट हाउस में कमरा मांगता है तो कौनसा गुनाह किया है? ऐसे आदेश कर दिये हैं, अभी 19.07.2006 को यह आदेश हुए हैं। हमने प्रोटोकोल में इज्जत बढ़ाने की बात की और उल्टी इज्जत हमारी कम हो गई।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर): दो तो हम खुद भुगतभोगी हैं अध्यक्ष महोदया, एक तो मेरे... नहीं, इस पर मेरे भी साइन हैं उसमें।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बीच में खड़े हो गये। इनके बाद में आप बोल लीजिएगा। माननीय सदस्य, वे बोलकर बैठ जायें, उसके बाद बोल लीजिएगा।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): अध्यक्ष महोदय, आप मेरे को तो बीच में डिस्टर्ब नहीं करें, बाद में आप अपनी बात कह दें।

अध्यक्ष महोदय, प्रोटोकोल की कहानी सुना रहा हूं। मेरे दायें-बायें सब बैठे हैं। जब हम किसी अधिकारी को टेलीफोन करते हैं तो अव्वल तो यह कह दिया जाता है कि सेक्रेटरी साहब मीटिंग में गये हुए हैं और यह मैं हकीकत बयान कर रहा हूं और वह अपने चैम्बर में बैठे रहते हैं और कभी-कभी बात करते हैं तो जवाब क्या होता है अध्यक्ष महोदय, हम यह निवेदन करते हैं कि सचिव महोदय, काम नियमानुसार होने के लायक है और आपके जो अधीन अधिकारी हैं, वे इस कार्य को कर नहीं रहे हैं, नियमानुसार होने वाला है तो सामने से क्या जवाब मिलता है अध्यक्ष महोदय, दिखवायेंगे। कभी-कभी सर भी कहते हैं, यह भी मानना पड़ेगा। यह नहीं कहेंगे कि अगर नियमानुसार सही है तो हम बिलकुल करवायेंगे। अध्यक्ष महोदय, यह प्रजातंत्र के लिए बहुत बड़ा भारी खतरा है। अगर इस खतरे को हमने समय रहते हुए कंट्रोल नहीं किया तो माननीय सदस्य हो, चाहे एम.पी. हो, यह सारे के सारे प्रजातंत्र में

(श्री रामप्रताप कासनिया)

जितना भी पावर है, वह इन ब्यूरोक्रेट्स के पास चला गया। ज्यादातर तो, 75 प्रतिशत तो चला गया, मैं दावे के साथ कह रहा हूं तो अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है आपके माध्यम से, हम सरकार से कोई बजट नहीं मांग रहे हैं, 11000 रुपये जो अधिकारी, कर्मचारी ले रहे हैं, उसको तो सर्किट हाउस में रूकने की छूट है और हमें छूट नहीं है। यह कहां का न्याय है और प्रोटोकोल में आप चीफ सेक्रेटरी से ऊपर हो।

दूसरा, एक और निवेदन करना चाहूंगा लाल बत्ती के बारे में। प्रमुख का नम्बर है प्रोटोकोल में, वह 40वें नम्बर पर है और विधायक का नम्बर 21 है। इन 21 नम्बर वाले विधायकों की क्या हालत है। हम कोई प्रमुखों के विरोधी नहीं हैं, पर एक तरफ तो हमें प्रोटोकोल की सूची में आप 21 नम्बर पर बता रहे हो और दूसरा आप जिला प्रमुख, जो 40 नम्बर पर है, उसको आप गाड़ी पर लाल बत्ती लगाने की छूट दे रहे हो तो, अध्यक्ष महोदय, 21 नम्बर वाले प्रोटोकोल का क्या होगा? यह कौन करवा रहा है? अध्यक्ष महोदय, इसमें सारे ब्यूरोक्रेट्स का हाथ है। राज चाहे कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, अध्यक्ष महोदय, यह प्रजातंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है और ऐसी कई बातें हैं, मैं इस सम्बन्ध में कहना चाहूंगा और अध्यक्ष महोदय, जिला पूल से 10 दिन जो विधायकों को गाड़ी मिलती है, वह टूटी....(व्यवधान) जानता हूं भाई, मैं इतनी बात तो समझता हूं। भाषा का कोई फर्क हो सकता है पर प्रेक्टिकल में कोई फर्क नहीं आएगा। अध्यक्ष महोदय, जो गाड़ी हमें मिलती हैं, वह नीयतन, जान-बूझकर धक्का स्टार्ट गाडियां दी जाती हैं तो मैं आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा, कम से कम इतना तो रहम करो, हम भी विधायक हैं। हम कोई और सुविधा नहीं चाहते, जैसा मैं उदाहरण नहीं दे रहा हूं कि हरियाणा-पंजाब में दो-दो गनमैन हैं। क्या करेंगे, कौन रोड ठुकवायेगा? हमारे पास इतना सामान भी नहीं है। वह सुविधा हम नहीं चाहते जिससे सरकार के खजाने पर कोई वज़न बढ़े। हम चाहते हैं, हमारी आन-बान और शान और इस प्रजातंत्र की रक्षा चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष: आन-बान और शान की बात है। नहीं, आपके आन-बान और शान का सवाल है?

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): हां। अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहूंगा कि....

एक माननीय सदस्य: आपका भी है।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): अध्यक्ष महोदय, यह प्रजातंत्र की आन-बान और शान का सवाल है, न कि एक व्यक्ति का।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो कहा है, यह सही है कि मैं अनपढ़ हूं, कई बार चूक हो जाती है, मैं इस बात से सहमत हूं। यह प्रजातंत्र की आन-बान और शान का सवाल है अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं वह बात नहीं कह रहा हूं जो पहले कह दी लेकिन इनकी भावना से मिलती है। आज स्थिति क्या है? आज विधायक के क्षेत्र में चाहे पानी का काम हो रहा हो, बिजली का काम हो रहा हो, सड़क का काम हो रहा हो, और कोई काम हो रहा हो, हमको यह अधिकार नहीं है कि हम महीने में एक दिन सम्बन्धित ब्लाक स्तर के अधिकारी को बुलाकर यह मोनेटरिंग कर सकें कि काम की प्रोग्रेस क्या हुई है? इस बात में राज्य सरकार को क्या आपत्ति है जिस तरह से केन्द्र सरकार ने एम.पी. की अध्यक्षता में एक मोनेटरिंग कमेटी बनाई है उन योजनाओं के लिए जिनके लिए केन्द्र से पैसा आता है। आज राज्य सरकार से जिन मदों में पैसा जाता है चाहे पी. डब्लू. डी. में जाये, चाहे पीएचईडी में जाये, चाहे आरएसईबी में जाये, चाहे किसी में भी जाये, क्या विधायकों को यह अधिकार नहीं है कि जनहित में यह मानीटरिंग कर सकें, कुछ पूछ सकें उन्हें बुला कर कि यह काम क्यों नहीं हो रहा है, इतना डिले किसलिए हो रहा है, यह काम क्यों नहीं पूरा हो रहा है?

दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, आपने दस दिन के लिए अलाउ किया है माननीय विधायकों को, जैसा उन्होंने कहा कि खटारा, क्या यह नहीं कर सकते कि एसडीओ अगर गाड़ी उपलब्ध नहीं है तो टैक्सी कराकर दे दे या कलक्टर जैसे उदयपुर जिलाधीश ने कर रखा है, कांट्रेक्ट दे रखा है मिनिमम रेट पर टैक्सी वाले को, जब भी कभी आवश्यकता हो, एमएलए ले जाय, पेमेंट वहां से कलेक्ट्रेट के यहां से होगा। और जिलाधीश यह क्यों नहीं कर सकते और तीसरा अध्यक्ष महोदय, आप हमारी सर्वप्रिय अध्यक्ष हैं, आप खड़ी रहें और एक राज्य मंत्री झण्डारोहण करे, आपको कैसा लगेगा? आज एमएलए खड़ा रहे और तहसीलदार झण्डारोहण कर रहा है, तो मुख्य मंत्री मुख्य सचिव से

(श्री जुबेर खान)

क्यों नहीं कराती? जयपुर में मुख्य सचिव करे। मंत्रियों की जगह प्रिंसीपल सैक्रेटरी करे और आप कहती हैं सुविधाओं की बात, यह मुख्य मंत्रियों को तो अधिकार है, क्या राजस्थान का मुख्य मंत्री, जो पांच साल रह ले, उसको मकान की जरूरत है जयपुर में, आज एक-एक मकान घेर कर बैठे जा रहे हैं और आज छह-छह, सात-सात बार के विधायक, हमारे बीच में नहीं रहे नाथूराम अहारीजी, सात बार विधायक रहे, एक टूटी जीप के अलावा उनके पास कुछ नहीं था, ऐसे भी विधायक हैं।

श्री अध्यक्षः सात बार नहीं, छह बार।

श्री जुबेर खानः आज जब मंत्रियों को सुविधा दी जाती है, मुख्य मंत्रियों को बंगले दिये जाते हैं तो आपको आपत्ति नहीं होती और जब हम जन प्रतिनिधियों के लिए बात करते हैं, आप कहें मुख्य मंत्रीजी की कमेटी बन जायेगी, मुख्य मंत्रीजी तो उठ कर चली गईं, बात ही नहीं सुनना चाह रही थीं, उनकी कमेटी बनायेंगे आप? (व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावरः नहीं, सुनेंगी वह । (व्यवधान)

श्री जुबेर खानः हमारा आपसे निवेदन है, यह झण्डारोहण के आपको...(व्यवधान)

श्री अध्यक्षः अपने चैम्बर में सुन रही हैं वह।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौरः सचेतक महोदय, आप प्लीज बीच में नहीं बोलें। (व्यवधान)

श्री जुबेर खानः देखिये, आज हमें याद है...(व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावरः अध्यक्ष महोदय, एक मिनट मुझे दीजिये।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौरः प्लीज, एक मिनट, आप बैठ जायें, बिराज जायें। ना-ना। (व्यवधान)

श्री जुबेर खानः आज सर्किट हाउस की क्या हालत है, आज विधायक सात दिन से ज्यादा नहीं रूक सकता। विधायक सात दिन से ज्यादा नहीं रूक सकता। हम हमारे हैडक्वार्टर से पचास किलोमीटर से तो, सात से ज्यादा तो आपके वहां पर मीटिंग होती है।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौरः समय बढ़वाओ।

श्री जुबेर खानः डीआरडीए में, जिला परिषद में, कलेक्ट्रेट में सात से ज्यादा मीटिंग होती है, आप सात दिन के बाद मार्केट रेट दीजिये और रिटायर्ड

(श्री जुबेर खान)

अधिकारी और एसडीओ और तहसीलदार दस-दस दिन रूक सकते हैं, यह कहां का न्याय है?

श्री महावीर प्रसाद जैन: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव कर रहा हूं...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान: आपको इसके ऊपर गंभीरता से सोचना पड़ेगा। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर: जुबेरजी, समय बढ़ा रहे हैं।

श्री जुबेर खान: मेरा निवेदन है आपके माध्यम से सरकार से... (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर: मेरे बाप, अब बैठ जाओ।

श्री अध्यक्ष: समय तो बढ़ाने दो। समय तो बढ़ा लेने दो। (व्यवधान)

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आज की कार्यसूची पूरी होने तक सदन का समय बढ़ाया जाय।

श्री अध्यक्ष: क्या सदन की अनुमति है कि आज की कार्यसूची पूरी होने तक सदन का समय बढ़ा दिया जाय?

(स्वीकृत)

सदन की अनुमति से समय बढ़ाया गया।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर: माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट मुझे दीजिये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बैठे-बैठे नहीं बोलेंगे आप।

अनुरोध एवं मांग

विधायकों को प्रोटोकाल के अनुसार प्राप्त दर्जे के अनुसार महत्व दिया जाए

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (गंगानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मामला पहले भी एक बार विधान सभा में आया था। मीडिया ने तो इसको और ही तरीके से उछाला कि विधायकों को चाहिए अति सुविधाएं। जबकि विधायकों का इससे सुविधाओं को प्राप्त करने का आशय नहीं है, यह एक जन प्रतिनिधि के मान-सम्मान और यहां तक कि जान का भी सवाल है। तो

(श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर)

इसलिए यह हम लोग इसके लिए मांग रहे हैं लेकिन उस समय गृह मंत्रालय ने या मुख्य मंत्रीजी ने क्या जवाब दिया था, वह आज तक कानों में टन-टन करता है। उस समय उन्होंने कहा कि एमएलएज को अगर लाल बत्ती अलाउ कर दें तो यह स्मगलिंग करेंगे। सारे एमएलए बैठे हैं यहां, यह स्मगलर हैं और मंत्री लोग, यह बिलकुल साफ धुले हुए हैं क्योंकि इनकी गाड़ियों में कोई गलत काम नहीं होता। मैं मंत्री का साबित कर दूंगा कि उसकी गाड़ी में स्मगलिंग होती है, अफीम बिकती है, लेकिन कोई इस चीज को सुनने वाला नहीं और हम हमारे ऊपर, मतलब विधायकों को, क्या हम में से ही मंत्री नहीं बनते। तो मंत्री बन गये तो हम साफ धुले हुए हो गये और मंत्री नहीं बने तो हम स्मगलर हैं, हम तस्कर हैं। इसलिए आप मेहरबानी करें कि आप इस मामले में हमारा कम से कम, बोलो भई, हाथ खड़े करो, कितने आदमी चाहते हैं? (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): यह मंत्री नहीं कर रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर: अब आप देख लो इसमें भी कितने लोग चाहते हैं।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर: माननीय अध्यक्ष महोदय, दो मिनट का समय मुझे भी दिया जाय।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर: मतलब यह हमें दिलवाओ, आपकी गाड़ी में बत्ती भी लगा रहे हैं, हम अपनी जेब से लगवा रहे हैं और जो कुछ भी काम कर रहे हैं हमारी जेब से ही करेंगे, कोई सरकार से कुछ नहीं मांग रहे। लेकिन क्या मतलब बत्ती लगने से हमें साइड मिल जायेगी हाइवे पर तो सरकार के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? हरियाणा में, और में, (व्यवधान) हरियाणा में एमएलए को बत्ती लगाने की पावर है और यहां तक कि वह टोल टैक्स वाला भी उनको अपने राजस्थान में तो फ्री है लेकिन हम अगर हरियाणा में चले जायें, पंजाब में चले जायें, हमारे ऊपर टोल टैक्स लगता है। तो न तो इस बारे में कोई सोचता है, न कोई और किसी मामले में और जो विधायकों की गति बना रखी है उसके लिए तो आप, मैं तो मेरे जीवन में विधायक भी पहली बार बना हूं लेकिन जो आज के इस 2003 के चुनाव के बाद में विधायकों की जो गति है वह मेरे ख्याल में...

श्री अध्यक्ष: दुर्गति बोलो। गति बता रहे हैं, दुर्गति बोलिये न।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर: दुर्गति नहीं, उससे भी गयी-बीती है। उससे

(श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर)

ज्यादा कुछ नहीं हो सकती। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सारी बातें तो आ गईं, अब क्या कहेंगे?

श्री खुशवीर सिंह जोजावर: माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे दो मिनट का समय दीजिये।

श्री अध्यक्ष: बोलिये-बोलिये। दो मिनट में समाप्त करें।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर: दो मिनट बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष: दो मिनट में बात समाप्त कर दें।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज विश्व के अंदर अगर देखा जाय, 2002 तक जापान एक ऐसा देश था वहां पर सबसे अधिक नौकरशाही हावी थी लेकिन सन् 2000 और 2006 के बीच में अगर आप इस ओर ध्यान दें तो हिन्दुस्तान में आज सबसे अधिक नौकरशाही हावी है।

श्री अध्यक्ष: आप राजस्थान की बात करें, हिन्दुस्तान की मत करें।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर: और उसके अंदर राजस्थान का प्रथम स्थान है माननीय अध्यक्ष महोदय। मैं नौकरशाही का एक उदाहरण देता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पिछली बार स्वतंत्रता..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप सुविधाओं की बात करते-करते नौकरशाही पर आ गये।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं हमारे अधिकारों की बात कर रहा हूं। मैं पिछली बार जब 15 अगस्त, स्वतंत्रता कार्यक्रम में भाग लेने को सवाई मानसिंह स्टेडियम पहुंचा, हमारे साथ में एक विधायक और थे, हमें एक कार्ड इश्यू किया गया और उस कार्ड पर लिखा हुआ था कि 23 नम्बर द्वार से आपको प्रवेश पाना है। जब हम 23 नम्बर द्वार पर गये, वहां लाइन लगी हुई थी कम से कम दो सौ मीटर। हम और माननीय सदस्य एक मेरे साथ, जो सदन में मौजूद हैं, हम दोनों खड़े रहे, आधे घंटे बाद में नम्बर आया और हम आगे गये तो बैठने के लिए कोई सुविधा नहीं थी और वहां पर हम देखें तो नौकरशाही, उनके बाकायदा सोफे लगे हुए थे और वहां विराजमान थे और मुख्य द्वार से वह जा रहे थे, इससे ज्यादा क्या दुर्गति हो सकती है इस प्रजातंत्र की माननीय अध्यक्ष महोदय। बात इस सरकार की

(श्री खुशवीर सिंह जोजावर)

नहीं है, बात कांग्रेस सरकार की नहीं है, बात इस प्रजातंत्र की है, हमें एक बार पुनः विश्लेषण करना पड़ेगा इन साठ वर्षों की आजादी के पश्चात् भी आज प्रजातंत्र कितना मजबूत है और कहां प्रजातंत्र खड़ा है। यह आपकी नौकरशाही ने यह आदेश निकाला है, यह उप शासन सचिव ने यह आदेश निकाला है अभी रिसेंटली कि जिस विधायक का हैडक्वार्टर पर मकान होगा, वह सर्किट हाउस में नहीं ठहर सकता, क्यों?

एक माननीय सदस्यः मकान नहीं, पैतृक निवास भी।

श्री खुशवीर सिंह जोजावरः पैतृक निवास अगर है तो भी वह वहां नहीं ठहर सकता है। इससे ज्यादा क्या दुर्भाग्य होगा माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्षः यह तो गलत है आपका आर्डर। मिस्टर कटारा, यह आर्डर तो गलत है आपका।

श्री अमराराम (धोद): इनको पता नहीं, वह अधिकारी ने निकाल दिया।

श्री खुशवीर सिंह जोजावरः अमरारामजी, एक मिनट, प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज प्रजातंत्र है, आज जनता साठ वर्ष की, चार सौ साल की गुलामी के पश्चात् जनता ने यह सोचा, देश आजाद होगा और जनता का शासन होगा, हमारे द्वारा चुने गये हमारे जन प्रतिनिधि, जो आज यहां विराजमान हैं, जो आज हजारों लोग आये हैं और हर वक्त विधायक के पास में मिलने बीस-तीस लोग आते हैं, वह होटलों में ठोकरे खाते हैं और आज विधायक के ठहरने के लिए अधिकारियों के सर्वेन्ट क्वार्टर जैसे क्वार्टर मिले हुए हैं, और इनको आलीशान कोठियां मिली हुई हैं, अंग्रेजी हुकूमत की क्या कमी है आज इस शासन व्यवस्था में। मैं इस सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं साठ वर्ष की बात कर रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इससे ज्यादा हमारा क्या दुर्भाग्य होगा कि प्रोटोकाल की वरीयता लगा दी केन्द्र सरकार की तरफ से और हमें इक्कीसवें स्थान पर रख दिया माननीय अध्यक्ष महोदय, और उसके बावजूद..

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौरः मैं तो इंतजार कर रहा हूं साहब।

श्री अध्यक्षः स्थान ग्रहण करें।

श्री सुरेन्द्रसिंह राठौरः उनका इंतजार कर रहा हूं साहब ।

श्री अध्यक्षः आपको दुबारा बोलने का मौका नहीं दूंगी मैं।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): मैं बीच में नहीं बोला आपके।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आज प्रोटोकोल की जो बात माननीय सदस्यों ने उठायी है मेरे ख्याल में इतिहास में इस राजस्थान विधान सभा के इतिहास में आज से पूर्व कभी नहीं उठायी होगी और सभी पक्षों और सदस्यों ने एक राय होकर यह बात रखी और उसके बाद अगर इन विधायकों की सही बात जो इस जनता के लिए करते हैं, हम जनता के मूल्यों पर खरा उतरने का वादा करके आते हैं आज हम उस जनता को ठोकरें खिलाते हैं होटलों की, क्यों? और इनको आलीशान कोठी किस बात की ? आज लालबत्ती की बात है विधायक को लालबत्ती क्यों नहीं मिलनी चाहिए? मैं यह बात नहीं करता हूं लेकिन प्रोटोकोल की वरीयता में विधायक इनसे ऊपर है या तो वरीयता बदल दीजिये और एक मैं चाहूंगा कि आज मुख्य मंत्रीजी के लालबत्ती है आपके लालबत्ती की गाड़ी है और एक कलक्टर और एसपी के लालबत्ती की गाड़ी है इससे ज्यादा और क्या दुर्भाग्य हो सकता है। हम कैसे पहचान करेंगे कि हमारा नेता आ रहा है, जनप्रतिनिधि आ रहा है। जनतंत्र के अन्दर या एक नौकरशाह निकल रहा है इससे ज्यादा क्या दुर्भाग्य हो सकता है । अगर उनकी आप करें तो पीली बत्ती लगाइये और हमारे को नहीं चाहिए लालबत्ती लेकिन मंत्रियों के, मुख्यमंत्री के और आपके लालबत्ती रहनी चाहिए। अधिकारियों की पीली बत्ती जिससे हम यह अन्तर महसूस कर सकें कि ये जनप्रतिनिधि है और ये नौकरशाह है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्व माननीय विधायक आज सर्किट हाउस और राजस्थान हाउस में नहीं ठहर सकते और इन्होंने किया उनके हाथ में कलम है। इन्होंने आदेश निकाल दिया कि 12000 की जो पे-स्केल वाला है वो राजस्थान हाउस में ठहर सकता है चाहे वो एलडीसी हो चाहे यूडीसी हो और आज विधायक और माननीय मंत्री महोदय आप भूतपूर्व होंगे तो पांच दिन ही रुक सकते हैं राजस्थान हाउस में और ये अधिकारी जो रिटायर होने के बाद दस दिन रुक सकेंगे । मैं आपकी सुविधा की भी बात कर रहा हूं आप तो वापस मंत्री और मुख्य मंत्री भी बन सकते हैं लेकिन ये रिटायर होने के बाद दुबारा वापस अधिकारी नहीं बन सकते आज मण्डलों के अन्दर, निगमों के

(श्री खुशवीर सिंह जोजावर)

अन्दर जो पॉलिटिकल पोस्ट होती है उन पर सभी अधिकारी बैठे हैं आप और तो सेकेट्री नहीं बन सकते, क्यों? क्योंकि उनके हाथ के अन्दर है।

श्री अध्यक्षः कृपया समाप्त करें।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे हम व्यवस्था चाहेंगे और यह बात हमारे माननीय मुख्य मंत्री मानें। सभी माननीय सदस्यों ने दस्तख्त किये हैं इससे जयादा मैं आपको क्या निवेदन कर सकता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः सब बातें आ गयी हैं अब मैं ...। श्री वीरेन्द्र मीणा 105 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ः अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा-सा निवेदन करूंगा मामूली-सा कि अभी पिछले दिनों हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष गंगानगर में आये और उन्होंने बयान दिया कि राजस्थान में जो वसुन्धरा राजे हैं उसका ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्षः श्री वीरेन्द्र मीणा।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

वित्त विभाग

श्री वीरेन्द्र मीणा (वित्त राज्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं।

1. अधिसूचना संख्या-प.4(1)/एफडी/टैक्स/2001 पार्ट-117 दिनांक 17.2.2006 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-प.4(8)वित्त/ग्रुप-4/94-72 दिनांक 7.3.1994 में संशोधन किया गया है ।
2. अधिसूचना संख्या-प.4(1)/एफडी/टैक्स/2001 पार्ट-118 दिनांक 17.2.2006 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-प.4(1)/एफडी/टैक्स/2001 पार्ट-146 दिनांक 15.1.2003 में संशोधन किया गया है ।
3. अधिसूचना संख्या-प.4(1)/एफडी/टैक्स/2001 पार्ट-119 दिनांक 17.2.2006 अधिसूचना संख्या-प.4(1)/एफडी/टैक्स/2001 पार्ट-147 दिनांक 15.1.2003 में संशोधन किया गया है ।
4. अधिसूचना संख्या-प.2(11)/एफडी/टैक्स/2003-120 दिनांक

(श्री वीरेन्द्र मीणा)

17.2.2006 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-प.2(11)वित्त/कर/2003/109 दिनांक 2.1.2006 में संशोधन किया गया है ।

5. अधिसूचना संख्या-प.12(79)/एफडी/टैक्स/2005-121 दिनांक 20.2.2006 जिसके द्वारा राजस्थान विक्रय कर नियम, 1995 के नियम 19 में संशोधन किया गया है ।

6. अधिसूचना संख्या-प.12(79)/एफडी/टैक्स/2005-122 दिनांक 20.2.2006 जिसके द्वारा राजस्थान विक्रय कर (राजस्थान) नियम, 1957 के नियम 4 में संशोधन किया गया है ।

7. अधिसूचना संख्या-प.2(25)/एफडी/टैक्स/2005-123 दिनांक 20.2.2006 जिसके द्वारा मेजर राज्यवर्द्धन सिंह राठौड़ को राज्य सरकार द्वारा आबंटित आवास संख्या-612227, प्रतापनगर, सांगानेर, जयपुर को कन्वेएन्स/परिपिचुएल लीज डीड पर देय स्टाम्प शुल्क एवं रजिस्ट्रेशन फीस से परिहार किया गया है ।

8. अधिसूचना संख्या-प.7(1)/एफडी/टैक्स/2003-124 दिनांक 1.3.2006 जिसके द्वारा राज्य/केन्द्रीय सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को, उनके कर निर्धारित प्रकरणों के मामलों में अधिसूचना में दिये गये तरीकों व शर्तों के अनुसार कर देयता में उनके भूमि या भवनों या दोनों की कर में कमी की गई है ।

9. अधिसूचना संख्या-प.7(1)/एफडी/टैक्स/2003-125 दिनांक 1.3.2006 जिसके द्वारा भूमि एवं भवन कर अधिनियम, 1964 की धारा 2(2) में परिभाषित कर अधिसूचना में अंकित अधिकारियों को उनके सम्मुख क्षेत्र के अनुसार कर निर्धारण अधिकारी की हैसियत से अधिकृत किया गया है ।

10. अधिसूचना संख्या-प.7(1)/एफडी/टैक्स/2003-126 दिनांक 1.3.2006 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-प.14(21)वित्त/ग्रुप-4/74 दिनांक 21.12.1990 को प्रत्याहरित किया गया है ।

11. अधिसूचना संख्या-प.10(3)/एफडी/टैक्स/1995-127 दिनांक 3.3.2006 जिसके द्वारा निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा दिनांक 5.3.2006 को राजमंदिर सिनेमा में प्रात: 9.00 बजे "लज्जा" फिल्म का एक शो कर से मुक्त किया गया है ।

(श्री वीरेन्द्र मीणा)

12. अधिसूचना संख्या-प.12(85)/एफडी/टैक्स/2005-128 दिनांक 4.3.2006 जिसके द्वारा मै. बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलोजी एण्ड साइंस, पिलानी द्वारा उनके शैक्षिक एवं अनुसंधान कार्य हेतु अधिसूचना में उल्लिखित माल को उसकी सीमा तक प्रवेश कर से छूट प्रदान की गई है ।

13. अधिसूचना संख्या-प.12(86)/एफडी/टैक्स/2005-129 दिनांक 4.3.2006 जिसके द्वारा मै. इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्राफ्ट्स एण्ड डिजाइन, जयपुर को उनके प्रोजेक्ट "In the path of the sun and moon - universal being" के लिए रूपये 11.00 लाख तक के स्टोन ब्लॉक व अन्य उपकरणों को राजस्थान विक्रय कर में छूट दी गई है ।

14. अधिसूचना संख्या-प.2(26)/एफडी/टैक्स/1998-130 दिनांक 7.3.2006 जिसके द्वारा सूचना रूपान्तरण/नियमन/आबंटन पत्र (धारा-9) जारी पट्टे (लीज-डीड) पंजीयन हेतु प्रस्तुत होने पर पूर्व की अवधि दिनांक 31.3.2006 को दिनांक 30.9.2006 तक बढाया गया है ।

15. अधिसूचना संख्या-प.2(26)/एफडी/टैक्स/1998-131 दिनांक 7.3.2006 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-प.2(26)/एफडी/टैक्स/1998-15 दिनांक 9.6.2004 में संशोधन किया गया है ।

16. अधिसूचना संख्या-प.4(4)/एफडी/टैक्स/2001-151 दिनांक 16.3.2006 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-प.4(4)/एफडी/टैक्स/2001-107 दिनांक 17.12.2005 में संशोधन किया गया है ।

17. अधिसूचना संख्या-प.43(2)/एफडी/टैक्स/2006-152 दिनांक 27.3.2006 जिसके द्वारा राजस्थान दिवस समारोह दिनांक 21-30 मार्च के अवसर पर फिल्म फैस्टीवल में दिखाई जाने वाली नि:शुल्क फिल्मों को मनोरंजन कर से मुक्त किया गया है ।

18. अधिसूचना संख्या-प.12(63)वित्त/कर/2005-1 दिनांक 1.4.2006 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-प.12(63)वित्त/कर/2005-172 दिनांक 31.3.2006 में संशोधन किया गया है ।

19. अधिसूचना संख्या-प.12(63)वित्त/कर/2005-2 दिनांक 11.4.2006 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-प.12(63)वित्त/कर/2005-159 दिनांक

(श्री वीरेन्द्र मीणा)

31.3.2006 को अतिष्ठित करते हुए उस व्यवहारी को कर संदाय के लिये विकल्प दिया है, पर 0.25 प्रतिशत की दर से कर लागू होगा ।

20. अधिसूचना संख्या-प.12(63)वित्त/कर/2005-3 दिनांक 11.4.2006 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम में संलग्न परिशिष्ट-I में संशोधन किये गये हैं।

21. अधिसूचना संख्या-प.12(63)वित्त/कर/2005-4 दिनांक 11.4.2006 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम में संलग्न परिशिष्ट-III में संशोधन किये गये हैं।

22. अधिसूचना संख्या-प.12(63)वित्त/कर/2005-5 दिनांक 11.4.2006 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम में संलग्न परिशिष्ट-IV में संशोधन किये गये हैं।

23. अधिसूचना संख्या-प.12(63)वित्त /कर/2005-6 दिनांक 11.4.2006 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-प.12(63)वित्त/कर/2005-172 दिनांक 31.3.2006 में संशोधन किया गया है ।

24. अधिसूचना संख्या-प.12(63)वित्त/कर/2005-7 दिनांक 13.4.2006 जिसके द्वारा कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमैंट और रेजीमेंटल या मिलट्री इकाइयों द्वारा संचालित कैंटीन इकाइयों को सशर्त कर में छूट प्रदान की गई है ।

25. अधिसूचना संख्या-प.12(63)वित्त/कर/2005-8 दिनांक 13.4.2006 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम में संलग्न परिशिष्ट-II में संशोधन किया गया है ।

26. अधिसूचना संख्या-प.12(63)वित्त /कर/2005-9 दिनांक 13.4.2006 जिसके द्वारा किसी पंजीकृत व्यवहारी द्वारा कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमैंट (इण्डिया) को किये गये विक्रय पर 3% से अधिक राशि पर सशर्त कर में छूट प्रदान की गई है ।

27. अधिसूचना संख्या-प.12(63)वित्त/कर/2005-10 दिनांक 15.4.2006 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम में संलग्न परिशिष्ट-II में संशोधन किया गया है ।

28. अधिसूचना संख्या-प.12(63)वित्त/कर/2005-11 दिनांक 15.4.2006

(श्री वीरेन्द्र मीणा)

जिसके द्वारा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को बेचे गये या इसके द्वारा खरीदे गये हाई स्पीड डीजल को 13 प्रतिशत से अधिक की कर दर में सशर्त छूट प्रदान की गई है ।

29. अधिसूचना संख्या-प.12(63)वित्त/कर/2005-12 दिनांक 15.4.2006 जिसके द्वारा भारतीय रेलवे को बेचे गये या इसके द्वारा खरीदे गये हाई स्पीड डीजल को 4 प्रतिशत से अधिक की कर दर को सशर्त छूट प्रदान की गई है।

30. अधिसूचना संख्या-प.12(63)वित्त/कर/2005-13 दिनांक 18.4.2006 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-प.12(63)वित्त/कर/2005-11 दिनांक 15.4.2006 में संशोधन कर शुद्धि पत्र जारी किया गया है ।

31. अधिसूचना संख्या-प.12(63)वित्त/कर/2005-14 दिनांक 18.4.2006 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-प.12(63)वित्त/कर/2005-12 दिनांक 15.4.2006 में संशोधन हेतु शुद्धि पत्र जारी किया गया है ।

32. अधिसूचना संख्या-प.12(63)वित्त /कर/2005-15 दिनांक 18.4.2006 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-प.12(63)वित्त /कर/2005-12 दिनांक 15.4.2006 में संशोधन किया गया है ।

33. अधिसूचना संख्या-प.12(63)वित्त /कर/2005-16 दिनांक 19.4.2006 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-प.12(63)वित्त /कर/2005-172 दिनांक 31.3.2006 में संशोधन किया गया है ।

34. अधिसूचना संख्या-प.12(63)वित्त /कर/2005-17 दिनांक 19.4.2006 जिसके द्वारा ड्यूटी, एंटाइटलमेंट पास बुक, विशेष लाइसेंस आदि के संबंध में केन्द्रीय बिक्री कर 0.5 प्रतिशत की दर से बिक्री कर देय होगा बशर्ते 'सी' या 'डी' फार्म प्रस्तुत कर दिया गया हो ।

35. अधिसूचना संख्या-प.12(63)वित्त /कर/2005-18 दिनांक 19.4.2006 जिसके द्वारा राजस्थान वेट अधिनियम, 2003 की अनुसूची-I में संशोधन किये गये हैं।

36. अधिसूचना संख्या-प.12(63)वित्त /कर/2005-19 दिनांक 19.4.2006 जिसके द्वारा राजस्थान वेट अधिनियम, 2003 की अनुसूची-IV में संशोधन किये गये हैं।

37. अधिसूचना संख्या-प.9(1)वित्त /कर/2006-20 दिनांक 22.4.2006

(श्री वीरेन्द्र मीणा)

द्वारा पूर्व में जारी ऐसे सभी आदेश/अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा के अधिकारियों की कैडर स्ट्रेन्थ को पुनर्गठित किया गया है ।

38. अधिसूचना संख्या-प.9(1)वित्त /कर/2006-21 दिनांक 22.4.2006 जिसके द्वारा पूर्व में जारी ऐसे सभी आदेश/अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए राजस्थान वाणिज्यिक कर अधीनस्थ सेवा में वाणिज्यिक कर निरीक्षकों की कैडर स्ट्रेन्थ को पुनर्गठित किया गया है ।

39. अधिसूचना संख्या-प.12(63)वित्त /कर/2005-22 दिनांक 25.4.2006 जिसके द्वारा राजस्थान वैट अधिनियम, 2003 की अनुसूची-।। में संशोधन किया गया है ।

40. अधिसूचना संख्या-प.12(63)वित्त /कर/2005-23 दिनांक 25.4.2006 जिसके द्वारा भारतीय खाद्य निगम द्वारा राज्य सरकार को SGRY स्कीम के तहत बेचे गये गेहूं को भूतलक्षी प्रभाव से दिनांक 1.4.2006 से सशर्त कर में छूट प्रदान की गई है ।

41. अधिसूचना संख्या-प.12(63)वित्त /कर/2005-24 दिनांक 26.4.2006 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-प.12(14)वित्त /कर/2006-137 दिनांक 8.3.2006 में संशोधन किया गया है ।

42. अधिसूचना संख्या-प.12(63)वित्त /कर/2005-25 दिनांक 27.4.2006 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-प.12(63)वित्त /कर/2005-12 दिनांक 15.4.2006 में संशोधन किया गया है ।

43. अधिसूचना संख्या-प.12(63)वित्त /कर/2005-26 दिनांक 28.4.2006 जिसके द्वारा राजस्थान वैट अधिनियम की अनुसूची-।। में संशोधन किया गया है ।

44. अधिसूचना संख्या-प.12(63)वित्त /कर/2005-27 दिनांक 28.4.2006 जिसके द्वारा राजस्थान राज्य वि.उ.लि., अजमेर वि.वि.नि.लि., जयपुर वि.वि.नि.लि. को बेचे गये या खरीदे गये विद्युत शक्ति को उत्पादन, संचार एवं वितरण के लिए 4 प्रतिशत से अधिक कर दर पर सशर्त वैट अधिनियम में छूट प्रदान की गई है ।

45. अधिसूचना संख्या-प.12(63)वित्त /कर/2005-28 दिनांक 28.4.2006 जिसके द्वारा राजस्थान वैट नियम, 2006 के नियम 17(2) में संशोधन किया गया है ।

(श्री वीरेन्द्र मीणा)

46. अधिसूचना संख्या-प.12(63)वित्त /कर/2005-29 दिनांक 28.4.2006 जिसके द्वारा राजस्थान वैट अधिनियम की अनुसूची-I में संशोधन किया गया है ।

47. अधिसूचना संख्या-प.12(63)वित्त /कर/2005-30 दिनांक 28.4.2006 जिसके द्वारा राजस्थान वैट अधिनियम की अनुसूची-IV में संशोधन किया गया है ।

48. अधिसूचना संख्या-प.12(63)वित्त /कर/2005-31 दिनांक 29.4.2006 जिसके द्वारा राजस्थान वैट अधिनियम की अनुसूची-II में संशोधन किया गया है ।

49. अधिसूचना संख्या-प.12(63)वित्त /कर/2005-32 दिनांक 29.4.2006 जिसके द्वारा वे व्यवहारी जो अनुसूची-II में क्र.सं. 9 पर अंकित है को, सशर्त लाभ दिया गया है ।

50. अधिसूचना संख्या-प.4(52)वित्त /कर/99-33 दिनांक 5.5.2006 जिसके द्वारा रूग्ण औद्योगिक कम्पनी अधिनियम के तहत BIFR व AAIFR द्वारा रूग्ण घोषित डीलर्स को 8 प्रतिशत की दर से व अन्य पर 12 प्रतिशत की दर से वैट लागू होगा ।

51. अधिसूचना संख्या-प.12(63)वित्त /कर/2005-34 दिनांक 5.5.2006 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य वरिवर्धित कर (द्वितीय संशोधन) नियम, 2006 जारी किये गये है ।

52. अधिसूचना संख्या-प.12(63)वित्त /कर/2005-35 दिनांक 5.5.2006 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-प.12(63)वित्त /कर/2005-175 दिनांक 31.3.2006 में संशोधन किया गया है ।

53. अधिसूचना संख्या-प.12(63)वित्त /कर/2005-36 दिनांक 6.5.2006 जिसके द्वारा पूर्व में जारी कतिपय अधिसूचनाओं को आहरित किया गया है ।

54. अधिसूचना संख्या-प.12(63)वित्त /कर/2005-37 दिनांक 6.5.2006 जिसके द्वारा 'जेम्स एवं स्टोन्स के लिए कम्पोजिशन स्कीम, 06' जारी की गई है ।

55. अधिसूचना संख्या-प.12(63)वित्त /कर/2005-38 दिनांक 6.5.2006 जिसके द्वारा 'ईंट भट्टों के लिए कम्पोजिशन योजना, 2006' जारी की गई है ।

(श्री वीरेन्द्र मीणा)

56. अधिसूचना संख्या-प.12(63)वित्त /कर/2005-39 दिनांक 6.5.2006 जिसके द्वारा 'सर्राफा डीलर्स के लिए कम्पोजिशन योजना, 2006' जारी की गई है ।

57. अधिसूचना संख्या-प.12(58)वित्त /कर/2005-पार्ट-40 दिनांक 6.5.2006 जिसके द्वारा मै. अराफास पेट्रोकैमिकल्स प्रा. लि. को उनके द्वारा अंतरराज्यीय व्यापार और वाणिज्य के दौरान POY, PKT Chips, PSFs, Acrylic Cord Yarn, Nylon Yarn, Methnol, Tyre Cord Yarn तथा फैब्रिक के विक्रय पर 0.50 प्रतिशत से आधिक्य की कर दर को अधिसूचना में अंकित शर्तों पर केन्द्रीय विक्रय कर की छूट प्रदान की गई है ।

58. अधिसूचना संख्या-प.4(2)वित्त /कर/2004-41 दिनांक 6.5.2006 जिसके द्वारा राजस्थान वैट अधिनियम, 2003 की अनुसूची-II में संशोधन किया गया है ।

59. अधिसूचना संख्या-प.4(2)वित्त /कर/2004-42 दिनांक 6.5.2006 जिसके द्वारा 7 वर्ष के लिए 75 प्रतिशत तक के कर दायित्व के लिए मै. बालकृष्ण इण्डस्ट्रीज लि. को कर में सशर्त छूट प्रदान की गई है।

60. अधिसूचना संख्या-प.4(2)वित्त /कर/2004-43 दिनांक 6.5.2006 जिसके द्वारा 7 वर्ष के लिए 75 प्रतिशत तक के कर दायित्व के लिए मै. बालकृष्ण इण्डस्ट्रीज लि. को कर में सशर्त छूट प्रदान की गई है।

61. अधिसूचना संख्या-प.12(63)वित्त /कर/2005-44 दिनांक 6.5.2006 जिसके द्वारा मै. जयन्ती कोल्ड स्टोरेज को उनके उत्पादों के विक्रय को केन्द्रीय विक्रय कर की 1 प्रतिशत से अधिक कर दर को सशर्त छूट प्रदान की गई है ।

62. अधिसूचना संख्या-प.12(63)वित्त /कर/2005-45 दिनांक 8.5.2006 जिसके द्वारा राजस्थान वैट अधिनियम, 2003 की अनुसूची-IV में संशोधन किया गया है ।

63. अधिसूचना संख्या-प.12(63)वित्त /कर/2005-46 दिनांक 8.5.2006 जिसके द्वारा राजस्थान वैट अधिनियम, 2003 की अनुसूची-III में संशोधन किया गया है ।

64. अधिसूचना संख्या-प.12(63)वित्त /कर/2005-47 दिनांक 8.5.2006

(श्री वीरेन्द्र मीणा)

जिसके द्वारा राजस्थान वैट अधिनियम, 2003 की अनुसूची-I में संशोधन किया गया है ।

65. अधिसूचना संख्या-प.12(63)वित्त /कर/2005-48 दिनांक 8.5.2006 जिसके द्वारा राजस्थान वैट अधिनियम, 2003 की अनुसूची-II में संशोधन किया गया है ।

66. अधिसूचना संख्या-प.12(63)वित्त /कर/2005-49 दिनांक 8.5.2006, जिसके द्वारा भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति द्वारा गरीब परिवारों को सुपुर्द करने के लिए काम आने वाले कृत्रिम लिम्ब्स, कैलीपर्स व क्रचेज के लिए काम आने वाले कच्चे माल पर सशर्त कर में छूट प्रदान की गई है।

67. अधिसूचना संख्या-प.12(63)वित्त /कर/2005-50 दिनांक 8.5.2006 जिसके द्वारा भगवान महावीर सहायता समिति की कतिपय शाखाओं को उनके द्वारा निर्मित किये गये सामानों हेतु खरीदे गये कच्चे माल पर कर में सशर्त छूट प्रदान की गई है ।

68. अधिसूचना संख्या-प.12(63)वित्त /कर/2005-51 दिनांक 8.5.2006 जिसके द्वारा राजस्थान वैट अधिनियम, 2003 की अनुसूची-IV में संशोधन किया गया है ।

69. अधिसूचना संख्या-प.12(63)वित्त /कर/2005-52 दिनांक 18.5.2006 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-प.12(63)वित्त /कर/2005-11 दिनांक 15.4.2006 में संशोधन किया गया है ।

70. अधिसूचना संख्या-प.2(23)वित्त /कर/2004-53 दिनांक 20.5.2006 जिसके द्वारा अधिसूचना में उल्लिखित राज्य सरकार का एस.बी.बी.जे. से करार किया गया है ।

71. अधिसूचना संख्या-प.12(63)वित्त /कर/2005-54 दिनांक 1.6.2006, जिसके द्वारा राजस्थान वैट अधिनियम, 2003 की धारा 8 की उपधारा 21 की अनुसूची-I में संशोधन किया गया है ।

72. अधिसूचना संख्या-प.12(63)वित्त /कर/2005-55 दिनांक 1.6.2006, जिसके द्वारा राजस्थान वैट अधिनियम, 2003 की अनुसूची-III में संशोधन किया गया है ।

73. अधिसूचना संख्या-प.12(63)वित्त /कर/2005-56 दिनांक 1.6.2006,

(श्री वीरेन्द्र मीणा)

जिसके द्वारा राजस्थान वैट अधिनियम, 2003 की अनुसूची-IV में संशोधन किया गया है ।

74. अधिसूचना संख्या-प.12(63)वित्त /कर/2005-57 दिनांक 1.6.2006 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-प.12(63)वित्त /कर/2005-175 दिनांक 31.3.2006 में संशोधन किया गया है ।

75. अधिसूचना संख्या-प.12(63)वित्त /कर/2005-58 दिनांक 1.6.2006, जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-प.12(63)वित्त /कर/2005-17 दिनांक 19.4.2006 में संशोधन किया गया है ।

76. अधिसूचना संख्या-प.12(63)वित्त /कर/2005-59 दिनांक 5.6.2006 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-प.12(63)वित्त /कर/2005-7 दिनांक 13.4.2006 में संशोधन किया गया है ।

77. अधिसूचना संख्या-प.12(63)वित्त /कर/2005-60 दिनांक 9.6.2006 जिसके द्वारा राजस्थान वैट नियम, 2006 में संशोधन किया गया है।

78. अधिसूचना संख्या-प.12(63)वित्त /कर/2005-61 दिनांक 9.6.2006, जिसके द्वारा राजस्थान वैट अधिनियम, 2003 के अंतर्गत सेज में औद्योगिक या ओरिएंटेड यूनिट के लिए भारत से बाहर से निर्यात किये जाने वाले सामान पर कर में छूट प्रदान की गई है ।

79. अधिसूचना संख्या-प.12(63)वित्त /कर/2005-62 दिनांक 5.7.2006, जिसके द्वारा राजस्थान वैट अधिनियम, 2003 की अनुसूची-I में संशोधन किया गया है ।

80. अधिसूचना संख्या-प.12(63)वित्त /कर/2005-63 दिनांक 5.7.2006 जिसके द्वारा राजस्थान वैट अधिनियम, 2003 की अनुसूची-IV में संशोधन किया गया है ।

81. अधिसूचना संख्या-प.12(63)वित्त /कर/2005-64 दिनांक 5.7.2006, जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-प.12(63)वित्त /कर/2005-38 दिनांक 6.5.2006 में संशोधन किया गया है ।

82. अधिसूचना संख्या-प.12(63)वित्त /कर/2005-65 दिनांक 5.7.2006, जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-प.12(63)वित्त /कर/2005-37 दिनांक 6.5.2006 में संशोधन किया गया है ।

83. अधिसूचना संख्या-प.12(63)वित्त /कर/2005-66 दिनांक 5.7.2006,

(श्री वीरेन्द्र मीणा)

जिसके द्वारा राजस्थान वैट अधिनियम, 2003 की अनुसूची-II में संशोधन किया गया है ।

84. अधिसूचना संख्या-प.12(63)वित्त /कर/2005-67 दिनांक 5.7.2006, जिसके द्वारा खादी एवं ग्रामोद्योग की 6 इकाइयों को कर में छूट प्रदान की गई है ।

85. अधिसूचना संख्या-प.12(63)वित्त /कर/2005-68 दिनांक 7.7.2006, जिसके द्वारा राजस्थान वैट अधिनियम, 2003 के अंतर्गत मै. हिंदुस्तान जिंक लि. को अधिसूचना में उल्लिखित कतिपय उपकरणों के लिए प्रवेश कर में छूट प्रदान की गई है ।

86. अधिसूचना संख्या-प.12(63)वित्त /कर/2005-69 दिनांक 11.7.2006, जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-प.12(63)वित्त /कर/2005-171 दिनांक 31.3.2006 में संशोधन किया गया है ।

87. अधिसूचना संख्या-प.12(63)वित्त /कर/2005-70 दिनांक 11.7.2006 जिसके द्वारा लघु सीमेंट प्लांट के लिए कम्पाउण्डेड लेवी स्कीम, 2006 जारी की गई है ।

88. अधिसूचना संख्या-प.12(10)वित्त /कर/2005-71 दिनांक 11.7.2006, जिसके द्वारा मै. बाइस्कोप प्रा.लि. को मनोरंजन कर से मुक्ति प्रदान की गई है ।

89. अधिसूचना संख्या-प.10(47)वित्त /कर/97-72 दिनांक 21.7.2006, जिसके द्वारा संस्कृत फिल्म 'मुद्राराक्षसम' को एक वर्ष के लिए शत-प्रतिशत मनोरंजन कर (अतिरिक्त मनोरंजन कर सहित) छूट प्रदान की गई है ।

90. अधिसूचना संख्या-प.4(67)वित्त /कर/2004-73 दिनांक 29.7.2006, जिसके द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1988 के अधीन यान के लिए दिनांक 12.3.97 से 11.7.2004 तक की अवधि में निष्पादित विक्रय प्रमाण-पत्र प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से इस शर्त के साथ छूट प्रदान की गई है कि उक्त प्रकरण के किसी प्रकरण में अदा किये जा चुके मुद्रांक कर का प्रतिदाय (रिफण्ड) देय नहीं होगा।

91. अधिसूचना संख्या-प.12(63)वित्त /कर/2005-74 दिनांक 1.8.2006, जिसके द्वारा प्रथम तिमाही की बिक्री विवरण प्रपत्र को प्रस्तुत करने की अवधि दिनांक 30.7.2006 से 31.8.2006 बढ़ाई गई है ।

(श्री वीरेन्द्र मीणा)

92. अधिसूचना संख्या-प.43(1)वित्त /कर/2006-75 दिनांक 1.8.2006, जिसके द्वारा फिल्म 'डा. बाबा साहेब अम्बेडकर' को एक वर्ष की अवधि तक मनोरंजन कर से मुक्त किया गया है ।

93. अधिसूचना संख्या-प.4(6)वित्त /कर/2003-76 दिनांक 5.8.2006 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-प.4(6)वित्त /कर-अनु/2003-पार्ट-29 दिनांक 28.4.2003 में संशोधन किया गया है ।

94. अधिसूचना संख्या-प.12(63)वित्त /कर/2005-77 दिनांक 11.8.2006 जिसके द्वारा राजस्थान वैट अधिनियम, 2003 की अनुसूची-I में संशोधन किया गया है ।

95. अधिसूचना संख्या-प.12(63)वित्त /कर/2005-78 दिनांक 11.8.2006, जिसके द्वारा राजस्थान वैट अधिनियम, 2003 की अनुसूची-IV में संशोधन किया गया है।

96. अधिसूचना संख्या-प.12(63)वित्त /कर/2005-79 दिनांक 11.8.2006, जिसके द्वारा राजस्थान वैट अधिनियम, 2003 की अनुसूची-II में संशोधन किया गया है ।

97. अधिसूचना संख्या-प.12(63)वित्त /कर/2005-80 दिनांक 11.8.2006, जिसके द्वारा राजस्थान वैट अधिनियम, 2003 की धारा 8(3) के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत डीलर्स को कतिपय शर्तों के अधीन कर के भुगतान के लिए परिहार किया गया है ।

98. अधिसूचना संख्या-प.12(63)वित्त /कर/2005-81 दिनांक 11.8.2006, जिसके द्वारा राजस्थान वैट अधिनियम, 2003 की धारा 20(3) के अंतर्गत अवार्डर या उसके द्वारा अधिकृत अन्य व्यक्ति को अधिसूचना में उल्लेखित ठेकेदार द्वारा किये गये कार्य के 3 प्रतिशत के समकक्ष राशि डिडेक्ट करने को अधिकृत किया गया है ।

99. अधिसूचना संख्या-प.12(63)वित्त /कर/2005-82 दिनांक 25.8.2006, जिसके द्वारा मै. महिन्द्रा द्वारा रीको के लिए स्थापित किये जाने वाले वर्ल्ड सिटी सेज के लिए भूमि स्थानान्तरण करने पर लीज पर नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटी चार्ज किये जाने का उल्लेख किया गया है।

100. अधिसूचना संख्या-प.12(63)वित्त /कर/2005-83 दिनांक 11.9.2006, जिसके द्वारा राजस्थान वैट नियम, 2006 में संशोधन किया गया है ।

(श्री वीरेन्द्र मीणा)

101. अधिसूचना संख्या-प.12(63)वित्त /कर/2005-84 दिनांक 11.9.2006, जिसके द्वारा कतिपय माल पर कर की दर निर्धारित की गई है ।

102. अधिसूचना संख्या-प.12(63)वित्त /कर/2005-85 दिनांक 11.9.2006, जिसके द्वारा राजस्थान वैट अधिनियम, 2003 की अनुसूची-।। में संशोधन किया गया है ।

103. अधिसूचना संख्या-प.12(63)वित्त /कर/2005-86 दिनांक 11.9.2006, जिसके द्वारा कतिपय माल पर शुल्क में छूट प्रदान की गई है ।

104. अधिसूचना संख्या-प.8(14)वित्त /कर/99-87 दिनांक 12.9.2006, जिसके द्वारा राजस्थान जनजातीय क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ लि. उदयपुर को भूमि एवं भवन कर एवं ब्याज में रुपये 4,34,956/- की छूट प्रदान की गई है ।

105. अधिसूचना संख्या-प.4(30)वित्त /कर/97 पार्ट-88 दिनांक 15.9.2006, जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-प.12(63)वित्त /कर/75-23 दिनांक 25.4.2006 में संशोधन किया गया है।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): अध्यक्ष महोदय, झंडारोहण भी एक एसडीएम करता है और विधायक सांसद खड़े-खड़े देखते रहते हैं इससे ज्यादा क्या दुर्भाग्य होगा।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर : ...(व्यवधान)... राजशाही का भी खून है और जनशाही का भी खून है तो राजशाही और जनशाही दोनों को मिलाकर इसलिए उसका अच्छा अनुशासन है।

श्री अध्यक्ष: श्री नन्दलाल मीणा।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर: राजशाही की इस प्रकार से अभी भी प्रजातंत्र में तारीफ हो रही है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं होगा।

समिति का प्रतिवेदन

अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति, 2006-07 (संख्या- 3)

श्री नन्दलाल मीणा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राज्य सरकार के माध्यम से समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासों/नारी निकेतनों के संबंध में अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति, 2006-07 का तृतीय प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

डा. जालम सिंह रावलोत: अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)... हमारे को सामान्य सम्मान से भी हैंडल नहीं करते। जब भी कोई मुख्य सचिव आता है तो उनको रेलवे स्टेशन पर लेने जाते हैं और वापस छोड़ने जाते हैं ।

श्री अध्यक्ष: नो। मैंने आपको अलाऊ नहीं किया। (व्यवधान)

डा. जालम सिंह रावलोत: अध्यक्ष महोदय, मेरी पर्ची थी बिना पर्ची के लोग बोले हैं अध्यक्ष महोदय, पर्ची में जिन लोगों के नाम थे उसमें मेरा नाम भी था और मेरे अलावा बहुत सारे बोले हैं मैं केवल एक मिनट में अपनी बात रखना चाहता हूं कि पूरा सदन में पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने जो ध्यान आपका आकृष्ट किया है मुख्य रूप से सदन के सदस्यों का और सांसदों का पूरा सम्मान होना चाहिए और राजस्थान में नौकरशाही जो ज्यादा हावी हो रही है उस पर अंकुश लगना चाहिए कलक्टर और अन्य सचिव लोग हमारा कोई ध्यान नहीं रखते हैं। हमारा जो विधायक कोष है वो केवल 60 लाख रुपये है उसको बढ़ाकर एक करोड़ करने के लिए हम पिछले दो साल से निवेदन कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: वित्तीय कार्य। वर्ष 2000-2001, 2001-2002 एवं 2002-2003 के लिए अतिरेक मांगों पर मतदान होगा।

डा. जालम सिंह रावलोत : साठ लाख रुपये से बढ़ाकर एक करोड़ किया जाए क्योंकि विकास के जो सारे काम हैं, वो हमको हमारी जनता की अपेक्षा के अनुरूप करने पड़ते हैं । मुझे पूरा विश्वास है कि आज जिस तरीके से सदन की भावनाएं आयी हैं आप हमें पूरी तरह आश्वस्त करेंगे।

श्री अध्यक्ष: अब मैं पुकार रही हूं। सदन की भावना जान ली, माननीय विधायकों की भावना भी जान ली, मुख्य मंत्रीजी अपने चैम्बर में सुन रही हैं। सारी कैबिनेट ने सुन ली, अब सुनकर उसके अनुसार तदनुसार कुछ करेंगे ये और आपको बतायेंगे क्या करने जा रहे हैं।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): कोई रियेक्शन तो हो।

मुखबन्द

अतिरेक अनुदान की मांगों (वर्ष 2000-01) का पारण

मांग संख्या-15

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि अतिरेक मांग संख्या 15... मैं पहले 2000-2001 को ले रही हूं।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): नहीं, अब क्यों नहीं बोलते?

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): ...(व्यवधान)... कह रहे थे कि हम कमेटी बनवा देंगे फलानां करवा देंगे संसदीय कार्य मंत्रीजी कहो न यहां ।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर: वैसे तो उनकी दायीं और बायीं आंख और दोनों कान यहीं मौजूद हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): राजेन्द्र राठौड़जी, अब कहो न खड़े होकर कमेटी बनाकर के विचार करेंगे। यह क्या होता है, आप खड़े क्यों नहीं हो रहे हैं दो सौ-दो सौ एमएलएज की ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि अतिरेक मांग संख्या-15 पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ के संबंध में 31 मार्च, 2001 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 33,31,38,171/-(अक्षरे रुपये तैंतीस करोड़ इकत्तीस लाख अड़तीस हजार एक सौ इकहत्तर) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-16 पुलिस

प्रश्न यह है कि अतिरेक की मांग संख्या-16 पुलिस के संबंध में 31 मार्च, 2001 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 6,02,389/-(अक्षरे रुपये छह लाख दो हजार तीन सौ नवासी) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-17 कारागार

प्रश्न यह है कि अतिरेक की मांग संख्या-17 कारागार के संबंध में 31 मार्च, 2001 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 58,01,025/- (अक्षरे रुपये अठावन लाख एक हजार पच्चीस) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-21 सड़कें एवं पुल

प्रश्न यह है कि अतिरेक की मांग संख्या-21 सड़कें एवं पुल के संबंध

(श्री अध्यक्ष)

में 31 मार्च, 2001 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 21,54,81,165/- (अक्षरे रुपये इक्कीस करोड़ चौवन लाख इक्यासी हजार एक सौ पैंसठ) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

अतिरेक मांगों (वर्ष 2001-02) का पारण

मांग संख्या-1 राज्य विधान मण्डल

प्रश्न यह है कि अतिरेक की मांग संख्या-1 राज्य विधान मंडल के संबंध में 31 मार्च, 2002 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 5,87,601 (अक्षरे रुपये पांच लाख सतासी हजार छह सौ एक) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-16 पुलिस

प्रश्न यह है कि अतिरेक की मांग संख्या-16 पुलिस के संबंध में 31 मार्च, 2002 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,85,420/- (अक्षरे रुपये एक लाख पिचासी हजार चार सौ बीस) तक की राशि और प्रदान की जाए?

ये तो सब कांग्रेस सरकार के समय की अतिरेक मांगें हैं, हां तो बोल दीजिये।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-17 कारागार

प्रश्न यह है कि अतिरेक की मांग संख्या-17 कारागार के संबंध में 31 मार्च, 2002 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 22,54,184/- (अक्षरे रुपये बाइस लाख चौवन हजार एक सौ चौरासी) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या-23 श्रम

प्रश्न यह है कि अतिरेक की मांग संख्या-23 श्रम और रोजगार के संबंध में 31 मार्च, 2002 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 41,49,759/- (अक्षरे रुपये इकतालीस लाख उनचास हजार सात सौ उनसठ) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-49 स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और समनुदेशन

प्रश्न यह है कि अतिरेक की मांग संख्या-49 स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और समनुदेशन के संबंध में 31 मार्च, 2002 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 31,25,600 (अक्षरे रुपये इकत्तीस लाख पच्चीस हजार छह सौ) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

अतिरेक मांगों (वर्ष 2002-03) का पारण

मांग संख्या-21 सड़कें एवं पुल

प्रश्न यह है कि अतिरेक की मांग संख्या-21 सड़कें एवं पुल के संबंध में 31 मार्च, 2003 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 101,39,02,723/-(अक्षरे रुपये एक सौ एक करोड़ उनतालीस लाख दो हजार सात सौ तेइस) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-34 प्राकृतिक आपदाओं से राहत

प्रश्न यह है कि अतिरेक की मांग संख्या-34 प्राकृतिक आपदाओं से राहत के संबंध में 31 मार्च, 2003 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 69,29,846(अक्षरे उनहत्तर लाख उनतीस हजार आठ सौ छियालीस) तक की राशि और प्रदान की जाये?

(श्री अध्यक्ष)

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई । प्राकृतिक आपदा पर तो हां कर देते ।

मांग संख्या-51 अनुसूचित जातियों के कल्याण हेतु संघटक योजना

प्रश्न यह है कि अतिरेक की मांग संख्या 51 अनुसूचित जातियों के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना के संबंध में 31 मार्च, 2003 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 19,2,5000 (अक्षरे उन्नीस लाख दो हजार पांच सौ) तक की राशि और प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

विधायी कार्य

विधेयक का पुर: स्थापन

राजस्थान विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 2006

विधेयकों का पुर:स्थापन, उन पर विचार एवं पारण।

राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2006

श्रीमती वसुन्धरा राजे ।

श्री वीरेन्द्र मीणा (राज्य मंत्री, वित्त एवं करारोपण): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2006 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2006 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री वीरेन्द्र मीणा (राज्य मंत्री, वित्त एवं करारोपण): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2006 को पुर:स्थापित करता हूं।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, आप अगर परमिट करें तो।

श्री अध्यक्ष: हां, हां, क्यों नहीं करूंगी।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आप तीनों बिल एक साथ रखवा दें उसके बाद एक ही साथ डिबेट करा दें ।

श्री अध्यक्ष: तीनों बिल एक साथ रखवा लूं, रख दीजिए । आपने अभी संख्या-3 रखा है, 4 भी रख दीजिए ।

राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2006

श्री वीरेन्द्र मीणा (राज्य मंत्री, वित्त एवं करारोपण): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2006 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं ।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2006 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई ।

अब 5वां भी कर दें आप ।

श्री वीरेन्द्र मीणा (राज्य मंत्री, वित्त एवं करारोपण): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2006 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं ।

श्री अध्यक्ष: 4 नहीं 5 करो, 4 तो कर दिया आपने ।

श्री वीरेन्द्र मीणा (राज्य मंत्री, वित्त एवं करारोपण): पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिये कर रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष: हां वह कर देंगे, कर देंगे ।

राजस्थान विनियोग (संख्या-5) विधेयक, 2006

श्री वीरेन्द्र मीणा (राज्य मंत्री, वित्त एवं करारोपण): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विनियोग (संख्या-5) विधेयक, 2006 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं ।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-5) विधेयक, 2006 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई ।

अब इन दोनों को आप पुर:स्थापित भी कर दो । आप विनियोग

संख्या-4 और विनियोग संख्या-5 को आप पुर:स्थापित कर दो, ताकि मैं इनको बोलने का अवसर दूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, बिजनैस एडवाइजरी कमेटी में तय हुआ था जब एक्सेस डिमांड इन्हीं के टाइम की है और इन पर चर्चा पहले हुई हुई है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): सैक्रेटरी साहब के कमरे में यह भी तय हुआ था कि जब विधायक और पूर्व विधायक की सुविधा की चर्चा चलेगी तो आप खड़े होकर यह प्रस्ताव करेंगे कि इस संबंध में एक कमेटी बनाकर रिव्यु किया जायेगा। फिर जिस पर हां करते हो उस पर क्यों बदल जाते हो हाउस में आकर? खड़े होकर कहो ना यहां पर आप, बाहर तो बड़ी-बड़ी बातें करते हो । (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र मीणा (राज्य मंत्री, वित्त एवं करारोपण): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2006 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: 5 को भी कर दो ।

श्री वीरेन्द्र मीणा (राज्य मंत्री, वित्त एवं करारोपण): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विनियोग (संख्या-5) विधेयक, 2006 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: पुर:स्थापित कर दिया लेकिन जब विचारार्थ के लिये बोलेंगे तब बोलोगे ना । लेकिन ऐसा है कि जब यह फैसला हो गया था तो इसे कर दो पास, आपके समय का है और अतिरेक है, करना है ।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): समय और न समय की बात नहीं है जो काम हमारा लेजिस्लेटर का है उस काम को तो हम डिसकस नहीं करना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष: अच्छा बोलिए, बोलिए आप।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आप प्रस्ताव रखवाइए।

श्री अध्यक्ष: तीनों विधेयकों को आप विचारार्थ लेने के लिये अपना प्रस्ताव रख दीजिए। विनियोग संख्या-3, विनियोग संख्या-4, विनियोग संख्या-5।

विधेयक पर विचार

राजस्थान विनियोग (संख्या-3) (संख्या-4) व (संख्या-5), 2006 पर विचार

श्री वीरेन्द्र मीणा (राज्य मंत्री, वित्त एवं करारोपण): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-3, 4 एवं 5) विधेयक, 2006 को विचारार्थ लिया जाये।

श्री अध्यक्ष: डा. सी.पी. जोशी।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): पहले राठौड़ साहब।

श्री अध्यक्ष: राठौड़ साहब क्यों बोलेंगे? आपको कुछ बोलना है, बोलिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, अभी सदन में कई माननीय सदस्यों ने अपनी सुविधाओं के लिये अपने अधिकारों की बात यहां पर कही है ।

श्री अध्यक्ष: सुविधा की बात एक गाड़ी की करी आपने और तो आपने सब आन, बान और शान की करी है, एक गाड़ी की बात सुविधा की करी है।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): गाड़ी का तो आलरेडी आर्डर है ।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची) : हम जनता की समस्या के लिये गाड़ी की मांग कर रहे हैं ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों की आन, बान और शान से संबंधित जो बातें यहां पर कही इस पर आप अगर कोई समिति का गठन करना चाहें, वैसे तो विधान सभा की गृह समिति बनी हुई है । गृह समिति विचार कर लें अगर आप उपयुक्त समझेंगे तो इनसे चर्चा के लिये अलग अलग दलों के एक-एक, दो-दो माननीय सदस्यों को नामजद कर देंगे तो इन सबसे बात करने के बाद कोई कंसोलिडेट प्रस्ताव लेकर...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: लेकिन इनकी आन, बान और शान रहनी चाहिये ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): इनकी आन, बान और शान रहेगी ।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): आन, बान और शान प्रजातंत्र की, हमारी नहीं।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से और यह जानते हुए कि यह परम्परा रही है कि एक्सेस पर डिसकशन नहीं होता है, पर मेरी सभी माननीय सदस्यों से सानुरोध प्रार्थना है और मैं चाहूंगा कि यह जो बार-बार रिपोर्ट में जो चीज मेंशन हो रही है, उस चीज पर माननीय सदस्य का ध्यान जाना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष: एक तो आप धीरे भी बोले और कोई टोके तो आप उत्तेजित ना हो, आप आराम से अपनी बात कहिए ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा आज जिन अतिरिक्त मांगों की चर्चा हो रही है और जिस कमेटी ने इन सबको जांचा है, परखा है, देखा है उसके आप ही चेयरमैन हैं। यह परम्परा नहीं रही कोई भी व्यक्ति किसी समिति से जुडा हुआ हो, वह इस सदन में उन विषयों पर बोले, उन्हीं की सिफारिशों पर एक्सेस डिमांड की हम चर्चा कर रहे हैं और यही बोल रहे हैं तो आप देख लें अध्यक्ष महोदय, यह एक नई परम्परा हो जायेगी।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): माननीय पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर मैं पीयूसी का मेम्बर था जिस पीएसी ने रिकमंडेशन की, उसका मैम्बर नहीं था, आप अपने आप को करेक्ट कर लें। यह जो डिसकशन हो रहा है वह रिकमंडेशन पीएसी की है जिसमें मैं मैम्बर नहीं था। I was a Member of PUC. You don't want to speak.

श्री अध्यक्ष: उस समय आप पीयूसी के मैम्बर थे।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आप सब एमएलए को इग्नोरेंट क्यो रखना चाहते हो? What is truth? Let us share with it.

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): बोलो, बोलो ।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कांस्टीट्यूशन के आर्टिकल 205 पर। Supplementary, additional or excess grants. (1) The Governor shall

(a) if the amount authorized by any law made in accordance with the provisions of Article 204 to be expended for a particular service for the current financial year is found to be insufficient for the purposes of that year or when a need has arisen during the current financial year for supplementary or additional expenditure upon some new service not contemplated in the annual financial statement for that year, or

(b) if any money has been spent on any service during a financial year

(डा. सी. पी. जोशी)

in excess of the amount granted for that service and for that year, cause to be laid before the House or the Houses of the Legislature of the State another statement showing the estimated amount of that expenditure or cause to be presented to the Legislative Assembly of the State a demand for such excess, as the case may be.

अध्यक्ष महोदय, हमारी विधान सभा के माननीय सदस्यों का जो सबसे आवश्यक कार्य है वह कार्य यह है कि विधान सभा में हम जो अलग अलग डिमांड आ रही है उनकी जो ओरिजनल डिमांड है उसको पास करें और विभाग के अधिकारियों का यह उत्तरदायित्व है कि मंत्रियों के नेतृत्व में जिन डिमांड की राशि पास की है उस राशि के अनुरूप विभाग कार्य करें ।

यह मोटे तौर पर जिम्मेदारी मंत्री की है और माननीय अध्यक्ष महोदय, उन कार्यों को सम्पादित करते समय यदि विभाग यह महसूस करे कि जो मांग की राशि हमने विधान सभा से पास करवायी है उसमें कुछ कमी है तो सप्लीमैण्ट्री ग्रांट में लाकर उसको और एडिशन परमिशन मिल जाती है। यह दोनों इस बात की यार्ड-स्ट्रीक है, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि कोई डिपार्टमैंट का मंत्री लोकतंत्र में कितनी एफीशिएंटली अपने डिपार्टमैंट की मोनिटरिंग करके जनता को रिलीफ दिलवा रहा है। कभी-कभी ऐसा हो जाता है माननीय अध्यक्ष महोदय, कि कुछ डिमांड जिसको हम एंटीसिपेट नहीं करते हैं, उन डिमांड के लिए भी प्रोविजन करना पड़ता है। वहां तक तो समझ में आता है लेकिन एक्सेस डिमांड, माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे इम्पोर्टेण्ट चीज है। यह इंडिकेट करता है कि मंत्री का इफेक्टिव मोनिटरिंग नहीं है, यह इंडिकेट करता है कि जो सैक्रेटरी है उस सैक्रेटरी का अपने सबोर्डिनेट स्टाफ पर, जिस तरह की इफेक्टिव मोनिटरिंग होनी चाहिए, उस तरह की इफेक्टिव मोनिटरिंग नहीं है, क्योंकि मैन डिमांड जब आ जाती है, मैन डिमांड के बाद जब असेम्बली बजट पास कर लेती है, उसके बाद पूरा अधिकार है उनको सप्लीमैण्ट्री डिमांड में यदि उस राशि में कमी और खामी है तो उसको और मांग लें। पर अनफार्च्यूनेटली, माननीय अध्यक्ष महोदय, अनफार्च्यूनेटली इस कानून की व्यवस्था का जो हमारा सबसे बड़ा काम है उस कानून की व्यवस्था का बराबर उल्लंघन है, माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हम एक्सेस ग्रांट कहां की स्टार्ट कर रहे हैं? 2000-2001 की और सन कौनसा चल रहा है? 2006-07, माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बताइये कि इस कानून के अन्दर 2000-2001 में एक्सेस हो गया, उसको कब विधान सभा में आ जाना चाहिए था?

(डा. सी. पी. जोशी)

कौनसे कारण हैं, जिसके कारण आपने एक्सेस किया, बताना चाहिए था। 2006-07 तक, मतलब 2001 के टेन्योर में मैं एम.एल.ए. हूं। मेरे एम.एल.ए. के टेन्योर में हमारी जो सरकार है उस सरकार का टेन्योर निकल जाए। मैं एम.एल.ए. बनूं या नहीं बनूं, मेरी एफीशिएंसी रही या नहीं रही, अगली असेम्बली में जाकर उसका एक्सेस डिस्कस होना चाहिए यह तो संविधान के किसी भी निर्माता ने कल्पना भी नहीं की होगी। उसके पीछे मंशा यह थी कि यदि एक्सेस हो जाती है तो उस एक्सेस के बाद दो साल में, बजट के लिये नियम और कानून मैनुअल बना हुआ हैं उस मैनुअल में लिखा हुआ है कि दो साल में उन चीजों को वह रिकन्सल्ट कर लें सी.ए.जी. के साथ बैठकर, उसके बाद विभाग का यह सी.ए.जी. के रिकन्सल्ट करने के बाद वित्त विभाग का यह कर्तव्य बनता है, कि कम से कम दो साल के बाद राजस्थान की विधान सभा में वह कारण बताये कि ऐसे कौनसे कारण थे जिससे विभाग ने अपनी ओरिजनल डिमांड की राशि के अतिरिक्त सप्लीमैण्ट्री में मांग कर ली वह खर्च कर लिया और ओरिजनल, सप्लीमैण्ट्री के बाद एक्सेस भी खर्च कर दिया। मैं समझता हूं कि यह राजस्थान के चुने हुए प्रतिनिधियों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है क्योंकि इनका टेन्योर पांच साल का है। उस पांच साल के टेन्योर में यदि हम इन चीजों के बारे में ध्यान नहीं देंगे तो हम समझते हैं कि अपने-अपने काम की इतिश्री कर दी और दूसरा आदमी आकर जांच करेगा इसलिए साहब, आपकी सरकार थी, आपकी सरकार की एक्सेस है इसलिए आप डिस्कस नहीं करो, मैं समझता हूं कि लोकतंत्र में जो हमारी सबसे मूलभूत जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी के निर्वहन करने में हम अपने आप में असफल हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक के बाद एक उदाहरण बताना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2000-01 की यह जो सी.ए.जी. की रिपोर्ट है उसके पेज में, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप जानकर आश्चर्य करेंगे, मैं कोट कर रहा हूं इसका 2.3 अध्यक्ष महोदय, Excess over provision relating to previous years requiring regularisation. As per Article 205 of the Constitution of India, it is mandatory for a State Government t6o get the excess over a grant/appropriation regularised by the State Legislature. However, the excess expenditure amounting to Rs. 1992.39 crore for the year 1994-95 to 1999-2000 was yet to be regularised. यह सी.ए.जी. रिपोर्ट है, माननीय अध्यक्ष महोदय, 2001 की जिसमें यह कहा गया है कि 1994-95 से लगाकर 1999-2000 तक, 1992 करोड़ रुपये, यह कोई पूछने वाला नहीं है। यह किसी की

(डा. सी. पी. जोशी)

जिम्मेदारी नहीं बनती है कि 1992 करोड़ रुपये मेन डिमांड में नहीं थे, सप्लीमैण्ट्री डिमांड में नहीं थे, एक्सेस में खर्च कैसे हो गये? क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि हम यह पूछे उस सैक्रेटरी को कि वह काहे की तनख्वाह ले रहा है? उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि क्या वह अपने सबोर्डिनेट के साथ बैठकर इस बात को असेस करे कि सप्लीमैण्ट्री के बाद एक्सेस खर्च कैसे हो रही है, यह पैरा है, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मैने बताया है 1994-95 का अमाउंट है, माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्रांट-11 में 121.08 करोड़ रुपये, एप्रोप्रिएशन के साथ में है 729.86 करोड़ रुपये इन द ईयर 1995-96, 12 ग्रांट में अमाउंट था 158.43 करोड़ रुपये, इन द एप्रोप्रिएशन सिक्स ग्रांट में था 309.61 करोड़ रुपये, इन द ईयर 1996-97 में यह 13 ग्रांट में एक्सेस था 107.58 करोड़ रुपये, नाइन एप्रोप्रिएशन में 419.73 करोड़ रुपये, इन द ईयर 1997-98 सिक्स ग्रांट में एक्सेस था 63.04 और एप्रोप्रिएशन में था केवल मात्र पाइंट 03 करोड़। इन द ईयर 1998-99, फाइव ग्रांट में एक्सेस था 63.67 करोड़ और फोर एप्रोप्रिएशन ग्रांट में केवल मात्र था जीरो पाइंट वन फाइव करोड़ और 1999-2000 में इट बाज फाइव थ्री, ग्रांट में ... (व्यवधान) था 19.15 करोड़ और एप्रोप्रिएशन में था केवल मात्र पाइंट 60 करोड़ और माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो फिगर हमें और आपको दिये गये हैं, उसको जानकर आप आश्चर्य करेंगे कि उसके बाद 2000-01 से देखिये, माननीय अध्यक्ष महोदय, in the year 2000-01 55.53 crore rupees and in the year 2001-02 it was 97.59 crore rupees and in the year 2002-03 माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह पढ़ना चाहता हूं The excess of, the word I am using, the excess of Rs. 856.28 crore माननीय अध्यक्ष महोदय, कहां तो 55.33 करोड़ रुपये थे, कहां पर 97.51 करोड़ रुपये थे 2002 तक, 2003 में एक्सेस हो गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, 856.2 crore rupees under 7 grants/ appropriation during the year requires, regulation under Article 205 of the Constitution, the excess was mainly under appropriation public debt amounting और माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें लिखा है- As per Article 205 of the Constitution of India, it is mandatory for a State Government to get the excess over a grant/appropriation regularised by the State Legislature. However, the excess expenditure amount to Rs. 153.12 crore for the year 2000-01 to 2001-02 had not been regularised so for as August 2003. This was breach of legislative control over appropriation. एप्रोप्रिएशन पर लेजिस्लेसिव का कण्ट्रोल का ब्रीच जो सबसे बड़ा हमारा फंक्शन है कि हम लेजिस्लेटर की ड्यूटी बनती है,

(डा. सी. पी. जोशी)

मान्यवर, कि हम इस एक्सेस के कण्ट्रोल के सामने डिस्कस करें। मैं चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई भी सरकार हो, चाहे हमारी सरकार हो, चाहे यह सरकार हो। कोई खड़े होकर बता दें कि आज दिन तक किसी भी सरकार ने किसी भी अपने विभाग के अधिकारी के साथ बैठकर डिस्कस किया है कि उनके विभाग में एक्सेस खर्च क्यों हो रहा है। क्या उनकी जिम्मेदारी बनती है? ऐसे इतने विभाग है, अध्यक्ष महोदय, यहां पर जो चार-पांच विभाग है जो बारबार रिपीट हुए जा रहे हैं, उनमें एक्सेस एक्सपेंडिचर होता है, वह हुआ जा रहा है। मैं समझता हूं कि इससे बड़ी और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति लोकतंत्र में माननीय अध्यक्ष महोदय, हो नहीं सकती कि एक्सेस ग्रांट के संबंध में हम डिस्कस नहीं करें और डिस्कस करने के बाद इस बात को एनालाइज नहीं करें हम कि एक्सेस ग्रांट के कारण क्या है? माननीय अध्यक्ष महोदय, एक्सेस ग्रांट का एक कारण तो माननीय अध्यक्ष महोदय, समझ में आ सकता है कि साहब, आपको डेट-स्वेप करना पड़ता है। पैसा लेना पड़ता है। भारत सरकार ने डेट-स्वेप के लिए पहले नियम अलग बना रखे थे, आज डेट-स्वेप के नियम अलग बन गये। माननीय अध्यक्ष महोदय, लेकिन आज 1995-96 के एक फिगर को उठाकर देखें। उसके बाद राजस्थान की सरकार में यह अमाउंट कम हुआ है। सडनली 2000-03 से वह बढ़ गया है पर माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जानता था कि जब मैं यह बात कहूंगा तो माननीय सदस्य कहेंगे कि साहब, आपने यह बात तो उठायी है, अब तो राज हमारा आ गया। आपके राज के लिए आपकी जिम्मेदारी है। यह तो बहुत अच्छा है, हमारे राज की हमारी जिम्मेदारी थी। आपके राज से शुरू करते हैं अब। आपका राज शुरू हो गया था अक्टूबर में, अक्टूबर में शुरू होने के बाद, माननीय अध्यक्ष महोदय, इस ईयर में आप जानकर आश्चर्य करेंगे 352 करोड़ रुपये की एक्सेस अभी भी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2003-04 का मैं फिगर पढ़ रहा हूं, 2003-04 का फिगर यह है- थ्री टू फोर, 324 करोड़ रुपये की एक्सेस 2003-04 में माननीय अध्यक्ष महोदय, है। मैंने उस दिन भी आपसे कहा कि यह 2003-04 की यह चीज है, 2004-05 की नहीं है। 2005-06 की नहीं है। यह 2006-07 चल रहा है। यह सरकार जब उसका टेन्योर पूरा करेगी, अध्यक्ष महोदय, यह मेरा हाइपोथेसिस है The word I am using 'hypothesis' hai. The excess will exceed to the thousand crore rupees. I don't want to give the reasons but I am putting this challenge in front of this Government. Let this Government prove this efficiency, the excess by the end of the tenure may not exceed one thousand crore

(डा. सी. पी. जोशी)

rupees. It is bound to exceed one thousand crore rupees by accumulative यह जो अब इसका ट्रेंड चल रहा है माननीय अध्यक्ष महोदय, और मैं सबसे इण्ट्रेस्टिंग बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि 2004-05 के जो फिगर है, माननीय अध्यक्ष महोदय, वह मुझे इस बात को टेम्पटेशन कर रहे हैं मुझे माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि मंत्रीजी और विभाग की तरफ से ध्यान जाना चाहिए। मैं कोट कर रहा हूं इसका Amount surrendered on the last day of the March 2005, Rs. 20 crores and above. माननीय अध्यक्ष महोदय, आप जानकर आश्चर्य करेंगे। माननीय मंत्रीजी, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। The amount surrendered on the last day of March, 2005….

श्री अध्यक्ष: अतिरेक पर कर रहे हैं अपन। अतिरेक पर कर रहे हैं अपन बहस। एक्सेस पर। ... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): मैं इसी पर आ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: एक्सेस पर कर रहे हैं अपन बहस।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): इस एक्सेस पर ही मैं ला रहा हूं आपको let me prove my hypothesis. मार्च, 2005 के, 31 मार्च को जो बजट पास किया आपने, माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें 7026 करोड़ रुपये सरेण्डर हुए हैं। Are you aware about this? 7026 crore rupees were surrendered on the 31st March, 2005. किस-किस हैड में है, माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें हैड है पब्लिक डेट, सैक्रेटेरिएट का है, रोड एण्ड ब्रिज का है, रोड एण्ड ब्रिज के साथ एजुकेशन, आर्ट्स एण्ड कल्चर है।

मेडिकल हैल्थ एण्ड सेनिटेशन है, ड्रिंकिंग वाटर सर्विसेज हैं, अरबन प्लान और रीजनल डवलपमेंट है, अरबन और रीजनल डवलपमेंट के साथ सोशल सिक्योरिटी एण्ड वेलफेयर हैं, इर्रिगेशन है, पॉवर है। अध्यक्ष महोदय, केवल मात्र इस आधार पर हम कहें कि हमारे यहां एक्सेस आता है, यह स्थिति नहीं है। यह जो विभाग सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के हैं, यह 7026 करोड़ रुपये आपके वोट के आधार पर डिमाण्ड आपने पास कराई है। आपने हमसे मेन्डेट लिया है कि आप पास करो, हां। गवर्नर से अप्रूवल ली है। कोई पूछने वाला है कि 7026 करोड़ रुपये 31 मार्च को क्यों सरेण्डर हो गये? यह फीगर 2005 का मैंने इसलिये कोट किया माननीय अध्यक्ष महोदय, if you go rigorous over a period of time right from the down. पिछले चार साल से एक

(डा. सी. पी. जोशी)

हजार करोड़ से बढ़ता जा रहा है। आपके राजस्थान के रेवेन्यू रिलेशन के फीगर उठाकर देख लें। राजस्थान का रेवेन्यू चार्ज कर रहे हैं। सैल्स टैक्स आप लगा दें, माइन्स टैक्स उठाकर देख लें और आप एक्सेस टैक्स वगैरह देख लें। माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें रफली 2000 करोड़ से ज्यादा के एरियर बाकी हैं। किस तरह की गवर्नेस करना चाहते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, हम ताली बजा लें, हम स्वागत कर लें, हम बहस कर लें, आप एडजोर्न कर लें हाउस। इससे हाउस की परफोर्मेंस हो जायेगी।

मैं समझता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि सबसे इम्पोर्टेन्ट चीज है कि राजस्थान की जनता यह जानना चाहती है कि चुने हुए प्रतिनिधि और चुने हुए प्रतिनिधियों में जो एग्जीक्यूटिव हैं, एग्जीक्यूटिव में जो मंत्री हैं, क्या यह मंत्री का धर्म नहीं बनता है, क्या मंत्री का कार्य नहीं बनता है कि मंत्री रेगुलर मोनिटरिंग करें इस बात की। किस बात की फैसेलिटी मिलती है मंत्री को एम एल ए से ज्यादा ? एम एल ए से ज्यादा प्रिविलेज क्यों मिलते हैं उसको ? उससे आशा की जाती है कि वह एग्जीक्यूटिव आफिसर लेजिस्लेचर के संबंध में इन सब चीजों का ध्यान रखेगा। यह दुर्भाग्य है, अध्यक्ष महोदय, मैं कोई सरकार पर ब्लेम नहीं लगाना चाहता। मैं फीगर बताना चाहता हूं डेमोक्रेसी में जो हमारा मैन फंगशन है, उस मैन फंगशन को ब्यूरोक्रेसी ने हटा लिया है। हमारा काम है ट्रांसफर पोस्टिंग करना, हम राजस्थान में ट्रांसफर पोस्टिंग कर लें और ट्रांसफर पोस्टिंग करके इतिश्री कर लें। मैं यह फीगर देना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, आप जानकर आश्चर्य करेंगे 800 करोड़ से ज्यादा सीएजी के आब्जेक्शन की रिप्लाई नहीं है। यह मैं एक्सेस की बात करना चाहता हूं मुझे जानकारी है। मुझे यह बतायें कि रेमेडीयल मेजर्स क्यों दे रहे हैं? इस सरकार को आये तीन साल हो गये। इस सरकार की जो एफिशियेंसी है, फाइनेंशल मैनेजमेंट है, इस सरकार ने फाइनेंशल मैनेजमैंट को लेने के लिये क्या कभी इनकी मोनिटरिंग की है? क्या यह बताने की स्थिति में है कि इनकी सरकार के आने के बाद 31 मार्च में यह सरेण्डर का अमाउंट कैसे बढ़ता जा रहा है? अध्यक्ष महोदय, यह नई मिथ क्रियेट कर दी गयी है कैपिटल इन्वेस्टमेंट और हमें कहा जाता है कि इस सरकार ने कैपिटल इन्वेस्टमैंट बहुत ज्यादा किया है और जो सरकार कैपिटल इन्वेस्टमैंट ज्यादा करती है वह डवलपमैंट के काम ज्यादा कर रही है। अध्यक्ष महोदय, कैपिटल इन्वेस्टमैंट का पैसा सरेण्डर हो जाये, सोशल वेलफेयर के फण्ड में से सरेण्डर हो जाये तो मैं नहीं समझता

(डा. सी. पी. जोशी)

हम क्या करना चाहते हैं ? रेवेन्यू रिसीप्ट का आप कॉलम उठाकर देख लें, पहली बार 2000-01 तक, अध्यक्ष महोदय, आप जानकर आश्चर्य करेंगे, मैं पढ़ना चाहता हूं। Over a period in the year 2000-01 अध्यक्ष महोदय, 2001 में सकल अनुदान विनियोग का अमाउंट था 27,831 करोड़ 53 लाख रुपये, सप्लीमैंट्री ग्रांट ली थी 8,436 करोड़ 89 लाख रुपये और इसके बाद कुल व्यय में मात्र 25,250 करोड़ रुपये खर्च हुए। हमने हरदम पैसा ज्यादा रखा। वह पैसा कम खर्च किया । यही की यही स्थिति 2001-02 के अंदर भी है। 2001-02 के अंदर जो टोटल मनी अवेलेबल थी वह 28,836 करोड़ 21 लाख थी और खर्चा किया 27,179 करोड़ रुपये। अब कोई इनसे यह पूछे कि सप्लीमैंट्री ग्रांट लेने के बाद आपके एक्चुअल्स में क्यों अन्तर आ रहा है? आपकी सप्लीमैंट्री ग्रांट लेने के बाद में एक्चुअल्स में अन्तर नहीं आना चाहिये। लेकिन आपने 4 हजार करोड़ रुपये की सप्लीमैंट्री ग्रांट दी उसके बाद भी आपके एक्सेस में आया, 2002 के अंदर भी यही आ रहा है। 2002-03 के अंदर फिर यही स्थिति बनी। हमने कुल खर्चा असेम्बली से पास करवाया 33,107 करोड़ 66 लाख रुपये का और एक्सपेंडिचर हुआ है 33,112 करोड़ 71 लाख रुपये का और उस समय भी हमने सप्लीमैंट्री ग्रांट ली है 7754 करोड़ 63 लाख रुपये की। इसका मतलब अध्यक्ष महोदय, इन तीनों सालों में जितनी हम ओरिजनल डिमाण्ड पास कर रहे हैं, ओरिजनल डिमाण्ड के पास सप्लीमैंट्री डिमाण्ड पास कर रहे हैं । सप्लीमैंट्री डिमाण्ड पास करने के बाद जो हमारा एक्चुअल एक्सपेंडिचर है वह कम खर्च हो रहा है। अब एक्चुअल्स का एक्सपेंडिचर किसमें खर्च हो रहा है ? आपके ब्याज में खर्च नहीं हो रहा है, जो ब्याज हम ले रहे हैं, जो मूल पूंजी हम ले रहे हैं, उस पर ब्याज देना पड़ेगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा।

(17.34 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, सभापति, पदासीन)

सभापति महोदय, आपका अमाउंट बढ़ रहा है उसमें, आप उठाकर फीगर देख लें। आप जानकर आश्चर्य करेंगे, सभापति महोदय, 2000-2001 में कोई हैड नहीं था, 2002 में हैड खुला। पहली बार चार्ज एक्सपेंडिचर, चार्ज एक्सपेंडिचर किसमें राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण और राज्य सरकार का केन्द्रीय सरकार से ऋण, यह राशि है 96.49 करोड़ इन द ईयर 2001-02 और

(डा. सी. पी. जोशी)

2002-03 में यह राशि हो गयी 753 करोड़ रुपये it was 96 crore rupees and suddenly it came out to be 753 crore rupees. 753 करोड़, इस फीगर को मैं आधार बनाकर कह रहा हूं कि यह ब्याज लेकर, ऋण लेकर अपनी बड़ी बड़ी योजनाएं बनाने की जो कल्पना हम कर रहे हैं, इस कल्पना के बाद राजस्थान सरकार को 753 करोड़ का जो फीगर है 2002-03 का, यह 2008 में जब आपकी सरकार जाएगी तब आपको अमाउंट लेना पड़ेगा लगभग 1000 करोड़ रुपये से भी ज्यादा। यह कैपिटल एक्सपेंडिचर है, यह कैपिटल एक्सपेंडिचर किसमें है, ब्याज चुकाने के लिये है। अब कोई आदमी मुझे बताये कैपिटल एक्सपेंडिचर ब्याज चुकाने के लिये और जनता को हम कहें कि हम आपके वेलफेयर का काम कर रहे हैं, कैपिटल इन्वेस्टमैंट कर रहे हैं, यह कैपिटल इन्वेस्टमैंट भी एक मिथ है। इस मिथ के आधार पर हमने नये लोगों को बनाने का काम करने की कोशिश की है। इसलिए सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं निश्चित तौर पर यह हमारा जो एक्सेस ग्रांट का मामला है, यह मामला बहुत सीरियस है और मैं अपनी बात को लम्बी नहीं करना चाहता। मैं जानता हूं इस बात को कि मुझे कहा गया है कि रिप्लाई देने के लिये सरकार की तैयारी नहीं थी, मुझे तो कोई आशा भी नहीं है क्योंकि सरकार किसी की हो, सरकार की अपनी लिमिटेशन है, क्योंकि सरकार के मंत्री को गाड़ी में घूमना, जनता को खुश करना है, बहुत काम करने हैं, ब्यूरोक्रेसी का काम अपना नहीं है। वह समय नहीं मिलता अपने को इसलिए किसी भी मंत्री को समय मिले, इसकी संभावना कम है। लेकिन संभावनाएं बढ़ाने की आवश्यकता है इसलिए कि आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर का अमाउंट केवल मात्र बायोएंसी आफ फण्ड्स है। राजस्थान सरकार के पास, इस सरकार के पास मिड डे मिल का पैसा भारत सकरार दे रही है, सैंट्रल स्पोंसर्ड स्कीम में, सर्वशिक्षा अभियान में आपको 800 करोड़ रुपये मिल रहे हैं। आपको कुल मिलाकर पिछले दो तीन सालों में जो भारत सरकार के फिस्कल मैनेजमैंट है, उस फिस्कल मैनेजमैंट के कारण राजस्थान सरकार को दो हजार करोड़ से ज्यादा का लिक्विडिटी फण्ड मिल रहा है, जो पिछली सरकार को नहीं था। इसलिए आज आपके पास कहने का स्कोप नहीं है। आज सबसे बड़ी आवश्यकता है कि टैक्स लगाओ, उस टैक्स को पूरा रियलाइज करो। इसलिए सबसे बड़ी आवश्यकता है जितनी डिमाण्ड आप असेम्बली में पास करवा रहे हो, उसकी इफेक्टिव मोनिटरिंग हो। सबसे बड़ी आवश्यकता है कि सप्लीमेंट्री डिमाण्ड के बाद

(डा. सी. पी. जोशी)

एक्सेस डिमाण्ड नहीं बने, यह चैलेंज है। यह छोटा-मोटा काम नहीं राजेन्द्र सिंह जी, 100 करोड़ रुपये, वर्ड यूज कर रहा हूं मैं आपके खुद के, रोड सैक्टर में 101 करोड़ रुपये का एक्सेस है 2002-03 में। वह किस में है? मंत्रीजी वह रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में है। मैं यह फीगर दे रहा हूं 2002 में 856 करोड़ है और 856 करोड़ के एक्सेस में 753 करोड़ रुपये तो लोन के पेटे वाले में हैं। लेकिन 101.39 करोड़ रुपये इन द सैक्टर सड़क, सेतु वाले हैड में है। आप मुझे यह कह देंगे, यह जो पुराना एक्सपेंडिचर किया, उसको एडजस्ट करने के लिये किया। आपका विभाग सो रहा था पिछले पांच साल से मंत्रीजी knowing your full efficiency I don't want to challenge your efficiency. When you can manage the Government you can manage the department. That is a gut you are having but unfortunately part is ki successive year main सबसे ज्यादा एक्सेस खर्च हो रहा है तो वह रोड सैक्टर में हो रहा है। उठाकर देख लीजिये आप । क्या कभी आपको समय मिला कि एक्सेस कैसे खर्च हो रहा है ? कैसे इसको कंट्रोल करें ? मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर इस संबंध में भी कुछ लोगों को आगे आकर पहल करनी पड़ेगी। यदि हम चाहते हैं कि लोकतंत्र मजबूत हो, यदि हम चाहते हैं कि जनता को बजट में पास करवाकर एक दिवास्वप्न दिखा रहे हैं कि आपके वेलफेयर के काम कर देंगे। सबसे ज्यादा कैजुअल्टी सोशल वेलफेयर के सैक्टर में हो रही है। नया फार्मूला आ गया पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का, आपने जो रोड सैक्टर में पैसा खर्च किया, माननीय मंत्रीजी, 1500 करोड़ रुपये के जो आपने रिडकोर बनाया वह भी आप अपने बजट में शो कर रहे हो । आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में और पैसे लाओगे, वह भी आप शो कर रहे हो तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के पैसे के बाद तो आपको खुली छूट मिल जायेगी । सभापति महोदय, जो पब्लिक से टैक्स के पैसे लेने के बाद मोनिटरिंग नहीं कर सके वह पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हजार करोड़ रुपये खर्च करने के बाद में वह चैरिटी करने के लिये आपके बीच में आ रहे हैं। वह पैसा खर्च करने के लिये आ रहा है इसलिए ज्यादा आवश्यकता है, सभापति महोदय, कि हम नये सिरे से सोचें कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करने के बाद कैसे इफेक्टिव मोनिटरिंग कर पायेंगे, इसको मेनिफेस्ट ही नहीं किया। It is beyond the purview of the CAG. सीएजी के परव्यू में रखना चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नाम पर आने वाले समय में राजस्थान को और दुनिया में बहुत बड़ी प्रगति की तरफ हम ले जायेंगे।

(डा. सी. पी. जोशी)

सभापति महोदय, आज के दिन एफ आर बी एम एक्ट आने के बाद छह महीने हो गये, एफ आर बी एम एक्ट के बाद हम असेम्बली में आये हैं, क्या स्थिति है हमारी? आज नया कान्सेप्ट शुरू हो गया कि आज रेवेन्यू डेफिसिट कंट्रोल नहीं हो सकता । एग्जाम्पल दिया केरल की गवर्नमेंट ने। केरल के मंत्रियों ने, केरल की सरकार ने उदाहरण दिया है और भारत सरकार भी इस बात को मानने लगी है कि रेवेन्यू डेफिसिट को हम कम नहीं कर सकते। इसलिए एफ आर बी एम का कान्सेन्ट भी आउट डेटेड कान्सेप्ट हो गया। सभापति महोदय, यह पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कान्सेप्ट भी आउट डेटेड होगा । सेज के मामले में भारत सरकार ने जो चिन्ताएं व्यक्त की हैं।

इससे लोगों को कहा गया है कि किसान की जमीन के अन्दर उस किसान का लोंगेविटी के साथ भी उसके साथ पार्टनरशिप की जानी चाहिए। इसको एक बार एक्जेक्टमेंट कर के उसकी फैमिली को डिसप्लेस कर दे और एक आदमी जमीन लेकर और बाद में उसको बेच दे और करोड़ों रुपये कमा ले। यह हिन्दुस्तान में अहमदाबाद में हुआ, दिल्ली में हुआ, मुम्बई में हुआ। लोगों ने मिल्स की जमीन ली, मिल्स को अबण्डन कर दिया और जमीन को बेच कर आज पैसे कमा रहे हैं। यह भी लम्बे समय तक नहीं चलेगा। सेज का मॉडल चाईना में सक्सेजफुल हो गया इसलिए सेज का मॉडल हिन्दुस्तान में सक्सेज हो जाए, यह भी सम्भव नहीं है।

इसलिए, सभापति महोदय, मेरा आपसे सानुरोध निवेदन है कि हमें अपनी कोशिश को प्रिक करना पड़ेगा। एक जनप्रतिनिधि के रूप में हम बहुत-सी आशाएं करते हैं, जनता भी हम से आशा करती है पर उन आशाओं का सारा दारोमदार निर्भर करता है कि बजट जो हम पास कर रहे हैं, उस बजट की इफेक्टिव मानीटरिंग हो। जो डिमाण्ड हम प्रस्तुत कर रहे हैं उस डिमाण्ड में वैरिएशन का यार्ड स्टिक बना लें कितना परसेंट यार्ड स्टिक अलाऊ करेंगे। आप जान कर आश्चर्य करेंगे सप्लीमेंट्री लेने के बाद सप्लीमेंट्री की सेविंग की है। मैं यह फीगर भी देना चाहता हूं। सप्लीमेंट्री लेने के बाद सप्लीमेंट्री में सेविंग आ जाए why the Secretary should not be punished? उसको टाइम था ओरीजिनल डिमाण्ड के सम्बन्ध में, उसको डिमाण्ड था सप्लीमैंट्री डिमाण्ड के बाद और सप्लीमैंट्री ओरीजिनल डिमाण्ड करने के बाद यदि एक्सेज हो जाए, सेविंग हो जाती है तो इसका मतलब वो सेक्रेट्री मात्र अपने सबोर्डिनेट के आधार पर बेठ कर यह काम कर रहा है, सभापति महोदय।

(डा. सी. पी. जोशी)

इसलिए, सभापति महोदय, मेरा विनम्र शब्दों में निवेदन है I don’t want to criticize the Government because every Government is having the limitations. बट यह कमिटमेंट है हम सब को कि समय आ गया है कि अब पैसा अवेलेबल नहीं है, टैक्स नैट हम कितना लगाना चाहते हैं। आज यदि पैसे का जुडिशियस उपयोग हो, इस काम को हम नहीं कर सके, सभापति महोदय, और हम अपना अधिकांश समय इसलिए खर्च करते हैं कि, साहब, बजट के बारे में हम समझते नहीं हैं।

मैं एक बार और कहना चाहता हूं, सभापति महोदय, माफ करें, रिकार्ड पर रहनी चाहिए, राजस्थान की कोई भी सरकार रहे, जो बजट आफिसर बना है वो आई.ए.एस. आफिसर बना है Should I repeat once again? राजस्थान की कोई भी सरकार रही हो, राजस्थान की सरकार में जो बजट आफिसर बना है वो आई.ए.एस. आफिसर बना है। बनना चाहिए क्योंकि 200 एम.एल.ए. के बाद भी बजट बनाने का काम अपन नहीं कर सकते तो एक आदमी राजस्थान सरकार को चला रहा है तो उसको रिवार्ड मिलना चाहिए। उस एक व्यक्ति के इर्द-गिर्द हम राजस्थान के डिवलपमेंट की कल्पना कर रहे हैं, वह निश्चित तौर पर अपनी एफिसिएंसी के आधार पर मोनीटरिंग, आपका जो मैनेजमैंट ठीक कर रहा है, उसके लिए मैं साधुवाद देता हूं लेकिन हम जनप्रतिनिधि हैं जिनकी स्वीकृति के आधार पर उसे अधिकार मिलता है, हम अपने कर्तव्य का निर्वहन ठीक ढंग से नहीं कर रहे हैं, सभापति महोदय।

इसलिए, सभापति महोदय, ज्यादा इस पर डिस्कस करना मैं समझता हूं, उचित भी नहीं है और जैसा बी.ए.सी. में कहा गया, अब मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय को कि उन्होंने अलाऊ किया हालांकि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने हां भी भरी और फिर कहा आप पी.ए.सी. के मैम्बर हो You have to learn it. If you are ignorant you learn it. You have to learn so many things to manage the political affairs of this Government but you have not learnt how to manage the finance of the State. आपकी एक कैप में वन मोर फर्दर एड होगा यदि आप अच्छे फाइनेन्स मिनिस्टर बन सकें, जो सम्भावना कम है। आप अच्छे पालिटिकल मैनेजमेंट के आदमी बन सकते हैं लेकिन हर आदमी को, हर पालिटिशन को, हर एम.एल.ए. को, आई विश हर एम.एल.ए. यदि इफैक्टिव अपने बजट की मानीटरिंग को ठीक ढंग से कर सके तो अपने इलाके के डवलपमेंट के काम कर सकेगा, सोशल एक्टिविटी के काम हैं उसमें लोगों को रिलीफ दे सकेगा और यदि हम इस पर इग्नोरेण्ट रहें,

(डा. सी. पी. जोशी)

सभापति महोदय, तो ट्रांसफर-पोस्टिंग करा कर हम अपने काम की इतिश्री कर देंगे, वक्त हमारा निकल जायेगा, इतिहास हमें याद नहीं रखेगा लेकिन इतिहास इस बात को याद रखेगा कि एक जनप्रतिनिधि के रूप में जो हमारी जिम्मेदारी थी उस जिम्मेदारी का निर्वहन करने में हम कितने सक्सेज हुए हैं।

मुझे पूरी आशा है कि हम आने वाले समय में इन सब के सम्बन्ध में चर्चा कर सकेंगे और निश्चित तौर पर हम ऐसी व्यवस्था कर सकेंगे कि एक एक पैसे का सदुपयोग हो सके और जनता के रिलीफ में काम कर सकें। यही बात मुझे आप से कहनी है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सभापति महोदय, नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने 2000-2001, 2001-2002 और 2002-2003 विनियोग विधेयक के माध्यम से राज्य सरकार की पूरी अर्थ-व्यवस्था पर अपनी टिप्पणी कर डाली।

सभापति महोदय, मैं लम्बी कोई बात नहीं करना चाहूंगा परन्तु यह शाश्वत सत्य है जिस सत्य को भारत सरकार ने भी स्वीकारा कि राजस्थान की वर्तमान सरकार का जो शानदार वित्तीय प्रबन्धन रहा है और उसी के कारण से 2004-2005, 2005-2006 के अन्दर भारत सरकार ने इन्सेन्टिव के रूप में एक बार 67 करोड़ रुपये और एक बार 76 करोड़ रुपये दिये।

सभापति महोदय, यह सही बात है, जिन एक्सेज डिमाण्ड की चर्चा यहां की, जो 2000-2001 के 55 करोड़ की, 2001-2002 के 97 करोड़ की और 2002-2003 की 856 करोड़ की, निश्चित तौर पर यह डिमाण्ड, क्योंकि, सभापति महोदय, आप को और सब को मालूम है कि हमारे संविधान के अन्दर कुछ व्यवस्थाएं इस फाइनेंशल मैनेजमैंट के लिए की गयी हैं, आर्टिकल 2002 के अन्दर कोई भी सरकार हो उसको अपना फाइनेंशल स्टेटमैंट हाउस में रखना पड़ता है, वो चाहे डिमाण्ड हो, चाहे चार्ज्ड हो और उसके बाद 2004 के अन्दर उस कंसोलिडेटेड फंड के अन्दर से उस पैसे को खर्च करने के लिए एग्जिक्यूटिव अधिकार लेती है एप्रोप्रिएशन बिल के माध्यम से और आपने सही कहा, जिस आर्टिकल 2005 का जिक्र आपने किया, जिसको पढ़ कर आपने सुनाया उस 2005 के अन्दर सप्लीमैंट्री डिमाण्ड के बाद एक्सेज, अगर उसके बाद भी एक्सेज हो तो एक्सेज डिमाण्ड का पैरा बनता है, सभापति महोदय, और इस एक्सेज डिमाण्ड का पैरा जो हमारे जिस तरह के वो बने हुए

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

हैं उसके अन्दर यह सी.ए.जी. में जाता है, सभापति महोदय, आप स्वयं उसमें विराजते हैं, सी.ए.जी; की रिपोर्ट को आप भी एग्जामिन करने वाली उस कमेटी में हैं और सी.ए.जी. की आडिट रिपोर्ट, सभापति महोदय, उस एक्सेज एक्सपेंडीचर को पी.ए.सी. के अन्दर आता है, पी.ए.सी. में परीक्षण होता है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, यह पहली बार नहीं हुआ। निश्चित तौर पर आपने स्वयं ने स्वीकारा कि हमारे टाइम का है, अगर पीछे का रिकार्ड भी उठा कर देख लें, 1986-87 से 1990-91, जन लेखा समिति से प्रतिवेदन प्राप्त हुए, जन लेखा समिति के परीक्षण के बाद क्योंकि उसके बाद यह विधान सभा में आते हैं उससे पहले विधान सभा में रेगुलराइज करने के लिए आते नहीं। वह हुए 27.03.1997 और विधान सभा में प्रस्तुत किये 09.09.1997 में। यह सारी चीज मैं पढ़ूं तो, सभापति महोदय, यह सही बात है कि एक्सेज पैरा बनने के बाद और जन लेखा समिति के परीक्षण के बाद वापस जब विधान सभा में आते हैं तो इतना समय लग जाता है कि इसमें निश्चित तौर पर विलम्ब हो जाता है।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, अभी बड़े जोर-जोर से कहना कि 2002-2003 में जो 856 करोड़ रुपये एक्सेज थे, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उसमें 753 करोड़ रुपये तो रिजर्व बैंक से जो वेज और मीन्स के लिए लोन लिया था, वो राशि थी। निश्चित तौर पर एक्सेज डिमाण्ड कम से कम होनी चाहिए, वित्तीय प्रबन्धन का अगर मोटा प्रिंसिपल मानें तो निश्चित तौर पर जो फाइनेंशल स्टेटमेंट जो बजट प्रस्तुत करें उस बजट के प्रस्तुत करने के बाद कोशिश यह रहे सप्लीमेंट्री डिमाण्ड में भी कम से कम राशि आये और सप्लीमैंट्री डिमाण्ड में भी कोई राशि आ जाए तो फिर एक्सेज डिमाण्ड के अन्दर वो राशि और कम आये परन्तु लम्बे समय से लगातार अगर आप देखें, वह सारे आंकड़े अभी विभाग ने मुझे दिये हैं और उस सारे को, सब चीजों को देखें तो लगता है कि यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया है।

मैं तो यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर सरकार के वित्तीय प्रबन्धन की बात करें, अपन रेवेन्यू डेफिसिट की बात कर लें, आप चाहे फिस्कल डेफिसिट की बात कर लें, इन दोनों के अन्दर मैं एक छोटा-सा आंकड़ा ही देना चाहता हूं, रेवेन्यू डेफिसिट 2001-2002 में 3795 करोड़ रुपये था और आज, सभापति महोदय, आपको जान कर प्रसन्नता होगी, इस सदन को भी प्रसन्नता होगी कि 2006-2007 की बी.ई. के अन्दर सिर्फ 43 करोड़

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

और इस राजस्थान के सदन के अन्दर वो समय भी आयेगा, इस वित्तीय इतिहास के अन्दर नया इतिहास भी लिखा जायेगा जब यह रेवेन्यू डेफिसिट से हम रेवेन्यू सरप्लस में आ जायेंगे। इसी तरह फिस्कल डेफिसिट। यह दो इन्डिकेटर मैं इसलिए कह रहा हूं, सभापति महोदय, कि आपने सारी बात को कहते हुए और सरकार के वित्तीय प्रबन्धन पर ही कई बात कह डाली। अगर इसको भी देखें, 2003-2004 में 7367 करोड़ रुपये था वह भी आज घट कर 5140 करोड़ रुपये हो गया। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो एक्सेज डिमाण्ड आज के इस विनियोग विधेयक के माध्यम से सदन के पास विचारार्थ है, उसको पारित किया जाए।

निश्चित तौर पर कई बार ऐसी बातें आती हैं, कई बार ऐसे सरकमस्टांसेज भी आ जाते हैं कि सरकार को जो उसके एनुअल फाइनेंशल स्टेटमेंट के अन्दर जो बजट का प्रावधान होता है उससे आगे निकल कर के भी खर्च करना पड़ता है, कई बार वेज एण्ड मीन्स की बात, आप देखेंगे, सभापति महोदय, जो यह पैरा बने हैं एक्सेज पैरा, अगर आप देखेंगे, जिनका एग्जामिनेशन आप के पी.ए.सी. में होता है उसमें वेज एण्ड मीन्स के पैरा भी आते हैं, कई बार इस तरह की आपदा भी आ जाती है जब सरकार को अचानक पैसा खर्च करना पड़ता है इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि निश्चित तौर पर आपने जो बातें कहीं इन सारी बातों के बारे में माननीय सदस्यगणों को मालूम भी होना चाहिए, इस सरकार का प्रयास भी होना चाहिए कि अतिरेक मांगें कम से कम आये इसलिए यह आज जो विचारार्थ है इस सब के जनक, माननीय सदस्य, आप ही के सरकार के समय में है जिस समय आप विराजते थे और मैं समझता हूं कि आप यह सिद्ध करना चाहते हैं, यह बात अन्दर की बात है, यहां कहनी नहीं चाहिए...(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): एक मिनट, राजेन्द्र सिंहजी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): मैं खतम ही कर रहा हूं।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): ना, आप खतम ना करें, आप विराजें।

जैसा कि नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, निश्चित रूप से इनमें से अधिकांश एक्सेज डिमाण्ड्स जो हैं मेरे काल की हैं, मैं वित्त मंत्री था। मैंने तत्कालीन मुख्य मंत्री, भैरोंसिंहजी शेखावत के कार्यकाल की मैंने

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

एक्सेज डिमाण्ड यहीं पेश की हैं। यह सतत प्रक्रिया है, सभापति महोदय, अगर यह सतत प्रक्रिया नहीं होती तो संविधान के अन्दर 205 में इसका प्रोविजन ही नहीं किया जाता। मालूम है यह ऐसा होता आया है हमेशा। कृपया आप मेरी बात सुन लें। देखिए उन्होंने बड़े मुद्दे की बात की। उनका क्रक्स एक ही बात के ऊपर है कि यह एक्सेस डिमांड पेश करने के अन्दर समय ज्यादा लगा दिया ...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): नहीं, नहीं।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आप नहीं समझोगे, आप ए बी सी बता दोगे तो मैं सदन से इस्तीफा दे दूंगा।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): उनका आब्जेक्शन यह है कि जब आप वित्त मंत्री थे तो उस समय आपका कंट्रोल नहीं था और आपने सुपरविजन ठीक नहीं किया इसके लिए एक्सेस डिमांड हुई है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): यह आपकी समझ से परे की बात है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य का यह आरोप है कि आपके समय जो एक्सेस डिमांड हुई उसमें सुपरविजन कंट्रोल आपने ठीक प्रकार से नहीं किया इसलिए एक्सेस डिमांड हुई।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): अच्छी बात है आप बड़े काबिल हैं।... (व्यवधान) या तो आप इनको रोक लें ।

श्री सभापति: We will let the Hon'ble Member complete it.

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आप बोल रहे हैं तो मैं बैठ जाता हूं, आपका ज्ञान मुझसे ज्यादा है । ना, ना है He knows the a.b.c.d. (व्यवधान) देखिये आप रिजाइन विजाइन तो छोड़िये । मैं आपसे कहता हूं, आप बोल रहे हो ना मैं तुरन्त बैठ गया क्योंकि वह तो जानते नहीं हैं। आप समझते हैं इस चीज को तो आप बोलो ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह समझते हैं इन्होंने जीवन का आधा समय..(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): तब ही तो मैं बैठ गया। यह तो बदकिस्मती है कि इनको फाइनेंस डिपार्टमेंट नहीं दिया गया ।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यह तो पता नहीं क्या समझकर आपको फाइनेंस डिपार्टमेंट दिया गहलोत साहब ने क्यों दिया है जो बताऊं क्या आपको।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आप बैठ जाओ। आपकी समझ से परे की बात है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): सब समझता हूं मैं ... (व्यवधान) ऐसा है जो आप समझते हो वह तो मैं समझता नहीं हूं। आपने जितना वित्त मंत्री रहते हुए किया वह तो मैं समझता नहीं हूं, बाकी मैं सब समझता हूं।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): अब आप बैठ जाओ।

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री): सभापति महोदय, नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने वास्तव में बहुत सार्थक इश्यू छेड़ा है। प्रश्न सिर्फ दो हैं। अतिरेक मांगों का उल्लेख संविधान के कौनसे आर्टिकल में है, एक्सेस डिमांड The word is not being used. एक्सेस डिमांड वर्ड हमारे संविधान में यूज नहीं किया हुआ है और सिर्फ एक कारण है पी ए सी के एक्जामिनेशन से पहले सी ए जी की रिपोर्ट कम्पाइलेशन नहीं होगी और कम्पाइलेशन के बिना वह विधान सभा में पुटअप नहीं होगी। इस कारण से यह जरूर डिले आती है। लेकिन कुछ मैटर्स जैसे एक्सेस डिमांड में भी सेविंग है और मूल डिमांड में भी सेविंग है और फिर उसके बाद में लास्ट में जाकर एक्सेस कैसे हो गयी। सप्लीमेंट्री में और मूल में, दोनों में सेविंग होने के बाद अगर एक्सेस डिमांड रहती है तो वह वास्तव में एक चिन्ता का प्रश्न है। लेकिन इस प्रक्रिया में परिवर्तन किस आधार पर किया जाए ताकि राज्य सरकारें भी अपनी अपनी तरफ से परिवर्तन करें। यह चैन्जिंग मोड्स हैं । आज यह चैंज होगा आइन्दा भी चैंज होगा लेकिन कैपीटल एक्सपेंडिचर जैसा आपने कहा कि डेट स्वेपिंग का है यह आर बी आई को देना है Not that. That was not known. That was known. उस समय रही है यह जानकारी में नहीं लाए या उसके ऊपर विधान सभा में समय पर नहीं लेकर आए तो वास्तव में एक प्रश्नचिन्ह एक लगता है हमारी एफीशिएंसी पर।

मैं तो आपको एक चीज जरूर कह सकता हूं कि मेरे डिपार्टमेंट या मेरे से संबंधित विभाग का जो वहां पर आए, इस टेन्योर में आए तो डेफिनेटली प्रश्न करते। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): ऐसा है राजवी साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सवाल यह आता है हमेशा आप जब सप्लीमैंट्री ग्रांट then you have to examine headwise. किस हैड में आपने कन्सोलिडेट एक लम्प सम्प अमाउंट बता दिया लेकर के कि यह आपने सरेंडर किया। किस महकमे में हुआ है, आपने किसकी सप्लीमैंट्री ग्रांट ली और कहां एक्सेस हुआ? यहां पर एक फिगर दिया पार्लियामैंट्री अफेयर्स मिनिस्टर साहब ने unforeseen circumstances आपने वेज एंड मिंस का एडवांस ज्यादा ले लिया। आपकी लिमिट फिक्स होती है स्टेट की वेज एण्ड मिन्स एडवांस की। वेज एण्ड मिन्स एडवांस ज्यादा ले लिया, वह आया है। इसमें मैं आपसे यही कह रहा हूं इसमें एक ही प्रक्रिया है कि जब तक सी ए जी की रिपोर्ट नहीं आ जाएगी, अब तो सी ए जी की रिपोर्ट भी अकाउन्ट्स कम्प्यूटराइज्ड होने की वजह से बहुत इजी हो गई है । नहीं तो पहले तो सी ए जी की रिपोर्ट दो दो, तीन तीन साल पुरानी ही आती थी । अब बहुत जल्दी आती है सीए जी की रिपोर्ट। इस सिस्टम को इम्प्रूव करने की बात आ रही है वह तो समझ में आता है लेकिन इसका थ्रेड बियर एग्जामिनेशन तो पी ए सी बैठकर के करेगी।

यहां पर आप दूसरे एक्सेस डिमांड के कन्फाइन रहते तो मैं आपका बहुत आभारी रहता। आपने यहां पर वित्तीय प्रबन्धन की बात कही। मैंने अपनी बजट स्पीच के अन्दर जो भारत सरकार से डिवोल्यूशन हुआ, आपको जो पैसा अधिक मिला भारत सरकार से और सालों के मुकाबले जो इन सालों में और आपकी स्टेट को नहीं सारे हिन्दुस्तान की स्टेट्स को मिला क्योंकि भारत सरकार की टैक्स रिकवरी, क्योंकि आपको जो परसण्टेज मिलती है, आपको कोई पूरा लम्प सम्प अमाउंट तो मिलता नहीं है That is percentagewise on their tax recovery of the Government of India. वहां पर एक तरह का रिकार्ड इन्क्रीज है रेवेन्यू के अन्दर, बीस प्रतिशत की दर से, तो नैचुरली आपका भी बढ़ेगा। देखो राजवी साहब, आप समझते हो इस चीज को तो आपने वित्तीय प्रबंधन की बात कही लेकिन डिफरंट हैड्स के अन्दर मैंने बताया था कि सर्व शिक्षा अभियान है, मिड डे मील है, आई.सी.डी.एस. का पैसा है, रोड सैक्टर का पैसा है

(17.56 बजे)

(श्री सुरेन्द्र गोयल, सभापति, पदासीन)

पी.एम.जी.एस.वाई. का पैसा है । आपको इतनी बड़ी सुविधा हो रही है,

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

नई सड़कों का निर्माण राज्य सरकार को नहीं करना पड़ रहा है। पी.एम.जी.ए. सवाई के अन्दर हर जगह से विधायकों की मांग आती है। आपके पाँच सौ और ढाई सौ तक के गांव तो ले लिए गए पी.एम.जी.ए. सवाई के अन्दर। आपकी सरकार नहीं थी, उस वक्त भी पैसा आया था, अब भी पैसा आ रहा है तो राज्य सरकारों के ऊपर सड़क निर्माण का कम्पेरेटिवली बोझ कम हुआ है। आज सीधे ही आप नई सड़क निर्माण से किसी गांव को जोड़ने की बात कहते हैं तो पहले पुराने वक्त में यह होता था, पी डब्ल्यू डी मिनिस्टर यह कहता था मेरे पास बजट नहीं है, मैं कहां से जोड़ दूं। अब कहीं दिक्कत नहीं है, ढाई सौ है हेवी ट्रेक के अन्दर, डेजर्ट के अन्दर ढाई सौ की आबादी तक के गांव ले लिए गए हैं। पाँच सौ की आबादी तक के गांव के आपके टेंडर निकल गये हैं ।

कहने का अभिप्राय है कि राज्य सरकारों के ऊपर जो उनके अपने मैनेजमैंट के सैक्टर्स थे उनके अन्दर प्रेशर कम हो रहा है। पीने के पानी की आप बात करें, पेयजल की आप बात कर रहे हैं, माननीय जलदाय मंत्री जी बहुत उदार, पहली दफा राजस्थान में हुआ है कि सारे विधायकों को उन्होंने तीस-तीस हैण्डपम्प दे दिए। किसी ने ज्यादा मांगे तो ज्यादा दे दिए। यह पहली दफा हुआ है राजस्थान के अन्दर, क्योंकि राजीव गांधी मिशन के तहत आपको भरपूर पैसा मिल रहा है। आपकी स्टेट पानी की कमी वाली स्टेट है। आपको पूरा पैसा मिल रहा है और आपने लिबरली सबको दिया। तो कहने का मेरा अभिप्राय है कि राज्यों के ऊपर प्रेशर डिफरंट सैक्टर्स के अन्दर, बिजली के अन्दर इस साल गांवों को विद्युतीकृत करने की बात आती है तो राजीव गांधी विद्युत मिशन के तहत आपको नब्बे प्रतिशत पैसा मिला है । कुछ रेवेन्यू विलेजेज आपके रह गये थे जिनको कि आपको विद्युतीकृत करना था।

मेरा आपसे निवेदन है कि जो आप फाइनेंशियल मैनेजमैंट की बात कह रहे हैं उसमें अकेले आपकी कोई तारीफ नहीं है। यह भारत सरकार का डिफरेंट योजनाओं में पैसा मिल रहा है जिसकी वजह से राज्य सरकार के ऊपर डिफरंट सैक्टर के अन्दर जो आपके कोर सैक्टर हैं, उनमें प्रेशर कम हुआ है । आपको पैसा मिल रहा है मैं उस विगत में नहीं जाना चाहता चूंकि आपने छेड़ दिया था I am coming back. I am reverting back to my whole subject of excess demand. एक सतत प्रक्रिया है।

अब इसका बड़ा विश्लेषण करने वाली बात है और मैं नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि आप स्वयं पी ए सी के

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

चेयरमैन हैं, आप देखें किन हैड्स के अन्दर एक्सेस है, सप्लीमैंट्री ग्रांट किन महकमों की आई थीं, किनमें एक्सेस एक्सपेंडिचर हुआ है और एक्सेस एक्सपेंडिचर के अन्दर जो आपने बड़ा चौंकाने वाला फिगर दिया है, मुझे भी जानकारी नहीं थी, बड़ा टैक्निकल सब्जैक्ट है, समन्दर है यह, जितना आप सीखें उतना कम है। मैंने भी इस डिपार्टमैंट में आकर फाइनैंस डिपार्टमैंट को सीखा था, मैं कोई यह कहूं कि मैं फाइनैंस का बड़ा भारी एक्सपर्ट था, यह सतत प्रक्रिया है माननीय गृह मंत्रीजी, इसमें सीखना पड़ता है और अकाउन्ट्स सर्विस के जो पुराने लोग हैं मैंने उनसे सीखा। मैंने तो ए बी सी डी से सीखा इस महकमे को । वेज एण्ड मिंस के अन्दर आपने एक्सेस डिमांड के अन्दर लिया, यह मुझे भी आज दिन तक जानकारी नहीं थी कि वेज एण्ड मिन्स का पैसा भी एक्सेस डिमांड के अन्दर आएगा। यह मुझे पहली दफा जानकारी मिली। मैं इसको स्वीकार करता हूं It was never in my knowledge. और मुझे जिन्होंने सिखाया मैं उनसे आज टेलीफोन पर कहूंगा कि आपने मुझे यह क्यों नहीं सिखाया ।

तो मैं आपसे कहूंगा कि आप इसका राजनीतिकरण नहीं करें कि आपकी सरकार के वक्त की है ।

जैसा नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने 93 से लेकर आपकी सरकार के, आपने 86 कह दिया, चलिये 93 में आपकी सरकार थी, 86 में हमारी थी। कहने का अभिप्राय है कि एक्सेस एक्सपेंडीचर इसकी सतत प्रक्रिया है और इसके अन्दर सिर्फ यह है कि एक्सेस एक्सपेंडीचर यहां पर जल्दी से प्रस्तुत हो जाए। उसके अन्दर जल्दी हो यह देखने वाली बात है क्योंकि होता आया है पांच-पांच साल, तीन-तीन साल, चार-चार साल के बाद हो, इस सिस्टम को अपने को रोकना पड़ेगा। यही बात मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सभापति महोदय, यह सही है राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने एक्सेस डिमाण्ड के बारे में कहा कि एक्सेस डिमाण्ड सी ए जी का पैरा बनने के बाद, सी ए जी से जन लेखा समिति तक आने की यात्रा और जन लेखा समिति में परीक्षण होने के बाद वापस सदन में आए, इसमें समय लगता है। निश्चित तौर पर समय कम लगना चाहिये इसमें कोई शक नहीं। आपने यह भी कहा कि आपकी सरकार के पास कई तरह के और केन्द्र सरकार से कई कार्यक्रम चले उसके

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

कारण से सरकार कम्फर्ट में आ गयी। अब आप सबको मालूम है अब ट्वेलथ फाइनेंस कमीशन की रिकमंडेशन पर राजस्थान की सरकार को कुछ पैसा मिला है तो हिन्दुस्तान के बाकी सूबों को भी मिला है। वह हमारा संवैधानिक अधिकार है, वह अहसान भी नहीं करते परन्तु इनके साथ हमारे फिस्कल मैनेजमैंट के कारण, हमारे वित्तीय प्रबंधन के कारण अगर केन्द्र सरकार इंसेंटिव्ज हमें कुछ भी दे तो मैं समझता हूं अपने सबके लिये प्रसन्नता की बात होनी चाहिये। कहीं तो कुछ तो काम अपन ने अच्छा किया है इसलिये मेरी आपसे यही प्रार्थना है इस चीज को..(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): श्रीमान राजेन्द्र सिंहजी, एक साल मुझको भी पैसा मिला है। एक साल के मेरे कार्यकाल के अन्दर भारत सरकार से, आप निकलवा लीजिये बुलाकर। फाइनेंस डिपार्टमैंट के अफसर बैठे हुए है उनसे भी पूछ लीजिये। हमको भी इंसेंटिव मिला है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आपको कभी नहीं मिला।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आप यह मत करिये। हमको भी मिला है, खाली आप अपने ऊपर क्यों कहते हैं।

श्री सभापति: तो मना कहां कर रहे हैं कि आपको नहीं मिला।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): मंत्रीजी, आपको धन्यवाद। आप तो यह बताओ कि इसको रोकेंगे कैसे ? इस डिबेट से कोई मतलब नहीं है। मैन मुद्दे का जो प्रश्न है कि मैन डिमाण्ड, सप्लीमेण्टरी डिमाण्ड उसके बाद एक्सेस, जितने भी मंत्रीगण हैं किसी भी सरकार के, वह कैसे इसको कण्ट्रोल करें कि मैन डिमाण्ड, सप्लीमेण्टरी डिमाण्ड और एक्सेस इसको हम कण्ट्रोल कर सकें। पैसे का जुडिशियल उपयोग हो सके, इसमें बात करनी चाहिये। बाकी तो आपने क्या किया और मैंने क्या किया, ट्वेलथ फाइनेंस कमीशन क्या करेगा और थर्टीन फाइनेंस फाइनेंस कमीशन क्या करेगा, यह तो बात आती रहेगी।

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री): सभापति महोदय, डिले तो टैक्निकल एरर जब तक ट्रेजरी से क्लीयर हो और आडिट पैराज का जवाब विभाग..

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): मंत्री इफैक्टिव मानीटरिंग क्यों नहीं कर रहा कि डिमाण्ड और सप्लीमेण्टरी के बाद एक्सेस आ रहा है, इसका उत्तर

(डा. सी. पी. जोशी)

क्या है। इसमें तो कोई सी ए जी आता नहीं है। इसमें कोई डिपार्टमैंट, यह तो efficiency of the political governance hai. इसमें कहां तकलीफ है।

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री): उसी पर आ रहा हूं। आडिट पैरा जब तक क्लीयर नहीं हो, सी ए जी के जब तक आडिट पैराज क्लीयर नहीं होंगे या उनके जवाब समय पर नहीं आयेंगे That is the crux और वह किस कारण से होते हैं कि टैक्निकल एरर अपने डिपार्टमैंट में रहती है कोई डिमाण्ड को डाल दी या कोई पैसा था उसको फ्लोटिंग अकाउंट में डाल दिया लेकिन उसका टैक्निकल क्लीयरेंस जब नहीं होगा तब तक उस फाइल का अकाउंट क्लीयर नहीं होगा और वह आडिट पैरा बना रहता है और साल-साल नहीं, दो-दो साल, तीन-तीन साल तक तो विभागों से समय पर जवाब नहीं जाते। अब यह कम्प्यूटराइजेशन के बाद इसमें स्पीड अप होना चाहिये लेकिन उसके बाद में मेरे ख्याल से एक-दो साल के बाद एक साल और निकल सकता है। उसके बाद तो वह पी ए सी के सामने आना चाहिये।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): 31 मार्च को सात हजार करोड़ रुपये सरेंडर..(व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री): औचित्य नहीं है।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): What is the answer? इस पर कोई सी ए जी आती नहीं। हमने बजट पास किया है। बजट पास कर रहे हैं। बजट आफिसर ने बजट बनाया है। बजट पास करने के बाद हमने डिस्कशन किया है और अप्रूव किया है और 31 मार्च, 2005 के फिगर यह बता रहे हैं कि सात हजार करोड़ रुपये 31 मार्च को सरेंडर हो जाए तो फिर हम किस तरह का बजट बना रहे हैं।

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री): एक निवेदन था।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): ऐसा है राजवी साहब, for what we present here they are the budget estimates. अगर आप लेंग्वेज देखेंगे कि मैं अनुमान पेश कर रहा हूं। हर वित्त मंत्री यही कहता है। क्योंकि साल भर के अन्दर जो आप रेवेन्यू कभी-कभी एंटीसिपेट करते हो कि हमको इस मद से इतना आ जायेगा, इस मद से इतना आ जायेगा, भारत सरकार से इतना आ जायेगा, वह जब मद पूरी नहीं होती है ना और आप होपफुली यह पैसा हमारे पास आयेगा उसके अकार्डिंगली आप बना लेते हो बजट अपना।

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री): तो जब तक प्लानिंग नहीं हो..

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): मेरा आप निवेदन सुनो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह तो बजट अनुमान है। यह तो अनुमान है। बजट अनुमान ही रहता है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): बजट अनुमान ही है राजेन्द्र सिंहजी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): हां, सही है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): बजट एस्टीमेट वर्ड है उसके अन्दर।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): हां, यह एस्टीमेट ही है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): जब एस्टीमेट करते हो आप। कभी-कभी बजट एस्टीमेट आप्टीमिस्टिक होकर बनाने पड़ते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सही है। यह भी सही है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): हर सरकार आप्टीमिस्टिक रहती है कि हम, there are certain compulsions. प्राकृतिक आपदा में तो आपकी कभी-कभी सारी चीजें गड़बड़ा जाती हैं और उसके मुताबिक आपका बजट जब गड़बड़ाता है तो कई चीजों की विसंगतियां पैदा हो जाती हैं और यह हमेशा होता आया है। कोई नयी बात नहीं है। अब इतना एस्टीमेट करना, चीजों को विज्युलाइज करना, फोरसी करना तो बड़ा बिरला काम है। कई दफा नेचुरल कैलेमिटी इतनी हो जाती है कि नेचुरल केलेमिटी के तहत आपको जो पैसा सी आर एफ में मिलता है उससे पूरा नहीं होता। कई दफा आपको बजटरी सपोर्ट देना पड़ता है अपने पास से। अब वह नेचुरली एक्सेस एक्सपेंडीचर होगा। सप्लीमेण्टरी ग्रांट लेनी पड़ेगी। फिर आडिट पैरा, जैसा इन्होंने कहा इसके अन्दर एक बीमारी आडिट पैरा वाली भी है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): हां, वही है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): वह आडिट पैरा जब तक जवाब पूरे नहीं होंगे तब जायेंगे और फिर एक्सेस और दो वर्ष बाद आए, डेढ़ वर्ष बाद आए इसके लिये फिर वही एक्सेस सारा झगड़ा पड़ेगा।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): एक सजेशन तो मेरा यह है आप जो कर सकते हैं। पालिटिकल गवर्नमेंट को करना चाहिये आप जो सी आर भरते हो ब्यूरोक्रेटस की इस सी आर में कंडीशन डालिये कि आपकी डिमाण्ड और सप्लीमेण्टरी में जितना एक्सेस होगा उतना ही सी आर में एण्ट्री की जायेगी। फिर आप देखिये अपने आप ठीक होते हैं कि नहीं होते हैं।

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री): आडिट पैरा साथ में रखो तब उसको...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आप 15 साल का एनेलेसिस कर लीजिये and allow a variation of 5% but it can not go 20% इतना बड़ा हैवी प्रोजक्शन कैसे करेंगे हम? जो चीज हम कर सकते हैं, हम आज भी यही बात कहना चाहते हैं कि हम पालिटिकल मास्टर हैं। हम पपेट्स हो गये हैं ब्यूरोक्रेटस के हाथ में। We are enable to take initiative. You have to be pro-active and you have to come out with noble idea. कम्प्यूटर है, फलां है, एबिड है, आज हम अकेले आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। सी ए जी की रिपोर्ट है यह कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट है कि पालिटिकल मास्टर ब्यूरोक्रेटस को कण्ट्रोल करने में असफल है इसलिये डिमाण्ड, सप्लीमेण्टरी डिमाण्ड और एक्सेस आ रही है। क्या हम अपने सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं जिसमें हम मानीटरिंग कर सकें?

दूसरा मैं एक और कहना चाहूंगा। अनफार्चुनेटली बजट पास करने के बाद हर मिनिस्टर की फाइल फाइनेंस डिपार्टमेंट जाती है Why are you not interest to abolish the system? जब आपके डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी बैठा हुआ है, प्रिंसीपल सेक्रेटरी लेवल का आदमी बैठा हुआ है, आपके अकाउंटस का आदमी बैठे हुए हैं फिर यह कौनसा बजट का सिस्टम कर रखा है आपने? जिसने शुरू किया वह आपकी सरकार थी। उसी ने शुरू किया है Every file goes to the Finance Department. और बजट पास होने के बाद वापस जायेगा Can't we abolish this system? कि बजट पास होने के बाद हर डिपार्टमेंट का आदमी अपने-अपने लेवल पर डिस्कस करेगा within the latitude करेगा Why every file goes to the Finance Department? फाइनेंस डिपार्टमेंट मनमर्जी से पैसा देता है इसलिये इफैक्टिव मानीटरिंग नहीं हो सकती है इसलिये एक्सेस बनती है Are you aware about this? मैं समझता हूं कि यह सिस्टम जो हमें इम्प्रूव करना है उस को हम दूसरे पर ढोल रहे हैं। मेरा अभी भी निवेदन है Let act as a political leader. Be a political master. We have a mandate for this and for this we have to come out with noble ideas then we can govern it otherwise दूसरे पर छोड़कर हम बात कर रहे हैं। हम अपनी इनएफीशियेंसी को दूसरे पर ढोलना चाहते हैं। यह मेरी मंशा नहीं थी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सभापति महोदय, यह दुर्भाग्य रहा है कि जब कभी भी जो कोई भी उधर बैठता है उनके उपदेश देने की अदा बदल जाती है। सभापति महोदय, मैं लम्बी कोई बात नहीं कहूंगा...

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): मेरे साथ रहना तब मालूम पड़ेगा। आपकी तरह सबोर्डिनेट नहीं हूं। जिन केबिनेट में रह रहे हो उसका अनुभव बता रहे होंगे। मैं जिस केबिनेट में रहा हूं वहां शेर की हाई फीलिंग को प्रद्युम्न सिंहजी एनडोर्स करेंगे। I never assessed to do all these things.

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): मैं निवेदन करना चाह रहा था जिस वित्तीय प्रबंधन की बात इन्होंने की 2005-06 में भी, इस वर्ष भी 308 करोड़ रुपये हमें भारत सरकार इंसेंटिव के रूप में देगी। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा आपने जो महत्वपूर्ण सुझाव दिये उन सुझावों के ऊपर निश्चित तौर पर एक्सेस डिमाण्ड का पैरा जल्दी सी ए जी में आए, सी ए जी से जल्दी जन लेखा समिति में आए उसके बाद सदन में जल्दी आए, इसके लिये निश्चित तौर पर आपका सुझाव प्रशंसनीय है। मेरी प्रार्थना है कि वित्त राज्य मंत्री महोदय ने रखे हैं राजस्थान विनियोग (संख्या-3, 4, 5) विधेयक, 2006 इन तीनों को पारित करने की कृपा करें।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-3, 4, 5) विधेयक, 2006 को विचारार्थ लिया जाए ?

(स्वीकृत)

विनियोग विधेयक विचारार्थ लिये गये।

प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान विनियोग (संख्या- 3, 4, 5) विधेयक, 2006 को पारित किया जाए।

राजस्थान विनियोग (संख्या-3, 4, 5) विधेयक, 2006 का पारण

श्री वीरेन्द्र मीणा (राज्य मंत्री, वित्त एवं करारोपण): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-3, 4, 5) विधेयक, 2006 को पारित किया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-3, 4, 5) विधेयक, 2006 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान विनियोग (संख्या-3, 4, 5) विधेयक, 2006 पारित किये गये।

(श्री सभापति)

प्रवर समिति को निर्दिष्ट विधेयक

प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने वाला विधेयक। प्रोफेसर सांवर लाल, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे।

राजस्थान भू-जल विकास और प्रबन्ध का विनियमन और नियंत्रण विधेयक, 2006

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री):सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं राजस्थान भू-जल विकास और प्रबन्ध का विनियमन और नियंत्रण विधेयक, 2006 को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाये। प्रवर समिति के सदस्यों के नामों की सूची बाद में प्रस्तुत कर दी जायेगी।

श्री सभापतिः प्रश्न यह है कि राजस्थान भू-जल विकास और प्रबन्ध का विनियमन और नियंत्रण विधेयक, 2006 को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाये?

(स्वीकृत)

राजस्थान भू-जल विकास और प्रबन्ध का विनियमन और नियंत्रण विधेयक, 2006 को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया गया।

विचारार्थ लिये जाने वाला विधेयक। श्री राजेन्द्र राठौड़।

विधेयक पर विचार

राजस्थान सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2006

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2006 को विचारार्थ लिया जाये।

श्री सभापतिः श्री संयम लोढ़ा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): सभापति महोदय, राजस्थान सरकार राजस्थान सिविल न्यायालय(संशोधन) विधेयक, 2006 लेकर के आयी है और जो इसके उद्देश्यों के कारणों में विकथन किया है कि पहले राष्ट्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों की क्रियान्विति के संदर्भ में यह संशोधन लाया गया है।

सभापति महोदय, पहले तो मुझे यह समझ में नहीं आया कि वेतन आयोग कहां बीच में पड़ गया कि वह इस अवकाश के संबंध में कोई

(श्री संयम लोढ़ा)

सिफारिश देता या व्यवस्था देता और विधायिका में जब भी हमारे देश की शीर्षस्थ, चाहे हमारी पार्लियामैंट रही है उसने जो यह व्यवस्था पहले से कायम की, कोई तो उसके कारण रहे होंगे। लेकिन विगत कुछ समय से देश के अंदर एक बीमारी चल गयी है कि पब्लिक मेनडेंट को लेकर के आयी हुई व्यवस्था की सर्वोच्चता को ही स्वीकार नहीं करना, हर कड़ी इस तरह की कल्पना करती है और इस तरह का सोच रखने लग गयी है कि इस हस्तक्षेप से कैसे मुक्ति पायी जाये और यह भी मैं समझता हूं कि उसी की एक कड़ी है। आप हाई कोर्ट को अवकाश की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी देने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले यह सोचना पड़ेगा कि किस तरह की व्यवस्था हमारे न्यायिक क्षेत्र में चल रही है।

सभापति महोदय, आज भारत सरकार ने आठ सौ करोड़ रूपये राजस्थान हाई कोर्ट को सुधार के लिए दिये हैं। लेकिन वह धन किस रूप में खर्च हो रहा है, कम्प्यूटर दे दिये, निचले स्तर तक, वह कम्प्यूटर टाइपराइटर बनकर काम कर रहे हैं। निचले स्तर की कोर्टों को साफ्टवेयर तक उपलब्ध नहीं करवाये गये और हाई कोर्ट की अपनी व्यवस्था को सुधारने में आठ सौ करोड़ रुपया खर्च हो रहा है और जिसके पीछे भारत सरकार का यह मकसद था कि निचले स्तर पर न्यायिक व्यवस्था सुधरे जिससे आम आदमी को न्याय प्राप्त हो। उसमें उस धन का उपयोग नहीं किया जा रहा है।

सभापति महोदय, जो अपराध गंभीर किस्म के हैं, जघन्य अपराध हैं, उनकी सुनवाई के लिए तो फास्ट ट्रेक की व्यवस्था हो गयी। विधिवत उनकी सुनवाई होती है। उनका निस्तारण हो रहा है लेकिन आज राजस्थान में जो निचले स्तर के कोर्ट हैं, मुंसिफ कोर्ट हैं, जहां आरजेएस लगते हैं, दो सौ पद खाली पड़े हुए हैं और उसके अंदर आम आदमी उन मुकदमों को भुगत रहा है, 323 के मुकदमे हैं, 341 के मुकदमे हैं और 200 पद खाली होने से वहां क्या स्थिति हो गयी है। अम्बार लग गये हैं लंबित मुकदमों के, राजस्थान सरकार ने पदों को भरने की स्वीकृति दे दी, एग्जाम कंडक्ट हो गये लेकिन इसके बावजूद आज तक राजस्थान हाई कोर्ट ने उन पदों को भरने के लिए चयन समिति का गठन नहीं किया है और उसकी वजह से वह छोटी कोर्टें खाली पड़ी हुई हैं। हजारों मुकदमे लंबित पड़े हुए हैं। लोगों के फैसले नहीं हो रहे हैं, लोग दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। इस व्यवस्था को सुधारने की बजाय इस व्यवस्था पर राजस्थान हाई कोर्ट को देने के लिए विधायिका के माध्यम से चाहे वह

(श्री संयम लोढ़ा)

राजस्थान हाई कोर्ट हो, चाहे इससे बड़ी कोर्ट हो उनको प्रेरित करने के लिए या उनको विवश करने की बजाय इस तरह से अमेंडमैंट लाने से राजस्थान के आम आदमी को और न्यायिक व्यवस्था में कोई सुधार आने वाला नहीं है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि राजस्थान हाई कोर्ट की स्थिति क्या है? कितने मुकदमे कितने सालों से लंबित हैं। आप एक नजर डालने की कोशिश कीजिये। सात-सात साल से हाई कोर्ट में मुकदमे लंबित पड़े हुए हैं। सारे मुकदमों का निस्तारण ढंग से हो, तेजी से हो, उसके ऊपर तो ध्यान है नहीं और हम इस पर पड़ना चाहते हैं कि अवकाश के बारे में राजस्थान सरकार हस्तक्षेप करे या नहीं करें।

सभापति महोदय, मेरी जानकारी में है और मैं आपके माध्यम से राजस्थान सरकार से निवेदन करूंगा कि राजस्थान हाई कोर्ट में सप्ताह में कितने दिन काम होता है, पांच दिन, शनिवार को भी छुट्टी रखते हैं। अब आप छुट्टी का अधिकार भी इनको देना चाहते हैं। क्या करेंगे आप। क्या आप निचले स्तर की कोर्टों में भी यह व्यवस्था लाना चाहते हैं कि वहां भी पाँच दिन काम हो। वहां भी छुट्टी बढ़ाई जाये। यह अधिकार आप राजस्थान हाई कोर्ट को देना चाहते हैं और जो मुकदमों का पहले से अम्बार लगा हुआ है वह अम्बार और ऊंचा चला जाये और वह आम आदमी जिसने आपको पब्लिक मेनडेट दिया है, जिसने आपको जनादेश दिया है कि आप उसकी सुनवाई के लिए काम करेंगे। उसकी तकलीफ के निस्तारण के लिए काम करेंगे। उसको न्याय मिले यह सुनिश्चित करने के लिए काम करेंगे। उसके बजाय आप उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, राजस्थान की न्यायिक व्यवस्था को उस दिशा में आगे ले जा रहे हैं जिससे मुकदमों का और अधिक अम्बार हो जायेगा।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि पूरे राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियां अलग हैं, सांस्कृतिक परिस्थितियां अलग हैं, स्थानीय स्तर पर हर तरह के सांस्कृतिक संस्कार अलग हैं। जयपुर में कभी चौथ की छुट्टी होती है तो उदयपुर में छठ की छुट्टी होती है। क्या यह अधिकार एक जनादेश के माध्यम से आयी हुई सरकार को अपने पास में नहीं रखना चाहिए। इसलिए यह जो हमारी विधायिका ने पहले से ही व्यवस्था की हुई है जिसमें इस हस्तक्षेप की गुंजाइश सरकार के पास लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार के पास, जनता का

(श्री संयम लोढ़ा)

जनादेश लेकर आयी हुई सरकार के पास यह अधिकार रखा गया था, वह व्यवस्था बिलकुल ठीक थी और अब एकमात्र आयोग की सिफारिश के आधार पर अगर आप चुनी हुई सरकार के अधिकार में कटौती करने का फैसला करने जा रहे हैं तो यह किसी भी रूप में राजस्थान की जनता के हित में नहीं होगा।

सभापति महोदय, आज क्या हालत बनी हुई है, क्या हाई कोर्ट की स्थिति है, हर छोटे से छोटे मामले में कार्यपालिका का विषय है, उसमें हस्तक्षेप करने की उनकी प्रवृत्ति रहती है, हर मामले के अंदर, आप पार्लियामैंट का देखिये, पार्लियामैंट फैसला कर लेती है, कानून बना लेती है उसके बाद वह क्रेश कर देते हैं जबकि एक बराबर डिस्टेंस रखा जाना चाहिए। एक दूसरे का जो कार्य क्षेत्र निहित है उसमें हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन यह प्रवृत्ति लगातार बढ़ती जा रही है और अगर राजनीतिक नेतृत्व का आचरण कमजोर हुआ, जनता की चुनी हुई सरकार का आचरण फैसला करने में क्षमता कमजोर हुआ तो मैं यह कहना चाहूंगा कि जो दायित्व जनता ने हमको सौंपा है, हम उस दायित्व का निर्वहन नहीं कर पायेंगे। इसलिए मजबूती के साथ राजस्थान की जनता का हित सोचते हुए आपको इस बारे में फैसला करना चाहिए और अगर यह अवकाश का अधिकार आपने उच्च न्यायालय को दे दिया तो लंबित मुकदमों की संख्या बढ़ेगी। छुटिटयों की संख्या बढ़ेगी और राजस्थान के आम आदमी के साथ अन्याय होगा।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो संशोधन विधेयक सरकार लायी है उसको जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाये, धन्यवाद।

श्री सभापतिः डॉ. सी. पी.जोशी।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): सभापति महोदय, यह जो संशोधन लाये गये हैं उसकी पृष्ठभूमि में जाना आवश्यक है। सभापति महोदय, इसमें आर्टिकल 235 को कोट किया है जिसमें से आर्टिकल 235 का जो मेंशन है उसको हाउस में रिकार्ड किया जाये, आर्टिकल 235 क्या कहता है Control over subordinate courts. यह 235 का हैडिंग है "The control over district Courts and Courts subordinate thereto including the posting and promotion of, and the grant of leave to, persons belonging to the judicial service of a State and holding any post inferior to the post of district Judge shall be vested in the High Court, but nothing in this article shall be construed as taking away from any such person any right to appeal which he may have under the law regulating the

(डा. सी. पी. जोशी)

conditions of his service or as authorizing the High Court to deal with him otherwise than in accordance with the conditions of his service prescribed under such law." इस आर्टिकल 235 में जो मेंशन किया गया है, स्टेटमेण्ट ऑफ आब्जेक्टिव में, मुझे समझ में नहीं आया कि आर्टिकल 235 किस तरह से यह जो फस्ट नेशनल जूडिशल पे कमीशन का सब सेक्शन- 1 ऑफ सब सेक्शन 26 का विरोधाभासी है, मुझे समझ में नहीं आया कि 235 में सबोर्डिनेट कोर्ट की सर्विसेज के सम्बन्ध में प्रोविजन किया गया है, यह जो प्रोविजन किया गया है, सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 26 ऑफ राजस्थान सिविल कोर्ट आर्डिनेंस, 1950, इसके पीछे मंशा थी – " ... subject to such orders as may be made by the State Government, the High Courts shall prepare a list of days to be observed in each year as close holidays in the Civil Courts." Determination of holidays तो हाई कोर्ट को ही करना था। स्टेट गवर्नमैंट तो रिकमण्डेशन कर रही है, स्टेट गवर्नमैंट को रिकमण्ड करने के कारण जैसा सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा हमारे स्टेट में कलेक्टर को अलग-अलग दिन छुट्टी करने के अधिकार दे रखे हैं, राजस्थान में यूनिफार्म छुट्टी नहीं है, कलेक्टर के डिसक्रशन पर है। जयपुर में जो दो छुट्टियां हैं वह कलेक्टर उदयपुर नहीं करता, कोटा का कलेक्टर जो छुट्टी करता है, जरूरी नहीं कि जयपुर का कलेक्टर भी उसी दिन करे, क्योंकि राजस्थान की जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है, उसमें अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट्स में अलग-अलग दिन नियत है, नियत दिनों के आधार पर ही वह छुट्टी करते हैं। इसलिए स्टेट गवर्नमैंट एक लिस्ट बनाकर देगी, उस लिस्ट में से हाई कोर्ट डिटरमाइन करेगा। मैं समझता हूं कि इससे बढिया कोई प्रोविजन नहीं होना चाहिए था। यही प्रोविजन था, अब पता नहीं क्यों यह राजस्थान सरकार जिस सरकार को और खास तौर से इस विधान सभा के माननीय अध्यक्ष जो आज सी पी यू के एक्जीक्यूटिव मैम्बर हैं, जब हिन्दुस्तान में जूडिशरी और एक्जीक्यूटरी के बीच में एक बहुत बड़ी बहस चल रही है उस बहस में राजस्थान की सरकार इस तरह का अमेण्डमेण्ट लाकर क्या सिग्नल देना चाहती है। भैरोंसिंहजी शेखावत, जो राजस्थान के नेता और हिन्दुस्तान के महामहिम उप राष्ट्रपति हैं, उन्होंने जो परम्परा डाली, जिन परम्पराओं के आधार पर आज वह राज्य सभा के चेयर पर्सन का काम कर रहे हैं, क्या उनके मन में कभी कल्पना होगी कि राजस्थान की विधान सभा के सदस्य, मंत्री और मंत्रिमण्डल के सदस्य इतने टिमिड और कमजोर होंगे कि एक अमेण्डमेण्ट करके लाएंगे, अमेण्डमेण्ट करके

(डा. सी. पी. जोशी)

यह लाएंगे कि ...the High Courts shall prepare a list of days to be observed in each year as close holidays in the Civil Courts." इमर्जेन्सी याद है, इमर्जेन्सी में क्या कहते थे, नो अपील, नो अपील के कारण, जिनको कहा पैदल चलो वह घुटनों के बल चलने लग गए थे, जिनको घुटनों के बल चलने के लिए कहा वह नीचे होकर चलने लग गए थे। यह राजस्थान की सरकार जूडिशरी के सामने क्यों सरेण्डर करना चाहती है। सभापति महोदय, मैं यह पृष्ठभूमि बताना चाहता हूं और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। तेज करण जैन वर्सेस संजीव रेड्डी केस में चीफ जस्टिस हिदायतुल्ला खान ने क्या किया, उस रेफरेंस को मैं कोट करना चाहता हूं, - "Once it was proved that Parliament was sitting and its business was being transacted, anything said during the course of that business was immune from proceeding in any court. This immunity is not only complete but is as it should be. It is of the essence of parliamentary system of government that people's representatives should be free to express themselves without fear of legal consequences. What they say is only subject to the discipline of the rules of Parliament, the good sense of the members and the control of proceedings by the Speaker. The courts have no say in the matter and should really have none." यह हिदायतुल्ला खानजी का फैसला है, हमारी सुप्रीम कोर्ट की पूरी बैंच का फैसला दिया, उस फैसले को भी मैं कोट करना चाहता हूं। जिस केस में फैसला है, किहोता होलाहम वर्सेस जूहीचिला, 92, सप्लीमेण्ट, एसएससी, 61, कांस्टीट्यूशन बैंच का एण्टीडिफेक्शन लॉ पर फैसला दिया है, उसको मैं कोट करना चाहता हूं। It ruled that judicial review is available only after the Speaker disqualifies a member. "Having regard to the Constitutional Schedule in the Tenth Schedule, judicial review should not cover any stage prior to the making of a decision by the Speakers/ Chairman. Having regard to the constitutional intendment and the status of the repository of the adjudicatory power, no quia timet actions are permissible, the only exception for any interlocutory interference being cases of interlocutory disqualifications or suspensions which may have grave, immediate and irreversible repercussions and consequences." यह सुप्रीम कोर्ट की कांस्टीट्यूशनल बैंच का फैसला था। यह दुर्भाग्य है कि उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दो फैसले दिए, एक दिया उत्तर प्रदेश के जगदम्बिकापाल के केस में और दूसरा दिया झारखण्ड के अध्यक्ष के बारे में, यह कांस्टीट्यूशनल बैंच के विपरीत फैसला दिया गया। जिस फैसले में उत्तर प्रदेश के अंदर यह कहा गया, जबकि आर्टिकल 122, इसमें सुप्रीम कोर्ट पर आर्टिकल 122 में यह कहा गया है कि कोई भी कोर्ट किसी भी असेम्बली या पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग पर बहस नहीं कर सकती, निर्णय नहीं कर सकती, उसके बाद दो केसों में जो निर्णय किए

(डा. सी.पी. जोशी)

गए हैं वह सबसे बड़े खतरनाक निर्णय लोकतंत्र में चुनी हुई सरकारों के सामने खड़े हुए हैं। मैं दोनों को कोट करना चाहता हूं। यह दोनों इसलिए रेलेवेंट हैं कि वहां सुप्रीम कोर्ट ने डाइरेक्शन दिया कि अध्यक्ष क्या काम करेगा, कैसे काम करेगा, कैसे काम करना चाहिए, कैसे रिपोर्ट करेगा, यह काम उत्तर प्रदेश में भी किया गया और यह काम झारखण्ड में भी किया गया और झारखण्ड के अंदर यह डिबार किया गया है कि नोमीनेट आदमी वोट नहीं डालेंगे, वोट डालेंगे केवल मात्र इलेक्टेड आदमी, सुप्रीम कोर्ट जिसका काम यह नहीं बनता, जो कानून बने उस कानून का इण्टरप्रिटेशन करे, कानून बनाने का काम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का नहीं है, यह जो हमने जिस तरीके का कांस्टीट्यूशन एनविसेज किया है उसमें यह एनविसेज किया है कि एक बेलेंस होगा, जूडिशरी का काम अलग होगा, लेजिस्लेचर का काम अलग होगा, दोनों के बीच एक बेलेंस का जब एनविसेज किया, उस समय की बात है वह भी मैं आपको कोट करना चाहता हूं। "I have not anywhere found in any Constitution a provision saying that the executive shall obey the legislature, nor have I found anywhere in any Constitution a provision that the executive shall obey the judiciary. Nowhere is such a provision to be found. That is because it is generally understood that the provisions of the Constitution are binding upon the different organs of the state. Consequently, it is to be presumed that those who work the Constitution, those who compose the legislature and those who compose the executive and the judiciary know their functions, their limitations and their duties. It is therefore to be expected that if the executive is honest in working the Constitution, then the executive is bound to obey the legislature without any kind of compulsory obligation laid down in the Constitution. Similarly, if the executive is honest in working the Constitution, it must act in accordance with the judicial decisions given by the Supreme Court. Therefore my submission is that this is a matter of one organ of the state acting within its own limitations and obeying the supremacy of the other organs of the state. In so far as the Constitution gives a supremacy to that is a matter of constitutional obligations which is implicit in the Constitution itself. No constitutional Government can function in any country unless any particular constitutional authority remembers the fact that its authority is limited by the Constitution and that if there is any authority created by the Constitution which has to decide between that particular authority and any other authority then the decision of that authority shall be binding upon another organ" Dr. B.R.Ambedkar delivered this authoritative exposition, as Chairman of the Drafting committee of the Constitutent Assembly on October 14, 1949. यह जो एनविसेज किया गया कि जूडिशरी और लेजिस्लेचर के बीच में किस तरह का बेलेंस होगा, यह 1949 में कांस्टीट्यूशन के फादर ने इस बात का मेंशन किया, दुर्भाग्य से जब यह

(डा. सी. पी. जोशी)

एनविसेज किया जो संविधान के निर्माता थे, शायद उनके मन में यह कल्पना नहीं थी. One possibility Ambedkar did not mention. It was of the judiciary violating a clear test of the Constitution. He never thought it. जूडिशरी कांस्टीट्यूशन का वॉयलेशन कर सकती है। जो कांस्टीट्यूशन का फैसला हुआ जिसमें Article 212 for the States and 122 for the Parliament, जिसमें क्लीयर मेंशन है, - "(1) The validity of any proceedings in Parliament shall not be called in question on the ground of any alleged irregularity of procedure. (2) No officer or member of Parliament in whom powers are vested by or under this Constitution for regulating procedure or the conduct of business, or for maintaining order, in Parliament shall be subject to the jurisdiction of any court in respect of the exercise by him of those powers." यह क्लीयर कट कांस्टीट्यूशनल प्रोविजन होने के बाद..।

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री): यह जिस सम्बन्ध में आर्डिनेंस लेकर आ रहे हैं संशोधन, यह आर्डिनेंस 1949 का था, इसमें इनकंस्टीटेंसी आरम्भ से रही है, यह पब्लिक होली डेज के सम्बन्ध में नहीं है, यह कोर्ट में वेकेशन के सम्बन्ध में है जो आर एच जे एस, राजस्थान हायर जूडिशल सविसेज, और हाई कोर्ट में वेकेशन को सुप्रीम कोर्ट रेगूलेट करती है।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): May I remind you, जो एक्जिस्टिंग प्रोविजन है उसको मैं पढ़ दूं, एक्जिस्टिंग प्रोविजन यह था, - "Subject to such orders as may be made by the State Government the High Court shall prepare a list of days to be observed in each year as close holidays in the Civil Courts."

पावर तो कोर्ट के पास ही था, कहीं स्टेट कोर्ट का इंटरवेंस है इसको अमेण्डमेंट करने की जरूरत कहां पड़ रही है। यह प्रोविजन आलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है इसको मैंने कोट किया है। इसको हटाकर हम जो प्रोविजन ला रहे हैं वह प्रोविजन ला रहे हैं - "The High Court shall prepare a list of days to be observed in each year as close holidays in the Civil Courts." हमने इसको कहा कि कपड़े खोल तो बिलकुल कपड़े खोलकर खड़ा हो गया। किसने कहा था, यह तो हाईकोर्ट की पावर थी। हाईकोर्ट को स्टेट गवर्नमेंट की लिस्ट दे दी थी उसमें हाईकोर्ट को निर्णय करना था, यह प्रोविजन तो ठीक प्रोविजन था इसमें अमेण्डमेंट करने की जरूरत क्या है? What signal do we want to give? आज जब हिन्दुस्तान में ज्युडिशियरी और पार्लियामैंट्री सिस्टम के बीच में डिबेट चल रही है और राजस्थान की सरकार ऐसे में पार्टी क्यों बनना चाहती है,

(डा. सी. पी. जोशी)

किस तरह का सिग्नल देना चाहती है कि राजस्थान की सरकार इतनी टिमेट सरकार है, इतनी कमजोर सरकार है। सोमनाथ चटर्जी, जो लोकसभा के स्पीकर हैं उनके साथ मीटिंग हुई उसको भी कोट कर रहा हूं। उसको कोट करने के बाद क्या हम उसमें पार्टी बनना चाहते हैं। जब राजस्थान की सरकार हाईकोर्ट के सामने सिग्नल लेना चाहती है कि जो इंटरवेंशन आप कर रहे हैं वह वेलिड है। कर लीजिए सिग्नल। आज आपको लाभ मिल सकता है। यूपी में जगदम्बिकापाल, कल्याणसिंह जी के मौके पर लाभ मिला था आपको। प्रोटेस्ट हुआ था जगदम्बिकापाल जी हार गये, कल्याणसिंह जी जीत गये। आपको एडवांटेज मिला था। झारखंड में आपको एडवांटेज मिला था क्योंकि एक मेम्बर को नोमिनेट करने का अधिकार नहीं मिला था इसलिए वोट पड़े और आप जीत गये। आपने एडवांटेज उठा लिये। पोलिटिकल कांसीक्वेंस क्या हुए? आज यदि यही ट्रेंड चलता रहा तो फिर आप फैसला कर लें कि कोर्ट ही फैसला करेगी कि मंत्री कौन रहेगा, कोर्ट ही फैसला करेगी अमुक मंत्री को बाहर निकाल दीजिए, कोर्ट ही फैसला करेगी 12 बजे निकालकर सूचना करें कि मंत्री बाहर निकला या नहीं निकला। यह जो पीआईएल की स्थिति बन गई है, पीआईएल के बाद जो 164 कोट किया है, जाइंट रेस्पोंसिबिलिटी है या नहीं है, कलेक्टिव रेस्पोंसिबिलिटी है या नहीं है इसका इंटरप्रिटेशन आप और हम नहीं करेंगे, कोर्ट करेगी और कोर्ट करने के बाद कहेगी कि अमुक मंत्री ने इसकी कलेक्टिव रेस्पोंसिबिलिटी का काम नहीं किया इसलिए इसको बाहर निकाला जाए और निकालकर सूचना दीजिए तो यह वायलेशन नहीं होगा हमारे कांस्टीट्यूशन का? हम किस तरह का लेट्यूट देना चाहते हैं?

एक कहावत है एक तालाब बनाया उसमें पानी निकल रहा था। एक आदमी ने अंगुली लगा दी पानी रुक जाएगा। रोक दो अंगुली लगाकर। पर यह पानी रुकेगा नहीं। यह टेमिट गवर्नमेंट के सिग्नल, यह ज्युडिशियर जिसकी आज थोड़ी-बहुत आग लगी है यह ऐसा दावानल बनेगा जो सारे राजस्थान की हमारी इलेक्टेड इंटीटिव के साथ प्रोब्लम खड़ी करेगा।

सभापति महोदय, पार्लियामेंट के अध्यक्ष ने जो कहा है, मैं उसको भी कोट करना चाहता हूं। अम्बेडकर साहब ने कभी भी नहीं सोचा था कि ज्युडिशियरी भी कभी कांस्टीट्यूशन को वायलेट कर सकती है। ज्युडिशियरी का

(डा. सी. पी. जोशी)

उद्भव तो कांस्टीट्यूशन से हुआ है। कांस्टीट्यूशन में कानून बनाने का अधिकार पार्लियामेंट को है, असेम्बली को है, ज्युडिशियरी को तो कानून बनाने का अधिकार है ही नहीं। ज्युडिशियरी का केवलमात्र अधिकार है जो कानून पार्लियामेंट और असेम्बली में बने उनको इंटरप्रेट करे। पर अनफोर्चुनेटली ज्युडिशियरी कानून बनाने का काम करने लगी। यदि कोई आब्जेक्शन देता है उसमें कोई बात है तो लेजिस्लेटिव कानून में अमेंडमेंट करके सुप्रीम कोर्ट को वापस जा सकती है, लेकिन यह अधिकार कभी नहीं दिया था कि ज्युडिशियरी कानून बनाने का काम करे। यह आर्टिकल 122 जिसके अंदर यह प्रोसीडिंग पार्लियामेंट की नहीं की जा सकती है, उसको क्वश्चन करने का सुप्रीम कोर्ट ने किया। यदि उत्तर प्रदेश का स्पीकर उसको नहीं मानता तो? यदि झारखण्ड का गवर्नर और स्पीकर नहीं मानता तो? Confrontation between judiciary and legislature होता। इसकी कल्पना कर सकते हैं हम। यही बात इस आर्टिकल में लिखी है; "One possibility Ambedkar did not mention. It was of the judiciary violating a clear text of the Constitution and encroaching on the domain of the other arms of the state, be it the executive or the legislature. The Supreme Court began embarking on this venture in the last decade, just as executive power began to weaken since 1990." 90 के बाद यह ट्रेंड स्टार्ट हुआ और राजस्थान की सरकार है इसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, धन्यवाद। मुझे पता नहीं था कि भैरोंसिंह जी शेखावत की इलिगेसी के इतने कमजोर लोग यहां राजस्थान में राज करेंगे। I never thought that a man जिसने पार्लियामेंट्री प्रेक्टिस से नीचे से उठकर आज महामहिम का पद प्राप्त किया हो जो आज हरदम पार्लियामेंट्री प्रेक्टिस में लोगों को एनकरेज करता हो, जो हरदम जन-प्रतिनिधि के बड़प्पन की बात करता है, उनकी इज्जत बढ़ाने की बात करता है, उसकी इलिगेसी के आदमी इतने कमजोर होंगे। आपको कहां-कहा जो आप प्रथम शिड्यूल में आप हाईकोर्ट का अमेंडमेंट कर रहे हैं। मैं समझता हूं यह एक बिगनिंग है। इस बिगनिंग को नहीं रोका तो इसके परिणाम खतरनाक आने वाले हैं। मैं इस बात के लिए साधुवाद देता हूं लोकसभा के स्पीकर सोमनाथजी को। Hats off to that man. He could dare to say it. None dared to say it. उन्होंने जो कहा मैं चाहता हूं उसको भी कोट करके आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। "The Speaker of the Lok Sabha, Somnath Chatterjee, himself an outstanding lawyer and parliamentarian, spoke in anguish in the House on March 10, 2005, after discussing the matter with leaders of various parties in both the Houses. He cited Articles 122 and 212 and said: "Today, unfortunately, because of the interim order of Hon'ble Supreme Court, the contours of the area of supremacy of the different

(डा. सी. पी. जोशी)

organs, specially of the legislature (apart from that of the executive authority under Article 361, which provides for complete immunity to the President and the Governor from being answerable to any court in the matter of discharge of their duties), have got blurred which, if not pondered over and corrective steps taken, will totally upset the fine constitutional balance and the democratic functioning of the state as a whole. The legislatures should seriously consider the consequences of, what may be termed as, encroachment upon their authority and jurisdiction. It is necessary that the legislatures' supremacy as enshrined in the Constitution should be clearly asserted. This is a matter which should be looked into transcending all political formations and topical developments. As such, I appeal to all to consider the important issue with all seriousness and concern, so that the constitutional balance can be and is restored. In my opinion, as has been suggested by many hon'ble leaders, to resolve all questions, the respected President may be requested to seek the opinion of the Hon'ble Supreme Court under Article 143 of the Constitution." सभापति महोदय, यह बात लोक सभा के स्पीकर के कहने के बाद क्या हमारा धर्म नहीं बन जाता? Are we not going to be a party going against the sentiments expressed by the Hon'ble Speaker of the Lok Sabha? सबके हित में है, किसी व्यक्ति के हित में नहीं है और अनफोर्चुनेटली लोक सभा के स्पीकर वो आदमी है जिसकी पार्टी आउटसाइड सपोर्ट दे रही है उसका कोई इंट्रेस्ट नहीं हो सकता। उसका इंट्रेस्ट होता कि उसकी पार्टी की सरकार है उसको प्रोटेक्ट करना हो, यह भी नहीं है। He is an outstanding parliamentarian. His father was from that legacy which you are treasuring. His father is from that legacy जिसको आप एंजॉय कर रहे हैं। हिन्दू महासभा से जुडे थे। उस लिगेसी के उस लड़के ने स्पीकर के रूप में जो बातें कहीं हैं क्या हमारा धर्म नहीं बनता है, the word I am using is, धर्म नहीं बनता है। सभापति महोदय, आज राजस्थान सरकार में जितना पैसा ज्युडिशियरी को हमने दिया है क्या असेम्बली में पास करवाया है हमने। Pay Commission recommended, यह चीजें होनी चाहिए। Helplessly, entire States had given money to the judiciary people. Why?

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): सारी स्टेट गवर्नमेंट ने तत्कालीन वित्त मंत्रीजी के सामने यह बात रखी थी, जसवंत सिंहजी थे, मैं था कि सब अलग होकर जो आरएएस आफिसर्स हैं, स्टेट सर्विसेज के आफिसर्स हैं इनके भी सलेक्शन का वही प्रोसिजर है, अपनी सारी तनख्वाहें, भत्ते, पर्क्स सब तय कर लें और चीफ सेक्रेट्रीज को नोटिस दिया कि इसको इम्पलीमेंट करो। कर्नाटक के चीफ सेक्रेट्री का किस्सा हुआ, कह दिया हम छुट्टी जा रहे हैं, या तो आप कीजिए नहीं तो कंटेम्प्ट में मेरे जेल जाने की तैयारी नहीं है। स्थिति यह

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

बनी. Even Jaswant Singhji, he agreed with all the Finance Ministers. और कब की बात है जब राज्यों की वित्तीय स्थिति इतनी गंभीर थी हमारे पर्क्स, तनख्वाह, भत्ते, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, रिटायरमेंट के बाद नौकर-चाकर, अख़बार एवरीथिंग क्लोजिंग। तनख्वाह अपन तय कर लें तथा सुविधा तय कर लें यह कन्फरटेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। यह सीपी जोशी जो कह रहे हैं यह बड़ा महत्वपूर्ण है। आज छुट्टियों का मसला है, आपको मालूम है हाईकोर्ट का एयरकंडीशनिंग कैसे हुआ था? पीआईएल लगवा दी वकील साहब से और कह दिया राजस्थान की हाइकोर्ट को एयरकंडीशन बना दो। मैं फाइनेंस मिनिस्टर रहा हूं तो मैं जानता हूं क्या-क्या हुआ है और आपके फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले जानते होंगे। ऐसी बात नहीं है यह. We are moving towards confrontation through PIL. What we are doing? सारे लोग चिंतित हैं, डर लगता है कहते हुए, लेकिन हाउस में कोई कंटेम्प्ट बनेगा नहीं। हम कोई तौहीन नहीं कर रहे हैं, लेकिन यह बात थोड़ी-बहुत कहेंगे, यहां पर सीपी जोशी साहब कह रहे हैं थोड़ी-बहुत कहेंगे शायद इनके कानों में जाए, सोमनाथजी ने कहा है तो शायद सुधार आ जाए, शायद थोड़ा-बहुत रुके। न कानून का इंटरप्रिटेशन हमने जो कह दिया वह हमने कह दिया करो जाकर। दिल्ली का सीलिंग का सारा मसला आपके सामने मौजूद है। Even after the amendment, after notification, the observations which they have made, कोई सोच नहीं सकता कि आज एक्जीक्यूटिव के पावर ले रहे हैं, ज्युडिशियरी के पावर ले रहे हैं यह कहां जाकर खतम होगा। यह सबके लिए बड़ी चिन्ता का विषय है सदन के लिए। सबको सोचना पड़ेगा बैठकर।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : सभापति महोदय, मैं राजस्थान के हाइकोर्ट का एक फैसले को कोट करना चाहता हूं। हमने उस समय निर्णय लिया, वह निर्णय है Subordinate Judiciary Dress Allowance and I want to quote it. यह एक है. State of Rajasthan versus Rajasthan Judicial Service Officers Association, 1999. "Service conditions of judicial officers of the State being the responsibility of the State, the High Court was not justified in directing the State to pay all judicial officers of Rajasthan, … Rajasthan Higher Judicial Services a sum amounting to Rs. 8,500/- as Dress Allowance when the State Government has already determined an amount of Rs. 3,000/-." यह भी राजस्थान सरकार ने पहले फैसला लिया है। राजस्थान सरकार, जब कोर्ट ने फैसला 8500 का दे दिया, तब 3000 का फैसला करा कर दिया है।

(डा. सी. पी. जोशी)

आज क्या आवश्यकता पड़ गयी कि हम अमेंडमेंट लाकर सिग्नल देना चाहते हैं. I have high esteem for judiciary. मुझे ज्यूडिशियरी ने, हमारी इन्काम्पीटेंसी के कारण, लेजिस्लेचर और एक्जीक्यूटिव की इन्काम्पीटेंसी के कारण सामान्य नागरिकों को रिलीफ देने का काम किया है। इस बारे में भी हाइ-कोर्ट को धन्यवाद दिया जाना चाहिए। मैं यह भी नहीं कहना चाहता हूं कि हमारी इन्काम्पीटेंसी के कारण ज्यूडिशियरी ने प्रो-एक्टिव का रोल लिया। लेकिन मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हम इस पर ध्यान नहीं देंगे तो जो स्थिति बनने वाली है. "It is time the Supreme Court pauses and reflects on orders of this kind. The Court should not suffer from self-inflicted wounds. If this trend continues, we might well be faced with a painful decision: Are we bound by a ruling of the Supreme Court which flouts the Constitution manifestly, demonstrably, either consciously or in utter disregard for the law." सभापति महोदय, दो कोट किये हैं, "To cite two examples – appointments of Judges to the Court itself and to the High Courts and orders to legislatures on how they should conduct their business." यह एक्जाम्पल हैं इस बात के कि ज्यूडिशियरी ने जो बेलेंस एन्विसेज किया गया कांस्टीट्यूशन में उसको एक्सीड किया है, और आज समय आ गया है, सभापति महोदय, "What kind of a judicial culture, judicial outlook or judicial mindset is it which has driven Judges of our Supreme Court, again and again, to make orders no court in any other democracy has ever made in history?" मैं समझता हूं कि यह ज्यूडिशियरी का जो ट्रेण्ड है, यह हम चुने हुए प्रतिनिधियों के ऊपर एक जिम्मेदारी देता है, ऑनस देता है, जो अनपढ़, गरीब आदमी, जिसके वल्नरेबल सैक्शन अपनी बात कह नहीं सकता है, वह आपसे और हमसे आशा करता है कि हम ऐसे नियम, कानून और नीतियां बनायें जिससे उस आदमी को मदद मिले। और यह ज्यूडिशियरी सुओ-मोटो फैसला करती है कि गाड़ी मिलनी चाहिए, ए.सी. मिलना चाहिए, सर्वेण्ट मिलना चाहिए और राजस्थान की सरकार फैसला भी करे और कम्पलायंस करके सूचना करे। यह कौनसे कानून में लिखा हुआ है? कंसोलिडेट फण्ड का पैसा देना है, पास हम करते हैं। हमारी कोई लोकस स्टेण्डाई नहीं है। They are directing us to do it. And we have to do it because we are so timid.

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): Without the approval of the Assembly.

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): मैं समझता हूं कि एक इतना भंयकर प्रतिद्वंद आने वाले समय में हिन्दुस्तान के लोकतंत्र के सामने खड़ा होगा। इस

(डा. सी. पी. जोशी)

लोकतंत्र में खड़े होने वाले इस प्रश्न में राजस्थान की सरकार पार्ट बने, मैं हम्बल शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि आपका लॉ मिनिस्टर तो हूं नहीं। इस पाप में आप भागीदार क्यों बन रहे हैं। आपको यह मौका है। दुबारा आप इसको रिव्यू करिये और सिग्नल दे दीजिये इस बात का। और राजस्थान की सरकार का यह क्लीयर कट मैसेज देना चाहिए। Yes, we uphold the judiciary. हम उनका सम्मान करते हैं। उनके निर्णयों को मानते हैं। हमारा धर्म बनता है कि उनके निर्णयों का पालन करें। जो एन्विसेज किया गया है कांस्टीट्यूशनल बैलेंस में, उस बैलेंस को एक्सीड करने के सम्बन्ध में भी हम उनको अधिकार नहीं दें। अधिकार ही नहीं, हम सिग्नल भी नहीं दें। हम उनको स्पेस ही नहीं दें। If we are creating a space of one inch, forget it, you are going to have a space of thousands of miles. It is a beginning, small beginning. And once a beginning is made, it be very difficult इसलिये आज यह सरकार इस काले संशोधन को लेकर इस राजस्थान की डेमोक्रेसी के इतिहास में काला अध्याय क्यों जोड़ना चाहती है। मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं कि जिस पार्टी का नेता आज हिन्दुस्तान के उप राष्ट्रपति के पद पर सम्मानित है, उस पार्टी की लीगेसी के आदमी, अपने आपको उस लीगेस के कहने वाले आज यह प्रस्ताव रखकर इतिहास में यह बता दिया कि राजेन्द्र राठौड़ इस लीगेसी का आदमी है या नहीं है। यदि उस लीगेसी के आदमी हों तो खड़े होकर आज कहना पड़ेगा कि मैं इसको विदड्रा करता हूं और जो कानून का प्रोविजन है, बिलकुल वैलिड प्रोविजन है। और यदि यह नहीं करते हैं तो राजेन्द्रजी राठौड़ की जो मैन्युपेलेटिव स्किल है, वह भी आज एक्सपोज हो जाएगी। क्योंकि उनका मन क्या कहता है, आत्मा क्या कहती है और इमीजिएट नैसेसिटी क्या कहती है। यह भी आज इसमें रिफलेक्ट हो जाएगा। आपका बहुमत है, आप पास करवा लेंगे लेकिन इतिहास इस बात का साक्षी रहेगा कि हमने यह प्रश्न उठाया था, आपकी आत्मा को झकझोरा था। आपको याद दिलवाया था, आप किस लीगेसी के आदमी हैं। मेहरबानी करके उस लीगेसी को याद रखें और सरकार इस बिल को विदड्रा करे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, यह सिग्नल देना चाहता हूं कि हम ज्यूडिशियरी का सम्मान करते हैं लेकिन हमारा पूरा कमिटमेंट है कि जो लोकसभा के स्पीकर ने कहा है कि यह अवसर है कि हम सिग्नल दें ज्यूडिशियरी को, कि राजस्थान के जो जन प्रतिनिधि हैं, वह भी इस बात पर विश्वास करते हैं कि जो बेलेंस बना हुआ है ज्यूडिशियरी और लेजिस्लेचर का वह बेलेंस बनाये रखना चाहिए और जो एन्विसेज किया, उस धर्म का निर्वहन

(डा. सी. पी. जोशी)

करें। मैं समझता हूं कि इससे लोकतंत्र मजबूत होता है। इससे गरीब आदमी को रिलीफ मिलेगी, अन्यथा लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। इसी भावना के साथ, मैंने कहा है कि जनमत जानने के लिये परिचारित किया जाए।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आप एक जवाब और दे दीजियेगा कि whether through a judicial order of the High Court क्या सरकार हाऊस के बिना एप्रूवल के कंसोलिडेट फण्ड आफ इण्डिया से, जिसके ऊपर सदन का आधिपत्य और अधिकार है, उसमें आप कुछ खर्चा दे सकते हैं। Only their salaries are protected. It is a Charged amount. Not other things. यह आप ध्यान रखना। आप यह भी जवाब दे देना। आज जो सी.पी. जोशी साहब ने कहा है, बड़ी चिन्ता का विषय है।

श्री सभापतिः डा. एन. एस गुर्जर, अनुपस्थित। मोहम्मद माहिर आजाद, अनुपस्थित। श्री हरिमोहन शर्मा। अब आप रिपिटेशन न करें।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): हां नहीं करूंगा, कतई रिपिटेशन नहीं करूंगा।

सम्माननीय सभापतिजी, वैसे तो इस बिल पर लोकतंत्र की रक्षा के लिये और अपने-अपने क्षेत्राधिकार के लिये डा. सी.पी. जोशी ने बहुत विस्तार से, गम्भीरता से पूरी हालत को देखते हुए जो चित्रण किया है, उसके बाद में कहने के लिये कुछ कम बचता है। और जिस प्रकार के अपने सम्बोधन में और अपने भाषण में डा. सी.पी. जोशी ने ज्युडिशियरी के अधिकारों और एक्जीक्यूटिव के अधिकारों पर और पार्लियामेंट और असेम्बली के अधिकारों के सम्बन्ध में जो गम्भीरता से चरित्र चित्रण किया है, वह काबिल-ए-तारीफ है। दो बातें मैं संक्षेप में निवेदन करना चाहता हूं। यह भी सही है कि हर क्षेत्र में, हर जिले में, हर प्रकार की अलग-अलग स्थान पर, अलग-अलग दिवसों की महत्वता को देखते हुए छुट्टियां वहां का जिला कलक्टर निर्धारित करता है। अगर कहीं हाई-कोर्ट अपने हिसाब से पूरे ही जिलों में एक ही दिन और एक ही तरीके से छुट्टियां निर्धारित कर दीं तो जो सांस्कृतिक परम्पराएं उन जिलों में चल रही हैं, उन पर इसका विपरीत असर पड़ेगा। मैं इससे अलग हटकर एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि यह सही है कि आज की तारीख में जिस प्रकार की व्यवस्थाएं न्यायाधीश अपने लिये खुद करने के फैसले कर देते हैं, जिस पर विस्तार से चर्चा हो चुकी है, उस पर भी आपको और हमको

(श्री हरिमोहन शर्मा)

गम्भीरता से चर्चा करनी चाहिए। यह भी आप जानते हैं कि आज की तारीख में जो व्यवस्थाएं हैं, राजस्थान के हाई-कोर्ट में और अन्य जिलों में जिस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, आप यह भी जानते हैं कि बेंच फोरमेशन का इसलिये वकील इंतजार करते हैं कि फलां जज आ जाएगा तो फलां वकील पैरवी करेगा, फलां जज की बैंच आ जाएगी तो फलां वकील करेगा, फलां जज आ जाएगा तो मेरा कैस लगेगा। आखिर इस स्थिति पर भी आपको और हमको विचार करना चाहिए कि राजस्थान में इस प्रकार की स्थितियां क्यों बन रही हैं। राजस्थान में जिस प्रकार से एक्जीक्यूटिव में, जिस प्रकार से अन्य स्थानों पर भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, उसी प्रकार से राजस्थान की ज्युडिशियरी भी अछूती नहीं है। वहां भी यह प्रक्रिया आरम्भ हो गयी है। ओर इन प्रक्रियाओं में किस प्रकार से अंकुश लगाया जा सकता है। इसलिये कि कोई ऐसी वैधानिक, कोई कानूनी व्यवस्थाएं नहीं हैं और व्यवस्थाएं इसलिये नहीं हैं कि कोई सीधा तो पकड़ा नहीं जाता, कोई जज को सीधे तो पैसा देता नहीं है। व्यवस्थाएं हों तो जो फैसले, जजमेंट दिये जाते हैं और उन जजमेंट को जो कानून के आधार पर नहीं होकर, अपने डिस्क्रिएशन का, अपने विवेका का, जिस प्रकार से एक अलग इण्टरप्रिटिशन करके एक ऐसे फैसले देते हैं उस पर चैक करने की भी कोई न कोई व्यवस्था होनी चाहिए। आज यही नहीं कि बेंच में कौन वकील जाएगा, हम और सरकार इस बात का इंतजार करते हैं कि राजस्थान की हाई-कोर्ट का चीफ जस्टिस कौन है। राजस्थान हाई-कोर्ट का जज कौन है। कहीं उसका लड़का कोई वकालत तो नहीं कर रहा है। उसमें योग्यता हो तो ठीक, नहीं हो तो ठीक। सरकार उस जज को खुश करने के लिये, एम्पलायमेंट देने के लिये अलग-अलग तरीके निकाल कर, अयोग्य होते हुए भी, योग्य नहीं होते हुए भी उनको सुविधा के रूप में और उन जज साहब को प्रसन्न रखने के रूप में, यह व्यवस्थाएं करने को मजबूर होना पड़ता है। मैं, अन्त में एक निवेदन करना चाहता हूं। जहां तक फैसले का सवाल है, राजस्थान हाई-कोर्ट में अभी 8 जजों की पोस्टिंग बाकी है और दो शीघ्र एक और दो महीने में रिटायर होने वाले हैं।

आपने डिस्ट्रिक्ट जज के डिस्ट्रिक्ट कोर्टस में तो फास्ट ट्रेक का इंतजाम कर दिया, तत्काल फ़ैसले हो रहे हैं और वहां फ़ैसलों का अम्बार, अपीलें आज भी यहां पर पड़ी हुई हैं जिसको न कोई सुनने वाला है, न कोई देखने वाला है। इस प्रकार की स्थितियां बन रही हैं। मैं तो यही निवेदन करता

(श्री हरिमोहन शर्मा)

हूं कि जो मैंने प्रस्ताव दिया, उस प्रस्ताव के हिसाब से इसे जनमत जानने के लिए आप प्रसारित करें। यही मेरा अनुरोध है और इन सब परिस्थितियों को अगर निर्भीकता से अगर कोई...(व्यवधान)

श्री सभापतिः माननीय श्री रामनारायण मीणा - अनुपस्थित ।

प्रभारी मंत्री जी उत्तर देंगे।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर)ः सभापति महोदय, मुझे कुछ कहना है।

श्री सभापतिः नहीं, आपका प्रस्ताव नहीं है।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर)ः मुझे कुछ निवेदन करना है।

श्री सभापतिः बोलो, बोलो।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर)ः मैं आपके समर्थन में ही बोलने वाला हूं। सभापति महोदय, मुझे यह समझ में नहीं आया कि जब राज्य सरकार के निर्देशानुसार पहले जो था, इसमें पहले लिखा गया था, राज्य सरकार के निर्देशानुसार उच्च न्यायालय प्रति वर्ष सिविल न्यायालयों में होने वाले अवकाशों की सूची तैयार करेगा और अब जो लिखा जा रहा है, जो संशोधन कर रहे हैं जिसमें केवल यह हटा रहे हैं कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार केवल यह हटाने की आवश्यकता क्यों पड़ी ? यह समझ में नहीं आया। बाकी तो सभी ले रहे हैं। उच्च न्यायालय सिविल न्यायालयों में प्रत्येक वर्ष अवकाशों के कारण सबंद रखे जाने वाले दिनों की सूची तैयार करेगा। इसमें केवल हटाया जा रहा है तो यह हटाया जा रहा है कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार तो राज्य के निर्देश हटाने की जरूरत क्यों पड़ी? यह समझ में नहीं आया।

दूसरा, जैसे अभी एक माननीय सदस्य ने बताया, उसमें "subject to such orders as may be made by the State Government" यही हटाया जा रहा है। जब हम जानते हैं नेशनल जुडिशियल पे-कमीशन का गठन हुआ। उसको एक काम करना था कि न्यायालय के कर्मचारियों के वेतन बढ़ाने और छुट्टियां घटाना, यह काम उनको दिया गया था तो वेतन तो बढ़ा दिया गया लेकिन छुट्टियां घटाने का काम नहीं कर पाये जबकि छुट्टियां घटानी चाहिए थी। वास्तव में यह बात बिलकुल सही है कि न्यायालयों में काम लम्बित हो रहा है, छुट्टियां बढ़ती जा रही हैं और उसके कारण से कई वर्षों तक न्याय नहीं मिल पाता। वह तो सात-सात वर्ष की बात कर रहे थे, मैं यह कहना चाहूंगा लगभग 20-20 वर्ष हो जाते हैं लेकिन लोगों को न्याय नहीं मिल पाता तो यह

(श्री मदन राठौड़)

एक बार पुनर्विचार करने की आवश्यकता है कि राज्य सरकार के निर्देश हम हटाना क्यों चाहते हैं ? क्या राज्य सरकार के निर्देश से कहीं तकलीफ हो रही थी ? या क्या ऐसी बाध्यता आ गई कि राज्य सरकार के निर्देश भी हटाकर हम अपने अधिकार भी उनको देना चाहते हैं ? हम यह अधिकार अपने पास नहीं रखना चाहते, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई ? मंत्री महोदय जब जवाब दें तो कृपया इसको स्पष्ट करने की कोशिश करें।

श्री सभापतिः बिराजिए आप।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): सभापति महोदय, सीआरपीसी 397 में एक प्रोविजन है कि क्रिमिनल कोर्ट में रिवीजन का अधिकार जिला जज को है लेकिन 115 सीपीसी के तहत सिविल कोर्ट के रिवीजन के डीजे को अधिकार नहीं हैं, जबकि अपील का अधिकार तो है।

श्री सभापतिः यह इससे संबंधित नहीं है।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): एक मिनट आप थोड़ा सा बोलने दें। एक मिनट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सभापति महोदय, एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। ठीक इसी प्रकार से रिवीजन के लिए प्रार्थी को उच्च न्यायालय में जाना पड़ता है, रिवीजन के लिए डीजे को पावर नहीं है जबकि क्रिमिनल के रिवीजन को तो है, सिविल रिवीजन का नहीं है और वहां पर खर्चीला भी नहीं है।

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, वह रेलेवेंट नहीं है। बिल से क्या रेलेवेंट है यह बात?

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): नहीं, मैं छुट्टियों की बात भी कर रहा हूं। सभापति महोदय, आप तो स्वयं एक वकील हैं, आप इस बात को जानते भी हैं कि जब कोई जज छुट्टी पर जाता है तो वह सिविल का काम लटक जाता है। वह सिविल का फास्ट ट्रेक कोर्ट को या अन्य को चार्ज नहीं देता, चार्ज भी दे दे तो उसको पॉवर नहीं है यानी उसमें पेशी को आगे देने का ही है, यह ठीक नहीं है। इसके कारण से काम लम्बित होता है। वह छुट्टी लेकर जाए तो चार्ज फास्ट ट्रेक कोर्ट को दे दे और उसको पूरा अधिकार वह दे कि उसमें वह फैसला भी कर सके। ये फैसले नहीं कर पाते हैं, इस कारण से वह लम्बित होते हैं। कृपया इस विषय पर भी विचार करें थोड़ा सा और मैं फिर से निवेदन करूंगा कि राज्य सरकार अपने अधिकार को और जो अधिकार निर्देश देने का

(श्री मदन राठौड़)

उनके हाथ में है वह अधिकार उनको खोना नहीं चाहिए। यह भी कृपया स्पष्ट करें।

श्री सभापति: प्रभारी मंत्रीजी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सभापति महोदय, सदन के सम्मुख राजस्थान सिविल न्यायालय संशोधन विधेयक, 2006 विचारार्थ प्रस्तुत है।

सभापति महोदय, इस संशोधन के माध्यम से नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य और हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य ने पूरी न्यायिक व्यवस्था पर अपनी टिप्पणी कर डाली। सभापति महोदय, हम जानते हैं संविधान के अन्दर कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका इन प्रत्येक के कार्य का विभाजन विभिन्न अनुच्छेदों में स्पष्टतः कर रखा है। नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने तो यहां तक बात कह दी और मैं यह तो उनको धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने काफी अध्ययन किया, उन्होंने डाक्टर अम्बेडकर को भी कोट किया, सोमनाथ चटर्जी, जो हमारे लोक सभा के अध्यक्ष हैं, पूरी न्यायिक प्रणाली के बारे में और न्यायपालिका का विधायिका पर अतिक्रमण की बात को लेकर, इन्होंने उनको भी कोट किया और सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने तो इस पूरे संशोधन के माध्यम से राजस्थान उच्च न्यायालय के अन्दर लम्बित वादों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया। यह सही है, सभापति महोदय, वर्तमान में देश में न्यायपालिका और विधायिका इन दोनों के परस्पर रिश्ते और दोनों के अधिकार और न्यायपालिका का विधायिका पर अतिक्रमण पर एक बहस चल रही है। आर्टिकल 122 के अन्दर, सभापति महोदय, निश्चित तौर पर इस बात का प्रावधान करके, कोई भी कोर्ट किसी भी हाउस की प्रोसीडिंग के बारे में कोई निर्णय नहीं कर सकेगा, कोई सवाल खड़ा नहीं कर पाएगा। यह आर्टिकल होने के पश्चात् भी निश्चित तौर पर उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के अन्दर और उन निर्णयों के बारे में अलग-अलग समय पर अलग-अलग तरह की टिप्पणियां और अलग-अलग निर्णय भी हुए हैं। मैं लम्बी बात पर नहीं जाऊंगा, सभापति महोदय, मेरा तो सिर्फ इतना सा निवेदन है कि यह बहुत छोटा-सा संशोधन है, जैसे कि उद्देश्य और कारणों के कथनों में इस बात को स्पष्ट किया गया है और यह भी सही है जिसका जिक्र नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने किया, उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर राष्ट्रीय

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

न्यायिक वेतन आयोग बना जिसको सेठी कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, अब इस सेठी कमीशन ने न्यायिक अधिकारियों के पेंशन, भत्ते, आवास और दूसरी चीजों की रिकमंडेशन के साथ-साथ एक बात कह डाली और वह बात यह कह डाली कि न्यायालयों के अन्दर जो छुट्टियां है इन छुट्टियों में किसी न किसी तरह नियमन होना चाहिए, रेगुलेशन होना चाहिए, रेगुलेट होनी चाहिए छुट्टियां और एक निश्चित केलेंडर होना चाहिए और सभापति महोदय, जो वर्तमान के अन्दर राजस्थान में राजस्थान सिविल न्यायालय अध्यादेश है, इसको धारा 26 के अन्दर हम संशोधन लेकर आये हैं, उसमें राज्य सरकार के आदेशों के अधीन रहते हुए उच्च न्यायालय सिविल न्यायालयों में प्रत्येक वर्ष के अवकाशों के दिनों की सूची तैयार करेगा, मतलब, वर्तमान के अन्दर भी काम जो करना है इन अवकाशों की सूची के बारे में उच्च न्यायालय के हिसाब से ही होना है। माननीय सभापति महोदय, संविधान के जिस आर्टिकल 235 को आपने कोट किया, निश्चित तौर पर 235 जो संविधान का अनुच्छेद है, वह यह कहता है कि जिला न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों का नियंत्रण जिसके अन्तर्गत राज्य के न्यायिक सेवाओं के व्यक्तियों और जिला न्यायाधीशों के नीचे के पद से किसी भी पद को धारण करने वाले व्यक्तियों की पदस्थापना, पदोन्नति और उन्हें अवकाश देना सम्मिलित है, उच्च न्यायालय में निहित है। मेरे कहने का तात्पर्य यही है, सभापति महोदय, कि यह संविधान के आर्टिकल 235 के अन्दर जो उच्च न्यायालय को अधिकार प्राप्त है, उसके ठीक विपरीत राजस्थान सिविल न्यायालय अध्यादेश की धारा 26 के अन्दर इसमें सरकार बीच में है। जो काम सरकार, जो मात्र छोटा सा संशोधन है जिसका जिक्र आपने अभी किया निश्चित तौर पर... "High Court shall prepare a list of days to be observed in each year as close holidays in the Civil Courts." मतलब पहले इसके अन्दर जो सरकार का नाम था पहले जो सेक्शन 26-ए यह कह रहा है "Subject to such orders as may be made by the State Government, the High Court shall prepare a list of days to be observed in each year as close holidays in the Civil Courts." सिर्फ सरकार शब्द को इसे एक तरह से विलोपित कर रहे हैं और सभापति महोदय निश्चित तौर पर इसके पीछे यह मंशा नहीं है कोई न्यायपालिका विधायिका पर सुप्रीमेसी हो जाए। इसके पीछे इसके अन्दर जो आर्डिनेंस के अन्दर जिस आर्डिनेंस आज भी लागू है सभापति महोदय, यह सही है कि राजस्थान के अन्दर ये बहुत थोड़े इस तरह के आर्डिनेंस होंगे जो

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

आर्डिनेंस के रूप में आज भी लागू हैं क्योंकि राजस्थान के अन्दर जब यह आर्डिनेंस आया राजस्थान सिविल कोर्ट आर्डिनेंस 1950 यह 24 जनवरी, 1950 को लागू किया तत्कालीन राज प्रमुख ने और हमारे भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी, 1950 को तो यह संशोधन, जो आर्डिनेंस के अन्दर है इसलिए मेरा निवेदन है कि निश्चित तौर पर इसके बारे में उच्च न्यायालय ने भी सेठी कमीशन की रिकमण्डेशन को लागू करने के लिए राजस्थान की सरकार से 23-2-2006 को एक पत्र लिखकर अनुरोध भी किया था और सेठी कमीशन ने अवकाश कम करने की सिफारिश की है। सभापति महोदय, और उसी के लिए यह संशोधन लाया जा रहा है। इसमें यह नहीं आज राजस्थान के गरीब आदमी कहीं भी कोई न्याय के लिए जाए और जब वह देंखे कि कोई लम्बी-चौड़ी लिस्ट न्यायालय बंद होने की, न्यायालय की छुट्टियों की है, कैसे न्याय मिलेगा उसको इसीलिए यह एक तरह से प्रोगेसिव अमेण्डमेंट है जो सरकार लेकर आ रही है और मैं तो यह कहूंगा ये जो जिन बातों की और आपने कहा निश्चित तौर पर आपने..(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): राजेन्द्रजी सही पार्टी में है.He was progressive. ..(व्यवधान)... Don’t use the word ‘progressive’. It is regressive. ये लेजिस्लेटर को कमजोर करने का इन्डीकेशन का प्रस्ताव है, आप कैसे पार्टी बन रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है अभी तक आश्चर्य हो रहा है मुझे तो....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सभापति महोदय, मैं निवेदन यह करना चाह रहा था यह एक अलग बात विषय है आज न्यायपालिका और विधायिका के बीच में जिस तरह की बहस छिड़ी है निश्चित तौर पर कई जगह यह उदाहरण भी देखने को मिलते हैं कि न्यायपालिका आज कानून बनाने का काम भी करने लगी है। न्यायपालिका किसी न किसी रूप में अगर विधायिक पर अतिक्रमण कर रही है, यह एक अलग विषय है। इस विषय में चाहे झारखण्ड की बात लें ले, चाहे उत्तरप्रदेश की बात को लें ले, चाहे हाल ही में संसद सदस्यों को अयोग्य घोषित करने वाली बात को लें ले।

श्री सभापति: सीलिंग का, दिल्ली में सीलिंग वाला....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): इन सारों बातों के लिए मैं समझता हूं कि अलग से बहस चल रही है एक अलग विषय है। अदालतों

का जो ग्रीष्मावकाश है उसको कम करना अथवा उसको समाप्त करना, बढ़ाने की बात नहीं है। इसके प्रयोजनार्थ यह सारा संशोधन लेकर आये हैं इसीलिए मेरा निवेदन है कि न तो यह विधायिका को कमजोर करने की बात है.... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): मैं यह कह रहा हूं कि जो क्लाइन्ट है वह (व्यवधान) छुट्टी कर देगा उस दिन तो वह क्लाइन्ट तो बेचारा छुट्टी पर जाएगा और कोर्ट छुट्टी नहीं करेगी यह स्टेट गवर्नमेंट की रिकमण्डेशन में यह स्कोप था कि उसमें जैसा आज मान लें छुट्टी हो, छठ की छुट्टी हो तो कलक्टर छुट्टी कर रहा है छठ के दिन वह तो जो गांव का गरीब आदमी है उसे नहीं मालूम कि कोर्ट में छुट्टी होगी या नहीं होगी ये अधिकार देकर आप उस आदमी को डिप्राइव कर रहे हो। मैं समझता हूं कि आपको यह प्रिकाशन लेने की आवश्यकता है। आप अमेंडमेंट कर रहे हैं, आपकी सरकार है, बहुमत है लेकिन प्रेक्टीकल आपका एन्विसेज करिए क्या राजस्थान में 32 जिलों में कलक्टर एक ही दिन छुट्टी करते हैं। उनको दो दिन की छुट्टी रीसेन्ट करने की है उस छुट्टी की एनोमली के कारण सबसे ज्यादा सफर गांव का गरीब आदमी होगा जो अनपढ़ है जिसे मालूम नहीं कि कोर्ट की छुट्टी और गवर्नमेंट की छुट्टी में अन्तर है। कभी आपने कल्पना ही नहीं कि हम क्या प्रस्ताव पास करने जा रहे हैं। आर्डिनेंस में अमेंडमेंट करना अलग चीज है, आर्डिनेंस में अमेंढमेंट का बहाना लेना अलग चीज है। मैं समझता हूं कि यह प्रेक्टीकल प्रॉब्लम हैं, हम सब जन प्रतिनिधि हैं, हमारे इलाके में लोग रहते हैं उनको क्या तकलीफ होगी तब मालूम पड़ेगा कि सज़ा मिल जाएगी की कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ हूं। मैं समझता हूं इन प्रैक्टीकल चीजों के सम्बन्ध में ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं अब कोई आज अमेंडमेंट करके लावें, आप कल कर लें, मैं समझता हूं कि आप ऐसा नहीं कल पास कर ले, परसों पास कर लें लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि प्रैक्टीकल प्रॉब्लम को भी हमें एन्विसेज करना चाहिए। बाकी हम खाली आपको पास ही करना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि ये हम सब जन-प्रतिनिधि हमारे गांव के गरीब आदमी के साथ अन्याय कर देंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सभापति महोदय, अवकाशों को कम करने का उद्देश्य पब्लिक होली-डे को कम करने का नहीं है। सभापति महोदय, इसमें पहले मैंने निवेदन किया कि अगर हम अनुछेच्द 235

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

को पढ़े, उसके अन्दर और जो हमारा संशोधन जो इस राजस्थान सिविल न्यायालय अध्यादेश 1950 की धारा 26 इन दोनों को एक साथ पढ़े तो सभापति महोदय, यह लगता है कि दोनों एक-दूसरे के कन्ट्रास्ट है, एक दूसरे के विपरीत है। इसलिए इस विसंगति को दूर करना और मैं निवेदन करना चाहूंगा...

श्री सभापति: सेठी कमीशन की रिकमंडेशन को एक्जीक्यूट कर रहे हो आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): 1950 की धारा 26 यह प्रावधान करती है कि उच्च न्यायालय की अवकाश तय करने की शक्तियां राज्य सरकार के आदेश के आधीन होगी जबकि सभापति महोदय, संविधान के अनुच्छेद 235 के प्रावधानों के अनुसार ऐसी शक्तियां पूर्णतः उच्च न्यायालय में निहित हैं। इसलिए कि 26(1) में जो शब्द है ऐसे आदर्शों के अध्यधीन जो राज्य सरकार द्वारा दिये जाएं इसको हटाने का संशोधन हम लेकर आये हैं। इसलिए सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर यह तो बहस की बात है और यह बहस भी सही है कि आज विधायिका को आर्टिकल 122 के अन्दर जो प्रोटेक्शन प्राप्त है, जो संरक्षण प्राप्त है और उसके तहत हम राजस्थान की विधान सभा और दूसरी विधान सभाओं में हो, चाहे संसद में हो, बेखौफ हम यहां पर अपनी बात कह सकते हैं परन्तु इसमें कोई शक नहीं कि आर्टिकल 122 की बात जब हम करते हैं, उस संरक्षण की बात हम करते हैं तो निश्चित तौर पर उच्चतम न्यायालय के द्वारा विभिन्न मामलों में दिए गए उस पूरे परिवेश को देखते हैं जो बहस आज छिडी है। मैं समझता हूं कि वह बहस निश्चित तौर पर आज जिस तरह का वातावरण बना है, बहस, छिड़े बहस पर सार्थक बहस के बाद निश्चित तौर पर इस तरह के, कई तरह के इश्यूज् कई बार निकलकर आते हैं यह अलग बात है पर इस संशोधन के प्रिव्यू के अन्दर मैं नहीं समझता हूं कि कोई हमारा मकसद यह हो कि हमने न्यायपालिका को विधायिका पर अतिक्रमण करने के लिए या न्यायपालिका विधायिका से ऊपर हो या न्यायपालिकाओं को हम एक तरह से फ्री-हैण्ड दे रहे हैं कि वे चाहे जिस तरह की भी कार्यवाही करें, कई तरह के निर्णय है सभापति महोदय और यह जो सेठी कमीशन बना यह सेठी कमीशन भी सभापति महोदय, यह उच्चतम न्यायालय के निश्चित तौर पर मुझे स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं कि सेठी कमीशन जो बना सेठी कमीशन की बुनियाद

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

भी उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के आधार पर और इस सेठी कमीशन की रिकमंडेशन को कोई राजस्थान की सरकार अकेली मान रही हो यह बात नहीं है। सेठी कमीशन की रिकमंडेशन को भारत सरकार ने माना, सेठी कमीशन को राजस्थान के अलावा दूसरी भी सरकारों ने माना है और इसीलिए मैं निवेदन कर रहा था चूंकि दो मामले मैंने निवेदन किये, एक तो चूंकि ये जो आज एक्जिस्टिंग आर्डिनेंस है 1950 का उसकी धारा 26 और आज जो हमारा आर्टिकल है और निश्चित तौर पर संविधान के अनुच्छेदों से ज्यादा अधिकार सम्पन्न कोई हो नहीं सकता किसी भी मामले में, इसलिए इन दोनों के अन्दर एक तरह से कन्ट्रास्ट है। इसीलिए हम इसको लेकर आये हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इसको पारित किया जाए।

श्री सभापतिः प्रश्न यह है कि राजस्थान सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2006 जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2006 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

विधेयक पर खण्डशः विचार

खण्ड-2 एवं 3 कोई संशोधन नहीं। प्रश्न यह है कि खण्ड-2 व 3 स्वीकार किए जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड-2 व 3 स्वीकार किये गये।

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि। कोई संशोधन नहीं। प्रश्न यह है कि खण्ड-1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किए जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकर किये गये। प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे।

(श्री सभापति)

विधेयक का पारण

राजस्थान सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2006

राजस्थान सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2006 को पारित किया जाए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2006 को पारित किया जाए।

श्री सभापति: दो मिनट पहले इनको बोल लेने दीजिये।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): माननीय सभापति महोदय, मैं उन बातों को नहीं दोहराऊंगा जो इस बिल के ऊपर चर्चा में आ गई हैं। मैं मंत्री महोदय से एक बात कहना चाहता हूं कि आप अमेंडमेंट कराइये, आप कितनी ही पावर दीजिये, विधायिका को नीचे करिये या कुछ करिये लेकिन एक बात बता दीजिये मंत्रीजी, कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं कि जनता को सुलभ, सस्ता और नजदीक न्याय मिले यह तो मान्यता है। आज ऐसे भी उदाहरण हैं कि कैम्प कोर्ट के नाम से डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर पर मुंसिफ मजिस्ट्रेट के कोर्ट लग रहे हैं। मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि अलवर जिले में मुंसिफ मजिस्ट्रेट नम्बर तीन पर रामगढ़ थाने के ही मुकदमे सुने जाते हैं और कोर्ट का नाम कागजों में जो सैंक्शन है वह है कैम्प कोर्ट अलवर, मुंसिफ मजिस्ट्रेट, रामगढ़। आज रामगढ़ में उसको बैठना नहीं चाहिए? उसके लिए विधान सभा में सवाल लगाओ तो आप कह दें कि यह तो न्यायालय का मामला है, उच्च न्यायालय करेगा। खाली आपको ट्रांसफर करनी है, शिफ्टिंग करनी है। वहां लोग 50 किलोमीटर से जाएं क्योंकि कोई भी जज यह नहीं चाहता कि देहात में जाए, सब डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर पर बैठना चाहते हैं। इसकी व्यवस्था कौन करेगा? आपको कोई नई नियुक्ति नहीं करनी, आपको कोई भवन नहीं बनाना, भवन अपनी तरफ से बनाकर के तैयार कर दिया और फिर उसके बाद भी मुंसिफ मजिस्ट्रेट न्यायालय जो रामगढ़ थाने के मुकदमे सुनता है वह अलवर में बैठे। जनता सारी अलवर में आये और एक माननीय मजिस्ट्रेट महोदय को आप शिफ्ट नहीं कर सकते तो यह कौन करेगा? मेरा आपसे निवेदन है आज इस मौके के माध्यम से, क्योंकि वैसे तो हम चर्चा कर नहीं सकते, कोई नतीजा निकलता नहीं है। आप दिखाइये कि जनता को सुलभ न्याय मिले। यह भी

(श्री जुबेर खान)

इस विधायिका का काम है कि न्यायालय लोगों को सस्ता, सुलभ और नजदीक जाकर के न्याय दे। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापतिः धन्यवाद।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2006 विचारार्थ लिया है। अभी नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य सी. पी. जोशीजी ने इस पर काफी व्यापक प्रभाव डाला है। माननीय सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से इतना-सा निवेदन है कि विगत वर्षों में न्यायपालिका और विधायिका के बीच में एक बहस छिड़ी है। यह बात सब लोगों ने कही है और बहस की सीमा इस स्तर तक चली गई कि जिस प्रकार से व्यवस्थापिका की लाचारी इस बहस में देखने को मिलती है, मेरा कहना केवल इतना-सा है कि व्यवस्थापिका अपना काम करे, न्यायपालिका अपना काम करे, लेकिन पिछले 10 वर्षों में जिस प्रकार की चर्चा समाज में न्यायपालिका के हस्तक्षेप के कारण बनी है इससे आम जनता के बीच में यह धारणा बन गई कि राजनीतिक मतभेदों के चलते हुए व्यवस्थापिका न्यायपालिका के सामने लाचार बनकर के खड़ी हो गई है। सारे समाज के सामने व्यवस्थापिका की लाचारी नजर आती है और इस लाचारी का उदाहरण हमको देखने को मिला।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): मान्यवर, मंत्रीजी को समझा दो, बोलने से तो मतलब है ही नहीं। परनाला तो वहीं गिरेगा। यहां तो हम कह रहे हैं, रिक्वैस्ट कर रहे हैं, मुख्य मंत्रीजी भी तैयार हैं, मंत्रीजी को समझा दो, बाकी तो सब ठीक है।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): इस लाचारी के कारण हस्तक्षेप की सीमा को हमने देखा। आज संविधान के अनुच्छेद का उदाहरण दे रहे हैं। व्यवस्थापिका के निर्णयों में न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं कर सकती लेकिन हस्तक्षेप में अतिचार की सीमा को हमने देखा जब देश की पार्लियामेंट के अध्यक्ष महोदय को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने दिया। केवल इस बात पर दिया कि पार्लियामेंट के अध्यक्ष महोदय ने यह कहा कि कानून बनाने का काम पार्लियामेंट का है, कानून की व्याख्या करने का काम सुप्रीम कोर्ट का, अदालत का हो सकता है, कानून कैसे बनेगा यह डिक्टेट करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को नहीं है। हस्तक्षेप की सीमा का आप अंदाजा लगाइये न्यायपालिका के सामने व्यवस्थापिका की लाचारी का कि सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस जारी कर दिया।

(श्री प्रहलाद गुंजल)

(17.15 बजे)

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

मैं इस अवसर पर सोमनाथ चटर्जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि इन्होंने दृढ़ इच्छा शक्ति के आधार पर यह कहा कि मैंने जो स्टेटमेंट जारी किया है, यह पार्लियामेंट के अध्यक्ष की हैसियत से जारी किया है, कोई व्यक्ति की हैसियत से जारी नहीं किया है और पार्लियामेंट के अध्यक्ष की हैसियत से जारी किया हुआ स्टेटमेंट अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आता है तो सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय करने के लिए स्वतंत्र है और पहली बार व्यवस्थापिका के किसी आदमी की दृढ़ इच्छा शक्ति के सामने सुप्रीम कोर्ट को अपना निर्णय बदलना पडा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि किस आधार पर आप फैसला कर रहे हैं, सेठी कमीशन ने छुट्टियां कम करने की सिफारिश की है और आप उल्लेख कर रहे हैं इसके अन्दर उद्देश्य और कारणों का कथन कि अनुच्छेद 235 के उपबंधों के वहां तक विरुद्ध जहां तक वह सिविल न्यायालयों में अवकाशों के कारण बंद रखे जाने वाले दिनों के मामले में राज्य सरकार के हस्तक्षेप को अनुचित समझती है। राज्य सरकार का हस्तक्षेप को अनुचित समझने पर जो इसमें उदाहरण दिया है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने हस्तक्षेप जिस कानून 1950 के तहत है वह कोई मुख्य मंत्री जी का आदेश नहीं है, विधायिका के द्वारा पारित कानून की पालना करने का प्रश्न है इसलिए विधायिका के द्वारा निर्णीत कानून की पालना अगर न्यायपालिका को उसके काम में हस्तक्षेप नजर आता है तो यह हमारी लाचारी और हमारी विधायिका की स्थिति पर एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करती है जिस पर हमको आज विचार करने की आवश्यकता है। विचार करने की, सोचने की आवश्यकता है कि विधायिका के द्वारा पारित कानून जो वर्षों से, दशकों से चला आ रहा है, आज वह कानून न्यायपालिका को अपने अधिकारी क्षेत्र पर अतिचार नजर आने लगा है तो फिर भविष्य में हमको कानून बनाने के बारे में विचार करना पड़ेगा कि हमको कानून सोच-समझकर न्यायपालिका की परमिशन लेकर के बनाने की आवश्यकता है। यह बड़ा मुद्दा मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कई सदस्यों ने लोकल होलीडेज के बारे में कहा। आज आप अधिकार दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को, कोई तकलीफ नहीं है, हम न्यायालय का सम्मान करते हैं, हाई कोर्ट को अधिकार दीजिये। राष्ट्रीय

अवकाश के बारे में उनका ध्यान जा सकता है, स्टेट होलीडेज के बारे में उनका ध्यान जा सकता है लेकिन मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि राजस्थान की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि अलग है, वहां के तीज-त्यौंहार अलग हैं और उन तीज-त्यौंहारों के साथ राजस्थान का आम जन-मानस जुड़ता है। आज बूंदी की कजली तीज ले लीजिये, बारां का ढोल मेला ले लीजिये और कोटा का अनन्त चतुर्दशी का मेला ले लीजिये। आप इस आर्डिनेंस को 27 जुलाई को लेकर के आये और इस आर्डिनेंस के आने के बाद कोटा में अनन्त चतुर्दशी का पर्व मना और उस अनन्त चतुर्दशी के पर्व के रोज कोटा शहर की सड़कों पर चार लाख आदमी होता है। कलक्टर ने छुट्टी घोषित कर दी लेकिन मुवक्किल को न्यायपालिका में जाना पड़ रहा था और कोटा के वकीलों ने यह कहते हुए कि यह कोटा के सांस्कृतिक समारोह के साथ जुडिशियरी की बेइमानी है।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): किसको सुना रहे हो? इनके कान हैं क्या? (व्यवधान) किसको सुना रहे हो?

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): जुडिशियरी के इस फैसले के खिलाफ कोटा के वकीलों ने दो दिन तक हड़ताल की, न्यायपालिका का काम प्रभावित हुआ इसलिए आज हमको इन सारी परिस्थितियों पर विचार करते हुए कि ये स्थानीय स्तर पर हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ आम आदमी जुड़े, उसके साथ इस प्रकार का गतिरोध उत्पन्न हो, हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य जानते हैं, ये कोटा से आने वाले माननीय सदस्य बैठे हैं, अनन्त चतुर्दशी का पर्व मनता है। मैं आज आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूं, जुडिशियल प्रोसेस को आप चलाइये, जेल से मुल्जिमों को ले जाने के लिए जाब्ते की आवश्यकता पड़ती है, थाने का जाब्ता मुल्जिमों को लेकर के जाता है, लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अनन्त चतुर्दशी के रोज कोटा की व्यवस्था को बनाये रखने के लिए 4-4 जिलों की पुलिस का जाब्ता भी कम पड़ता है। आधे शहर में बेरिकेडिग होती है, आधे शहर में ट्रेफिक डाइवर्ट होता है, शहर के अन्दर हाइवे पर सुबह से शाम तक ट्रेफिक की एंट्री बंद कर दी जाती है। इन सारी परिस्थितियों के अन्दर किस प्रकार से हम सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के अधिकार में यह सारी चीजें देकर के हम जनता के प्रति अपने उत्तरदायित्व को किस प्रकार निभा पायेंगे? क्या हम यह महसूस नहीं करते कि वकील समाज का अंग है जो इस प्रकार के सांस्कृतिक समारोह में पार्टिसिपेट करे? क्या मुवक्किल समाज का अंग नहीं है जो बूंदी की कजली

(श्री प्रहलाद गुंजल)

तीज, बारां में ढोल और भादवे की दूज के रोज रामदेवरा में लाखों लोगों की उपस्थिति में जाकर के दर्शन करे? यह क्या जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की नहीं बनती? इन सारे गहन विषयों पर विचार करने के बाद आज राजस्थान की सरकार को इस बिल के मामले में विचार करके निर्णय लेने की आवश्यकता है। हमारी जिम्मेदारी कानून बनाने के साथ-साथ जिस व्यक्ति को केन्द्र में रखकर कानून बनाते समय हमारे केन्द्र में आम आदमी होता है, सारी व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, सब के निर्णयों का कोई केन्द्र बिन्दु है तो आम आदमी है और हमको उस आम आदमी के अधिकार का, हक का, उसके बारे में सारा विचार-विमर्श कर निर्णय लेने की आवश्यकता है कि कहीं हमारे फैसले के कारण उसके सांस्कृतिक राइट्स पर कुठाराघात तो नहीं हो रहा है।

कहीं वह अपने सांस्कृतिक समारोह से, कार्यक्रमों से वंचित रहने की दिशा में तो नहीं बढ़ पा रहा है। यह सारे महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर विचार करके और यह विचार करते हुए कि कमीशन यह कहे कि यह 1950 का अधिनियम, जिसमें आप संशोधन करने जा रहे हैं, यह कोई चीफ मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी का आदेश नहीं है, यह विधायिका का पारित किया हुआ कानून है और विधायिका का पारित किया हुआ कानून अगर न्यायपालिका को अपने अधिकार क्षेत्र में अतिचार अतिक्रमण लगता है तो फिर यह सरकार को विचार करना पड़ेगा, इस असेम्बली को विचार करना पड़ेगा कि हम कानून बनाने के पहले विचार करें कि हम जो कानून का डाइग्राम फ्रेम कर रहे हैं, वह एक सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जज से उसको जंचवाने के लिए भेजें और फिर वहां से जब उस पर मोहर लगकर आये तो फिर विधायिका में उसकी चर्चा हो। इस प्रकार की परम्परा नहीं पड़नी चाहिए और इसलिए मेरा अनुरोध है, सरकार इस बिल को सोच-विचार करके पारित करे जिसमें आम आदमी के हित की चिंता भी निहित हो, ऐसा अनुरोध आपके माध्यम से करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: प्रभारी मंत्रीजी उत्तर देंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही अपनी पूरी बात कहते हुए सदन में यह निवेदन किया था कि इस पूरे संशोधन के पीछे निश्चित रूप से सेठी कमीशन की रिकमण्डेशन्स भी हैं पर जो मंशा है...(व्यवधान) पूरी गर्मी की छुट्टियों में न्यायालय छुट्टी करके

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

चला जाता है, कम से कम आज राजस्थान में उस गरीब आदमी को, जिसका वाद न्यायालय में लम्बित है, उसको मालूम तो पड़े कि किस दिन छुट्टी होगी, किस दिन न्यायालय काम करेगा और सेठी कमीशन ने अपनी सिफारिश में यह कहा है कि न्यायालयों में छुट्टियां कम होनी चाहिए। उन्होंने यह नहीं कहा कि न्यायालयों में छुट्टियां बढ़नी चाहिए इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के लोगों के आज विभिन्न न्यायालयों में मुकदमे लम्बित हैं, उनके हित की बात है और मैंने पहले ही कह दिया कि इसके अन्दर, आज भी संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्दर जो प्रावधान हैं, उनमें आज भी सारी शक्तियां उच्च न्यायालय में निहित करती हैं, इसलिए यह जो एक पुराना आर्डिनेंस, उसमें 26 के अन्दर हम संशोधन लेकर आये हैं, वह वाजिब है, कृपया इसको पारित करवायें।

श्री उपाध्यक्ष: वैसे तो, मंत्रीजी ऐसा है....

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आप खुद वकील हैं।

श्री उपाध्यक्ष: ...अगर हाई कोर्ट कम करना चाहे तो स्टेट उसके अन्दर क्यों दखल करेगी? मतलब आवश्यकता होगी तो दखल करेगी, बाकी अभी उनको क्या दिक्कत आ रही है? स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से उनको यह हटाने के लिए किया जाये कि भाई कोई स्टेट गवर्नमेंट..(व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): मंत्री महोदय, भावना समझ लो पूरे सदन की। आसन की भावना समझ लो, माननीय सदस्यों की भावना समझ लो। (व्यवधान)

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): हाई कोर्ट आपकी बात मानेगा क्या? जो अपना प्रस्ताव पेश कर रहे हो, उसके लिए हाई कोर्ट बाध्य है क्या आपकी बात मानने के लिए? आप छुट्टी कम कर दोगे, हाई कोर्ट मान लेगा क्या उस बात को? इस पर भी विचार करो। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): यह आपको बहुत-बहुत मुबारक, पास करो। यह रिकार्ड पर जाना चाहिए कि माननीय सदस्यों की भावना कैसी है और राठौड़ी कैसे होती है। यह होना चाहिए। (व्यवधान) पास कर देना चाहिए इसको।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी सुन ही नहीं रहे हैं। (व्यवधान) बाकी माननीय सदस्य ऐसा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, तिल का ताड़ बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। मैंने पहले निवेदन किया, उपाध्यक्ष महोदय, आप तो कानूनविद् रहे हैं, आप खुद देख लें इसको, आप आर्टिकल 235 को पढ़ लें और उसके बाद आर्डिनेंस है, उसके सैक्शन 26 को पढ़ लें। कोई है ही नहीं उपाध्यक्ष महोदय, एक विसंगति दूर करनी है और आपने सारी न्यायपालिका की कार्यप्रणाली को डिस्कस कर लिया, मुझे कोई आपत्ति नहीं है और इसमें कोई शक नहीं है कि माननीय सदस्यों ने न्यायपालिका के ऊपर अगर कोई आक्रोश व्यक्त किया है। इस संशोधन के बारे में बात कम हुई है और सारा आक्रोश अगर है तो न्यायपालिका की कार्यप्रणाली पर आक्रोश हो सकता है माननीय सदस्यों का, यह भी सही है कि आज.... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आप बताइये कि भाजपा एन्क्रोचमेंट को सपोर्ट करती है, उस पर बोलिये आप। आप भाजपा के नुमाइन्दे के रूप में क्या राजस्थान सरकार यह मानती है कि आज जुडिशियरी हिन्दुस्तान में कर रही है, वह ठीक कर रही है। एन्डोर्स करिये उसको, करिये एन्डोर्स, करिये उसको, एन्डोर्स करिये उसको। (व्यवधान) एन्डोर्स करिये आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, न तो यह इस बिल के परव्यू में है कि सारी न्यायपालिका की कार्य प्रणाली पर चर्चा कर लें।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): उपाध्यक्ष महोदय, 235 कांस्टीट्यूएशन पढ़ लीजिये। 235 कांस्टीट्यूएशन का प्रोविजन आप पढ़ लीजिये दुबारा इस बात को।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि इसको पारित किया जाये।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): इसका सम्बन्ध छुट्टियों से नहीं है। आज भी हाई कोर्ट को अधिकार है छुट्टियां करने का। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): ...न्याय नहीं मिलता है गरीब व्यक्ति को। गरीब व्यक्ति को न्याय मिले। 10-10 साल तक मुकदमे लम्बित पड़े रहते हैं। न्याय मिलता नहीं है। उसके बाद में आप कानून की बात कर रहे हो।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आज भी हाई कोर्ट को अधिकार है छुट्टियां करने का, यह कहां तकलीफ हो रही है।

श्री उपाध्यक्षः माननीय सदस्य, सदन की भावना है... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): हम कानून कोर्ट के लिए नहीं बना रहे हैं, कानून जनता के लिए बना रहे हैं। जनता के लिए कानून बना रहे हैं, कोर्ट के लिए थोड़े ही बना रहे हैं। यह तो हाई कोर्ट छुट्टियों का करें, इसके लिए कानून थोड़े ही होगा, असेम्बली कानून जनता के लिए बनाती है, कोर्ट के लिए नहीं बनाती है। हम कानून कोर्ट के लिए नहीं बना रहे हैं।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): यह कानून जनता के लिए ही बनाया है और कोर्ट को अधिकार दिया है तो जनता के लिए दिया है। आप पूरी जुडिशियरी पर डिस्कस करना चाहते हैं तो अलग दिन तय कर लीजिये।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): कैसे दिया है, आप बताओ, कैसे?

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): लेकिन इसके अन्दर एक सिम्पल अमेंडमेंट है, इसलिए हर चीज को....

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): प्रोफेसर साहब, बिल का मतलब यही होता है कि पूरे मकान पर डिस्कस करो। बिल का मतलब यही होता है, बिल का मतलब थोड़े ही होता है कि एक पर बोलो। बिल का मतलब होता है पूरे सिस्टम पर डिस्कस करो।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अधिकार केन्द्रीयकृत हो, यह भी आवश्यक नहीं है और चूंकि पहले वाला बिल भी यहां से पास हुआ है इसलिए यह सदन की बीच में वापस संशोधन लेकर मंत्रीजी आये हैं।

श्री उपाध्यक्षः माननीय सदस्य, इस पर काफी चर्चा हो चुकी है। सेठी कमीशन की भी मंशा यही है कि छुट्टियां कम की जाये इसलिए विधायिका के कोई अधिकारों पर इससे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आप क्या बात कर रहे हो, आप कौनसी कर रहे हो? (व्यवधान) ऐसे कौन इंटरफियर करेगा विधायिका में? कौनसा एक्ट करेगा इंटरफियर (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): सरकार को कौनसी आपत्ति है? आप गलत इम्प्रेशन देना चाहते हो कि सरकार छुट्टियां कम नहीं होने देना चाहती।

श्री उपाध्यक्षः माननीय सदस्य, मंशा इसके पीछे यह है कि.... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): कोई मंशा नहीं होती है, कानून तो कानून है। कानून का इंटरप्रिटेशन होता है। कानून बनाने में कोई इंटरप्रिटेशन होता है। मंशा से कानून नहीं चलता है। मंशा क्या होती है? मंशा से कानून थोड़े ही चलता है। मंशा से कानून नहीं चलता है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): इस काले कानून के खिलाफ उपाध्यक्ष महोदय, वोटिंग करवाई जाये। यह रिकार्ड करवायें कि काले कानून के पक्ष में कौन हैं? उपाध्यक्ष महोदय, इस पर वोटिंग करवाई जाये। (व्यवधान) यह डिमांड है हमारी, इस काले कानून के खिलाफ में वोट कराया जाये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2006 को पारित किया जाये।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): रिजेक्ट किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2006 को पारित किया जाये?

(स्वीकृत)

राजस्थान सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2006 को पारित किया गया।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): ना पक्ष जीता। हम डिमांड कर रहे हैं, आप वोटिंग करवाइये। (व्यवधान) ना पक्ष जीता। डिमांड करवाइये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता है।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): ना पक्ष जीता है।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ना पक्ष जीता है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): हां पक्ष जीता है।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): ना पक्ष जीता है। आप वोट करवाइये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): हां पक्ष जीता।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): We demand division. डिवीजन करवाइये। (व्यवधान) डिवीजन करवाइये। डिवीजन करवाइये। डिवीजन करवाइये। ना पक्ष जीता। डिवीजन कराइये उपाध्यक्ष महोदय। डिवीजन कराइये। We demand division. हम डिवीजन की डिमांड करते हैं। आप डिवीजन करवाइये। घंटी बजाइये। आप डिवीजन करवाइये। डिवीजन करवाइये आप। (व्यवधान) डिवीजन करवाइये आप। हम डिमांड करते हैं, आप डिवीजन करवाइये।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): आपके सदस्य नहीं है, इसमें काहे का डिवीजन करवाओगे?

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): हम रिकार्ड पर लाना चाहते हैं कौन पक्ष में हैं, कौन विपक्ष में है? यह रिकार्ड पर देना चाहते हैं, आपको क्या दिक्कत है? यह हमारा अधिकार है वोट मांगने का, डिवीजन कराने का अधिकार है। आप डिवीजन कराइये, रिकार्ड करवाइये, इसमें क्या तकलीफ है?

एक माननीय सदस्य: गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है, उसको आप पास करा रहे हो।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): उपाध्यक्ष महोदय, हम डिवीजन मांगते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, ना पक्ष जीता। हमारा अधिकार है, डिवीजन मांगने का हमारा अधिकार है, You can't refuse it. डिवीजन मांगना हमारा अधिकार है। You can't refuse it. (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आसन की तरफ से जब विधेयक को पारित कर दिया गया है.... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): डिवीजन मांगना हमारा अधिकार है उपाध्यक्ष महोदय। डिवीजन मांगने का हमारा अधिकार है उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आसन की तरफ से पारित कर दिया गया है। (व्यवधान) माननीय श्री कालूलाल गुर्जर, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री, राज्य में बी.पी.एल. परिवारों की घटती संख्या के सम्बन्ध में एक वक्तव्य देंगे। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे काले कानून के विरुद्ध, जिस काले कानून को लाने के लिए आपने राठौड़ी लगाकर इस सरकार को दबाने को जो काम किया है, इसके विरोध में हम वाक आउट करते हैं उपाध्यक्ष महोदय।

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

शासकीय वक्तव्य

बी.पी.एल. परिवारों की घटती संख्या

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, भारत सरकार के दिशा-निर्देश अनुसार प्रत्येक पंचवर्षीय योजना हेतु बी.पी.एल. परिवारों का चयन किया जाकर सूची प्रकाशित की जाती है जिसके आधार पर विभिन्न योजनान्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को लाभान्वित किया जाता है। नवीं पंचवर्षीय योजना हेतु वर्ष 1997 में 20.97 लाख ग्रामीण परिवारों का चयन किया गया था। 10वीं पंचवर्षीय योजना हेतु राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में बी.पी.एल. सेंसस 2002 कराये जाने हेतु भारत सरकार से दिनांक 13.9.2002 को प्राप्त पत्र द्वारा निर्देश प्राप्त हुए थे। पूर्व में गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों का चयन भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार परिवारों की आय एवं व्यय के आधार पर मानकर किया जाता था। भारत सरकार द्वारा सर्वे से पूर्व परिवारों की संख्या निर्धारित नहीं की जाती थी। प्रथम बार योजना आयोग द्वारा नेशनल सैम्पल सर्वे आर्गेनाइजेशन 55वें राउण्ड के उपभोक्ता सर्वेक्षण के आधार पर विभिन्न राज्यों के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की संख्या निर्धारित की यह सर्वे वर्ष 1999-2000 में किया गया था। राज्य में गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों की संख्या 11.01 लाख निर्धारित की गई। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने योजना आयोग के इन अनुमानों को स्वीकार करते हुए राज्य सरकारों को यह निर्देश जारी किये कि बीपीएल सूची 2002 में इस संख्या से अधिक परिवार नहीं होंगे। बीपीएल सेंसस 1997 के अनुसार राजस्थान में 20.97 लाख ग्रामीण परिवारों का चयन किया गया था लेकिन योजना आयोग के नये अनुमानों के तहत इसकी संख्या घटा कर 11.01 लाख ही निर्धारित की गई। तत्कालीन मुख्य मंत्री, राजस्थान सरकार द्वारा भारत सरकार को इस संबंध में अनुरोध किया गया कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों के चयन हेतु संख्या में कमी नहीं की जाय। इस अनुरोध पर भी भारत सरकार द्वारा निर्धारित संख्या को बढ़ा कर पूर्व के बराबर नहीं किया गया। वर्तमान मुख्य मंत्री माननीय वसुंधराजी द्वारा भारत सरकार को पुनः दिनांक 22.6.2004 को पत्र लिखकर यह अनुरोध किया गया कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों की संख्या निर्धारित न की जाय और यदि

(श्री कालूलाल गुर्जर)

निर्धारित की भी जाती है तो इसे 1997 की संख्या से कम नहीं किया जाय। लेकिन भारत सरकार ने अपने पत्र दिनांक 9 अगस्त, 2004 द्वारा इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया और अस्वीकार कर दिया। उपाध्यक्ष महोदय, भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार दसवीं पंचवर्षीय योजना काल वर्ष 2002 से 2007 में बीपीएल परिवारों के चयन हेतु 13 आर्थिक एवं सामाजिक सूचक को आधार बनाते हुए प्रत्येक परिवार को प्रत्येक सूचक हेतु जीरो से चार तथा अधिकतम बावन अंक देते हुए आरोही क्रम में क्रमवार प्रोविजनल सूची वर्ष 2003 में ही तैयार कर ली गई थी। बीपीएल सेंसस 2002 के माध्यम से चयनित बीपीएल परिवारों की सूची का प्रकाशन कार्य भारत सरकार ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित पीयूसीएल बनाम भारत सरकार की रिट याचिका संख्या 196/2001 पर अंतिम निर्णय दिये जाने तक रोक लगा दी थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 5.5.2003 को स्थगन आदेश देते हुए भारत सरकार को निर्देश दिये थे कि बीपीएल सूची 1997 के किसी भी परिवार का नाम बीपीएल सूची से न हटाया जाय। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए बीपीएल परिवारों के चयन की आगे की कार्यवाही रोक दी गई जिससे दिनांक 5.5.2003 से आगे तक कार्यवाही रूकी रही। उपाध्यक्ष महोदय, भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय, खाद्य मंत्रालय व पीयूसीएल के बीच समझौता होने के पश्चात् भारत सरकार ने पूर्व में लगाई गई रोक को हटाते हुए पत्र दिनांक 10.10.2005 द्वारा बीपीएल सेंसस 2002 के माध्यम से सर्वे किये गये परिवारों में से बीपीएल परिवारों के चयन का कार्य तीन-चार माह में सम्पन्न कराकर सूची वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु निर्देश जारी किये। इन निर्देशों के अनुसार सूची को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया दिनांक 25.11.2005 से प्रारम्भ हुई। वर्ष 2003 में सम्पन्न सर्वे में प्राप्त अंकों के आधार पर आरोही क्रम में ग्रामवार तैयार की गई सूची प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर प्रदर्शित की गई, तत्पश्चात् इस सूची पर प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण वार्ड सभा, ग्राम सभा में कराया जाकर आवश्यक संशोधन के साथ सूचियों का अनुमोदन किया गया। ग्राम सभा, वार्ड सभा से अनुमोदन उपरांत भी यदि किसी को इस सूची के संबंध में कोई एतराज था तो इस हेतु दो स्तरीय अपील का प्रावधान रखा गया था। प्रथम अपील उप खण्ड अधिकारी या तहसीलदार एवं द्वितीय अपील जिला कलक्टर को की जा सकती थी। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि सर्वे के दौरान राज्य

(श्री कालूलाल गुर्जर)

सरकार के उच्चाधिकारियों तथा जिला कलक्टर, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, उप खण्ड अधिकारी, तहसीलदार इत्यादि द्वारा भी निर्धारित मानदण्डानुसार सर्वे की टेस्ट चैकिंग का कार्य वर्ष 2003 में किया गया था। बीपीएल परिवारों की भारत सरकार द्वारा पूर्व में निर्धारित संख्या 17.36 लाख के अनुसार सर्वे में प्राप्त अंकों का सर्वे में जीरो से बावन तक अंक कट आफ बिंदु निर्धारित करते हुए बीपीएल परिवारों का चयन किया गया। सर्वे की समस्त सूचनाओं का कम्प्यूटरीकरण किया गया, कट आफ स्कोर गणना के आधार पर अंक बारह व तेरह के बीच आया, अर्थात् बारह अंक प्राप्त करने वाले समस्त परिवारों एवं तेरह अंक प्राप्त करने वाले आंशिक परिवारों का चयन किया गया। राज्य सरकार की इच्छा नहीं थी कि इस सूची को अभी जारी किया जाय क्योंकि वर्ष 2007 में ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना काल हेतु बीपीएल सूची बनाने का कार्य पुनः प्रारम्भ हो जायेगा लेकिन भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव द्वारा दिनांक 29.11.2005 को पत्र लिखकर निर्देशित किया गया कि इंदिरा आवास योजना के तहत बीपीएल सूची 2002 में चयनित व्यक्तियों के अंकों के आधार पर सबसे गरीब व्यक्ति को प्राथमिकता देते हुए स्थायी प्रतीक्षा सूची जारी की जाय और यह कार्य दिनांक 28.2.2006 तक पूरा कर लिया जाय। भारत सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया कि उपरोक्त स्थायी प्रतीक्षा जारी होने के बाद ही 2005-06 हेतु धनराशि आबंटन की जायेगी। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने दिनांक 10.5.2006 को एक पत्र केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री को पुनः लिखा और निवेदन किया कि इंदिरा आवास का आबंटन वर्ष 1997 की बीपीएल सूची के आधार पर कर दिया जाय लेकिन भारत सरकार द्वारा 29.6.2006 को पत्र द्वारा 2006-07 हेतु इंदिरा आवास योजना की स्वीकृति पत्र दिनांक 26.6.2006 को जारी की। इस स्वीकृति में यह शर्त लगा दी कि बीपीएल सूची 2002 के आधार पर स्थायी प्रतीक्षा सूची जारी करने पर ही इस राशि का उपयोग किया जाय। इसलिए राज्य सरकार के सामने दो ही विकल्प थे, या तो, उपाध्यक्ष महोदय, सूची जारी नहीं कर इंदिरा आवास योजना के तहत प्राप्त होने वाली लगभग 70 करोड़ रूपये की अनुदान राशि प्राप्त नहीं की जाय या सूची जारी कर प्राप्त राशि का उपयोग कर लिया जाय। गरीबों के हित में यह आवश्यक समझा गया कि सूची जारी की जाकर इंदिरा आवास का आबंटन पात्र व्यक्तियों को किया जाय। यह निर्णय लेते समय राज्य सरकार ने इस तथ्य को भी ध्यान में रखा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के

(श्री कालूलाल गुर्जर)

निर्णयानुसार बीपीएल सूची 2002 अंतिम नहीं है। भारत सरकार के पत्र दिनांक 23.2.2006 द्वारा दिये गये निदेशानुसार पात्र परिवारों का चयन एवं अपात्र परिवारों को सूची से हटाये जाने की द्विस्तरीय अपील की प्रक्रिया निरन्तर जारी रहेगी। अपील कभी भी की जा सकती है। चयनित सूची में अपील की प्रक्रिया में परिवार की संख्या घट या बढ़ सकती है। भारत सरकार के इन दिशा-निर्देशानुसार जिला कलक्टरों को पत्र दिनांक 1.5.2006 एवं 22.6.2006 द्वारा इस प्रावधान से अवगत करवा दिया गया था। अब पुनः दिनांक 26.9.2006 को अपील की प्रक्रिया निर्धारित करते हुए विस्तृत दिशा-निर्देश और जारी कर दिये हैं। राज्य सरकार ने जिला कलक्टरों को यह भी निर्देश जारी किये हैं कि जिन ग्रामों में वर्ष 1997 की तुलना में नई सूची में तीस प्रतिशत या इससे अधिक का परिवर्तन हुआ है उन गांवों में चयनित परिवार व 1997 की सूची में से चयन से वंचित परिवारों का सर्वे पुनः सत्यापन द्वारा कराया जाकर स्थिति का आकलन कर अंक दिये जायं और इसी आधार पर इनका नाम रखने व हटाने की निर्धारित प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही की जाय। मैं सभी सदस्यों का आह्वान करता हूं कि इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेकर सुनिश्चित करावें कि सिर्फ पात्र व्यक्तियों का ही उसमें चयन हो। इसके लिए सभी माननीय सदस्य अपने-अपने क्षेत्र में, मैं यह चाहूंगा कि आप इसमें सहयोग दें।

उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार का लगातार मत यह रहा है कि राज्य में बीपीएल परिवारों की संख्या 1997 में बीपीएल सेंसस में निर्धारित संख्या 20.97 लाख से कम नहीं होनी चाहिए लेकिन भारत सरकार ने हमारे अनुरोध को नहीं मानते हुए बीपीएल सेंसस 2002 हेतु परिवारों की संख्या 17.36 लाख निर्धारित की जो पिछली सूची के मुकाबले में 3.61 लाख कम है। राज्य सरकार ने निर्णय लिया कि चयनित बीपीएल परिवारों को यथावत 1997 की बीपीएल सूची की संख्या 20.97 लाख तक लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली व बीपीएल मेडिकेयर कार्ड की सुविधा उपलब्ध कराई जाय। चूंकि शहरी क्षेत्र में बीपीएल परिवारों की सख्या बढ़ गई इसलिए भारत सरकार को अतिरिक्त खाद्यान्न आबंटन हेतु अनुरोध किया गया है ताकि ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों को पूर्व में जारी राशन कार्डों की संख्या तक खाद्यान्न की सुविधा मिल सके।

यद्यपि बीपीएल सूची 2002 जारी कर दी गयी है लेकिन बीपीएल

(श्री कालूलाल गुर्जर)

चयनित सूची का प्रकाशन प्रथम बार 15.9.2006 को हुआ है इसलिए यह स्वाभाविक है कि काफी लोग इस सूची के विरुद्ध अपीलें दायर करेंगे जिससे निर्णय के पश्चात इस सूची में पुनः परिवर्तन होगा, इसलिए यह उचित होगा कि दिनांक 15.9.2006 की सूची के आधार पर अपीलों के निस्तारण की प्रतीक्षा किये बगैर राशनकार्ड व बीपीएल मेडिकेयर कार्ड जारी कर दिये जाएं क्योंकि संभव है कि कई अपात्र व्यक्तियों के नाम कटेंगे व पात्र व्यक्तियों के नाम जुड़ेंगे। एक बार कार्ड जारी कर उन्हें पुनः निरस्त करने की पेचीदगियां बढ़ेंगी अतः राज्य सरकार ने निर्णय किया है कि अपीलों का निस्तारण तीन-चार महीने में कराने के पश्चात् ही संशोधित सूची के आधार पर राशनकार्ड व बीपीएल मेडिकेयर कार्ड जारी किये जाएंगे ताकि तब तक इन कार्यों हेतु बीपीएल सूची 1997 की सूची के चयनित व्यक्तियों को यथावत लाभ मिलता रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष: डा. सी. एस. बैद।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): डाक्टर साहब, सारी बात तो आ गयी।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): नहीं सारी बात आयी नहीं, अभी तो शुरूआत है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ...

श्री उपाध्यक्ष: डाक्टर साहब, ये तो सारी बात केन्द्र सरकार के हाथ में चली गई।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): नहीं नहीं, आप ये कैसे निर्णय ले सकते हैं। मेरे को मेरी बात रखने से पहले ही आपने निर्णय सुना दिया।

श्री हरिमोहन शर्मा: आपका सोच बना है कि केन्द्र सरकार ने किया हमको हमारी बात कहने दो, आपका? सोच बदल जाएगी उससे।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): यह कैसे उचित है, आपने बात ही नहीं सुनी। आपने प्रतिपक्ष की बात सुनने से पहले ही अपना निर्णय दे दिया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कुछ ऐसे सनसनीखेज तथ्य प्रस्तुत करना चाहता हूं इस पवित्र सदन के सामने, जिससे सरकार की पिछले कुछ सालों में की गई कारगुजारियां उजागर होंगी। पहली बात मैं बिलकुल पाइंटेड बात कर रहा हूं। केन्दीय सरकार ने दिसम्बर, 2000 के अन्दर अन्त्योदय अन्न योजना की शुरूआत की यह सोचकर शुरूआत की

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

कि अपने देश में रहने वाले वो परिवार, जिनको दो वक्त की रोटी नहीं मिलती उनके लिए कुछ खाने के लिए योजना शुरू की जाए और पूरे देश के अन्दर एक करोड़ परिवारों का चयन किया गया। दिसम्बर, 2000 के अन्दर और अलग-अलग राज्यों को अलग-अलग परिवारों की संख्या का आबंटन करके इसकी शुरूआत की गई। इसका पहला विस्तार हुआ 2003 के अन्दर, जिसमें पचास लाख परिवार और जोड़े गये, दूसरा विस्तार हुआ अगस्त, 2004 के अन्दर, पचास लाख परिवार और जोड़े गये और इसका तीसरा विस्तार हुआ है अपने इस बार बजट में मार्च, 2005 के अन्दर, जिसका आर्डर राज्य सरकार के पास में आया है मई, 2005 में । अब जब ये आर्डर आ गया इस तीसरे विस्तार के अन्दर राज्य सरकार को ये निर्देशित किया गया कि अन्त्योदय अन्न योजना जो सबसे गरीब आदमी के लिए बनी है जिसके अन्दर दो रुपये किलो का गेहूं उस परिवार को पैंतीस किलो गेहूं महीने के अन्दर दिया जाता है ऐसे 1 लाख 94 हजार परिवारों को आप शामिल कर लें ये निर्देश आया। कब आया, मई, 2005 के अन्दर और इन निर्देशों के बावजूद आज तक सोलह महीने हो गये राज्य सरकार ने सिर्फ एक लाख चौंसठ हजार परिवारों को राशन कार्ड इश्यू किये हैं क्योंकि केन्द्र सरकार ने यह कहा था कि जब तक राशन कार्ड नहीं बन जाएंगे तब तक हम ये दो रुपये किलो वाला गेहूं आपको आबंटित नहीं करेंगे। मेरे कहने का मतलब यह है कि राज्य सरकार की लापरवाही से 32 हजार परिवार जो राजस्थान के अन्दर सबसे गरीब हैं, गलती इनकी क्या कि इन्होंने राशन कार्ड नहीं बनाया। राशन कार्ड बनाने में क्या होता है नाम लिखना और ठप्पा लगाना है सरकार का। 32 हजार परिवारों के राशनकार्ड सोलह महीनों से इन्होंने नहीं बनाये जिससे ये सोलह लाख परिवार उसका लाभ उठाने से वंचित रह गये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा अन्त्योदय अन्न योजना के साथ, जिसमें कि काफी कुछ योगदान माननीय उपराष्ट्रपति भैरोंसिंहजी शेखावत का भी है, उसको धत्ता बताते हुए जब तीसरे विस्तार के अन्दर राज्य सरकार को ये निर्देशित किया गया कि जरूरी नहीं है कि आप बीपीएल के अन्दर से ही अन्त्योदय अन्न योजना के परिवारों का चयन करो, आप इसके अलावा भी जो बहुत गरीब लोग हैं, जो बीपीएल में नहीं आते, लेकिन गरीब हैं, जिनकी सूची केन्द्र सरकार ने दी और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के आधार पर दी और जिसमें पांच अलग-अलग कैटेगरी बनायी और ये भी निर्देशित किया कि गैर बीपीएल

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

परिवार, जो इनमें से किसी भी श्रेणी में आते हों, उनको भी आप अन्त्योदय अन्न योजना से लाभान्वित कर सकते हैं। ये सूची बनायी एजेड की, इलफोर्म्ड की, डिसएबल्ड की, डेस्टीट्यूट की, विडोज की, सिंगल वूमेन की, ओल्ड परसन्स की और ऐसे लोगों की ये पांच कैटेगरी इन्होंने तय करके सूची बनायी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है जिससे कि केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को ये निर्देश दिये। इन्होंने इस आदेश की पालना करते हुए 16.6.2005 को एक सर्कुलर निकाला और जिला प्रशासन को ये कहा कि अन्त्योदय अन्न योजना के अन्तर्गत गैर बीपीएल गरीब परिवारों को भी आप इसमें शामिल कर लें और इसके तहत पचास हजार से ज्यादा परिवारों का चयन पूरे राज्य में कर लिया गया बड़ी अच्छी बात है। केन्द्र सरकार के डाइरेक्शन थे ये सुप्रीम कोर्ट के डाइरेक्शन थे। केन्द्र सरकार का निर्देश था सब्सिडाइज्ड ग्रेन्स दे रहे थे आपने इस योजना को लागू कर दिया। अब इन्होंने दूसरी सबसे बड़ी गलती ये की कि 17 फरवरी, 2006 को इन्होंने दूसरा सर्कुलर निकाला जो सारे जिला कलक्टर्स को सर्कुलेट किया गया कि इन पचास हजार परिवारों को, जिनको 16.6.2005 के ऑर्डर के तहत आपने शामिल कर लिया है, उनको पुनः यह सुविधा देने से बेदखल कर दिया जाए। इस प्रकार ये पचास हजार परिवार और बत्तीस हजार परिवार, वो जिनका आप राशनकार्ड नहीं बना पाए, कुल बियासी हजार परिवार और राजस्थान में एक परिवार में सदस्यों की संख्या मानी गयी है 6 तकरीबन पौने दो लाख लोगों को आपने इस सुविधा से वंचित कर दिया। मैं माननीय मंत्रीजी से चाहूंगा कि इन दो सवालों का जवाब...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): पाइंटेड सवाल कराओ उपाध्यक्ष महोदय।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): पाइंटेड सवाल है इससे ज्यादा पाइंटेड सवाल और नहीं हो सकता।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ये सवाल आपको डिसअपाइंट कर रहा है तो उसका हमारे पास क्या इलाज है। हर सवाल आपको प्लीज करे यह जरूरी है क्या।

श्री उपाध्यक्ष: वो पाइंटेड कर रहे हैं। आ गये, कंक्लूजन पर आ गये।

श्री हरिमोहन शर्मा: कंक्लूजन पर तो सरकार आ रही है, समझ नहीं रही है उनकी बात को जानबूझकर।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): इन पचास हजार परिवारों को इन्होंने

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

गैर बीपीएल की कैटेगरी में से शामिल किया था। राज्य सरकार का ये दायित्व भी बनता है कि समाज की सबसे अंतिम पंक्ति में खड़े हुए ये लोग इनका मेडिकल रिलीफ कार्ड भी बनवायें। इन लोगों का मेडिकल रिलीफ कार्ड आज तक नहीं बनवाया गया। इन पचास हजार परिवारों के मेडिकल रिलीफ कार्ड नहीं बनवाये गये। इन 6-7 महीने के अन्दर, तकरीबन 8 महीने हो गये, 8 महीने के अन्दर इन परिवारों में से किसी की मौत हो गयी मेडिकल फैसेलिटी के अभाव में तो उसका कौन जिम्मेदार है? उसकी जिम्मेदार ये सरकार है। दूसरा जो लोग बीमार हो गये मैं यह मांग करता हूं सरकार से कि गलती सरकार की है इन्होंने मेडिकल रिलीफ कार्ड नहीं बनाया तो इन आठ महीनों में इनमें से कोई भी परिवार अगर ये प्रमाण प्रस्तुत करता है कि साहब, हमने इलाज करवाया और हमारे पास प्रमाण है कि हमने इलाज करवाया, उनके मेडिकल बिल का पैसा रिअम्बर्स किया जाना चाहिए। एक तरफ मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिस योजना के शुरूआत करने में राजस्थान का काफी योगदान है तीन साल बाद माननीय मुख्यमंत्री जी को अभी सात दिन पहले अन्त्योदय अन्न योजना का ख्याल आया और उन्होंने पहला स्टेटमेंट दिया है पिछले तीन साल के अन्दर कि हम अन्त्योदय अन्न योजना को चालू रखेंगे और चालू कैसे रखेंगे इन बियासी हजार परिवारों को वंचित करके चालू रखेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हम गरीब को गणेश मानकर उसकी पूजा करते हैं। आपने गरीब को गणेश तो माना लेकिन उस गणेश के पेट पर आपने लात मारी।

दूसरा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार के सूचना एवं जन सम्पर्क माननीय मंत्रीजी ने एक स्टेटमेंट दिया जो कि पेपर में भी और जो इन्टरनेट पर भी आया। इसमें पंचायत राज व ग्रामीण विकास मंत्री कालूलाल गुर्जर ने कहा कि केन्द्र सरकार की वजह से राज्य में गरीबी की सीमा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों का चयन राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप नहीं होकर कम हुआ है। यह कहा है इन्होंने। मैंने अंडर लाइन कर रखा है माननीय मंत्रीजी, आप ध्यान से सुनना आप। राज्य सरकार ने प्रदेश के गरीब तबके के हितों को ध्यान में रखते हुए 1997 के बीपीएल कार्ड धारकों के लिये भी मेडिकल और टीडीएस योजना के अंतर्गत मिलने वाले गेहूं की सुविधाएं चालू रखी हैं। इसका मैं आपसे स्पष्टीकरण चाहूंगा कि आप नई सूची लागू करोगे या 1997 का जो इसमें

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

लिख रखा है गेहूं वितरण का, वही आप चालू करोगे। उपाध्यक्ष महोदय, अब यह बीपीएल की सूची के चयन के लिये कहते हैं कि केन्द्र सरकार इसके लिये जिम्मेदार है। पहले ग्रामीण राजस्थान में बीपीएल की संख्या थी 20.97 लाख। उसको घटाकर वर्तमान सरकार ने कर दी 17.36 लाख। अब यह जो संख्या कम की, इसका कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि केन्द्र सरकार यह कहती है कि प्लानिंग कमीशन के ऊपर आधारित हम आपको रूरल डवलपमेंट के लिये जो पैसा उपलब्ध करायेंगे, वह 17.34 लाख परिवारों के हिसाब से करायेंगे। साथ में वह यह भी कहते हैं कि जो अन्न हम आपको दे रहे थे उस अन्न की मात्रा कम नहीं करेंगे। इसमें आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। वह केन्द्र सरकार ने सुओमोटो कहा है कि हम आपको जो अन्न दे रहे थे, वह कम नहीं करेंगें। लेकिन इसमें राज्य सरकार के ऊपर इस तरह की कोई पाबंदी नहीं थी कि वह बीपीएल के परिवारों की संख्या को कम करें। आप यह कहकर अपना पिंड नहीं छुड़ा सकते कि केन्द्र सरकार के निर्देशों के आधार पर हमने इसको कम किया। आप मेरे को बताइए दूसरे राज्यों में क्या हो रहा है। मध्य प्रदेश में क्या हुआ, गुजरात में क्या हुआ, वेस्ट बंगाल में क्या हुआ, तमिलनाडु में क्या हुआ? आन्ध्र प्रदेश में प्लानिंग कमीशन यह कहता है कि आप के यहां बीपीएल परिवारों की संख्या 41 लाख है। लेकिन आन्ध्र प्रदेश ने कहा कि हम आपके हिसाब से आप जो हमको सुविधाएं उपलब्ध कराना चाहते हैं वह 41 लाख परिवारों के हिसाब से करायेंगे। लेकिन हमने जो हमारी सूची बनाई है उसमें बीपीएल परिवारों की संख्या 1 करोड 21 लाख है। गुजरात ने भी ऐसे ही किया। मध्य प्रदेश ने भी ऐसे ही किया क्योंकि केन्द्र से मिलने वाली सुविधाओं के अलावा इन सारे राज्यों ने गरीबों के हितों का ध्यान रखते हुए राज्य के संसाधनों को जुटा कर सब्सीडाइज्ड ग्रेन्स और दूसरी सुविधाएं गरीब लोगों को उपलब्ध कराई। लेकिन राज्य सरकार ने जान-बूझ कर केन्द्र सरकार के ऊपर ठीकरा फोड़ कर यह प्रदर्शित करने का प्रयास किया कि केन्द्र सरकार के कारण हम संख्या कम कर रहे हैं। जब केन्द्र सरकार के कारण कम कर रहे हैं तो अपने पड़ौसी राज्यों में बीपीएल परिवारों की संख्या क्यों नहीं कम हुई?

दूसरी बात बीपीएल की संख्या कम करने में इन्होंने इस चीज का भी ध्यान नहीं रखा ऐसे एरियाज, माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी सामने बैठे हैं, चूरू में पिछले 8 सालों से अकाल पड रहा है और उसके बावजूद वहां पर

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

11 हजार बीपीएल की संख्या कम कर दी जिसका कोई औचित्य नहीं है। ऐसे ऐसे-जिले जहां लगातार अकाल पड़ रहा है वहां बीपीएल की संख्या कम हो गई। ऐसे एरिया जिनको वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि यह राज्य के सबसे गरीब जिले हैं और इनमें डीपीआईपी की स्कीम चालू की जाये उन जिलों में बीपीएल की संख्या कम कर दी। राजस्थान के ऐसे जिले, जहां माननीय मुख्य मंत्रीजी एक बार नहीं अनेकों बार दौरा कर के आई, ट्राइबल एरिया है, खाली पोलेटिकल मोटिवेशन के लिये, लेकिन वहां भी बीपीएल के परिवारों की संख्या कम कर दी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह सर्वे कब हुआ, यह भी बता दो आप । यह 2003 का सर्वे है, यह पाप आपने ही किया है ।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप सुन तो लो । आपने कम तो कर ही दी है लेकिन सुन तो लो ।

एक माननीय सदस्य: आज तक चल रहा था यह तो, आपने ग्राम सभा में पास कराया है इसको तो ।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): हां सब हमारे ऊपर ही है लेकिन सज़ा आपको मिलेगी यह नोट कर लेना आप मेरी बात । क्योंकि जो स्थितियां बन रही है आपके प्रभारी मंत्रियों से पूछ लो ...(व्यवधान)

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): गांव में कोई नेता घुस नहीं पायेगा चाहे राजस्थान सरकार हो, चाहे भारत सरकार हो, यह आरोप प्रत्यारोप लगा कर गरीबों के साथ जो अन्याय हो रहा है इसके लिये गांव-गांव में ढोल बजेंगे और मैं कह रहा हूं कि उदयपुर संभाग में सबसे ज्यादा आदिवासी रहते हैं, खुद के झोपड़े बनाकर रहते हैं वह सबसे ज्यादा प्रभावित है ।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): सारी प्रक्रिया आपके टाइम में हुई है और सारी सज़ा आपको मिलेगी किसी मुगालते में मत रहना, सज़ा आप लोगों को मिलेगी। आपने इस राजस्थान के गरीबों के साथ अन्याय किया है। (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): 2002 में यह सर्वे हुआ और मैं आज दावे के साथ कहता हूं...(व्यवधान) वहां पर गांव-गांव, ढाणी-ढाणी ढोल बजेंगे, एक भी मंत्री वह चाहे भारत सरकार का हो या राजस्थान सरकार का हो, वहां घुस नहीं पायेगा यह स्थिति बनेगी। सबसे ज्यादा आदिवासियों के साथ

(श्री जीतमल खांट)

धोखाधडी करने का काम किया है। मैं चाहता हूं कि 2002 का जो सर्वे हुआ है उसके मुताबिक भारत सरकार हो चाहे राजस्थान सरकार हो गरीबों के साथ हुए अन्याय को नहीं रोका गया तो गांव-गांव ढोल बजेंगे और कोई भी मंत्री उन गांवों में नहीं घुस सकता है। आज 60 साल बाद भी उन आदिवासियों के पास सर छिपाने के लिये छत नहीं है। आज भी उनको दो टाइम की रोटी नहीं मिल रही है। उन लोगों के साथ में बहुत बड़ा अन्याय हुआ है और इस अन्याय को अगर समय रहते नहीं संभाला गया तो पूरे आदिवासी इलाके में ढोल बजाने का काम करेंगे, वहां कोई भी घुस नहीं पायेगा यह हालत बिगड़ेगी और कानून व्यवस्था बिगडेगी यह मैं इस सदन के सामने कह रहा हूं । (व्यवधान) पहली ड्यूटी बनती है भारत सरकार हमारी सरकार है भारत सरकार क्यों नहीं मदद कर रही है, क्या कारण है क्या हम इस देश के नहीं हैं, हम इस क्षेत्र के नहीं हैं क्या, हम वोट नहीं देते हैं क्या, क्यों इस तरह का भेदभाव किया जा रहा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, यह 2002 का सेंसस है और यह फोटो अशोकजी गहलोत का है। संदेश और दे रहे हैं। संदेश दे रहे हैं कि मुझे जानकर प्रसन्नता है कि राज्य में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 10वीं पंच वर्षीय योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न योजनाओं का सर्वे हो रहा है और सर्वे उन्हीं मापदण्डों के अनुसार हो रहा है जो भारत सरकार द्वारा दिये गये । यह अशोकजी गहलोत रहे, लो यह अशोकजी गहलोत लो।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप ग्रामीण विकास मंत्रीजी को इंकोम्पीटेंट मानते हो क्या? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य इसमें इतनी लंबी बहस नहीं।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): उपाध्यक्ष महोदय, आप मुझे बोलने तो दो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, देखो कितने मुस्करा रहे हैं राजस्थान के गरीब के साथ अन्याय कर के यह अशोक जी गहलोत, देखो किस तरह मुस्करा रहे हैं । यह 2002 का बीपीएल सेंसस रहा । हमारे ऊपर बात कर रहे हो । गुनाह आप करो और सज़ा दूसरे को दो।

श्री अमराराम (धोद): इनको तो सज़ा मिल गई अब आपको मिलनी

(श्री अमराराम)

है। जिनकी फोटो दिखा रहे हो इनको तो सज़ा मिल गई है अब तो आपको सज़ा मिलनी बाकी है।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): यह लागू होने के बाद पहला चुनाव आयेगा पहले सज़ा इसकी वजह से नहीं मिली है । चुनाव अब आयेगा इसके बाद में इसको लागू होने के बाद फिर सज़ा मिलेगी ।

श्री अमराराम (धोद): अब तो सज़ा आपको भोगनी है ।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आपको तो परमानेंट सज़ा दे रखी है आप तो कभी एक से दो ही नहीं आये और न कभी आओगे।

श्री अमराराम (धोद): आ जायेंगे और आपका सफाया कर के आयेंगे। हम तो एक तो हैं, हम जहां हैं वहां आप एक भी नहीं हो । जहां हम हैं वहां आपका बीज उगा ही नहीं आज तक ।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे बहुत ही विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं।

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (केसरीसिंहपुर): उपाध्यक्ष महोदय, 2002 में सर्वे हुआ जब इनकी सरकार थी इन्होंने अपने पसंदीदा कर्मचारी लगाकर और कांग्रेस के लोगों का उसमें चयन करवाया और उनको जानबूझ कर नंबर ज्यादा दिये गये। इस प्रकार से जो वास्तव में पात्र लोग थे वह इस कारण से छूटे और अपना पाप यह राज्य सरकार पर थोपने की कोशिश कर रहे हैं । (व्यवधान)

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं कनक्लूड कर रहा हूं, मुझे कनक्लूड तो करने दें आप। (व्यवधान) मैं आपके माध्यम से बहुत ही विनम्रता से यह निवेदन करना चाहता हूं कि अभी जो मंत्रीजी ने वक्तव्य दिया वह सामने बैठे दो मंत्री साहेबान ने ध्यान से नहीं सुना। उन्होंने बताया कि सर्वे कब हुआ, ग्राम सभाएं कब हुईं, यह भी बोलो आप ग्राम सभाएं कब हुईं, फाइनल चयन उनका कब हुआ, लिस्ट कब जारी की गई? यह इनमें से कोई नहीं बोला । ग्राम सभा कब हुई, इनसे पूछ लेना आप ।

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (केसरीसिंहपुर): माननीय विधायक महोदय, उस समय आपने नंबर ज्यादा दे दिये थे । उपाध्यक्ष महोदय, मैं गंगानगर पंचायत समिति का एक उदाहरण बताना चाहता हूं कि उस समय इनके राज में एक

(डा. ओ. पी. महेन्द्रा)

प्रभावशाली केबिनेट मंत्री थे। उन्होंने अपने हिसाब से सर्वे करवा कर गंगानगर जिले में एससी की सबसे ज्यादा संख्या केसरीसिंहपुर विधान सभा क्षेत्र में है और बीपीएल सूची में इनके इस कृत्य के कारण से बीपीएल परिवारों में जनरल कास्ट की संख्या बढ़ी है और एससी की संख्या कम हुई है यह राजस्थान का पहला उदाहरण होगा। इस प्रकार से उस मंत्री ने सूची में हस्तक्षेप कर के ज्यादा नंबर उन लोगों को दिलाकर इनको वंचित रखा। यह पाप आप लोगों ने किया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, अब यह पूरी पोल खुलवाना चाहते हैं। मुझे मालूम नहीं था कि अशोकजी गहलोत से आपकी अनबन हो गई। यह मैं रख रहा हूं। यह चयन सूचियों का प्रकाशन करके सभी संबंधित कार्यालय में सूचित करना 31.10.2003 और गणकों के द्वारा सर्वे कार्य की अनुसूची अ और ब की सूचनाएं भरना 15.7.2003 से 31.8.2003 और सर्वे कर के यह सारा का सारा 1.9.2003 से 20.9.2003, मतलब करे यह, और बात हमारे ऊपर करें।...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): सप्लीमैंट्री मंगा लो। दो कागज भूल गये, मंगा लो वह भी। दो कागज सप्लीमैंट्री है वह भी मंगा लो, ध्यान आ जाएगा।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): हम ही थे, सब कुछ हम ही थे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सारा कुकर्म यह रिकार्ड कह रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह रिकार्ड कह रहा है। यह कह रहे थे न ग्राम सभाएं कब हुई? ग्राम सभाएं उनके नाम पर हुई। झूठे नाम इन्होंने दर्ज करवाये। पात्र व्यक्ति इन्होंने छोड़े। अमीर आदमियों के नाम सूची में दर्ज करवाये।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): यह रिकार्ड तो कह रहा है। ग्राम सभाएं कब हुई ? उनका अनुमोदन कब हुआ? सूचना जारी कब की गयी? ... (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप मना करो अब उनको तो ... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आप यह ग्राम सभा ठीक करवा देना। हमने जो किया आप तीन साल से क्या कर रहे थे? तीन साल तक आप क्या कर रहे थे? तीन साल में ठीक करते। किसी ने रोका था क्या? क्यों नहीं किया?...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आपने इनका नाम लिया था, यह आपकी बिना इजाजत के बोल रहे हैं और फिर आप कहेंगे कि आप कम बोलना। उनको तो रोको जो बिना नाम के ही बोल रहे हैं। कैसे बोले यह राठौड़ साहब, कैसे बोले, बीच में खड़े हुए हैं। ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: यह आपके ध्यान में ला रहे हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आपने क्या किया? आपने रोका क्या उनको?

श्री उपाध्यक्ष: यह कोई इम्पोर्टेण्ट चीज बता रहे हैं। ... (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): नहीं-नहीं, यह कोई पालिटिकल तरीका नहीं है। इम्पार्शयल तरीका रखो आप। ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: रिकार्ड के ऊपर आपका ध्यान दिला रहे थे।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): नहीं-नहीं, पालिटिकल नहीं। आपने आते ही कह दिया कि केन्द्र सरकार ने किया। आप नहीं कह सकते। आप वहां बैठे हो। आप कण्ट्रोल करो ठीक प्रकार से। ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैदजी, कनक्लूड करिये। यह बोल रहे हैं।

श्री जयराम जाटव (खैरथल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय,... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, बीच में नहीं। यह पूरा कर रहे हैं। थोड़ा आप बिराजिये। ... (व्यवधान) आपका टर्न आये जब आप बोल लेना। बोल लेना।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट में कनक्लूड कर दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: बैदजी, बहुत कह दिया।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): पहली बात तो यह निर्धारित की जाए कि इन सूचियों के लिए ग्राम सभाएं कब हुई? उनका अनुमोदन कब हुआ? सूचियां कब जारी की गयीं? साथ में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इन सूचियों में, आज की तारीख में फाइनेंशियल एक्सप्रेस में जो स्टेटमेंट आया है सबसे ज्यादा उन लोगों के नाम कटे हैं, जो शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब के हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह आपने किया है। आपने किया है।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): जानबूझकर उनके नाम काटे गये हैं और मैं साथ में यह भी कहना चाहता हूं, माननीय मंत्रीजी ने यह कहा कि तीन-चार महीने बाद नयी सूचियों को जारी किया जाएगा। उनके मेडिकल रिलीफ कार्ड बनाये जाएंगे तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित डाइरेक्शन का वायलेशन करेंगे? सुप्रीम कोर्ट यह कहता है कि इन सूचियों में तब तक परिवर्तन जारी रखा जाए जब तक कि इसके बाद वाली नई सूचियां जारी नहीं कर दी जाए। मैं आपके माध्यम से यह भी अनुरोध करना चाहता हूं कि यह जो कट आफ की लाइन बनायी है, इसमें तय करने का सम्पूर्ण अधिकार राज्य सरकार को था। इन्होंने जानबूझकर 13 पाइंट पर,... (व्यवधान) इसीलिए बनायी कि जिससे कि बी.पी.एल.के ग्रामीण परिवारों को संख्या में बढ़ोतरी होने की जगह कम हो जाए। मैं इस पवित्र सदन के माध्यम से विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं कि राज्य सरकार गरीबों के हितों का ध्यान रखते हुए, गरीब को गणेश मानते हुए बी.पी.एल. में जो संख्या आपने घटायी है, आप उसे पुन: बढ़ायें। अपने पड़ोसी राज्यों से शिक्षा लेकर बढ़ायें। आप द्वारा शासित जो राज्य है, गुजरात और मध्यप्रदेश में, वहां से आप जानकारी लें। वहां भी बी.पी.एल. परिवारों की संख्या बढ़ाकर घोषित की है और अन्त्योदय अन्न योजना में जो भी अधिकारी दोषी है, इन 82 हजार परिवारों को इसका लाभ दिलाने के लिए और मंत्रीजी मैं आपसे यह मांग करता हूं कि यह जो घोर लापरवाही हुई है, 82 हजार परिवारों को आपने गेहूं नहीं दिया अन्त्योदय अन्न योजना का। आप कृपा करके अपनी गलती मानें और इस्तीफा दें कि भाई मेरे से गलती हो गयी। मैं इनको अन्न नहीं दे पाया। आपने मुझे समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे भी तीन-चार सवाल हैं।...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: श्री हरिमोहन शर्मा। जिनके नाम पहले आये हैं, श्री हरिमोहन शर्मा। शार्ट में।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सारे बी.पी.एल. ...(व्यवधान)

श्री जयराम जाटव (खैरथल): एक मिनट बोलूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा।...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, बीच में नहीं। थोड़ा ठहरिये। इनको कहने दीजिए। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): हां, बैठो तो सही। बाद में बोल लेना।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): मेरा भी है।

श्री जयराम जाटव (खैरथल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बी.पी.एल. परिवारों के लिए सर्वे की बात चल रही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इन कांग्रेस के माननीय विधायकों को इस बात के लिए कि ढाई साल से देख रहा हूं मैं, जब भी हाउस चला है, इनको गरीबों की चिन्ता है, अनुसूचित जाति के लोगों की चिन्ता है। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): मैं बोलूंगा या वे बोलेंगे, साहब?

श्री जयराम जाटव (खैरथल): अनुसूचित जनजाति के लोगों की चिन्ता है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री जयराम जाटव (खैरथल): जब यह राज में थे पांच साल तक जब कोई चिन्ता नहीं थी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: वह छोड़िये आप। (व्यवधान)

श्री जयराम जाटव (खैरथल): कार्मिक विभाग का प्रश्न आता है, जब इनको चिन्ता अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों की होती है। यह गरीबों के मसीहा, इनके अलावा और कोई पार्टी के लोग नहीं है। आज पांच साल में अब इनको चिन्ता हुई है। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): अब यह क्या व्यवस्था है साहब? वे बोलेंगे या मैं बोलूंगा? (व्यवधान)

श्री जयराम जाटव (खैरथल): सारी शिक्षा देने का, गुरु दक्षिणा देने का, इनके अलावा और किसी का काम नहीं है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, नहीं, आप नहीं बोलेंगे। (व्यवधान)

श्री जयराम जाटव (खैरथल): यहां जो बी.पी.एल. की सूची, बनी इसका कब सर्वे हुआ? 2000 में, वह पता है लेकिन खुद को नसीहत ... (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): व्यवस्था बदल दी क्या साहब?

श्री जयराम जाटव (खैरथल): खुद को फजीहत और दूसरों को नसीहत देना चाहते हैं यह गरीबों को। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री जयराम जाटव (खैरथल): यह गरीबों, अनुसूचित जाति, जनजाति का जो एजुकेशन का मामला था, वहां पर इतनी दुहाई दे रहे थे, कह रहे थे कि पैराटीचर्स का मामला आता है, उसकी दुहाई देते हैं। ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, यह जनरल बात है। आप भाषण नहीं दें। माननीय सदस्य, अपना स्थान ग्रहण करो।

श्री जयराम जाटव (खैरथल): मैं बी.पी.एल. की बात कह रहा हूं। आज जो घोषणा हुई, बी.पी.एल. का जो चयन हुआ। ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): बोलना तो मुझे था और ... (व्यवधान) कोई स्पेशल बात कहें। आपने बोलने के लिए तो मेरा नाम पुकारा है।

श्री उपाध्यक्ष: अब अंकित नहीं होगा इनका। माननीय सदस्य।

श्री जयराम जाटव (खैरथल): ×××

श्री उपाध्यक्ष: वह इनको दे दें आप। माननीय सदस्य।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): व्यवस्था बदल दी क्या, साहब आपने? मुझे बोलना है या उनको बोलना है?

श्री उपाध्यक्ष: आप स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री जयराम जाटव (खैरथल): ×××

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आपका क्या लेना-देना है गरीबों से?

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। माननीय शर्माजी, प्लीज।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप मेरी बात सुन लीजिए। इर्रेलेवेंट बात बोलूं तो आप मुझे रोक देना । ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: मैं आपकी बात सुन लूंगा।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): इर्रेलेवेंट बोलूं तो आप रोक देना।

श्री उपाध्यक्ष: मैं सुन लूंगा आपकी बात। आपको कोई स्पेसिफिक बात पूछना हो तो पूछ सकते हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): हां, बिलकुल स्पेसिफिक।

श्री उपाध्यक्ष: भाषण बैदजी ने दे दिया है। ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): हां-हां, आपकी इच्छा के अनुसार ही काम करेंगे। माननीय, यह बात पहले तय हो गयी थी, स्पीकर साहब ने कहा था कि प्रश्न नहीं, अपनी बात कहेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा लगता है कि हम बी.पी.एल. परिवारों के चयन और नहीं चयन के मामले में उन

(श्री हरिमोहन शर्मा)

गरीब लोगों का हित तो अपने दिमाग में नहीं रख रहे और हम अपने-अपने ढंग से राजनीति करना चाहते हैं। आपका उद्देश्य राजनीति नहीं...(व्यवधान) आप सुनो तो सही, आप सुनो ही नहीं, उससे पहले ही कह दो। ...(व्यवधान) हमको राजनीति नहीं करके वास्तविक तथ्यों का यह पता लगाना चाहिए कि जिन गरीब लोगों के साथ अन्याय हुआ है वह क्यों हुआ है? कैसे हुआ है और किसकी जिम्मेदारी है और अब हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): दोषी कौन है? कौन दोषी है इसमें? यह जोड़ दो। यह भी जोड़ दो कि दोषी कौन है?

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): वही बता रहा हूं मैं आपको। मैं आपको वही बता रहा हूं। अभी एक चर्चा का विषय बना कि केन्द्र सरकार के निर्देशानुसार इन्होंने संख्या निर्धारित की, उस संख्या निर्धारित करने के... (व्यवधान)

श्री भवानी सिंह राजावत (संसदीय सचिव): मैं यह कहना चाहता हूं, अन्याय किसने किया है, यह रिकार्ड बोल रहा है। 01.09.2003 से... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): उस वक्त के प्रधान मंत्री कौन थे, याद कर लेना आप। याद है या नहीं है? भारत के प्रधान मंत्री कौन थे?

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): यह मंत्रीजी बनेंगे, तब यह कागज इनको पकड़ा दो। ...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): वह दे देंगे।

श्री भवानी सिंह राजावत (संसदीय सचिव): मैं आपको यह बताना चाहता हूं ...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): भारत के प्रधान मंत्री कौन थे और किस पार्टी के थे याद है या नहीं यह अपने को?

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): मेरे प्रश्नों का जवाब दिलवाइये, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। ...(व्यवधान)

श्री भवानी सिंह राजावत (संसदीय सचिव): ... (व्यवधान) परिवारों से सम्पर्क करके आवश्यकतानुसार संशोधन करना, कम्प्यूटर में डाटा एण्ट्री करके ... (व्यवधान)

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): आप लेट आये हो, आपने मंत्रीजी की बात नहीं सुनी है। ... (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आपके बस का रोग नहीं है उनको समझना। वह भी बोलूंगा मैं। ...(व्यवधान) जो डाइरेक्शन है, वह भी बोलूंगा।

श्री भवानी सिंह राजावत (संसदीय सचिव): ओरिजनल सूची बनाना और उसका संबंधित ग्राम से ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आपके बस का रोग नहीं है, उनको समझाना। आप यह छबकलेदार क़मीज़ पहनते हैं और रंगीन टोपी लगाकर घूमते रहो और बात से मतलब नहीं है ...(व्यवधान)

श्री भवानी सिंह राजावत (संसदीय सचिव): ग्राम पंचायत कार्यालयों से...(व्यवधान) एवं ग्राम सभा से अनुमोदन करवाना, ग्राम सभा से अनुमोदित सूचियों को संबंधित राजस्व ग्राम एवं ग्राम पंचायत कार्यालयों में चस्पा करना, यह किसने किया, यह आपने किया। अन्याय किसने किया?... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): तारीख बताना।

श्री भवानी सिंह राजावत (संसदीय सचिव): तारीख है 1.9.2003 से 20.9.2003 तक की है। किस का राज था?

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): अब आप विराज जाओ। यह बात गरीब से संबंधित है। हां-हां, आपका नहीं है। आपकी स्टाइल और है काम करने की, गरीबों से कोई लेना-देना नहीं है।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह पढ़ क्या रहे हैं? कुछ पता ही नहीं है। किताब ले आये कहीं से उठाकर।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह...(व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): वाह भवानीसिंहजी, आपके नॉलेज की बहुत ही मतलब ...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): जब ही आप डी.पी.आर. मिनिस्टर हो। आपके पास सही किताब आयी है। सही डी.पी.आर. मिनिस्टर हो आप। ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम इस विषय की गम्भीरता को अपने-अपने ढंग से कम करने की ओर जा रहे हैं। मेरा सदन के सभी सदस्यों से विनम्र अनुरोध है, प्रार्थना है कि एक ऐसा ज्वलन्त मसला है चाहे आप हों चाहे हम हों, गांव में नहीं घुस पाओगे और कोई चैलेंज देकर कहता है मैं दौरा करवाता हूं कि हम घुस पाये कि नहीं घुस

(श्री हरिमोहन शर्मा)

पाये। आप इस बात को गंभीरता से लें। अभी-अभी आपने जैसा स्टेटमेंट दिया कि केन्द्र सरकार के दिशा-निर्देश आये थे इसलिए हमने इनको कम कर दिया। केन्द्र सरकार के यह तो दिशा-निर्देश नहीं थे कि आप तीन-चार लाख परिवारों को ग्रामीण क्षेत्र से कम कर दो और शहरी क्षेत्र में बढ़ा दो, यह भी केन्द्र का निर्देश था क्या ? आपने ग्रामीण क्षेत्र में 3 लाख 60 हजार आदमियों को कम किया है और शहरी क्षेत्र में जहां एक लाख 80 हजार थे, आपने 4 लाख 80 हजार करके वहां 3 लाख बढ़ा दिये तो उन्होंने यह भी कहा होगा कि नहीं हमारे निर्देश हैं कि शहरी क्षेत्र में तो गरीबी बढ़ गयी इसलिए वह तो बढ़ाओ और ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी घट गयी इसलिये वहां से काट दो। यह भी केन्द्र सरकार का निर्देश होगा। मान्यवर, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं आप उस पर गौर फरमा लें। आपने कहा था बूंदी जिले में जगह-जगह पर आज ग्राम सभाएं हुई और ग्राम सभाओं में जिला स्तर पर प्रभारी अधिकारी लगे, जिले से आदमी की नियुक्ति की गयी। बूंदी जिले की चारों पंचायत समितियों में एक भी ग्राम पंचायत ऐसी नहीं कि जहां लोगों ने अपना नाम कम करवाने की प्रार्थना की। वहां न एक नाम जोड़ा गया उसी सूची में और न एक नाम घटाया गया। आप अपने अधिकारियों से पूछ लो, इस बात को कि क्या कारण हैं ग्राम सभा हमने की, वहां पर आन्दोलन किये, आदमियों से नाम आमन्त्रित किये, उन्होंने कहा हमारा नाम लिखो और फिर क्या कारण था? पूरे जिला प्रशासन ने पूरे बूंदी जिले की किसी भी ग्राम पंचायत में न एक आदमी का नाम उसमें जोड़ा और न एक आदमी का नाम उसमें घटाया और लाखों रुपये उन ग्राम सभाओं में आपने और हमने खर्च कर दिये और उसको बर्बाद कर दिया । इसके अलावा मैं जो आपसे निवेदन करना चाहता हूं आपने जो प्रक्रियाएं तय की हैं...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय आपने कोई कलेक्टर को...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा: आप सुनो तो सही। वह तो बीच में बोल रहे हैं, आप मेरी बात तो सुनो। (व्यवधान) कोई इर्रिलेवेंट बात नहीं बोल रहा हूं। मैंने यह कहा है कि आपने तीन लाख कैसे बढ़ा दिये ? वहां कैसे कम कर दिये?

श्री उपाध्यक्ष: मैं आपकी ही बात कह रहा हूं। मैं यह कह रहा हूं (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा: आप सुनो तो सही। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं आपने जन प्रतिनिधि के नाते किसी कलक्टर को या अन्य अधिकारियों को इस बात की शिकायत की क्या कि ग्राम सभाओं में काम नहीं हुआ ?

श्री हरिमोहन शर्मा: हां, अरे, आप पार्टी क्यों बनाते हो, आप तो उपाध्यक्ष बने रहो न। आप सरकार क्यों बनते हो, आप उपाध्यक्ष बने रहो। (व्यवधान) सरकार जवाब दे देगी मेरा। (व्यवधान) आप से तो न्याय की उम्मीद है। आप काहे को पार्टी बनते हो।

श्री रामनारायण डूडी: आसन को इस प्रकार से पंचायत करते हुए कहना, यह बात ठीक नहीं है। व्यवधान)

श्री दांताराम गुर्जर: आसन को अरे-अरे कैसे कर रहे हैं? आप सीनियर मैम्बर हो। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा: माननीय मंत्रीजी, आप तो प्रश्नों के जो जवाब हैं, वही साल भर टालते रहते हो। आप काहे को बीच में पचड़े में पड़ते हो। आज भी मेरा साल भर पुराना जवाब आपने कहा है, जवाब नहीं दे सकता। आप मुझे बात कर लेने दो।

श्री रामनारायण डूडी: आप तो रहने दो। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा: आप तो बिराजो। (व्यवधान)

श्री रामनारायण डूडी: यूं क्या कर रहे हो आसन के प्रति? अरे-अरे कर रहे हो, आपको समझ नहीं है। आप मंत्री रहे हुए हो। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा: आप बीच में कहां से आ गये? (व्यवधान) आप बीच में कहां से आ गये तो , यह काम तो उपाध्यक्षजी का है। (व्यवधान)

श्री रामनारायण डूडी: यह बात क्यों कर रहे हो, क्या मामला है? आप इस प्रकार से कह रहे हैं कि आप यह नहीं कर रहे हैं। मैं तो केवल यही कह रहा हूं ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा: मैं मेरी बात नहीं कहूंगा क्या? (व्यवधान) मेरी बात नहीं कहूंगा क्या? आप बीच में क्यों आये? आपसे किसने कहा? आपको बोलने की इजाजत दी, आपको बोलने की इजाजत दी क्या? (व्यवधान)

श्री दांताराम गुर्जर: इसलिए बीच में खड़े हुए आप आसन का अपमान कर रहे थे। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा: आप इजाजत लो। उनसे कहलवाओ। बिना इजाजत कैबिनेट मंत्री को तो क्या, इनको ही नहीं बोलना चाहिये। आप तो कैबिनेट मंत्री हो, आप तो बिराजो।

श्री रामनारायण डूडी: मैं इनसे इजाजत ले रहा हूं, इसलिए ले रहा हूं ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा: अब ले रहे हो और बोल पहले ही रहे हो। मैं निवेदन करना चाहता हूं यह प्रक्रिया आपने अपील की तय की है। माननीय मंत्री महोदय, आपने जो डायरेक्शन दिये हैं 25.9.2006 को, आपने इस प्रक्रिया को पढ़ा? आप इस प्रक्रिया को देख लीजिये, क्या इस प्रक्रिया के हिसाब से आदमी अपना नाम लिखवा सकता है या उसको कटवा सकता है, आप देखिये कैसे होगी? आपने ऊपर तो लिख दिया सादे कागज पर एक एप्लीकेशन दे दो। सादे कागज पर एप्लीकेशन के बाद जो प्रोफार्मा प्रेस्क्राइब्ड है, उस प्रोफार्मा को आप भरो। वह ग्रामीण उसे प्रोफार्मा को भरेगा और भरने के बाद क्या होगा, वह ग्राम सेवक के पास जायेगा और कहेगा ग्राम सेवक जी, मैंने यह प्रोफार्मा भरा है, आप मेरे साथ चलो, इसको वैरीफाई करो तब जाकर वह अपील पेश होगी। आपने सोचा क्या कि उस गरीब के कहने से ग्राम सेवक चला जायेगा। उस गरीब के कहने से वह वैरीफाई कर देगा। उस गरीब के कहने से वह उसको वैरीफाई करके जब वह वैरीफिकेशन करेगा जब आपकी अपील एस डी ओ के पास जायेगी । आप विवेकपूर्ण तरीके से तो सोचो कि एक ग्राम सेवक के पास बी पी एल परिवार का आदमी नाम लिखाने जायेगा तो उसके कहने से वह वैरीफिकेशन कर देगा और जो प्रोफार्मा है, वह कहां से लायेगा। आपने कहा दो-चार फार्म पंचायत पर भेज दें। दो चार फार्म का सवाल नहीं हर पंचायत पर 100-200-300 आदमी नाम लिखने का प्रयास करेंगे। आपका यह आदेश डिफेक्टिव है और इस आदेश के तहत एक नाम भी नहीं लिखा जायेगा। आपने नाम कटवाने का इसमें प्रोसीजर तय किया । नाम कटवाने के प्रोसीजर के साथ इसमें आपने फीस लगा दी। आप पांच रुपये जमा कराओ, पांच रुपये जमा कराने के बाद हम आपको लिस्ट दिखायेंगे और उस लिस्ट की कापी जब देंगे वह पांच रुपये गरीब खर्च करेगा और फिर उसकी अपील करने जायेगा जहां जिस गांव में रहता है उसके बाद वह एस डी ओ हैड क्वार्टर पर आयेगा, दो-चार सौ रुपये खर्च करेगा जब नाम कटवाने की अपील वह करायेगा जब जाकर उस आदमी के नाम कटवाने की प्रक्रिया आरम्भ होगी। क्या यह जस्टिफाइड है, क्या यह हो सकता है, क्या यह संभव है? यह नहीं हो सकता और ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप समाप्त कीजिये, श्री हेमाराम जी चौधरी।

श्री हरिमोहन शर्मा: नहीं-नहीं, साहब मैं बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: आप पाइंटेड नहीं कह रहे। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा: पाइंटेड ही तो है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: मैं भाषण अलाऊ नहीं करूंगा। यह बहस का मामला नहीं है (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा: पाइंटेड ही बता रहा हूं। आपने जो डायरेक्शन दिये हैं (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: वह तो शार्ट में कह दीजिये । (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा: अरे, इन्होंने प्रोसीजर निकला। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आपने वह बता दिया सारा।

श्री दांताराम गुर्जर: प्रतिपक्ष के नेता महोदय, आसन को अरे-अरे कर रहे हैं, थोड़ा इन्हें समझा दीजिये। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा: इसमें लिखा है और इसके बाद फिर एस डी ओ के पास जाओ, फिर एस डी ओ कहेगा यह ठीक है या गलत है मैं और जांच करवाता हूं । उसके बाद कहेगा ग्राम सेवकजी वापस उस ग्राम पंचायत में जाओ, मीटिंग बुलाओ तब जाकर नाम लिखेंगे। मेरा विनम्र अनुरोध है कि यह इतनी डिफिकल्ट प्रक्रिया है कि किसी भी आदमी का नाम लिखवाना कतई संभव नहीं है। यह एक फर्जीवाड़ा है। अपनी खाल बचाने के लिये आपने कहा है कि कोई लिमिट नहीं है जाओ और नाम लिखाओ। खाली कागज पर दरख्वास्त दो और उसके प्रोफार्मा को आपने देखा। आपने पढ़ा प्रोफार्मा में क्या है 13 पाइंट, कहां-कहां गलतियां हुई हैं, आप इस पर पुनर्विचार करो। पुनर्विचार इसलिए करो कि उन 13 पाइंट में एक पाइंट यह भी है कि किसने संस्थागत आदमी से लोन ले रखा है या नहीं ले रखा । लोन तो मिलता ही नहीं है, उसको मिलता ही नहीं है जिसने कहा मैंने लोन नहीं ले रखा उसके नम्बर चार, तो इसकी व्यवस्था ठीक है। उसके पांच बच्चे है, पांच बच्चों में जो सबसे निर्धन है, सबसे ज्यादा जो खराब स्थिति में है, उसको बेस मानकर नम्बर देना है, वह नम्बर बेस मानकर दिये नहीं। उसमें यह लिखा है कि बैलेंस डाइट के हिसाब से चार नम्बर दिये जायेंगे। उन्होंने सबको उठाकर बैलेंस डाइट कर दिया। मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि आपने जान-बूझकर शहरी क्षेत्र में बी पी एल बढ़ाकर ग्रामीण क्षेत्र में घटाकर इसलिए घटाया क्योंकि आपने मेडिकल रिलीफ के तहत अशोकजी गहलोत ने जो फैसला किया

(श्री हरिमोहन शर्मा)

था कि गरीब परिवार का इलाज होगा। उस खर्चे से बचने के लिये जान-बूझकर आपने बी पी एल परिवारों की संख्या कम की है। इसके लिये राजस्थान की सरकार दोषी है। अगर यह व्यवस्था नहीं सुधारी, यह प्रक्रिया नहीं सुधारी तो माननीय मंत्री महोदय, मैं आपको चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि गांव में जिस प्रकार का परिवर्तन हो रहा है, जिस प्रकार का आक्रोश हो रहा है, जिस प्रकार का जगह-जगह आन्दोलन हो रहा है, जिस प्रकार से कलक्टर को पकड़ा जा रहा है, जिस प्रकार से एस डी ओ को पकड़ा जा रहा है, ग्राम पंचायत में आपके सब जन-प्रतिनिधि इस बात के वहां गवाह हैं कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। मेहरबानी करके राजनीति से ऊपर उठकर सारी प्रक्रिया पर पुनर्विचार करके आप गंभीरता से इसको करें। हमारा बारां में विधायक आमरण अनशन पर बैठा हुआ है। दस हजार आदमियों का प्रदर्शन किया और आप मेहरबानी करके ग्राम पंचायत में कैम्प लगाकर वहां पर उनसे दुबारा प्रार्थना पत्र लेकर एस डी ओ पर आने के बजाय आप ग्राम पंचायत में अभियान चलायें, कैम्प लगायें, वहीं प्रार्थना पत्र लें, वहीं वैरीफाई करायें और उसके बाद उसको शामिल करें तो ज्यादा उपयुक्त होगा। आपने मुझे अवसर दिया इसके लिये धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्षः आप इस बात को बारबार दोहरा रहे हैं। श्री हेमाराम चौधरी। शोर्ट में, हेमारामजी, स्पेसिफिक क्वेश्चन आप सीधा करिये कोई करने हैं तो।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): साहब, इनको इतना टाइम दे दिया, मैं तो खड़ा ही नहीं हुआ, आपने पहले ही शोर्ट कह दिया, बोलने तो दो।

श्री उपाध्यक्षः इतना ही टाइम है।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): उपाध्यक्ष महोदय, मैं रिलेवेन्ट बात ही करूंगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बी.पी.एल. चयन के बारे में माननीय मंत्री महोदय ने अभी वक्तव्य दिया। इन्होंने बताया कि तत्कालीन मुख्यमंत्रीजी ने भारत सरकार को चिट्ठी लिखी, भारत सरकार ने इनको दिशा-निर्देश दिये और उस समय इन्होंने 11 लाख बी.पी.एल. की सीमा दी है। उस समय भारत में किस की सरकार थी? भारत सरकार किस की थी? तत्कालीन मुख्यमंत्रीजी ने जब चिट्ठी लिखी, उस समय भारत सरकार ने जो दिशा-निर्देश जारी किये...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आपको सही बात बता देंगे तो आप कहोगे टोकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में समझौता किसने किया था पी.यू.सी.एल. के साथ? उस वक्त भारत सरकार हमारी थी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया और आपने सुप्रीम कोर्ट में समझौता किया और आपने रघुवंश प्रसादजी को यह चिट्ठी लिखी...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): यह संख्या कम करने का फैसला किसने किया?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): कि पुरानी बी.पी.एल. लिस्ट की जगह नयी लिस्ट जारी करो। आप बात करते हो। ...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): कौन सरकार में था, किस की पार्टी सरकार में थी? भाषण दे रहे हो। कौन प्रधानमंत्री थे, यह संख्या किस ने कम की, किस की भारत सरकार थी? ...(व्यवधान) केवल भाषण दे रहे हो।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): अपने नगरपालिका के चुनाव थे तो वहां तो बी.पी.एल. बढ़ा कर चुनाव करवा लिये और ग्रामीण क्षेत्र में सूची प्रकाशन में आपने इतनी देर से क्यों किया? (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रधानमंत्री अटल बिहारी की सरकार ने यह संख्या कम की है। जवाब दीजिए इसका।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): यही प्रकाशन करना था तो आप पहले कर देते।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): संख्या आपने कम की, उसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। किस की बात कर रहे हैं आप? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, केन्द्र की सरकार ने लिस्ट दे कर कम किया है यह।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे तो इसकी जानकारी थी नहीं, अभी माननीय मंत्री महोदय ने...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आप अब ले लो, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सैटलमेंट का फैसला पढ़ कर सुनाऊं?

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): आप बोलने तो दो, आप फिर बोल लेना, यह क्या बात है, माननीय मंत्री महोदय। ...(व्यवधान) आपके एकदम चड़का क्यों लग गया? आपकी सरकार ने यह फैसला किया और नाम लेते ही आप के चड़का लग गया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे तो मालूम नहीं है यह कारनामे किस के हैं। ...(व्यवधान)

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह चड़का शब्द निकालो कार्यवाही से...(व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): केन्द्र में इनकी पार्टी की जब सरकार थी, उन्होंने 11 लाख की सीमा तय की, हमारी सरकार केन्द्र में आयी तो उन्होंने 17 लाख 36 हजार कर दिया...(व्यवधान)

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चड़का हमारे उधर गाली है, बाड़मेर जैसलमेर में चड़का शब्द गाली होता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह पहले फैसला होना चाहिए। उन्होंने माननीय मंत्री महोदय को कैसे बोला है?...(व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब इनकी केन्द्र में सरकार थी उस समय उन्होंने जो दिशा-निर्देश दिये और यह बी.पी.एल. सर्वे का जो काम शुरू हुआ है उसमें सिर्फ 11 लाख की संख्या दी ...(व्यवधान)

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): चड़का शब्द असंसदीय है और हमारे बाड़मेर, जैसलमेर में गाली होती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसका फैसला पहले करो, हम नहीं सुनेंगे चड़का, क्या होता है चड़का, यह चड़का शब्द क्यों बोले हैं, चड़का शब्द बोलना बहुत गलत है, इनको पहले माफी मांगनी चाहिए।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): मंत्रीजी ने खुद ने किया है, 11 लाख की संख्या दी, हमारी केन्द्र में सरकार रही, उन्होंने आपको 17 लाख 36 हजार तो दिये। उसे तो बताएं। और आपकी सरकार थी...(व्यवधान) 11 लाख में ही संतोष करना पड़ता, यह आपको दिखता ही नहीं है। ...(व्यवधान)

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): चड़का शब्द का अर्थ बताइये? ...(व्यवधान) गाली है, हम गाली नहीं सुनेंगे। हम गाली नहीं सुनेंगे, चड़का का मतलब क्या होता है?

श्री उपाध्यक्ष: आप अपना स्थान ग्रहण करें। ...(व्यवधान) बीच में नहीं।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): यह आपका खोदा हुआ कुआ है।

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): इनको माफी मांगनी होगी। चड़का शब्द गाली है, इन्होंने गलत शब्द क्यों बोला, असंसदीय शब्द का क्यों उपयोग किया?

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): अब चड़का लगा ही।...(व्यवधान)

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): यह गाली है, हम नहीं सुनेंगे।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): यह चड़का तो लगा ही है, बोला तो लगा ही है। हैं? आपके बोला तो लगा ही है। ...(व्यवधान)

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): माफी मांगिये पहले, हम गाली नहीं सुनेंगे।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): जालम सिंहजी, हांची बात केवै नी, मां ही माथा मैं द। (व्यवधान) मां, थे काजळ क्यूं काड्यो...(व्यवधान)

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): चड़का शब्द गाली है, वो हम नहीं सुनेंगे। आपके मुंह से हमेशा गाली ही निकलती है। ...(व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): थे काजळ क्यूं काड्यो, जद बेटा रा माथा माय ठोकी मां।

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): चड़का शब्द गाली है, हम नहीं सुनेंगे, नहीं सुनेंगे, नहीं सुनेंगे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः माननीय सदस्य।

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): चड़का शब्द गाली है, आप हमेशा गालियां बोलते हो। ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः माननीय सदस्य।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): उपाध्यक्ष महोदय, कल मैंने इनके मुश्किल कर दी, इसलिए आज यह मेरे को बोलने नहीं दे रहे। यह तय कर के आये हैं इसलिए आप मेरा प्रोटेक्शन करें। ...(व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, आप इनको रोकें।

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): इसलिए नहीं, मैंने सोनिया गांधी के साथ राजस्थान के हितों की बात...(व्यवधान) सम्मानजनक तरीके से लेकिन प्रबल विरोध के साथ में सोनियाजी का...(व्यवधान) जिसके कारण आप लोगों ने केन्द्र से राजस्थान को बाढ़ में कोई मदद नहीं दिलायी जिसके लिए राजस्थान की, बाड़मेर, जैसलमेर की जनता कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेगी।

श्री उपाध्यक्षः माननीय सदस्य, कृपया विराजें।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): अब बाढ़ पर चर्चा हो रही है, कल वाला निकाल रहे हैं। फिर खड़े हो गये।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): इनको रोको तो बोलूं नहीं तो आप मेरे को बोलने मत दो।

श्री उपाध्यक्ष: बोलो, बोलो, आप बोलो।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि यह सब इनके कारनामों की वजह से ऐसा हुआ। इनकी केन्द्र में सरकार थी, उन्होंने ऐसा कर दिया। हमारी सरकार आने के बाद में थोड़ा सुधार हुआ लेकिन पूरा नहीं हुआ ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: चड़का क्या है?

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): चड़का क्या है, यूं? उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं यह निवेदन कर रहा था कि इनकी संख्या 11 लाख की हुई तो इसकी वजह से यह हुआ है।

दूसरा, उपाध्यक्ष महोदय, अभी वो भवानी सिंहजी राजावत साहब नहीं हैं, उस समय सर्वे हुआ। सर्वे के बाद में ग्राम सभा जब तक उसको अनुमोदित नहीं करेगी वो अंतिम सूची नहीं है। ग्राम सभा के अनुमोदन के बाद में ही अंतिम सूची हुई है वो और अब जा कर जारी हुई है 15.09 को ग्राम सभाओं के अन्दर उस सूची को ...(व्यवधान) यह ग्राम सभाएं आपके जून महीने में हुईं, जून में...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आपको फिर मैं टोकना नहीं चाहता...(व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): उपाध्यक्ष महोदय, यह जून, 2006 के अन्दर आपने ग्राम सभाएं आयोजित कीं। जून, 2006 में आपने ग्राम सभाएं आयोजित कर के इन सूचियों का अनुमोदन आपने ग्राम सभाओं में करवाया। जिस समय ग्राम सभाओं में इन सूचियों का अनुमोदन कराया उस समय आप इन सूचियों को ठीक कर सकते थे, अगर गलत थी तो लेकिन आपकी ठीक करने की मंशा थी नहीं, आप इन सूचियों को ठीक करना ही नहीं चाहते थे, आप तो किस प्रकार से, कैसे ज्यादा से ज्यादा यह बी.पी.एल. की संख्या कम हो, इसी में लगे हुए थे। ग्राम सभाएं आयोजित करने का औचित्य फिर क्या? इतना खर्चा किया, ग्राम सभाएं बुलायीं। आपने अपनी तरफ से एक अधिकारी भेजा उन ग्राम सभाओं में, फिर उसके बाद में अगर उसमें आपने कुछ भी नहीं किया, हमने सब काम खोटे ही खोटे किये, ऊंदे ही ऊंदे किये,

(श्री हेमाराम चौधरी)

ऊंदे किये तो क्या करें? आखिर उसका, जनता ने मान लो हमारे को इधर भेज दिया, आप को राज दे दिया, अब आप करो, हमारे ऊपर ही आरोप लगाते रहोगे पांच साल, कुछ ठीक भी करोगे, हमारे काम को कुछ थोड़ा-बहुत ठीक भी करो कि नहीं? यह ग्राम सभाएं बुलायीं, आपने ठीक किया क्या थोड़ा-बहुत? कुछ भी नहीं किया। पांच साल आपको भी देख लेगी जनता फिर उसके बाद में आप भी तैयारी में रहो, घणी गी न थोड़ी रही, थोड़ी भी छिन-छिन जाए, एक घड़ी रे कारणे रमत मत गंवाए। अब तो थोड़ा ही रहा है आपका टाइम।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता था कि यह सब इनकी लापरवाही की वजह से हुआ। इनको मैं एक नमूना बताना चाहता था। मेरी ग्राम पंचायत बायतू भीमजी, पंचायत समिति बायतू जिला बाड़मेर, जिसके अन्दर 12 अंक के 385 परिवार हैं जिनके 12 अंक हैं। 12 अंक वालों में इन्होंने सब को लिया कि 12 अंक वाले सभी परिवारों का चयन कर देंगे और यहां राज्य सरकार से स्वीकृति जारी की। सूची भेजी उसमें संख्या 360 और 385 परिवार 12 अंक वाले तो हैं, सूची है मेरे पास मौजूद पड़ी है लेकिन इन्होंने ठेका दिया कम्प्यूटर वालों को, कम्प्यूटर वालों ने 25 नाम छोड़ दिये और वह 25 परिवार वंचित हो गये। 385 होने चाहिए जिसकी जगह इन्होंने 360 किया और 13 अंक वाले इन्होंने 29 की स्वीकृति दी अब वहां पर हमने कहा, साहब, यह 12 अंक वाले ही पीछे रह गये, 7 अंक वाला रह गया, आप तो 13 अंक वालों को कर रहे हो, यह 7 अंक वाले पीछे रह गये, 25 आदमी इस तरह से रह गये तो इन्होंने फिर क्या किया, 13 अंक वाले 29 थे उसकी जगह 4 ही जोड़े बाकी 25 को हटा दिया कि हम इतने ही करेंगे।

यह कितनी बड़ी भारी भूल है, कितनी बड़ी भारी गलती है, इसमें यह सुधार नहीं कर सकते क्या? सुधारना चाहिए। इस तरह की इनकी गलतियां कम्प्यूटर में हुई हैं। कम्प्यूटर फीड करने वाले ने गलती की, उसकी सज़ा वो गरीब क्यों भुगते? यह मेरे पास सारी कापियां पड़ी हैं।

श्री उपाध्यक्ष: ऐसी गलतियों का सुधार होगा जी। यह होगा, गलती ऐसी हुई!

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): यह कोई गलती नहीं है?

श्री उपाध्यक्ष: होगा जी, ऐसी गलतियों का सुधार होगा। ऐसी इसके

(श्री उपाध्यक्ष)

अन्दर मियाद थोड़ी है जी। ऐसी गलतियों का सुधार तो करेंगे। ऐसी गलतियां जो भी नोटिस में आयेंगी ...(व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): नहीं, नहीं, इन्होंने जो अपील का प्रावधान किया यह तो एक बी.पी.एल. परिवार सिर्फ व्यक्ति के लिए किया है। इस तरह से पूरी पंचायत के अन्दर परिवार के परिवार छूट गये, उनका तो इसमें कोई है नहीं, वो सभी अपील करेंगे क्या? कहां अपील करेंगे उसकी? ग्राम सभा को देंगे, वो प्रोफार्मा भरायेंगे उससे इसका कोई लेना-देना ही नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा इन्होंने यह अपील का प्रोसीजर तय किया इससे हल नहीं होगा। मैं निवेदन करूं कि सही चीज यह है कि एप्लीकेशन फार्म भर के वह देगा किस को, ग्राम सेवक को, ग्राम सेवक की हैसियत है क्या वो इसमें कुछ कम कर सकता है नम्बर? क्योंकि आखिर अपील तो सुनेगा तहसीलदार या एस.डी.ओ. और ग्राम सेवक उसमें वैरिफाई कर दे, ग्राम सेवक को नौकरी करनी है कि नहीं करनी, एक भी ग्राम सेवक एक अंक कम नहीं करेगा राजस्थान के अन्दर, अगर कोई कर दे तो मुझे आप बता देना। ...(व्यवधान)

ग्राम सेवक को बीच में क्यों उलझाते हो। एस डी ओ तहसीलदार ही देखे ना। एस डी ओ तहसीलदार ही सुने सीधा। काम करना है या नहीं करना, यह काम एस डी ओ, तहसीलदार का है। ग्राम सेवक वैरीफाई कतई नहीं करेगा। वह बिलकुल वही कहेगा जो हुआ है, ठीक हुआ है इसलिए ग्राम सभाएं दुबारा बुलाकर के अगर उसमें कोई अपनी अपील करना चाहता है तो अपील पेश कर दे और फिर आप ग्राम सभा जब भी होती है, साल में दो बार तो ग्राम सभा होती ही है । चार बार होती है उस ग्राम सभा के अन्दर उस मामले को फिर से सुन लिया जाए और सुनकर के फैसला कर दिया जाए। पूर्व में भी ग्राम सभाओं में फैसला हुआ है तो फिर से उसको रिव्यू कर दिया जाए। ग्राम सभा में उस मैटर को रिव्यू करके सुन लिया जाए। अपील का सीधा तरीका है और कौनसा है ।

श्री उपाध्यक्ष: आपका यह सुझाव अच्छा सुझाव है।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): आप उस मामले को रिव्यू कर दीजिए। पहले पूर्व में सुनवाई हुई उस वक्त में ठीक से नहीं हुई। रिव्यू पिटीशन आप इसको नाम दे दें, वह रिव्यू पिटीशन पेश करता है ।

श्री उपाध्यक्षः जहां ऐसी गलती हुई है वहां सुधार...

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): हां, तो उसको आप रिव्यू कर दीजिए, ग्राम सभा में ही उसको रखिए । यह बाकी एस डी ओ तहसीलदार, ग्राम सेवक सारा काम आप इनके भरोसे तो, मेरा तो आपसे सुझाव है।

श्री उपाध्यक्षः ऐसा है किसी न किसी अधिकारी को तो यह काम देना ही पड़ेगा हेमारामजी, चाहे ग्राम सेवक हो चाहे इससे ऊपर हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): हेमारामजी ने बहुत अच्छा सुझाव दिया।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): पहले भी जो सर्वे हुआ उसमें किसी ने मान लो अंक ज्यादा दे दिए तो उसके कम अंक किसने किये, ग्राम सभा ने ही तो किये। ग्राम सभा ने कहा कि इसको 18 अंक दिये, गलत दिये। इसके दस अंक होने चाहिए तो दस अंक हुए वह ग्राम सभा ने किए हैं। अब मान लो कोई इस तरह से गलती रह गई है और कोई अगर इस प्रकार की दरख्वास्त देता है तो उसको ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): जब अंकों के आधार पर फैसला हो रहा है तो ग्राम सभा में बदलेगा क्यों? ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः कई जगह बदली है ।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): यह अनुमोदन ग्राम सभाओं ने ही तो किया है और किसने किया है? ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्यः नम्बर बदलेंगे जब है ना।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ईमानदारी का क्राइटेरिया रख दिया...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः कई जगह ग्राम सभाओं में शिकायतें हुई हैं...(व्यवधान) वरना ऐसा नहीं होता है । ग्राम सभाओं में जहां शिकायत हुई है, वहां सुधार भी हुए। घटे भी हैं और बढ़े भी हैं। ऐसी बात नहीं है शर्माजी जैसे कह रहे थे।

श्री अमराराम (धोद): शिकायत का सुधार तो हो जाएगा...(व्यवधान) इक्कीस लाख हो जाएगा, गरीबी बढ़ी है, गरीब लोग बढ़े हैं...(व्यवधान) गड़बड़ी तो सब मिट जाएगी लेकिन गरीब तो सब नहीं आयेंगे उसमें...(व्यवधान) आप कट आफ नम्बर बीस तक कर दीजिए, आ जायेंगे सब। बारह के बजाए बीस कर दीजिए आ जायेंगे सब।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): आप बारह की बजाय बीस तो तेरह पूरे कर दें, तेरह भी तो नहीं लिए। तेरह में से कितने लेने हैं वह भी आपने एक फार्मूला तय किया कि पंचायत से ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: हेमारामजी, आ गये आपके सुझाव, नोट कर लिये... (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): उपाध्यक्ष महोदय, जो आप ठीक समझें, आप सबके अपने-अपने अलग-अलग सुझाव हैं। मैंने मेरे सुझाव दिए उस पर आप हो सके तो ठीक है अमल कर लें न हो सके तो आप अपने भले।

श्री उपाध्यक्ष: अब आपका सुझाव ठीक है।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): आपकी सरकार का तो फैसला किया हुआ ही है वह अगर सबको पसंद है तो मुझे कोई तकलीफ है नहीं, लेकिन मैंने तो कहा कि इस तरह से पहले भी फैसला जो हुआ उसको वापस रिव्यू करके उसी तरह करते तो।

श्री उपाध्यक्ष: श्री वीरेन्द्र बेनीवाल। आ गये आपके सुझाव, आ गये।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): एक निवेदन और है। यह संख्या है यह कम है, इसको बढ़ाने की जहां बात है आप बढ़ाइये। आपको सत्रह लाख छत्तीस हजार भारत सरकार ने दिए हैं, सत्रह लाख छत्तीस हजार की मदद आपको भारत सरकार देगी, बाकी आप कुछ घर से भी तो लगाओ, थोड़ा तो हींग फिटकड़ी आप घर से भी तो लगाओ। घर से तो एक टका लगाना चाहो नहीं और दोष भारत सरकार पर मंढो। भारत सरकार तो सत्रह लाख छत्तीस हजार दे रही है ना, तो दो-तीन लाख आप भी तो थोड़ा कर दो ना। कुछ तो घर से भी लगाओ, ठीक रहेगा। आप घर से कुछ देना नहीं चाहो और केवल भारत सरकार के ऊपर आरोप लगाते जाओ, यह बात ठीक नहीं है। भारत सरकार आपकी थी केन्द्र में सब उसका किया हुआ कबाड़ा है और आज हमको भोगना पड़ रहा है।

श्री उपाध्यक्ष: श्री वीरेन्द्र बेनीवाल।...(व्यवधान) अमरारामजी, छोड़िए।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): उपाध्यक्ष महोदय, राज्य के कमजोर वर्ग की पीड़ा के ऊपर चर्चा करने के लिए आज आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए तो धन्यवाद। बी पी एल का सर्वे होने के बाद सूचियां प्रकाशित की गई। इन पर पूरे राज्य के ग्रामीण और शहरी हर क्षेत्र के अन्दर

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

से एक ही आवाज आ रही है कि यह जो सूची है इस सूची के अन्दर जो वास्तविक पात्र व्यक्ति हैं उनका नाम नहीं आ पाया है और इसके बारे में जो जानकारी उपलब्ध कराई गई कि जो पात्र व्यक्ति रह गये हैं वह अपील करें और अपील के माध्यम से वह अपना नाम जुड़वाने का प्रयास करें।

मैं निवेदन करना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, आज चाहे हम कितनी ही सूचना के अधिकार की बात कर लें, हम कितनी ही ट्रांसपेरेंसी की बात कर लें, वह कमजोर तबके का व्यक्ति जो अपना नाम ग्राम सभा के अन्दर चर्चा होने के बावजूद भी अपने नाम को नहीं जुड़वा पाया, वह इस कठिन और जटिल प्रक्रिया के अन्दर से कैसे निकल पाएगा और कैसे अपना नाम जुड़वा पाएगा। कहां से तो वह सूचना लेकर के आ पाएगा, कहां से उस प्रपत्र की कापी लेकर के आ पाएगा, कहां वह एस डी एम और तहसीलदार के पास जा पाएगा और कैसे बताएगा वह कि मैं तेरह अंक से नीचे वाला व्यक्ति हूं, मैं बारह अंक से नीचे वाला व्यक्ति हूं। अगर उपाध्यक्ष महोदय, इस सूची के अन्दर जो संशोधन करने की प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में अगर संशोधन नहीं किया गया तो निश्चित रूप से हम सब इस बात में शामिल होंगे, यह राज्य सरकार इस बात में शामिल होगी कि हम सब लोग उस कमजोर तबके के व्यक्ति का शोषण करने के लिए यह सब कुछ षडयन्त्र रच रहे हैं ।

आज मेरे से पूर्व वक्ताओं ने जो अपनी बात रखी, जो अपनी भावनाओं को आपके सामने पेश किया आपके माध्यम से, उसका सार यही है कि हम इस प्रक्रिया को सरल बनाकर के पुनः उसी ग्राम सभा के माध्यम से ग्राम सभा के बीच में इस बात का आंकलन भी करवाएं कि वास्तविक रूप से जो तेरह अंक और बारह अंक से ऊपर के लोग हैं वह लोग कौन हैं, क्या वास्तव में पात्र व्यक्तियों को अंक ज्यादा मिल गए हैं या किसी और भूल के कारण वह लोग इस सूची में आने से वंचित रह गए हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्था उस कमजोर तबके के व्यक्ति को राहत पहुंचाने के लिए है, उसके परिवार को राहत पहुंचाने के लिए है जो आर्थिक रूप से बहुत पिछड़ा हुआ है। अगर वह आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ व्यक्ति इस सूची में आने से भी पिछड़ जाएगा तो हम इस व्यवस्था का क्या करेंगे?

मैं ज्यादा लम्बी बात नहीं करते हुए सार में यही निवेदन करना चाहूंगा इस पर गौर किया जाए और इस प्रक्रिया को सरल किया जाए। यह अपील करने का जो आपने रास्ता दिखलाया है, तहसील और एस डी एम

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

कार्यालय वह हैं जहां तक आम व्यक्ति की पहुंच वैसे भी नहीं हो पाती है तो ऐसे में वह कमजोर और गरीब आदमी अपनी ढाणी से और अपने गांव से निकलकर के कैसे जा पाएगा। कृपया इसमें संशोधन करवाएं, यह मेरा निवेदन है। आपने बोलने के लिए समय दिया इसके लिए धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री हेमराज मीणा।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि किशनगंज, शाहबाद, बारां जिले में उन्नीस हजार आदिवासी परिवार हैं। पिछली भारत सरकार ने जब आदिवासियों की डेथ होने का क्राइसिस आया था उस समय सरकार ने उन्नीस हजार परिवारों को एक आदेश निकालकर बी पी एल में उनको लेकर उनको अन्त्योदय योजना में चैंज किया था। उन उन्नीस हजार परिवारों को दो रुपए किलो का गेहूं लगातार अभी मिल रहा है लेकिन अभी जो नई बी पी एल की सूची आई है, उपाध्यक्ष महोदय, उनमें केवल दस हजार परिवारों के नाम हैं। उनमें नौ हजार परिवार उड़ गये, वह नौ हजार परिवार उसमें सम्मिलित नहीं हुए।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): यह तो जब हालत है जब आप सरकार का पूरा समर्थन कर रहे हो, यह तो जब है आपकी हालत और विरोध करो तो एक नहीं रहे।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): उपाध्यक्ष महोदय, तकलीफ इस बात की है कि वह नौ हजार परिवार जो छूटे हैं बी पी एल में से हटने के बाद में उनका अन्त्योदय में से नाम हट जाएगा। उनको दो रुपए किलो का गेहूं नहीं मिलेगा और वही क्राइसिस शुरू होगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा मंत्रीजी को कि आप उन नौ हजार परिवारों को सम्मिलित करने का कौनसा तरीका अपनायेंगे? दूसरा बीस हजार परिवार एस सी के हैं उन एस सी के परिवारों में से केवल एक हजार परिवार सम्मिलित हुए हैं उनके सर्वे में कोई डिफेक्ट रहा है या कोई न कोई नीचे के अधिकारी की लापरवाही रही है। उनमें भी आप कौनसा तरीका अपनायेंगे? अभी माननीय सदस्य चर्चा कर रहे थे कि एस डी ओ के यहां अपील करनी पड़ेगी, तहसीलदार के यहां जाना पड़ेगा। साढ़े नौ हजार लोगों का एस डी ओ और तहसीलदार के यहां जाना कतई संभव नहीं है। एस सी के परिवार वहां नहीं जा पायेंगे फिर उसमें ग्राम सेवक के दस्तखत

(श्री हेमराज मीणा)

कराकर के देना पड़ेगा। उल्टा प्रोसीजर होगा तो क्यों नहीं अपन इसमें ऐसे गांव जो पूर्ण रूप से छूट गये, जो एस सी के गांव हैं, जो एस टी के गांव पूर्ण रूप से छूट गये, क्या हम उनका दुबारा सर्वे करा सकते हैं? यदि दुबारा सर्वे अगर हो जाएगा तो निश्चित रूप से उन गरीब परिवारों को लाभ मिल सकता है। यह जो अपन ने प्रोसीजर बनाया है इस प्रोसीजर का सरलीकरण करना पड़ेगा। अगर सरलीकरण होगा तो उन लोगों को इसका लाभ मिल सकेगा लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, केवल सदन में इस बी पी एल के नाम पर राजनीति की बात इस समय हो रही है। इधर के लोग कह देंगे 2003 में सर्वे हुआ था, यह कह देंगे जून, 2006 में सर्वे हुआ था।

मैं निवेदन करना चाहूंगा 2003 में जो सर्वे हुआ था, यह कांग्रेस के जमाने में हुआ। लेकिन माननीय मंत्रीजी मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि मई और जून में ग्राम सभाएं हुई थीं। वार्ड सभाएं, ग्राम सभाएं हुई थी हमने उन सूचियों को वहां वैरीफाई किया था और वैरीफाई के बाद हमने नाम तो लिखे लेकिन उनके अंक सही नहीं किये उसके कारण से एक भी नाम दुबारा नहीं आ पाया तो कहीं न कहीं तो हमारी भी गलती रही है। मैं चाहूंगा मंत्रीजी इस बात पर गौर करें। मेरा पूरा विधान सभा क्षेत्र ट्राइबल का क्षेत्र है। पूरा डिस्ट्रिक्ट ट्राइबल का एरिया है उस एरिये में आप कौनसा तरीका निकालेंगे कि उस तरीके से 9,000 परिवार तो आदिवासियों के छूटे हैं वह और 20,000 परिवार एस सी के हैं जिनमें केवल 1,000 परिवार सम्मिलित हुए हैं। 19,000 परिवार वह बचे हुए हैं उनमें से भी कोई सम्मिलित नहीं हुए। कई गांव पूरे के पूरे छूट गये और सब जगह जन आक्रोश है। सब जगह लोग आन्दोलन कर रहे हैं। सब जगह लोग ज्ञापन दे रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा, विनम्र प्रार्थना है, इधर कांग्रेस के लोगों से भी कहना चाहूंगा....(व्यवधान)

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): राजस्थान के बाकी दूसरे हिस्सों में तो क्या होगा इसका अंदाज आप लगाइये।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय बैदजी, आपको और हमको अच्छी तरह से मालूम है अध्यापकों को लगाया था इसके लिये और अध्यापकों को हम मान रहे थे कि इसमें किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं करेंगे। उन्होंने ही अगर सूची बनाने में गलती की है तो उस सूची को वापस भेज दे। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कट आफ डेट

(श्री अध्यक्ष)

(श्री अमराराम)

राजस्थान की सरकार ने तय की है, किसी अध्यापक ने तय नहीं की है। अध्यापक का काम 13 बिन्दु थे उनमें नम्बर देना था। उन्होंने नम्बर दे दिया। सरकार ने बाइस लाख की जगह सत्रह लाख किये हैं। वह राजस्थान की सरकार ने किये हैं, किसी अध्यापक ने नहीं किये हैं। अध्यापक का काम केवल नम्बर देना था...(व्यवधान)

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): आप, उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी को जवाब देने दे ना। आप काहे को पार्टी बनते हैं इसमें।

श्री अमराराम (धोद): अगर आज भी यह पच्चीस लाख कर दें जो कट ऑफ डेट आती है तो बहुत कुछ समस्याओं का समाधान हो जायेगा लेकिन सरकार तो बाइस लाख से सत्रह लाख पर अड़ी हुई है। जो भी गलती हुई है उसको सुधारने के लिये तैयार हैं, मंत्रीजी घोषणा कर दें पच्चीस लाख को हम घोषित करेंगे कट ऑफ डेट, कोई दिक्कत नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं-नहीं, ऐसे थोड़े ही है।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा। कई जगह ग्राम सभाएं हुई उस गरीब आदमी का नाम तो शामिल नहीं हुआ जो गरीबी की रेखा के नीचे रहता है लेकिन एक ट्रैक्टर वाला, एक जीप वाला, एक बड़ा जमींदार आदमी उस सूची में शामिल है। ऐसे हज़ारों परिवार मिलेंगे उनको काटने की भी आवश्यकता है। हमको केन्द्र सरकार के कोटे की आवश्यकता नहीं है। यदि हमने दुबारा सर्वे कराया, दुबारा सर्वे में जो बड़े-बड़े लोग उसमें आ गये चालाकी से, मास्टर की गलती से, सरपंच की गलती से, ग्राम सभा की गलती से वह लोग अगर निकल जाते तो हम उन गरीबों को शामिल कर लेंगे और उनको पूरा लाभ मिलेगा और हमारे बी पी एल कार्ड की मांग नहीं बढ़ेगी। जितना कोटा हमको केन्द्र सरकार से मिला है तो हमारे राजस्थान भर का काम चलेगा।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): इसके लिये माननीय मंत्रीजी ने...(व्यवधान)

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): लेकिन प्रभावशाली उन लोगों के नाम हमको मिलकर हटाना पड़ेगा इसके लिये भी कोई प्रक्रिया तय करनी पड़ेगी।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): नहीं, प्रक्रिया कर दी।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): कौनसी प्रक्रिया तय कर दी?

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): वह गरीब आदमी पांच रुपया जमा कराकर आएगा और फिर एस.डी.एम. के यहां जाएगा जब जाकर उसका नाम कटेगा। उसका तो जुड़ेगा नहीं और कटवाने में ही उसके चार-पांच सौ रुपये माननीय कालूलालजी साहब खर्च करवा देंगे।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा। मेरी बात पूरी नहीं हुई। दो-तीन बातें बची हैं।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं जवाब दे देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: आपने कह दिया, आ गयी बात।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): सरकारी नौकरी करने वाले भी इसमें शामिल हो गये, मास्टर भी शामिल हो गये, मास्टरों के नाम भी उसमें है। कौनसा तरीका हम निकालेंगे?

श्री उपाध्यक्ष: क्या करें तो, इसमें है। खास तौर से प्रभावशाली आदमी मुखिया उसमें शामिल हो गये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): अब यह सब बातें आ गयीं, जवाब दे दो सबको शामिल करते हुए।

श्री उपाध्यक्ष: शामिल बात हो गयी। शिकायत तो कॉमन यही है। प्रभावशाली लोगों ने नाम दर्ज करवा लिये। बहुत से गरीब रह गये इसके लिए सरकार क्या कर रही? (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): आप तो स्पेशल बांसवाड़ा, डूंगरपुर का .. (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): वैसे अब सदन में भी महावीर प्रसादजी को छोड़कर सारे बी.पी.एल. के ही मंत्री बचे हैं। बाकी तो बाहर के हैं। ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: ग्राम की ग्राम सभा में उन प्रभावशाली व्यक्तियों के सामने आकर शिकायत करने की कोई हिम्मत नहीं करता। उसमें कोई सुधार करवाना चाहता नहीं है।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): हिम्मत नहीं होती, बिलकुल ठीक कह रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: सरकार के पास में कोई जादू का डण्डा तो है नहीं, इसलिए आपको सबको ही इसमें सहयोग करना पड़ेगा तब ही सुधरेगा।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप इस बात को मानते हैं? क्या व्यवस्था दे रहे हैं? आप स्वयं मानते हैं तो मंत्रीजी इसके लिए क्या कर रहे हैं?

श्री अमराराम (धोद): मैं मंत्रीजी से इतना ही जानना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार ने जो निर्देश दिये संख्या घटाने के लिए उसके लिए राजस्थान की सरकार बाध्यकारी नहीं थी, यह स्पष्ट कर दें। केवल केन्द्र सरकार की बाध्यता इतनी ही है... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: वही कर रहे हैं।

श्री अमराराम (धोद): जितना वह धन देते हैं उससे ज्यादा नहीं देंगे। क्योंकि राजस्थान में अकाल में काम नहीं मिलने से ग्रामीण क्षेत्र में जो गरीब है उनके काम के दिन घटे हैं, गरीबी बढ़ी है। क्या केन्द्र सरकार के अलावा अपने बजट से भी उन गरीबों की सहायता करने के लिए इस लिस्ट को पिछली लिस्ट से ज्यादा बढ़ाने का विचार रखती है या नहीं रखती है यह बता दें। ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ एक ही मिनट में अपनी बात कहूंगा। बांसवाड़ा-डूंगरपुर से करीब-करीब एक लाख लोगों का नाम कटा है। मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा हमारे बागड़ी में एक कहावत है कोयल कहती है कि कौवा तू काला है और कौवा कहता है कोयल तू काली है। आरोप-प्रत्यारोप लगाकर हम हमारी जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं लेकिन भारत सरकार और राजस्थान सरकार को ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले गरीब आदिवासियों का अगर इस सूची में नाम नहीं जुड़ा तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं उदयपुर संभाग में कोई भी व्यक्ति, बड़े ओहदे पर बैठा हुआ मंत्री, भारत सरकार और राजस्थान सरकार का गांव-गांव में ढोल बजेंगे कोई घुस नहीं पायेगा। यह मेरा वायदा है।

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): आपको भी नहीं आने देंगे।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): उपाध्यक्ष महोदय, यह बात एक भी सत्ता पक्ष के विधायक ने अपने सुझाव व्यक्त नहीं किये हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि जो विधायक इस बात का अनुमोदन करते हैं कि इन्होंने गलत

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

किया है, एक भी विधायक नहीं बोला। भाजपा का एक भी विधायक नहीं बोला क्योंकि उनको मालूम है कि यदि बी पी एल के अगेंस्ट में बोले तो उनकी संख्या ही उनको माफ नहीं करेगी।

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): जिस विधान सभा क्षेत्र में केवल 1900 परिवारों को ही बी पी एल में शामिल किया गया है इसलिये बाड़मेर और जैसलमेर को विशेष दिया जाए।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): अब बोले हैं यह कहने के बाद।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): नहीं यूं तो सारे मंत्री ही बोल रहे हैं।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): लेकिन महावीर प्रसादजी बैठे हैं। उनको उनकी भी पीड़ा है लेकिन पार्टी के आदेश के अनुसार बोल नहीं सकते वह।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, सुने मंत्रीजी को।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो मैंने मेरे वक्तव्य में जितने भी यहां प्रश्न उठे हैं सबका जवाब दिया फिर भी कुछ माननीय सदस्यों ने...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: बीच में नहीं आप।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): पहले वालों ने यह बताया कि 82,000 परिवार कैसे कम हो गये। यह कह रहे हैं जवाब दे दिया।

श्री उपाध्यक्ष: कहने दीजिये।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): जिसका जवाब नहीं आया है उसका जवाब भी मैं दे रहा हूं। व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: दे रहे हैं इसका। सुनिये आप।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): नहीं तो चर्चा समाप्त हो जायेगी।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, दिनांक 13.9.2002 को भारत सरकार का पत्र आया था बी पी एल सेंसस कराने के लिये और उस पर उन्होंने लिखा कि 13.74 परसेंट परिवारों का ही चयन करना है। कुल मिलाकर राजस्थान में 92.96 लाख परिवार रहते हैं उनका सबका सर्वे करवाया और उस सर्वे में जो अंक दिये गये उसके अनुसार भारत सरकार ने यह कहा कि 13.74 परसेंट ही इसमें सलेक्शन

(श्री कालूलाल गुर्जर)

करना है। इसलिये 11.1 लाख की संख्या उस समय आयी। दिनांक 13.10.2002 को माननीय मुख्यमंत्री गहलोत साहब ने पत्र लिखा..(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): सुनो ना। पढ़ लिया पर, आपने नहीं समझा इसीलिये तो फिर कहना पड़ रहा है। समझ लेते तो शायद कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप सुन लें पहले। जो आप बता गये, वही रिपीट क्यों करते हो? उपाध्यक्ष महोदय, पहले यह वक्तव्य दे चुके हैं, उसको दुबारा नहीं पढ़ें। हम यही तो कह रहे हैं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आप तो यह बताओ कि यह करने के लिये क्या करोगे ? यह जरूरत नहीं है हमने क्या किया और क्या नहीं किया, आप तो ठीक करने के लिये क्या कर रहे हैं? तमिलनाडु में रंगीन टेलीविजन दिया। भारत सरकार ने दिया इंडियन टेलीविजन...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप बताने दीजिये। वह तथ्य बता रहे हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): जो वक्तव्य पहले पढ़ चुके हैं उसको दुबारा नहीं पढ़ें, हम तो यही कह रहे हैं। नयी बात बताएं। वह पढ़ा, जो तो सुन लिया।

श्री उपाध्यक्ष: सुन ही नहीं रहे हैं। सुनना नहीं चाहते। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): इसके बाद माननीय अशोकजी गहलोत ने और पत्र लिखा। एक तो इन्होंने 11.12 को लिखा उसके बाद इन्होंने...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आपने पढ़ दिया ना।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उसके बाद आपने 26.12 को पुनः पत्र लिखा। मैं स्पष्ट कर रहा हूं। यह सुनना इसलिये नहीं चाहते हैं कि इनको अभी खरी खोटी लगती इसलिये बैठिये आप सुनिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैं बोलूंगा ना तो आपके पैरों के नीचे जमीन खिसक जायेगी..

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आपकी खिसक गयी है। आप लोगों की खिसकी हुई है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आपने तो बी पी एल सूची में इसको दुबारा किया...(व्यवधान) प्रमाण है मेरे पास। प्रमाणित जानकारी है। भाजपा के नेताओं के जो पन्द्रह हजार का मोबाइल हाथ में लेकर घूमते हैं उनकी सोचोगे...(व्यवधान) इनकी नहीं सोच सकते...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): पहले तो अपनी जगह पर जाओ। सीट पर नहीं हैं। आप खुद अपनी सीट पर नहीं हैं। इनको कहने का अधिकार नहीं है।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 26.12.2002 को एक लैटर माननीय अशोक गहलोतजी ने मुख्यमंत्री की हैसियत से लिखा यहां से।

30 जनवरी, 2003 को शांता कुमारजी ने उनके पत्र का जवाब देते हुए और उनके अनुरोध के कारण 11.1 लाख से संख्या को बढ़ाकर के 15.78 लाख कर दी।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): यह बिलकुल गलत है ...(व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): यह सही हैं ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बिराजें।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): मैं गलत हूं और यह सही हैं। ...(व्यवधान) यह सही हो गये, वाह, वाह, यह सही हो गये ...(व्यवधान)

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): संख्या ज्यादा बढ़ाई जाये ...(व्यवधान) यह उनके पत्र के आधार पर यह पूरे देश में किया गया था। हर राज्य में किया गया था। ...(व्यवधान) मंत्रीजी बतायें कि एगजिस्टिंग ईयर के अंदर कितना किया गया? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बीच में टोका-टोकी नहीं करें ...(व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, 15.78 लाख की उन्होंने संख्या कर दी और यह भी कहा कि 10 प्रतिशत से आगे और कम ज्यादा की जा सकती है तो 10 प्रतिशत और बढ़ाने के बाद कुल मिलाकर 17 लाख 36 हजार की संख्या राजस्थान सरकार की सीमा भारत सरकार के निर्देशानुसार की और इस संख्या को बार-बार बढ़ाने के लिए हमने प्रयास किया।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): उस समय एनडीए की सरकार थी, उस समय उनकी सरकार थी, केन्द्र में जब आपकी सरकार थी, उन्होंने तब कम करने की बात की।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): इसलिए ही बढ़ाया लेकिन बाद में आपकी सरकार आने के बाद में हमारे मुख्य मंत्रीजी ने प्रयास किया तो एक भी संख्या नहीं बढ़ायी। ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): एनडीए की अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तब यह चिट्ठी गयी थी उनके पास। ...(व्यवधान) तब यह चिट्ठी गयी थी ...(व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आपकी सरकार आने के बाद में एक भी संख्या नहीं बढ़ायी। ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आये तो सब आपके हैं ...(व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): हमने तो 11 लाख के बजाय भी बढ़ायी है ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): अटल बिहारी वाजपेयीजी ने कम किया है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: सदन की कार्यवाही दिनांक 6 अक्टूबर, 2006 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 20.52 बजे स्थगित हुई)

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

पोकरण उपखण्ड (बाड़मेर) में अतिरिक्त जिला कलक्टर कार्यालय की स्थापना

22. श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि उपखण्ड पोकरण में अतिरिक्त जिला कलक्टर का कार्यालय नहीं होने के कारण क्षेत्र की जनता को प्रशासनिक कार्यों के लिए 110 किलोमीटर दूर जैसलमेर जाना पड़ता है? यदि हां, तो क्या सरकार पोकरण उपखण्ड में अतिरिक्त जिला कलक्टर का कार्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं। अभी राज्य में अतिरिक्त कलक्टर कार्यालय खोलने के प्रस्ताव विचारार्थ नहीं लिये गये हैं। जब इस प्रकार के प्रकरणों पर विचार होगा इस पर भी गुणावगुण के आधार पर विचार किया जा सकेगा।

फसल बीमा योजना की क्रियान्विति हेतु गठित समिति की सिफारिशें

23. श्री जोगाराम पटेल (लूणी) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में फसल बीमा योजना लागू होने के उपरान्त कितने प्रतिशत किसानों को इसका लाभ प्राप्त हुआ? वर्षवार व तहसीलवार या जिलावार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या राज्य में किसानों, बैंकों व योजना से सम्बन्धित अधिकारियों को फसल बीमा योजना की विस्तृत जानकारी करवाने व प्रशिक्षण देने की कोई योजना है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या प्रदेश में राजधानी के विकास अध्ययन केन्द्र के अध्यक्ष बी.एस. व्यास की अध्यक्षता में फसल बीमा योजना की जांच पड़ताल करने हेतु समिति का गठन किया गया था? यदि हां, तो क्या इस समिति की सिफारिश को सरकार लागू करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) राज्य में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना खरीफ-2003 से शुरू की गई थी। अब तक 25.14% किसानों को योजनान्तर्गत मुआवजा दिया गया। वर्षवार/जिलेवार कृषकों को दिये गये मुआवजे का प्रतिशत परिशिष्ट-1 से परिशिष्ट-5 पर उपलब्ध है।

(2) हां। कृषकों, बैंकों एवं योजना से सम्बन्धित अधिकारियों को जानकारी उपलब्ध कराने हेतु योजना के शुरू में एग्रीकल्चर इन्श्योरेन्स कम्पनी आफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा सभी जिलों में कार्यशालायें आयोजित की गई थी। समय-समय पर मोबाइल वेन से राज्य में इस योजना का प्रचार प्रसार कम्पनी द्वारा किया जा रहा है। राजस्व विभाग द्वारा भी प्रत्येक मौसम में फसल कटाई प्रयोग प्रशिक्षण आयोजित किये जाते हैं जिनमें भी इस योजना की जानकारी सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा दी जाती है।

(3) जी नहीं। डा. एम. एस. स्वामीनाथंन की अध्यक्षता में राज्य में कृषि एवं पशुपालन के समग्र विकास हेतु गठित टास्क फोर्स के अन्तर्गत 6 विषय परख दलों (Thematic Groups) का गठन किया गया है। उनमें से एक दल साख एवं बीमा से सम्बन्धित हैं। इस दल का समन्वयक श्री बी.एस. व्यास को बनाया गया है। उनके द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर टास्क फोर्स के अध्यक्ष डा. स्वामीनाथन द्वारा अन्तिम निर्णय लिया जाना है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

तारांकित प्रश्न संख्या-24

(स्थगित)

शैक्षणिक सत्र 2006-07 में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा पाठ्यपुस्तकों में बदलाव एवं आपूर्ति

25. श्री प्रमोद जैन "भाया" (बारां) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) शैक्षणिक सत्र 2006-07 में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10 व 12 की कौन-कौन से विषय की पुस्तकें बदली गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) शैक्षणिक सत्र 2006-07 में राज्य के माध्यमिक व सीनियर विद्यालयों में किस तारीख से पढ़ाई प्रारम्भ हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) शैक्षणिक सत्र 2006-07 के प्रथम दिवस कक्षा 10 से 12 की कौन-कौन सी पुस्तकें सुगमता से छात्रों को उपलब्ध नहीं थी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री प्रमोद जैन "भाया")

(4) जिला कोटा में माह अगस्त, 2006 में कक्षा 10 से 12 की किस-किस पुस्तक के कितने-कितने मांग पत्र पुस्तक विक्रेताओं से प्राप्त हुये एवं इनकी सप्लाई मांग पत्र प्राप्त होने पर भी नहीं देने के क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) शैक्षणिक सत्र 2006-07 में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10 व 12 की सभी पुस्तकें नवीन पाठ्यक्रम अनुसार लिखवाई गई।

(2) राज्य सरकार के निर्णयानुसार वर्ष 2006-07 का नवसंवतसरी (दिनांक 17.4.2006) से सत्रारम्भ प्रथम बार प्रारम्भ किया गया है। विधिवत दिनांक 1.7.2006 से औपचारिक रूप से सत्र प्रारम्भ हो पाया।

(3) शैक्षणिक सत्र 2006-07 के विधिवत रूप से प्रथम दिवस कक्षा 10 से 12 की पुस्तकें छात्रों को पर्याप्त उपलब्ध थी। अगस्त माह में उपलब्ध होने वाली पुस्तकों की सूची संलग्न है।

(4) कोटा जिले से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 84 पुस्तक विक्रेता पंजीकृत है उनमें से 41 पुस्तक विक्रेताओं ने अपनी मांग बोर्ड के निर्देशों के अनुसार माह अक्टूबर, 2005 तक भिजवा दी थी। उनकी मूल मांग की पूर्ति 3 जुलाई और 29 जुलाई, 2006 को की गई है। इस पूर्ति के उपरान्त कोटा जिले के 47 पुस्तक विक्रेताओं ने अगस्त माह में स्वयं आकर जो भी अतिरिक्त मांग की, वह उन्होंने स्वयं तत्समय ही प्राप्त कर ली है। पुस्तक विक्रेताओं की मूल मांग जुलाई माह में पूरी करने के उपरान्त उनकी अतिरिक्त मांग की पूर्ति भी की गई है।

सूची- "अ"-3

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर
कक्षा-10 व 12 की जि.शि. अधिकारियों को आपूर्तित निःशुल्क पुस्तकों की सूची
दिनांक 1.8.2006 से 6.8.2006 तक बोर्ड गोदाम से शेष सभी पुस्तकों की आपूर्ति की गई है

पु. क्र.	पुस्तक का नाम
30	रसायन विज्ञान-द्वितीय 12
32	जीव विज्ञान-प्रथम (वनस्पति शास्त्र) 12
49	इतिहास-प्रथम (भारत का इतिहास एवं संस्कृति) 12
51	राजनीति विज्ञान प्रथम (राजनीति विज्ञान की प्रमुख अवधारणाऐं एवं विचारधाराऐं) 12
57	भूगोल-प्रथम (मानव भूगोल की रूपरेखा) 12
58	भूगोल-द्वितीय (भारत संसाधन एवं प्राव्. नियोजन) 12
60	गृह विज्ञान भाग-प्रथम एवं द्वितीय 12
61	चित्रकला (भारतीय चित्रकला एवं मूर्तिकला) 12
62	संगीत स्वर रूचि 12
63	हिन्दी साहित्य-I गद्यालोक (गद्य संकलन) 12
70	अंग्रेजी साहित्य-II पोयट्री 12
76	उर्दू साहित्य प्रथम (नस्र) 12
77	उर्दू साहित्य द्वितीय (नज्म) 12
92	संस्कृत वाङ्यम (अनिवार्य) प्रथम (लघु सिद्धान्त कौमुदी) 12
93	संस्कृत वाङ्यम (अनिवार्य) द्वितीय शिवराज विजयम् 12

परबतसर में निर्मित एनिकटों की जांच रिपोर्ट पर कार्यवाही

26. श्री राकेश मेघवाल (परबतसर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री राकेश मेघवाल)

(1) विधान सभा क्षेत्र परबतसर में गत तीन वर्षों में कितने एनिकट स्वीकृत किये गये? वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें। इन एनिकटों की स्वीकृति के क्या मानदण्ड हैं?

(2) क्या यह सही है कि स्वीकृत एनिकटों के निर्माण हेतु खुली निविदायें आमंत्रित की गई? यदि हां, तो ये निविदायें कब-कब एवं किन-किन एनिकटों के लिये आमंत्रित की गई तथा इन निविदाओं के लिये गठित कमेटी में कौन-कौन सदस्य नियुक्त किये गये?

(3) उपरोक्त निविदायें कब-कब खोली गई तथा किस-किस संस्था को कौन-कौन से एनिकट निर्माण के ठेके दिये गये? ठेकेदार को उक्त एनिकट निर्माण हेतु कितना समय दिया गया? क्या उक्त ठेकेदारों द्वारा कार्य समय पर पूर्ण कर दिया गया? यदि नहीं, तो सरकार द्वारा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गर्इ?

(4) क्या यह सही है कि एनिकट निर्माण में ठेकेदारों द्वारा तकमीने के अनुसार कार्य किया गया? क्या यह भी सही है कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो क्या इनमें से कुछ एनिकटों की जांच उपखण्ड अधिकारी परबतसर, सहायक अभियन्ता सिंचाई उपखण्ड परबतसर एवं सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग परबतसर द्वारा की गई जिनमें ठेकेदारों को निर्माण कार्य में अनियमितता का दोषी पाया गया? यदि हां, तो उनके विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र परबतसर में गत तीन वर्षों में 21 एनिकट स्वीकृत किये गये वर्षवार सूची परिशिष्ट "अ" एवं "ब" पर संलग्न है। सम्बन्धित क्षेत्र में पानी रोकने के लिए उपयुक्त स्थान को ध्यान में रखते हुए एनिकटों के निर्माण की स्वीकृति जारी की जाती है।

(2) जी हां। आमंत्रित निविदाओं का विवरण परिशिष्ट-"स" पर संलग्न है। निविदा के लिए गठित कमेटी में अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता एवं तकनीकी सहायक तथा खण्डीय लेखाकार सदस्य होते हैं।

(3) उपरोक्त निविदाऐं खोलने की दिनांक एवं संस्था का नाम ठेकेदार को दिया गया समय-समय पर कार्य पूर्ण करने एवं न करने की स्थिति का समस्त विवरण परिशिष्ट-"द" पर संलग्न है।

(सिंचाई मंत्री)

एक मात्र पीह एनिकट के निर्माण कार्य में विलम्ब ठेकेदार के कारण हुआ है जिसके विरुद्ध अनुबन्ध की धारा 2 के तहत कार्यवाही कर पेनेल्टी लगा दी गई है।

(4) जी हां। यह सही है कि विधायक महोदय परबतसर के मौखिक निर्देशानुसार उपखण्ड अधिकारी परबतसर सहायक अभियन्ता, जल संसाधन उपखण्ड, परबतसर तथा सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, परबतसर द्वारा 6 एनिकटों का निरीक्षण दिनांक 15.02.2006 को किया गया। निरीक्षण के समय 6 एनिकटों में से 4 एनिकटों का निर्माण विभागीय मापदण्ड के अनुसार पाया गया। रोहिन्डी एनिकट का निर्माण त्रुटिपूर्ण पाया गया इसको तुडवाकर ठेकेदार की लागत पर समयावधि में सही करवा दिया गया है। पीह एनिकट का निर्माण भी त्रुटिपूर्ण पाया गया ठेकेदार को इसे ठीक करने के निर्देश दिये जा चुके हैं त्रुटिपूर्ण कार्य का भुगतान ठेकेदार को नहीं किया गया है। निर्माण कार्य में विलम्ब के लिए ठेकेदार को दण्डित कर पेनेल्टी लगा दी।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

राज्य मद में सड़क एवं भवन निर्माण प्रगति हेतु प्रावधित राशि का उपयोग

27. श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 2006-07 में सड़क एवं भवन निर्माण कार्यों की प्रगति हेतु राज्य योजना में कितनी राशि का प्रावधान किया गया?

(2) क्या यह सही है कि प्रावधित राशि की अभी तक प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां प्राप्त नहीं हुई हैं? यदि हां, तो किस राशि में से कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है?

(3) क्या यह भी सही है कि सड़क एवं भवन निर्माण के कार्यों हेतु केन्द्र एवं केन्द्र प्रवर्तित योजना के तहत राशि प्राप्त हुई है? यदि हां, तो वर्ष 2005-06 में कितनी राशि प्राप्त हुई और कितना व्यय किन-किन कार्यों में किया गया?

(4) उक्त दोनों मदों में राज्य योजना एवं केन्द्र प्रवर्तित योजना के तहत किए गए व्यय का विगत दो वर्षों का तुलनात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 2006-07 में सड़क एवं भवन निर्माण कार्यों की प्रगति हेतु राज्य योजना द्वारा क्रमश: 605.64 करोड़ रुपये व 113.97 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया।

(2) सड़क कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां जारी कर दी गई हैं तथा भवन कार्यों हेतु आंशिक प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां जारी की गई हैं। प्रावधित राशि में से ही कार्यों पर व्यय किया जा रहा है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(3) जी हां। वर्ष 2005-06 में सड़क कार्यों हेतु केन्द्र व केन्द्र प्रवर्तित योजना के तहत प्राप्त राशि व व्यय निम्न प्रकार है :-

मद	प्राप्त राशि (करोड़ में)	व्यय (करोड़ में)
(1) केन्द्रीय सड़क निधि योजना	121.16	108.98
(2) अन्तरराज्यीय सड़क योजना	7.28	6.53
(3) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	431.86	608.25 (इसमें वर्ष 2004-05 की शेष राशि 183.70 करोड़ सम्मिलित है।
(4) राष्ट्रीय उच्च मार्ग	91.73	121.35
(5) भवन निर्माण कार्य	9.13 बजट प्रावधान	1.64

व्यय राशि का कार्यवार विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(4) उक्त दोनों मदों में राज्य योजना एवं केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के तहत किये गये व्यय का विगत दो वर्षों का तुलनात्मक विवरण परिशिष्ट- "ब" पर संलग्न है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

तारांकित प्रश्न संख्या-28

(स्थगित)

फलासिया की क्षतिग्रस्त सड़कें

29. श्री बाबूलाल खराड़ी (फलासिया) : क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र फलासिया में कृषि मण्डी द्वारा निर्मित सड़कें क्षतिग्रस्त हैं यदि हां, तो कौन-कौनसी व कितनी?

(2) क्या सरकार उक्त सड़कों की मरम्मत कराने का विचार रखती है यदि हां, तो कब तक? व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। निर्मित सड़कों में से 5 सड़के 20 कि.मी. लम्बाई में अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त हुई है। जिनका विवरण परिशिष्ट "अ" में अंकित है।

(2) कृषि उपज मण्डी समिति, उदयपुर के पास मरम्मत हेतु धन राशि उपलब्ध नहीं होने के कारण क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत हेतु प्रस्ताव तैयार कर आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग को स्वीकृति हेतु भिजवा दिये गये है। स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त इन सड़कों पर मरम्मत कार्य करवाया जाना सम्भव होगा।

परिशिष्ट "अ"

खैरवाड़ा विधान सभा क्षेत्र झाड़ोल-फलासिया में अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सड़कों की सूची

क्र. सं.	सड़का का नाम	निर्मित लम्बाई (कि.मी.)	निर्माण वर्ष	मरम्मत हेतु आवश्यक राशि (लाखों में)	क्षति का विवरण
1.	स. स. मादला	5.200	2001-2002	29.00	जगह-जगह डामरीकरण एवं सुरक्षा दीवार क्षतिग्रस्त
2.	स.स. उपली सिंगरी	4.65	2002-2003	15.00	जगह-जगह डामरीकरण क्षतिग्रस्त, सुरक्षा दीवार एवं सी.डी. कार्य में कटाव
3.	स. स. आमोद	2.20	2002-2003	10.00	जगह-जगह डामरीकरण क्षतिग्रस्त
4.	स.स. गउपीपला	4.75	1999-2000	20.00	जगह-जगह डामरीकरण क्षतिग्रस्त
5.	स.स. तेजा का वास	3.20	2000-2001	14.00	जगह-जगह डामरीकरण क्षतिग्रस्त
	योग :-	**20.00**		**88.00**	

परिशिष्ट "अ"

झाड़ोल-फलासिया में निर्मित सड़कों की सूची

क्र. सं.	सड़का का नाम	निर्मित लम्बाई (कि.मी.)	निर्माण पर व्यय (लाख में)	निर्माण वर्ष
1.	स. स. मादला	5.20	33.03	2001-2002
2.	स.स. उपली सिंगरी	4.65	26.90	2002-2003
3.	स. स. आमोद	2.20	19.74	2002-2003
4.	स.स. पीपलवाड़ा	2.70	12.83	2002-2003
5.	स.स. खेडब्रम्हा से महाडी	0.60	3.17	1999-2000
6.	स.स. गउपीपला	4.75	27.03	1999-2000
7.	स.स. मादड़ी से सागवाडा	2.00	22.37	2004-2005
8.	स.स. मादड़ी से फलासिया	6.00	91.57	2004-2005
9.	स.स. पीपलवाड़ा से बाबलवाड़ा	4.00	45.06	2004-2005
10.	स.स. मण्ड़ावल से गुजरात बोर्डर	1.60	16.85	2004-2005
11.	स.स. भुरिया	2.80	8.68	2000-2001
12.	स.स. पालिया खेड़ा से मादडी	9.00	4.00	1984-1985
13.	स.स. झाड़ोल से कन्थारियां	5.00	12.86	1993-1994
14.	स.स. धारावन	1.00	8.97	2000-2001
15.	स.स. तेजा का वास	3.20	14.20	2000-2001
	योग :-	**54.70**	**347.26**	

संविदा पर नियुक्त नर्सिंग कर्मियों को नियमित नियुक्ति में प्राथमिकता

30. श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री रामनारायण मीणा)

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में निश्चि‍त राशि की संविदा पर नर्सेज की नियुक्तियां की गई हैं? यदि हां, तो कितने पदों पर किस-किस तारीख से तथा क्यों? जिलेवार पृथक-पृथक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि नियुक्ति‍ के समय उक्त को स्थाई नियुक्ति‍ में प्राथमिकता देने बाबत आश्वस्त किया गया था? यदि हां, तो अब स्थाई नियुक्ति‍ दिये जाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है? कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों को प्रसूति अवकाश आदि अतिमहत्वपूर्ण सुविधायें भी देय नहीं हैं? यदि हां, तो क्यों तथा अब इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जायेगी?

(4) क्या सरकार संविदा में नियुक्त कर्मचारियों को अनुभवी कर्मचारी मानकर नई नियुक्ति‍ के समय इन्हें प्राथमिकता देने का विचार रखती है? यदि हां, तो इस बाबत क्या मानदण्ड निर्धारित किये जायेंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। जनहित में चिकित्सा सुविधाओं को सुचारू रूप से चलाने हेतु निश्चित राशि की संविदा पर नर्स श्रेणी द्वितीय एवं महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की नियुक्ति‍ की गई है। जिनका संख्या विवरण निम्न प्रकार है

1.	नर्स श्रेणी-द्वितीय	1669
2.	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता	2153
3.	अति. महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता	1119

(2) जी नहीं। केवल राज्य कर्मियों की हड़ताल के दौरान नर्स श्रेणी-द्वितीय के 568 पदों को अर्जेन्ट टेम्परेरी बेसिस पर संविदा पर कार्यसम्पादन हेतु फिक्स राशि 4500/- पर नियुक्त किया गया था। उन आदेशों में कर्मियों को नियमित नियुक्ति‍ में प्राथमिकता दिये जाने का उल्लेख किया गया है। उसके पश्चात् संविदा पर नियुक्त कर्मियों के नियुक्ति‍ आदेशों में इस प्रकार का कोई आश्वासन नहीं दिया गया है।

(3) जी हां। संविदा कर्मियों पर राजस्थान सेवा नियम लागू नहीं होते हैं। संविदा पर कार्यरत महिला कार्मिकों को प्रसूति अवकाश आदि महत्वपूर्ण सुविधाओं के

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

सम्बन्ध में प्रकरण राज्य सरकार स्तर पर विचाराधीन है। फिर भी राज्य सरकार द्वारा मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुये प्रथम दो वर्ष के सेवाकाल पूर्ण करने पर 20 प्रतिशत एवं तत्पश्चात् प्रत्येक वर्ष की सेवा पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त मानदेय तथा 1 वर्ष में 15 दिवस का आकस्मिक अवकाश तथा राजकीय कार्य हेतु टीए/डीए दिया जा रहा है।

(4) जी नहीं। राजस्थान चिकित्सा एवं अधीनस्थ सेवा नियम 1965 यथा संशोधित नियम 3.6.1982 में संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों को नियमित नियुक्ति में प्राथमिकता दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

तारांकित प्रश्न संख्या-31

(स्थगित)

कठूमर की हैण्डपम्प विहीन ढाणियां

32. श्री रमेश खींची (कठूमर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा ढाणी/ग्रामों में कितनी जनसंख्या पर हैण्डपम्प लगाया जाता है?

(2) क्या यह सही है कि ग्राम जाहाडू पंचायत समिति कठूमर में हैण्डपम्प स्वीकृत किये गये हैं? यदि हां, तो कितने-कितने व उक्त हैण्डपम्प के प्रस्ताव किसके द्वारा दिये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र कठूमर में हैण्डपम्प विहीन ढाणियां हैं जहां आज भी पेयजल की कोई सुविधा नहीं है? यदि हां, तो ऐसी कितनी ढाणियां हैं तथा उक्त में अब तक हैण्डपम्प लगा दिये जायेंगे?

उत्तर

(1) हैण्डपम्प में पानी की उपलब्धता एवं पेयजल की आवश्यकता को ध्यान में रखकर हैण्डपम्प लगाये जाते हैं।

(2) जी हां। ग्राम जाहाडू में वर्ष 2005-06 में 6 तथा वर्ष 2006-07 में 5 हैण्डपम्प स्वीकृत किये गये। ये हैण्डपम्प विभिन्न जन प्रतिनिधियों की मांग एवं पेयजल की आवश्यकता को ध्यान में रखकर स्वीकृत किये गये।

(3) जी हां। विभागीय पेयजल सुविधा से विहीन 94 ढाणियां हैं, जिन्हें हैण्डपम्प से मार्च, 2007 तक लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है।

मेड़ता के ग्रामीण क्षेत्रों की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत

33. **श्री रामचन्द्र जारोडा** (मेड़ता, नागौर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के ग्रामीण क्षेत्र की क्षतिग्रस्त सड़कों को सीमेन्ट सड़क बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। वर्तमान में प्राथमिकतानुसार मेड़ता विधान सभा क्षेत्र की राज्य राज मार्गों पर कस्बाई, ग्रामीण क्षेत्रों में सीमेन्ट कंक्रीट के कार्य स्वीकृत किये गये हैं। अन्य ग्रामीण क्षेत्र की क्षतिग्रस्त सड़कों पर सीमेन्ट कंक्रीट सड़क कार्य राज्य के उपलब्ध सीमित संसाधनों एवं प्राथमिकता पर निर्भर करता है।

प्रतापगढ़ (अलवर) में उप तहसील की स्थापना/स्वीकृति

34. **श्री कान्तीप्रसाद मीणा** (थानागाजी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) उप तहसील बनाने हेतु क्या मानदण्ड निर्धारित हैं? क्या यह सही है कि सरकार राज्य में नई उप तहसील बनाने का विचार रखती हैं? यदि हां, तो कहां-कहां? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या विधान सभा क्षेत्र थानागाजी के गांव प्रतापगढ़ जो अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है को उप तहसील बनाये जाने हेतु मामला सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो ग्राम प्रतापगढ़ को कब तक उप तहसील बनाने की कार्यवाही कर दी जावेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) उप तहसील बनाने हेतु नियमों में कोई मापदण्ड निर्धारित नहीं है परन्तु क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति के साथ-साथ वर्ष 1992 में मजीठिया कमेटी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार एक सामान्य उप तहसील हेतु कम से कम 15 पटवार मण्डल एवं इसी अनुपात में भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त होने चाहिए।

जी नहीं अभी नई उप तहसील बनाने के प्रस्ताव विचारार्थ नहीं लिये गये हैं।

(2) जी नहीं। जब भी नई उप तहसील बनाये जाने के प्रस्ताव लिये जायेंगे इस प्रकरण पर भी गुणावगुण के आधार पर उचित निर्णय लिया जा सकेगा।

कोटा में कुक्कुट पालन व्यवसाय हेतु आबंटित लीज/भूखण्डों का नवीनीकरण

35. श्री भरत सिंह (दीगोद) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा कोटा में कुक्कुट शाला व्यवसाय को प्रोत्साहन देने व चलाने हेतु सरकारी भूमि का नियमित शुल्क वसूल करके भूखण्डों को लीज पर आबंटित किया गया था? यदि हां, तो भूमि आबंटन किस वर्ष में की गई तथा भूखण्ड का आकार कितना था तथा कितना शुल्क आबंटी से वसूल किया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि आबंटित भूमि पर वर्तमान में कुक्कुटशालाओं का संचालन किया जा रहा है? यदि हां, तो किस फार्म पर कितनी मुर्गियां हैं तथा कितने फार्म बन्द हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त कुक्कुट शालाओं के लिये संरक्षित भूमि पर अतिक्रमण करके आवासीय मकान बना लिये गये हैं?

(4) क्या यह सही है कि नियमित रूप से कुक्कुट व्यवसाय करने वाले लोगों की लीज की अवधि समाप्त हो जाने के बाद विधिवत रूप से लीज रिनीवल के आवेदन करने के बाद भी रिनिवल नहीं किया जा रहा है यदि हां, तो क्यों व किन-किन की लीज रिनीवल नहीं की गई? आवेदकों की सूची व लीज रिन्यू नहीं किये जाने के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) कुक्कुट व्यवसाय से जुडे लोगों को मार्गदर्शन हेतु कितने अधिकारी व कर्मचारी कोटा में किस-किस पद पर कार्यरत हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। भूमि आबंटन की वर्षवार सूची मय भूखण्ड का आकार एवं शुल्क अनुसंलग्नक "क" सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां। उक्त में से वर्तमान में 7 कुक्कुट शालाऐं बन्द हैं। कोटा में आबंटित कुक्कुट शालाओं में उपलब्ध कुक्कुट की संख्या अनुसंलग्नक "ख" सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी हां।

(4) जी नहीं।

(5) कुक्कुट व्यवसाय से जुडे लोगों को मार्गदर्शन देने हेतु कोटा जिले के अधिकारियों की सूची निम्नानुसार है :-

(पशुपालन मंत्री)

1. संयुक्त निदेशक संभाग, पशुपालन विभाग कोटा। 1 पद
2. उप निदेशक, पशुपालन विभाग कोटा। 1 पद
3. समस्त सहायक निदेशक, पशुपालन विभाग कोटा। 7 पद
4. समस्त वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, पशुपालन विभाग कोटा। 11 पद
5. समस्त पशु चिकित्सा अधिकारी, पशुपालन विभाग कोटा। 31 पद

अनुसंलग्नक- "क"

कोटा में कुक्कुट शाला व्यवसाय को प्रोत्साहन देने बाबत आबंटित भू-खण्डों के वर्ष, वसूल राशि एवं भू-खण्ड का आकार की सूची

क्र. सं.	आबंटी का नाम	भू-खण्ड साईज (फुट में)	आबंटित वर्ष	वसूल की गई राशि (रुपये)
1	2	3	4	5
1.	श्रीमती बी. दास गुप्ता	150x145	1979	2600/-
2.	श्री मुन्ना खान	150x145	1976	2600/-
3.	श्री मंजीत सिंह आनन्द	150x137	1976	2600/-
4.	श्री प्रकाश सहाय भटनागर	150x145	1976	1300/-
5.	श्री रविन्द्र लोहमी	150x145	1976	2600/-
6.	श्री श्याम रोहिड़ा	150x145	2002	
7.	श्री सचिन्द्रनाथ सक्सेना	150x145	1976	1300/-
8.	श्री हेमराज सिंह	150x145	1976	2600/-
9.	श्री गिरीश त्रिपाठी	150x145	1976	2600/-
10.	श्री मो. हारून हाशमी	150x145	1976	2600/-
11.	श्री राधेकान्त शर्मा	150x145	1977	2600/-

1	2	3	4	5
12.	श्री देवीकान्त शर्मा	150x145	1980	2600/-
13.	श्री अब्दुल बहाव हाशमी	150x145	1976	2600/-
14.	श्री अब्दुल सलाम हाशमी	150x145	1976	2600/-
15.	श्री सुरेन्द्र सिंह हाड़ा	150x145	1976	2600/-
16.	श्री राजेन्द्र सिंह सिसोदिया	150x145	1976	2600/-
17.	श्री इरफान हबीब खिलजी	150x145	1976	2600/-
18.	श्री सोमित्र कुमार शर्मा	150x145	1999	2600/-
19.	श्री मो. बक्श	150x145	1976	2600/-
20.	श्री डी. के कुशवाह	150x145	1976	1300/-
21.	श्री गम्भीर सिंह परमार	150x145	1976	2600/-
22.	श्री अब्दुल सत्तार	150x145	1976	1300/-
23.	श्री प्रभुलाल कुशवाहा	150x145	1976	2600/-
24.	श्री गजेन्द्र कुमार गौड	150x145	1976	2600/-
25.	श्री राधाकिशन नागर	150x145	1976	2600/-
26.	श्री लोकेन्द्र गौड़	150x145	1979	2600/-
27	श्री अशोक कुमार शर्मा	150x145	1979	2600/-
28.	श्री सुरेश कुमार सक्सेना	150x145	1976	2600/-
29.	श्रीमती भंवरी देवी सोलंकी	150x145	1976	2600/-
30.	श्री गोविन्द सिंह राजावत	150x145	1976	2600/-

1	2	3	4	5
31.	श्री आबिद हुसैन	150x106	1978	2600/-
32.	श्री सरफराज अली	150x106	1976	1300/-
33.	श्री संवर सिंह खींची	150x145	1976	1300/-
34.	श्री अरूण सहाय भटनागर	150x145	1976	1300/-
35.	श्री कीर्तिकुमार सक्सेना	150x145	1976	2600/-
36.	श्री दलवीर सिंह राठौर	75x145	1976	1300/-
37.	श्री महेन्द्र सिंह चन्द्रावत	150x145	1976-77	2600/-

नोट :- क्रम संख्या 6 पर अंकित श्री श्याम रोहिडा को भूखण्ड आबंटन वर्ष 2002 में जिला कलक्टर कोटा द्वारा किया गया है, जिसकी विकास शुल्क राशि वसूल नहीं की गई है।

अनुसंलग्नक- "ख"

कोटा में राज्य सरकार से आबंटित भूमि पर कुक्कुट शालाओं में उपलब्ध कुक्कुट संख्या

क्र. सं.	कुक्कुट पालक का नाम	कुल कुक्कुट संख्या	चालू/बन्द
1	2	3	4
1.	श्रीमती बी. दास गुप्ता	500	चालू
2.	श्री मुन्ना खां	500	चालू
3.	श्री मंजीत सिंह आनन्द	2000	चालू
4.	श्री प्रकाश सहाय भटनागर	—	बन्द
5.	श्री रविन्द्र लोहमी	500	चालू
6.	श्री सचिन्द्रनाथ सक्सेना	—	बन्द

1	2	3	4
7.	श्री हेमराज सिंह	1000	चालू
8.	श्री गिरीश त्रिपाठी	2000	चालू
9.	श्री मोहम्मद हारून हाशमी	1000	चालू
10.	श्री राधेकान्त शर्मा	1000	चालू
11.	श्री देवीकान्त शर्मा	1000	चालू
12.	श्री अब्दुल वहाव हाशमी	500	चालू
13.	श्री अब्दुल सलाम हाशमी	500	चालू
14.	श्री सुरेन्द्र सिंह हाडा	500	चालू
15.	श्री राजेन्द्र सिंह सिसोदिया	500	चालू
16.	श्री इरफान हबीब खिलजी	300	चालू
17.	श्री सोमित्र कुमार शर्मा	—	बन्द
18.	श्री मो. बक्श	500	बन्द
19.	श्री डी. के. कुशवाह	—	चालू
20.	श्री गम्भीर सिंह परमार	3500	चालू
21.	श्री अब्दुल सत्तार	500	चालू
22.	श्री प्रभुलाल कुशवाहा	500	चालू
23.	श्री गजेन्द्र कुमार गौड	600	चालू
24.	श्री राधाकिशन नागर	500	चालू
25.	श्री लोकेन्द्र गौड	2000	चालू
26.	श्री अशोक कुमार शर्मा	500	चालू
27	श्री सुरेश कुमार सक्सेना	2500	चालू
28.	श्रीमती भंवरी देवी सोलंकी	—	बन्द

1	2	3	4
29.	श्री गोविन्द सिंह राजावत	500	चालू
30.	श्री आबिद हुसैन	2000	चालू
31.	श्री सरफराज अली	500	चालू
32.	श्री तंवर सिंह खींची	400	चालू
33.	श्री अरूण सहाय भटनागर	—	बन्द
34.	श्री कीर्तिकुमार सक्सेना	800	चालू
35.	श्री दलवीर सिंह राठौर	—	बन्द
36.	श्री महेन्द्र सिंह चन्द्रावत	3000	चालू

श्रीडूंगरगढ़ की स्वास्थ्य केन्द्र रहित पंचायतों हेतु चिकित्सा सुविधाएं

36. श्री मंगला राम गोदारा (डूंगरगढ़) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ में कितने स्वास्थ्य केन्द्र, कितने उप स्वास्थ्य केन्द्र वर्तमान में संचालित हैं? क्या इन पर पर्याप्त स्टॉफ पदस्थापित है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) किस-किस चिकित्सालय में कितने-कितने कर्मचारियों के कौन-कौन से पद रिक्त हैं? क्या सरकार उन्हें भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ के किन-किन ग्राम पंचायतों में स्वास्थ्य केन्द्रों की सुविधा अभी भी नहीं है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) जिन ग्राम पंचायतों में यह सब-सेन्टर नहीं हैं क्या सरकार उनमें नवीन सब-सेन्टर खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ में 1 नेत्र चिकित्सालय 1 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 7 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 45 उप स्वास्थ्य केन्द्र वर्तमान में

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

स्वीकृत है। उक्त चिकित्सा संस्थानों में स्टाफ के रिक्त पदों का संख्या विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ के अन्तर्गत आने वाले चिकित्सा संस्थानों में स्टाफ के रिक्त पदों का संख्या विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

जी हां। चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से चयनित अभ्यार्थियों को नियुक्ति दिए जाने के समय भरने के प्रयास किए जाएगें। नर्स प्रथम, रेडियोग्राफर, मलेरिया निरीक्षक, एसएमपीडब्ल्यू एवं बीएचएस के रिक्त पदों को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने के उपरान्त भरा जाना सम्भव हो सकेगा। नर्स द्वितीय के 1226 रिक्त पदों को भरने हेतु कार्यवाही प्रगति पर हैं। शेष पद सीधी भर्ती के हैं जिन्हें भी भरने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(3) विधान सभा क्षेत्र श्री डूंगरगढ़ के अन्तर्गत आने वाले सभी ग्राम पंचायतों के मुख्यालय अथवा ग्राम पंचायतों के अधीन आने वाले ग्रामों में से किसी न किसी ग्राम में चिकित्सा संस्थान स्वीकृत है।

परिशिष्ट "अ"

श्रीडूंगरगढ़ के अन्तर्गत आने वाले चिकित्सा संस्थानों में स्टाफ के रिक्त पदों का संख्या विवरण निम्न प्रकार है

चिकित्सा संस्थान का नाम	पदनाम	रिक्त पदों की संख्या
1	2	3
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र डूंगरगढ़	नर्स श्रेणी प्रथम	1
	नर्स श्रेणी द्वितीय	2
	रेडियोग्राफर	1
	वार्डबॉय/सफाईकर्मचारी	2
नेत्र चिकित्सालय श्रीडूंगरगढ़	नर्स श्रेणी द्वितीय	1

1	2	3
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बिग्गा	बीएचएस	2
	एमएमपीडब्ल्यू	1
	मलेरिया निरीक्षक	1
	वाहन चालक	1
	वार्डबॉय	1
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दुलचासर	नर्स श्रेणी द्वितीय	1
	वाहन चालक	1
	सफाई कर्मचारी	1
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सैरूणा	नर्स श्रेणी द्वितीय	2
	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	1
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, तोलियासर	नर्स श्रेणी द्वितीय	2
	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	1
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मोमासर	चिकित्सा अधिकारी	2
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, लाखासर	नर्स श्रेणी द्वितीय	2
	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	1
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पुनरासर	नर्स श्रेणी द्वितीय	1
उप स्वास्थ्य केन्द्र, रिडी	प्रसाविका	1

(4) शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

जालौर जिला कलक्टर द्वारा अध्यापकों के समानीकरण हेतु जारी दिशा-निर्देश

37. डा. समरजीत सिंह (भीनमाल) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र भीनमाल के पंचायत समिति भीनमाल में समानीकरण के नाम पर माह मार्च, 2006 के पश्चात् शिक्षकों के तबादले किये गये हैं? यदि हां, तो कितने स्थानान्तरण किये गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त तबादले करने से पूर्व जिला कलक्टर द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया था? यदि हां, तो कमेटी के सदस्य कौन-कौन थे? इन सदस्यों ने समानीकरण के नाम पर शिक्षकों के स्थानान्तरण करने हेतु क्या-क्या सुझाव/सिफारिश की? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि समानीकरण के अन्तर्गत स्थानान्तरण किये जाने हेतु शासन सचिव/जिला कलक्टर, जालौर द्वारा कोई दिशा निर्देश/परिपत्र जारी किया गया था? यदि हां, तो परिपत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि शासन सचिव/जिला कलक्टर द्वारा जारी निर्देशों की कमेटी के सदस्यों द्वारा पालना की गई? यदि नहीं, तो क्यों? पालना नहीं किये जाने के लिए कौन अधिकारी दोषी हैं? उनके विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है?

(5) शिक्षक छात्र अनुपात को आधार मान कर किये गये स्थानान्तरणों के बाद भीनमाल पंचायत समिति के कितने ऐसे विद्यालय हैं, जिनमें एक भी शिक्षक स्कूल में नहीं रहा? क्या सरकार वहां पर पुन: शिक्षक लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र भीनमाल की पंचायत समिति भीनमाल में स्थानान्तरण नहीं किये गये हैं, अपितु छात्र शिक्षक अनुपात को ध्यान में रखकर आवश्यकता वाले विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था की गई है। मार्च, 2006 से वर्तमान तक शिक्षण व्यवस्था के अन्तर्गत लगाये गये अध्यापकों का विवरण (परिशिष्ट) "क" संलग्न है।

(2) शिक्षण व्यवस्था करने से पूर्व जिला कलक्टर जालौर द्वारा कमेटी का

(शिक्षा मंत्री)

1.	उपखण्ड अधिकारी, भीनमाल	अध्यक्ष
2.	बीईईओ, भीनमाल	सदस्य
3.	श्री कुन्दनमल दवे, प्रधानाचार्य, रासीमाबि तवाब (जालौर)	सदस्य

गठन निम्नानुसार किया गया है :-

उक्त समिति द्वारा प्रस्तुत सुझाव (परिशिष्ट-"ख") संलग्न है।

(3) जी हां। शिक्षण व्यवस्था हेतु समानीकरण के लिए जिला कलक्टर जालौर द्वारा जारी आदेश की प्रति परिशिष्ट "ग" संलग्न है।

(4) जी हां।

(5) शिक्षक छात्र अनुपात के आधार पर की गई शिक्षक व्यवस्था के पश्चात् कोई भी विद्यालय शिक्षक विहीन नहीं है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

नागौर जिले के ग्रामों और कस्बे की क्षतिग्रस्त सड़कें

38. श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला नागौर के कई ग्रामों और कस्बों के विलेज पोर्शन की कई महत्वपूर्ण पक्की डामर सड़कें लम्बे समय से क्षतिग्रस्त हैं? यदि हां, तो कहां-कहां पर? ग्रामवार विवरण मय सड़क की लम्बाई के सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार आम जनता को इससे होने वाली परेशानियों से छुटकारा दिलाने हेतु उक्त विलेज पोर्शन की सड़कों को वापिस नई बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि जिला नागौर के कई ग्रामों और कस्बों के आबादी क्षेत्र की पक्की डामर सड़कें लम्बे समय से क्षतिग्रस्त है, उनकी कुल लम्बाई 64.86 कि.मी. है। क्षतिग्रस्त सड़कों का पूर्ण ब्यौरा (परिशिष्ट "अ") में दर्शाया गया है।

(2) जी हां। उक्त आबादी क्षेत्र की सड़कों को वापस सुधार/निर्माण हेतु राज्य सरकार द्वारा 17.03 कि.मी. लम्बाई हेतु राशि रुपये 902.13 लाख की स्वीकृति जारी की गई है, जो कि माह जून, 2007 तक पूर्ण किया जाना सम्भावित है। कार्यों की प्रगति का विवरण (परिशिष्ट "ब") पर उपलब्ध है। शेष लम्बाई की मरम्मत राज्य सरकार के उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं प्राथमिकता पर निर्भर है।

(ब्यौरा विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

आमेर में नवीन पटवार मण्डल

39. श्री लालचन्द कटारिया (आमेर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र आमेर में अनेक पटवार मण्डल ऐसे हैं जिनके अधीन आठ से दस ग्राम तक हैं? यदि हां, तो ऐसे पटवार मण्डल जिनके अधीन पांच से अधिक ग्राम हैं, की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र आमेर में नये पटवार मण्डल स्थापित करने का विचार रखती हैं? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र के 22 पटवार मण्डलों के अधीन पांच से अधिक ग्राम है जिनकी सूची संलग्न है।

(2) जी नहीं। अभी पटवार मण्डलों के पुनर्गठन का कोई प्रस्ताव विचारार्थ नहीं है। जब भी इस प्रकरण पर विचार किया जावेगा विधान सभा क्षेत्र आमेर के पटवार

आमेर के पटवार मण्डल जिनमें पांच अिधक ग्राम हैं

क्र. सं.	तहसील	पटवार मण्डल	शामिल ग्राम	ग्रामों के नाम
1	2	3	4	5
1.	आमेर	सिरसली	6	सिरसली, हरवंशपुरा उर्फ रामगट्टा, नाडा, राधा किशनपुरा उर्फ पोखरना का बास, बिहारी पुरा, प्रागपुरा।
2.	आमेर	देवगुढा	6	देवगुढा, मोडी, अटलबिहारीपुरा, बास बावडी, मुकंदपुरा, कंवरपुरा
3.	आमेर	खन्नीपुरा	9	खन्नीपुरा, यादव खेडा, नारदपुरा, बरना, सुर्दशनपुरा, दादरबावडी, चक जैतपुरा, श्रीपुरा, रघुनाथपुरा
4.	आमेर	जालसू	6	जालसू, लालगढ़, मुकन्दपुरा, मोहनपुरा, लालपुरा, गुढा सुरजन।
5.	आमेर	रामपुरा डाबडी	6	रामपुरा, टाटियावास, भट्टों की गली, डाबडी, चिमनपुरा, आकेडा चोड,

(राजस्व मंत्री)

1	2	3	4	5
6.	आमेर	अनोपपुरा	12	अनोपपुरा, डीसा, साहिबरामपुरा, खातियों का बास, दौला का बास, पटटी सीतारामपुरा, भीलपुरा, दुर्गा का बास, चक मुण्डिया, मुण्डिया, कल्याणपुरा, खापरिया।
7.	आमेर	राधाकिशनपुरा	8	राधाकिशनपुरा, यादवखेडा, सिरसी, राधापुरा, बिचपडी, चन्दपुरा जाटान, नांगल लाडी, बुगालिया
8.	आमेर	जयसिंहपुरा	9	जयसिंहपुरा, प्रतापपुराकलां, प्रतापपुरा खुर्द, राडावास, पुनाना, बिशनपुरा, बल्लुपुरा, बरसिंहपुरा, चक जयसिंहपुरा।
9.	आमेर	खोराश्यामदास	8	खोराश्यामदास, बदनपुरा, देगडास, चक देगडास, चिराडा, चेतावाला, बुडथल, रिसानी।
10.	आमेर	खोराबीसल	7	खोराबीसल, किशनपुरा, शुभरामपुरा, हरदत्तपुरा, नांगलसिरस, राजावास, दौलतपुरा मय बैनाड
11.	आमेर	नांगलपुरोहित	6	नांगलपुरोहित, चक नांगल, राजारामपुरा, रमल्यावाला, छवर का बास, मौठू का बास
12.	आमेर	सेवापुरा	8	सेवापुरा, दीपपुरा, लुनियावास, बिशनगढ, उदयपुरा, रामपुरा, जगन्नाथपुरा, हनुमानपुरा।
13.	आमेर	जयरामपुरा	8	जयरामपुरा, महेशपुरा, गोविन्दपुरा, मोहनबाडी, चतरपुरा, दत्तावला, आछोजाई, दलपुरा।

(राजस्व मंत्री)

1	2	3	4	5
14.	आमेर	रोजदा	9	रोजदा, जैतपुरा, सरदारपुरा, सिण्डोलाई, हरचन्दपुरा, महेशवास, कलां, महेशवास खुर्द, जलोई, चकरोजदा
15.	आमेर	कांट	6	कांट, कालवाड, सांगावाला, रामपुरा उर्फ बाण्यावाला, स्यारी, कीरतपुरा
16.	आमेर	अखैपुरा	7	अखैपुरा, आकेडा डूंगर, मायलाबाग, लक्ष्मी नारायणपुरा, जैसल्या, शिस्यावास, बडागांव जरख्या
17.	आमेर	नांगलसुसावतान	9	नांगलसुसावतान, आमेर चक नम्बर 1, आमेर चक नम्बर 2, चिमनपुरा, कूकस, नैस्तीवास, खुराड, बीड तालेडा, कचेरावाला उर्फ चौखल्यावास
18.	जयपुर	मुण्डियारामसर	8	मुण्डियारामसर, मुण्डियापुरोहितान, किशोरपुरा काकरोदा, चक मौज्या, हिम्मतपुरा, सीतापुरा, चकरामसर, जयसिंहपुरा काकरोदा।
19.	जयपुर	श्योसिंहपुरा	6	श्योसिंहपुरा, तिवाडीवाला, कैश्यावाला, कालडपुरा, गुडलिया, बसेडी।
20.	जयपुर	बेगस	7	बेगस, चकबेगस, मानसिंहपुरा, रामसिंहपुरा, अचानचुक्या, फतेहपुरा, बाढ फतेहपुरा।
21.	जयपुर	सरनाडूंगर	8	सरनाडूंगर, बावडी, बासडी, चक बावडी, चक सरनाडूंगर, चक बासडी, लालचन्दपुरा, चक बोयतावाला
22.	जयपुर	सरनाचौड	6	सरनाचोड, भूदरपुरा, साचांती, गजाधरपुरा, चम्पापुरा, चक बाढ।

कलक्टर (भू.अ.) जयपुर

मण्डलों पर भी गुणावगुण के आधार पर विचार किया जा सकेगा।

फसल बीमा योजना के तहत भुगतान हेतु समयावधि का निर्धारण

40. डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 2005 की खरीफ और रबी की फसल बीमा योजना के अन्तर्गत प्रीमियम के तहत किस-किस जिले में कितनी राशि किसानों से प्राप्त हुई? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) फसल बीमा की शर्तों के अन्तर्गत फसल खराब होने के उपरान्त कितनी समयावधि में बीमा की राशि का भुगतान होना तय किया गया?

(3) उपरोक्त फसलों के खराबे के उपरान्त अब तक कितनी राशि का भुगतान कब-कब किया गया? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) खराबे के उपरान्त समयावधि, के अन्तर्गत भुगतान न होने के क्या-क्या कारण रहे तथा इसमें किन-किन अधिकारियों को दोषी पाया गया और उनके विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 2005-06 के खरीफ 2005 में बीमित कृषक 16.67 लाख तथा प्रीमियम राशि 46.19 करोड़ रुपये एवं रबी में बीमित कृषक 6.70 लाख तथा प्रीमियम राशि 21.45 करोड़ फसल बीमा योजनान्तर्गत प्राप्त हुई जिलेवार बीमित कृषक एवं प्रीमियम राशि का विवरण (परिशिष्ट-1 एवं 2) पर उपलब्ध है।

(2) योजना की मार्गदर्शिका के अनुसार खरीफ एवं रबी फसलों के लिये उपज के आकड़े एग्रीकल्चर इन्श्योरेन्स कम्पनी आफ इण्डिया लिमिटेड को प्रेषित करने को अन्तिम समय सीमा 31 मार्च एवं 31 जुलाई निर्धारित है। उपज के अनुमान कम्पनी को प्राप्त होने पर कम्पनी द्वारा क्लेम का निर्धारण किया जाता है तथा प्रीमियम से अधिक राशि आने पर केन्द्र व राज्य सरकार से राशि प्राप्त होने पर ही भुगतान कृषकों को किया जाता है।

(3) खरीफ 2005 में विभिन्न फसलों के अन्तर्गत जुलाई, 2006 में एग्रीकल्चर इन्श्योरेन्स कम्पनी आफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा 190.36 करोड़ रुपये के मुआवजे का भुगतान किया गया। जिलेवार विवरण संलग्न है। रबी 2005 की बीमित फसलों के उपज सम्बन्धी आंकड़े एग्रीकल्चर इन्श्योरेंस कम्पनी को प्रेषित किये जा चुके हैं।

(4) योजना में यदि मुआवजा राशि प्रीमियम से अधिक होती है तो शेष राशि

(कृषि मंत्री)

केन्द्र व राज्य सरकार को 50:50 अनुपात में वहन करनी होती है जैसे खरीफ 2005 में कुल 216.08 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जाना था प्रीमियम के रूप में 46.19 करोड़ रुपये ही प्राप्त हुये थे। अत: राज्य एवं केन्द्र सरकार को 170.00 करोड़ की आधी राशि लगभग 85.00 करोड़ रुपये क्लेम हेतु वहन करनी थी। राज्य सरकार द्वारा अपनी हिस्सा राशि मार्च, 2006 में एग्रीकल्चर इन्श्योरेन्स कम्पनी आफ इण्डिया लिमिटेड को हस्तान्तरित कर दी गई थी। राज्य सरकार द्वारा निरन्तर पत्र व्यवहार एवं व्यक्तिगत रूप से प्रयास करने के उपरान्त जुलाई, 2006 में 58.82 करोड़ रुपये ही भारत सरकार से प्राप्त हुये हैं। इस कारण से कृषकों को भुगतान में विलम्ब हुआ। प्रक्रिया के कारण ही विलम्ब होता है। इसमें किसी अधिकारी का दोष नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

हानिकारक शीतलपेय पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबन्ध

41. श्री भंवरू खान (फतेहपुर) एवं **डा. चन्द्रशेखर बैद** (तारानगर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में निर्मित कोला पेय पदार्थों में कीटनाशक (पेस्टीसाइड) की मात्रा की जांच हेतु सरकार द्वारा नमूने भेजे गये हैं? यदि हां, तो कब व किन प्रयोगशालाओं में? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा कोला पेय पदार्थों में अधिक मात्रा में कीटनाशक पाये जाने पर सेण्टर फार साइन्स एण्ड एनवायरमेन्ट द्वारा जारी रिपोर्ट के आधार पर प्रतिबन्ध लगाया गया है? यदि हां, तो कब से व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा शिक्षण संस्थाओं व अन्य सरकारी संस्थाओं में उक्त पेय पदार्थ की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाया गया है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में जारी परिपत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार कीटनाशक की मात्रा भारत सरकार द्वारा निर्धारित माप-दण्डों से अधिक पाये जाने पर उक्त कोला पेय पदार्थों पर प्रतिबन्ध लगाने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी हां। शीतल पेय पदार्थों के विभिन्न ब्राण्ड के कुल नौ नमूने माह सितम्बर, 2006 में केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला, कोलकाता को जांच हेतु भिजवाये गये है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होना शेष है। जांच हेतु भेजे गए नमूनों का विवरण परिशिष्ट

(कृषि मंत्री)

"अ" पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। सभी शिक्षण संस्थाओं के परिसर में इन पेय पदार्थों की बिक्री पर शिक्षा विभाग द्वारा दिनांक 4.8.2006 से प्रतिबन्ध लगाया गया है।

(3) जी हां। आयुक्त कालेज शिक्षा जयपुर, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा, जयपुर एवं उप शासन सचिव (प्रथम) शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग राज. जयपुर द्वारा शिक्षण संस्थाओं के परिसर में शीतल पेय पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। परिपत्रों की छाया प्रति परिशिष्ट ब, स एवं द पर उपलब्ध है।

(4) केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला को जांच हेतु भिजवाये गये नमूने की जांच रिपोर्ट प्राप्त होना शेष है। रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

औद्योगिक मेलों के आयोजन से विनिवेश हेतु प्राप्त प्रस्ताव

52. श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा राज्य के बाहर एवं देश से बाहर गत 3 वर्ष में कहां-कहां उद्योग मेले आयोजित किये गये तथा उन पर कितनी राशि व्यय हुई? मेलावार तिथिवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इन मेलों से प्रेरित होकर राज्य सरकार को कोई उद्योग धन्धे लगाने के लिये प्रस्ताव प्राप्त हुये? यदि हां, तो किस-किस उद्योग के? वर्तमान में उक्त प्रस्तावों की प्रगति क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) गत तीन वर्षों में राज्य सरकार ने निवेश प्रोत्साहन (इन्वेस्टमेन्ट प्रमोशन) के उद्धेश्य से देश के बाहर कोई मेले आयोजित नहीं किये हैं। माह जुलाई, 2005 में मुम्बई, चैन्नई, कोयम्बटूर एवं बंगलौर में तथा माह जनवरी, 2006 में हैदराबाद में निवेश प्रोत्साहन शिविर (इन्वेस्टमेन्ट प्रमोशन कैम्प) आयोजित किये गये थे।

माह जुलाई, 2005 में मुम्बई, चैन्नई, कोयम्बटूर एवं बंगलौर में आयोजित निवेश प्रोत्साहन शिविरों (इन्वेस्टमेन्ट प्रमोशन कैम्पों) के आयोजन पर कुल राशि रुपये 13.83 लाख का व्यय किया गया तथा माह जनवरी, 2006 में हैदराबाद में निवेश प्रोत्साहन शिविर (इन्वेस्टमेन्ट प्रमोशन कैम्प) के आयोजन पर कुल राशि रुपये 3.93 लाख का व्यय किया गया है।

(2) माह जुलाई, 2005 में आयोजित निवेश प्रोत्साहन शिविरों (इन्वेस्टमेन्ट प्रमोशन कैम्पों) में प्राप्त प्रस्तावों का विवरण परिशिष्ट "अ" व "ब" पर संलग्न है। माह जनवरी, 2006 में आयोजित शिविर में प्राप्त प्रस्तावों का विवरण परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

आमेर के काश्तकारों की अवाप्त भूमि

53. श्री लालचन्द कटारिया (आमेर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री लालचन्द कटारिया)

(1) विधान सभा क्षेत्र आमेर में गत दो वर्षों में रीको द्वारा किन-किन स्थानों पर औद्योगिक एवं सांस्थानिक प्रयोजनार्थ किन-किन काश्तकारों की कितनी-कितनी भूमि अवाप्त की गई? व्यक्तिवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जिन काश्तकारों की भूमि अवाप्त की गई उनको मुआवजा राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया गया? यदि हां, तो मुआवजे से वंचित काश्तकार कौन-कौन हैं एवं उनको कितनी राशि का भुगतान किया जाना शेष है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र आमेर में रीको हेतु अन्य भूमि अवाप्ति का विचार रखती है? यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर एवं मुआवजा राशि किस दर से दिये जाने का प्रावधान है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र आमेर में गत दो वर्षों में रीको लि. द्वारा निम्न विवरणानुसार स्थानों पर औद्योगिक प्रयोजनार्थ भूमि अवाप्त की गई है :-

क्र. सं.	ग्राम का नाम	रकबा है. में	अवार्ड दि.	विशेष विवरण
1.	कूकस, तहसील आमेर	101.30	5.9.2005	अंतरिम 80 प्रतिशत अवार्ड
2.	कालवाड तह. आमेर	51.23	2.2.2006	अन्तिम अवार्ड

अवाप्त की गर्इ भूमि का काश्तकार वार्इज विवरण संलग्न है।

(2) यह सही नहीं है कि जिन काश्तकारों की भूमि अवाप्त की गई, उनको अवार्ड अनुसार मुआवजा राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया गया हो। ग्राम कूकस की अवाप्त भूमि के लिये अनुमानित मुआवजे की 80 प्रतिशत राशि यानि रुपये 37,85,88,776/- का भुगतान खातेदारों द्वारा स्वीकार नहीं किये जाने के कारण सिविल न्यायालय में जमा कराया जा चुका है। प्रकरण में अन्तिम अवार्ड माननीय उच्च न्यायालय की एकल पीठ के आदेशों के कारण घोषित नहीं हो सका है। रीको लि. ने एकलपीठ के निर्णय के विरुद्ध डबल बैंच में अपील की है, जिसका रीको लि. के पक्ष में निस्तारण होते ही अन्तिम अवार्ड जारी किया जावेगा और खातेदारों को भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा घोषित किये जाने वाले अवार्ड अनुसार मुआवजा राशि का भुगतान पूर्व में निर्धारित की गई 80% राशि को कम करते हुये किया जावेगा।

(उद्योग मंत्री)

(3) जी हां। सरकार रीको लि. के लिये ग्राम दौलतपुरा खेरवाडी व सेवापुरा तहसील आमेर की कुल 470.79 हैक्टेयर भूमि की अवाप्ति का विचार रखती है, जिसके लिये भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के अन्तर्गत अधिसूचना भी दिनांक 19.4.2006 को जारी की जा चुकी है। मुआवजा राशि का निर्धारण भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा भूमि अर्जन अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किया जावेगा।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

औद्योगीकरण हेतु अवाप्त भूमि का उपयोग

54. **श्री अमराराम** (धोद) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) रीको द्वारा गत दस वर्षों में कितनी भूमि कहां-कहां अवाप्त की गई है?

(2) रीको द्वारा उक्त अवधि में अवाप्त भूमि में से मार्च, 2006 तक कितनी भूमि का आबंटन किया गया तथा कितने प्रतिशत में निर्माण होकर उत्पादन शुरू हो गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार ऐसे क्षेत्र जहां पांच वर्ष के बाद भी 10 प्रतिशत भूमि ही आबंटित की गई, को रीको से मुक्त कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) रीको द्वारा गत 10 वर्षो में कुल 12004.21 एकड भूमि अवाप्त की गई है। क्षेत्रवार अवाप्त की गई भूमि का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) रीको द्वारा अवाप्ते 12004.21 एकड भूमि में से विक्रय योग्य भूमि 6211.90 एकड़ है। बाकी भूमि सड़कों व अन्य आधारभूत सामुदायिक सुविधाओं हेतु रखी गई है। उक्त विक्रय योग्य भूमि में से मार्च, 2006 तक लगभग 3506.86 एकड़ भूमि का आवंटन किया गया है। क्षेत्रवार आवंटित भूमि एवं आबंटित भूमि पर निर्माण होकर उत्पादन शुरू होने का प्रतिशत परि. "ब" पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 के प्रावधानों के अनुसार अवाप्त भूमि का कब्जा लेने के बाद उसे अवाप्ति से मुक्त नहीं किया जा सकता है। अवाप्त की गई भूमि का उपयोग रीको द्वारा चरणबद्ध रूप से विकास किया जाता है। यद्यपि औद्योगिक क्षेत्रों हेतु भूमि अवाप्ति से पूर्व भूमि की आवश्यकता का आंकलन किया जाता है, लेकिन बाजार की रूख में परिवर्तन होने या उद्यमियों की रूची किसी और क्षेत्र में हो जाने से कुछ औद्योगिक क्षेत्र निर्धारित समय में विकसित नहीं हो पाते

(उद्योग मंत्री)

है। ऐसे क्षेत्रों में सतत प्रयास कर उद्योग लगवाने के प्रयास किया जाना ज्यादा उपयुक्त होता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जोधपुर शहर का गिरता भू-जल स्तर

55. श्री जोगाराम पटेल (लूणी) : क्या भू-जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर शहर के क्षेत्रों में भू-गर्भीय भूजल की गम्भीर समस्या है? यदि हां, तो कब से व क्यों?

(2) क्या सरकार उक्त समस्या के स्थायी निराकरण की कोई ठोस कार्य योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब व क्या व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार भू-गर्भीय भू-जल से त्रस्त परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जोधपुर के पुराने शहर जो कि चार दीवारी के अन्दर का क्षेत्र है जिनमें कुन्ज बिहारीजी का मन्दिर, चान्दपोल, सुनारी का बास, नई सड़क क्षेत्र, हाथी राम का ओडा, त्रिपोलिया, गोरीन्दा बाबडी, सीजती गेट के अन्दर, फतह सागर, पब्लिक पार्क, कचेहरी के पीछे शिप हाउस व लक्ष्मी नगर इत्यादि में वर्ष 1998 से भूजल स्तर बढ़ाने की समस्या है। भूजल विभाग, जोधपुर शहर में लगातार भूजल स्तर का मापन कर रहा है व जिन क्षेत्रों में भूजल स्तर बढ़ा है उन क्षेत्रों में स्तर 11 मोनीटरिंग स्टेशन का पिछले 8 वर्ष के भूजल स्तर का तुलनात्मक विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

वर्णित क्षेत्र में भूजल स्तर बढ़ने के बारे में मुख्य रूप से निम्न कारण माने गये हैं :-

1- राजीव गांधी लिफ्ट केनाल से वर्ष 1998 से शहर का पेयजल हेतु पानी उपलब्ध कराने के लिये कायलाना व तख्त सागर अपनी पूर्ण क्षमता से भी रहने लगे है। जिसके कारण लोनियामेन्ट के रास्ते पानी शहर की तरफ आने लगा है।

2- भूजल स्तर बढ़ने का मुख्य कारण शहर में पानी की आवक वनिकामी में भारी अन्तर है शहर के पारम्परिक जल स्रोतों से पानी की निकासी नहीं होने व भू-जल दोहन नहीं होना से शहर के भीतरी भाग में भूजल स्तर बढ़ा है।

(भू-जलमंत्री)

(2) जोधपुर शहर के भूजल की गम्भीर समस्या को मोनेटरिंग के लिये राज्य सरकार ने अधीक्षण अभियन्ता (शहर) जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जोधपुर को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है जो कि सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर के निर्देश में इस पर कार्यवाही हेतु लगे हुए हैं।

(3) इस विभाग से सम्बन्धित नहीं है।

परिशिष्ट- "अ"

Table showing water level and their fluctuations of selected keywells in Jodhpur City

S. No.	Location	Hydrogeology	Water level (in m)		Fluctution (in m)
			Pre-monsoon 98	Pre-monsoon 06	Pre-monsoon 98 to 06
1.	Siwanchi Gate	Rhyolite	7.83	8.30	(-) 0.47
2.	Subhash Chowk	Shales	13.05	3.88	(+) 9.17
3.	Chand Pole	Rhyolite	2.48	1.50{R}	(+) 0.98
4.	Kagaji	Rhyolite	3.87	3.95	(-) 0.08
5.	Nehru Park	Alluvium	31.10	17.11	(+) 13.99
6.	Khema-ka-kua	Alluvium	28.75	23.98	(+) 4.77
7.	Sardarpura	Alluvium	31.65	17.85	(+) 13.80
8.	Fateh Sagar	Sandstone	1.47	0.65{R}	(+) 0.82
9.	Ghantaghar	Shales	5.10	2.50{R}	(+) 2.60
10.	Kriya-ka-Jhalra	Rhyolite	2.68	1.67	(+) 1.01
11.	J.N. Vyas Park	Rhyolite	1.16	0.50 {R}	(+) 0.66

फुलेरा की पेयजल योजनाओं में व्याप्त अनियमितताएं

56. **श्री नवरतन राजोरिया** (फुलेरा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री नवरतन राजोरिया)

(1) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में गत 5 वर्षों में सेक्टर रिफार्म, स्वजलधारा योजनान्तर्गत कौन-कौनसी योजनाएं कितनी-कितनी राशि की स्वीकृत की गई और उन पर अब तक कितना व्यय किया जा चुका है? योजनावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजनाओं में कार्यों की स्वीकृति व उनको पूर्ण करने के क्या मानदण्ड हैं? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त योजनाओं में गत 5 वर्षों में कितने प्रस्ताव प्राप्त हुये और उनमें से कितनी योजनाओं को स्वीकृति दी गई? क्या कुछ योजनाएं ऐसी भी हैं जिनमें राशि जमा कराने के बाद भी स्वीकृति नहीं दी गई? यदि हां, तो कौन-कौनसी योजनाएं हैं तथा उनमें अब कब तक स्वीकृति दे दी जाएगी? योजनावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा निजी जमीनों पर भी कुएं या ट्यूबवैल बनाये गये हैं? यदि हां, तो कहां-कहां और उनके लिए क्या भू-स्वामी से भूमि का स्थानान्तरण प्राप्त कर लिया गया है? यदि नहीं, तो अब कब तक प्राप्त कर लिया जाएगा?

(5) क्या विभागीय अधिकारी, सरपंच व ठेकेदारों की आपसी मिली भगत से उक्त योजनाओं में लागत से कई गुना योजनाएं बनाकर सरकारी योजना की राशि का दुरूपयोग किये जाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो सम्बन्धित शिकायतों की प्रति सदन की मेज पर रखें तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई?

(6) क्या यह सही है कि उक्त योजनाओं में किये गये व्यय का आडिट व क्रय किये गये सामान का भौतिक सत्यापन कराया गया है? यदि हां, तो आडिट रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें और नहीं, तो इसके लिए कौन दोषी है और उन पर क्या कार्यवाही की जाएगी?

उत्तर

(1) **सैक्टर रिफार्म पायलट प्रोजेक्ट :-** विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में 38 योजनाऐं प्रशासनिक एवं वित्तीय व तकनीकी रूप से स्वीकृत हो चुकी है। इनमें से 20 योजनाऐं पूर्ण तथा 18 प्रगतिरत है। योजनावार विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

स्वजलधारा :- विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में 68 योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई थी। इनमें से 23 योजनाओं की तकनीकी स्वीकृति की गई। इनमें से मात्र एक योजना पूर्ण है। योजनावार 23 योजनाओं का विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

(2) उक्त योजना (स्वजलधारा) में कार्यों की स्वीकृति व पूर्ण करने के भारत सरकार द्वारा जारी मानदण्डों की प्रति परिशिष्ट- "स" पर संलग्न है।

(3) स्वजलधारा कार्यक्रम में कुल 68 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। इनमें से 23 योजनाओं की तकनीकी स्वीकृति हो चुकी है एवं कार्य प्रारम्भ हो चुके हैं। शेष 45 योजनाओं में से 8 की तकनीकी स्वीकृति प्रक्रियारत है व तत्पश्चात् कार्य प्रारम्भ करवाने के लिए धन उपलब्ध है। इन 8 योजनाओं की सूची परिशिष्ट "द" पर संलग्न है।

शेष 37 योजनाओं (सूची परिशिष्ट- "क" पर संलग्न) पर तकमीनों, आवश्यकता, उपलब्ध जलस्रोत आदि पर ग्राम स्तरीय वाटर व सेनीटेशन कमेटी द्वारा पुन: विचार किया जा रहा है, तत्पश्चात् तकनीकी स्वीकृति व भारत सरकार से धन की मांग सम्भव होगी।

(4) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 7 योजनाओं पर प्राईवेट जमीनों पर ग्राम स्तरीय वाटर एण्ड सेनीटेशन कमेटी द्वारा खुले कुओं का निर्माण कार्य कराया जाना अवगत कराया है। इन योजनाओं के नाम है-1. भादरपुरा, 2. मिण्डी, 3. मंडा भीमसिंह, 4 श्योसिंहपुरा-सलेहदीपुरा, 5. नौरंगपुरा, 6. अणतपुरा, 7. डूंगरसी का बास। इन स्थानों पर ग्राम स्तरीय वाटर एण्ड सेनीटेशन कमेटी द्वारा स्वामित्व प्रमाण पत्र लिया जाना अवगत कराया है।

(5) जी नहीं।

(6) उक्त योजनाओं में से 19 योजनाओं पर किये गये व्यय का आडिट कार्य चार्टेड अकाउटेन्ट के द्वारा अध्यक्ष, ग्राम स्तरीय जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा कराया गया है। 19 योजनाओं की आडिट की प्रति परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

इन योजनाओं पर क्रय किये गये सामान का भौतिक सत्यापन ग्राम स्तरीय जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा स्वयं के स्तर पर ही किया जाता है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

आहोर में हैण्डपम्प हैल्पर/मिस्त्री के रिक्त पद

57. श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र आहोर में विभिन्न योजनाओं में कितने हैण्डपम्प कब-कब से संचालित हैं तथा कितने निष्क्रिय है? ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री शंकर सिंह राजपुरोहित)

(2) क्या यह सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र के हैण्डपम्पों के रख-रखाव एवं मरम्मत के लिए हैल्पर/मिस्त्री के पद स्वीकृत हैं? यदि हां, तो इनमें से कितने पद कब से रिक्त हैं? क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र आहोर (सम्पूर्ण ग्रामीण) के कुल 133 आबाद गांवों में से 58 गांवों में कुल 253 हैण्डपम्प हैं जिनमें 204 कार्यरत, 36 नकारा व 13 सीजनल है। विवरण क्रमश: परिशिष्ट "अ" व "ब" पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। संधारण विभाग की अन्य योजनाओं पर उपलब्ध कर्मचारी तथा आवश्यकतानुसार कान्ट्रेक्ट लेबर से करवाया जा रहा है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

रासहाली (बूंदी) पाठशाला को आबंटित खेल मैदान भूमि का राजस्व अंकन

58. श्री एमादुद्दीन अहमद खान (तिजारा) एवं **श्री रामनारायण** (नैनवां) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा पाठशाला रासहाली (तलवास) जिला बूंदी को खेल मैदान हेतु भूमि का आवंटन किया गया है? यदि हां, तो किस खसरा नम्बर की, कितनी-कितनी भूमि का? आस-पास के खसरा नम्बरान सहित आवंटित भूमि के नम्बरान की नकल मय नक्शा ट्रेस सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त आबंटन आदेश की पालना में भूमि राजस्व रेकार्ड में अंकित की जा चुकी है? यदि हां, तो प्रति सहित पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि अतिक्रमियों द्वारा अतिक्रमण किए जाने तथा राजस्व नक्शे में गलत तरमीम के कारण ग्रामवासियान द्वारा विभिन्न प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर स्कूल को आबंटित भूमि अतिक्रमण मुक्त कराने तथा नक्शे में की गई गलत तरमीम को सही करवाने के लिए अनुरोध किया गया है? यदि हां, तो उक्त पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार सरकारी भूमि के अतिक्रमियों के विरूद्ध पुन: कठोर कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या तथा कब तक?

(श्री एमादुद्दीन अहमद खान)

(5) विद्यालय के लिए आबंटित उक्त भूमि के विवाद को कब तक समाप्त करवा दिया जायेगा?

(6) क्या "कल्लाजी की मूर्ति वाले देवस्थान" की भूमि को अलग रखा जाकर विद्यालय को आवंटित भूमि का सही स्थान पर राजस्व नक्शे में नये सिरे से तरमीम किया जावेगा? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम रासहाली के ख. नं. 99 में से 5.00 बीघा भूमि का आबंटन किया गया। आबंटित भूमि के आस-पास के खसरा नम्बरान की जमाबन्दी की नकल मय नक्शा ट्रेस के संलग्न है।

(2) जी हां। नामा. सं. 233 ग्राम रासहाली व खाता संख्या 101 ख. नं. 223/99 रकबा 5 बीघा जमाबन्दी संवत् 2062 से 2065 में दर्ज है। प्रति संलग्न है।

(3) आबंटित भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु ग्रामवासियान द्वारा प्रार्थना पत्र दिये गये थे। जिस पर नायब तहसीलदार द्वारा अतिक्रमण हटाया गया, पुन: अतिक्रमण करने पर तहसीलदार व नायब तहसीलदार द्वारा दिनांक 23.8.2006 को अतिक्रमण हटाया गया।

(4) अतिक्रमण हटा दिया गया है। पुन: अतिक्रमण किये जाने पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा-91 के तहत अतिक्रमियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही का प्रावधान है, जो आवश्यकता अनुसार अमल में लाई जाती है।

(5) विद्यालय को आवंटित भूमि के सम्बन्ध में वर्तमान में कोई विवाद नहीं है।

(6) कल्लाजी की मूर्ति वाले देवस्थान की राजस्व रेकार्ड में कोई भूमि नहीं है। कल्लाजी का स्थान ख. नं. 6 में स्थित है, जिसमें स्कूल भवन, आबादी आदि भी स्थित है। जब कि विद्यालय को खेल मैदान हेतु भूमि का आबंटन ख. नं. 99 में किया गया है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

खटवाड़ा ग्राम (सांगानेर) में खुद काश्त हेतु आबंटित भूमि का कब्जा

59. श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम खटवाड़ा तहसील सांगानेर जिला जयपुर में खुदकाश्त हेतु भूमि आवंटित की गई है? यदि हां, तो किन-किन को? आवंटियों की सूची मय खसरा नम्बर व रकबा सहित सदन की मेज पर रखें।

(श्री कालीचरण सर्राफ)

(2) उक्त आबंटियों में से कितनों को कब्जा दे दिया गया? यदि नहीं, तो कब्जा कब तक दे दिया जावेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि कुछ आवंटियों को कब्जा दिये जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र भी प्राप्त हुये हैं? यदि हां, तो इन पर सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम खटवाडा तहसील सांगानेर जिला जयपुर में सुन्दर लाल, सीताराम पुत्रान स्व. नानगराम भू. पू. जागीरदार निवासी ग्राम खटवाडा, तहसील सांगानेर को ख. नं. 227, 20 व 67 की 7.75 एकड़ भूमि खुदकाश्त हेतु आवंटित की गई थी।

(2) आवंटियों को कब्जा लेने के लिये तहसीलदार सांगानेर द्वारा सूचित करने के बाद भी उपस्थित नहीं होने के कारण आवंटित भूमि का कब्जा नहीं दिया जा सका। बाद में यह भूमि अन्य व्यक्तियों को आवंटित कर दी गई, जिनकी खातेदारी दर्ज है तथा ये काबिज हैं। अत: इस भूमि का कब्जा भूतपूर्व जागीरदार को दिया जाना सम्भव नहीं है।

(3) यह सही है कि आवंटी स्व. श्री सीताराम की पत्नी श्रीमति गोपाली देवी ने दिनांक 5.5.2006 को कब्जा प्राप्त करने के लिये प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, जिसका परीक्षण करवाया जा रहा है।

अतारांकित प्रश्न संख्या-60

(स्थगित)

नगराजपुरा ग्राम (बस्सी-जयपुर) की गैर मुमकिन तलाई भूमि पर अतिक्रमण

61. श्री अशोक बैरवा (खण्डार) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर जिले की तहसील बस्सी के ग्राम नगराजपुरा में खसरा नं. 135 गैर मुमकिन तलाई पर भू-माफिया द्वारा अतिक्रमण कर मकान दुकान एवं बाड़े आदि का निर्माण करवाया गया है?

(2) क्या यह सही है कि उच्च न्यायालय सिविल रिट पिटिशन नं. 2272/97 के तहत प्रशासन को चार माह में अतिक्रमण हटवाया जाना था? यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

(श्री अशोक बैरवा)

(3) क्या यह सही है कि पंचायत द्वारा उच्च न्यायालय के फैसले के विपरीत भू-माफियाओं से सांठ-गांठ कर अतिक्रमण के नियमन की कार्यवाही की जा रही है? यदि हां, तो क्या सरकार पंचायत द्वारा की जा रही अनियमितताओं को रोकने हेतु कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

कृषि अनुसंधान केन्द्र, दुर्गापुरा (जयपुर) को किराये से प्राप्त आय

62. श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विगत वर्षों में जयपुर स्थित दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान केन्द्र द्वारा किराये पर स्थान उपलब्ध कराया गया है? यदि हां, तो किस-किस को? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान केन्द्र जयपुर को किराये से गत 2 वर्षों में कुल कितनी राशि प्राप्त हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें तथा प्राप्त आय को किस-किस मद में व्यय किया गया?

उत्तर

(1) जी हां। विगत 2 वर्षों में जयपुर स्थित दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान केन्द्र द्वारा सेमीनार हाल/डाइनिंग हाल में किराये पर स्थान उपलब्ध करवाया गया है। जिनको स्थान उपलब्ध कराया गया, उनकी सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान केन्द्र, जयपुर को किराये से गत दो वर्षों में रु. 386168/- की राशि प्राप्त हुई जिसका विवरण परिशिष्ट-1 में अंकित है। उक्त राशि को सम्पदा अधिकारी, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर के खाते में जमा किया गया।

चूंकि विश्वविद्यालय में अतिथि गृहों सहित कृषि अनुसंधान केन्द्र की आय को विश्वविद्यालय की राजस्व मद में जमा किया जाता है तथा आवश्यकतानुसार राजस्व मद में से अतिथि गृहों/कृषि अनुसंधान केन्द्रों इत्यादि को आवंटित कर दी जाती है। इसके लिए पृथक से कोई मद नहीं होती है। अतिथि गृह दुर्गापुरा को रख-रखाव हेतु वर्ष 2004-05 व 2005-06 में रेकरिंग (recurring) मद में 10-10 हजार रु. आवंटित किए गए हैं।

(सूची/विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

दायीं मुख्य नहर चम्बल की वितरिकाओं व लिफ्ट योजनाओं की मरम्मत एवं सुदृढ़ीकरण पर व्यय

63. श्री प्रमोद जैन "भाया" (बारां) : क्या सिंचित क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) चम्बल की दायीं मुख्य नहर वितरिकाओं व लिफ्ट योजनाओं की मरम्मत व पुराने बकाया के भुगतान हेतु वर्ष 2005 व 06 में बारां जिले के किन-किन जन-प्रतिनिधियों द्वारा किस-किस तारीख को सरकार को ज्ञापन दिये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त ज्ञापन में अंकित बिन्दुओं पर सरकार द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) दायीं मुख्य नहर के जीर्णोद्धार व सुदृढ़ीकरण हेतु कितनी राशि के व्यय अनुमान तैयार किये गये एवं ये किस स्तर पर लम्बित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) सरकार उक्त जीर्णोद्धार प्रस्तावों पर कब तक स्वीकृति जारी करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(5) जीर्णोद्धार कार्य के प्रस्ताव में बारां जिले के किस-किस गांव की कितनी-कितनी मुख्य नहर व वितरिकाओं का कार्य सम्मिलित किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सिंचित क्षेत्र विकास के अधीन दाई मुख्य नहर से सम्बन्धित पुराने भुगतान हेतु माननीय जन प्रतिनिधियों से कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ हैं। चम्बल की लिफ्ट योजनाओं की मरम्मत एवं पुराने बकाया के भुगतान हेतु वर्ष 2005-06 में बारां जिले के जनप्रतिनिधियों से केवल एक ज्ञापन सरपंच, ग्राम पंचायत बमूलयाकलां पंचायत समिति अंता जिला बारां से प्राप्त हुआ था।

(2) उक्त ज्ञापन में अंकित बिन्दु पर 7.80 लाख रुपये के स्पेशल रिपेयर के लिये प्राप्त बजट द्वारा कार्यवाही कर नहर की मरम्मत करवा दी गई हैं।

(3) दांयी मुख्य नहर के कि.मी. 0 से 124 तक के जीर्णोद्वार एवं सुदृढ़ीकरण हेतु रुपये 540 करोड़ की प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की गई है। प्रथम चरण में प्राथमिकता के आधार पर रुपये 104 करोड़ राशि के व्यय के तकमीने तैयार कर लिये गये हैं। इस कार्य को करवाने हेतु कन्सलटेन्सी कार्य की निविदा प्रक्रिया पूर्ण करली गई है। जिनका नियमानुसार परीक्षण किया जा रहा है।

(4) इसी वित्तीय वर्ष में स्वीकृति जारी करना प्रस्तावित है।

(5) 1-बांरा जिले की मऊ, पलायथा सब ब्रांच सरकन्या, शाहपुरा, नवलपुरा एवं धतुरिया की वितरिकाओं को सम्मिलित किया गया हैं।

(सिंचित क्षेत्र विकास मंत्री)

2- बांरा जिले के अन्तर्गत दांई मुख्य नहर से निकलने वाली 6 वितरिका (150 क्यूसेक से कम क्षमता वाली) प्रणाली के जीर्णोद्धार कार्य की योजनायें तैयार कर केन्द्र सरकार को भिजवाई गई हैं। जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	वितरिका प्रणाली का नाम	लाभान्वित गांव
1.	मऊ डिस्ट्रीब्यूटरी	मऊ, खानपुरिया, भटेडिया, रीझा, मोरडी, महलपुर, बमोरी, बालून्दा, भावगढ़ (9 गांव)
2.	पलायथा सब ब्रान्च	पलायथा, गोपालपुरा, गुलाबपुरा, अमलसरा, धाकडखेड़ी, दुगारी, नागदा, ठीकरिया, बमेरी, भौज्याखेंडी, विशनखेड़ी, अलीपुरा, लदवाड़ा, बालदड़ा, रायपुरा, तिकोद, रूपपुरा, गणेशपुरा, पाटून्दा, पापडली, गोदावरी, उदयपुरिया पीपल्दा, सोनवा, सीसवाली, बमूलिया (28 गांव)
3.	सरकन्या डिस्ट्रीब्यूटरी	सरकन्या, मूण्डला, कुश्या, मूण्डली, रायथल, महुआ, छत्रपुरा, माण्डपुर, बडगांव, घेडीगांव, पचेल (11 गांव)
4.	शाहपुरा डिस्ट्रीब्यूटरी	शाहपुरा, सीसवाली, कुश्या, कूण्डला, पाकलखेडा, तिसाया, कनाडा, घूमरखेडी (8 गांव)
5.	नवलपुरा डिस्ट्रीब्यूटरी	नवलपुरा, महुआ, पाकलखेडा, रामपुरा, श्रीनाल, जलोदाखातियान, कांकरा (7 गांव)
6.	धतुरिया डिस्ट्रीब्यूटरी	धतुरिया, बमूलिया जोगियान, पचेल खुर्द (3 गांव)

कैचमेंट क्षेत्र माटूण्डा (बूंदी) की ड्रेन हेतु अवाप्त भूमि

64. श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : क्या सिंचित क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सहायक भू-अभिलेख अधिकारी कम तहसीलदार सी.ए.डी. दीगोद मुकाम कोटा द्वारा कैचमेन्ट माटून्दा जिला बून्दी के लिए वर्ष 1995-96 में भूमि पुर्नग्रहण हेतु नोटिस जारी किया गया था? यदि हां, तो किस ड्रेन के निर्माण के लिए कितनी भूमि अवाप्ति हेतु किस व्यक्ति को? ड्रेन नम्बर तथा अवाप्त भूमि के खसरा नम्बर रकबे सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि तहसीलदार एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी बून्दी द्वारा भी 12 जनवरी, 1996 को भूमि खसरा नम्बर 1994-1994 मि ग्राम माटून्दा तहसील बून्दी की मेन सब ड्रेन नम्बर 3 के लिए 2 बीघा 16 बिस्वा भूमि अवाप्ति के

(श्री रामनारायण मीणा)

लिए नोटिस जारी किया गया है? यदि हां, तो इस बाबत अब तक क्या कार्यवाही की जा चुकी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार द्वारा उक्त भूमि की मुआवजा राशि स्वीकृत की जावेगी? यदि हां, तो कब तक तथा नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। माटून्दा सब ड्रेन नं. 3 के लिये ग्राम माटून्दा खसरा नं. 1194 की 2 बीघा 16 बिस्वा भूमि की अवाप्तिि हेतु जगनाथ आ. डोल्या धाकड़ निवासी ग्राम माटून्दा हेतु (भारतीय स्टेट बैंक बूंदी के रहन इन्तकाल नम्बर 401 दिनांक 25.6.1986 से) को भूमि अवाप्ति हेतु नोटिस दिया गया।

(2) जी नहीं। तहसीलदार एवं भूमि अवाप्तिि अधिकारी बूंदी द्वारा 12 जनवरी, 1996 को खसरा नं. 1994 बाबत कोई नोटिस जारी नहीं किया गया हैं।

(3) जी नहीं। खसरा नं. 1994-1994 मि. ग्राम माटून्दा तहसील बूंदी माटून्दा मेन सब ड्रेन नं. 3 के लिए अवाप्त नहीं किया गया हैं।

मोबाइल सर्जीकल यूनिट द्वारा आयोजित कैम्प

65. **श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु मोबाईल सर्जिकल यूनिट का गठन किया हुआ है? यदि हां, तो इसमें वर्तमान में किस-किस श्रेणी के कितने चिकित्सक पदस्थापित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार चल शल्य चिकित्सा इकाई के वर्ष 2006-07 में राज्य के विभिन्न भागों में कैम्प लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो इसके लिये किन-किन संस्थाओं द्वारा किस-किस स्थान हेतु कैम्प लगाने और उसके लिये आवश्यक संसाधन जुटाने का प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया और सरकार द्वारा उन पर कब-कब और किस स्थान पर कैम्प लगाने का निर्णय लिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) शल्य चिकित्सा इकाई द्वारा किस-किस प्रकार के और अधिकतम कितने आपरेशन एक बडे कैम्प में किये जाते हैं और इन कैम्पों में क्या-क्या सुविधाएं सरकार की ओर से दी जाती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) हां। सूची संलग्न है। प्रपत्र क, प्रपत्र क (i)

(2) राज्य सरकार की इकाई राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के चिकित्सा शिविरों का आयोजन करती है एवं रोगियों को नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

उपलब्ध कराती है, वर्ष 2006-07 में संलग्न सूची के अनुसार चिकित्सा शिविर आयोजन करने का कार्यक्रम निश्चय किया गया है, चिकित्सा शिविर आयोजन करने वाली संस्थाओं के नाम संलग्न सूची में वर्णित कर दिये गये हैं उनके मांग पत्र पर विचार कर शिविर आयोजक की सहमति से स्थान एवं समय निश्चित किया गया है। (संलग्न प्रपत्र ख) ख (i), ख(ii), ख(iii)

(3) भ्रमणशील शल्य चिकित्सा इकाई जयपुर के शिविरों का आयोजन शिविर आयोजक की मांग पर उनके द्वारा प्रस्तावित स्थान पर शिविर आयोजन किये जाते हैं।

बड़े शिविर में अधिकतम 1316 आपरेशन वर्ष 2005-06 में जोगणियामाता जिला चित्तौड़गढ़ में नेत्र एवं शल्य चिकित्सा शिविर का आयोजन कर अधिकतम 1316 आपरेशन किये गये।

इकाई निम्न प्रकार के चिकित्सा शिविरों का आयोजन करती है

1. जनरल नेत्र एवं शल्य चिकित्सा शिविर
2. मिनी नेत्र एवं शल्य चिकित्सा शिविर
3. नेत्र एवं दन्त चिकित्सा शिविर
4. एक दिवसीय जनरल चैक अप चिकित्सा शिविर भ्रमणशील शल्य चिकित्सा इकाई जयपुर 500 शैय्याओं का स्वीकृत चलते फिरते अस्पताल के रूप में कार्यरत है। चिकित्सा शिविरों में रोगियों की संख्यो को देखते हुए 1000 रोगियों तक भर्ती कर उनका नि:शुल्क आपरेशन किये जाते है। इसी प्रकार उदयपुर/जोधपुर प्रत्येक 100 शैय्याओं का चलता फिरता अस्पताल है, जो अपने-अपने क्षेत्रों में चिकित्सा शिविरों का आयोजन कर ग्रामीण जनता को नि:शुल्क चिकित्सा उपलब्ध कराते है। तीनों इकाइयों द्वारा वर्ष 2006-07 में आयोजित किये गये अथवा किये जाने वाले चिकित्सा शिविरों का विवरण संलग्न सूचियों में अंकित है। (संलग्न प्रपत्र ग) राज्य सरकार की इन इकाईयों द्वारा शिविर में सभी सुविधाएं नि:शुल्क उपलब्ध कराई जाती है। जैसे रक्त मल, मूत्र/एक्सरे/सोनोग्राफी/दवाईयां पलंग/बिस्तर ई.सी.जी. इत्यादि। आवश्यक आपरेशन वाले रोगियों को शिविर आयोजक एवं डोनर के सहयोग से ब्लड ट्रान्सफ्यूजन भी नि:शुल्क रोगियों को किया जाता है। रक्त दान स्थानीय स्वयं सेवी संस्थाओं/रिश्तेदार/दानदाता करते है। जिन्हें इकाई के वाहन द्वारा नजदीक के ब्लड बैंक में ले जाकर रक्त दान करने पर रोगियों को ब्लड ट्रान्सफ्यूजन किया जाता है।

इकाईयों द्वारा किये जाने वाले आपरेशन्स की सूची प्रपत्र (घ) में प्रस्तुत है।

संलग्न :- 1. प्रपत्र (क), प्रपत्र (क)-(i)

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

2. प्रपत्र (ख), प्रपत्र (ख)(i), ख(ii), ख(iii)

3. प्रपत्र (ग)

4. प्रपत्र (घ)

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

जावरा (बूंदी) उप स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण हेतु स्वीकृत राशि

66. श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, बून्दी द्वारा जावरा उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण हेतु 3.96 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान करने के लिए निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को पत्र लिखा गया है? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हो चुकी है? पत्र की प्रति सहित की जाने वाली कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद्, बून्दी को पत्र क्रमांक : भवन/06/456-57 दिनांक 14 अगस्त, 2006 लिखकर यू.एन.एफ.पी.ए. मद में मार्च, 2004 में जिला परिषद् (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) बून्दी के पी.डी. अकाउंट में 6.41 लाख की अवशेष राशि उपलब्ध होने से जिला परिषद् द्वारा पत्र क्रमांक : उ.स्वा.के./59 दिनांक 13 व 17 मर्इ, 2006 से उक्त उप स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण के लिए स्वीकृत राशि तीन लाख रुपये के स्थान पर 3.96 लाख की स्वीकृति जारी करने की अभिशंषा जाहिर की है? यदि हां, तो पूरी राशि की स्वीकृति अब कब तक जारी कर दी जाएगी?

(3) क्या यह सही है कि उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण जावरा पंचायत समिति तालेडा के क्षेत्र में होने पर भी जिला परिषद् द्वारा जारी स्वीकृति आदेश पत्रांक: उ.स्वा.के./59 दिनांक 13 व 17 मई, 2006 में वर्णित निर्देश संख्या 1 में पंचायत समिति तालेडा के स्थान पर पंचायत समिति का नाम केशवरायपाटन लिख दिया गया है? यदि हां, तो उक्त त्रुटि को दुरूस्त किया जाने के लिए क्या कार्यवाही की जाएगी?

(4) उक्त उप-स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण कार्य के लिए पूरी राशि 3.96 लाख की स्वीकृति कब तक जारी कर भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया जाएगा?

उत्तर

(1) जी हां। उप स्वास्थ्य केन्द्र, जावरा पंचायत समिति, तालेडा जिला बूंदी के

भवन निर्माण हेतु 3.96 लाख रुपये कि संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति क्रमांक 687 दिनांक 3.10.2006 के द्वारा जारी कर दी गई है। पत्र एवं स्वीकृति की प्रति परिशिष्ट- "अ" एवं "ब" पर उपलब्ध हैं।

(2) जी हां। उप स्वास्थ्य केन्द्र, जावरा पंचायत समिति, तालेडा जिला बूंदी के भवन निर्माण हेतु 3.96 लाख रुपये की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई हैं।

(3) जी हां। संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी होने से उक्त त्रुटी के दुरस्त किये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती हैं।

(4) उप स्वास्थ्य केन्द्र जावरा पंचायत समिति तालेडा जिला बूंदी के भवन निर्माण हेतु 3.96 लाख रुपये की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई हैं।

परिशिष्ट- "अ"

जिला परिषद्, बून्दी

(ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ)

क्रमांक :- उ.स्वा.के./68   **दिनांक :- 31 मई, 2006**

निदेशक,

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

राज. जयपुर

विषय :-यू.एन.एफ.पी.ए. के तहत स्वीकृत जावरा उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन के पुन: निर्माण हेतु 3.96 लाख रुपये की स्वीकृति बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत ग्राम जावरा ग्राम पंचायत खटकड तहसील बून्दी में यू.एन.एफ.पी.ए. योजना के तहत उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन के निर्माण हेतु 1.25 लाख रुपये स्वीकृत किये गये थे किन्तु तत्समय इस भवन का कार्य पूर्ण नहीं हुआ तथा व्यय की गई राशि की वसूली हेतु दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध जांच जारी हैं।

बून्दी जिला परिषद् की साधारण सभा में जावरा में उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन के निर्माण का प्रकरण आने पर भवन के पुन: निर्माण हेतु 3.96 लाख रुपये का एस्टीमेट प्राप्त हुआ हैं।

आपसे अनुरोध हैं कि जावरा में उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन के निर्माण हेतु 3.96 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान करने का श्रम का कष्ट करें।

ह./-

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

जिला परिषद्, बून्दी

परिशिष्ट- "ब"

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाय राजस्थान जयपुर

क्रमांक : रापक/प्लान/2006/687 दिनांक :- 3.10.2006

आदेश

मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद्, बूंदी के पत्र क्रमांक उ.स्वा.के./68 दि. 5.6.2006 के क्रम में निर्देशानुसार यू.एन.एफ.पी.ए. योजना के अन्तर्गत स्वीकृत उप स्वास्थ्य केन्द्र जावरा पंचायत समिति तालेडा जिला बूंदी के भवन के पुन: निर्माण हेतु राशि रुपये 3.96 लाख (तीन लाख छियानवें हजार मात्र) की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

निर्माण कार्य के सम्बन्ध में पूर्व में उप स्वास्थ्य केन्द्र भवनों के निर्माण हेतु जारी दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करते हुये निम्नांकित पालना सुनिश्चित की जावे :-

1. उप स्वास्थ्य केन्द्र के भवन का निर्माण ग्रामीण विकास अभिकरण बूंदी के पीडी अकाउन्ट में अवशेष रही राशि 6.41 लाख में से किया जावेगा।
2. उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन का निर्माण निर्धारित माडल एस्टीमेट एवं नक्शे की प्रति के अनुसार होगा।
3. निर्माण कार्य का तकनीकी निरीक्षण समय-समय पर पंचायत के कनिष्ठ अभियन्ता एवं अभिकरण तकनीकी अधिकारियों के द्वारा किया जावेगा।
4. निर्माण कार्य तीन माह में पूर्ण करवाया जावेगा तथा निर्माण अनुमोदित भूमि पट्टे पर ही किया जावेगा।

ह./-

(डा. एस. पी. यादव)

निदेशक (प. क.)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें

राजस्थान जयपुर।

राज्य में कोडिन युक्त फैंसीड्रिल सिरप की बिक्री

67. श्री रामचन्द्र सराधना (जमुआरामगढ़) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में कोडिन युक्त फैंसीड्रिल सिरप की बिक्री की जा रही है? यदि हां, तो कितनी और कहां-कहां? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) कोडिन युक्त फैंसीड्रिल सिरप का क्या उपयोग होता है और इसे बनाने के लिए अधिकृत कौन-कौन हैं?

उत्तर

(1) जी हां। यह कफ सीरप है जिस औषधि महानियंत्रक (भारत) नई दिल्ली के पत्र क्रमांक एक्स-11029/4/93-डी दिनांक 31.1.1996 में दिए गए निर्देश के अनुसार कफ सिरप के प्रत्येक 5 एमएल में कोडिन फास्फेट की मात्रा 10 एमजी एवं क्लोरफिनारमाइन मेलियट की मात्रा 4 एमजी का फार्मूला अनुमोदित किया गया है। जिसे सम्पूर्ण भारतवर्ष के औषधि निर्माता स्वीकृति लेकर निर्माण एवं विक्रय कर सकते हैं तदनुसार पूरे राज्य में औषधि विक्रेताओं द्वारा बिक्री की जाती है।

(2) पेंसीड्रिल सिरप चिकित्सक के परामर्श पर खांसी के लिए उपयोग किया जाता है। इसका निर्माण मै. निकोलस पिरामल इण्डिया लि. रजि. आफिस निकोलस पिरामल टाबर गनपतराव कदम मार्ग, लोवर परेल, मुम्बई 13 द्वारा किया जाता है।

भ्रूण लिंग परीक्षण में दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही

68. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में वर्ष 2004-05 व 2005-06 में अवैध रूप से लिंग परीक्षण कराकर कन्या भ्रूणों की हत्या के कितने मामले सामने आये? वर्षवार/जिलेवार सूचना सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार कन्या भ्रूण की हत्या रोकने के मामले में कोई ठोस कानून बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तक तथा नहीं, तो क्यों?

(3) राज्य में गत दो वर्षों में लिंग परीक्षण व कन्या भ्रूण हत्या के मामलों में कितने लोगों को दोषी करार दिया गया तथा दोष सिद्ध होने पर इनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? वर्षवार, जिलेवार सूचना सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में वर्ष 2004-05 व 2005-06 में अवैध रूप से लिंग परीक्षण कराकर कन्या भ्रूणों की हत्या का एक भी मामला सामने नहीं आया है।

(2) कन्या भ्रूण हत्या लिंग चयन की प्रवृत्ति को रोकने के लिए केन्द्र सरकार ने गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम 1994 दिनांक 1.1.1996 से लागू किया है। राज्य सरकार ने इस अधिनियम को राजस्थान प्रदेश में दिनांक 1.1.1996 से लागू किया है।

(3) राज्य में गत दो वर्षों (2004-05 व 2005-06) में लिंग परीक्षण व कन्या भ्रूण हत्या का एक भी मामला सामने नहीं आने के कारण किसी को भी दोषी करार नहीं किया गया हैं।

राजकीय नेत्र चिकित्सालय अजीतसरिया (चूरू) में पदों का सृजन

69. श्री राजकुमार रिणवा (रतनगढ़) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजकीय अजीतसरिया नेत्र चिकित्सालय, रतनगढ़ (चूरू) में सामान्य चिकित्सालय रतनगढ के स्वीकृत पदों में से एक नर्स द्वितीय श्रेणी एवं एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की ड्यूटी लगाई हुई है? यदि हां, तो कब से?

(2) क्या सरकार उक्त नेत्र चिकित्सालय हेतु चिकित्सक/कम्पाउण्डर/नर्स आदि के पदों का सृजन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) क्या सरकार उक्त चिकित्सालय के संचालन में वित्तीय प्रबंधन की असमर्थता के कारण वापस इसका प्रबन्धन ट्रस्ट को सम्भालने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से और नहीं, तो इसमें सुधार हेतु क्या कार्यवाही की जावेगी?

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 9.11.1989 से ड्यूटी लगाई हुई है।

(2) जी नहीं।

(3) राज्य सरकार के समक्ष इस आशय का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नही हैं। सुधार हेतु आवश्यक कार्यवाही शीघ्र की जावेगी।

जनरल नर्सिंग हेतु प्रशिक्षण एवं नियुक्ति में महिला/पुरुष कर्मी अनुपात

70. डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह

(डा. श्रीगोपाल बाहेती)

बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु 80 प्रतिशत महिलाओं एवं 20 प्रतिशत पुरुष अभ्यार्थियों का कोटा निर्धारित किया हुआ है?

(2) क्या यह सही है कि जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को नर्सिंग पद पर नियुक्ति देने हेतु 30 प्रतिशत महिला एवं 70 प्रतिशत पुरुष कर्मियों का कोटा निश्चित किया गया है? यदि हां, तो महिलाओं का नर्सिंग प्रशिक्षण में 80 प्रतिशत व पुरुष का 20 प्रतिशत कोटा होने से महिलाओं के साथ ऐसा क्यों? इस विरोधाभास को दूर करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है?

(3) क्या यह सही है कि वर्ष 2003 तक नर्सिंग पद में नियुक्ति हेतु 70 प्रतिशत महिलायें एवं पुरुष हेतु 30 प्रतिशत कोटा निर्धारित था तथा वर्तमान में इसको उल्टा कर दिया गया? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि राजस्थान में नर्सिंग प्रशिक्षण हेतु फिजिक्स, कैमेस्ट्री एवं बायोलॉजी विषय अनिवार्य है, जबकि अन्य राज्यों में ऐसा आर्टस व अन्य विषयों में शिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी को नर्सिंग पद पर नियुक्ति प्रदान की जाती है? यदि हां, तो क्यों?

(5) क्या यह सही है कि नर्सिंग प्रशिक्षण एवं नर्सिंग पद पर नियुक्ति में 50 प्रतिशत महिलाओं को नियुक्ति से वंचित रहना पड़ेगा? यदि हां, तो इनको नियुक्ति देने के सम्बन्ध में सरकार क्या कदम उठा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या यह सही है कि वर्ष 2003 से पूर्व प्रशिक्षण में 554/- रुपये तीन वर्ष का शुल्क जमा कराना पड़ता था तथा राज्य सरकार स्टाईफण्ड महिला अभ्यर्थियों को देती थी? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि वर्तमान में प्रशिक्षण में 1,50,000/- रुपये खर्च होते है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कदम उठा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(7) क्या सरकार महिला अभ्यर्थियों को पूर्वानुसार नियुक्ति देने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। केवल महिलाओं को नियुक्ति में क्षितिज आधार पर 30 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने का राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा

नियम 1965 यथा संशोधित नियम 3.6.1982 के नियम 7 बी में प्रावधान है। यह संवैधानिक प्रश्न है जो सभी विभागों पर समान रूप से लागू होता है। किसी विभाग विशेष को छूट दिये जाने पर अन्य विभाग भी ऐसी मांग कर सकते हैं।

(3) जी नहीं। नियुक्त‍ि में महिलाओं को 70 प्रतिशत नियुक्त‍ि दिये जाने का कभी प्रावधान नहीं रहा है।

(4) राज्य सरकार के नोटिफिकेशन क्रमांक एफ. 6(2) चिस्वा/ग्रुप-3/87 दिनांक 16.1.1991 के बिन्दू 5(1) के अनुसार जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण कोर्स में प्रवेश हेतु फिजिक्स, कैमेस्ट्री एवं बायोलोजी विषय निर्धारित है, लेकिन इन विषयों में उत्तीर्ण अभ्यार्थी उपलब्ध नहीं होने पर अन्य विषयों में निर्धारित योग्यता रखने वाले अभ्यार्थियों को भी जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण में प्रवेश दिये जाने का प्रावधान है।

(5) जी नहीं। कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या-प.7(2) कार्मिक/क-2/96 दि. 31.5.2000 के अनुसार जो महिलायें स्वयं की योग्यता के आधार पर सामान्य वरियता सूची में स्थान प्राप्त करती हैं उन्हें पुरुष वर्ग की रिक्तियों के विरुद्ध भी चयनित माना जाता है इस प्रक्रिया से महिलाओं को नियुक्त‍ि में निर्धारित 30 प्रतिशत आरक्षण के अनुपात से भी अधिक नियुक्त‍ियां दी जाती रही हैं।

(6) सत्र 2003-04 से राज्य सरकार के पत्र क्रमांक : प.5(211)चिस्वा.3/96 दिनांक 8.6.2004 के द्वारा निजी क्षेत्र में संचालित नर्सिंग स्कूल्स में प्रवेश हेतु राज्य सरकार द्वारा उक्त कोर्स के लिये फीस 35000/- वार्षिक अधिकतम तथा छात्रावास शुल्क के रूप में सींगल बैडेड रूम रुपये 10,000/- अधिकतम, डबल बैडेड रूम रुपये 7000/- अधिकतम व ट्रिपल बैडेड रूम रुपये 5000/- अधिकतम निर्धारित है। राजकीय प्रशिक्षण केन्द्रों में राज्य सरकार द्वारा पूर्व से ही निर्धारित शुल्क रु. 180/- प्रतिवर्ष लिये जाने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 8 (7) चिस्वा/ग्रु-3/97 दिनांक 24.12.98 के अनुसार राजकीय प्रशिक्षण केन्द्रों पर प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले अभ्यार्थियों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित स्टाईफण्ड दिया जाता है।

(7) कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या-प.7(2) कार्मिक/क-2/96 दि. 31.5.2000 के अनुसार महिलाओं को नियुक्त‍ि में 30 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने का प्रावधान किया गया है, जो वर्तमान में भी प्रभावी है, जिसके अनुसार ही नियुक्त‍ि दी जाती रही है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ततारपुर (अलवर) का क्रमोन्नयन

71. श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह

(श्री धर्मपाल चौधरी)

बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला अलवर में कितने चिकित्सकों एवं पैरा मेडीकल स्टाफ के पद रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) क्या सरकार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ततारपुर जो कि बहरोड़ अलवर मार्ग पर बहुत बड़ा गांव है, के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) अलवर जिले के अन्तर्गत आने वाले चिकित्सा संस्थानों में पैरा मेडिकल स्टाफ के पद रिक्त नहीं है। चिकित्सकों के 49 पद रिक्त हैं।

(2) जी हां। कनिष्ठ विशेषज्ञों एवं वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त पदों को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने के उपरान्त भरा जाना सम्भव हो सकेगा। ग्रामीण क्षेत्र के चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त पदों को राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यार्थियों की नियुक्ति देते समय भरने के प्रयास किये जायेंगे। शहरी क्षेत्र के चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त पदों को स्थानान्तरण पर से प्रतिबन्ध हटने के उपरान्त भरने के प्रयास किये जायेंगे।

(3) आगामी वित्तीय वर्षों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत करने हेतु समुचित वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर पंचायत समिति मण्डावर के अन्तर्गत आने वाले एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किये जाने पर विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा।

अलवर के ब्लड बैंक का आधुनिकीकरण

72. श्री जितेन्द्र सिंह (अलवर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में ब्लड बैंक की स्थापना औषधी नियंत्रण कानून के तहत की गई है? यदि हां, तो क्या राजस्थान में सभी "बल्ड बैंक" कानूनी प्रावधानों का पालन करते हैं?

(2) क्या यह सही है कि अलवर का "ब्लड बैंक" कानूनी प्रावधानों के अनुरूप है? यदि नहीं, तो इसे कब तक आधुनिक बना दिया जावेगा?

उत्तर

(1) जी हां। ब्लड बैंक के लिए अनुज्ञापत्र औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के तहत औषधि महानियंत्रक (भारत) नई दिल्ली के अनुमोदन के पश्चात् ही राज्य औषधि नियंत्रक द्वारा जारी किए जाते हैं। राजस्थान में स्थित 72 ब्लड बैंकों को अनुज्ञापत्र कानूनी प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करने के उपरान्त ही जारी किए गए हैं जिनके समय-समय पर निरीक्षण किए जाते हैं।

(2) जी हां। अलवर का ब्लड बैंक राजकीय सामान्य चिकित्सालय में हैं जिसे उक्त अधिनियम के तहत कानूनी प्रावधानों की पूर्ति के उपरान्त ही अनुज्ञापत्र जारी किया गया है।

बांदीकुई के चिकित्सालयों में रिक्त पद

73. **श्री मुरारी लाल मीणा** (बांदीकुई) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में किन-किन राजकीय चिकित्सालयों में चिकित्सक/कर्मचारियों के पद रिक्त हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

चिकित्सा संस्थान का नाम	पदनाम	रिक्त पदों की संख्या
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बांदीकुई	नर्स श्रेणी द्वितीय	1
	दन्त टैक्नीशियन	1
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बसवा	बीएचएस (मेल)	1
	मलेरिया निरीक्षक	1
	संगणक	1

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

चिकित्सा संस्थान का नाम	पदनाम	रिक्त पदों की संख्या
	स्वास्थ्य निरीक्षक	1
	वाहन चालक	1
	एसएमपीडब्ल्यू	4
	एमपीडब्ल्यू	7
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, लोटवाडा	प्रसाविका	1

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई के अन्तर्गत आने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्टाफ के रिक्त पदों का विवरण निम्न प्रकार है:-

(2) जी हां। नर्स श्रेणी द्वितीय के 1226 रिक्त पदों को शीघ्र भरने हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। बीएचएस (मेल), एसएमपीडब्ल्यू एवं मलेरिया निरीक्षक के रिक्त पदों को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने के उपरान्त भरा जाना सम्भव हो सकेगा। स्वास्थ्य निरीक्षक का पद डाईग केडर का है। एमपीडब्ल्यू प्रशिक्षण पर रोक होने से प्रशिक्षित अभ्यार्थी उपलब्ध नहीं है। शेष पद सीधी भर्ती के हैं, जिन्हें भरने के प्रयास किए जा रहे हैं। संगणक का रिक्त पद निदेशक आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के द्वारा भरा जाना हैं।

केन्द्रीय सड़क निधि मद में प्राप्त राशि का उपयोग

74. श्री जोगाराम पटेल (लूणी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य को केन्द्रीय सड़क निधि के तहत पिछले छह वर्षों में कितनी राशि मिली? वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार केन्द्रीय सड़क निधि के तहत कुल मिलने वाली स्वीकृत राशि समय पर खर्च नहीं कर पाई जिसके कारण सरकार को 77 करोड़ रुपये कम प्राप्त हुए?

उत्तर

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(1) राज्य सरकार को केन्द्रीय सड़क निधि योजना के तहत वर्ष 2000-2001 से 2005-2006 तक राशि 411.41 करोड़ रुपये प्राप्त हुई जिसकी सूची परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(2) केन्द्र सरकार से जितनी राशि राज्य सरकार को प्राप्त हुई उसका तो राज्य सरकार द्वारा समय पर उपयोग कर लिया गया है परन्तु पूर्व में केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2000-2001, 2001-2002 एवं 2003-2004 में वांछित राशि एवं स्वीकृतियां समय पर जारी नहीं की गई इसलिए उन वर्षों में अर्जित राशि का उपयोग नहीं हो सका। तदुपरान्त वर्ष 2004-2005 एवं 2005-2006 में राज्य द्वारा कार्यों की प्रगति उन वर्षों में अर्जित राशि का उपयोग नहीं हो सका। तदुपरान्त वर्ष 2004-2005 एवं 2005-2006 में राज्य द्वारा कार्यों की प्रगति उन वर्षों हेतु अर्जित राशि से भी अधिक होने पर भी पुरानी शेष अर्जित राशि 77.01 करोड़ रुपये भी जारी नहीं की गई। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित पत्र राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को लिखे गये :-

1. क्रमांक 393 दिनांक 17.2.2005 (मुख्य अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग एन.एच. राजस्थान जयपुर द्वारा)
2. क्रमांक 408 दिनांक 2.3.2005 (मुख्य अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग एन.एच. राजस्थान जयपुर द्वारा)
3. क्रमांक 419 दिनांक 10.3.2005 (माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा)
4. क्रमांक 1122 दिनांक 24.8.2006 (माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री, राजस्थान सरकार द्वारा)

परन्तु इन पत्रों एवं लगातार किये जा रहे मौखिक निवेदन के उपरान्त भी केन्द्र सरकार द्वारा पुरानी शेष अर्जित राशि को वर्तमान वर्षों की अर्जित राशि में नहीं

परिशिष्ट-क

क्र. सं.	वर्ष	अर्जित राशि (करोड़ रुपये)	संचयी अर्जित राशि (करोड़ रुपये)	केन्द्र द्वारा जारी की गई राशि (करोड़ रुपये)	केन्द्र द्वारा जारी की गई संचयी राशि (करोड़ रुपये)	अर्जित की गई व जारी की गई राशि में अन्तर (करोड़ रुपये में)	व्यय (करोड़ रुपये में)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7 (4-6)**	**8**
1.	2000-01	75.82	75.82	25.27	25.27	50.55	0.00
2.	2001-02	75.84	151.66	50.54	75.81	75.85	58.65
3.	2002-03	76.71	228.37	99.34	175.15	53.22	101.16
4.	2003-04	71.02	299.39	47.23	222.38	77.01	49.63
5.	2004-05	67.87	367.26	67.87	290.25	77.01	84.12
6.	2005-06	121.16	488.42	121.16	411.41	77.01	108.98
		488.42		**411.41**			**402.54**

जोड़ा जा रहा है। माह अगस्त, 2006 तक केन्द्र सरकार ने राजस्थान के लिए केन्द्रीय सड़क निधि योजना के अन्तर्गत कुल अर्जित राशि 608.22 करोड़ रुपये के विरूद्ध मात्र 470.22 करोड़ रुपये की राशि जारी की है। इस प्राप्त 470.22 करोड़ रुपये राशि के विरूद्ध माह अगस्त, 2006 तक 465.19 करोड़ रुपये राशि उपयोग में ली जा चुकी है।

तारानगर में सड़क निर्माण कार्य

75. डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र तारानगर में वर्ष 2004 के पश्चात् कौन-कौनसी सड़कों का निर्माण कराया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र तारानगर के ग्राम झोथड़ा से लिलकी, बीरमी, खालसा व बायं की सड़कों का निर्माण करवाने का विचार रखती है? यदि हां,

तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) विधान सभा क्षेत्र तारानगर में वर्ष 2004 से अब तक कौन-कौनसी क्षतिग्रस्त सड़कों का मरम्मत कार्य करवाया गया तथा किन-किन का शेष है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र तारानगर में वर्ष 2004 के पश्चात् दिनांक 01.01.2005 से विभिन्न योजनाओं में निम्नानुसार सड़कों का निर्माण कराया गया :-

पी.एम.जी.एस.वाई. योजना

1. सम्पर्क सड़क कैलाश 3.4 कि.मी.
2. भलाउ ताल से झाझली सड़क 7.9 कि.मी.
3. रतनपुरा से झाड़सर छोटा सड़क 1.1 कि.मी.
4. रेडी से भुरावास सड़क 1.1 कि.मी.
5. सम्पर्क सड़क जवानीपुरा 8.2 कि.मी.
6. ढाणी कुम्हारान से ढाणा पट्टा सात्यूं सड़क 1.3 कि.मी.
7. पण्डरेउ टिब्बा से बनड़ा सड़क 4 कि.मी.
8. बनियाला से ढाणी माना सड़क 1.65 कि.मी.
9. राजपुरा से ढाणी पूनिया सड़क 7.2 कि.मी.
10. बीकानेर दिल्ली सड़क से करणपुरा 6 कि.मी.
11. आई.जी.एन.पी. सड़क से किलीपुरा सड़क 0.9 कि.मी.
12. ढाणा से ख्याली सड़क 3.42 कि.मी.
13. ढिगारला से चुबकीयागढ़ सड़क 3.43 कि.मी.
14. मिठडी केशरीसिंह से देवीपुरा सड़क 5 कि.मी.
15. खुडी से चेलानावास सड़क 3.48 कि.मी.
16. कांजन से मालवास सड़क 3.15 कि.मी.
17. मुन्दीताल से बास रड़साना सड़क 8.94 कि.मी.
18. सिद्धमुख से दयावठ सड़क 9 कि.मी.
19. रतनपुरा से कालोड़ी 3.28 कि.मी.

डब्ल्यू.बी.एम. से बी.टी. योजना

1. तारानगर साहवा सड़क से भलाउ टिब्बा सड़क 1.2 कि.मी.
2. तारानगर राजगढ़ रोड़ से जिगसाना ताल सड़क 1.2 कि.मी.

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

3. बांय से बिरमी खालसा सड़क 8 कि.मी.

4. राजपुरा से दुधवाखारा सड़क 8 कि.मी.

(2) विधान सभा क्षेत्र तारानगर में ग्राम झोथड़ा एवं लिलकी बी.टी. सड़क से जुड़े हुए हैं। झोथड़ा से लिलकी के बीच 9 कि.मी. कच्चा रास्ता है। जिसमें लिलकी से भम्भाड़ा तक (3.5 कि.मी.) सड़क प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में स्वीकृत है जिसका कार्य प्रगति पर है तथा यह कार्य माह जनवरी, 2007 तक पूर्ण होने की सम्भावना है। शेष 5.5 कि.मी. की दूरी भम्भाड़ा से झोथड़ा किसी भी योजना में स्वीकृत नहीं है। इस भाग में सड़क का कार्य राज्य के उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं प्राथमिकता पर निर्भर है। बिरमी खालसा से बांय की सड़क डब्ल्यू.बी.एम. से बी.टी. योजनान्तर्गत स्वीकृत है तथा कार्य प्रगति पर है जिसके माह दिसम्बर, 2006 तक पूर्ण होने की सम्भावना है।

परिशिष्ट-अ

सड़कों की सूची जिन पर साधारण मरम्मत कार्य करवाया गया

क्र. सं.	**सड़क का नाम**
1	**2**
1.	तारानगर साहवा सड़क
2.	तारानगर हड़ियाल सड़क
3.	हड़ियाला से टमकोर
4.	सातमील से गाजूवास
5.	तारानगर से चंगोई
6.	भलाऊताल से पंडरेऊताल
7.	साहवा से भादरा
8.	सम्पर्क सड़क तारानगर
9.	तारानगर सात्युं सड़क से ढाणी कुम्हरान
10.	साहवा से भाडंग
11.	सम्पर्क सड़क रेवासी
12.	धोलिया सेउवा से भुवाड़ी रतनपुरा 0/0 से 7/140

1	2
13.	राजगढ़ से बांय 16/0 से 18/0
14.	सम्पर्क सड़क ददरेवा 0/0 से 1/730
15.	न्यांगली से लाखलाण 0/0 से 4/310
16.	चनाना छोटा से चनाना बड़ा 0/0 से 1/620
17.	बीकानेर दिल्ली सड़क कि.मी. 165/0 से 210/0

परिशिष्ट-ब

सड़कों की सूची जिन पर नवीनीकरण का कार्य करवाया गया

क्र. सं.	सड़क का नाम
	आर.एम.यू.पी.-प्रथम
1.	सम्पर्क सड़क तारानगर 0.6 कि.मी.
2.	सम्पर्क सड़क आनन्दसिंहपुरा 4 कि.मी.
	सी.आर.एफ.
1.	बीकानेर दिल्ली सड़क 168/0 से 171/0, 173/0 से 180/0, 182/0 से 186/0, 214/0 से 219/0 व 222/500 से 230/600
2.	चूरू से तारानगर 0/0 से 25/0, 36/0 से 42/0

परिशिष्ट-स

वर्ष 2006 में नवीनीकरण कराये जाने वाले कार्यों की सूची

क्र. सं.	सड़का का नाम
1.	रतनपुरा से झाड़सर छोटा 4.50 कि.मी. (आर.एम.यू.पी.)
2.	भालेरी से साहवा 9 कि.मी. (आर.एम.यू.पी.)
3.	राजगढ़ से सिद्धमुख 3/500 से 26/0 (सी.आर.एफ.) तथा अन्य सड़कों पर पेच रिपेयर का कार्य प्रगति पर है जो दिनांक 15.10.2006 तक पूर्ण किये जाने की सम्भावना है।

(3) विधान सभा क्षेत्र तारानगर में 2004 से दिनांक 1.1.2004 से अब तक जिन सड़कों का मरम्मत कार्य करवाया गया उनका विवरण परिशिष्ट "अ", "ब" में संलग्न है। जिन सड़कों पर मरम्मत/नवीनीकरण कार्य स्वीकृत है तथा करवाया जाना है उनकी सूची परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

ओगणा-पानखा (फलासिया) सड़क का डामरीकरण

76. **श्री बाबूलाल खराड़ी** (फलासिया) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र फलासिया की ओगणा से पानरवा की दो किलोमीटर सड़क को डामरीकृत करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं। ओगणा से पानरवा वाया नेवज अदकालिया तक कुल दूरी 36 कि.मी. है। ओगणा से नेवज व अदकालिया से पानरवा तक डामरीकृत सड़क का निर्माण प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत हो चुका है। अदकालिया से नेवज के मध्य 2 कि.मी. की दूरी के सड़क निर्माण का कार्य वर्तमान में किसी योजना के अन्तर्गत स्वीकृत नहीं है। वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है।

झुंझुनूं जिले के राजस्व ग्रामों में सड़क निर्माण

77. **श्रीमती प्रतिभा सिंह** (नवलगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) झुंझुनूं जिले में प्रधानमंत्री सड़क योजना में कितनी आबादी तक के कौन-कौन से गांवों को जोड़ा जा चुका है? इन कार्यों को कौन सी फर्म द्वारा कितनी राशि में करवाया गया तथा इनकी गारंटी अवधि क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) झुंझुनूं जिले में प्रधानमंत्री सड़क योजना में कौनसी सड़क निर्माणाधीन है? इसकी गारन्टी अवधि क्या है तथा ये कितनी राशि की स्वीकृत है? उक्त सड़कें कब तक पूर्ण होगी तथा किस फर्म/ठेकेदार द्वारा बनाई जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि राज्य में वर्ष 2005-06 एवं 2006-07 में नये राजस्व ग्राम घोषित किये गये है? यदि हां, तो झुंझुनूं जिले में कौन से तथा कितनी आबादी के हैं? सरकार प्रधानमंत्री सड़क योजना में इनमें से कौनसे गांवों को कब तक सड़क से

जोड़ने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि प्रधानमंत्री सड़क योजना में निर्माण हेतु प्रस्तावों का जिला परिषद् से अनुमोदन आवश्यक है? यदि हां, तो झुंझुनूं जिले की प्रत्येक सड़क के अनुमोदित प्रस्तावों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) झुंझुनूं जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में अगस्त, 2006 तक जोड़े गये गांवों का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। इन कार्यों पर निम्न फर्मों द्वारा कार्य करवाया गया :-

1. आर.एस.आर.डी.सी. कारपोरेशन लि.
2. मै. लक्ष्मी बिल्डिर्स एण्ड डवलपर्स बख्तावरपुरा
3. मै. रवि कन्स्ट्रक्शन कम्पनी झुंझुनूं
4. मै. एस.पी.सी. इन्फ्रा. लि. जयपुर
5. मै. राजेन्द्र सिंह भाम्बू
6. मै. कुमार कन्स्ट्रक्शन कम्पनी जयपुर
7. मै. प्रदीप कुमार जोधा का बास

इन कार्यो पर अगस्त, 2006 तक कुल 29.00 करोड़ रुपये का व्यय हुआ। क्रम संख्या 1 से 11 तक के कार्यो की गारण्टी अवधि कार्य पूर्ण होने की दिनांक से 3 वर्ष तक एवं शेष की 5 वर्ष तक है।

(2) झुन्झुनूं जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में निर्माणाधीन सड़कों का विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है। इनकी गारण्टी अवधि कार्य पूर्ण होने की दिनांक से 5 वर्ष तक है।

(3) जी हां। झुन्झुनूं जिले में नये घोषित राजस्व गांवों की सूची परिशिष्ट "स" पर है। ये गांव अभी घोषित किये गये हैं। जबकि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दिशा-निर्देशानुसार वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर 500 तक की जनसंख्या के ग्रामों को जोड़ने का प्रावधान है एवं मरू तथा जनजातीय क्षेत्रों में 250 तक की आबादी के गांवों को जोड़ने का प्रावधान है।

(4) जी हां। अनुमोदित प्रस्तावों की प्रति परिशिष्ट "द" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बीकानेर के पी.बी.एम. अस्पताल परिसर में निर्माण कार्य

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

78. श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पी.बी.एम. अस्पताल परिसर में सार्वजनिक निर्माण विभाग के कनिष्ठ अभियन्ता का कार्यालय संचालित है? यदि हां, तो कब से? इस कार्यालय संचालित है? यदि हां, तो कब से? इस कार्यालय के अधीन किस-किस स्तर के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कार्यालय में पदस्थापित अधिकारियों/कर्मचारियों के कार्यक्षेत्र/कार्यों का विवरण सदन की मेज पर रखें। सरकार द्वारा इस कनिष्ठ अभियन्ता कार्यालय द्वारा करवाए जाने वाले कार्यों हेतु प्रति वर्ष कितनी-कितनी राशि व्यय की जा रही है?

(3) क्या यह सही है कि पी.बी.एम. अस्पताल में किए जाने वाले/किए जा रहे निर्माण कार्यो/मरम्मत कार्यों की जिम्मेदारी सार्वजनिक निर्माण विभाग की होती है? यदि हां, तो दिनों 1 जनवरी, 1995 से वर्तमान तक उक्त चिकित्सालय परिसर में किए गए विभिन्न निर्माण कार्यो/मरम्मत कार्यो की कार्यवार, विभागवार सूची मय लागत सदन की मेज पर रखें व क्या इस अवधि में किए गए सभी निर्माण कार्यों का नक्शा व निर्माण हेतु स्थान का चयन सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया गया है तथा सभी निर्माण कार्यों की देखरेख सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा की गई है? यदि नहीं, तो किस-किस कार्य की व क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि अम्बेडकर सर्किल से मेडिकल कालेज की ओर जाने वाले मार्ग पर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड सबस्टेशन के पास पी.बी.एम. अस्पताल परिसर में प्रवेश करने हेतु चारदीवारी को तोड़कर रास्ता बनाया गया है/द्वार लगाया गया है? यदि हां, तो कब व किस की आज्ञा से? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि अस्पताल परिसर में प्रवेश हेतु पूर्व निर्मित चारदीवारी को तोड़कर बनाए गए मार्ग से मरीजों एवं उनके परिजनों तथा डाक्टरों एवं कर्मचारियों के आवागमन तथा रेलवे लाइन पर बने पुल के भी नजदीक ही होने के कारण इस व्यस्त मार्ग पर आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं/दुर्घटनाओं का अदेशा बना रहता है? यदि हां, तो क्या सरकार इस द्वार को बन्द कर पुन: चारदीवारी बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 1960 से। इस सैक्शन के अधीन मेशन-2, कारपेन्टर-1, पेन्टर-1, स्टोर मुंशी-1, हैल्पर-3, बेलदार-5, चौकीदार-1 के पद स्वीकृत हैं।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(2) सेक्शन-II बीकानेर-पीबीएम अस्पताल परिसर व आवासीय क्वार्टर एवं डिस्पेन्सरियां। इस सैक्शन द्वारा औसतन 12.00 लाख रुपये प्रति वर्ष मरम्मत कार्यों हेतु खर्च किये जाते हैं।

(3) जी हां। औसतन 12.00 लाख रुपये प्रति वर्ष मरम्मत कार्यों के अतिरिक्त कार्यों की सूची प्रपत्र-अ पर संलग्न है। जी नहीं। अस्पताल प्रशासन द्वारा स्वयं के स्तर पर निर्माण कार्य कराये गये थे। सूची प्रपत्र-ब पर संलग्न है।

(4) जी हां। वर्ष 2005 में अस्पताल प्रशासन द्वारा बनाया गया।

(5) इस प्रवेश द्वार पर आवागमन अभी चालू नहीं हुआ है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

ब्यावर-बाबरावरास सड़क का भारी वाहनों हेतु सुदृढ़ीकरण

79. श्री देवीशंकर भूतड़ा (ब्यावर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ब्यावर से बाबरा व रास जाने वाली सड़क 10 टन भार के वाहनों के लिए ही बनाई गई थी और अब उस पर 20 से 50 टन भार के भार ट्रक व ट्रोले चल रहे है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार अधिक भार वाले वाहनों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तक तथा नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार उक्त सड़क पर वाहनों के दबाव को देखते हुए उक्त सड़क चौड़ी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि ब्यावर से रास बाबरा सड़क साधारण भार के वाहनों के लिये निर्मित है एवं यातायात गणना के अनुसार अब उस पर भारी वाहन चल रहे हैं। क्षमता से अधिक भार ढोने वाले वाहनों के विरूद्ध कार्यवाही, परिवहन विभाग द्वारा की जाती है।

(2) जी नहीं। यातायात दबाव को देखते हुये मानदण्डानुसार सड़क चौड़ी करने का प्रावधान नहीं है।

राजगढ़ (चूरू) के विद्यालयों में रिक्त पद

80. श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) तहसील राजगढ़ (चूरू) के प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कितने पद स्वीकृत हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में किस-किस विद्यालय में कितने-कितने पद रिक्त है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) तहसील राजगढ़ (चूरू) के प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में स्वीकृत पदों का विवरण परिशिष्ट- "क" संलग्न है।

(2) वर्तमान में उक्त विद्यालयों में रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-"क" संलग्न है।

(3) जी हां। राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर तथा विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयनित आशार्थी उपलब्ध होने पर रिक्त पद भरे जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। वेतन श्रृंखला 1 से 6 तक के पदों की नियुक्ति पर प्रतिबन्ध हटने पर ही उक्त पद भरे जा सकेंगे।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

उदयपुर सम्भाग के जनजाति आवासीय विद्यालयों में रिक्त पद

81. श्री अर्जुन लाल मीणा (सलूम्बर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) उदयपुर सम्भाग में कितने जनजाति आवासीय विद्यालय तथा आश्रम छात्रावास संचालित हैं? उक्त छात्रावासों में कितने अध्यापकों, व्यवस्थापकों एवं कोच, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद स्वीकृत हैं तथा उनमें से कितने पद रिक्त है?

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) उदयपुर सम्भाग में जनजाति विभाग द्वारा 6 आवासीय विद्यालय एवं 163 आश्रम छात्रावास संचालित है।

अ. उक्त आश्रम छात्रावासों में वार्डन/कोच/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के स्वीकृत, भरे तथा रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-अ व ब पर संलग्न है।

ब. आवासीय विद्यालय:-

उदयपुर संभाग में संचालित 6 आवासीय विद्यालयों में अध्यापकों के 108 पद स्वीकृत है जिनमें से 30 पद भरे हुए हैं तथा 78 पद रिक्त है सूची परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

परिशिष्ट-अ
Sept. 2006

उदयपुर संभाग में संचालित आश्रम छात्रावासों में स्वीकृत/भरे/रिक्त पदों का विवरण

क्र. सं.	नाम पद	बांसवाड़ा			डूंगरपुर			उदयपुर			प्रतापगढ़			योग		
		स्वी.	भरे	रिक्त	स्वी.	भरे	रिक्त	स्वी.	भरे	रिक्त	स्वी.	भरे	रिक्त	स्वी.	भरे	रिक्त
1.	अधी. ग्रेड-II (5500-9000)	38	37	1	38	31	7	60	52	8	27	21	6	163	141	22
2.	कोच ग्रेड-III (4500-7000)	11	4	7	7	4	3	22	8	14	10	0	10	50	16	34
3.	च. श्रेणी कर्म.(2550-3200)	22	22	0	16	13	3	27	20	7	10	0	10	75	55	20
	योग	**71**	**63**	**8**	**61**	**48**	**13**	**109**	**80**	**29**	**47**	**21**	**26**	**288**	**212**	**76**

3– चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रिक्त पदों की सेवायें ठेके पर निविदायें आमंत्रित करली जा रही है तथा छात्रावासों में शिक्षा विभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यरत नहीं है।

परिशिष्ट-ब
Sept. 2006

क्र. सं.	उदयपुर संभाग में गैर उपयोजना क्षेत्र में संचालित आश्रम छात्रावासों में स्वीकृत/भरे/रिक्त पदों का विवरण												
	नाम पद	उदयपुर			राजसमंद			चित्तौड़गढ़			योग		
		स्वी.	भरे	रिक्त	स्वी.	भरे	रिक्त	स्वी.	भरे	रिक्त	स्वी.	भरे	रिक्त
1.	अधी. ग्रेड-II (5500-9000)	4	4	0	3	2	1	5	3	2	12	9	3
2.	कोच ग्रेड-III (4500-7000)	2	0	2	2	0	2	3	1	2	7	1	6
3.	च. श्रेणी कर्म.(2550-3200)	2	0	2	0	0	0	3	0	3	5	0	5
	योग	**8**	**4**	**4**	**5**	**2**	**3**	**11**	**4**	**7**	**24**	**10**	**14**

3– चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रिक्त पदों की सेवायें ठेके पर निविदायें आमंत्रित करली जा रही है तथा छात्रावासों में शिक्षा विभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यरत नहीं है।

परिशिष्ट-स

आवासीय विद्यालयों में उदयपुर संभाग में स्वीकृत अध्यापकों के पदों के विपरीत रिक्त पदों का विवरण

क्र. सं.	अध्यापक पद नाम	स्वीकृत	भरे पद	रिक्त पद
1.	प्रधानाचार्य	6	—	6
2.	उप प्रधानाचार्य	6	4	2
3.	व्याख्याता	30	—	30
4.	अध्यापक द्वितीय श्रेणी	54	20	34
5.	अधीक्षक	6	2	4
6.	शारीरिक शिक्षक	6	4	2
	योग	**108**	**30**	**78**

(2) आवासीय विद्यालय/आश्रम छात्रावासों में अध्यापकों/वार्डन/कोच के रिक्त पदों को "वाक इन इन्टरव्यू" कर चयनितं योग्य कार्मिकों को शिक्षा विभाग के इच्छुक शिक्षकों का चयन करते हुए शिक्षा विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रतिनियुक्ति द्वारा शीघ्र भरने की कार्यवाही जारी है।

खैरवाड़ा के विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पद

82. श्री नानालाल अहारी (खैरवाड़ा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा के उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों के पद रिक्त हैं? यदि हां, तो क्या सरकार इन्हें भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

जी हां। रिक्त पद राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर एवं विभागीय पदोन्नति समिति के द्वारा चयनित आशार्थी उपलब्ध होने पर भरे जा सकेंगे।

संस्कृत शिक्षा में सामान्य शिक्षकों का पदस्थापन

83. श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी) : क्या संस्कृत शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(डा. कन्हैया लाल मीणा)

(1) संस्कृत शिक्षा विभाग में पिछले पांच वर्षों से कितने सामान्य विषय के अध्यापकों द्वारा आचार्य परीक्षा उत्तीर्ण की योग्यता अंकन करवाई गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) आचार्य परीक्षा उत्तीर्ण करने पर जिन अध्यापकों ने वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड, व्याख्याता, प्रोफेसर, हैडमास्टर, प्राचार्य, वरिष्ठ उपाध्याय के पदों पर पदोन्नति प्राप्त की है क्या उन शिक्षकों को संस्कृत पढ़ाना आता है? यदि नहीं, तो गत पांच वर्षों के विषयवार परीक्षा परिणाम सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार संस्कृत शिक्षा में उच्च पदों पर कार्यरत शिक्षकों की सेमीनार बुलवाकर संस्कृत सभाषण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) वर्तमान में संस्कृत शिक्षकों के किस-किस संवर्ग के कितने-कितने पद रिक्त है? सरकार इन्हें कब तक भरने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) संस्कृत शिक्षा विभाग में पिछले पांच वर्षों में सामान्य विषय के 42 अध्यापकों द्वारा आचार्य परीक्षा उत्तीर्ण कर योग्यता अंकन करवाई गई। सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां।

(3) जी हां। इस वर्ष फरवरी, 2006 में संस्कृत शिक्षा के 1500 शिक्षकों संस्कृत विषय का प्रशिक्षण दिया गया एवं भविष्य में भी इस प्रक्रिया को निरन्तर रखा

1.	प्रोफेसर	3 पद
2.	व्याख्याता	16 पद
3.	प्र. अ. (प्रवे.)	15 पद
4.	व. अ. I ग्रेड	50 पद
5.	व. अ. II ग्रेड	201 पद
6.	तृ. श्रे. शिक्षक	535 पद

जायेगा।

परिशिष्ट-I

संस्कृत शिक्षा विभाग में पिछले पांच वर्षों में सामान्य विषय के अध्यापकों द्वारा आचार्य परीक्षा उत्तीर्ण कर योग्यता अंकन करवाने वाले अध्यापकों की सूची

क्र. सं.	शिक्षक का नाम	पदनाम	आचार्य उत्तीर्णता का वर्ष
1	2	3	4
1.	श्री रिपुदमन शर्मा	व्याख्याता	2001
2.	श्री लल्लूराम शर्मा	व्याख्याता	2002
3.	श्री विनीत कुमार गुप्ता	व्याख्याता	2003
4.	श्री सन्तोष कुमार दूबे	व्याख्याता	2001
5.	श्री रमेशचन्द शर्मा	व. अ. I ग्रेड	2002
6.	श्री अध्यात्मप्रकाश शर्मा	व. अ. I ग्रेड	2001
7.	श्री फूलचन्द वर्मा	प्राचार्य (वरि. उपा. विद्यालय)	2002
8.	श्री अशोक कुमार शर्मा	व. अ. I ग्रेड	2002
9.	श्री महेश कुमार गौतम	व. अ. I ग्रेड	2003
10.	श्री मानसिंह	व. अ. II ग्रेड	2002
11.	श्री सूरजमल कानव	व. अ. II ग्रेड	2003
12.	श्री घनश्यामदत्त शर्मा	व. अ. II ग्रेड	2003
13.	श्री श्यामलाल शर्मा	व. अ. II ग्रेड	2004
14.	श्री जगदीश बागड़ी	व. अ. II ग्रेड	2004
15.	श्री भवानी शंकर ब्राह्मण	व. अ. II ग्रेड	2004
16.	श्री नरेन्द्र कुमार दुबे	व. अ. II ग्रेड	2004
17.	श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा	व. अ. II ग्रेड	2004
18.	श्री गजानन्द कुम्हार	व. अ. II ग्रेड	2005
19.	श्री रमेश कुमार शर्मा	व. अ. II ग्रेड	2005

1	2	3	4
20.	श्री मुकेश कुमार चतुर्वेदी	व. अ. II ग्रेड	2005
21.	श्री दुर्गाशंकर पारीक	व. अ. II ग्रेड	2005
22.	श्री शिवकुमार शर्मा	तृ. श्रे. अध्यापक	2001
23.	श्री प्रदीपकुमार द्विवेदी	” ”	2001
24.	श्री महेन्द्र कुमार गौतम	” ”	2002
25.	श्रीमती शशीकला शर्मा	” ”	2002
26.	श्रीमती ललिता शर्मा	” ”	2002
27.	श्रीमती उषा दाधीच	” ”	2002
28.	श्रीमती अर्चना भतरा	” ”	2001
29.	श्री भूदेव शर्मा	” ”	2002
30.	श्री योगेश चन्द शर्मा	” ”	2004
31.	श्री लक्ष्मीभगवान शर्मा	” ”	2003
32.	श्री नन्दलाल डांगी	” ”	2004
33.	श्री वेणुगोपाल पंचोली	” ”	2003
34.	श्री श्रवण कुमार मीणा	” ”	2005
35.	श्री प्रवीण कुमार शर्मा	” ”	2004
36.	श्री सोहनलाल दोतोलिया	” ”	2005
37.	श्री राजुकुमार लिम्बात	” ”	2003
38.	श्री गोपालदत्त शर्मा	” ”	2004
39.	श्री पुष्पेन्द्र कुमार शर्मा	” ”	2002
40.	सुश्री हर्षा शर्मा	” ”	2004
41.	श्री राजेन्द्र कुमार	” ”	2005
42.	श्री रामचरण मीणा	” ”	2005

(4) वर्तमान में संस्कृत शिक्षकों के विभिन्न संवर्ग के निम्नलिखितानुसार पद रिक्त है :-

इन्हें भरने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है।

बांसवाड़ा जिले के विद्यालयों में लम्बे समय से पदस्थापित अध्यापक

84. **श्री जीतमल खांट** (बागीडौरा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) बांसवाड़ा जिले में ऐसे कितने माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय है जहां विषय अध्यापकों के पद रिक्त है? पदों की संख्या एवं पद कब से रिक्त है, की विद्यालयवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) बांसवाड़ा जिले में ऐसे कितने माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं जिनमें विषय अध्यापक लम्बे समय से कार्यरत हैं तथा उनका पदस्थापन से अब तक उक्त विद्यालयों में कितने वर्षों से ठहराव है? विद्यालयों में छात्र/छात्राओं की संख्या क्या है? विद्यालयवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) बांसवाड़ा जिले की माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं का गत तीन वर्षों का परीक्षा परिणाम क्या रहा? छात्र-छात्राओं की संख्या एवं विद्यालयवार परीक्षा परिणाम प्रतिशत सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बांसवाड़ा जिले में संचालित राजकीय माध्यमिक/राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विषयवार अध्यापकों के रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट "क" संलग्न है।

(2) बांसवाड़ा जिले के राजकीय माध्यमिक एवं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 5 वर्ष से अधिक ठहराव वाले विषय अध्यापकों का विवरण परिशिष्ट "ग" संलग्न है।

(3) बांसवाड़ा जिले की राजकीय माध्यमिक/राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों का गत तीन वर्षों का बोर्ड परीक्षा परिणाम एवं कक्षा 10 व 12 अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के विवरण का परिशिष्ट "ख" संलग्न है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

खारची के अध्यापकों की प्रतिनियुक्ति

85. **श्री खुशवीर सिंह जोजावर** (खारची) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र खारची में ऐसे कितने राजकीय प्राथमिक विद्यालय/

(श्री खुशवीर सिंह जोजावर)

उच्च प्राथमिक विद्यालय है जहां एकल अध्यापक कार्यरत हैं? विद्यालय का नाम व छात्र संख्या सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) ऐसे कितने विद्यालय हैं जहां दो अथवा तीन अध्यापकों का पदस्थापन हैं? लेकिन उनकी प्रतिनियुक्ति अन्य स्थान पर की गई है? ऐसे विद्यालय एवं अध्यापकों की सूची व प्रतिनियुक्ति पर कितने समय से कहां पर पदस्थापित है, कि विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र खारची में कुल 19 प्राथमिक विद्यालय ऐसे है जहां एकल अध्यापक कार्यरत है। विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र संख्या सहित विवरण

परिशिष्ट "क"

विधान सभा क्षेत्र खारची (पाली) में संचालित एकल अध्यापकीय विद्यालयों का छात्र संख्यावार विवरण

क्र. सं.	विद्यालय का नाम	छात्र संख्या
1	2	3
1.	राप्रावि. साटियों की ढाणी	72
2.	राप्रावि. बेरा समदड़ा ईसाली	59
3.	राप्रावि. कारवाड़ा	143
4.	राप्रावि. नेबो की खेजड़ी	50
5.	राप्रावि. गुड़ा अजबा	67
6.	राप्रावि. कन्थातो का ओड़ा	60
7.	राप्रावि. गुगलिया	51
8.	राप्रावि. अखा का ओड़ा	31
9.	राप्रावि. हलावट	54
10.	राप्रावि. गुड़ा हिम्मता	11
11.	राप्रावि. ढाल	60
12.	राप्रावि. करमाल	91
13.	राप्रावि. गुड़ागंगा II	61

क्र. सं.	विद्यालय का नाम	छात्र संख्या
14.	राप्रावि. बरातों का ओडा	68
15.	राप्रावि. ऊपरली निम्बड़ी	85
16.	राप्रावि. गुडा धमायता	82
17.	राप्रावि. सिचियावास	54
18.	राप्रावि. सीमाल	69
19.	राप्रावि. काड़	48

परिशिष्ट "ख"

विधान सभा क्षेत्र खारची (पाली) में दो अथवा तीन अध्यापकीय विद्यालयों में से शिक्षण व्यवस्था के अन्तर्गत अन्य विद्यालय में लगाये अध्यापकों का विवरण

क्र. सं.	दो अथवा तीन अध्यापकीय विद्यालय का नाम	शिक्षण व्यवस्था में लगाये अध्यापक का नाम	जिस विद्यालय के शिक्षण व्यवस्था में लगाया गया है।	कब से शिक्षण व्यवस्था पर है।
1.	राबाप्रावि. खारडी	श्री फूटरमल	राप्रावि खारडी जोड़	12.9.2006
2.	राप्रावि. गुडा दुर्गा	श्री जेठू सिंह	राप्रावि चतरागुडा	12.9.2006
3.	राप्रावि. गवार	श्री नन्दाराम	राप्रावि बेराभादरवा	2005-06
4.	राप्रावि. ढाल	श्री महेन्द्र सिंह	राउमावि सोजत रोड	29.8.2006
5.	राबाप्रावि. सारण	श्री जसवन्त सिंह	राप्रावि (रायपुर)	2005-06
6.	राप्रावि. बराले का ओडा	श्री प्रभुराम	राप्रावि माजीसा का नवोड़ा	2005-06
7.	राप्रावि. गोलाई	श्री कानसिंह	राप्रावि भोजावास	2005-06
8.	राप्रावि. सारण	श्री शैतानसिंह	राप्रावि दादीरा	2005-06

परिशिष्ट- "क" संलग्न है।

(2) विद्यालय क्षेत्र खारची में 8 उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा 85 प्राथमिक विद्यालयों में दो अथवा तीन अध्यापकों का पदस्थापन है। इन विद्यालयों में से शिक्षण व्यवस्था के अन्तर्गत लगाये अध्यापकों के नाम, विद्यालय का नाम तथा कब से शिक्षण व्यवस्था अन्तर्गत लगाया गया है का विवरण परिशिष्ट "ख" संलग्न है।

ताम्बेसरा (कुशलगढ़) के वरिष्ठ उच्च माध्यमिक विद्यालय छात्रों की बकाया छात्रवृत्ति

86. श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ की सैकेण्ड्री व हायर सैकेण्ड्री शालाओं में वर्ष 2004 व 2005 में छात्रों को छात्रवृत्ति दी गई है? यदि हां, तो किन-किन शालाओं में? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सीनियर स्कूल ताम्बेसरा के छात्र छात्राओं को वर्ष 2004-05 में छात्रवृत्ति नहीं दी गई? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार जिन शालाओं में अध्ययनरत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं दी गई उन्हें छात्रवृत्ति देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ में संचालित रा.मा.वि. एवं रा.उ.मा.वि. में वर्ष 2004-05 में वितरित की गई छात्रवृत्ति एवं लाभान्वित छात्रों का विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट "क" संलग्न है।

(2) जी हां। वर्ष 2004-05 में राउमावि, ताम्बेसरा में मात्र पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के छात्रों को बजट आबंटन के अभाव में छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं हो पाया है।

(3) जी हां। आवश्यक राशि का प्रावधान होने पर शेष रहे योग्य छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाना सम्भव हो सकेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अवर उप जिला शिक्षा अधिकारी/एस.डी.आई. द्वारा प्रशासनिक/वितीय निर्णय

87. श्री मदन मोहन सिंघल (कामां) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा

(श्री मदन मोहन सिंघल)

करेंगे :-

(1) अवर उप जिला शिक्षा अधिकारी/एस.डी.आई. के क्या कार्य हैं? सरकार द्वारा इन्हें क्या अधिकार निर्धारित किये गये हैं? आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि राज्य में पद स्थापित एस.डी.आई./अवर उप जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा अपने निर्धारित कार्य क्षेत्र के अतिरिक्त नियम-विरुद्ध प्रशासनिक व वित्तीय निर्णय लिए जाने के कार्य किये जा रहे हैं? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार उक्त अधिकारियों द्वारा किए जा रहे नियम-विरुद्ध कार्यों को रोकने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार दोषी कर्मियों के विरुद्ध कोई जांच कर कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अवर उप जिला शिक्षा अधिकारी/एस.डी.आई. के लिये निर्धारित कार्य/ अधिकार का विवरण परिशिष्ट "क" संलग्न है।

(2) जी नहीं। अवर उप जिला शिक्षा अधिकारी/एस.डी.आई. से निर्धारित कार्य के अतिरिक्त नियम विरुद्ध प्रशासनिक एवं वित्तीय कार्य नहीं करवाये जा रहे हैं। अपितु बी.ई.ई.ओ. का पद रिक्त होने पर एस.डी.आई./अवर उप जिला शिक्षा अधिकारी का नियमानुसार अधिकार प्रदान करने के उपरान्त वित्तीय एवं प्रशासनिक कार्य करवाया जाता है।

(3) जी नहीं। प्रश्नोत्तर के भाग संख्या-02 के अनुसार।

(4) जी नहीं। प्रश्नोत्तर के भाग संख्या-02 के अनुसार।

परिशिष्ट "क"

अवर उप जिला शिक्षा अधिकारी/एस.डी.आई. के लिये निर्धारित कार्य/ अधिकार का विवरण

16. अवर उप जिला शिक्षा अधिकारियों/शिक्षा प्रसार अधिकारियों का मुख्य कार्य प्राथमिक विद्यालयों के निरीक्षक का हैं। इसके अतिरिक्त इनके निम्नलिखित कार्य हैं :-

1. अपने क्षेत्र के विद्यालयों का निर्धारित मानदण्डानुसार निरीक्षण करना।

2. निरीक्षण प्रतिवेदनों की अनुपालना में लघु निरीक्षण करना।

3. अपने अधीनस्थ विद्यालय और उनमें कार्यरत कर्मचारी के बारे में समस्त आवश्यक सूचनाएं रखना।

4. अपने क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय खोलने के लिए प्रस्ताव तैयार करना।

5. अपने क्षेत्र के अधीनस्थ प्राथमिक शिक्षा की प्रगति एवं विकास के सम्बन्ध में प्रत्येक वर्ष जून में एक प्रतिवेदन उच्चाधिकारियों को देना जिसमें आवश्यक कठिनाई एवं सुधार के लिए सुझाव भी हों।

6. अपने क्षेत्र में नामांकन अभियान का आयोजन करना। अविभक्त इकाई (अब कक्षा 1 व 2) के छात्र-छात्राओं में गत वर्ष मार्च के नामांकन प्रतिशत में 10% की कमी करना (आदेश दिनांक 11/5/1982)

7. प्रायोगिक/विकासात्मक आयोजन/रचनात्मक लेखन/पत्र वाचन/संगोष्ठी वार्ता/व्यावसायिक योग्यता वृद्धि/सेवारत प्रशिक्षण आदि में से वर्ष में किसी एक प्रवृत्ति में नियमित भाग लेना।

8. निश्चित तिथि तक प्रतिमाह वेतन वितरण करना।

कालीसिंध सिंचाई परियोजना झालावाड़ की क्रियान्विति हेतु कार्यवाही

88. श्री भरतसिंह (दीगोद) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) कालीसिंध नदी में वर्षा ऋतु में कुल कितना पानी व्यर्थ बहकर प्रदेश के बाहर जाता है तथा इससे कुल कितनी सिंचाई सम्भव है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि झालावाड़ जिले में प्रस्तावित कालीसिंध वृहद सिंचाई परियोजना को चालू करवाने हेतु गत तीन वर्षों में सरकार द्वारा पहल नहीं की गई? यदि हां, तो किस स्तर पर व क्यों?

(3) क्या यह सही है कि इस वृहद् सिंचाई योजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई है तथा इसके विस्तृत सर्वे हेतु राशि स्वीकृत की गई है या किया जाना प्रस्तावित है? यदि हां, तो कितनी राशि स्वीकृत करना प्रस्तावित है व नहीं, तो विलम्ब किन कारणों से हो रहा है?

उत्तर

(1) कालीसिंध नदी में वर्षा ऋतु में लगभग 200 एम.सी.यू.एम. पानी व्यर्थ बहकर प्रदेश से बाहर चला जाता है, उक्त व्यर्थ बह रहे पानी से लगभग 55000

(सिंचाई मंत्री)

हैक्टेयर भूमि में सिंचाई हो सकती है।

(2) जी नहीं। प्रस्तावित कालीसिंध वृहद सिंचाई परियोजना को चालू करवाने हेतु गत तीन वर्षों में सरकार द्वारा लगातार पहल की जा रही है जिसके अन्तर्गत कोटा संभाग द्वारा प्राथमिक रिपोर्ट बनाकर दिनांक 24.4.2004 को केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली को प्रस्तुत की गई थी, जिससे प्राप्त आक्षेपों के उत्तर भी दिनांक 9.9.2005 को केन्द्रीय जल आयोग को प्रस्तुत कर दिये गये थे। केन्द्रीय जल आयोग के पत्र दिनांक 28.8.2006 द्वारा हाइड्रोलोजी सैद्धान्तिक रूप से स्वीकृत कर ली गई है। सर्वेक्षण कार्य हेतु 94.65 लाख रुपये का तखमीना तैयार किया गया है, स्वीकृति एवं आवश्यक वित्तीय संसाधन अनुसार सर्वेक्षण एवं आवश्यक वित्तीय संसाधन अनुसार सर्वेक्षण उपरान्त विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बाबत कार्यवाही की जावेगी।

(3) जी नहीं। विस्तृत सर्वे हेतु 94.65 लाख रुपये का तखमीना तैयार किया गया है जो स्वीकृति हेतु विचाराधीन है।

अतारांकित प्रश्न संख्या-89

(स्थगित)

जालौर जिले के क्षतिग्रस्त बांधों का पुनर्निर्माण

90. डा. समरजीत सिंह (भीनमाल) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा जिला जालौर में अब तक कुल कितने बांधों का निर्माण कार्य करवाया गया इनमें से इस वर्ष भारी वर्षा के कारण कितने बांध टूट गये व कितने क्षतिग्रस्त हुये? इससे सरकार को कितनी हानि हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) टूटे बांधों/क्षतिग्रस्त बांधों में से कितने ऐसे बांध है जिन पर ओवरफ्लो पानी निकलने के लिये चादर की व्यवस्था नहीं थी चम्बल बांध के टूटने का क्या कारण रहा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) टूटे हुये बांधों/क्षतिग्रस्त बांधों को सरकार कब तक ठीक करवाने का विचार रखती हैं?

उत्तर

(1) सरकार द्वारा जिला जालौर में अब तक कुल 157 बांधों का निर्माण करवाया गया। उक्त 157 बांधों में से जल संसाधन विभाग के अधीन 31 बांध हैं जिनमें से इस वर्ष भारी वर्षा के कारण 3 बांध टूटे एवं 3 बांध क्षतिग्रस्त हुये हैं। इन बांधों के

(सिंचाई मंत्री)

पुनरूद्धार पर होने वाला अनुमानित व्यय 40.50 लाख रुपये है। सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) टूटे/क्षतिग्रस्त बांधों में से दो बांध (झाव व वमल क्रास बांध) ऐसे हैं जिन पर पानी निकासी के लिए अलग से ओवरफ्लो निर्मित नहीं है।

वमल क्रास बांध से अधिकतम 35000 क्यूसेक पानी की निकासी सम्भव है जबकि जवाई बांध से दिनांक 19.8.2006 को सायं 6.45 पर आठ गेट खोलकर 70000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया तथा उस समय जवाई नदी में पोसालिया एवं लोकल कैचमेंट का करीब 35000 क्यूसेक पानी का बहाव हो रहा था। इस प्रकार नदी में कुल करीब 105000 क्यूसेक पानी का बहाव चला। यह पानी सायला से होता हुआ बागोड़ा के पास

परिशिष्ट "क"

जिला जालौर में अतिवृष्टि से टूटे/क्षतिग्रस्त बांधों का विवरण

क्र. सं.	कार्य का नाम	तहसील	मरम्मत हेतु आवश्यक राशि लाखों में	विशेष विवरण
1.	राजिकाबास बांध	भीनमाल	15.00	टूटा
2.	झाव क्रास बांध	सांचौर	5.00	टूटा
3.	वमल क्रास बांध	सांचौर	15.00	टूटा
4.	डूथला प्रथम क्रास बांध	सांचौर	2.00	स्थानीय कृषकों द्वारा कट लगाने के कारण क्षतिग्रस्त
5.	डूथला द्वितीय क्रास बांध	सांचौर	1.50	—इू—
6.	होतीगांव क्रास बांध	सांचौर	2.00	—इू—
		कुल	**40.50**	

खारी, सागी एवं बाण्डी नदी से मिलकर लूनी नदी में प्रवाहित हुआ। इस प्रकार दिनांक 21.8.2006 को नदी का प्रवाह बढ़ने से लूनी नदी पर तहसील सांचौर में निर्मित वमल क्रास बांध पर मिट्टी की पाल में कटाव होने से बांध टूट गया।

(श्री सांगसिंह भाटी)

(3) टूटे/क्षतिग्रस्त बांधों को आवश्यक वित्तीय संसाधन की उपलब्धता अनुसार ठीक कराया जाना प्रस्तावित है।

जैसलमेर जिले में स्वीकृत एनीकट

91. श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में लघु सिंचाई परियोजनाओं के लिए वर्ष 2006-07 में कितना बजट प्रावधान रखा गया और विभिन्न योजनाओं में अब तक जिला जैसलमेर में कितनी राशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर स्कीम के अन्तर्गत जैसलमेर जिले में कितनी कितनी लागत के कौन-कौन से एनीकट स्वीकृत किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में लघु सिंचाई परियोजनाओं हेतु वर्ष 2006-07 में रुपये 60.00 करोड़ का बजट प्रावधान रखा गया है। विभिन्न योजनाओं में वाटर हार्वेस्टिंग कार्य

प्रपत्र- "अ"

जिला जैसलमेर में वर्ष 2006-07 में वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर योजना अन्तर्गत कराये गये कार्यों का विवरण

क्र. सं.	कार्य का नाम	तहसील	ग्राम	ग्राम पंचायत	अनुमानित लागत लाखों में	व्यय लाखों में (06-07) अगस्त, 06 तक	विशेष विवरण
पंचायत समिति पोकरण							
1.	रामदेवरा तालाब जीर्णोद्धार कार्य	पोकरण	रामदेवरा	रामदेवरा	99.76	7.07	पूर्ण
2.	भणियाणा तालाब खुदाई कार्य	पोकरण	भणियाणा	भणियाणा	10.00	0.00	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई है परन्तु इस कार्य की स्वीकृत राशि नाबार्ड से प्राप्त नहीं हुई है।
3.	सालमसागर के पास एनीकट एवं घाट निर्माण	पोकरण	पोकरण	पोकरण	10.00	5.41	पूर्ण
सांकडा पंचायत समिति							
4.	शेरानी गोदारा की खडीन	पोकरण	नैनपुर	भणियाणा	10.00	10.87	पूर्ण
5.	रणवीर सिंह की खडीन	पोकरण	मोडरडी	मोडरडी	6.00	3.26	पूर्ण
6.	मुडडोवाला खडीन	पोकरण	बलाड़	बलाड़	5.00	3.69	पूर्ण
7.	अलसाकडी जाटो की खडीन	पोकरण	जलधा	मोहनगढ़	5.50	2.62	पूर्ण
				योग	**146.26**	**32.92**	

नोट :- अब तक इन कार्यों पर कुल 136.00 लाख रुपये व्यय किये गये हैं।

योजना के तहत जिला जैसलमेर में इस वित्तीय वर्ष के माह अगस्त, 2006 तक रुपये 32.92 लाख व्यय किये जा चुके है एवं अब तक कुल 136.00 लाख रुपये व्यय किये गये हैं। विवरण प्रपत्र- "अ" पर संलग्न है।

(2) वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर योजना के अन्तर्गत जैसलमेर जिले में कुल 7 कार्य राशि रुपये 146.26 लाख के स्वीकृत किये गये है। विवरण प्रपत्र- "अ" पर संलग्न है।

नागौर जिले के आवारा गौवंश का संरक्षण

92. **श्री रिछपाल सिंह मिर्धा** (डेगाना) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला नागौर में कुल कितनी पंजीकृत गौशालायें हैं? सूची ग्रामवार सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त पंजीकृत गौशालाओं में छोटे-बड़े गौवंश की कुल संख्या कितनी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त पंजीकृत गौशालाओं के अतिरिक्त भी हजारों की संख्या में आवारा गौवंश विभिन्न ग्रामों में घूम रहे हैं? यदि हां, तो इनके भरण पोषण हेतु सरकार क्या उपाय करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला नागौर में कुल 90 पंजीकृत गौशालायें हैं। ग्रामवार सूची अनुसंलग्नक "क" सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) उक्त पंजीकृत गौशालाओं में कुल 20641 पशु हैं जिनमें बड़े पशु 16471 एवं छोटे पशु 4170 हैं। पशु संख्या का विवरण अनुसंलग्नक क में प्रदर्शित है।

(3) जी नहीं।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

सिद्धमुख नोहर परियोजना क्षेत्र के पशुपालकों/महिला सेविंग ग्रुप के उत्थान हेतु योजना

93. **डा. सुरेश चौधरी** (भादरा) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) यूरोपीय आर्थिक समुदाय के सहयोग से सिद्धमुख नोहर सिंचाई

(डा. सुरेश चौधरी)

परियोजना के अन्तर्गत हनुमानगढ़ जिले की नोहर-भादरा तहसील क्षेत्र के किन-किन गांवों में पशुपालन से सम्बन्धित कौनसी योजना लागू की गई?

(2) क्या यह सही है कि इस योजनान्तर्गत सरकार द्वारा महिला सेविंग ग्रुप की स्थापना की गई थी? यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत कितने परिवारों को इस योजना से जोड़ा गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) यूरोपीय आर्थिक समुदाय के सहयोग से सिद्धमुख नोहर सिंचाई परियोजना क्षेत्र में सरकार द्वारा संचालित महिला सेविंग ग्रुप योजना की अवधि क्या थी? इस योजना के बन्द होने के पश्चात् सरकार द्वारा उन महिला सेविंग ग्रुप के लिये क्या किया गया जो इस योजनान्तर्गत बनाये गये थे? क्या उनके लिये अलग से कोई योजना बनाई गई? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार निकट भविष्य में महिला सेविंग ग्रुप जैसी अन्य कोई योजना लागू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) यूरोपीय आर्थिक समुदाय के सहयोग से सिद्धमुख नोहर सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत हनुमानगढ़ जिले की नोहर व भादरा तहसील क्षेत्र के 45 गांवों में महिला सेविंग ग्रुप की स्थापना डेयरी योजनाओं से सेविंग ग्रुप को जोड़ना, पशु चिकित्सा तथा प्रशिक्षण शिविर आयोजित कराना सम्बन्धित कार्यक्रम चलाए गए। गांवों की सूची अनुसंलग्नक "क" संलग्न है।

(2) जी हां। 45 महिला सेविंग ग्रुप की स्थापना कर 2295 परिवारों को जोड़ा गया। महिला सेविंग ग्रुप की सूची अनुसंलग्नक "ख" पर संलग्न है।

अनुसंलग्नक "क"

यूरोपीय आर्थिक समुदाय के सहयोग से सिद्धमुख नोहर सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत हनुमानगढ़ जिले की नोहर एवं भादरा तहसील क्षेत्र के गांवों की सूची

क्र. सं.	गांव का नाम	क्र. सं.	गांव का नाम
1	2	3	4
नोहर तहसील			
1.	टोपरिया	14.	करमसाना
2.	देईदास	15.	असरजाना
3.	मलवानी	16.	भगवान
4.	नगरासरी	17.	भूकरका
5.	दलपतपुरा	18.	सोनड़ी
6.	रासिमपुरा	19.	अपूवाला
7.	ढाणी लाल खां	20.	दुरजाना
8.	सूरपुरा	21.	मेनाना
9.	अरड़की	22.	भोगराना
10.	बड़बिराना	23.	ललानिया
11.	लखासर	24.	ननाऊ
12.	मुन्सरी	25.	नेहराना
13.	किकराली		
भादरा तहसील :			
1.	मलसीसर	11.	कलाना
2.	पालडी	12.	पटवा
3.	पचारवाली	13.	डोबी
4.	मोठसरा	14.	गडरा

1	2	3	4
5.	रसलाना	15.	बोझला
6.	भानगढ़	16.	माड़ी
7.	शेरड़ा	17.	बीवीपुर
8.	सूरतपुरा	18.	अमरपुरा
9.	कर्णपुरा	19.	किराड़ा बड़ी
10	मुन्सरी	20.	चानाण

अनुसंलग्नक "ख"

हनुमानगढ़ जिले की नोहर एवं भादरा तहसील क्षेत्र में महिला सेविंग ग्रुप की सूची

क्र. सं.	गांव का नाम	महिला सेविंग ऋण (लीडर का नाम)
1	2	3
1. नोहर तहसील		
1.	करमसाना	श्रीमती रोशनी पत्नी श्री लादूराम
2.	असरजाना	श्रीमती सारदा पत्नी श्री ग्यानीराम
3.	भगवान	श्रीमती सरोज पत्नी श्री महावीर
4.	भूकरका	श्रीमती विमला पत्नी श्री र्ड़शरदास
5.	सोनड़ी	श्रीमती राजेश्वरी पत्नी श्री बंशीलाल
6.	अपूवाला	श्रीमती मंजू कंवर पत्नी श्री ओमसिंह
7.	दुर्जाना	श्रीमती पुष्पा पत्नी श्री जयप्रकाश
8.	मेघाना	श्रीमती बीमला पत्नी श्री जुगलाल
9.	टोपरिया	श्रीमती पार्वती पत्नी श्री कृष्णलाल
10.	देईदास	श्रीमती गीता देवी पत्नी श्री कालूराम

1	2	3
11.	मलवानी	श्रीमती बीमला पत्नी श्री भूपसिंह
12.	नगरासी	श्रीमती सरोज पत्नी श्री अमरसिंह
13.	दलपतपुरा	श्रीमती राजबाला पत्नी श्री जयकरण
14.	राशमपुरा	श्रीमती हंसा पत्नी श्री राजेश कुमार
15.	ढाणी लाल खां	श्रीमती द्रोपदी पत्नी श्री श्योलाल
16.	सुरपुरा	श्रीमती भंवरी पत्नी श्री लालचन्द
17.	अरडकी	श्रीमती सरस्वती पत्नी श्री पन्नालाल
18.	बडबिराना	श्रीमती लीलीवती पत्नी श्री प्रकाश
19.	लखासर	श्रीमती संतरो पत्नी श्री महेन्द्र सिंह
20.	मुन्सरी	श्रीमती शकुन्तला पत्नी श्री आदराम
21.	किकराली	श्रीमती विनोद बाला पत्नी श्री दीपचन्द
22.	भोगराना	श्रीमती विनोदी देवी पत्नी श्री रामप्रताप
23.	ललानिया	श्रीमती सुमन पत्नी श्री महेन्द्र सिंह
24.	ननाऊ	श्रीमती सरला पत्नी श्री देवी लाल
25.	नेहराना	श्रीमती सरोज पत्नी श्री देवीलाल
2. भादरा तहसील :		
1.	मलसीसर	श्रीमती शकुन्तला पत्नी श्री वेदप्रकाश
2.	बोझला	श्रीमती राजबाला पत्नी श्री रामसिंह
3.	पालड़ी	श्रीमती मूर्ति देवी पत्नी श्री राजेन्द्र
4.	भाडी	श्रीमती रोशनी पत्नी श्री वेदप्रकाश
5.	पचारवाली	श्रीमती कृष्णा पत्नी श्री ज्ञानप्रकाश
6.	मोठसरा	श्रीमती शारदा पत्नी श्री जोगेन्द्र सिंह

1	2	3
7.	रासलाना	श्रीमती सरला पत्नी श्री ओमप्रकाश
8.	मानगढ़	श्रीमती शारदा पत्नी श्री जगदीप
9.	गठरा	श्रीमती मेना देवी पत्नी श्री दरियासिंह
10	शेरड़ा	श्रीमती निर्मला देवी पत्नी श्री नरेश
11.	बीवीपुर	श्रीमती जैतीदेवी पत्नी श्री मंगतुराम
12.	सुरतापुर	श्रीमती सीता देवी पत्नी श्री सुरेन्द्र
13.	अमरपुरा	श्रीमती मूर्ति देवी पत्नी श्री रणधीर
14.	करणपुर	श्रीमती शारदा देवी पत्नी श्री प्रतापसिंह
15.	मुन्सरी	श्रीमती सुलोचना पत्नी श्री लीलूराम
16.	कलाणा	श्रीमती अंगूरी देवी पत्नी श्री रिषी
17.	पटवा	श्रीमती चन्द्रवती पत्नी श्री रामसिंह
18.	डोबी	श्रीमती सुनिता पत्नी श्री गुरदीप
19.	किराड़ा बड़ी	श्रीमती शकुन्तला देवी पत्नी श्री सुरेश कुमार ठाकरवाल
20.	चानाण	श्रीमती सरोज देवी पत्नी श्री महासिंह

(3) योजना की अवधि पांच वर्ष की थी। महिला सेविंग ग्रुप को विभागीय कार्य जैसे पशु चिकित्सा शिविर, पशुपालक प्रशिक्षण शिविर में सहयोग सुनिश्चित करने तथा डेयरी गतिविधियों से जोड़ा गया। महिला सेविंग ग्रुप के लिए अलग से कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

(4) वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा महिला सेविंग ग्रुप जैसी अन्य कोई योजना लागू करने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

मृतक आयुर्वेद कार्मिकों के लम्बित पेंशन प्रकरणों का निस्तारण

94. श्री मदन मोहन सिंघल (कामां) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा

(श्री मदन मोहन सिंघल)

करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि आयुर्वेद विभाग में वर्ष 1997 से अब तक मृतक आयुर्वेद अधिकारी/कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है? यदि हां, तो किन-किन अधिकारी/कर्मचारियों के कब-कब से व किन-किन कारणों से?

(2) क्या सरकार ऐसे विचाराधीन मृतक पेंशनधारी अधिकारियों/कर्मचारियों के आश्रितों को न्यायालय से बाहर कोई विभागीय नीति बनाकर निस्तारण हेतु कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जिला जयपुर में वर्ष 2002 से 2004 की अवधि में सेवानिवृत्त कितने आयुर्वेद चिकित्सकों को उनकी सेवानिवृत्ति से पूर्व वर्ष 2001 में महिला उत्पीड़न जैसे प्रकरणों में निलम्बित किया गया?

(4) क्या यह सही है कि उक्त प्रकरणों में न्यायालय द्वारा सेवानिवृत्ति के पश्चात् किसी चिकित्सक को दोषी मानते हुए सजा दी गई तथा सजा होने के उपरान्त भी उक्त चिकित्सकों को पेन्शन एवं सेवानिवृत्ति परिलाभ दिये गये? यदि हां, तो किस किस चिकित्सक को कब से व किस आधार पर?

उत्तर

(1) वर्ष 1997 से अब तक आयुर्वेद विभाग के 5 मृतक अधिकारी/कर्मचारियों को न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन होने से पेंशन स्वीकृत नहीं की गई है। इनमें से एक कर्मचारी को प्रोविजनल पेन्शन स्वीकृत की हुई है। विवरण परिशिष्ट-1 में सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जी नहीं। न्यायालय से बाहर निस्तारण हेतु कोई विभागीय नीति विचाराधीन नहीं है।

(3) वर्ष 2002 से 2004 की अवधि में जयपुर जिले से सेवानिवृत्त हुए आयुर्वेद चिकित्सकों में से मात्र एक चिकित्सक को महिला उत्पीड़न प्रकरण में दिनांक 28.8.2001 को निलम्बित किया गया था।

परिशिष्ट-1

वर्ष 1997 से अब तक आयुर्वेद विभाग के मृतक अधिकारियों/कर्मचारियों का विवरण जिनके प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन होने से अभी तक पेंशन स्वीकृत नहीं की गई है

क्र. सं.	नाम अधिकारी/ कर्मचारी मय पद	मृत्यु दिनांक/ सेवानिवृत्ति दिनांक	विवरण
1.	श्री ओम प्रकाश परिचायक	20.2.2000	परिवार द्वारा न्यायालय से उत्तराधिकारी प्रमाण-पत्र चाहा गया है।
2.	श्री श्याम सुन्दर कम्पाउण्डर	7.6.2003	चारदावेदार होने से उत्तराधिकारी प्रमाण-पत्र हेतु प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।
3.	श्री रामबाबू शर्मा परिचारक	14.5.1999	उत्तराधिकारी प्रमाण-पत्र हेतु प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।
4.	श्री श्रवण कुमार चिकित्सक	4.5.2002	उत्तराधिकारी प्रमाण-पत्र हेतु प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।
5.	श्री बाबूलाल लखेरा वरिष्ठ लिपिक	30.6.1996	गबन सम्बधी प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है किन्तु 6.3.2001 को प्रोविजनल पेंशन स्वीकृत की जा चुकी है।

(4) इस प्रकरण से सम्बन्धित आयुर्वेद चिकित्सक दिनांक 30.4.2003 को सेवानिवृत्त हुए हैं। इन्हें दिनांक 24.4.2004 को प्रोविजनल पेन्शन स्वीकृत की गई है, जबकि माननीय न्यायालय ने दिनांक 24.6.2006 के निर्णय द्वारा इन्हें दोषी मानकर सजा से दण्डित किया है।

न्यायालय से सजा होने के उपरान्त किसी भी चिकित्सक को पेन्शन एवं सेवानिवृत्ति परिलाभ नहीं दिये गये है।

गंगरार के संस्कृत विद्यालयों में रिक्त पद

95. श्री अर्जुन लाल जीनगर (गंगरार) : क्या संस्कृत शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र गंगरार में संस्कृत शिक्षा के विद्यालय संचालित है? यदि हां, तो कहां-कहां पर किस-किस स्तर के तथा इनमें कितने पद किस-किस स्तर के स्वीकृत हैं तथा कितने पद किस-किस विद्यालय में रिक्त हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार रिक्त पदों पर अध्यापक लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार राजकीय प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय, राशमी व गंगरार क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र गंगरार में संस्कृत शिक्षा के 2 प्रवेशिका, 1 उच्च

परिशिष्ट-1

विधान सभा क्षेत्र गंगरार में संस्कृत शिक्षा के विद्यालयों की सूची एवं स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण

क्र. सं.	विद्यालय का नाम	प्रधानाध्यापक		व. अ. II ग्रेड		तृ. श्रे. शिक्षक		व. लि./क. लि.		च. श्रे. कर्म.	
		स्वीकृत पद	रिक्त पद	स्वीकृत पद	रिक्त पद	स्वीकृत पद	रिक्त पद	स्वीकृत पद	रिक्त पद	स्वीकृत पद	रिक्त पद
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	रा. प्रवे. सं. वि. गंगरार	1	—	6	3	4	1	1	—	1	—
2.	रा. प्रवे. सं. वि. राश्मी	1	—	4	1	3	—	1	—	—	—
3.	रा. उ. प्रा. सं. वि. आरणी	—	—	1	1	7	6	—	—	—	—
4.	रा. प्रा. सं. वि. साडास	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—
5.	रा. प्रा. सं. वि. गंगरार गांव	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—
6.	रा. प्रा. सं. वि. गंगरार रेल्वे स्टेशन	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—
7.	रा. प्रा. सं. वि. सोनियाण	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—
8.	रा. प्रा. सं. वि. राश्मी	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—
9.	रा. प्रा. सं. वि. भीलों की खेड़ा	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—
10.	रा. प्रा. सं. वि. नोहर मजरा हरनाथपुरा	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—

प्राथमिक, 7 प्राथमिक स्तर के विद्यालय संचालित है। इनमें स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित अध्यापक उपलब्ध होने पर रिक्त पदों को भरा जा सकेगा।

(3) जी हां। विद्यालय क्रमोन्नति हेतु बजट उपलब्धता एवं औचित्यपूर्ण मांग को दृष्टिगत रखते हुए विद्यालय क्रमोन्नत किये जायेंगे।

जीरा व र्इसबगोल के निर्यात संवर्धन हेतु कार्य-योजना

96. श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) : क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में जीरा व ईसबगोल का उत्पादन औसत कितना होता है तथा सरकार द्वारा इसके विपणन की क्या सुविधायें उपलब्ध करवाई जा रही है?

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा भीनमाल मण्डी को ईसबगोल की विशिष्ट मण्डी घोषित किया गया है? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि इसके बावजूद राज्य का अधिकतर माल पड़ौसी राज्य गुजरात की ऊंझा मण्डी में बिक्री के लिए जाता है? यदि हां, तो क्यों?

(3) सरकार द्वारा जीरा व ईसबगोल के उत्पादन को प्रोत्साहित व राज्य से सीधे निर्यात हेतु क्या प्रयास किये जा रहे है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में जीरा व ईसबगोल का विगम पांच वर्षो का औसत उत्पादन निम्नानुसार है :-

1. जीरा - 96408 मै.टन

2. ईसबगाल - 64512 मै. टन

जिन मण्डी क्ष्ोत्रों में जीरे का उत्पादन होता है उन सभी मण्डी क्ष्ोत्रों में अन्य कृषि जिन्सों की भांति ही जीरे के विपणन के लिये भी सुविधायें उपलब्ध है। इसके अलावा जीरे के विपणन हेतु मेड़तासिटी एवं जोधपुर (अनाज) को विशिष्ट मण्डी घोषित किया गया है। भीनमाल को ईसबगोल की विशिष्ट मण्डी घोषित किया गया है। जिसमें इन जिन्सों के विपणन हेतु आवश्यक आधारभूत संरचनाओं का विकास किया जा रहा है। इन मण्डियों हेतु क्रमश: 203.26 एवं 174.50 लाख रुपये की राशि विकास कार्यो हेतु स्वीकृत की गयी है।

परिशिष्ट "अ"

<table>
<tr><th rowspan="2">फसल</th><th colspan="5">विभाग</th></tr>
<tr><th colspan="4">उद्यान विभाग</th><th>कृषि विवरण</th></tr>
<tr><td rowspan="5">जीरा
ईसबगोल</td><td colspan="4">राज्य में जीरे एवं ईसबगोल के उत्पादन को प्रोत्साहन क्रमश: राष्ट्रीय बागवानी मिशन एवं राज्य योजना के अन्तर्गत प्रदर्शन/मिनकिट के माध्यम से किया जा रहा है।</td><td rowspan="5">राज्य में जीरे के निर्यात को प्रोत्साहन देने हेतु जीरा बाहुल्य उत्पादक जिलों-जोधपुर, पाली, बाड़मेर, नागौर एवं जालौर को शामिल कर कृषि निर्यात क्षेत्र घोषित किया गया है। इस क्षेत्र में जीरे के उत्पादन प्रसंस्करण, विपणन एवं निर्यात की सभी गतिविधियों के समन्वय स्थापित करने तथा निर्यातोन्मुख पैदावार को बढ़ावा देने के लिये कृषि विपणन बोर्ड द्वारा एपीडा के साथ 21.2.2005 को समझौते (MOU) ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये है।
भीनमाल मण्डी को ईसबगोल की विशिष्ट मण्डी घोषित किया गया है। विशिष्ट मण्डी के विकास हेतु राशि रुपये 37.62 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गयी है। निर्माण कार्य हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।
जीरा एवं ईसबगोल पर आढ़त 2 प्रतिशत के स्थान पर 1 प्रतिशत तथा मण्डी शुल्क की दर 1.60 प्रतिशत के स्थान पर मात्र 0.50 प्रतिशत की गई है।</td></tr>
<tr><td rowspan="2">फसल</td><td rowspan="2">योजना</td><td colspan="2">प्रदर्शन पर विभागीय सहायता</td></tr>
<tr><td>प्रदर्शन का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)</td><td>सहायता</td></tr>
<tr><td>जीरा</td><td>राष्ट्रीय बागवानी मिशन</td><td>0.5 से 4.0 हैक्टेयर तक</td><td>आदानों की कुल लागत का 75 प्रतिशत या राशि रुपये 11250/- प्रति हैक्टेयर जो भी कम हो, की दर से।</td></tr>
<tr><td>ईसबगोल</td><td>राज्य योजना</td><td>0.5 हैक्टेयर</td><td>आदानों की कुल लागत का 50 प्रतिशत या राशि रुपये 1000/- प्रति प्रदर्शन जो भी कम हो, की दर से।</td></tr>
</table>

परिशिष्ट-1

(नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख)

पुश्तैनी कब्जाशुदा भूमि पर ग्राम पंचायत द्वारा जारी किए गए पट्टाशुदा मकान एवं भूमि के विद्यालय को नियम विरुद्ध किए गए आबंटन को निरस्त करने के बाबत

ग्राम कोडिजा (ग्राम पंचायत मायजा), तहसील केशोरायपाटन (बूंदी) में भूमि खसरा संख्या 274 में 600 वर्गफीट भूमि पर ओमप्रकाश आ. श्री गजानन्द मीणा के परिवार का विगत 70-80 वर्षों से कब्जा एवं स्वामित्व चला आ रहा है, जिस पर इन्होंने करीब 3 वर्ष पूर्व मकान का निर्माण भी कर लिया था, जिसका पट्टा भी ग्राम पंचायत मायजा के द्वारा दिनांक 9.8.2005 को जारी किया जा चुका है। इस भूमि के सामने ही खसरा संख्या 257 में राजकीय प्राथमिक विद्यालय का भवन विगत 10-15 वर्षों से बना हुआ है तथा बीच में आम रास्ता है।

पाठशाला के लिए खेल मैदान के लिए भूमि आवंटन की प्रक्रिया के दौरान उक्त भूमि पर 80 वर्ष के कब्जे की स्थिति एवं पट्टाशुदा मकान की अवस्थिति की जानबूझकर कर अनदेखी करते हुए पटवारी हल्का मायजा द्वारा रिपोर्ट तैयार की गई, जिसमें इन तथ्यों को छिपाया गया। इसी के आधार पर तहसीलदार के.पाटन ने रिपोर्ट जिला कलक्टर बूंदी को प्रेषित कर दी। जिस पर द्वारा खसरा संख्या 257 की 0.20 हैक्टेयर एवं आमरास्ते के दूसरी ओर खसरा संख्या 274 की भूमि 0.63 हैक्टेयर में से 0.60 हैक्टेयर भूमि को राजकीय प्राथमिक विद्यालय कोडिजा के नाम आदेश संख्या 86 दिनांक 21.9.2005 से आवंटन करने के आदेश प्रदान कर दिए। तत्पश्चात् बाद दिनांक 27.8.2006 (रविवार) को पटवारी सुरेश सेन एवं कानूनगो के द्वारा पुलिस की मदद से क्रूरता पूर्वक अनुसूचित जनजाति के गरीब व्यक्ति के मकान में तोड़फोड़ करके ध्वस्त करके उसे बेघर कर दिया गया। जबकि नियमानुसार तो पट्टे व कब्जे की भूमि को छोड़कर ही शेष भूमि विद्यालय को आबंटित की जानी चाहिए थी। सामान्य न्याय की प्रक्रिया की भी पालना नहीं की गई। विद्यालय को भूमि का आवंटन पुराने काबिज स्थान को छोड़कर किया जाना चाहिए था।

अत: विद्यालय को गलत तथ्यों के आधार पर किए आबंटन को निरस्त करते हुए कब्जाशुदा एवं पट्टाशुदा भूमि को छोड़कर ही आबंटन करने तथा दोषी कार्मिकों के विरूद्ध अविलम्ब कार्यवाही करने एवं अनुसूचित जनजाति के गरीब व्यक्ति को हुए नुकसान की भरपाई कराने की कृपा करें। इस बाबत आबंटन आदेश में भी आवश्यक

संशोधन किया जाने के लिए राज्य सरकार/जिला कलक्टर बूंदी को भी समुचित आदेश प्रदान करें।

रामनारायण मीणा
(नैनवां)

लूणी विधान सभा क्षेत्र के विद्यालयों में स्टाफ की कमी दूर करने व भवन निर्माण हेतु बजट आबंटन बाबत

"शिक्षा के बिना मनुष्य पशु समान है।" "नींव बिना भवन नहीं, शिक्षा बिना जीवन नहीं।" शिक्षा से ही मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। शिक्षा से ही मनुष्य संस्कारवान, गुणवान व सभ्य बनता है। शिक्षित व सुसंस्कृत नागरिक ही देश व प्रदेश के विकास व प्रगति की नींव की ईंटे व रीढ़ है।

विधान सभा क्षेत्र लूणी में पिछले वर्ष में 9 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक में, 3 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक में, 1 माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में व 140 राजीव गांधी पाठशालाओं को राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत कर लूणी के इतिहास में एक अनूठा व ऐतिहासिक कार्य किया है। चालू सत्र में सिर्फ तीन महीनों में ही 26 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करवाया गया है। इसके लिये मैं व मेरे क्षेत्र की जनता यशस्वी मुख्य मंत्री श्रीमती वसुन्धराजी राजे व माननीय शिक्षा मंत्री घनश्यामजी तिवाड़ी का हृदय से आभार व्यक्त करते है।

विद्यालय तो क्रमोन्नत हो गये। परन्तु इन क्रमोन्नत विद्यालयों में स्टाफ की कमी है। पिछले वर्ष क्रमोन्नत हुए विद्यालयों में आज तक प्रधानाध्यापकों, शारीरिक शिक्षकों व सामान्य शिक्षकों की नियुक्तियां नहीं हुई है। जिससे विद्यार्थियों के अध्यापन में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और अध्ययन-अध्यापन के कार्य में बाधा उत्पन्न होने से ग्रामीण जनों में भारी आक्रोश व्याप्त है। इस सम्बन्ध में मैंने समय-समय पर शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन किया है और सदन में भी इस मुद्दे को उठाया है। मेरे क्षेत्र की प्राथमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त प्रधानाध्यापकों, व्याख्याताओं, शारीरिक शिक्षकों, विषय अध्यापकों, सामान्य अध्यापकों व अन्य स्टाफ के रिक्त पदों को तुरन्त शीघ्र प्रभाव से भर कर विद्यार्थी व जनता को राहत प्रदान करवाने का श्रम करें।

लूणी क्षेत्र के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान (जीव व गणित) व वाणिज्य वर्ग खुलवाने हेतु भी मैंने कई बार निवेदन किया और सदन के माध्यम से भी माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया था। मेरे क्षेत्र में दो विद्यालयों

को छोड़ दे तो बाकी 13 विद्यालयों में सिर्फ एक ही वर्ग-कलावर्ग की सुविधा उपलब्ध है। आज के वैज्ञानिक व कम्प्यूटर के युग में ग्रामीण अंचल के विद्यार्थियों को विज्ञान व वाणिज्य वर्ग की सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु लूणी क्षेत्र के उच्च माध्यमिक विद्यालयों-डोली, झंवर, दुन्दा, बालिका लूणी, लूणावासकलां में इन वर्गो को खुलवाने की व्यवस्था की जाय।

लूणी क्षेत्र के माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों के पुराने जीर्ण शीर्ण व जर्जर भवनों की मरम्मत करवाने हेतु लगातार निवेदन करने के बाद भी आज तक इस सम्बन्ध में कोई ठोस उचित कार्यवाही नहीं हुई है। रा.उ.मा.वि. लूणी का भवन आजादी के पूर्व निर्मित है और वर्तमान में पूर्ण रूप से जर्जर है और कभी भी दुर्घटना हो सकती है जिससे विद्यार्थियों के जीवन के साथ कोई भी हादसा हो सकता है। लूणी क्षेत्र के इस तरह के जर्जर भवनों की तुरन्त पूर्ण मरम्मत की आवश्यकता है। इन भवनों की तुरन्त मरम्मत हेतु विभाग बजट उपलब्ध करवाकर स्वीकृति दिलवाई जाय। साथ ही कई विद्यालयों में भवन आवश्यकता से कम है। जैसे रा.उ.मा.वि. लूणी (बालिका) का भवन पर्याप्त आवश्यकतानुरूप नहीं है। कक्षाओं व विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में बिलकुल कम है। ऐसे विद्यालयों के भवनों के विस्तार हेतु भी पर्याप्त बजट उपलब्ध करवाकर स्वीकृति दिलवाई जाय।

धन्यवाद।

जोगाराम पटेल

(लूणी)

जवाहर लाल नेहरू अरबन रिन्यूअल मिशन के तहत चयनित अजमेर पुष्कर के प्रस्तावों को अन्तिम रूप नहीं देने से उत्पन्न स्थिति

अध्यक्ष महोदय केन्द्र सरकार की जवाहर लाल नेहरू अरबन रिन्यूअल मिशन के तहत राजस्थान में तीन स्थानों का चयन किया गया हैं पुष्कर, अजमेर एवं जयपुर। इस मिशन के अन्तर्गत करोड़ों की राशि केन्द्र द्वारा देना प्रस्तावित हैं। पुष्कर अजमेर के लिये प्रस्तावों को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया। परिणामस्वरूप हम इस योजना को केन्द्र सरकार को नहीं भेज सके और धन राशि लेने व कार्य आरम्भ करने में बहुत पीछे हैं जबकि आंध्रप्रदेश, मध्यप्रदेश सहित कई राज्यों ने इस योजना के अन्तर्गत काम ही प्रारम्भ कर दिया। मेरा सरकार से निवेदन है कि इस काम को गति दी जाये ताकि योजना की मंशा के अनुरूप काम प्रारम्भ होकर पूरा हो सके। पुष्कर अजमेर का पर्यटन एवं धार्मिक तथा साम्प्रदायिक सदभाव की दृष्टि से बहुत महत्व हैं इसलिए इन स्थानों के लिये बरती जा रही कोताई खेद का विषय हैं।

अध्यक्ष महोदय मेरा राज्य सरकार से यह भी निवेदन हैं कि ज.ला.नं. अरबन

रिन्यूअल मिशन के लिए जिन कामों को हाथ में लिया जाना हैं उसमें जमीन अधिग्रहण की स्थिति में धन राशि राज्य सरकार उपलब्ध कराये क्योंकि स्थानीय निकायों की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं हैं कि अधिग्रहण की राशि चुका सके। ऐसे में अगर राज्य सरकार ने उदारता का परिचय नहीं दिया तो केन्द्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना (जिसमें इन शहरों के इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा) का सपना सपना ही रह जायेगा। यहां यह उल्लेखनीय हैं कि पुष्कर सरोवर व आनासागर झील का संरक्षण जिले की मूल आवश्यकता है क्योंकि दोनों स्थान धार्मिक व पर्यटन महत्व के हैं। खेद हैं कि सरकार अभी तक 90 लाख से ऊपर की राशि जिसकी डी.पी.आर. जिला प्रशासन भेज चुका है कि स्वीकृति भी नहीं निकाल रही हैं जबकि केन्द्र द्वारा प्रदत्त यह राशि मार्च तक काम नहीं ली गई तो लैप्स हो जायेगी जो पुष्कर सरोवर हेतु आवश्ति है। अध्यक्ष महोदय मेरा आपसे निवेदन है कि इस पर शीघ्र कार्यवाही करायें।

डा. श्रीगोपाल बाहेती

(पुष्कर)

जोधपुर के महात्मा गांधी चिकित्सालय में मेडिसन यूनिट खोलने बाबत

मैं आपके मार्फत राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि इन्होंने अपने 2 वर्ष 6 माह के अल्पकाल में राजस्थान प्रदेश में ऐसे कार्य किए है, जो आजादी के बाद कभी नहीं हुए। निश्चित ही माननीया मुख्य मंत्री महोदया की यह सोच सर्वथा सराहनीय है, कि जिस प्रदेश में आम व्यक्ति को शिक्षा विशेषत: महिला शिक्षा एवं चिकित्सा सुविधा नहीं होगी उस प्रदेश के समग्र विकास की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। इसी सोच को केन्द्र में रखते हुए इन्होंने राज्य के दूरस्थ गांव व ढाणियां, शहरी क्षेत्रों एवं अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों में निवास करने वाले लाखों परिवारों को अच्छी शिक्षा एवं चिकित्सा देने के लिहाज से कई महत्वपूर्ण व ऐतिहासिक निर्णय लिये है। इनके कुशल वित्तीय प्रबन्धन, जल संचयन अभियान, समग्र ग्रामीण विकास के लिए सड़कों का जाल तथा स्वस्थ्य-हरित विकसित राजस्थान का सपना संजोते हुए कई जन अभियान चलाये गये है, जो सर्वत्र सराहनीय है। इन्ही दूरगामी निर्णयों का परिणाम आज हमारे सामने आया है कि पिछली कांग्रेस नीत सरकार जो कार्य अपने पूरे 5 वर्ष के कार्यकाल में नहीं कर सकी वही कार्य इनके नेतृत्व में 2 वर्षों में ही पूरे हो गए है, एवं सरकार अपनी कल्याणकारी व विकासोन्मुखी कार्यक्रमों को आगे बढाती ही जा रही है।

मैं आपके मार्फत निवेदन करना चाहता हूं कि जोधपुर शहर के हृदय स्थल जालोरीगेट के बाहर एक बहुत ही विशाल व ऐतिहासिक चिकित्सालय स्थित है, जो

पूरे पश्चिम राजस्थान की आम जनता का केन्द्र बिन्दू है। इस राजकीय महात्मा गांधी चिकित्सालय में वर्तमान में मेडिसिन की 3, सर्जरी की 4, आर्थोपेडिक्स की 2, रेडियोलोजी की एक, पैथोलैजी लेबोरेट्री की एक यूनिट कार्यरत है, तथा बल्ड बैंक की भी पूर्ण व्यवस्था है। इस अस्पताल में स्थित आपातकालीन यूनिट में प्रतिदिन लगभग 300 केज्यूलटी के कैस आते हैं तथा आउटडोर में भी 400 के आस-पास मरीजों का पंजीयन प्रतिदिन हो रहा है। इस चिकित्सालय में वर्तमान में 625 बैड की व्यवस्था है जो कम प्रतीत हो रही है। इस अस्पताल में प्रतिदिन बढ़ते मरीजों के दबाव को ध्यान में रखते हुए भी मैंने गत बजट सत्र में आपके मार्फत से माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी व चिकित्सा मंत्रीजी से निवेदन किया था कि इस चिकित्सालय में मरीजों की बढती संख्या को देखते हुए कम से कम एक मेडिसन यूनिट नवसृजित करते हुए, इस चिकित्सालय, परिसर में निर्मित राजकीय आवासों को एम.डी.एम. अस्पताल परिसर में स्थानान्तरण करते हुए, इसे विस्तारित किया जावें। ताकि शहर में निवास करने वाले हर क्षेत्र के मरीज को एक ही परिसर में सारी सुविधाओं का लाभ मिल सके। किन्तु अभी हाल ही में ऐसी जानकारी समाचार पत्रों के मार्फत प्राप्त हुई कि चिकित्सा विभाग इस ऐतिहासिक व पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े चिकित्सालय को सिटी हास्पिटल के रूप में विकसित करने जा रही है। यदि इस तथ्य में सत्यता है तो यह निश्चित ही जोधपुर व पश्चिम राजस्थान की जनता के साथ खिलवाड़ होगा। चूंकि इस अस्पताल को सवाई मानसिंह चिकित्सालय के बाद पश्चिम राजस्थान का सबसे बड़ा चिकित्सालय माना जाता है। मारवाड की जनता की हमेशा हर सरकार से यह अपेक्षा रही है कि इस चिकित्सालय का विस्तार हो एवं इसमें एस.एम.एस. के मुकाबले सुविधाएं दी जाये। परन्तु उन अपेक्षा को दरकिनार करते हुए इसका दर्जा घटाया जा रहा है। जो उचित नहीं है। मारवाड़ ही नहीं अपितु सम्पूर्ण पश्चिम राजस्थान की आम जनता की ओर से मेरा आपसे निवेदन है कि सिटी हास्पिटल के प्रस्ताव को रद्द करते हुए इस चिकित्सालय का विस्तार एस.एम.एस. अस्पताल के अनुरूप करते हुए यहां मेडिसिन की कम से कम एक युनिट बढ़ाते हुए आवासीय परिसर स्थानान्तरित करते हुए चिकित्सालय भवन का विस्तार किया जावे।

मोहन मेघवाल

(सूरसागर)

निवाई में अकाल राहत कार्य प्रारम्भ करने की मांग

निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र निवाई में औसत से कम वर्षा हुई है जिससे पूरा विधान सभा क्षेत्र अकाल की चपेट में है। जिससे क्षेत्र के पशुधन चारे एवं पानी के अभाव में परेशानी हो रही है। साथ ही पीने के पानी की कमी होने से हैण्ड पम्पों में जलस्तर नीचे चला गया है।

मेरी सरकार से मांग है कि विधान सभा क्षेत्र में तुरन्त सर्वे कराकर अकाल राहत कार्य प्रारम्भ किये जावे साथ ही पशु धन को बचाने के चारा डिपो एवं पानी की कमी वाले ग्रामों में टेकरों से पानी की व्यवस्था कराई जावे ताकि जनता को राहत मिले।

हीरालाल

(निवाई)

जयपुर के कारकस प्लांट एवं बूचड़खाना को बन्द करने की मांग

मेरे विधान सभा क्षेत्र जयपुर ग्रामीण के ग्राम चैनपुरा तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर में एक कारकस प्लांट एवं बूचड़खाना लगा हुआ हैं। इस कारकस प्लांट व बूचड़खाने से वहां के आस-पास के वांशिदों का जीवन नारकीय हो रहा हैं। वहां का वातावरण दूषित होकर उससे प्रसारित दुर्गन्ध ऐसी है कि आसपास के 5-6 किलोमीटर तक के क्षेत्र में व्यक्तियों का स्वास लेना दूभर हो रहा हैं। दुर्गन्ध के कारण खाना पीना दुश्वार हैं। कारकस प्लांट से फेके गए अवशिष्ट नदी, नालों में बेतरतीब पड़े रहते हैं जो सैकड़ों की तादाद में कुत्ते, गिद्द वहां मंडराते रहते हैं। इन अवशिष्टों के कारण सैकड़ों कुत्तों के अजीब सी बीमारी पैदा हो गई है, इससे गांव के पालतू कुत्ते भी अछूते नहीं रहे हैं। ये कुत्ते आदमी व जानवरों पर आक्रमण कर घायल कर देते हैं।

मान्यवर इस क्षेत्र के पास में ढूंढ नदी बहती हैं। जिससे कारकस प्लांट के अवशिष्ट पड़े रहते हैं। इस नदी में बरसो पुराना शिव मन्दिर भी हैं। जिससे हजारों श्रदालू दर्शन करने आते हैं। जब नदी में पानी आता है तो ये सारी गन्दगी पानी के साथ बहकर मन्दिर की पवित्रता को अपवित्र कर रही हैं जिससे लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच रही हैं। साथ ही ढूंढ नदी पर कानोता बांध बना हुआ हैं। इस बांध में ये सारी गन्दगी बहकर आ रही हैं जिससे यह पानी काफी प्रदूषित हो रहा हैं। इस बांध के पानी का उपयोग जयपुर शहर की पेयजल व्यवस्था के उपयोग में भी लिया जा सकता हैं। जिससे जयपुर शहर में महामारी भी फैल सकती हैं।

मान्यवर इस कारकस प्लांट की बदबू के कारण आसपास के गांवों में लोग शादी-विवाह के रिस्तों को भी नकारने लग गए हैं। जिससे लोगों में भयंकर रोष व्याप्त हैं। इस समस्या से मैंने राज्य सरकार को व प्रशासन को भी कई बार लिखा हैं साथ ही क्षेत्र की 11 पंचायतों ने भी इस प्लांट को हटाने का प्रस्ताव पास कर राज्य सरकार को भिजवाया हैं। इसके बावजूद भी इस सम्बन्ध में कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है।

अत: इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि इस कारकस प्लांट व बूचड़खाने को अविलम्ब बन्द किया जावे, हटाया जावे ताकि जनता को राहत मिल सकें।

बृजकिशोर शर्मा

(जयपुर ग्रामीण)

नागौर जिले में नये कृषि कनेक्शन जारी करने विषयक

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि जिला नागौर में पिछले काफी दिनों से नये कृषि कनेक्शन जारी नहीं किये जा रहे हैं जिससे किसानों में भारी रोष है। सभी कृषि कुओं पर आजकल जो भी मोटरें लगी हुई हैं उसका अतिरिक्त भार बढा कर कृषि उपभोक्ताओं से राशि वसूल की जा रही है। यह भी गैर कानूनी है। ट्रांसफार्मरों पर जो मीटर लगे हुए हैं। वे हवा से भी चलते है। तथा अधिक यूनिट निकाले जाते है। जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। अत: मैं माननीय ऊर्जा मंत्री से निवेदन कर रहा हूं कि किसानों की उक्त परेशानी को दूर करने की कृपा करावें।

रामचन्द्र जारोड़ा

(मेड़ता नागौर)

कोटा सम्भाग में वन क्षेत्र में आने वाली लघु सिंचाई परियोजनाओं की वन भूमि का नेट प्रजेन्ट वेल्यू का भुगतान सरकार द्वारा करने बाबत

मान्यवर,

दीगोद विधान सभा क्षेत्र में आंवा, लाडपुरा, किशोरपुरा व दांता लघु सिंचाई योजना गत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई थी जिनका कार्य आज 4 साल बाद भी आरम्भ नहीं किया जा सका है। इसका मुख्य कारण इन परियोजना का वन क्षेत्र में होना है। वन भूमि की नेट प्रजेन्ट वेल्यू जो कि 9.20 लाख रुपये प्रति हैक्टेयर से आंकी गयी है इसका भुगतान सिंचाई विभाग द्वारा वन विभाग को करना शेष है। यह दोनों विभाग राज्य सरकार के अधीनस्थ है तथा निर्णय सरकार को ही लेना हैं। यह राशि वन विभाग को देने से जहां इसका उपयोग वन विभाग कर सकेगा वहीं सिंचाई विभाग इन अटकी हुयी लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण करवा सकेगा। कोटा जिले के अलावा बूंदी, बारां व झालावाड़ जिलों में सथूर माताजी, विषधारी, दाटून्दा, नारायणपुरा, नवेली, टाण्डा मझोला, हरिपुरा डण्डिया व मानपुरा लघु सिंचाई परियोजना भी इसी कारण अटकी हुयी है।

वर्षा जल के संरक्षण की सरकार जब बात करती है तो यह सरकार का दायित्व है कि इन परियोजनाओं को प्राथमिकता से आरम्भ करवाये। वृहद व मध्यम सिंचाई परियोजनाओं में तो केन्द्र सरकार से स्वीकृती प्राप्त करना आवश्यक है जबकि उपरोक्त लघु सिंचाई योजनाओं के सम्बन्ध में राज्य सरकार स्वयं निर्णय लेने में सक्षम है। परियोजनाओं की अनुमानित लागत में वन भूमि की नेट प्रजेन्ट वेल्यू को जोडना उचित नहीं है क्योंकि इस आधार पर किसी भी योजना को स्वीकृत करना सरकार के लिये सम्भव ही नहीं होगा। यह आवश्यक है कि जल संरक्षण को

प्राथमिकता देने के लिये इस राशि को वन विभाग को वन भूमि विकसित करने हेतु बजट में अतिरिक्त राशि के रूप में आबंटन किया जाना चाहिये। इस व्यवस्था से लघु सिंचाई परियोजनाओं का कार्य भी प्राथमिकता से हो सकेगा तथा अतिरिक्त वन क्षेत्र को विकसित करने में भी मदद मिलेगी। वर्तमान हालात में हर वन विभाग को विकास कार्य में बाधा मानता है तथा जन भावना भी वन विभाग के विपरीत बनती है। वनों के संरक्षण को भी नजरअन्दाज नहीं किया जाना चाहिये। वन क्षेत्र विकसित करने हेतु वन विभाग को हर प्रभावित योजना जो किसी भी विभाग से सम्बन्धित हो उसकी सरकार बजट में व्यवस्था करें।

भरत सिंह
(दीगोद)
ममता शर्मा
(बूंदी)

चौमूं में बाइपास बनाने के सन्दर्भ में

महोदय,

मेरी विधान सभा क्षेत्र चौमूं में राधास्वामी बाग से लेकर हाडौती तक बाइपास प्रस्तावित है। महोदया, राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 11 पर स्थित इस कस्बे की स्थिति यह है कि सुबह से ट्राफिक जाम होना शुरू हो जाता है तथा कभी-कभी तो स्थिति यहां तक बन जाती है कि ट्राफिक दो तीन घण्टे तक जाम रहता है जिससे आपातकालीन दुर्घटना घटित होने पर आपातकालीन सेवाऐं में भी व्यवधान होता है जिससे दुर्घटना में घायल व्यक्ति के भी जाम की वजह से मौत के मुंह में चले जाते हैं।

अत: आपके माध्यम से सरकार से मेरा निवेदन है कि बाईपास के लिये किसानों को भूमि का मुआवजा मिल चुका है जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी से बाईपास का कार्य शुरू कराने का श्रम करें।

रामलाल शर्मा
(चौमूं)

फसल बीमा की राशि दिलाने एवं किसानों को सरसों की खरीद की राशि दिलाने बाबत

महोदय,

चूरू जिले की तहसील राजगढ़ में काश्तकारों ने रबी की फसल का चने की फसल का बीमा करीब 8-10 माह पूर्व कराया था। बीमा की प्रीमियम की राशि भी जमा

करा दी है। चने की फसल अनावृष्टि एवं लट के प्रकोप के कारण बिल्कुल नष्ट हो गयी थी। इलाके में 100 प्रतिशत अकाल होने के कारण काश्तकारों को बीमे की राशि आज तक नहीं मिली है। काश्तकारों पर बैंक के कर्जे का भार बढ़ रहा है। किसानों की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई है।

अत: मेरा निवेदन है कि बीमे की राशि का भुगतान अविलम्ब कराया जावें।

उसी प्रकार राजगढ़ तहसील के काश्तकारों की सरसों समर्थन मूल्य पर खरीदी गई थी। खरीद को काफी समय हो गया हैं। जिसके कारण काश्तकारों की आर्थिक स्थिति बड़ी खराब होगी थी आर्थिक तंगी के कारण काश्तकारों का जीना मुश्किल हो गया हैं।

अत: मेरा निवेदन है कि काश्तकारों से बकाया सरसों का भुगतान अविलम्ब किया जावें।

नन्दलाल पूनिया

(सादुलपुर)

कोटपूतली को जिला बनाने के सम्बन्ध में

मान्यवर,

कोटपूतली को जिला बनाने की मांग काफी समय से चली आ रही है। कोटपूतली एवं आस-पास की तहसीलों बानसूर, बहरोड, नीम का थाना, शाहपुरा व विराटनगर के लोगों को अपने कार्य जिला मुख्यालय पर 135 से 140 कि.मी. तक की दूरी तय कर जिला प्रशासन से करवाने पड़ते हैं जो अत्यन्त कष्टकारक तथा धन को अपवय करने वाला है।

भौगोलिक दृष्टि से भी कोटपूतली जिला बनने योग्य है जिसके लिए कोटपुतली एवं आस-पास की तहसीलों की जनता द्वारा समय-समय पर जिला निर्माण की मांग को लेकर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किये जाकर राजस्थान सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया है।

प्रशासन की विकेन्द्रीकृत व्यवस्था के लिए जिला मुख्यालयों की दूरी अत्यावश्यक रूप से कम होनी चाहिये। 50 से 60 कि.मी. के मध्य जिला मुख्यालय की दूरी होने से आम आदमी का जिला कलक्टर एवं अन्य सम्बन्धित अधिकारियों से सीधा सम्पर्क हो सकता है जिससे आम आदमी को प्रशासनिक जरूरतों का लाभ प्राप्त हो सकेगा और शासन के विकेन्द्रीकरण की सोच पर भी अमल हो सकेगा। कोटपूतली के अन्तिम गांव से जयपुर जिले की दूरी 140 कि.मी., बहरोड तहसील के अन्तिम गांव

से अलवर जिले की दूरी 135 कि.मी. तथा नीमका थाना तहसील के अन्तिम गांव से सीकर जिले की दूरी 137 कि.मी. है।

कोटपूतली में वर्तमान में अतिरिक्त जिला कलक्टर कार्यालय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय, जिला परिवहन कार्यालय, जिला पुस्तकालय, जिला स्तरीय चिकित्सालय तथा अन्य सम्बन्धित कार्यालय संचालित हैं।

अत: मैं प्रकिया के नियम 295 के अन्तर्गत इस विशेष उल्लेख के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदया तथा सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए उक्त सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर कोटपूतली को जिला बनाने की मांग करता हूं।

सुभाष चन्द्र शर्मा

(कोटपूतली)

रानाबाई धाम ग्राम हरनावां पट्टी से त्रिमूर्ति धाम ग्राम बड़ू तक डामर की पेवर सड़क बनाने बाबत

महोदय,

मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि परबतसर तहसील नागौर जिले की सीमा पर अजमेर व जयपुर जिले के समीप में स्थित है। परबतसर तहसील में विभिन्न प्राचीन व धार्मिक स्थल खुण्डियास बाबा रामदेव मन्दिर, किनसरिया कैवाया माता मन्दिर, हरनांवा रानाबाई मन्दिर, बड़ू त्रिमूर्ति बालाजी व भकरी शीतला माताजी मन्दिर स्थित है, जहां पर सम्पूर्ण प्रदेश के ग्रामों व शहरों से श्रद्धालू भारी संख्या में प्रतिदिन दर्शनार्थ आते रहते हैं। धार्मिक आस्था के प्रतीक होने से इन स्थलों पर वर्ष भर ही आने जाने वाले श्रद्धालुओं को तांता लगा रहता है। श्रद्धालुओं की आस्था के कारण इन ग्रामों के आस-पास के लोगों को रोजगार भी मुहैया हो रहा है।

इन धार्मिक स्थलों को अधिकांशत: सड़कों से जोड़ा जाकर आवागमन के साधन सुगम हो चुके हैं। इन स्थानों में केवल मात्र दो मुख्य धार्मिक स्थान रानाबाई धाम हरनावा से त्रिमूर्ति बालाजी धाम बड़ू को 7 किलोमीटर सड़क बनाकर आपस में जोड दिये जाने से यहां आने वाले श्रद्धालुओं के लिये सुविधायुक्त तो होगा ही साथ ही यहां के निवासियों को भी इसका लाभ मिल सकेगा। उक्त दोनों स्थान परबतसर तहसील की बड़ी ग्राम पंचायत मुख्यालय भी है, जिनकी आबादी भी अन्य पंचायत मुख्यालयों से बहुत अधिक है।

ज्ञातव्य है कि ग्राम पंचायत मुख्यालय बड़ू से ग्राम पंचायत मुख्यालय हरनांवा तक 7 कि.मी. तक बिल्कुल कच्ची व रैतीली सड़क है जिस पर चलना बहुत ही मुश्किल है। उक्त सड़क को पूर्व में अकाल राहत कार्य के दौरान ग्रेवल सड़क से जोड़ा गया था जो प्रथम बरसात के ही बाद टूट कर खत्म हो चुकी है। अत: इस रास्ते पर डामर की पेवर सड़क निर्माण करवा दिया जाती तो यह सर्वाधिक उपयुक्त रहती।

इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से कई बार निवेदन किया जा चुका है पुन: इस सदन के माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन है कि उक्त स्थानों पर यदि डामर की पेवर सड़क निर्माण करवा दी जाती है तो ये स्थान पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण स्थानों में शामिल हो जायेंगे।

अन्त में एक बार फिर निवेदन है कि रानाबाई धाम ग्राम हरनांवा पट्टी से त्रिमूर्ति बालाजी धाम ग्राम बड़ू तक 7 किलोमीटर पेवर सड़क निर्माण की स्वीकृति जारी कर धार्मिक आस्था के प्रतीक इन स्थलों को आवागमन के रास्ते जुड़वा कर पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु मेरे व मेरे क्षेत्र की जनता के इस प्रयास को सार्थक करावें।

राकेश मेघवाल

(परबतसर)